

47^{वां} वार्षिक
प्रतिवेदन | 2022-23



नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

शेड्यूल-ए, मिनी रत्न श्रेणी-1, भारत सरकार का उद्यम



बिछोम डैम, काहेप्स



पीएलएचपीएस रिजर्वर

वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23



विषय सूची

1. निदेशकों का संक्षिप्त विवरण	2
2. अध्यक्ष का अभिभाषण	5
3. वर्ष 2022-23 हेतु निदेशकों का प्रतिवेदन	10
4. सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण (फॉर्म संख्या एओसी-1) (अनुलग्नक-1)	44
5. कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट (अनुलग्नक-2)	45
6. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक-3)	60
7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (अनुलग्नक-4)	89
8. कॉर्पोरेट प्रशासन प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-5)	122
9. सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-5बी)	123
10. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक-6ए)	124
11. समेकित वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक-6बी)	149
12. मामलों के गुरुत्व पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन का उत्तर (अनुलग्नक-6सी)	357
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (अनुलग्नक-7)	358
14. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक-8ए)	360
15. वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाई गई सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर (अनुलग्नक-8बी)	363
16. ऊर्जा संरक्षण, तकनीक स्वीकरण, विदेशी विनिमय आय एवं जावक (अनुलग्नक-9)	364
17. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण (अनुलग्नक-10)	367

संदर्भित सूचना

पंजीकृत कार्यालय:

ब्रुकलैंड कम्पाउंड
लोअर न्यू कॉलोनी, लाइतुम्ब्राह
शिलांग - 793 003, मेघालय

सांविधिक लेखापरीक्षक:

एल. के. केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुवाहाटी

लागत लेखापरीक्षक:

मैसर्स ए.सी. दत्ता एण्ड कंपनी
लागत लेखापरीक्षक, कोलकता

सचिवीय लेखापरीक्षक:

मैसर्स नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव, गुवाहाटी

कंपनी सचिव:

श्री अबिनोम पनू रोंग

बैंक:

भारतीय स्टेट बैंक
एक्सिस बैंक
केनरा बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडियन बैंक
यस बैंक

बॉन्ड के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट


कार्बी फिनटेक प्रा. लि.
कार्बी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट नम्बर 31 एवं 32
फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट गाचीबोवली,
हैदराबाद - 500 032

ऋणपत्र न्यासी :

1. एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लि.
द्वितीय तल, एक्सिस हाउस
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड
पांडुरंग बुधकर मार्ग
वर्ली, मुंबई - 400 025
टेलीफोन : 22-6226 0054/6226 0050
ई-मेल : debenturetrustee@axistrustee.com
2. एसबीआईसीएपी ट्रस्टीज कंपनी लि.
202, मेकर टावर 'ई'
कॉफी पारेड, मुंबई - 400 005
टेलीफोन नम्बर : 022-4302 5555
फैक्स नम्बर : 022-4302 5500
ई-मेल : dt@sbicaptrustee.com;

सीआईएन:

U40101ML1976GOI001658





विजन

सशक्त पर्यावरण जागरूकता के साथ देश की एक अग्रणी एकीकृत विद्युत ऊर्जा कंपनी बनना ।

लक्ष्य

परम्परागत तथा गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्य से देश के विशाल विद्युत शक्त का दोहन तथा पर्यावरण को न्यूनतम रूप में प्रभावित करते हुए विद्युत परियोजनाओं के सभी पहलुओं जैसे अन्वेषण, योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन तथा परियोजनाओं के रखरखाव के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हुए देश के विकास को समग्र रूप में आगे बढ़ाना ।

कॉरपोरेट उद्देश्य

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में धारणी विकास के लिए विशाल जल एवं ताप ऊर्जा शक्त का जिम्मेदारी पूर्वक दोहन ।
- उद्गारीकरण तथा वैश्वीकरण पर्यावरण में प्रतिस्पर्धात्मक होना ।
- पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास को प्रोन्नत करना ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता, संपन्नता को बढ़ाया जा सके ।
- आधारभूत, चिकित्सा, स्कूल आदि की सुविधा उपलब्ध कराना तथा उत्पादनपरक अवसर के वातावरण का सजन ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा भारत की बिजली आवश्यकता को पूरा करना ।
- पड़ोस के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ।
- मानव संसाधनों का विश्व स्तर पर विकास करना ।

वर्तमान निदेशकों का प्रोफाइल



श्री गुरदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 00307037)

श्री गुरदीप सिंह, एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2016 से हैं और उन्होंने नीपको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 1 जून, 2023 को संभाला है।

एनटीपीसी में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, श्री गुरदीप सिंह गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे।

विद्युत क्षेत्र में उनका तीन दशक से अधिक का शानदार कैरियर है। आपने 1987 में एनटीपीसी में प्रशिक्षु अभियंता के रूप में अपना करियर प्रारम्भ किया एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम पूरा किया है। आपने सैड बिजनेस स्कूल-ऑक्सफोर्ड (यूके), हार्वर्ड-कैनेडी स्कूल (यूएसए), डार्डन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट-वर्जीनिया (यूएसए), सिंगापुर सिविल सर्विसेज कॉलेज (सिंगापुर) और आईएसबी हैदराबाद (भारत) जैसे प्रसिद्ध वैश्विक संस्थानों से प्रबंधन और नेतृत्व संबंधी जानकारी भी प्राप्त की है।

आप ग्लोबल नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन में कोयले पर आईईए के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य हैं और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रीस्तरीय एच21 सलाहकार समूह के भी सदस्य हैं। आपने बी20 इटली 2021 में सह-अध्यक्ष के रूप में ऊर्जा और संसाधन दक्षता पर कार्यबल के लिए कार्य किया।

आपने एनटीपीसी के विकास को बनाए रखने और एक प्रमुख वैश्विक ऊर्जा कंपनी के रूप में एनटीपीसी की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। आपने एनटीपीसी को ऊर्जा परिवर्तन के मामले में सबसे अग्रणी रखा है और आक्रामक नवीकरणीय वृद्धि, हरित हाइड्रोजन, अधिग्रहण, बायोमास, वेस्ट-टू-वेलथ, सीसीयू, वैश्विक उपस्थिति आदि एवं एक "कोयला आधारित बिजली उत्पादन कंपनी" से "सतत एकीकृत ऊर्जा कंपनी" तक जैसी कई पहल शुरू की हैं।

प्रतिस्पर्धी बढ़त बढ़ाने में उनके मजबूत इरादे ने एनटीपीसी को विभिन्न निविदाएं जीतने में मदद की और एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अहम अग्रणी/दावेदार के रूप में उभरा है। पर्यावरणीय फूटप्रिंट को कम करने, स्थिरता के प्रयासों को अधिकतम करने और 'कम लागत वाले कम उत्सर्जन' के एक केंद्रित दृष्टिकोण को भारत में सभी के लिए स्वच्छ एवं सस्ती बिजली के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित करने और कोयले की अदला-बदली, सस्ते स्टेशनों के शेड्यूलिंग में प्राथमिकता और शेड्यूलिंग योजनाओं में लचीलापन, माल ढुलाई की अवधारणा में मदद करता है।



श्री बैद्यनाथ महाराणा
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 09263864)

श्री बैद्यनाथ महाराणा ने नीपको के निदेशक (वित्त) का पदभार 10 सितंबर 2021 को संभाला। निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे नीपको में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर थे। आप भारत के लागत लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं। उनके पास सॉफ्टवेयर कमर्शियल एप्लिकेशन में डिप्लोमा भी है और वे उत्कल विश्वविद्यालय से भौतिकी ऑनर्स के साथ स्नातक हैं। उन्होंने वर्ष 1993 में नीपको में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और विभिन्न संवर्गों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। सॉफ्टवेयर विकास में अपनी विशेषज्ञता के साथ, उन्होंने निगम में वित्तीय सॉफ्टवेयर डिजाइन और कार्यान्वित किया है। उनका अनुभव बहुआयामी है और इसमें परियोजना लेखा, अनुबंध प्रबंधन और वित्त सहमति, निधि प्रबंधन, ट्रेजरी प्रबंधन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, बजटीय नियंत्रण और एमआईएससी, समझौता ज्ञापन, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि शामिल हैं। उन्होंने स्वयं को निधि प्रबंधन और संविदात्मक मामलों में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में वित्तीय क्षेत्र में निगम ने अपनी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है और सबसे न्यूनतम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण जुटाए हैं।



श्री रनेन्द्र शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएन: 10048417)

श्री रनेन्द्र शर्मा ने दिनांक 18-04-2023 को नीपको के निदेशक (तकनीकी) के पद का प्रभार संभाला है। निदेशक (तकनीकी) के पद पर पदभार ग्रहण करने से पहले, आप नीपको में कार्यपालक निदेशक (पीएबीडी), कार्यपालक निदेशक-परियोजनाएं (हाइड्रो), कार्यपालक निदेशक (अरुणाचल) आदि जैसे विभिन्न वरिष्ठ स्तर के पदों पर थे। आप आईएसआरएम, आईटीए आदि जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों के सदस्य हैं। श्री रनेन्द्र शर्मा के पास सivil इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। उन्हें जलविद्युत ऊर्जा परियोजना की जांच, योजना, डिजाइन और निष्पादन में 33 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त हुआ है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित एक दर्जन लेखों का लेखन/सह-लेखन किया है। आपने उप-समिति सदस्य के रूप में विभिन्न बीआईएस कोड तैयार करने में योगदान दिया है।



श्री जितेश जॉन
सरकार द्वारा नामित
(डीआईएन: 09218272)

श्री जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में भारतीय आर्थिक सेवा (2001 बैच) से हैं। आपने लोयला कॉलेज, चेन्नई से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (एमए) किए हैं। आपने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, आरएमआईटी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हैं। आप, विद्युत मंत्रालय में योजना, परियोजना निगरानी, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित मामलों को देखते हैं। इस उत्तरदायित्व से पहले आपने योजना आयोग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में काम किया है और बुनियादी ढांचे में पीपीपी, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और वित्तीय बाजारों के विकास जैसे क्षेत्रों पर काम किए हैं।

आप, 21.06.2021 को हमारे बोर्ड में शामिल हुए हैं।



श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य
एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक
(डीआईएन: 08734219)

श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य, निदेशक (परियोजनाएं), एनटीपीसी लिमिटेड; जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। आपने एमडीआई, गुड़गांव से प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा भी किया है। आपने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में अपना करियर शुरू किया, इसके बाद 1600 मेगावाट फरक्का एसटीपीपी में पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के क्षेत्रों में काम किया। वे 1996-98 के दौरान 460 मेगावाट तालचर टीपीएस के बदलाव के लिए श्रेय दी गई एनटीपीसी टीम के सदस्य रहे हैं। उन्होंने कोल्डम के अधिग्रहण और बिजली वितरण व्यवसाय के लिए सहायक कंपनी एनईएससीएल की स्थापना के साथ एनटीपीसी के जलविद्युत में विविधीकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनटीपीसी व्यवसाय विकास में योगदान दिया है। आप, बांग्लादेश में 1320 मेगावाट की मैली पावर परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम का गठन और परियोजना परिकल्पना करने में सबसे अग्रणीय हैं।

निदेशक (परियोजना), एनटीपीसी के रूप में नियुक्ति से पहले, आपने एमडी और सीईओ (बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशीप पावर कंपनी लिमिटेड), ईडी (बिजनेस डेवलपमेंट) और ईडी (प्रोजेक्ट्स), एनटीपीसी के रूप में काम किया है।

आप 31-08-2020 को नीपको के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री जयकुमार श्रीनिवासन
एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक
(डीआईएन: 01220828)

श्री जयकुमार श्रीनिवासन, निदेशक (वित्त), एनटीपीसी एक वाणिज्य स्नातक और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक सहयोगी सदस्य हैं। श्री जयकुमार श्रीनिवासन के पास वित्त, लेखा, कराधान, वाणिज्यिक, विद्युत विनियमन, नवीकरणीय, आईटी, परियोजना विकास आदि के क्षेत्र में राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विद्युत और खनन क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें 8 साल का बोर्ड स्तर का अनुभव है। श्री जयकुमार श्रीनिवासन ने 21.07.2022 को निदेशक (वित्त), एनटीपीसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। निदेशक (वित्त), एनटीपीसी लिमिटेड के रूप में आपकी नियुक्ति से पहले, आपने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया है। आपने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में भी काम किया है, इससे पहले आप महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (महाजेनको), महाराष्ट्र सरकार की संस्थाओं के निदेशक (वित्त) थे। आपने महागुज कोलियरी कंपनी लिमिटेड, यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड और महाजेनको की अन्य सहायक कंपनी में अंशकालिक निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

आप 17-08-2022 को नीपको के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री बिमल चंद्र ओसवाल
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 03286483)

श्री बिमल चंद्र ओसवाल सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से बीकॉम (ऑनर्स) स्नातक हैं और सुरेंद्र नाथ लॉ कॉलेज, कोलकाता से एलएलबी में स्नातक भी हैं। आप राइनो रिसर्च प्रोडक्ट्स, धुबरी (एक आयुर्वेदिक औषधि निर्माता इकाई) के मुख्य कार्यपालक हैं। इसके अलावा, श्री बिमल चंद्र ओसवाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया आयुष कंसोर्टियम लिमिटेड, असम के निदेशक भी हैं। आप सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों में भी गहराई से शामिल हैं।

आप 10 नवंबर, 2021 को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में हमारे बोर्ड में शामिल हुए।



डॉ विवेक नंद पासवान
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 09397615)

डॉ विवेक नंद पासवान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से इतिहास में ऑनर्स स्नातक हैं। आपने धर्मशास्त्र और साहित्य में अपना आचार्य अध्ययन पूरा किया है। आपने अपनी पीएच.डी. भी पूरी की है और यूजीसी (नेट) परीक्षा उत्तीर्ण की। डॉ. पासवान ने धर्मशास्त्र विभाग, के.एस.डी संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा में सहायक प्राचार्य के रूप में काम किया है। आप केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के पूर्व पार्षद (सीनेट) सदस्य हैं। आप अन्य सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों में उत्सुकता से शामिल हैं। डॉ. पासवान ने हिंदी और संस्कृत साहित्य में पुस्तकें भी लिखी हैं।

आप 10 नवंबर, 2021 को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में हमारे बोर्ड में शामिल हुए।



अध्यक्षीय अभिभाषण

प्रिय सदस्यगण,

मैं निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 47^{वीं} वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदर्शन पर 47^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, खातों का लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा शामिल है, आपके सामने रखी गई है। वर्ष के दौरान प्रदर्शन की मुख्य बातें संक्षेप में नीचे दी गई हैं।

- नीपको ने 8265 एमयू के लक्ष्य के मुकाबले 8492 मिलियन यूनिट (एमयू) का बिजली उत्पादन हासिल किया है, जो वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक 81.61% के साथ पिछले वर्ष के दौरान ऊर्जा उत्पादन की तुलना में 4.58% अधिक है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बिजली की बिक्री और अन्य आय से कुल आय ₹457063.50 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह ₹330196.67 लाख थी।

आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹43345.29 लाख के मुकाबले ₹74801.26 लाख का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया।

- 31 मार्च, 2023 को सकल परिचालन मार्जिन ₹210610.32 लाख है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹172813.68 लाख था।
- आपके निदेशकों ने ₹35000.00 लाख के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश का भुगतान आपकी स्वीकृति के अंतर्गत किया जाएगा। 31 मार्च, 2023 को निगम की कुल संपत्ति ₹658583.80 लाख है, जो 31 मार्च, 2022 के ₹655923.90 लाख के मुकाबले 0.41% की वृद्धि दर्शाती है।
- चल रहे जीर्णोद्धार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य:

275 मेगावाट कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन (केएचपीएस), असम:

- 4x50 मेगावाट कोपिली पावर स्टेशन (केपीएस)-नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य समाप्ति चरण पर पहुंच रहा है। चार इकाइयां - यूनिट-4, 3, 2 और 1 को अगस्त, 2023 से अक्टूबर 2023 तक बताए गए क्रम में चालू करने के लिए निर्धारित किया गया है। यूनिट-4 को 20.08.2023 को वाणिज्यिक संचालन के लिए घोषित किया गया था और यूनिट-3 को 03.09.2023 को वाणिज्यिक संचालन के लिए घोषित किया गया था।

ii) **खांडोंग चरण-II (1 X25 मेगावाट) पावर स्टेशन (पीएस):** दिनांक 26.03.2022 को आई बाढ़ के बाद बहाली का काम पूरा होने पर पावर स्टेशन को 20.05.2023 को ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक सिंक्रनाइज़ किया गया था।

iii) **खांडोंग चरण-I (2 x 25 मेगावाट):** 2 x 23 मेगावाट की संशोधित अधिष्ठापित क्षमता वाली इकाइयों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य और जीवन विस्तार के प्रस्ताव को अगस्त 2021 में सीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीईए ने 18.11.2022 को इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों की लागत की समीक्षा की। 14.07.2023 को सिविल और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों की लागत की समीक्षा की गई।

इकाइयों का आरएंडएम और एलई मार्च और मई, 2025 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

• नई परियोजनाएं:

नीपको का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत पर्यावरणीय चेतना के साथ एक अग्रणी बिजली कंपनी बनना है। नीपको 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित उत्पादन प्राप्त करने के लिए सरकार के क्षमता वृद्धि लक्ष्यों के साथ पंप भंडारण और सौर ऊर्जा सहित हाइड्रो के संसाधन मैट्रिक्स से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अरुणाचल प्रदेश के तवांग, कामेंग, सियांग और डिक्लोंग बेसिन में सतह जल विद्युत परियोजना (एचईपी) साइटों को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा आगे बढ़ाने का संकेत दिया गया था। तत्काल कार्यान्वयन के लिए पाँच एचईपी को शॉर्टलिस्ट किया गया।

नेयिंग एचईपी (1000 मेगावाट), टाटो-I एचईपी (186 मेगावाट), टाटो-II एचईपी (700 मेगावाट), हिरोंग एचईपी (500 मेगावाट) और हेओ एचईपी (240 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 12 अगस्त, 2023 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए)

पर हस्ताक्षर किए गए। 120 मेगावाट नाफरा एचईपी को शामिल करने के साथ, 2746 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाली कुल छह परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वामित्व के आधार पर कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए योजनाबद्ध एचईपी की अन्य शेल्फ में स्वामित्व के आधार पर 325 मेगावाट और संयुक्त उद्यम पर 4200 मेगावाट शामिल हैं।

परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने के लिए तेजी से रैंप अप क्षमता वाले पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) को एक आदर्श पूरक के रूप में पहचाना गया है। पन्योर लोअर एचपीएस और कोपिली एचपीएस के मौजूदा जलाशय में क्रमशः 980 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाली दो पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को कार्यान्वयन के लिए पहचानी गई है। क्रमशः 660 मेगावाट पन्योर पीएसपी और 320 मेगावाट कोपिली एचपीएस के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की तैयारी प्रगति पर है। क्रमशः 660 मेगावाट पन्योर पीएसपी और 320 मेगावाट कोपिली एचपीएस के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की तैयारी प्रगति पर है।

उपरोक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने मिजोरम, असम और मणिपुर राज्य में नीपको द्वारा शीघ्रता से मूल्यांकन रिपोर्ट के विश्लेषण और तैयारी के लिए 13900 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाले आठ संभावित पीएसपी साइटों को इंगित किया है।

मिजोरम में 3 (तीन) परियोजनाओं अर्थात 400 मेगावाट नघासिह, 1650 मेगावाट तुईफाई लुई और 1500 मेगावाट लीवा लुई के लिए पीएफआर की तैयारी पहले चरण में की जा रही है।

अप्रयुक्त जल स्थान का उपयोग करने के प्रयास में, नीपको को पूर्वोत्तर क्षेत्र में संभावित फ्लोटिंग सौर क्षमताओं के सर्वेक्षण और जांच का काम सौंपा गया है। उमरोंग जलाशय,

केएचपीएस पर 40 मेगावाटपी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (एफएसपी) के लिए डीपीआर की तैयारी वर्तमान में प्रगति पर है। मेघालय में उमियम झील पर एफएसपी का सर्वेक्षण और जांच तथा डीपीआर तैयार करना शुरू कर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी:

सभी स्थानों पर ईआरपी सिस्टम कार्यान्वयन को चरणबद्ध तरीके से गो-लाइव स्थिति प्राप्त हुई। ईआरपी डेटा सेंटर (डीसी) और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन पूरा हो गया है। सभी स्थानों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है और बुनियादी ढांचे का आईटी सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है। आईएसओ 27001 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे नीपको सुरक्षा प्रबंधन में वर्तमान सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करने में सक्षम हो सके।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न सीएसआर योजनाओं पर व्यय 7.38 करोड़ रुपये (चल रही और चालू परियोजना के अलावा) था। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण स्थिरता, कौशल विकास आदि समुदाय के जीवन में सुधार के लिए मुख्य क्षेत्र हैं।

अनुसंधान एवं विकास:

ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रयास में, वर्ष के दौरान चार अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय ₹59.88 लाख है।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना:

वर्ष के दौरान एमएसई और विशेष रूप से महिला स्वामित्व वाले एमएसई उद्यमियों से खरीद क्रमशः 35.47% और

4.53% थी। पिछले वर्षों की तुलना में खरीद में एमएसई की भागीदारी में वृद्धि हुई। सरकारी दिशानिर्देशों का पालन और समय पर लाभ सुनिश्चित करना एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम हैं। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य बात है कि नीपको ने जेम पोर्टल के माध्यम से 93.44% खरीद हासिल की।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन:

जो लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें समय पर प्रतिक्रिया और जानकारी तक पहुंच प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान प्राप्त 123 आरटीआई आवेदनों में से 113 आवेदनों का निस्तारण किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत नीपको द्वारा "प्रोएक्टिव डिस्कलोजर" पर तृतीय पक्ष पारदर्शिता ऑडिट अगस्त, 2023 तक पूरा किया गया।

जोखिम प्रबंधन नीति (आरएमपी):

आरएमपी सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, शमन, निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत प्रबंधन ढांचा स्थापित करता है। जोखिम स्वामियों की पहचान कर ली गई है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार, 4 फरवरी, 2022 में एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमपी) का गठन किया गया था। बोर्ड स्तर के आरएमपी की अनुशंसा के अनुसार, व्यवसाय निरंतरता योजना की तैयारी शुरू कर दी गई है।

बांध सुरक्षा उपाय और पूर्व चेतावनी प्रणाली:

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुसार, निर्दिष्ट बांधों के निरीक्षण के लिए "बांध सुरक्षा इकाई" की स्थापना की गई है। इसके अलावा, व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन के लिए प्रख्यात विशेषज्ञों का एक बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) गठित किया गया है। प्रदर्शन की निगरानी के

लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस), जियोडेटिक टोटल स्टेशन, वायरलेस लैन (डब्ल्यूएलएएन) लिंक के साथ स्वचालित मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर सहित अत्याधुनिक बांध निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

विद्युत स्टेशनों के जलग्रहण क्षेत्र में प्रारंभिक चेतावनी/प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली के लिए जल-मौसम विज्ञान स्टेशन स्थापित किया गया है। अब तक 41 स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) और 4 (चार) डॉपलर आधारित डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) दोहरे डेटा संचार प्रणाली (इनसैट सैटेलाइट और जीएसएम/जीपीआरएस) के साथ स्थापित किए जा चुके हैं।

प्रशिक्षण एवं विकास (मानव संसाधन विकास):

वर्ष के दौरान, विभिन्न ग्रेड के 614 कर्मचारियों को घरेलू, बाहरी प्रशिक्षण (भारत के भीतर) और विदेशी प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान 108 (17.6%) महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

राजभाषा:

भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात द्विभाषी जारी करने के प्रयास किए गए। विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम हेतु नामित किया गया। कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने का अभ्यास कराने हेतु हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। “आज का शब्द कार्यक्रम” के तहत कर्मचारियों के हिंदी एवं ख़ासी शब्दकोश के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी समानान्तर शब्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रत्येक दिन डिजिटल बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। नीपको की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण लिखने पर नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

नियम एवं नीतियां:

वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित मानव संसाधन नीति/योजना लागू की गई:

1. रात्रि पाली ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों के लिए जलपान और स्वास्थ्य अनुपूरक प्रतिपूर्ति पर दिशानिर्देश।
2. नियमित पद पर नियुक्त कार्यकारी प्रशिक्षुओं सहित, लेकिन सुरक्षा कर्मियों (पर्यवेक्षकों और श्रमिकों) को छोड़कर, 1 अक्टूबर, 2022 तक निगम के रोल पर आने वाले सभी कर्मचारियों को गर्मी और सर्दी की वर्दी की लागत की प्रतिपूर्ति।
3. कर्मचारियों के निवास पर फर्नीचर, फिक्स्चर और सुविधाओं पर आधिकारिक कार्य के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की योजना।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के आवासीय कार्यालय में सुविधाएं/सुविधाएं प्रदान करने की योजना।
5. संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता पर नीपको नीति।
6. अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों के लिए आधिकारिक संचार व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।
7. आचरण अनुशासन एवं अपील (संशोधित) नियम।

नीपको सतर्कता गतिविधियां:

वर्ष के दौरान, सीवीसी द्वारा संदर्भित दो शिकायतों का निपटान 1 (एक) महीने के भीतर किया गया। 03 (तीन) पीआईडीपीआई (पब्लिक इंटरैस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ इंफॉर्मर्स) प्राप्त शिकायतों (सीवीसी से 2 और एमओपी से 1) और अन्य स्रोतों से प्राप्त 10 (दस) शिकायतों का भी समय सीमा के भीतर निपटान किया गया है। इसके अलावा, एमओपी से प्राप्त 1 (एक) शिकायत का एक महीने के भीतर निपटारा कर दिया गया।

नियमों, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न मामलों की जांच के दौरान पाई गई कमियों को पकड़ने के लिए निवारक सतर्कता पर जोर दिया जा रहा है। निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, 75 (पचहत्तर) नियमित निरीक्षण, 6 (छह) सीटीई प्रकार के निरीक्षण और 27 (सत्ताईस) औचक निरीक्षण किए गए। इस अवधि के दौरान 11 (ग्यारह) प्रणालीगत सुधार सलाहकार भी जारी किए गए।

कॉर्पोरेट प्रशासन:

आपकी कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानक के अनुसार और अपने हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीपको विद्युत क्षेत्र में एक जिम्मेदार इकाई होने के नाते, एक स्वैच्छिक पर्यावरण, समाज और सुशासन अभ्यास प्रकटीकरण को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय परिणाम उसके सभी हितधारकों के लाभ के लिए नीपको की वेबसाइट पर होस्ट किए जाते हैं।

अभिस्वीकृति:

निगम के सभी निदेशकों की ओर से, मैं भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, बैंकरों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और कंपनी रजिस्ट्रार के प्रति एवं विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय को सतत ऊर्जा उत्पादन और क्षमता वृद्धि के लिए नीपको की पहल में निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और लिपुला की राज्य सरकार, सभी कर्मचारियों, सभी यूनियनों और संघों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, लाभार्थियों/ग्राहकों को भी उनके द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई सभी सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं पूर्ण स्वामित्व कंपनी, एनटीपीसी लिमिटेड, बोर्ड के सदस्यों, नीपको की वरिष्ठ प्रबंधन टीम को उनके प्रतिबद्धता और निगम के उद्देश्यों को साकार करने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

अंत में, निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ।

क्या मैं अब अनुरोध कर सकता हूँ कि मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट, लेखाओं के लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और खातों की समीक्षा पर विचार किया जाए और इसे स्वीकार किया जाए, आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

जय हिन्द ।

दिनांक, शिलांग
15 सितंबर, 2023

(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक



पूर्णकालिक निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों का प्रतिवेदन 2022-23

प्रिय सदस्यों,

निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर खातों के लेखापरीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा इस अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा के साथ 47वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रदर्शन नीचे संक्षेप में दिया गया है:

निष्पादन की एक झलक

(₹ लाखों में)

	वित्तीय आँकड़ा	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
ए	संचालन से राजस्व	455,655.27	320684.33
बी	अन्य आय	1,408.23	9512.34
सी	कुल आय (ए + बी)	457063.50	330196.67
डी	ईंधन लागत	147687.42	63488.96
ई	कर्मचारी लाभ व्यय	51406.14	46518.08
एफ	वित्तीय लागत	53667.13	58198.79
जी	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	83550.16	80781.94
एच	अन्य व्यय	52902.05	45824.08
आई	कुल खर्च (डी+ई+एफ+जी+एच)	389212.90	294811.85
जे	असाधारण वस्तुओं, कर और विनियामक स्थगन खाता अधिशेष के पहले लाभ (सी - आई)	67850.60	35384.82
के	असाधारण मद - (आय)/व्यय	0.00	0.00
एल	कर पूर्व लाभ और विनियामक स्थगन खाते अधिशेष (जे - के)	67850.60	35384.82
एम	कर व्यय	33642.99	20496.04
एन	इस वर्ष के लिए विनियामक स्थगन खाता अधिशेष से पहले लाभ (एल - एम)	34207.61	14888.78
ओ	विनियामक स्थगन खाता अधिशेष में निवल संचलन (निवल कर)	5482.47	6340.59
पी	वर्ष के लिए लाभ (एन + ओ)	39690.08	21229.37
क्यू	अन्य व्यापक आय/(व्यय) (निवल कर)	(530.18)	(1306.16)
आर	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (पी + क्यू)	39159.90	19923.21
एस	ईबीआईटीडीए (₹ लाख में) (जे+जी+एफ)	205067.89	174365.55
टी	ईबीआईटी (₹ लाख में) (एस-जी)	121517.73	93583.61
यू	प्रति शेयर आय (₹ में) (मूल और मिश्रित)	1.10	0.59
वी	अधिकृत शेयर पूंजी	500000.00	500000.00
डब्ल्यू	प्रदत्त शेयर पूंजी	360981.04	360981.04
एक्स	आरक्षित एवं अधिशेष	297602.76	294942.86
वाई	निवल परिसंपत्ति (डब्ल्यू + एक्स)	658583.80	655923.90
जेड	औसत निवल परिसंपत्ति (₹ लाख में)	657253.85	650462.30
एए	कुल संपत्ति (₹ लाख में)	1,618,781.09	1581310.39
एबी	दीर्घकालिक ऋण (₹ लाख में)	691063.36	725736.54
एसी	नियोजित पूंजी (वाई + एबी)	1349647.16	1381660.44

एडी व्यापार प्राप्य (₹ लाख में)	94429.78	48776.49
एई कैपेक्स	84944.62	70788.49
एफ अंतरिम लाभांश	35000.00	7500.00
एजी प्रस्तावित अंतिम लाभांश	0.00	1500.00
एच कर्मचारियों की संख्या	1779	1911

वित्तीय अनुपात ::

I एसेट टर्नओवर अनुपात (% में)	28.24%	20.88%
II राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए (% में)	44.87%	52.81%
III निवल संपत्ति पर रिटर्न (% में)	6.04%	3.26%
IV नियोजित पूंजी पर रिटर्न (% में)	9.00%	6.77%
V सकल परिचालन मार्जिन	210610.32	172813.68
VI पीएटी/कुल समायोजन (₹ लाख में)	22.31	11.11
VII ऋण इक्विटी अनुपात	1.05	1.11
VIII चलनिधि अनुपात	0.50	0.46
IX वर्तमान अनुपात	0.55	0.54
X देनदार टर्नओवर अनुपात (दिन)	40	27
XI ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) (समय से)	1.14	1.18
XII ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर) (समय से)	3.95	3.13

स्टैंडअलोन

नोट 1: परसंपत्ति टर्नओवर अनुपात = (कुल आय/कुल संपत्ति) * 100

नोट 2: आय के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए = (ईबीआईटीडीए/कुल आय) * 100

नोट 3: निवल परिसंपत्ति पर रिटर्न = (टैक्स के बाद लाभ/औसत निवल परिसंपत्ति) * 100

नोट 4: नियोजित पूंजी पर रिटर्न = (ईबीआईटी/नियोजित पूंजी) * 100

नोट 5: सकल परिचालन मार्जिन = संचालन से राजस्व + आर.डी.ए. अधिशेष में उतार-चढ़ाव - ईंधन लागत - कर्मचारी लाभ व्यय - अन्य व्यय - असाधारण वस्तुएं (व्यय)


नोट 6: पीएटी/कुल समायोजन = कर पश्चात लाभ/कर्मचारियों की संख्या

नोट 7: ऋण इक्विटी अनुपात = दीर्घकालिक ऋण/कुल इक्विटी

नोट 8: चलनिधि अनुपात = (कुल वर्तमान संपत्ति - वस्तु सूची)/कुल वर्तमान देनदारियाँ


नोट 9: वर्तमान अनुपात = कुल वर्तमान संपत्ति/कुल वर्तमान देनदारियाँ

नोट 10: देनदार टर्नओवर अनुपात = [(बकाया राशि को छोड़कर व्यापार प्राप्य) * 365]/(संचालन से राजस्व)




ऋण = दीर्घकालिक ऋण

इक्विटी = प्रदत्त शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी



आय विश्लेषण

वर्ष 2022-23 के दौरान निगम की कुल आय ₹ 457063.50 लाख (पिछले वर्ष ₹ 330196.67 लाख) है।





उपरोक्त विश्लेषण विनियामक स्थगन खातों के अधिशेष और उस पर कर में उतार-चढ़ाव को छोड़कर है

कुल आय और कर पश्चात लाभ

निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 43345.29 लाख की तुलना में ₹ 74801.26 लाख का कर पूर्व लाभ (आर.डी.ए. शेय में उतार-चढ़ाव सहित) अर्जित किया। चालू वित्तीय वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ ₹ 39690.08 लाख है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह ₹ 21229.37 लाख था।

Total Income and PAT ₹ In lakhs





लाभांश

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 1500.00 लाख के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, 16.03.2023 को आयोजित 277वीं बोर्ड बैठक में ₹ 35000.00 लाख के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी गई है।

वित्तीय समीक्षा :

ए. पूंजी संरचना

31.03.2022 को निगम की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 500000 लाख थी और भुगतान पूंजी ₹ 360981.04 लाख (पिछले वर्ष ₹ 360981.04 लाख) थी।

बी. दीर्घकालीन ऋण

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम ने "सावधि ऋण" के माध्यम से ₹ 95000.00 लाख की ऋण राशि जुटाई है।

सी. निवल मूल्य

31 मार्च, 2023 को निगम की कुल संपत्ति ₹658583.80 लाख है, जो 31 मार्च, 2022 को ₹655923.90 लाख थी और इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% की वृद्धि हुई।



डी. सकल परिचालन मार्जिन :



31.03.2023 को कंपनी का सकल परिचालन मार्जिन 31 मार्च, 2022 के 172813.68 लाख के मुकाबले 210610.32 लाख रुपये है।

ई. सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एल के केजरीवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO/कंपनी) के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था और उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षा किया।

एफ. सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 16 मई 2023 की रिपोर्ट अनुबंध-6ए (स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों के लिए) और अनुबंध-6बी (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए) में दी गई है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में "महत्वपूर्ण मामलों" पर प्रबंधन का जवाब अनुबंध-6सी में दिया गया है।

जी. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों (स्टैंडअलोन और समेकित) का पूरक ऑडिट किया है। आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अनुबंध-7 (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए) में दिया गया है।

एच. लागत लेखापरीक्षा

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत यथानिर्धारित अनुसार, कंपनी द्वारा अपने उत्पादन स्टेशनों के लिए लागत लेखांकन रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। मेसर्स निरान एंड कंपनी, भुवनेश्वर, ओडिशा और मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे, महाराष्ट्र को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत कंपनी के लागत लेखांकन रिकॉर्ड की लागत लेखा परीक्षा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नीपको के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम, 2014 के अनुपालन में निर्धारित समय के भीतर दाखिल की जाएगी।

आई. सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, गुवाहाटी को वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मेसर्स नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यथा लेखा परीक्षित सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर एमआर-3 में **अनुलग्नक - 8ए** के रूप में संलग्न है। वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब **अनुलग्नक - 8बी** के रूप में संलग्न है।

प्रचालनाधीन विद्युत स्टेशन :

विद्युत उत्पादन

8265 एमयू लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 8492 एमयू उत्पादन हासिल किया। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में विद्युत उत्पादन की उपलब्धि नीचे दी गई है :

विद्युत स्टेशन	उत्पादन लक्ष्य (एमयू) वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक उत्पादन (एमयू) वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक (एमयू) वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक संयंल उपलब्धता कारक (%) वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक संयंल उपलब्धता कारक (%) वित्तीय वर्ष 2021-22
असम गैस आधारित पावर स्टेशन (291 मेगावाट), असम	1650	1689.83	1787.10	73.35	71.52
अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन (135 मेगावाट), त्रिपुरा	838	845.63	923.99	81.69	80.00
त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन (101 मेगावाट), त्रिपुरा	728	747.48	717.96	86.45	84.38
कुल तापीय	3216	3282.94	3429.05		
कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन (275 मेगावाट), असम					
कोपिली पावर स्टेशन (200 मेगावाट), असम					
		नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के तहत			
खांडोंग पावर स्टेशन (50 मेगावाट), असम		नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के तहत	275.12	0	72.92
खांडोंग चरण-II पावर स्टेशन (25 मेगावाट), असम		पुनरुद्धार के अंतर्गत	10.97	0	15.27
दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन (75 मेगावाट), नागालैंड	177	177.35	100.58	65.81	62.39
पंयोर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन (405 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	1305	1376.28	1154.28	95.53	95.77
तुईरियल एचपीएस (60 मेगावाट), मिजोरम	190	204.10	137.42	78.40	73.02

पारे हाइड्रो पावर स्टेशन (110 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	523	531.84	430.55	98.32	98.18
कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	2848	2912.75	2576.35	74.62	70.66
कुल हाइड्रो	5043	5202.32	4685.27		
मोनारचक सौर ऊर्जा स्टेशन (5 मेगावाट), त्रिपुरा	6	6.74	5.98	15.38	13.61
नीपको कुल (2057 मेगावाट)	8265	8492.00	8120.29		
2022-23 के दौरान हासिल वास्तविक एपीएफ (%) (भारित औसत)			81.61		

नोट :

- 4 x 50 मेगावाट कोपिली पावर स्टेशन और 2 x 25 मेगावाट खांडोंग पावर स्टेशन नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) के अंतर्गत हैं।
- 1 26/03/2022 को पावर स्टेशन में पानी भर जाने के बाद 1 x 25 मेगावाट खांडोंग चरण - II पावर स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान एजीबीपीएस और एजिजीबीपीएस से वर्ष 2021-22 की तुलना में कम उत्पादन (एमयू) का मुख्य कारण गैस की कम उपलब्धता है।

जल विद्युत स्टेशन

ए) 275 मेगावाट कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन (केएचपीएस), असम।

कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		डिजाइन ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
पावर स्टेशन						
कोपिली पावर स्टेशन	4 X 50 एमडबल्यू	नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए शटडाउन के तहत				
खांडोंग पावर स्टेशन	2 X 25 एमडबल्यू	नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए शटडाउन के तहत				
खांडोंग चरण - II पावर स्टेशन	1 X 25 एमडबल्यू	20.05.2023 को सिंक्रोनाइज़ किया गया.				

4X50 मेगावाट कोपिली पावर स्टेशन के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति:

पावर स्टेशन के लिए नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) कार्य प्रगति पर है। जनवरी 2021 के मूल्य स्तर (पीएल) पर ₹ 82412.00 लाख की परियोजना लागत को सीईए (आईडीसी और एफसी को छोड़कर) ने सत्यापित किया।

संशोधित कमीशनिंग नियत समय:

- यूनिट#4 अगस्त 2023 तक
- यूनिट #3 अगस्त 2023 तक
- यूनिट #2 सितम्बर 2023 तक
- यूनिट #1 अक्टूबर 2023 तक

(क) मुख्य सिविल निर्माण कार्य :

- एचआरटी में स्टील इन-लाइनर के पीछे नॉन-स्रिंग ग्राउट।
- पावर हाउस में लिफ्ट शाफ्ट का आरसीसी कार्य।

(ख) हाईड्रो मैकेनिकल कार्य :

- पेनस्टॉक (एल-1) का फिट-अप, वेल्डिंग और परीक्षण प्रगति पर है।

(ग) पावर हाउस/स्विचयार्ड/जेनरेटर ट्रांसफार्मर यार्ड कार्य (21.05.23 तक) :

कुछ प्रमुख गतिविधियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

- 4 जनरेटर्स के बस डक्ट, एलएवीटी, एनजीटी क्यूबिकल : 90% विनिर्माण और 34% उत्पादन का कार्य पूरा हो गया है। यू#4 एवं 3 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- ई/एम उपकरण की खरीद और उत्पादन : 93% निर्माण और 38% उत्पादन पूरा हो गया। यू#4 के निर्माण और बॉक्स अप का कार्य प्रगति पर है। यू#3 का उत्पादन कार्य प्रगति पर है।
- 05 (पाँच), 3-फ़ेज़ जीटी : 54% उत्पादन कार्य पूरा हो गया है। यू#4 और 3 के जीटी का उत्पादन पूरा हो गया।
- 02 बी/एफ वाल्व : 100% निर्माण और 48% उत्पादन पूरा हो गया है। बी/एफ वाल्वों का उत्पादन कार्य प्रगति पर है।
- यू#2, 3, 4 के लिए रनरों, गाइड उपकरण की मरम्मत: 80% विनिर्माण और 62% उत्पादन पूरा हो गया है। यू #4 और यू #3 का उत्पादन पूरा हो गया है और यू #2 का कार्य प्रगति पर है।
- डीटी कोन असेंबली के 3 सेट: उत्पादन कार्य प्रगति पर है और 41% उत्पादन पूरा हो गया है।
- 220KV इंटरकनेक्टिंग टावर का उत्पादन, स्ट्रिंगिंग, परीक्षण और कमीशनिंग: पूरा हो गया है।

(घ) वित्तीय प्रगति

- 31.03.2023 तक आर्बिट्रि कार्यों और आपूर्ति का कुल मूल्य ₹ 82358 लाख है। (अनंतिम)
- 200 मेगावाट कोपिली पावर स्टेशन के आर एंड एम कार्यों के लिए 31.03.2023 तक संचयी व्यय ₹ 88198 लाख (अनंतिम) है।

1 X 25 मेगावाट खांडोंग चरण - II पावर स्टेशन की पुनर्स्थापना :

- 03.04.2023 को रेटेड आरपीएम पर मैकेनिकल स्पिन का परीक्षण किया गया और 14.05.2023 को टेस्ट सिंक्रोनाइजेशन सफलतापूर्वक किया गया। इसके बाद 20.05.2023 को शटडाउन वापस ले लिया गया और सिंक्रनाइज़ कर दिया गया।

2X25 मेगावाट खांडोंग पावर स्टेशन का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और एलई:

- इस काम को मार्च और मई, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रगतिशील गतिविधियाँ :

- पावर हाउस के एमआईवी फ्लोर की सफाई।
- ई/एम उपकरणों को विखंडित करने का लगभग 69% काम पूरा हो गया है।
- 32 केवी और 33 केवी स्विचयार्ड उपकरण की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए एकल टी-सी योग्य बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई बहुत अधिक कीमत के कारण इस बिड को 16.02.2023 को रद्द कर दी गई और जेम(जीईएम) पोर्टल पर 22.05.2023 को पुनः निविदा प्रकाशित की गई है।
- 01.05.2023 को खांडोंग पावर स्टेशन के आरआर एंड एम से संबंधित सिविल कार्यों के लिए एलओआई जारी किया गया।
- 12.05.2023 को ईएम पैकेज की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए एलओआई जारी किया गया,
- 10.03.2023 को एच/एम कार्यों के लिए एनआईबी जारी किया गया। टी-सी बिड 05.05.2023 को खोली गई और मूल्यांकन जारी है।
- सीईए ने 18.11.2022 को मार्च 2022 के मूल्य स्तर पर ₹ 188.42 करोड़ के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों की लागत अनुमान का सत्यापित कर दिया है।

बी) 75 मेगावाट दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन (डीएचपीएस), नागालैंड

दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		डिजाइन ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
	3 X 25	227.24	177	177.35	70	65.81

डीएचपीएस की एपीएफ में कमी का कारण पानी की बहुत कम उपलब्धता थी।

सी) 405 मेगावाट पंयोर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन (पीएलएचपीएस), अरुणाचल प्रदेश

पंयोर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		डिजाइन ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
	3 X 135	1293.73	1305	1376.28	88	95.53

डी) 60 मेगावाट तुईरियल हाइड्रो पावर स्टेशन (टीएचपीएस), मिजोरम

तुईरियल हाइड्रो पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		डिजाइन ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
	2 X 30	250.63	190	204.10	85	78.40

- टीएचपीएस की एपीएफ में कमी का कारण पानी की बहुत कम उपलब्धता थी।
- एनटीपीसी के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित ₹6,937.00 लाख की आईडीसी और एफसी को शामिल करते हुए इस परियोजना की आरसीई की राशि ₹1,42,247.00 लाख के प्रस्ताव को नीपको के पक्ष में अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

ई) 110 मेगावाट पारे हाइड्रो पावर स्टेशन (पीएचपीएस), अरुणाचल प्रदेश

पारे हाइड्रो पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		डिजाइन ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
	2 X 55	506.42	523	531.84	85	98.32

- एनटीपीसी के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित ₹23,804.00 लाख की आईडीसी और एफसी सहित इस परियोजना की आरसीई की राशि ₹1,65,674.00 लाख (₹1,64,031.00 लाख सत्यापित लागत + ₹1,643.00 लाख अनुमानित एफईआरवी) के प्रस्ताव को नीपको के पक्ष में अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

एफ) 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (काहेपस), अरुणाचल प्रदेश

कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		डिजाइन ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
	4 X 150	3353.00	2848	2912.75	85	74.62

- सीईआरसी द्वारा काहेपस से संबंधित मानक एपीएफ की मंजूरी अपेक्षित है। हालांकि, एनएपीएफ के 85% को मानने की अपेक्षा है। काहेपस की इकाइयों से आउटलेट के विभिन्न कारणों से एपीएफ में कमी हुई।
- यह पावर स्टेशन 19 नवंबर, 2022 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
- ₹274744.00 लाख की आईडीसी और एफसी सहित ₹842128.00 लाख की पूर्ण लागत पर परियोजना की आरसीई को सीईआरसी के पैनलबद्ध एजेंसी को उनकी संस्तुति के लिए भेज दिया गया है।

थर्मल पावर स्टेशन

ए) 291 मेगावाट असम गैस आधारित पावर स्टेशन (एजीबीपीएस), (संयुक्त चक्र), असम

असम गैस आधारित पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		वार्षिक ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
	291	1746	1650	1689.83	72	73.35

असम गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस आपूर्तिकर्ता	अनुबंधित मात्रा (एमएमएससीएमडी)	औसत गैस आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)		
			2020-21	2021-22	2022-23
	मैसर्स ऑयल	1.40	1.26	1.42	1.36

इस पावर स्टेशन के लिए मैसर्स ऑयल के साथ 1.40 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति हेतु गैस बिक्री और खरीद समझौता है।

बी) 135 मेगावाट अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन (एजिजीबीपीएस), (संयुक्त चक्र), त्रिपुरा

अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		वार्षिक ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
	135	810	838	845.63	85	81.69

एजिजीबीपीएस की एपीएफ में कमी का कारण गैस की कम उपलब्धता थी।

अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस आपूर्तिकर्ता	अनुबंधित मात्रा (एमएमएससीएमडी)	औसत गैस आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)		
			2020-21	2021-22	2022-23
	मैसर्स गेल	0.75	0.69	0.71	0.68

नीपको और गेल के बीच इस पावर स्टेशन को 0.75 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति हेतु गैस बिक्री और परिवहन अनुबंध है, जिसकी आपूर्ति मैसर्स ओएनजीसी के गैस फिल्ड से की जाएगी।

सी) 101 मेगावाट त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन (टीजीबीपीएस), (संयुक्त चक्र), त्रिपुरा

त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमयू में उत्पादन			मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	वास्तविक एपीएफ 2022-23
		वार्षिक ऊर्जा	लक्ष्य	वास्तविक 2022-23		
	101 MW	752.05	728	747.48	85	86.45

त्रिपुरा गैस आधारित पावर स्टेशन	गैस आपूर्तिकर्ता	अनुबंधित मात्रा (एमएमएससीएमडी)	औसत गैस आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)		
			2020-21	2021-22	2022-23
	मैसर्स ओएनजीसी	0.50	0.37	0.46	0.48

नीपको ने मैसर्स ओएनजीसी के साथ इस संयंत्र के लिए 0.5 एमएमएससीएमडी गैस (182.5 एमएमएससीएम वार्षिक) की आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा पावर स्टेशन

5 एमडब्ल्यूपी ग्रिड इंटरएक्टिव मोनार्चिक सोलर पावर स्टेशन, त्रिपुरा

इस स्टेशन से 15.38% के क्षमता उपयोग कारक (सीयूफ) के साथ 6.00 एमयू के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 6.74 एमयू ऊर्जा का उत्पादन हुआ।

उत्पादन विश्लेषण

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन 8492.00 एमयू हुआ, जबकि 2021-22 के दौरान यह 8120.29 एमयू हुआ था। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 4.58% की वृद्धि हुई है। सिस्टम की बाध्यता, गैर व्यापारित राशि, कम मांग जैसे नीपको से गैर-संबद्ध कारणों से हुए हानि सहित 2021-22 में कुल ऊर्जा उत्पादन 8333.40 एमयू रहा। अगस्त, 2022 में 956.01 एमयू का उच्चतम उत्पादन हासिल किया गया, जो कुल उत्पादन का 11.26% था।

नवीकरणीय ऊर्जा पहल :

कोपिली जलाशय में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (एफएसपी): 40.59 मेगावाट (डीसी) एफएसपी के लिए पीएफआर तैयार हो गया है। 15.78% सीयूफ के साथ अनुमानित परियोजना लागत ₹ 20050.00 लाख के साथ अपेक्षित टैरिफ ₹. 4.26/किलोवाट है। टैरिफ को ग्राउंड माउंटेड सोलर के साथ तुलनीय बनाने के लिए 50 से 70 लाख/मेगावाट के वीजीएफ की आवश्यकता होगी। डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

कोपिली जलाशय में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (एफएसपी): 40.59 मेगावाट (डीसी) एफएसपी के लिए पीएफआर तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है। 15.78% सीयूफ को शामिल करते हुए अनुमानित परियोजना लागत ₹ 20050.00 लाख के साथ अपेक्षित टैरिफ ₹. 4.26/किलोवाट है। टैरिफ को ग्राउंड माउंटेड सोलर के साथ तुलनीय बनाने के लिए 50 से 70 लाख/मेगावाट के वीजीएफ की आवश्यकता होगी। डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

उमियाम झील, मेघालय में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट : डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त हो गई है। एमईपीजीसीएल के पास उपलब्ध डेटा जैसे बाथीमेट्री सर्वेक्षण आदि 18.03.2023 को प्राप्त किए गए हैं। एमईपीजीसीएल के सीएमडी ने एफएसपी के संबंध में 05.04.2023

को शिलांग में आयोजित बैठक में नीपको को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। पीएफआर की तैयारी के लिए एसईसीआई ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस बीच, एनटीपीसी की कंसल्टेंसी विंग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता के अन्वेषण कार्य में नीपको को परामर्श सेवाएं प्रदान करने में रुचि व्यक्त की है।

उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 600 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की योजना है। 3000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

लेह और कारगिल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 7500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं: एमएनआरई की ओर से, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में 5000 मेगावाट, यूएमएसपीपी की स्थापना के लिए दिसंबर 2014 में नीपको द्वारा डीपीआर तैयार किया गया था और कारगिल क्षेत्र में 2500 मेगावाट का प्रस्ताव दिया गया था। परियोजना स्थल डेब्रिंग (लेह शहर से 125 किमी) से शुरू होता है और लेह शहर के दक्षिण-पूर्व दिशा में पांग (लेह शहर से 175 किमी) पर समाप्त होता है।

डीपीआर के अनुसार, ग्रिड को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक ऊर्जा - मिलियन यूनिट (एमयू) में पी50 लेवल पर, पी75 लेवल पर, पी90 लेवल पर क्रमशः 8091.2 (एमयू), 7602.3 (एमयू), 7162.3 (एमयू) होगा और वार्षिक सीयूफ (%) , पी50 लेवल पर, पी75 लेवल पर, पी90 लेवल पर क्रमशः 18.47%, 17.36% 16.35% होगा। इस परियोजना से बिजली की निकासी एकमात्र प्रमुख तकनीकी बाधा है।

दिसंबर 2018 में, एसईसीआई द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में 7500 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं (बिजली परीक्षण और निकासी बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन सहित) की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा डेवलपर्स के चयन के लिए निविदा जारी की गई। बोली में भाग लेनेवालों को प्रोत्साहित करने की संभावना को उजागर करने के लिए 7 सार्वजनिक उपक्रमों [गेल, बीएचईएल, एनएलसी, नीपको, एनएचपीसी, एसजेवीएन, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)] के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। बाद में जनवरी 2021 में निविदा को रद्द कर दी गई।

वर्तमान बजट में, भारत सरकार ने लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण के लिए 8,300 करोड़ रुपये के केंद्रीय सहायता सहित 20,700 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

आगामी परियोजनाएं:

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुरूप देश की एक अग्रणी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के रूप में, नीपको अपने कमीशन किए गए स्टेशनों के संचालन और रखरखाव के अलावा हाइड्रो तथा पंप भंडारण परियोजनाओं के साथ-साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

दिसंबर 2021 में, भारत सरकार ने जलविद्युत समृद्ध अरुणाचल प्रदेश में 4988 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 17 (सत्रह) जलविद्युत परियोजनाओं को चिन्हित किया था। संकेतित परियोजनाओं में से, निगम ने व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य, मंजूरी की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में विकास के लिए 6 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की पहचान की है। इन 6 परियोजनाओं की संयुक्त स्थापित क्षमता 2746 मेगावाट है। परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना के नाम	स्थिति
1.	नाफरा एचई परियोजना (120 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 14.08.2021 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एमओए पर हस्ताक्षर किए गए। ➤ सिविल कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों की तैयारी अंतिम चरण में है। ➤ स्थलाकृतिक पुष्टिकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। ➤ स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से बिचोम कॉम्प्लेक्स से नफरा एचईपी के बांध और पावर हाउस साइटों तक सड़क सुधार कार्यों का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। ➤ आईएमडी से अद्यतन पीएमपी मूल्य के अनुसार, डिज़ाइन फ्लड को सीडब्ल्यूसी द्वारा संशोधित किया गया है और 04.05.2023 को 7300 क्यूमेक के स्थान पर 3300 क्यूमेक के संशोधित डिज़ाइन फ्लड पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। ➤ प्रमुख स्थलों के मिट्टी के नमूनों एकत्र किया गया और परीक्षण जारी है। ➤ आईआरआई रुड़की को प्रत्येक रूप में मॉडल अध्ययन के लिए परामर्श कार्य सौंपा गया है। ➤ इस बीच, पहले डेवलपर ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ईटानगर खंडपीठ में एक मामला दायर किया, जिसमें राज्य सरकार और अन्य के अलावा नीपको को भी प्रतिवादियों में से एक बनाया गया। याचिकाकर्ता ने ब्याज सहित अपने द्वारा अग्ररूप में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा किया। नीपको ने विरोध में अपना शपथ पत्र दाखिल किया। मामला न्यायाधीन है।

क्र. सं.	परियोजना के नाम	स्थिति
2.	टाटो-II एचई परियोजना (700 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, परियोजना के अधिग्रहण के प्रस्ताव को 10 फरवरी 2023 को आयोजित 276वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल (बीओडी), नीपको द्वारा अनुमोदित किया गया है। ➤ राज्य सरकार अपने द्वारा पत्र दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से परियोजना को सौंपने/अधिग्रहण करने के लिए जीओएपी की अनुमोदित एसओपी जारी की गई है। ➤ विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 23.03.2023 के पत्र के माध्यम से नीपको द्वारा परियोजना के अधिग्रहण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ➤ परियोजना के लिए संशोधित ड्राफ्ट चतुर्पक्षीय समझौते और नया एमओए 05.05.2023 को जीओएपी से प्राप्त हुआ है। ➤ चतुर्पक्षीय समझौते और उसके बाद एमओए पर हस्ताक्षर शीघ्र ही होने की उम्मीद है। ➤ डायवर्जन टनल के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी अंतिम चरण में है। ➤ प्रारंभिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कागज शुरू कर दिया गया है।
3.	टाटो-I एचई परियोजना (186 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ समर्पित परिश्रम के बाद, मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, इन परियोजनाओं के अधिग्रहण के प्रस्ताव को 10 फरवरी 2023 को आयोजित 276वीं बोर्ड बैठक में बीओडी, नीपको द्वारा अनुमोदित किया गया है। ➤ राज्य सरकार अपने द्वारा पत्र दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से परियोजना को सौंपने/अधिग्रहण करने के लिए जीओएपी की अनुमोदित एसओपी जारी की गई है। ➤ विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 23.03.2023 के पत्र के माध्यम से नीपको द्वारा परियोजना के अधिग्रहण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
4.	हेओ एचई परियोजना (240 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जीओएपी से इस परियोजना को शुरू करने के लिए एनओसी 26.04.2023 को प्राप्त हो गई है ➤ जीओएपी से हेओ एचईपी और टाटो-I एचईपी के लिए संशोधित ड्राफ्ट चतुर्पक्षीय समझौते और नया एमओए 05.05.2023 को प्राप्त हुआ है। ➤ चतुर्पक्षीय समझौते और उसके बाद एमओए पर हस्ताक्षर शीघ्र ही होने की उम्मीद है।
5.	नायिंग एचई परियोजना (1000 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13.01.2023 के माध्यम से नीपको को इस परियोजना के आवंटन के संबंध में सूचित किया है और राज्य तथा नीपको के बीच हस्ताक्षरित होने वाला एमओए भी जारी कर दिया है। ➤ राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए संशोधित एमओए को मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी दिनांक 06.04.2023 को पत्र के माध्यम से दी है। ➤ एमओए पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ➤ संशोधित लागत अनुमान को दिसंबर 2022 के मूल्य स्तर पर पुनर्निर्धारित किया गया है।
6.	हिरोंग एचई परियोजना (500 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13.01.2023 के माध्यम से नीपको को इस परियोजना के आवंटन के संबंध में सूचित किया है और राज्य तथा नीपको के बीच हस्ताक्षरित होने वाला एमओए भी जारी कर दिया है। ➤ राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए संशोधित एमओए को मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी दिनांक 06.04.2023 को पत्र के माध्यम से दी है। ➤ एमओए पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ➤ एमओए पर हस्ताक्षर के बाद डीपीआर की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

अन्य भावी जल विद्युत परियोजनाएं (स्वामित्व के आधार पर):

क्र. सं.	परियोजना के नाम	स्थिति
1.	वाह उमियाम चरण - III एचईपी (85 मेगावाट), मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> सीईए ने 26.07.2021 को परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर अपनी सहमति सूचित की है। भारत सरकार की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने चरण-I वन स्वीकृति (एफसी-I) के अधीन पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है। वन मंजूरी, प्रतिपूरक वनरोपण, भूमि अधिग्रहण आदि के लिए सभी औपचारिकताएं मेघालय सरकार के संबंधित विभागों में प्रक्रियाधीन हैं। वाह उमियाम चरण-III एचईपी के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय से 27.03.2023 को मंजूरी जारी की गई। सीईए को अक्टूबर '22 पीएल पर लागत अद्यतनीकरण प्रस्तुत करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। परियोजना से संबंधित मुख्य मुद्दे हैं - वन मंजूरी (एफसी-I): राज्य वन विभाग, मेघालय सरकार के पास लंबित है। 88 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण अभी भी भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण विभाग, मेघालय सरकार में प्रक्रियाधीन है। मेघालय लोक निर्माण विभाग को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ-साथ उनके ओर से किए जाने वाले एप्रोच रोड के निर्माण का आकलन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त को राज्य के प्राधिकारियों को नियमित रूप से उजागर किया जा रहा है। नीपको के सीएमडी ने दिनांक 04.01.2023 को मुख्य सचिव, जीओएम को लिखे पत्र के माध्यम से उनके हस्तक्षेप के लिए उपर्युक्त प्रमुख मुद्दों से अवगत कराया। संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय ने 30.09.2022 और 31.01.2023 को मेघालय सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष उनसे हस्तक्षेप करने और मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मामला उठाया।
2.	न्यू मेलिंग एचईपी (90 मेगावाट), तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> जीओएपी के साथ 14.08.2021 को एमओए पर हस्ताक्षर किये गये। प्रारंभिक पर्यावरण अध्ययन पूरा हो गया। डाउनस्ट्रीम में मागो चू एचई परियोजना को मिलाकर एक नए पीएफआर के आधार पर, 180 मेगावाट क्षमता की परियोजना को व्यवहार्यता का आकलन किया गया है। इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साइट कैम्प भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस बीच, पहले डेवलपर ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ईटानगर खंडपीठ में एक मामला दायर किया, जिसमें राज्य सरकार और अन्य के अलावा नीपको को भी प्रतिवादियों में से एक बनाया गया। याचिकाकर्ता ने ब्याज सहित अपने द्वारा अग्ररूप में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा किया। नीपको ने विरोध में अपना शपथ पत्र दाखिल किया। मामला न्यायाधीन है।
3.	मेघालय में वाह उमियाम एचईपी चरण - I (50 मेगावाट) और वाह उमियाम एचईपी चरण - II (100 मेगावाट)	<ul style="list-style-type: none"> 25.10.22 को दोनों परियोजनाओं के लिए एमओए पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजनाओं की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए मार्च '23 पीएल पर पीएफआर का अद्यतनीकरण सहित हाइड्रोलॉजिकल श्रृंखला का अद्यतनीकरण भी प्रक्रियाधीन है।

संयुक्त उद्यम(जेवी) के रूप में परियोजनाएं :

क्र. सं.	परियोजना के नाम	स्थिति
1.	कुरुंग एचईपी (330 मेगावाट), क्रा डाडी जिला, अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जीओपी के साथ एमओए पर 27.01.2015 को हस्ताक्षर किए गए। ➤ 18.01.2018 को आयोजित डीआईबी बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार एमओए के कुछ खंडों पर फिर से विचार करने के संबंध में, राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में जवाब दिया कि इस स्तर पर पुनः बातचीत उचित नहीं है। ➤ संशोधित पीएफआर (22 मार्च तक अद्यतन) पूरा हो गया है। टीओआर अनुप्रयोग और पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाधीन है। ➤ विद्युत मंत्रालय की सलाह के अनुसार अगस्त 2021 में एनटीपीसी से निवेश पूर्व अनुमोदन लिया गया था। ➤ एनटीपीसी ने पत्र दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से सूचित किया कि नीपको बोर्ड की मंजूरी के अनुरूप चरण-I निवेश पूर्व गतिविधियों (अनुमानित राशि ₹ 2473.00 लाख) के लिए नीपको आगे बढ़ सकता है। ➤ विस्तृत स्थलाकृतिक और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए कार्य आदेश 08.02.2023 को दिया गया और कार्य प्रगति पर है। ➤ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास हेतु पट्टे पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ➤ ईआईए और ईएमपी अध्ययन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए फरवरी 23 के दौरान जीईएम पोर्टल के माध्यम से निविदा जारी की गई। टीसी मूल्यांकन प्रक्रिया में है। ➤ डीपीआर तैयार करने के लिए कार्य आबंटित कर दी गई है।
2.	सियांग अपर चरण - II एचई परियोजना (3750 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश।	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नीपको, एनएचपीसी और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में परियोजना के विकास के लिए 28.05.2013 को अरुणाचल प्रदेश सरकार (जीओपी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ➤ नीपको ने पीएफआर तैयार किया और मेसर्स रूसहाइड्रो इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करते हुए डीपीआर तैयार करने की कार्य आरंभ किया। हालाँकि, विद्युत मंत्रालय के पत्र दिनांक 18.11.2015 और 02.02.2016 के माध्यम से दी गई सलाह के अनुसार परियोजना के सभी गतिविधियों को तब तक के लिए रोक दिया गया जब तक कि सियांग अपर सेंट - I और II परियोजनाओं के विकास को एकल चरण या दो चरण में पूरा करने के संबंध में निर्णय नहीं हो जाता है। ➤ विद्युत मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में नीपको और एनएचपीसी के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में सियांग अपर एचआईपी (10,000 मेगावाट) परियोजना को विकसित करने की रुचि व्यक्त करते हुए आवंटन का संकेत दिए। ➤ अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार और स्थानीय हितधारकों के साथ संपर्क करने और परियोजनाओं के ए उपयुक्त विश्लेषण तथा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। ➤ 10,000 मेगावाट स्थापित क्षमता की संयुक्त अपर सियांग एचईपी के लिए पीएफआर मेसर्स एनएचपीसी द्वारा तैयार किया जा रहा है। नीपको के पास उपलब्ध परियोजना से संबंधित दस्तावेज, मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में मेसर्स एनएचपीसी को सौंप दिए गए हैं।
3.	डिब्लिन एचईपी (120 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ केएसके डिब्लिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड (केएसकेडीएचपीपीएल) के माध्यम से परियोजना के विकास के लिए 12.06.2014 को केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड (केएसकेईवीएल) और केएसके इलेक्ट्रिसिटी फाइनेंसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (केएसकेईएफआईपीएल) के साथ शेयरधारकों के समझौते (एसएचए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। ➤ ई-फ्लो को ध्यान में रख कर टीईसी बेसिन अध्ययन रिपोर्ट पर किय विचार के मद्देनजर स्थापित क्षमता और डिजाइन ऊर्जा में कमी करने से परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रभावित होती है। ➤ परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता को फिर से स्थापित करने के प्रयास सफल नहीं हुए। ➤ इस बीच, केएसकेईवीएल को दिवालिया घोषित कर दिया गया और एनसीएलटी के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू की गई। ➤ नीपको ने पुट नोटिस, गुड फेथ नेगोशिएटर बहाली, क्रमशः नामांकित मध्यस्थ / एकमाल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एसएचए के संदर्भ में कानूनी सहारा लेना शुरू किया जिसपर केएसकेईएफआईपीएल सहमत नहीं थे। ➤ बाद में मामले को केएसकेईएफआईपीएल से संबद्ध मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आईसीए को भेजा गया और आवश्यकतानुसार, नीपको द्वारा दावे का संक्षिप्त विवरण 20.02.2023 को प्रस्तुत किया गया था।

पंप भंडारण परियोजनाएं :

उपरोक्त के अलावा, नीपको ने निगम के वर्तमान जलविद्युत परियोजनाओं में कुल संस्थापित क्षमता 980 मेगावाट की दो पीएसपी को चिह्नित किया है।

ए) पंथोर पीएसपी (660 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश :

- ✓ पंथोर लोअर एचपीएस (405 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा जलाशय को निचला जलाशय मानते हुए पीएफआर की तैयारी पूरी हो गई है।
- ✓ परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से एनओसी प्राप्त हो गई है।
- ✓ डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने हेतु 21.04.2023 को कार्य आबंटित कर की गई है।
- ✓ डीजीपीएस, एलडीपीआर, ड्रोन/यूएवी के संयोजन का उपयोग करके स्थलाकृतिक सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

बी) कोपिली पीएसपी (320 मेगावाट), असम :

- ✓ कोपिली एचपीएस (275 मेगावाट) के मौजूदा खांडोंग जलाशय को ऊपरी जलाशय और मौजूदा उमरोंग जलाशय को निचला जलाशय मानते हुए पीएफआर तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- ✓ संस्थापित क्षमता बढ़ोतरी करते हुए संशोधित पीएफआर तैयार किया जा रहा है।
- ✓ संशोधित पीएफआर के पूरा होने के बाद डीपीआर गतिविधि शुरू की जाएगी।
- ✓ नीपको ने दिनांक 10.04.2023 के पत्र के माध्यम से डीपीआर और संबंधित कार्यों की तैयारी के लिए असम सरकार से एनओसी मांगी है।

सी) संकेतित पीएसपी साइट :

8 अगस्त 2022 को माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में (दिनांक 11.03.2022 के अलावा) नीपको द्वारा वर्तमान में अध्ययन किया जा रहे पैनथोर और कोपिली पीएसपी जैसे दो परियोजनाओं के अतिरिक्त नीपको को मिजोरम/असम/मणिपुर में 8 (आठ) संभावित पीएसपी साइटों का अध्ययन करने और व्यवहार्य पीएसपी योजनाओं के आवंटन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया गया है।

प्रथम चरण में मिजोरम में तीन परियोजनाओं अर्थात् 400 मेगावाट नचासिह, 1650 मेगावाट तुईफाई लुई और 1500 मेगावाट लीवा लुई के लिए पीएफआर तैयार करने सलाहकार को नियुक्त कर की जा रही है। उपरोक्त तीन पीएसपी के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन, क्षेत्र का दौरा और डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए मिजोरम सरकार से 06.12.2022 को एनओसी प्राप्त हो गई है। उपरोक्त 3 (तीन) पीएसपी के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने के कार्य आबंटन आदेश 01.05.2023 को जारी किए गए हैं।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) :

वित्त वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी की गईं:

- **सुबनसिरी नदी के संगम तक डाउनस्ट्रीम चिंताओं पर उचित ध्यान केन्द्रित करते हुए रंगनदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (वर्तमान में पंथोर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन) के निर्वाध्य संचालन के लिए सेंसर आधारित स्वचालित इनपुट का उपयोग करके क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एक स्वचालित संचार प्रणाली का डिजाइन।**

यह परियोजना आईआईटी, गुवाहाटी के माध्यम से वर्ष 2019-20 के दौरान तीन साल के पूरा लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। साइट पर सेंसर स्थानों को अंतिम रूप देने और मॉडल प्रदर्शन सहित परियोजना गतिविधियाँ पूरी हो चुकी थीं और अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2023 में प्राप्त हुई थी। साइट पर मॉडल का कार्यान्वयन विचाराधीन है जो डाउनस्ट्रीम स्थानों में जल स्तर की प्रारंभिक भविष्यवाणी/चेतावनी की सुविधा प्रदान करेगा। द्वारों के माध्यम से कोई भी रिहाई।

- **अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन, त्रिपुरा में स्मार्ट रोशनी नियंत्रक.**

इस इन हाउस परियोजना को जून 2022 में 3 महीने की पूर्णता अवधि के साथ शुरू किया गया था और सितंबर 2022 में तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया गया था। 'लाइट एवरेजिंग', 'रिवर्स लाइट ऑफसेट', 'ऑफ टाइमर' आदि सुविधाओं वाले इस उत्पाद के मॉडल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। ऐसे कुछ और उत्पाद भी नीपको के अन्य स्थानों पर वितरण के लिए निर्मित किए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित 2 (दो) नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गईं :

क्र. सं.	आर एण्ड डी प्रस्ताव का नाम	इन-हाउस/ सहयोगात्मक	कुल वित्तीय लागत (लाख रुपये में)	अंतिम अनुमोदन की तिथि से समय सीमा
1	फायर डिटेक्शन सिस्टम पर अनुसंधान एवं विकास	इन-हाउस (अगरतला जीबीपीएस)/आरएंडडी, नीपको	4.72	2 (दो) वर्ष
2	ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर असेंबली के लिए कम लागत वाले टिकाऊ और प्रभावी इलेक्ट्रो-उत्प्रेरक और प्रोटॉन एक्सचेंज झिल्ली का विकास	आईआईटी, गुवाहाटी	55.59 (जीएसटी को छोड़कर)	3 (तीन) वर्ष
कुल :			₹ 60.31 लाख	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय ₹ 59.88 लाख है।

गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण:

नीपको के पास एक प्रमाणित केंद्रीकृत कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग है। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन/निष्पादन के तहत बिजली परियोजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक मॉडल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू है। कॉर्पोरेट कार्यालय से संसाधित की जा रही निविदाओं के संबंध में सभी उत्पाद, सेवा विनिर्देश, ड्राईंग, गुणवत्ता आश्वासन दस्तावेज, परीक्षण परिणाम / परीक्षण रिपोर्ट आदि योजनाबद्ध और व्यवस्थित रूप से किए जाने हेतु क्यूए एण्ड आई विभाग को प्रदान किए जाते हैं। फिल्ड गुणवत्ता कार्यों के संबंध में, संबंधित स्थलों/स्थानों के नामित गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी निर्दिष्ट के अनुसार अपनी दिन-प्रतिदिन गुणवत्ता नियंत्रण जांच करते हैं। हालाँकि, समय गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं/प्रारूपों और आवधिक निगरानी जांच की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट क्यूए एंड आई विभाग के दायरे में है।

कॉर्पोरेट क्यूए एंड आई विंग ने केएचपीएस, असम के चल रहे सुधार और नवीनीकरण कार्य का 4 (चार) निगरानी निरीक्षण किया है और तदनुसार निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कॉर्पोरेट क्यूए एंड आई विंग ने निविदा प्रयोजनों के लिए कॉर्पोरेट सी एण्ड पी विंग को निम्नलिखित कार्यों गुणवत्ता आश्वासन योजना (एमम्यूएपी) का मॉडल प्रस्तुत किया है :

- ईएम पुनर्स्थापन कार्य, केएचपीएस (200 मेगावाट)
- कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, अरुणाचल प्रदेश, किमी, अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक परिसर में सुरक्षा कक्ष, गैरेज और सर्वेट क्वार्टर सहित एचओपी निवास का निर्माण।
- कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, किमी, अरुणाचल प्रदेश के औद्योगिक परिसर के लिए स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण।
- टाटो-II जलविद्युत परियोजना (700 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नदी विपथन कार्य।
- खांडोंग पीएस के पेनस्टॉक और स्टील इन-लाइनर का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग।

प्रमाण-पत्र :

नीपको ने आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) के मानकों के अनुसार तीन समूहों में अपने सभी ओ एण्ड एम स्टेशनों, कॉर्पोरेट मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों सहित 16 (सोलह) स्थानों पर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत मान्यता और पूर्ण अनुपालन हासिल किया। मौजूदा प्रमाणपत्रों की समूहवार वैधता 05.07.2024 (आठ स्थानों के लिए), 20.10.2024 (एक स्थान के लिए) और 22.12.2025 (सात स्थानों के लिए) तक है।

15 स्थानों पर आईएसओ 27001:2013 के मानक के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के तहत मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई अपने उन्नत चरण में है।

इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली द्वारा आईएसओ 50001:2018 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) के तहत 291 मेगावाट असम गैस आधारित पावर स्टेशन, बोकुलोनी, असम की मान्यता दिलाने का कार्य चल रहा है और इसके लिए नीपको ने 17.11.2022 को बीईई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

ई-गवर्नेंस/आईटी पहल:

डिजिटलीकरण के अपने प्रयास और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में दक्षता लाने के लिए, नीपको संगठन में ईआरपी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मार्च, 2023 तक नीपको के सभी स्थानों ने चरणबद्ध तरीके से गो-लाइव प्राप्त कर लिया है। कार्यान्वयन में शामिल प्रमुख मॉड्यूल में एफआईसीओ, एमएम, पीएस, पे-रोल सहित एचसीएम, एसडी, आईएसयू (ऑपरेशन), आईएसयू (वाणिज्यिक), एफएलएम, डीएमएस और पीएम सहित शामिल हैं। ईआरपी एक एकीकृत समाधान होने के फलस्वरूप यह सटीक और सुसंगत डेटा के साथ-साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

वर्तमान एसएपी ईआरपी प्रणाली होस्ट करने के लिए, नीपको ने सरकारी सामुदायिक क्लाउड पर डेटा सेंटर (डीसी) और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) के लिए मियट वाई (एमआईआईटीवाई) पैनल में शामिल क्लाउड सेवा प्रदाता के चयन का विकल्प चुना। ईआरपी डीसी और डीआरसी के लिए क्लाउड सेवा प्रदाता के होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन पूरा हो गया है। ईआरपी के कार्यान्वयन के अनुरूप ही सामग्री और परिसंपत्ति पुनर्वर्गीकरण व पुनर्कोडिकरण कार्य भी बड़े पैमाने पर किए गए और नए एसेट आईटी के पुनर्कोडिकरण तथा सृजन को सुव्यवस्थित करने एवं एसएपी प्रणाली के लिए सामग्री कोड तैयार करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है।

आईटी सुधार के एक भाग के तौर पर, संगठन में सभी पावर स्टेशनों, कार्यालयों एवं निमार्णाधीन परियोजना स्थलों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। एडवाइजरी के अनुसार, सीआईआरटी इन पैनलबद्ध ऑडिटर के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए आईटी सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है। सभी परियोजनाओं/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) की पहचान करने के लिए भी पहल की गई है। आवश्यकता और दिशानिर्देशों के अनुसार, आईटी नीति दस्तावेजों और अन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित और परिचालित किया जा रहा है।

आईटी बुनियादी ढांचे और घटकों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर) की विधिवत समीक्षा की जा रही है और संगठन की व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जा रहा है। नीपको इस क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति को अपनाकर आईएसओ 27001 प्रमाणन के माध्यम से एक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया में है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईएस) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति :

एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) नीचे दिखाया गया है :

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
1	कुल खरीद ₹ लाख में	71116.11	54089.59	6197.65
2	एमएसई से कुल खरीद ₹ लाख में	4613.32	7741.10	2198.20
3	एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से कुल खरीद ₹ लाख में	551.59	1558.51	86.89
4	महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से कुल खरीद ₹ लाख में	66.62	135.40	280.64
5	कुल खरीद में से एमएसई से खरीद का प्रतिशत	6.49%	14.31%	35.47%
6	कुल खरीद में से एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	0.78%	2.88%	1.40%
7	कुल खरीद में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	0.09%	0.25%	4.53%

नोट: एमओएमएसई और विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए अपवादों को ध्यान में रखते हुए, संबंध पोर्टल में अपडेट किया गया डेटा।

नोट :

- 25.08.2022 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में आयोजित जेम (GeM) के माध्यम से की गई खरीद में प्राप्त प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त –संबद्ध (ओएम फा.सं.3/18/2020-फिन (भाग-1) दिनांक 30.08.2022 द्वारा परिचालित)
- अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई) की अध्यक्षता में छूट के लिए सीपीएसई के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आयोजित बैठक का एमओएम (विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई, एमओएमएसएमई द्वारा एफएन संख्या 21(9)/2017-एमए(पीटी-1)(ई-17230) दिनांक 31.08.2021 को परिचालित और एनटीपीसी द्वारा ईमेल दिनांक 27.07.2022 के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए किया गया अनुरोध)

जेम से खरीद: नीपको ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से 93.44% खरीद की है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। ऑफ-लाइन आरटीआई आवेदन प्राप्त करने के अलावा, नीपको आरटीआई अनुरोध और अपील प्रबंधन सूचना प्रणाली, “आरटीआईएमआईएस” पोर्टल की ऑनलाइन प्रणाली से भी जुड़ा हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, नोडल अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का विवरण कॉर्पोरेट वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदन निम्नवत रूप में दर्शाए गए हैं :

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान आरटीआई अधिनियम का अनुपालन	
प्राप्त आवेदनों/अपीलों की संख्या	123
निपटाए गए आवेदनों/अपीलों की संख्या	113

जोखिम प्रबंधन नीति :

नीपको ने पहली बार फरवरी, 2016 में अपनी जोखिम प्रबंधन नीति (आउएमपी) लागू की थी। इसके बाद, 10.05.2019 को आयोजित बैठक में अपने निदेशक मंडल (बीओडी) की मंजूरी के आधार पर, नीपको ने पहली बार मई 2019 में आरएमपी में संशोधन किया था। इसके उपरान्त, 26.04.2022 को अपनी बैठक में बीओडी की मंजूरी अनुसार, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियमन 21 के अनुसार आरएमपी को मई 2022 में पुनः संशोधित किया गया ; 04.02.2022 को अपनी बैठक में बीओडी के संकल्प के बाद एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया गया, जिसमें निदेशक (तकनीकी), नीपको को अध्यक्ष के रूप में, निदेशक (परियोजनाएं), एनटीपीसी, एक स्वतंत्र निदेशक और निदेशक (कार्मिक), नीपको को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

आरएमपी, जोखिम प्रबंधन के लिए एक संरचित और अनुशासित दृष्टिकोण स्थापित करता है, जिसमें जोखिम से संबंधित मुद्दों पर निर्णयों का मार्गदर्शन और प्राथमिकता देने के लिए जोखिम रजिस्टर का विकास भी शामिल है। बिजली स्टेजों, परियोजनाओं और कार्यालयों के समक्ष आने वाले प्रमुख जोखिमों की पहचान, उनके शमन उपायों के साथ की जा रही है और कॉर्पोरेट क्यूएसएचई तथा जोखिम सेल द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जाती है।

वित्त वर्ष 2022-23 में बोर्ड स्तरीय आरएमसी की दो बार बैठक हुई और नीपको में आरएमपी के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) तैयार करने, नीपको में जोखिम वाले क्षेत्र की पहचान और नीपको के जोखिम प्रबंधन तंत्र को एनटीपीसी की प्रचलित पद्धति के साथ संरेखित करने की सिफारिश करने के पर ध्यान दिया गया।

तदनुसार, नीपको ने उद्यमवार बीसीपी की तैयारी शुरू की, जो वर्तमान में निविदा चरण में है। इस बीच, नीपको ने अपने ओ एण्ड एम स्टेशनों, परियोजनाओं और कार्यालयों के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली है। नीपको ने अपने जोखिम प्रबंधन तंत्र को एनटीपीसी के साथ संरेखित करने के प्रयास में अपने इंटरनेट पर एक ऑनलाइन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (ईआरएमएस) पोर्टल के विकास की प्रक्रिया भी शुरू की है।

बांध सुरक्षा उपाय और पूर्व चेतावनी प्रणाली :

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में प्रावधान के अनुसार बांध के नियमित निरीक्षण, संचालन एवं रखरखाव की निगरानी, निगरानी/निरीक्षण और महत्वपूर्ण घटनाओं की रिकॉर्डिंग गतिविधियाँ का लॉग बुक/डेटा-बेस बनाने, बांध सुरक्षा से संबंधित तकनीकी दस्तावेजों का संकलन, गुणवत्ता नियंत्रण उपाय करना आदि के लिए परियोजनावार “बांध सुरक्षा इकाई” का गठन किया गया है।

एक बांध सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और वर्ष 2018 में सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रकाशित बांधों के सुरक्षा निरीक्षण के लिए दिशानिर्देशों तथा क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण करने की अवधाना के तहत समिति ने वर्तमान में कार्यरत सभी बांधों का निरीक्षण किया है। बांधों के सुरक्षित संचालन एवं रखरखाव के लिए समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बांधों के सुरक्षित संचालन एवं रखरखाव के लिए समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नीपको ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधान के अनुसार, नीपको के बांधों के लिए व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन हेतु प्रख्यात विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) का गठन किया है।

डीएसआरपी ने पहले ही तुइरियल एचपीएस के तुइरियल बांध; कोपिली एचपीएस का खांडोंग और उमरोंग बांध; पंयोर लोअर एचपीएस का पंयोर निचला बांध (पहले रंगनदी एचपीएस के रंगनदी बांध के रूप में जाना जाता था) और पारे एचपीएस का पारे बांध का निरीक्षण कर लिया है। दोयांग एचपीएस के दोयांग बांध और कामेंग एचपीएस के बिचोम और टेंगा बांध का निरीक्षण शीघ्र ही किया जाएगा।

नीपको ने बेहतर निगरानी और प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन के लिए अपने कुछ बांधों में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) प्रणाली, जियोडेटिक टोटल स्टेशन, वायरलेस एलएएन (डब्ल्यूएलएएन) लिंक के साथ स्वचालित निगरानी सॉफ्टवेयर सहित अत्याधुनिक बांध निगरानी प्रणाली लागू की है।

सीडब्ल्यूसी द्वारा "बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) विकसित करने के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार हाइड्रो पावर स्टेशन (एचपीएस) अर्थात् 275 मेगावाट कोपिली एचपीएस (केएचपीएस), असम; 75 मेगावाट दोयांग एचपीएस (डीएचपीएस), नागालैंड; 60 मेगावाट तुइरियल एचपीएस (टीएचपीएस), मिजोरम; 110 मेगावाट पारे एचपीएस (पीएचपीएस), अरुणाचल प्रदेश; और 600 मेगावाट कामेंग एचपीएस (केएचपीएस), अरुणाचल प्रदेश (पंयोर लोअर एचपीएस को छोड़कर, जो तैयारी के अधीन है) के लिए आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) तैयार किया गया है और यह संबंधित डाउनस्ट्रीम जिला प्राधिकारियों के अनुमोदनार्थ प्रक्रियाधीन हैं।

परियोजनाओं के जलाशयों का संचालन संबंधित तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार किया जाता है। सभी बिजली स्टेशनों में बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है जिसके द्वारा स्पिलवे गेटों के माध्यम से पानी छोड़ने की जानकारी संबंधित डाउनस्ट्रीम समुदाय/जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सीडब्ल्यूसी, गुवाहाटी के साथ साझा की जाती है। सुरक्षा नोटिस बोर्ड डिस्प्ले और पर्याप्त संख्या में सायरन (मैन्युअल और विद्युत संचालित दोनों) स्थापित और संचालित किए गए हैं।

विद्युत स्टेशनों के जलग्रहण क्षेत्र में प्रारंभिक चेतावनी/प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली के लिए 41 (इकतालीस) स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) की स्थापना और दोहरी डेटा संचार प्रणाली (इनसैट सैटेलाइट और जीएसएम/जीपीआरएस) वाले 4 (चार) डॉपलर आधारित डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) के साथ अत्याधुनिक मौसम बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। उपग्रह और जीएसएम/जीपीआरएस संचार प्रणाली से जुड़े 2 (दो) डिस्चार्ज माप उपकरण की स्थापना प्रगति पर है।

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी), इसरो, भारत सरकार के सहयोग से, पीएलएचपीएस के लिए जलाशय प्रवाह पूर्वानुमान मॉडल पहले ही विकसित किया जा चुका है और मॉडल का अंशांकन/सत्यापन प्रगति पर है।

सुबनसिरी नदी के संगम तक डाउनस्ट्रीम चिंताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पीएलएचपीएस के कुशल संचालन के लिए सेंसर आधारित स्वचालित इनपुट का उपयोग करके क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एक स्वचालित संचार प्रणाली का डिजाइन नामक शीर्षक के तहत एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को प्रयोगात्मक आधार पर आईआईटी, गुवाहाटी के माध्यम से शुरू की गई है।

प्रशिक्षण एवं विकास (एचआरडी)

टी एंड डी (एचआरडी) विभाग कर्मचारियों को समग्र संगठनात्मक विकास के लिए कर्मचारियों के प्रदर्शन, उत्पादकता और प्रेरणा में योगदान देने के उद्देश्य से नए कौशल हासिल करने और मौजूदा कौशल को तेज करने में मदद करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। एक ओर प्रशिक्षण गतिविधियों का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यात्मक दक्षताओं और वैचारिक कौशल को निखारना है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को व्यवहारिक तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम, वर्तमान उभरते रुझान, शारीरिक व मानसिक कल्याण आदि से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाता है।

विशेषताएँ :

2022-23 के दौरान कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण
(भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या)



ग्रेड वार	प्रशिक्षण का प्रकार			कुल
	आंतरिक प्रशिक्षण	बाह्य प्रशिक्षण (भारत में)	विदेश में प्रशिक्षण	
कार्यपालक	242	180	06	428
पर्यवेक्षक	76	04	-	80
वर्कमैन	95	11	-	106
कुल	413	195	06	614

कर्मचारियों की श्रेणी	प्रशिक्षण का प्रकार			कुल
	आंतरिक प्रशिक्षण	बाह्य प्रशिक्षण (भारत में)	विदेश में प्रशिक्षण	
एसटी श्रेणी के कर्मचारी	108	44	01	153
एससी श्रेणी के कर्मचारी	46	33	02	81
ओबीसी श्रेणी के कर्मचारी	74	40	-	114

प्रशिक्षण में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	
आंतरिक प्रशिक्षण	73
भारत में बाह्य प्रशिक्षण	35
कुल	108

प्रशिक्षण मानव दिवस हासिल किया	2884
--------------------------------	------

नीपको में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की स्थिति	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और संशोधनों के अनुसार प्रशिक्षण पर रखे जाने वाले प्रशिक्षुओं के प्रतिशत के लक्ष्य बैंड के मुकाबले 5.57% हासिल किया गया।
---	--



पहल: पेशेवर उन्नयन और कैरियर विकास का मार्ग

कर्मचारियों को उनकी पेशेवर योग्यता बढ़ाने और प्रबंधकीय और भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, नीपको ने वर्ष 2022-2023 के दौरान एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस (एनएसबी) द्वारा प्रदत्त "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (एग्जीक्यूटिव)/ पीजीडीएमई" के लिए एक कर्मचारी को प्रायोजित किया।

नियम और नीतियाँ

प्रबंधन ने वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित मानव संसाधन नीतियों/योजनाओं को लागू किया :


1. रालि पाली ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों के लिए जलपान और स्वास्थ्य अनुपूरक प्रतिपूर्ति पर दिशानिर्देशों का परिचय।
2. 1 अक्टूबर, 2022 तक निगम के सभी कर्मचारियों (कार्य प्रभार सहित), पर्यवेक्षकों और कार्यपालक अधिकारियों (पूर्णकालिक बोर्ड स्तर के कार्यपालक सहित) के लिए ग्रीष्मकालीन शीतकालीन पोशाक की शुरुआत और लागत की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई जिसमें नियमित पद पर नियुक्त कार्यकारी प्रशिक्षु भी शामिल हैं लेकिन सुरक्षा कर्मियों (पर्यवेक्षकों और श्रमिकों) को छोड़कर।
3. आधिकारिक कार्य के लिए कर्मचारियों के निवास पर फर्नीचर, फिक्स्चर और सुविधाओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए योजना।

- सीएमडी, कार्यपालक निदेशकों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के आवासीय कार्यालय में सुख-सुविधाएं प्रदान करने की योजना।
- नीपको आरपीटी नीति - 2022- संबंधित पार्टी लेनदेन की वस्तु-स्थिति और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर नीति।
- नीपको के अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों के लिए आधिकारिक संचार व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।
- नीपको आचरण अनुशासन और अपील (संशोधित) नियम।




जनशक्ति

31.03.2023 को जनशक्तिकी संख्या 1515 नियमित कर्मचारी (सीवीओ को छोड़कर) थी। वर्ष के दौरान 1 (एक) कर्मचारी की भर्ती की गई, जबकि 128 कर्मचारी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अलग हो गए थे:

वर्ष के दौरान भर्ती	
कर्मचारियों की संख्या	01
वर्ष के दौरान पृथक्ता	
सेवानिवृत्त	111
इस्तीफा दे दिया	23
समय से पहले सेवानिवृत्ति	26
मृत्यु	21
कुल	181



नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक जनशक्ति की संख्या 1515 नियमित कर्मचारी (सीवीओ को छोड़कर) थी:



निगमित सूचना (कॉरपोरेट कम्युनिकेशन)

कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निगम की छवि पेश करने और हमारे हितधारकों के साथ सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त एजेंसियों के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से कुशलतापूर्वक काम कर रहा है

कॉरपोरेट कम्युनिकेशन ने निगम के मिशन और दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से ज्ञात और प्रशंसित करने की कोशिश करते हुए निगम की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सभी सोशल मीडिया को अपनाया है।

कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विशेष कहानियां, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/बिजनेस पत्रिकाओं के साथ साक्षात्कार, विद्युत मंत्रालय के अन्य संबंधित कार्यों के लिए मीडिया निगरानी, समय-समय पर कॉरपोरेट योजना आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करता रहता है।

कॉरपोरेट कम्युनिकेशन ने भारत सरकार के सभी अभियानों को क्रियान्वित किया, जिनमें पीएम कुसुम, रूफ टॉप सोलर (पीएच-II), स्वच्छ भारत, ऊर्जा संरक्षण पर बीईई पेंटिंग प्रतियोगिता और सौभाग्य सहित अन्य विशिष्ट अभियान शामिल हैं।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध कार्य का उद्देश्य प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण और स्वस्थ संबंध बनाए रखना है और निगम में औद्योगिक संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण बने रहे। यूनियनकृत कर्मचारियों, अन्य कर्मचारियों, नीतिगत मामलों और श्रमिकों की कामकाजी स्थिति में सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच सीधे बैठकें और चर्चाएं आयोजित की गईं। चर्चाओं से निकले सुझावों को यथार्थवादी ढंग से आगे बढ़ाया गया। वर्ष 2022-2023 के दौरान किसी भी औद्योगिक संबंध मुद्दे के कारण कोई भी मानव दिवस हानि नहीं हुई है।

नीपको कर्मचारी दिवस का आयोजन

निगम की सभी परियोजनाओं और कार्यालयों में 01.05.2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में नीपको कर्मचारी दिवस मनाया गया।

उद्यम संसाधन योजना-मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम)

- ❖ एचसीएम टीम सभी बारह लाइव स्थानों के लिए पे रोल तैयार कर रही है। एचआर में पे रोल का निष्पादन एक पूरी तरह से नया कार्य है।
- ❖ वेतन रोल के अलावा कर्मचारी से संबंधित सभी दावों को एचसीएम द्वारा कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) / प्रबंधक स्वयं सेवा (एमएसएस) के माध्यम से सफलतापूर्वक निपटाया गया है।
- ❖ एचसीएम के अन्य सभी उप मॉड्यूल सभी लाइव स्थानों पर चालू हैं और ईएसएस सभी स्थानों पर लाइव है।
- ❖ इसके अलावा एचसीएम उप-मॉड्यूल, अर्थात् प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली, शिक्षण समाधान और भर्ती जल्द ही चालू होने की उम्मीद है।

कल्याणकारी गतिविधियाँ :

निगम के पास अपने संयंत्रों और निर्माणाधीन परियोजनाओं में अच्छी तरह से सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र / औषधालय हैं, जिनमें योग्य डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी कार्यरत हैं, जो न केवल कर्मचारियों (निगम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लगे कर्मचारियों सहित) को बल्कि एक सामाजिक सेवा उपाय के रूप में पड़ोसी गांवों के लोगों को मुफ्त में चिकित्सा उपचार करते हैं और परामर्श भी प्रदान करते हैं। निगम के स्वास्थ्य केंद्रों/औषधालयों के अलावा, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की बेहतर उपचार सुविधाओं के लिए पूरे देश में कई प्रतिष्ठित अस्पताल सूचीबद्ध हैं। कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लाभ के लिए, निगम के कई सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। नीपको ने विभिन्न पैनलबद्ध अस्पतालों में सेवानिवृत्त / पृथक और पात्र चिकित्सा स्वास्थ्य कार्ड धारक पूर्व कर्मचारियों के लिए आईपीडी और ओपीडी उपचार के मामले में अपनी कैशलेस उपचार सुविधा का विस्तार भी किया है।

शिक्षा:

निगम ने कर्मचारियों के बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में परियोजना स्थलों पर स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा, जहां आस-पड़ोस में कोई स्कूली शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। नीपको कर्मचारियों के बच्चों के अलावा, इन स्कूलों में पड़ोसी गांवों/इलाकों के बच्चों को भी अच्छी संख्या में प्रवेश दिया जाता है। नीपको अपने 5(पांच) ओ एण्ड एम संयंत्रों में 5(पांच) विवेकानंद केंद्र विद्यालय (वीकेवी) स्कूलों को प्रायोजित कर रहा है, जो "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड," [सीबीएसई] दिल्ली से संबद्ध हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण :

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थान सुनिश्चित करने और महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाले सक्षम कार्य वातावरण का निर्माण करने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के आदेश के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आईसीसी की परिकल्पना एक पीड़ित महिला से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के साथ-साथ पूछताछ करने और ऐसी शिकायत की जांच के अनुसार की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई पर नियोक्ता को सिफारिशें करने के लिए की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

लोक शिकायतें :

- 01.04.2022 तक लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य
- 01.04.2022-31.03.2023 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या - 15(पंद्रह)
- 31.03.2023 तक निपटाई गई शिकायतों की संख्या - 15(पंद्रह)
- 01.04.2022-31.03.2023 की अवधि के दौरान प्राप्त कोविड-19 संबंधित शिकायतों की संख्या - शून्य

राजभाषा कार्यान्वयन

निगम द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति को कारपोरेट कार्यालय के साथ-साथ अन्य कार्यालयों तथा संयंत्र/परियोजनाओं में कार्यान्वित किया गया। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात द्विभाषी जारी करने के प्रयास किए गए। विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम हेतु नामित किया गया। कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने का अभ्यास कराने हेतु हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। “आज का शब्द कार्यक्रम” के तहत कर्मचारियों के हिंदी एवं खासी शब्दकोश के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी समानान्तर शब्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रत्येक दिन डिजिटल बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। नीपको की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है।

वर्ष 2019-20 के दौरान एनटीपीसी राजभाषा शील्ड योजना के तहत दिनांक 12 मई, 2022 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की नई दिल्ली में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए नीपको को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने तथा हिंदी के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय के साथ-साथ पावर स्टेशनों एवं अन्य कार्यालयों में हिंदी दिवस तथा राजभाषा(हिंदी) पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी पत्रिका “नीपको ज्योति”, “रतनदीप”, “कोपिली दर्पण”, “आरोही”, “नीपको तरंग”, “कामेग धारा”, “लुशाई उजाला”, “पारे प्रवाह”, “पंयोर प्रवाह” को क्रमशः कारपोरेट कार्यालय, शिलांग, कॉर्पोरेट अफेयर्स कार्यालय, केएचपीएस, एजीबीपीएस, गुवाहाटी, काहेप्स, श्रेप्स, पाहेप्स, रेहृप्स से ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया। निगम कार्यालय में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें निगम की राजभाषा हिंदी के प्रयोग में प्राप्त उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग लिखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

नीपको राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा राजभाषा के कार्यान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

खेलकूद गतिविधियां :

“निगम विभिन्न इंटर सीपीएसयू टूर्नामेंट जैसे ब्रिज, टेबल टेनिस, टी-20 क्रिकेट, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन आदि में भाग लेने के लिए पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का एक सक्रिय सदस्य है। खिलाड़ियों को ऐसे टूर्नामेंटों में भाग लेने और अंततः सफल होने के लिए तैयार करने के लिए, जब भी अवसर आता है, निगम इच्छुक कर्मचारियों के लिए सभी खेल प्रतियोगिता के लिए कोचिंग-सह-चयन शिविर आयोजित करता है। ऐसे कोचिंग शिविर आयोजित करके कर्मचारियों को टीम/व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निगम लगातार सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा के साथ पूरे संगठन में कर्मचारियों के बीच टीम वर्क और एकजुटता की भावना पैदा कर रहा है”।

क्र. सं.	वर्ष 2022-23 में नीपको द्वारा भाग लिया गए पीएससीबी के तत्वावधान में आयोजित इंटर सीपीएसयू टूर्नामेंट का नाम
1.	पीजीसीआईएल द्वारा 26.08.2022 से 28.08.2022 तक हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित इंटर सीपीएसयू टेबल टेनिस टूर्नामेंट (पुरुष टीम)।
2.	पीओएसओसीओ लिमिटेड द्वारा 19.09.2022 से 21.09.2022 तक शिलांग में आयोजित इंटर सीपीएसयू शतरंज टूर्नामेंट (पुरुष टीम)।
3.	डीवीसी लिमिटेड द्वारा 12.1.2023 से 14.01.2023 तक कोलकाता में आयोजित इंटर सीपीएसयू ब्रिज टूर्नामेंट (पुरुष टीम)।
4.	आरईसी लिमिटेड द्वारा 09.01.2023 से 13.01.2023 तक नई दिल्ली में आयोजित इंटर सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट (पुरुष टीम)।
5.	एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 20.03.2023 से 25.03.2023 तक गुरुग्राम में आयोजित इंटर सीपीएसयू टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट (पुरुष टीम)।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को 01.05.2022 से 30.04.2023 तक 1 (एक) वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया था।

सेवांत प्रसुविधाएँ निपटान

01/04/2022 से 31/03/2023 तक ग्रेच्युटी निपटार का विवरण				
श्रेणी	सेवानिवृत्ति (संख्या में)	इस्तीफा (संख्या में)	मृत्यु (संख्या में)	राशि (रुपये में)
कार्यपालक	53	1	5	10,76,94,984
पर्यवेक्षक	21	-	5	4,94,10,958
कामगार	48	-	13	9,43,94,117
कुल	122	1	23	25,15,00,059

निम्नलिखित मदों के तहत भुगतान की गई राशि		
क्र.सं.	मद	राशि (रुपये में)
1.	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	8,80,69,000
2.	नीपको कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	3,96,50,366
3.	स्मृति चिह्न (5 ग्राम सोने का सिक्का)	22,49,075
4.	नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना	37,43,22,419
5.	नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना	68,00,000
6.	नीपको नीपको समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	61,13,345

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नीपको सीएसआर नीति निगम द्वारा आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विचारों को एकीकृत करके दीर्घकालिक हितधारक योजना तैयार करने के संबंध में पूर्ण रूप से स्पष्ट है। यह नीति निगम को सभी निर्णयों और प्रमुख कार्य प्रक्रियाओं में स्थिरता संबंधी विचारों को एकीकृत करने, भविष्य के जोखिमों को कम करने और अवसरों में बढ़ोतरी करने में मदद कर रही है।

जैसा कि हमारे विद्युत संयंत्र पूरे पूर्वोक्त में स्थित हैं, हमारी पहुंच बहुत व्यापक है और सामुदायिक कवरेज भी बहुत बड़ा है। अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण स्थिरता, कौशल विकास आदि प्रदान करना हमारी प्राथमिक के तौर पर ध्यान देने वाले क्षेत्र है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर विस्तृत विवरण अनुलग्नक-10 के रूप में संलग्न है और यह रिपोर्ट का हिस्सा है।

नीपको सतर्कता गतिविधियां

01-04-2023 से 31-03-2023 की अवधि के दौरान, नीपको सतर्कता विभाग ने समय-समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के तहत सतर्कता तंत्र के विभिन्न पहलुओं पर काम किया है। सतर्कता विभाग के अनन्य और स्वतंत्र कामकाज के लिए, नीपको ने सतर्कता कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान सीवीसी द्वारा अपने वेब पोर्टल पर 2 (दो) शिकायतों को सीवीओ की आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किया गया था। उक्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के बाद एक महीने के भीतर निपटाया गया और तदनुसार सीवीसी के वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया। 3 (तीन) पीआईडीपीआई शिकायतें प्राप्त हुईं (2 सीवीसी से और 1 विद्युत मंत्रालय से) और तीनों का 12 सप्ताह की समय सीमा के भीतर निपटारा कर दिया गया। अन्य स्रोतों से प्राप्त 10 शिकायतों का भी निस्तारण किया गया। विद्युत मंत्रालय से प्राप्त एक शिकायत का निस्तारण एक माह के भीतर कर दिया गया।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच के अलावा, सतर्कता विभाग ने सक्रिय तरीके से विभिन्न मुद्दों का सत्यापन किया था। नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए निवारक सतर्कता के पहलू पर जोर दिया गया और विभिन्न मामलों की जांच के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए गए। सतर्कता विंग ने निवारक सतर्कता के माध्यम से कई सलाह दी हैं जिससे तकनीकी और कार्मिक विभाग में प्रणालीगत सुधार हुए हैं। इस अवधि के दौरान विभिन्न संयंत्रों/परियोजनाओं स्थल के सतर्कता अधिकारियों द्वारा 75 (पचहत्तर) नियमित निरीक्षण किए गए, 6 (छह) सीटीई

प्रकार के निरीक्षण और 27 (सत्ताईस) औचक निरीक्षण सतर्कता विभाग द्वारा किए गए। 01/04/2022 से 31/3/2023 की अवधि के दौरान 11 (ग्यारह) प्रणालीगत सुधार सुझाव भी दिये गये।

इसके अलावा, सीटीई/सीवीसी ने वर्ष 2022 में असम गैस आधारित पावर प्लांट, बोकुलोनी, असम में गहन जांच की थी। सीटीई द्वारा उद्धित किए गए पैरा पर समय-समय पर सतर्कता विंग द्वारा उत्तर दिया गया है। सीटीई द्वारा उद्धित किए गए पैराग्राफ की विस्तृत जांच के बाद प्रणालीगत सुधार सुझावों के साथ-साथ संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

प्रौद्योगिकी का उपयोग, ई-खरीद, ई-भुगतान, ऑनलाइन सतर्कता शिकायतें दर्ज करना और नीपको की वेबसाइट पर कार्यपलक अधिकारियों की वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर) अपलोड करना पहले ही लागू किया जा चुका है। इस अवधि के दौरान 141 वार्षिक संपत्ति रिटर्न, जो कार्यपालकों का लगभग 21% है, की जांच की गई।

इस अवधि के दौरान जारी किए गए सभी महत्वपूर्ण सीवीसी परिपत्र और कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधितों की ओर से अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा निगम में समग्र प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से प्रचालित किए गए हैं।

डीपीसी, पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी, पदोन्नति नियमितीकरण, निजी विदेश यात्रा, बाहरी रोजगार, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, टर्मिनल लाभ जारी करने आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक सतर्कता मंजूरी संबंधित निगम के विभाग द्वारा मांगे जाने पर दी गई थी।

सीवीओ ने इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और विद्युत मंत्रालय (विद्युत मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा उनके द्वारा तय एजेंडे पर बुलाई गई विभिन्न बैठकों में भी भाग लिया और इसके उपरांत बैठकों में लिए गए निर्णय के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके निगम में 31 अक्टूबर, 2022 से 06 नवंबर, 2022 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022" मनाया गया। इसके अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के अग्रगामी के रूप में 3 महीने की अभियान अवधि (16 अगस्त - 15 नवंबर 2022) के दौरान विभिन्न गतिविधियों की गई।

बोर्ड बैठक

वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की कुल 08 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं।

स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने के संबंध में स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी नियुक्ति के समय और वार्षिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है। घोषणाओं को बोर्ड के समक्ष रखी गईं। हमारी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट <https://neepco.co.in/> पर उपलब्ध हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

10 फरवरी, 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के आदान-प्रदान की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। स्वतंत्र निदेशकों ने 10 फरवरी, 2023 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।

निदेशकों के चयन तथा नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के लिए नीति

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान, भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 5.6.2015 के मद्देनजर लागू नहीं होते हैं।

निदेशकों और बोर्ड का प्रदर्शन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र के माध्यम से, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जिसके तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन मूल्यांकन आवश्यकता है। एमसीए के उक्त परिपत्र ने सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों से छूट दी है जिसके तहत यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी है, या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार करती है तो बोर्ड और उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशक द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख बोर्ड की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

इसके अलावा, 5 जुलाई, 2017 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, यदि प्रदर्शन मूल्यांकन के मामले केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं और ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन सरकारी कंपनियों द्वारा किए जाने पर अनुसूची IV के प्रावधान अर्थात् सरकारी कंपनियों के लिए निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से छूट दी गई है।

इस संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पहले ही सभी कार्यपालक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 10 फरवरी, 2023 को आयोजित की गई थी। 10 फरवरी, 2023 के इस बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा संपूर्ण बोर्ड और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया गया :

1. श्री विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 31.05.2022 तक
2. श्री बैद्यनाथ महाराणा, मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. श्री अबिनोम पनू रोंग, कंपनी सचिव

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश, जो वर्तमान की स्थिति को प्रभावित करते हैं

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की मौजूदा स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए थे।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

नीपको के पास एक पूर्ण रूप से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें इसके संचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसके तहत शक्ति के प्रत्यायोजन, प्रलेखित नीतियों, दिशानिर्देशों, मैनुअल और परिपत्रों के साथ-साथ इस तरह के संचालन से संबंधित विभिन्न कानूनों और विनियमों के अनुसार लेनदेन और निर्णय को संसाधित किया जाता है। कंपनी ने प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपाय की पहचान करते हुए एक सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण ढांचा विकसित किया है।

नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी एक बोर्ड-स्तरीय लेखा परीक्षा समिति और एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। सभी परियोजनाओं और कार्यालयों को कवर करने वाले नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स / लागत लेखाकारों की अनुभवी फर्मों द्वारा आयोजित की जाती हैं और इन्हें कंपनी के अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के साथ समन्वय से उक्त उद्देश्यों के लिए इंगेज किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करते हैं और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों और अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) का सारांश नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है और तदनुसार इस पर दी सिफारिशों और निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन डीपीई ओएम संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/08 दिनांक 26 नवंबर, 2008 के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, वेतन संशोधन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन और सरकारी कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं :

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस / परिवर्ती वेतन पूल प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति निर्धारित करना।
2. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना।
3. निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी नई नियुक्ति के लिए अनुमोदन।

इसके अलावा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है : (1) एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करना;;

(1ए) एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करना। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति में इन विवरणों को पहचानी गई क्षमताएं होनी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति :

- क. यदि आवश्यक हो तो किसी बाहरी एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करें ;
- ख. विविधता को उचित सम्मान देते हुए वृहद पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करें ; और
- ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें।

- (2) स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- (3) निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना;
- (4) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति तथा निष्कासन की सिफारिश करना।
- (5) स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की नियम को जारी रखी जाए या अवधि बढ़ाई जाए।
- (6) वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो, बोर्ड को अनुशंसित करना।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 10-08-2022 को आयोजित अपनी 272वीं बोर्ड बैठक में सुझाव दिया था कि वित्तीय निहितार्थ वाले सभी कर्मचारी/मानव संसाधन संबंधी एजेंडे को बोर्ड की मंजूरी से पहले विस्तृत चर्चा के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में रखा जाना चाहिए।

19 सितंबर, 2022 को आयोजित 273वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया:

नाम	अध्यक्ष/ सदस्य	वर्ग (स्वतंत्र/कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक)
श्री विवेका नन्द पासवान	अध्यक्ष	स्वतंत्र
श्री बिमल चंद ओसवाल	सदस्य	स्वतंत्र
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यपालक

निगम के कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होता है।

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

फॉर्म नंबर एओसी-1 के अनुसार प्रारूप में सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के संदर्भ में अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। उप-धारा (1) में संदर्भित अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का खुलासा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188, अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार निम्नानुसार है :

अपने सगे-संबंधितों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन - शून्य

सगे-संबंधित अपनापन के आधार पर सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण: समीक्षाधीन अवधि के दौरान सगे-संबंधित अपनापन के आधार पर कोई सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन नहीं हुआ था :

- क. संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति - लागू नहीं
- ख. अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन की प्रकृति - लागू नहीं
- ग. अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन की अवधि- लागू नहीं
- घ. मूल्य सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो - लागू नहीं
- ङ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो - लागू नहीं
- च. अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं

इंड-एस-24 के तहत संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोटिस संख्या 38 में किया जाता है।

निदेशक मंडल ने 22.12.2022 को आयोजित अपनी 275वीं बोर्ड बैठक में नीपको से संबंधित पार्टी लेनदेन नीति को मंजूरी दे दी है।

भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और इस निदेशक की रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई है, जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर विस्तृत विवरण अनुलग्नक-10 के रूप में संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी का वार्षिक रिटर्न (ड्राफ्ट एमजीटी-7) कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न तक देखने के लिए वेबलिनक <https://neepco.co.in/investors/equity> है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

एक अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के रूप में, एक व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर), स्वेच्छा से तैयार की गई है और अनुबंध-4 के रूप में संलग्न है तथा यह इस निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के अनुसार विवरण

नीपको एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

निदेशकों के चयन और नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के लिए नीति

नीपको एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(e) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली

नीपको अपने कार्यों के संचालन में अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली के महत्व में दृढ़ता से विश्वास करता है। यह अपने कार्य में पर्याप्त नियंत्रण प्रणालियों के साथ-साथ दक्षता बढ़ाने पर जोर देता है। तिमाही आधार पर बोर्ड के सामने रखने से पहले सभी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा समिति समीक्षा करती है। विभिन्न अन्य क्रियाकलापों के साथ वार्षिक रिपोर्ट को बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है। कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली पर एक अलग विवरण इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में **अनुलग्नक-2** के रूप में तैयार किया गया है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में **अनुलग्नक-5ए** के रूप में संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों के अलावा, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर रिपोर्ट में कुछ मुद्दे को **अनुलग्नक-3** रखा गया है और यह इस निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति सभी वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के समक्ष रखने से पहले नियमित रूप से उनकी समीक्षा करती है। लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। लेखापरीक्षा समिति की संरचना सहित लेखापरीक्षा समिति के संबंध में विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट का हिस्सा है जो इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-2** के रूप में संलग्न है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि :

- क) वार्षिक लेखा की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इसमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है ;
- ख) निदेशकों ने उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करने के लिए ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप में लागू किया जिससे तहत 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ को प्रस्तुत किया जा सके ;
- ग) कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था की है ;
- घ) निदेशकों ने वर्तमान के चिंता के आधार पर कंपनी का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार किया है ;

- ड) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं जिनका कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और
- च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित पद्धतियाँ तैयार की हैं और ऐसी पद्धतियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में बदलाव का विवरण

गत रिपोर्ट के बाद से, निम्नलिखित निदेशक नीपको बोर्ड के निदेशक नहीं रहे :

1. श्री अनिल कुमार, निदेशक (कार्मिक) 31.10.2022
2. श्री राजीव कुमार विश्वा, सीएमडी, अतिरिक्त प्रभार 31.05.2023.

निदेशक मंडल ने उक्त निदेशकों द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

गत रिपोर्ट के बाद से, निम्नलिखित निदेशकों को नीपको के बोर्ड में नियुक्त किया गया है:

1. श्री रनेंद्र शर्मा, निदेशक (तकनीकी प्रभावी तारीख 18.04.2023 से
2. श्री गुरदीप सिंह, सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, प्रभावी तारीख 01.06.2023 से
3. श्री दिलीप कुमार पटेल, निदेशक(कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, प्रभावी तारीख 18.07.2023 से

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और आपकी संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, श्री बैद्यनाथ महाराणा, निदेशक (वित्त) (डीआईएन: 09263864), आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्रता के तहत, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

सावधि जमा

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक और सी एंड एजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत निर्दिष्ट अनुसार कंपनी के खिलाफ अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं की है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कर्मचारियों का विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जिसे उस वर्ष का कुल पारिश्रमिक ₹102.00 लाख से कम मिला हो, या यदि वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित किया गया था तो उस वर्ष के उसी भाग के लिए जिस दर पर पारिश्रमिक प्राप्त किया वह कुल मिलाकर प्रति माह ₹8.50 लाख से कम नहीं था; या यदि पूरे वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में कार्यरत थे, तो वर्ष के दौरान कुल मिलाकर, या जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, जो कुल मिलाकर, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा आहरित की गई राशि से अधिक था और स्वयं या अपने पति या पत्नी और आश्रित और बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का कम से कम 2% हिस्सा रखता था।

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा अर्जन और आय व व्यय का संरक्षण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (एम) के अनुसरण में, वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय की जानकारी इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अनुलग्नक -9 में संलग्न है।

स्वीकृति

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, लोक उद्यम विभाग, पूर्वोत्तर परिषद, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के प्रति उनके निरंतर सहयोग और सहायता के लिए निदेशक मण्डल आभारी हैं।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य सरकार के प्रति उनके द्वारा किए गए सहयोग और सहायता के लिए निदेशक मंडल आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक मंडल उन राज्य सरकारों की सराहना करते हैं जिन्होंने वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान अपने वर्तमान बकाया के एवज में सभी भुगतान किए हैं।

बैंकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा विंग और कंपनी रजिस्ट्रार के भी निदेशक मण्डल आभारी हैं।

होलडिंग कंपनी, एनटीपीसी लिमिटेड के समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी निदेशक मंडल आभार व्यक्त करना चाहेगा।

अंत में, निगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निगम के सभी वर्गों के कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों की निदेशक मण्डल सराहना करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल और उनकी ओर से

दिनांक: 14-08-2023

स्थान: नई दिल्ली

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिईएन: 08534217

फॉर्म सं/ एओसी - I
भाग “बी”

सहयोगी एवं संयुक्त उपक्रम

संयुक्त कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

	संयुक्त उद्यमों का नाम	केएसके डिविजन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
1	नवीनतम अलेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि	31-03-2023
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उपक्रमों के शेयर संख्या	2,79,30,000
	संयुक्त उपक्रमों में निवेश की राशि (₹ में)	27,93,00,000.00
	धारण की सीमा	30%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	मतदान का अधिकार
4	संयुक्त उपक्रम के समेकित नहीं होने का कारण	इंड एस-28 के अनुसार सीएफएस तैयार
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (₹ में)	107,87,09,750.00
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹ में)	
	i. समेकन में माना गया / मतदान का अधिकार	(1,86,834.00)
	ii. समेकन में नहीं माना गया	(4,35,376.00)

1. सहयोगी या संयुक्त उपक्रमों के नाम जिनका परिचालन शुरू होना बाकी है।

केएसके डिविजन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड

2. उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेचा गया है।

शून्य

निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिईएन: 08534217

दिनांक: 14-08-2023

स्थान: नई दिल्ली

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानूनों, प्रथाओं और निहित नियमों से संबंधित है जो एक कंपनी के अपने हितधारकों, विशेष रूप से, इसके शेयरधारकों, लेनदारों, ग्राहकों, राज्य और कर्मचारियों के बारे में सूचित प्रबंधकीय निर्णय लेने की क्षमता निर्धारित करते हैं। नीपको प्रबंधन हर समय अपने सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का प्रयास करता है और अधिक से अधिक हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाया है।

शासन संहिता पर सिद्धान्त

- संचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली होना और बोर्ड को समय पर पारदर्शी तरीके से जानकारी प्रदान करना ताकि बोर्ड प्रदर्शन की निगरानी कर सके और प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित कर सके।
- समग्र रूप से उद्यम और पूरे देश की संपत्ति के निर्माण के लिए व्यावसायिक उद्यम की दक्षता में वृद्धि करना
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और बोर्ड कॉर्पोरेट मूल्यों को समर्थन दें और उन्हें अपने आचरण में लागू करें।

1. निदेशक मंडल की संरचना और निदेशकों का विवरण:

(i) बोर्ड की संरचना:

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के निदेशक मंडल («बोर्ड») में 7 (सात) निदेशक शामिल हैं, जिनमें 2 (दो) पूर्णकालिक निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के 2 (दो) नामित निदेशक, 1 (एक) भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी अंशकालिक निदेशक और 2 (दो) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल का विवरण जैसे, उनका नाम, पदनाम, निदेशकों की संख्या और अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में उनके द्वारा धारित समिति अध्यक्ष/सदस्यता और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें यह निदेशक एक निदेशक हैं जो इस प्रकार हैं:

क्रम सं	निदेशक का नाम	पदनाम	अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकत्व पद की संख्या *	सूचीबद्ध इकाई और श्रेणी में निदेशकत्व	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशकत्व की संख्या **	
					अध्याक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्री विनोद कुमार सिंह #	01.03.2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	श्री अनिल कुमार #	निदेशक (कार्मिक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	श्री बैद्यनाथ महाराणा ^s	निदेशक (वित्त)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	श्री जितेश जॉन ^s	भारत सरकार नामित निदेशक	1	शून्य	शून्य	1
7	श्री अनिल कुमार गौतम #	एनटीपीसी के नामित निदेशक	3	एनटीपीसी लि. निदेशक (वित्त)	1	3
8	श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य	एनटीपीसी के नामित निदेशक	4	एनटीपीसी लि. निदेशक (परियोजना)	शून्य	शून्य
9	श्रीमती माला सिंहा #	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11	डॉ विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	श्री राजीव कुमार विश्वा	02.06.2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार	5	शून्य	1	5
13	श्री जयकुमार श्रीनिवासन [§]	एनटीपीसी के नामित निदेशक	4	एनटीपीसी लि. निदेशक (वित्त)	शून्य	4

* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत विदेशी कंपनियों, वैकल्पिक निदेशकों और कंपनियों में निदेशकों को छोड़कर।

** अन्य समिति की सदस्यता में केवल अन्य कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता शामिल है।

वर्ष के दौरान समाप्त

§ वर्ष के दौरान नियुक्त

कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित नहीं है।

(ii) गैर-कार्यकारी निदेशक मुआवजा और प्रकटीकरण:

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया है।

(iii) बोर्ड की बैठकें, समिति की बैठकें और प्रक्रियाएं:

क. प्रत्येक वर्ष बोर्ड की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित की जाती हैं। चार अनुसूचित बोर्ड बैठकों के अलावा, उचित नोटिस देकर अतिरिक्त बोर्ड बैठक बुलाई जा सकती है। व्यावसायिक अत्यावश्यकताओं या मामलों की तात्कालिकता के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचालन द्वारा संकल्प पारित किया जाता है।

ख. निदेशक मंडल को प्रत्येक बोर्ड बैठक में परियोजना कार्यान्वयन और कंपनी के संचालन को शामिल करते हुए प्रस्तुति दी जाती है। सूचना को लागू दिशानिर्देशों और अधिनियम के अनुसार बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है।

ग. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी ने प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बोर्ड की बैठक आयोजित की है। बोर्ड की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, नीपको के निदेशक मंडल की बैठक 08 (आठ) बार, निम्नलिखित तिथियों पर हुई:

पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
14-05-2022	10-08-2022	11-11-2022	10-02-2023
22-05-2022	19-09-2022	22-12-2022	16-03-2023

क्रम सं	बोर्ड बैठक सं	दिनांक	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की सं
1	270वीं बोर्ड बैठक	14-05-2022	9	8
2	271वीं बोर्ड बैठक	22-05-2022	9	9
3	272वीं बोर्ड बैठक	10-08-2022	7	7
4	273वीं बोर्ड बैठक	19-09-2022	8	8
5	274वीं बोर्ड बैठक	11-11-2022	7	7
6	275वीं बोर्ड बैठक	22-12-2022	7	7
7	276वीं बोर्ड बैठक	10-02-2023	7	6
8	277वीं बोर्ड बैठक	16-03-2023	7	7

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठक और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

नाम	बैठक की तिथि								कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या	उपस्थिति का %	क्या पिछली एजीएम में भाग लिया था
	बैठक की तिथि											
	270वीं बीएम	271वीं बीएम	272वीं बीएम	273वीं बीएम	274वीं बीएम	275वीं बीएम	276वीं बीएम	277वीं बीएम				
14-05-2022	22-05-2022	10-08-2022	19-09-2022	11-11-2022	22-12-2022	10-02-2023	16-03-2023					
श्री राजीव कुमार विश्वाई [§]	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6	100%	हाँ
श्री विनोद कुमार सिंह [#]	✓	✓	-	-	-	-	-	-	2	2	100%	लागू नहीं
श्री अनिल कुमार	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	4	4	100%	हाँ
श्री वैद्यनाथ महाराणा [§]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100%	हाँ
श्री अनिल कुमार गौतम	✓	✓	-	-	-	-	-	-	2	2	100%	लागू नहीं
श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100%	हाँ
श्री जयकुमार श्रीनिवासन [§]	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100%	हाँ
श्री जितेश जॉन [§]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100%	हाँ
श्रीमती माला सिंहा	X	✓	-	-	-	-	-	-	2	1	50%	लागू नहीं
श्री बिमल चंद ओसवाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	8	7	88%	हाँ
डॉ विवेक नंद पासवान [§]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8	100%	हाँ

[§] वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया।

[#] वर्ष के दौरान बंद कर दिया।

डी. निदेशक मंडल ने कंपनी सचिव द्वारा प्रस्तुत कानूनों के अनुपालन के प्रमाण पत्र की समय-समय पर समीक्षा की।

1. बोर्ड स्वतंत्रता

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने के संबंध में अपनी नियुक्ति के समय और वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत की है। घोषणाएं बोर्ड के समक्ष रखी गईं। हमारी कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव है और कंपनी पर लागू सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट <https://neepco.co.in/> पर उपलब्ध हैं।

2. आचार संहिता:

कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाने की दृष्टि से कंपनी के पास बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता है। कंपनी व्यवसाय नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक पर उपलब्ध है:

<https://neepco.co.in/sites/default/files/Code%20of%20Conduct%20for%20Board%20Members.pdf>

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, संहिता के अनुपालन के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा एक घोषणा निम्नानुसार है:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों की अनुसूची V के तहत घोषणा

सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनांक: 14-08-2023

स्थान: नई दिल्ली

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

3. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति को लागू किया है।

4. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियां प्रदान की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और पद्धति से परिचित हो सकें। बोर्ड के सदस्यों को संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों के लिए परियोजना/संयोजित स्थल के दौरे भी आयोजित किए जाते हैं।

5. लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन वर्ष 2001 में किया गया था और आवश्यकतानुसार इसका पुनर्गठन किया गया है। 31 मार्च, 2023 को लेखा परीक्षा समिति का गठन इस प्रकार था:

क्रम सं	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी/ (स्वतंत्र / कार्यकारी/गैर-कार्यकारी)
1	श्री बिमल चंद ओसवाल	अध्यक्ष	स्वतंत्र
2	डॉ विवेका नंद पासवान	सदस्य	स्वतंत्र
3	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यकारी

लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष 2022-23 के दौरान 7 (सात) बार हुई। बैठक में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख और विशेष आमंत्रित के रूप में सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भी भाग लिया। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

क्रम सं	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र / कार्यकारी/गैर कार्यकारी)	बैठके जिनमें भाग लिया गया	बैठके जिनमें भाग लिया गया
1	श्रीमती माला सिंहा	स्वतंत्र	2	1
2	श्री अनिल कुमार गौतम	गैर-कार्यकारी	2	2
3	श्री बिमल चंद ओसवाल ^s	स्वतंत्र	7	7
4	डॉ विवेका नंद पासवान ^s	स्वतंत्र	7	7
5	श्री बिनोद कुमार सिंह [#]	कार्यकारी	2	2
6	श्री यू.के. भट्टाचार्य ^{s #}	गैर-कार्यकारी	2	2
7	श्री जयकुमार श्रीनिवासन ^s	गैर-कार्यकारी	3	3

^s वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित।

[#] वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे।

लेखापरीक्षा समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचना के लिए रखा गया। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- बोर्ड को संबंधित अपने निरीक्षण कार्यों में सहायता करने के लिए:
 - लेखापरीक्षित और गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरण की गुणवत्ता और अखंडता;
 - कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - बाहरी लेखा परीक्षकों की योग्यता, अनुभव, प्रदर्शन और स्वतंत्रता;
 - समय-समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की अखंडता; तथा
 - कंपनी के निवेश।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में किसी भी मामले की जांच करना या बोर्ड द्वारा इसे संदर्भित करना और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुंच होगी और यदि आवश्यक हो तो बाहरी पेशेवर सलाह लेना।
- अपने संदर्भ की शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करना।
- कर्मचारियों सहित किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त करना।
- यदि आवश्यक हो तो बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- व्हिसलब्लोअर्स को बचाने के लिए।
- लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना।
 - अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा।
 - विशेष संदर्भ के साथ, अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना:
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के खंड (3)(सी) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले;
 - लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इसके कारण;
 - प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
 - लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन;
 - वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; तथा
 - मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएं।

9) लेखा परीक्षा

1) आंतरिक लेखा परीक्षा:

- प्रबंधन के साथ, आंतरिक लेखा परीक्षकों (बाहरी फर्मों) के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक लेखा परीक्षा (गृह में) कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के प्रमुख अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और ऐसी लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- लेखा परीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना, यदि कोई हो।

ख) सांविधिक लेखापरीक्षा और शाखा लेखा परीक्षा:

- लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी मामले के क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा के बारे में चर्चा।
- किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- बोर्ड को सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश।
- उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं (लेखापरीक्षा के अलावा) के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
- लेखा परीक्षक की नियुक्ति की शर्तों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार लेखा परीक्षक द्वारा अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदन की सिफारिश करें।

ग) लागत लेखा परीक्षा एवं कर लेखा परीक्षा

बोर्ड को सिफारिश करना, नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, लागत लेखा परीक्षकों और कर लेखा परीक्षकों को बदलना या हटाना और लेखा परीक्षा शुल्क और नियुक्ति की अन्य शर्तों का निर्धारण।

- 10) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।
- 11) इसमें निहित प्रत्येक आरक्षण या योग्यता के बारे में पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करें और बोर्ड को विचार के लिए रिपोर्ट की सिफारिश करें।
- 12) स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करें।
- 13) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की समीक्षा।
- 14) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करें:
 - क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
 - ख) प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें।
- 15) प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करें:
 - क) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण खोज, पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित
 - ख) लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है।
- 16) सरकारी लेखापरीक्षा- सीएंडएजी लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- 17) आंतरिक लेखा परीक्षकों / सांविधिक लेखा परीक्षकों / अन्य एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की उन मामलों में समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना है।

- 18) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों को देखने के लिए।
- 19) व्हिसलब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।
- 20) संसद की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- 21) हमारी कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा और पूर्व अनुमोदन करना। इस प्रयोजन के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन को पूर्व-अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होगा।
- 22) कंपनी की वित्तीय नीतियों, वाणिज्यिक नीतियों और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करें।
- 23) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- 24) प्रबंधन के साथ समीक्षा, एक मुद्दे (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमनी निर्गम आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/आवेदन का विवरण), प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एक सार्वजनिक या सही मुद्दे की आय के उपयोग की निगरानी करती है और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
- 25) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच।
- 26) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो।
- 27) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।
- 28) निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करें
 - ए) वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों के प्रबंधन पर चर्चा और विश्लेषण;
 - बी) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है);
 - सी) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र / आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
 - डी) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
 - ई) आंतरिक लेखा परीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें; तथा
 - एफ) मुख्य कार्यपालक/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।
- 29) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा परीक्षा के दायरे के बारे में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा के बारे में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए आमंत्रित करना और आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा करना।
- 30) यदि लागू हो तो, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाने पर निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन के लिए त्रैमासिक विवरण की समीक्षा।
- 31) पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अनुसार नियम और शर्तें निर्धारित करना।
- 32) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन या प्रिंट आउट के लिए एक उचित प्रणाली बनाए रखने पर सलाह और मूल्यांकन।
- 33) आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के साथ परामर्श।
- 34) लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने पर लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को सुनवाई का अधिकार देगी।
- 35) लेखापरीक्षा समिति वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए स्थापित सतर्कता तंत्र की देखरेख करेगी और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी। लेखा परीक्षा समिति

के अध्यक्ष उपयुक्त और असाधारण मामलों में सीधे सुलभ होंगे। निदेशक या कर्मचारी द्वारा बार-बार की जा रही तुच्छ शिकायतों के मामले में, लेखापरीक्षा समिति फटकार सहित संबंधित निदेशक या कर्मचारी के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है। सीवीसी/डीपीई/अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन/प्रस्ताव के आधार पर दिए गए अनुबंधों की समीक्षा करें।

36) कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को संदर्भित किए जाने वाले अन्य कार्यों को पूरा करना।

6. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

एक सरकारी कंपनी पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के वेतन संशोधन पर ओएम और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के संदर्भ में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और नीति तय करना।
- उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करते हैं।
- निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी नई नियुक्तियों के लिए अनुमोदन।

इसके अलावा, विनियम 19 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों के पारिश्रमिक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित एक नीति की सिफारिश करना;
(1ए) एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड पर कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति कर सकती है:
क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें;
ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला से विचार करना चाहिए; तथा
ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें।
- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करते हैं।
- स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि का विस्तार करना या जारी रखना।
- वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, किसी भी रूप में, बोर्ड को सिफारिश करें।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 10-08-2022 को आयोजित अपनी 272वीं बोर्ड बैठक में सुझाव दिया था कि वित्तीय निहितार्थ वाले सभी कर्मचारी/मानव संसाधन संबंधित एजेंडों को पहले बोर्ड के अनुमोदन से पहले विस्तृत चर्चा के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में रखा जाना चाहिए।

31 मार्च, 2023 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार है:

क्रम सं	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यकारी/ गैर-कार्यकारी)
1.	श्री विवेका नंद पासवान	अध्यक्ष	स्वतंत्र
2.	श्री बिमल चंद ओसवाल	सदस्य	स्वतंत्र
3.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यकारी

निगम के कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 4 (चार) बैठकें हुईं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रम सं	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र / कार्यकारी / गैर कार्यकारी)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया गया
1.	श्रीमती माला सिंहा #	स्वतंत्र	1	1
2.	डॉ विवेका नंद पासवान §	स्वतंत्र	3	3
3.	श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र	4	4
4.	श्री अनिल कुमार गौतम #	गैर-कार्यकारी	1	1
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन §	गैर-कार्यकारी	3	3

§ वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नामित।

वर्ष के दौरान बंद कर दिया।

7. हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति का गठन 04-02-2022 को किया गया था। 31 मार्च, 2023 को हितधारक संबंध समिति का गठन इस प्रकार है:

क्रम सं	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यकारी/ गैर-कार्यकारी)
1.	डॉ विवेका नंद पासवान	अध्यक्ष	स्वतंत्र
2.	श्री जितेश जॉन	सदस्य	गैर-कार्यकारी
3.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यकारी
4.	श्री बैद्यनाथ महाराणा	सदस्य	कार्यकारी

वर्ष 2022-23 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रम सं	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र / कार्यकारी/ गैर कार्यकारी)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया गया
1.	डॉ विवेका नंद पासवान §	स्वतंत्र	1	1
2.	श्री जितेश जॉ	गैर-कार्यकारी	1	1
3.	श्री अनिल गौतम #	गैर-कार्यकारी	शून्य	शून्य
4.	श्री बिमल चंद ओसवाल #	स्वतंत्र	शून्य	शून्य
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन §	गैर-कार्यकारी	1	1
6.	श्री बैद्यनाथ महाराणा	कार्यकारी	1	1

§ वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति के सदस्य के रूप में नामित।

वर्ष के दौरान बंद कर दिया।

हतिधारक संबंध समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ नम्रिलखित शामिल होंगे:

- (1) सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- (2) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
- (3) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- (4) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

8. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

निदेशक मंडल ने 10 जून, 2021 को आयोजित अपनी 264वीं बोर्ड बैठक में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार कंपनी सचिव श्री अबिनोम पानू रोंग, कंपनी सचिव को कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। अनुपालन अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार है:

श्री अबिनोम पनू रोंग
कंपनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकारी
नीपको लिमिटेड
ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग, मेघालय
फोन नंबर: 0364 - 2228652, ईमेल: company-secy@neepco.co.in

निवेशक शिकायत

कंपनी ने हमेशा अपने निवेशकों के संबंधों को महत्व दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त, हल और निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष की शुरुआत में लंबित निवेशकों की शिकायतों की संख्या अर्थात् 1 अप्रैल, 2022 को	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त निवेशकों की शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान निपटाई गई निवेशकों की शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्त वर्ष के अंत में लंबित निवेशकों की शिकायतों की संख्या अर्थात् 31 मार्च, 2023 को	शून्य

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

31 मार्च, 2023 को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन इस प्रकार है:

क्रम सं	निदेशक का नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी/(स्वतंत्र/ कार्यकारी / गैर-कार्यकारी)
1.	श्री बिमल चंद ओसवाल	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2.	डॉ. विवेका नंद पासवान	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	सदस्य	गैर-कार्यकारी
4.	श्री राजीव कुमार विश्वोई	सदस्य	निदेशक (तकनीकी)

वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की 2 (दो) बार बैठक हुई. कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है

क्रम सं	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र/ कार्यकारी/ गैर कार्यकारी)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया गया
1.	श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र	2	2
2.	डॉ. विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र	2	2
3.	श्री राजीव कुमार विश्वाई [§]	कार्यकारी	2	1
4.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन [§]	गैर कार्यकारी	2	2
5.	श्री बैद्यनाथ महाराणा ^{§#}	कार्यकारी	2	2

[§] वर्ष के दौरान सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नामित।

[#] वर्ष के दौरान सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर विस्तृत प्रकटीकरण अनुबंध-10 के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

10. जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 04-02-2022 को किया गया था। 31 मार्च, 2023 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन इस प्रकार है:

क्रम सं	निदेशक का नाम	अध्यक्ष/सदस्य	श्रेणी (स्वतंत्र/कार्यकारी/ गैर-कार्यकारी)
1.	श्री राजीव कुमार विश्वाई	अध्यक्ष	निदेशक (तकनीकी)
2.	श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य	सदस्य	गैर-कार्यकारी
3.	डॉ. विवेका नंद पासवान [§]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें हुईं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है

क्रम सं	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र/ कार्यकारी/ गैर कार्यकारी/)	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया गया
1.	श्री विनोद कुमार सिंह [#]	निदेशक (तकनीकी)	1	1
2.	श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य	गैर-कार्यकारी	2	2
3.	श्री अनिल कुमार [#]	कार्यकारी	2	2
4.	श्री राजीव कुमार विश्वाई	निदेशक (तकनीकी)	1	1
5.	डॉ. विवेका नंद पासवान [§]	स्वतंत्र	2	2

[§] वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में नामित।

[#] वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं रहे।

इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका संगठन के संचालन के साथ रणनीतिक उद्देश्यों को संरेखित करने की है।

जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें शामिल होंगे:

- विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य जोखिम सहित।
- पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।
- व्यापार निरंतरता योजना

- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त पद्धति, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;
 - (3) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण;
 - (4) बदलते उद्योग की गतिशीलता और जटिलता पर विचार करके, दो वर्षों में कम से कम एक बार जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना;
 - (5) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना;
 - (6) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
- जोखिम प्रबंधन समिति निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार, अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी, ऐसे मामलों में जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप होता है।

11. निदेशकों का पारिश्रमिक

हमारी कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए, बोर्ड निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्णय नहीं करता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के साथ-साथ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ में

क्रम सं.	नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते	पीएफ एवं अन्य फंड में योगदान	अन्य लाभ	कुल
1.	श्री विनोद कुमार सिंह #	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10,05,717.00	135,141.00	1,44,966.00	12,85,824.00
2.	श्री अनिल कुमार #	निदेशक (कार्मिक)	51,95,881.00	649,912.00	3,16,535.00	61,62,328.00
3.	श्री हेमंत कुमार डेका #	निदेशक (तकनीकी)	-	-	83,216.00	83,216.00
4.	श्री बैद्यनाथ महाराणा	निदेशक (वित्त)	53,45,307.00	5,26,026.00	3,52,790.00	62,24,123.00
5.	श्री राजीव कुमार विश्वा *	सीएमडी और निदेशक (तकनीकी) के अतिरिक्त प्रभार	-	-	-	-
कुल			1,15,46,905.00	13,11,079.00	8,97,507.00	1,37,55,491.00

#वर्ष के दौरान समाप्त हो गया।

* वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशकों का नाम			कुल राशि
		श्रीमती माला सिंह*	श्री बिमल चंद ओसवाल	डॉ. विवेका नंद पासवान	
1	बैठक शुल्क	1,18,000.00	7,04,600.00	7,88,200.00	16,10,800.00

#वर्ष के दौरान समाप्त हो गया।

12. प्रकटीकरण

निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेनदेन नहीं था। जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष है। संबंधित पार्टी प्रकटीकरण का विवरण खातों का हिस्सा बनने वाले नोटों में शामिल किया गया है। कंपनी कानून के प्रावधानों और नियामक प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों का पालन करने में विशेष रूप से रही है।

13. सामान्य निकाय बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठक की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	एजीएम सं	दिनांक	समय	स्थान
2019-20	44 th एजीएम	22.09.2020	03:00 पीएम	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
2020-21	45 th एजीएम	20.09.2021	04:00 पीएम	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
2021-22	46 th एजीएम	19.09.2022	05:00 पीएम	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

कंपनी द्वारा अपनी पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) में पारित विशेष संकल्प का विवरण निम्नानुसार है:

एजीएम सं	एजीएम की तारीख	पारित विशेष संकल्प
44 th एजीएम	22.09.2020	2021-22 के दौरान 100,000.00 लाख रुपये के दीर्घकालिक ऋण के लिए निगम की संपत्ति के बंधक और/या दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा बनाना।
45 th एजीएम	20.09.2021	2022-23 के दौरान 1200 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण के लिए निगम की संपत्ति के बंधक और/या दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा बनाना।
46 th एजीएम	19.09.2022	2023-24 के दौरान 1250 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण के लिए निगम की संपत्ति के बंधक और/या दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा बनाना।

14. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) -सह-सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के अनुबंध - 5बी के रूप में संलग्न है।

15. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है और परिणाम समाचार पत्रों जैसे कि द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता आदि में प्रकाशित होते हैं।

16. धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी के पास धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर नीति है जो नीपको के कर्मचारियों और निदेशकों को किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान करती है। यह संवाददाता को उसकी रिपोर्टिंग के प्रतिशोध में किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन की सुरक्षा भी करता है। इसके अलावा, नीति अपने कर्मचारियों और निदेशकों को लेखापरीक्षा समिति को अपनी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने का अवसर प्रदान करती है और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधे पहुंच प्रदान करती है।

17. निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा

नीपको के पास नीपको की एक निदेशक और अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी है जो वर्तमान में 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति सीमा/एसयूएम बीमित के साथ की जाती है।

18. शेयरधारकों की जानकारी:

स्थापना के बाद से नीपको भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम था और भारत के राष्ट्रपति और इसके नामितियों के पास कंपनी के 100% (सौ प्रतिशत) इक्विटी शेयर थे। हालांकि, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, 25-03-2020 को भारत के राष्ट्रपति (विक्रेता) और एनटीपीसी लिमिटेड (क्रेता) के बीच एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। शेयर खरीद समझौते दिनांक 25-03-2020 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर आयोजित नीपको के पूरे शेयर (यानी भारत सरकार) और उसके नामित शेयरधारकों को 27-03-2020 को एनटीपीसी लिमिटेड और उसके नामित शेयरधारकों को स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड 6 (छह) अन्य शेयरधारकों के साथ संयुक्त रूप से 27-03-2020 से नीपको के 100% शेयर रखता है।

19. संपर्क विवरण के साथ डिबेंचर ट्रस्टीज का नाम

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड 2 nd मंजिल, एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड पांडुरंग बुधकर मार्ग वर्ली, मुंबई: 400 025 दूरभाष नं: 22 6226 0054/ 6226 0050 ई-मेल : debenturetrustee@axistrustee.in	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 202, मेकर टावर 'ई' कफ परेड मुंबई 400 005 दूरभाष नं: 022-4302 5555 फैक्स नंबर: 022-4302 5500 ई-मेल: dt@sbicaptrustee.com
--	---

20. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को समय-समय पर नेतृत्व गुणवत्ता, ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की दृष्टि से आयोजित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उन्हें क्षेत्र के साथ-साथ कंपनी की बेहतर समझ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। प्रवेश के समय, नए स्वतंत्र निदेशकों को प्रस्तुति, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां, ज्ञापन और संघा के लेख, पावर का प्रतिनिधिमंडल, ब्रोशर आदि प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए समय-समय पर संयंत्र/परियोजना दौरे भी आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचितीकरण कार्यक्रम के विवरण का वेब-लिंक नीपको की वेबसाइट पर <https://neepco.co.in/> पर प्रदान किया गया है।

21. गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय उपकरण

गैर-कार्यकारी निदेशकों में से कोई भी कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं रखता है।

22. निदेशकों का कौशल/क्षमता मैट्रिक्स

31 मार्च, 2023 तक निदेशक मंडल की विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है। हालांकि, किसी सदस्य के नाम के आगे टिक मार्क न होने का मतलब यह नहीं है कि उक्त निदेशक के पास संबंधित कौशल या विशेषज्ञता नहीं है।

निदेशक का नाम	पदनाम	तकनीकी अभियंता	उर्जा एवं विद्युत	वित्त एवं बैंकिंग	अर्थशास्त्र/	मानव संसाधन प्रबंधन	नियामक ढांचा/	प्रबंधन	अकादमिक	अनुसंधान एवं विकास
श्री राजीव कुमार विश्वाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार	✓	✓			✓				✓
श्री वैद्यनाथ महाराणा	निदेशक (वित्त)		✓	✓			✓	✓		
श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य	एनटीपीसी के नामित निदेशक	✓	✓					✓		
श्री जयकुमार श्रीनिवासन\$	एनटीपीसी के नामित निदेशक		✓	✓			✓	✓		
श्री जितेश जॉन	भारत सरकार के नामित निदेशक		✓		✓					
श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक			✓			✓	✓		
डॉ. विवेक नंद पासवान \$	स्वतंत्र निदेशक								✓	

निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिईएन: 08534217

दिनांक: 14-08-2023

स्थान: नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आर्थिक और सेक्टर का दृष्टिकोण:

वैश्विक बैंक संकट की एक श्रृंखला के बाद कोविड-19 महामारी, भू-राजनीतिक परिदृश्य और नवीनतम तरलता संकट से शुरू होने वाले अतिव्यापी संकटों के मद्देनजर वैश्विक अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष कर रही है। इन संकटों का प्रभाव अब निहित प्रतीत होता है, हालांकि इस तरह की अनिश्चितताएं आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की उदास तस्वीर के बावजूद, कई विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर दर से बढ़ती रहेगी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7% की वृद्धि दर के अनुमान को भंग करने की उम्मीद है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को उम्मीद है कि भारत वित्त वर्ष 2023-24 में 5.9% और अगले पांच वर्षों में औसत दर से 6.1% की वृद्धि होगी।

उच्च आर्थिक विकास के साथ, जनसंख्या के जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी जिससे बिजली की खपत में तेज वृद्धि होगी। जीवन के उच्च मानकों से बिजली की मांग में वृद्धि होगी क्योंकि अधिक विद्युत उपकरणों और अंतरिक्ष हीटिंग/कूलिंग के उपयोग में भी वृद्धि होगी। विद्युतीकरण और बिजली की बढ़ती मांग की मदद से, स्वच्छ ऊर्जा के लिए स्थायी ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को भी पूरा करने की उम्मीद है।

एक अन्य क्षेत्र जहां विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, गतिशीलता क्षेत्र है, क्योंकि परिवहन बहुत तेजी से बिजली चालित वाहनों की ओर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारंपरिक आंतरिक कम्बशन इंजन (आईसीई) कारों के साथ लागत समता पर लगभग पहुंच गए हैं, जिसके कारण परिवहन को ईवी में तेजी से संक्रमण देखने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि में रेलवे में 6656 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण, इतिहास में अब तक का सबसे अधिक देखा गया था।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा में संक्रमण हुआ है। ऊर्जा मिश्रण में बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा मौजूदा तापीय उत्पादन की जगह नया बेसलोड बनने की उम्मीद है। लचीलापन प्रदान करने और ग्रिड स्थिरता का समर्थन करने के लिए तापीय उत्पादन के बैक-अप भूमिका में स्थानांतरित होने की उम्मीद है।

हालांकि, अक्षय ऊर्जा स्रोतों (सौर और हवा) से बिजली दिन, मौसम और मौसमों की अस्थायी भिन्नताओं के आधार पर अत्यधिक रुक-रुक कर होती है। इसके लिए डाउनटाइम के मामले में मांग को पूरा करने और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए तेज रैंप अप क्षमता के साथ एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जल विद्युत और ऊर्जा भंडारण प्रणालियां, विशेष रूप से पंप किए गए भंडारण संयंत्र उपरोक्त आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

उपर्युक्त चर्चा में विभिन्न नीतियों, राजनीतिक प्राथमिकताओं, आर्थिक कारकों और भूमि और संसाधनों की उपलब्धता से संचालित विद्युत मिश्रण के डीकार्बनीकरण के लिए रणनीतियों और उत्सर्जन में कमी के लिए मार्गों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होने की उम्मीद है।

लंबी अवधि में, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन भी अतिरिक्त बिजली की मांग को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

उद्योग संरचना और विकास :

31 मार्च 2023 तक, भारत की कुल स्थापित क्षमता लगभग 416 गीगावाट है, जिसमें थर्मल पावर का अधिकतम हिस्सा 57% है, हाइड्रो पावर सेक्टर का हिस्सा (> 25 मेगावाट) और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 11% और 2% है। आरई स्रोत जैसे सौर, पवन, लघु जलविद्युत (<25 मेगावाट), बायोमास गैसीफायर, बायोमास बिजली, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट शक्ति लगभग 30% हिस्से का गठन करते हैं।

पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ऊर्जा की मांग में प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए, भारत सरकार गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता के लिए जलवायु अनुकूल ऊर्जा संक्रमण को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख सुधार कर रही है जो अंततः ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और स्थिरता प्रदान करेगी। कार्बन उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए, भारत ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित सीओपी-26 सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिबद्ध किया है:

- i. 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचें।
- ii. 2030 तक अक्षय ऊर्जा से इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत।
- iii. कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी अब से 2030 तक।
- iv. 2005 के स्तरों से अधिक 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी।
- v. 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।

उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, भारत वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 125 गीगावाट आरई क्षमता (बड़े जल को छोड़कर) को जोड़ने में सफल रहा है और लगभग 30% ऊर्जा आवश्यकता आरई स्रोतों से पूरी की जा रही है। हालांकि, उपरोक्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, भारत को आरई क्षेत्र में अधिक क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है।

ऊर्जा मिश्रण में आरई स्रोतों की बढ़ती उपस्थिति जो परिवर्तनीय हैं और प्रकृति में रुक-रुक कर पावर ग्रिड की स्थिरता के लिए एक चुनौती है। ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत, अर्थात् पम्प स्टोरेज प्लांट के रूप में भंडारण क्षमता के साथ हाइड्रो पावर की आवश्यकता होगी। उपरोक्त कारणों से, ऊर्जा मिश्रण में आरई स्रोतों के पूरक के लिए हाइड्रो और पीएसपी के विकास पर जोर दिया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं और हाल ही में पंप की गई भंडारण परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

बिजली क्षेत्र में कई अन्य सुधारों और नियामक परिवर्तनों की भी घोषणा की गई है जैसा कि नीचे दिया गया है:

• विधायी उपाय:

विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 को अगस्त, 2022 में लोक सभा में पेश किया गया था और इसे स्थायी समिति को भेजा गया है। प्रस्तावित संशोधन में एक ही क्षेत्र में संचालित करने के लिए एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारी (डिस्कॉम) का प्रावधान है, जो अपने स्वयं के नेटवर्क के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करने के लिए डिस्कॉम के प्रावधान को हटा देता है।

एक नेटवर्क-स्वामित्व वाले डिस्कॉम को अन्य डिस्कॉम को अपने नेटवर्क तक खुली और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

• विनियामक सुधार :

विद्युत (लेट पेमेंट सरचार्ज एंड रिलेटेड मैटर्स) नियम, 2022 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 जून, 2022 को डिस्कॉम द्वारा जेनकोस और सीटीयू को बकाया भुगतान के परिसमापन के लिए अधिसूचित किया गया था ताकि इस क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पीएफसी को नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पीएफसी जीईएनसीओ द्वारा उठाए गए बिलों, बकाया देय राशि और डिस्कॉम द्वारा पीआरएपीटीआई पोर्टल के माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण बनाए रखेगा। पीआरएपीटीआई पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, ग्रिड-इंडिया इन नियमों के अनुसार शॉर्ट/मीडियम/दीर्घकालिक के साथ-साथ बिजली आपूर्ति के विनियमन में बिजली तक पहुंच के विनियमन के लिए चूककर्ताओं पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

• प्रमुख पहले और विनियामक सुधार:

ए) “केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022” नामक नए विनियम 7 जून, 2022 को अधिसूचित किए गए थे। ये विनियम सामान्य नेटवर्क एक्सेस के माध्यम से अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए लाइसेंसधारियों या उत्पादक कंपनियों या उपभोक्ताओं तक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की सुविधा और इस विषय पर नियमों को समेकित करने के लिए एक नियामक ढांचा सुनिश्चित करेंगे।

बी) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 9 मार्च, 2023 को बाजार से आगे एक उच्च मूल्य दिवस (एचपी-डीएएम) और अधिशेष विद्युत पोर्टल (पीयूएसएचपी) शुरू किया है। एचपी-डीएएम में व्यापार 10 मार्च, 2023 को शुरू हुआ। यह पीक डिमांड सीजन के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक पहल का हिस्सा है।

एचपी-डीएएम आयातित आरएलएनजी और नाफ्था, आयातित कोयले का उपयोग करके आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उपयोग करके गैस आधारित बिजली संयंत्रों की श्रेणी में आने वाले उच्च लागत वाले जनरेटरों को बाजार में भाग लेने में सक्षम बनाएगा। ये जनरेटर अब '0' से 50/यूनिट की मूल्य सीमा के साथ पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर बिजली बेचने में सक्षम होंगे। यह अद्वितीय खंड उच्च मांग परिदृश्य में हाजिर बाजारों पर ऐसी क्षमता लाएगा।

एक लाभार्थी द्वारा पीयूएसएचपी पावर की आवश्यकता नहीं होने पर वह एक विशिष्ट अवधि के लिए उस मात्रा को सूचित कर सकता है और दूसरा ग्राहक/डिस्कॉम उस शक्ति को आत्मसमर्पण करने वाली इकाई के मूल/मौजूदा पीपीए शर्तों के रूप में ले सकता है। यह एक ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्र के लिए अप्रयुक्त मात्रा उपलब्ध कराएगा, साथ ही उस सीमा तक वित्तीय बोझ को कम करेगा।


सी) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने 27 मार्च, 2023 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुषंगी सेवाएं) विनियम, 2022 के तृतीयक रिजर्व अनुषंगी सेवाएं (टीआरएस) के अधिसूचित प्रावधान 1 मई, 2023 को लागू होंगे। यह आवृत्ति स्थिरता के रखरखाव को सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा जो भारत जैसे बड़े इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के एकीकृत संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

डी) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 1 दिसंबर, 2022 के एक आदेश के तहत हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस शुल्क की छूट को अधिसूचित किया है, जिसके लिए निर्माण कार्य प्रदान किए जाते हैं और 30.06.2025 तक पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। जिन जलविद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्य प्रदान किए जाते हैं और 01.07.2025 और 30.06.2028 के बीच की अवधि में हस्ताक्षरित पीपीए के लिए 25% से 75% तक आईएसटीएस शुल्क की आंशिक छूट प्रदान की गई है। यह पहल जल विद्युत क्षेत्र के विकास के हित में की गई है।

भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का अवलोकन [स्रोत: सीईए कार्यकारी सारांश, मार्च 2023]:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1580 मेगावाट की वृद्धि के साथ, अखिल भारतीय स्थापित क्षमता मार्च 2023 के अंत में 416.06 गीगावाट है। विभिन्न ईंधन स्रोतों से स्थापित क्षमता (मेगावाट में) का क्षेत्रवार वितरण नीचे तालिका में दिया गया है:

	ताप					न्यूक्लियर	जल	आरईएस	कुल
क्षेत्र	कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल	-			
राज्य	67537	1150	7012	280	75980	-	27254	2492	105726
निजी	72598	1830	10574	309	85311	-	3931	121035	210278
केंद्रीय	65100	3640	7238		75978	6780	15665	1632	100055
अखिल भारतीय	205235	6620	24824	589	237269	6780	46850	125160	416059



स्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश का सकल बिजली उत्पादन (भूटान और नवीकरणीय ऊर्जा से आयात सहित) 1639.46 बीयू था, जिसमें पारंपरिक स्रोतों से 1420.79 बीयू और नवीकरणीय स्रोतों से 218.67 बीयू उत्पादन शामिल था। वर्ष के दौरान पारंपरिक स्रोतों से उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.56% अधिक था, जबकि नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 28% की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान सकल उत्पादन में भी 9% की मामूली वृद्धि हुई। 2022-23 के दौरान मांग को पूरा करने में योगदान देने वाले पारंपरिक ईंधन स्रोतों और क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

ईंधन	केंद्र	राज्य	निजी	भूटान आयात	सकल योग
थर्मल	456.12	379.31	370.73		1206.15
हाइड्रो	62.96	83.16	15.92		162.05
न्यूक्लियर	45.83				45.83
भूटान आयात				6.76	6.76
सकल योग	564.91	462.47	386.65	6.76	1420.79

स्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

ऊर्जा और व्यस्ततम आवश्यकता के संदर्भ में सीईए द्वारा प्रकाशित और अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के लिए पूरी की गई देश में क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

क्षेत्र	उर्जा				पीक			
	आवश्यकता	आपूर्ति	आपूर्ति नहीं		आवश्यकता	आपूर्ति	मांग पूरी नहीं हुई	
	(बीयू)	(बीयू)	(बीयू)	(%)	(जीयू)	(जीयू)	(जीयू)	(%)
उत्तरी	463.09	458.64	4.45	1.0	77.34	76.56	0.78	1.0
पश्चिमी	475.74	475.16	0.59	0.1	71.68	71.68	0.00	0.0
दक्षिण	371.47	370.90	0.57	0.2	64.34	64.34	0.00	0.0
पूर्व	182.79	180.89	1.90	1.0	28.28	27.22	1.06	3.7
उत्तर पूर्वी	18.76	18.68	0.08	0.4	3.60	3.60	0.00	0.0
अखिल भारतीय	1511.85	1504.26	7.58	0.5	215.88	207.23	8.66	4.0

यह देखा गया है कि देश में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान 1511.85 बीयू की ऊर्जा आवश्यकता देखी गई, जिसमें से 1504.26 बीयू की आपूर्ति 7.58 बीयू (0.5%) के अंतर को छोड़कर की गई थी। क्षेत्रवार ऊर्जा की कमी 1% से कम रही। देश में 215.88 गीगावाट की चरम मांग भी देखी गई, जिसमें से 207.23 को पूरा किया जा सकता था, जिससे 8.66 गीगावाट (4.0%) की चरम मांग हो सकती थी। क्षेत्रवार चरम कमी 0% (पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्र) से 3.7% (पूर्वी क्षेत्र) तक भिन्न है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 18.76 बीयू की ऊर्जा की मांग देखी गई, जिसमें से 18.68 बीयू को पूरा किया जा सकता है, जिससे 0.08 बीयू (0.4%) की ऊर्जा की कमी हो सकती है। इस क्षेत्र में 3.60 गीगावाट की चरम मांग देखी गई जो बिना किसी कमी के पूरी तरह से पूरी हो गई।

2009-10 से 2022-23 के दौरान भारत में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	उर्जा (बीयू)			पीक (गी.वा)		
	आवश्यकता	उपलब्धता	घाटा (%)	आवश्यकता	उपलब्धता	घाटा (%)
2009-10	830.59	746.64	10.1%	119.17	104.01	12.7%
2010-11	861.59	788.36	8.5%	122.29	110.26	9.8%
2011-12	937.20	857.89	8.5%	130.01	116.19	10.6%
2012-13	995.56	908.65	8.7%	135.45	123.29	9.0%
2013-14	1002.26	959.83	4.2%	135.92	129.82	4.5%
2014-15	1068.92	1030.79	3.6%	148.17	141.16	4.7%
2015-16	1114.41	1090.85	2.1%	153.37	148.46	3.2%
2016-17	1142.93	1135.33	0.7%	159.54	156.93	1.6%
2017-18	1213.33	1204.70	0.7%	164.07	160.75	2.0%
2018-19	1274.60	1267.53	0.6%	177.02	175.53	0.8%
2019-20	1291.01	1284.44	0.5%	183.80	182.53	0.7%
2020-21	1275.53	1270.66	0.4%	190.20	189.40	0.4%
2021-22	1379.81	1374.03	0.5%	203.01	200.54	1.2%
2022-23*	1511.85	1504.26	0.5%	215.89	207.23	4.0%

*मार्च 2023 तक (संशोधित) *

स्रोत: विद्युत मंत्रालय

यह देखा गया है कि ऊर्जा घाटा और पीक घाटा 2009-10 के दौरान 10.1% और 12.7% से काफी कम होकर 2022-23 के दौरान 0.5% और 4.0% हो गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, नीपको ने 8492 एमयू का अब तक का सबसे अधिक बिजली उत्पादन हासिल किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है।

सुरक्षा और व्यवस्थाएं:

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नीपको, एक अनुसूची ए सीपीएसई है जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संचालित होती है। हालांकि नीपको ने अपनी बिजली उत्पादन की टोकरी में सौर, हाइड्रो और गैस आधारित थर्मल के स्रोत हैं, हाइड्रो क्षेत्र से उत्पादन इसकी उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा है।

वर्तमान में, हाइड्रो पावर प्लांट, जो मूल रूप से पीकिंग प्लांट हैं, का उपयोग पीक एंड ऑफ-पीक डिमांड की भिन्नता को पूरा करने के लिए लचीले संचालन के लिए किया जाता है। ग्रिड में आरई के बड़े पैमाने पर एकीकरण के साथ, हाइड्रो उत्पादन का लचीला होना केवल बढ़ने की उम्मीद है। आरई की रूकावट का अर्थ है कि ग्रिड स्थिर बनाए रखने के लिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों से लचीलेपन तक बेहतर पहुंच का एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए जलविद्युत क्षमता 58,356 मेगावाट होने का अनुमान है, जो भारत की कुल जलविद्युत क्षमता का 40 प्रतिशत है। 1525 मेगावाट की क्षमता के साथ, नीपको ने अब तक अनुमानित क्षमता का लगभग 2.6% उपयोग किया है। बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद, नीपको की प्रतिष्ठा ने विद्युत मंत्रालय को नीपको द्वारा विकसित की जाने वाली 4988 मेगावाट की रूकी हुई हाइड्रो क्षमता सौंपने में सक्षम बनाया है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 05 अप्रैल 2018 को बंडल जनरेशन नामक एक तंत्र की शुरुआत की थी, जो जनरेशन और शेड्यूलिंग में थर्मल स्टेशन को लचीलेपन की अनुमति देता था ताकि ताप विद्युत के साथ आरई जनरेशन को बंडल किया जा सके। इस तंत्र के पीछे मूल उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और डिस्कॉम को उनके नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूरा करने के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। 12 अप्रैल, 2022 को जारी किए गए आदेश के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा या आरई संयोजन के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ प्रतिस्थापन के लिए हाइड्रो स्टेशनों को बंडल उत्पादन के लिए एक ही तंत्र का विस्तार किया गया है।

नीपको अपने हाइड्रो संयंत्रों के आधार पर फ्लोटिंग सोलर में उद्यम करके दोहन के लिए लिए जलाशय के बड़े क्षेत्रों के साथ बांध भी रखता है जो इसे हाइब्रिड सौर-हाइड्रो संयंत्र के लिए सक्षम बनाता है। भंडारण जलाशयों पर व्यवहार्य क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह बंडल जनरेशन की सुविधा प्रदान करेगा जो न केवल न्यूनतम वित्तीय भागीदारी पर क्षमता वृद्धि को बढ़ाने जा रहा है, बल्कि आरई जनरेशन की रुक-रुक कर प्रकृति के सामने संतुलन शक्ति प्रदान करने में एक शीट एंकर भूमिका भी निभाएगा।

दुनिया भर में मिश्रित हाइड्रोजन के साथ ऑपरेटिंग गैस टरबाइन का प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोगात्मक परिणाम गैस टरबाइन विद्युत उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। हालांकि, मिश्रित हाइड्रोजन के साथ गैस टरबाइन के संचालन के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता और सुरक्षा कोड स्थापित किए जाने बाकी हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सस्ती नवीकरणीय बिजली से हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ हाइड्रोजन की कीमत 2030 तक काफी कम हो जाएगी। प्रौद्योगिकी विकसित करने, नियमों को सक्षम करने और कम कीमत वाले हाइड्रोजन के साथ, इस दशक के अंत में गैस टरबाइन बिजली की सस्ती कीमत पर कार्बन पदचिह्न को कम करने में काफी योगदान दे सकती है।

कठिन इलाके में काम करने में अनुभव की जाने वाली अत्यधिक कुशल जनशक्ति न केवल संगठन के लिए बल्कि देश के लिए भी संपत्ति है। नीपको देश के भीतर और बाहर हाइड्रो पावर में अपनी विशेषज्ञता के साथ व्यापार विकास में संलग्न हो सकता है।

फ्लोटिंग सोलर फोटो वोल्टिक (एफएसपीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और संचालन में अतिरिक्त मानव संसाधन, यदि कोई हो, को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

अवसर :

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और सभी को विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करने के लिए, भारत पहले के जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता के आधार पर ऊर्जा परिवर्तनकाल मोड़ में है। भारत में ऊर्जा परिवर्तन मुख्य रूप से सौर, पवन और जल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से बिजली उत्पादन पर जोर देने के माध्यम से हो रहा है।

यह देखते हुए कि ऊर्जा क्षेत्र देश के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 75% का योगदान देता है, सीओपी-26 प्रतिबद्ध लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाकर जीवाश्म आधारित ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता होगी। इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए, एफएसपीवी और पंप स्टोरेज सहित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ जलविद्युत ग्रिड संतुलन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जल विद्युत:

स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के वर्तमान परिदृश्य में, जलविद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में कम कार्बन बिजली का उत्पादन कर सकता है और लचीलापन और भंडारण भी प्रदान कर सकता है। जलविद्युत संयंत्रों में परमाणु, कोयला और गैस आधारित बिजली संयंत्रों के विपरीत अपनी उत्पादन को ऊपर या नीचे रैप करने की क्षमता भी है। उपरोक्त कारणों से, स्थायी जलविद्युत बड़ी मात्रा में पवन और सौर ऊर्जा के साथ एकीकरण के लिए एक आकर्षक आधार साबित होगी, जो कि मौसम, मौसम और दिन के समय जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर उनकी उत्पादन के साथ रुक-रुक कर होती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, देश की कुल बिजली उत्पादन में जलविद्युत की हिस्सेदारी लगभग 10% थी, जबकि वर्ष के दौरान केवल 120 मेगावाट जलविद्युत क्षमता को जोड़ा गया था।

जलवायु परिवर्तन से निपटने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जलविद्युत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह ऊर्जा प्रणाली को लचीलापन प्रदान करता है और मांग में बदलाव के लिए जल्दी से समायोजित करता है और अन्य स्रोतों से आपूर्ति में उतार-चढ़ाव की भरपाई करता है। हालांकि, जलविद्युत परियोजनाओं के विकास से जुड़ी कई चुनौतियां हैं जैसे लंबी पूरी होने की अवधि, विभिन्न मंजूरी की लंबी प्रक्रियाएं, उच्च पूंजी लागत, स्थानीय समुदायों से विरोध आदि। अतः भारत सरकार ने जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास में सतत तरीके से तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं:

- दिनांक 22.12.2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जल विद्युत सीपीएसयू को हेप का बेसिनवार संकेत जिसमें विभिन्न सीपीएसयू के लिए अरुणाचल प्रदेश में कुल 32,415 मेगावाट की 29 हेप को बेसिनवार पहचाना गया था (अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर को भी विभिन्न सीपीएसयू के लिए पहचाना गया था)।
- सीपीएसयू को रूकी हुई निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के सुचारू हस्तांतरण के लिए, विद्युत मंत्रालय ने जनवरी 2022 में एक बहु-विषयक समिति का गठन किया और जल परियोजनाओं का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए समिति का टीओआर जारी किया।
- आरई, एचपीओ, टैरिफ युक्तिकरण, बाढ़ संयम के लिए बजटीय सहायता और बुनियादी ढांचे यानी सड़कों/पुलों को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता के रूप में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (> 25 मेगावाट) की घोषणा।
- नवंबर 2021 में अनुमोदित सस्ते आरई स्रोतों के साथ जलविद्युत की बंडलिंग।
- दिसंबर 2022 में अनुमोदित हाइड्रो पावर के लिए प्रारंभिक वर्षों में आईएसटीएस शुल्क की छूट।
- भारत सरकार की जल विद्युत नीति/मेगा विद्युत नीति एनईआर में जल विद्युत परियोजनाओं को कुछ विशिष्ट छूट प्रदान करती है।
- अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख नदी घाटियों का बेसिनवार अध्ययन पहले एमओईएफ एंड सीसी द्वारा किया गया था और परियोजनाओं के अध्ययन/विकास के दौरान विचार के लिए कुछ सिफारिशों की गई हैं।
- वर्तमान में एनईआर में बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का जोर क्षेत्र में कई हाइड्रो परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी और दृष्टिकोण में सुधार करेगा।
- सीईए ने एनईआर सहित देश में हाइड्रो परियोजनाओं की तैयारी और सहमति के लिए संशोधित दिशानिर्देश लाए हैं।
- संचरण लागत, दूरसंचार, रेलवे साइडिंग आदि को शामिल करना, बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के भीतर, सीएसआर और जल परियोजनाओं से सामाजिक आउटरीच को बढ़ाना, समय और लागत में वृद्धि को कम करना, पर्यटन जल विद्युत नीति के संशोधन के अलावा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन कुछ अन्य उपाय हैं। कार्यान्वयन पर, ये उपाय एनईआर और देश के अन्य हिस्सों में भी हाइड्रो परियोजनाओं के लिए लागू / लाभकारी होंगे।
- सीपीएसयू की जल विद्युत परियोजनाओं में संविदात्मक विवादों को हल करने/टालने के लिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए थे:
 - 'स्वतंत्र अभियंता' (आईई) के माध्यम से 'विवाद निवारण तंत्र' के लिए मॉडल संपर्क प्रावधान
 - स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के माध्यम से विवाद समाधान के लिए जारी दिशानिर्देश-अन्य बिजली परियोजनाओं पर भी लागू

पंप भंडारण परियोजनाएं:

सौर और पवन ऊर्जा से बढ़ती क्षमता वृद्धि जो स्वाभाविक रूप से परिवर्तनीय और प्रकृति में रुक-रुक कर होती है, बिजली उपलब्धता में अस्थायी विचारों को संबोधित करने के लिए स्थिरता और आवश्यकता के लिए एक ग्रिड-स्तरीय चुनौती प्रस्तुत करेगी। इसे भंडारण और सहायक सेवाओं की मदद से निपटाया जा सकता है। भंडारण और सहायक सेवाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों में, पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) स्वच्छ, बड़े (एमडब्ल्यू) पैमाने, घरेलू स्तर पर उपलब्ध, समय परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं।

लचीली ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्तियां जो बेस लोड और पीकिंग पावर दोनों को कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से आपूर्ति कर सकती हैं, भविष्य की आवश्यकता है और भारत की गतिशील रूप से विकसित ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। वीआरई से ऊर्जा आपूर्ति को विनियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दिन, मौसमों और मौसम की अनिश्चितताओं के समय पर निर्भर हैं। इसलिए, ऊर्जा भंडारण परिसंपत्तियों की लगातार बढ़ती मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए पीएसपी वर्तमान परिदृश्य में सबसे उपयुक्त हैं। पीएसपी को 'वॉटर बैटरी' के रूप में भी जाना जाता है, जो आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों का एक आदर्श पूरक है।

देश में चल रहे ऊर्जा परिवर्तनों को देखते हुए, ग्रिड को संतुलन पावर प्रदान करने के लिए पीएसपी का विकास सर्वोपरि है क्योंकि बैटरी स्टोरेज समाधान अभी भी बढ़ाया जा रहा है और ग्रिड प्रबंधन में अल्पावधि भंडारण आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है, पीएसपी अधिक मात्रा में पवन और सौर ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए एक प्राकृतिक प्रवर्तक हैं।

भारत में, अब तक, 8 परियोजनाएं (4745.60 मेगावाट) वर्तमान में चल रही हैं, 4 परियोजनाएं (2780 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं, और 27 परियोजनाएं (29930 मेगावाट) उन राज्यों द्वारा आवंटित की गई हैं जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं। विद्युत मंत्रालय ने नीपको द्वारा अध्ययन के लिए एनईआर में कई पंप भंडारण परियोजनाओं का भी संकेत दिया है।

नवंबर 2021 में पीएसपी के लिए प्रारंभिक वर्षों में आईएसटीएस शुल्क की छूट को भी मंजूरी दी गई है।

"विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10.04.2023 को ""पंप भंडारण परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश"" जारी किए हैं। "दशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क्षमता के त्वरित विकास के लिए नामांकन के आधार पर सीपीएसयू/राज्य पीएसयू को परियोजना स्थलों के आवंटन का प्रावधान
- निजी डेवलपर्स को साइट प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली पारदर्शी चयन प्रक्रिया/मानदंड
- गृह राज्य को मुफ्त बिजली से छूट
- एलएडीएफ दायित्व से छूट
- पीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं के मुद्रिकरण के लिए बाजार सुधार
- ऑफ-रिवर पीएसपी साइटों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का युक्तिकरण
- पीएसपी के विकास के लिए समाप्त खदानों का उपयोग।

नवीकरणीय ऊर्जा: वर्ष 2030 तक आरई स्रोतों से 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सरकार भारत सरकार ने उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 'उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम', अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों का विकास, राष्ट्रीय अपतटीय पवन नीति और नवीकरणीय खरीद दायित्वों की अधिसूचना आदि जैसी पहल की है।

खतरे / चिंता / चुनौतियां:

- निजी डेवलपर्स से रुकी हुई हाइड्रो परियोजनाओं का स्थानांतरण:

निजी डेवलपर्स रुकी हुई हेप की समाप्ति और संबंधित राज्य सरकार द्वारा सीपीएसयू को उनके पुनः आवंटन पर कानूनी सहारा ले रहे हैं। ऐसी जटिलताओं से बचने के लिए, सरकार जनवरी 2022 में भारत ने सीपीएसयू द्वारा ली जाने वाली परियोजनाओं का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-विषयक मूल्यांकन समिति का गठन किया।

- अरुणाचल प्रदेश में नई परियोजनाओं से संबंधित:

नीपको ने पहले चरण में विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश में सियोम सब-बेसिन के टाटो क्षेत्र में 5 (पांच) परियोजनाओं की पहचान की है।

बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी लगभग मौजूद नहीं है और उस क्षेत्र में टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा बेहद खराब है।

निर्माण पावर के लिए 132 केवी लाइन के निर्माण और क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सुविधा से पहचाने गए हेप के विकास में मदद मिलेगी।

- वन मंजूरी और पहचान की गई परियोजनाओं का भूमि अधिग्रहण।
 - पुनर्वास और पुनःस्थापन
 - क्षेत्र में भूवैज्ञानिक आश्चर्य
 - हाइड्रो परियोजनाओं के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर
 - एनईआर में भविष्य की परियोजनाओं से बिजली की निकासी
 - **मेघालय में 85 मेगावाट वाह उमियम स्टेशन- III हेप:** वन मंजूरी, प्रतिपूरक वनीकरण, भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित सभी औपचारिकताएं लंबे समय से लंबित हैं और मेघालय सरकार के संबंधित विभागों में प्रक्रियाधीन हैं।
 - कोपिली एचपीएस हेप में जलाशय का पानी वर्ष 2006 में कभी अम्लीय पाया गया है और अम्लीय वातावरण प्रचलित पाया गया है। जीएसआई द्वारा किए गए अध्ययनों में, एसिडिटी का कारण अवैज्ञानिक तरीके से जलग्रहण में किए गए कोयला खनन से जुड़ा हुआ है।
- इस समस्या का समाधान करने के लिए, पावर स्टेशन के चल रहे आर एंड एम और एलई में सभी संरचनात्मक और मशीन घटकों में एसिड प्रतिरोधी पानी धातु प्रदान करने के उपाय किए गए हैं।
- जलविद्युत केंद्रों के साथ-साथ डाउनस्ट्रीम बस्तियों की सुरक्षा के लिए बाढ़ की चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत मंत्रालय ने हिमालयी क्षेत्रों में स्थित सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्रवाई करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश भी जारी किए हैं। नीपको सभी हाइड्रो पावर स्टेशनों में वास्तविक समय के आधार पर उपग्रह/मोबाइल टॉवर संचार नेटवर्क के माध्यम से डेटा संचरण की क्षमता के साथ स्वचालित मौसम स्टेशनों और स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर का एक नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
 - जल विद्युत परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर्यावरणीय प्रवाह (ई-प्रवाह), वन भूमि के डायवर्जन के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) के भुगतान आदि के संबंध में प्रचलित मानदंडों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित है।
 - डीआईएससीओएमएस का खराब वित्तीय स्वास्थ्य बकाया राशि की समय पर वसूली में बाधा डालता है।
 - लंबे समय तक मध्यस्थता कार्यवाही के लिए संविदात्मक विवाद।
 - भूमिगत भूवैज्ञानिक आश्चर्यों के साथ परियोजना स्थलों पर बुनियादी ढांचे और संचार सुविधाओं की कमी से हाइड्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समय और लागत में वृद्धि होती है।
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार फ्लैश बाढ़ के साथ भारी और विस्तारित मानसून कार्य अवधि को कम करते हैं।
 - यंग हिमालयी भूविज्ञान में भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं अतिरिक्त जोखिम हैं।
 - गैस आधारित ताप संयंत्रों के लिए गैस की अनुबंधित मात्रा की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) कम हो जाता है।
 - सामाजिक, राजनीतिक और कानून और व्यवस्था के मुद्दे।
 - विभिन्न स्थानीय समूहों के विरोध में हाइड्रो परियोजनाओं की संवेदनशीलता।
 - हाइड्रो परियोजनाओं और वित्तपोषण के मुद्दों के उच्च प्रारंभिक शुल्क।
 - लाभार्थियों द्वारा बिजली की बिक्री (बकाया देय) के खिलाफ देय राशि का भुगतान न करना।
 - डिस्कॉम्स द्वारा पीपीए को डिशनोरिंग/हस्ताक्षर न करना।
 - एनईआर में अनुभवी ठेकेदारों की कमी।
 - अस्थिर टेली-कनेक्टिविटी फास्ट ट्रैक प्रौद्योगिकी को अपनाना एक चुनौती है।

भविष्य के लिए आउटलुक:

पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 58,356 मेगावाट की विशाल जल विद्युत क्षमता प्रदान की गई है जो 1,45,320 मेगावाट की राष्ट्रीय क्षमता का लगभग 40% है। पूर्वोत्तर क्षमता के प्रमुख हिस्से की परिकल्पना अरुणाचल प्रदेश राज्य में 50064 मेगावाट के साथ की गई है। क्षेत्र की विशाल जल क्षमता में से अब तक केवल 7% का ही दोहन किया गया है, 93% के एक बड़े हिस्से का दोहन किया जाना बाकी है।

एक प्रमुख बिजली क्षेत्र सीपीएसई होने के नाते, नीपको की स्थापित क्षमता मार्च 2022 तक एनईआर की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 42% है, नीपको क्षेत्र की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए अनुकूल रूप से रखा गया है।

जल परियोजनाओं का विकास:

नीपको का मुख्य व्यवसाय पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ बिजली का उत्पादन है। वर्तमान वैश्विक चिंता स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन होना है और भारत सरकार 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, नीपको अपने कमीशन किए गए स्टेशनों के संचालन और रखरखाव के अलावा, हाइड्रो और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के साथ-साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर केंद्रित है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22.12.2021 के पत्र के माध्यम से नीपको द्वारा संभावित विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में 17 (सलह) रुकी हुई जल परियोजनाओं का संकेत दिया था। वाणिज्यिक आकर्षण, मंजूरी की स्थिति आदि के आधार पर इंगित परियोजनाओं में से निगम ने प्रथम चरण के विकास के लिए छह प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की पहचान की है और 2746 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाली इन छह जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। इन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में 120 मेगावाट नाफ्रा हेप, 700 मेगावाट टाटो - II हेप, 186 मेगावाट टाटो-I हेप, 240 मेगावाट एचईओ हेप, 1000 मेगावाट नाईंग हेप और 500 मेगावाट हिरोंग हेप शामिल हैं।

तदनुसार, नीपको ने उपयुक्त परियोजनाओं का यथोचित परिश्रम अध्ययन किया और निजी डेवलपर से सीपीएसयू को संकेतित परियोजनाओं के सुचारु हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा गठित मूल्यांकन समिति को तीन परियोजनाओं के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। मूल्यांकन समिति ने 30.11.2022 को नीपको द्वारा विचार के लिए तीन परियोजनाओं अर्थात टाटो-II हेप (700 मेगावाट), एचईओ हेप (240 मेगावाट) और टाटो - I एचईपी (186 मेगावाट) की सिफारिश की है और विद्युत मंत्रालय ने 23.03.2023 के पत्र के माध्यम से नीपको द्वारा इन परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, 17.01.2023 को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा परियोजनाओं को सौंपने/लेने के लिए एसओपी जारी किया गया था। टाटो - II हेप (700 मेगावाट), एचईओ हेप (240 मेगावाट) और टाटो - I हेप (186 मेगावाट) के लिए चौगुनी समझौते और एमओए पर हस्ताक्षर। नाईंग (1000 मेगावाट) और हिरोंग हेप (500 मेगावाट) के लिए एमओए पर हस्ताक्षर जल्द ही किए जाने की उम्मीद है।

पंप भंडारण योजनाएं:

नीपको ने निगम की मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं में दो पीएसपी की पहचान की है। अरुणाचल प्रदेश में मौजूदा 405 मेगावाट पंयोर लोअर एचपीएस में 660 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले एक पीएसपी की पहचान की गई है। पीएफआर मौजूदा जलाशय को कम जलाशय के रूप में मानते हुए पूरा हो गया है। परियोजना के लिए डीपीआर तैयारी कार्य करने के लिए एनओसी 21.09.2022 को अरुणाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं दिनांक 21.04.2023 को प्रदान की गई हैं।

असम में मौजूदा 275 मेगावाट के कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन में 320 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले एक अन्य पीएसपी की पहचान की गई है। मौजूदा खांडोंग जलाशय को ऊपरी जलाशय के रूप में मानते हुए पीएफआर और मौजूदा उमरोंग जलाशय को निचले जलाशय के रूप में पूरा कर लिया गया है। बढ़ी हुई संस्थापित क्षमता के साथ संशोधित पीएफआर तैयार किया जा रहा है। संशोधित पीएफआर के पूरा होने के बाद डीपीआर गतिविधि शुरू की जाएगी।

इसके अलावा, माननीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में 11.03.2022 को आयोजित बैठक में, 13,900 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाले 8 (आठ) संभावित पीएसपी साइटों का अध्ययन राज्य सरकार द्वारा व्यवहार्य पीएसपी योजनाओं के आगे आवंटन के लिए असम, मिजोरम और मणिपुर में नीपको द्वारा करने का निर्देश दिया गया था।

नवीकरणीय क्षेत्र :

कोपिली एचपीएस, असम में एफएसपी: नीपको ने नीपको के मौजूदा जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट (एफएसपी) की स्थापना की संभावना स्थापित

करने के लिए एक अध्ययन किया है। नतीजतन, कोपिली एचपीएस के जलाशय उमरोंग जलाशय में 40.59 मेगावाट (डीसी) क्षमता का एफएसपी स्थापित करने के लिए एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी कर ली गई है। एफएसपी का अपेक्षित टैरिफ उच्च पक्ष (पीएफआर के अनुसार) पर है और भू-माउंटेड सौर के साथ टैरिफ को तुलनीय बनाने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) की आवश्यकता होगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

मेघालय के उमियम झील में एफएसपी: निगम द्वारा मेघालय के उमियम झील में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की भी पहचान की गई है और डीपीई तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्राप्त किया गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) ने एफएसपी के लिए पीएफआर तैयार करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस बीच, एनटीपीसी के कंसल्टेंसी विंग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने के लिए नीपको को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए रुचि व्यक्त की है।

उत्तर प्रदेश में सौर पार्क: निगम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 600 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। परियोजना के लिए 3000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह और कारगिल में 7500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं: एमएनआरई की ओर से, नीपको ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह में 5000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क (यूएमएसपीपी) की स्थापना के लिए 2014 में डीपीआर तैयार किया था और कारगिल क्षेत्र में एक और 2500 मेगावाट यूएमएसपीपी का प्रस्ताव दिया था। इन परियोजनाओं के लिए बिजली की निकासी केवल प्रमुख तकनीकी बाधा है।

दिसंबर 2018 में, एसईसीआई ने लेह और कारगिल जिलों में 7500 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं (बिजली पारेषण और निकासी बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन सहित) की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा डेवलपर्स के चयन के लिए निविदा जारी की। बोली में भाग लेने की संभावना को आगे बढ़ाने के लिए 7 पीएसई [गेल, बीएचईएल, एनएलसी, नीपको, एनएचपीसी, एसजेवीएन, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)] के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। निविदा को बाद में जनवरी 2021 में समाप्त कर दिया गया था।

हाल के बजट में, भारत सरकार ने लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए 8,300 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन सहित 20,700 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

नीपको डीपीआर तैयार करने के अपने लाभ का प्रयोग करेगा और लेह और कारगिल क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

ग्रीन हाइड्रोजन पर आर एंड डी पहल :

ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर असेंबली के लिए कम लागत वाली टिकाऊ और कुशल इलेक्ट्रो-उत्प्रेरक और प्रोटॉन एक्सचेंज झिल्ली का विकास।

यह परियोजना 3 वर्षों की पूर्णता अवधि के साथ आईआईटी, गुवाहाटी के सहयोग से नवंबर 2022 में शुरू की गई थी।

बेहतर भविष्य प्रदर्शन देने के लिए ताकत पर उत्तोलन:

परियोजना प्रबंधन:

नीपको एसएपी - ईआरपी को लागू करने की प्रक्रिया में है जो प्रभावी परियोजना प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा। ईआरपी का पीएस मॉड्यूल कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं की योजना, निर्धारण, निगरानी और नियंत्रण के लिए एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। अपने आंतरिक परियोजना प्रबंधन तंत्र के अलावा, नीपको सीईए, विद्युत मंत्रालय, आदि की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम सीमा तक अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए आईटी आधारित निगरानी प्रणाली का विस्तार करने का भी पता लगाएगा।

परिचालन क्षमता:

वर्ष 1984 में अपने प्रथम पावर स्टेशन, यानी, 50 मेगावाट खांडोंग पावर स्टेशन के चालू होने के बाद, नीपको ने हाइड्रो और थर्मल दोनों क्षेत्रों में पावर स्टेशन के संचालन और रखरखाव का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। अपने शुरुआती दिनों से, नीपको ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाइड्रो, थर्मल और सौर क्षेत्रों में बिजली स्टेशनों को लगातार विकसित किया है, जिससे स्थापित क्षमता 2057 मेगावाट तक बढ़ गई है। नीपको ने हमेशा अपने पावर स्टेशनों के

परिचालन प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया है जिसके लिए नियमित रूप से नियोजित रखरखाव गतिविधियां की जाती हैं। इसके अलावा, संयंत्र के जीवन को बढ़ाने के लिए मानदंडों के अनुसार जीवन विस्तार गतिविधियों के साथ पुराने पावर स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाता है। वर्तमान में, 200 मेगावाट कोपिली पावर स्टेशन के आर एंड एम कार्य प्रगति पर हैं, जबकि असम और अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशनों के लिए एलई के साथ आर एंड एम को निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नीपको के पावर स्टेशनों से 8492 एमयू का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया।

जल विशेषज्ञता पूल आसानी से उपलब्ध है :

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में 8 (आठ) हाइड्रो पावर स्टेशन पहले से ही चालू होने के बाद, हाइड्रो विशेषज्ञता का एक बड़ा पूल विभिन्न नए प्रोजेक्ट साइटों पर तैनाती के लिए आसानी से उपलब्ध है जो नीपको को अधिक लाभों के साथ रखता है।

एनईआर में अनुभव और जनशक्ति :

पूर्वोत्तर क्षेत्र से अपनी अधिकांश जनशक्ति और एनईआर में लंबे समय तक अनुभव के साथ, नीपको के पास तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों सहित विभिन्न स्थानीय पहलुओं के साथ बेहतर परिचित होने के साथ-साथ स्थानीय आबादी के बीच एक अच्छा तालमेल और विश्वास है जो क्षेत्र में जल परियोजनाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक है।

आंतरिक नियंत्रण :

नीपको के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें इसके संचालन के सभी क्षेत्र शामिल हैं, जिसके तहत लेनदेन और निर्णयों को बिजली, प्रलेखित नीतियों, दिशानिर्देशों, मैनुअल और परिपत्रों के साथ-साथ ऐसे संचालन के लिए प्रासंगिक विभिन्न कानूनों और विनियमों के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार संसाधित किया जाता है। कंपनी ने प्रमुख नियंत्रण गतिविधियों की पहचान करते हुए एक सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण ढांचा विकसित किया है। नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी बोर्ड स्तरीय लेखा परीक्षा समिति और एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। सभी परियोजनाओं और कार्यालयों को कवर करने वाली नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/कॉस्ट एकाउंटेंट्स की अनुभवी फर्मों द्वारा की जाती है, जो कंपनी के अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के समन्वय से उक्त उद्देश्यों के लिए लगे हुए हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करते हैं और उसी पर रिपोर्ट करते हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

निगम दृढ़ता से अपने मामलों के संचालन में अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व में विश्वास करता है। यह अपने संचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणालियों के साथ दक्षता बढ़ाने पर जोर देता है। लेखा परीक्षा समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले सभी वित्तीय विवरणों की नियमित रूप से समीक्षा करती है। आम जनता की जानकारी के लिए विभिन्न अन्य संचारों के साथ वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर होस्ट की जाती है।

मजबूत वित्तीय और प्रणाली :

नीपको के पास मजबूत वित्तीय प्रणालियां हैं। यह अपने वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन में विश्वास करता है और पूंजी की लागत को कम करने का प्रयास करता है और सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, सीएआरई और भारत रेटिंग द्वारा सौंपे गए उच्च क्रेडिट-रेटिंग का आनंद लेता है। इसमें मजबूत वित्तीय और एक मजबूत बैलेंस-शीट के साथ-साथ कम गियरिंग और स्वस्थ कवरेज अनुपात है। नतीजतन, कंपनी घरेलू बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अपनी परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम रही है।

पर्यावरणीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और आर एंड डी विकास:

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी लोगों और उनके आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बीच संबंध बहुआयामी है। लोग अपनी आजीविका और निवास के लिए सामान्य रूप से भगवान द्वारा उपहार में दिए गए प्राकृतिक संसाधनों और विशेष रूप से जंगलों पर निर्भर हैं। उनके अस्तित्व को अनियोजित विकास से खतरा हो सकता है जिससे जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशाल संसाधन और बिजली की क्षमता है, जिसे अद्वितीय और अमूल्य प्राकृतिक वातावरण पर विशेष ध्यान देते हुए और नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करते हुए योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है।

नीपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर संभावित प्रभाव का संज्ञान लेता है और अपनी परियोजनाओं के निष्पादन और संचालन और रखरखाव के दौरान पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को नकारने के लिए उपयुक्त उपाय करता है। पर्यावरण और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के संबंध में भूमि के कानूनों को लागू करने और उनका पालन करने के लिए हर सावधानी बरती जाती है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, नीपको पूर्वोत्तर की विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान और शमन के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार (जीओआई) की सभी नीतियों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करता है। सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं की रिपोर्टों में सभी पर्यावरणीय पहलुओं को देखा और उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है, जिनका मूल्यांकन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा एक परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देते समय किया जाता है।

संयंत्र/परियोजना	पर्यावरणीय कार्य/पहल
पारे एचपीएस अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 80% के उत्तरजीविता अनुपात के साथ पावर स्टेशन क्षेत्र में और उसके आसपास 120 पौधे लगाए गए। ➤ हरित क्षेत्र विकास अभी भी प्रगति पर है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य वन विभाग द्वारा किया गया है। ➤ बीआई वार्षिक आधार पर आयोजित सभी मीडिया अर्थात वायु, जल, शोर की पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी। ➤ आईएसओ मानकों के अनुसार बायोमेट्रिकल अपशिष्ट निपटान साइट विकसित की गई। ➤ पीएचपीएस कॉलोनी से घरेलू कचरे के संग्रह और सरकार द्वारा नामित कचरा निपटान क्षेत्र में इसके निपटान के लिए जिला शहरी विकास प्राधिकरण, यूपिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।
कामेंग एचपीएस अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सूक्ष्म वनस्पतियों और जीवों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए जलमग्न क्षेत्र के संदर्भ में जैव विविधता और निवास संरक्षण पर अध्ययन। वन्यजीवों के लिए प्रवासी मार्गों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। ➤ कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2017 के दौरान तदर्थ सीएएमपीए निधि में पहले ही 12930.00 लाख रुपये जमा किए जा चुके हैं। ➤ रेंज एंड हॉर्टिकल्चर विभाग, नाफरा के परामर्श/सहायता में नर्सरी स्थापित करके ग्रीन बेल्ट कॉरिडोर लागू किया जा रहा है। ➤ मिट्टी के कटाव और भूमि के क्षरण की जांच के लिए सभी भौतिक और जैविक कदम उठाए गए/शुरू किए गए। ➤ दुर्लभ, लुप्तप्राय और औषधीय वनस्पति प्रजातियों के पुनर्वास के लिए 1 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले एक वनस्पति उद्यान की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। ➤ वर्ष के दौरान, किमीऔर बिचोम में एकेएएम (आजादी का अमृत महाटोसव) के तहत एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। ➤ परियोजना स्थल के साथ वन्य जीवों के उचित संरक्षण के लिए राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान की गई। ➤ इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त मछली किस्मों के प्रचार और उत्पादन के उद्देश्य से जलाशयों का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इस दिशा में और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की सलाह के अनुसार, नीपको ने बिचोम बांध के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में मछलियों के पुनर्वास के लिए हैचरी के लिए एक योजना और अनुमान तैयार करने के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) को नियुक्त किया है। मछली हैचरी की योजना और डिजाइन के लिए अगस्त, 2021 में सीआईएफआरआई को कार्य आदेश दिया गया है। दिनांक 03.02.2022 को सीआईएफआरआई को अग्रिम भुगतान के रूप में रु. 78,91,800/- की राशि जारी की गई। सीआईएफआरआई की एक टीम ने नमूना संग्रह और उद्देश्य आधारित गतिविधियों के लिए मई 2022, सितंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान साइट का दौरा किया। सीआईएफआरआई ने 10.10.2022 को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 03.01.2023 को मॉनसून पूर्व और मॉनसून मौसम नमूना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ➤ 2022-23 के दौरान 90% की उत्तरजीविता दर के साथ 182 पेड़ के पौधे लगाए गए थे।

संयंत्र/परियोजना	पर्यावरणीय कार्य/पहल
तुइरियल एचपीएस मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ हरित पट्टी के निर्माण सहित जलग्रहण क्षेत्र उपचार (सीएटी) के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान की गई। ➤ प्रतिपूरक वनीकरण मिजोरम सरकार के वन विभाग द्वारा निष्पादित किया गया था। ➤ जलग्रहण क्षेत्र के जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण/सुरक्षा के लिए अवैध शिकार विरोधी योजना लागू की गई थी। ➤ मिजोरम विश्वविद्यालय की सहायता से क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। ➤ जिन क्षेत्रों में भूस्खलन का संभावित खतरा है, उन्हें सड़क किनारे की नालियों के निर्माण, दीवारों, ब्रेस्ट की दीवार को बनाए रखते हुए स्थिर किया गया है। ➤ पर्यावरण सुरक्षा उपायों की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बहु-अनुशासनात्मक समिति का गठन किया गया। ➤ 2022-23 के दौरान 80% की उत्तरजीविता दर के साथ 160 पेड़ के पौधे लगाए गए।
पंथोर लोअर एचपीएस अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नोरक से पेमी यॉर्न, पूसा गांव में वृक्ष रक्षक उपलब्ध कराने के साथ पौधे लगाना: ₹. 85140.00 ➤ मोब हापा, चोड गांव, याजली में वृक्ष रक्षक उपलब्ध कराने के साथ पौधे लगाना: 85140.00. मोब हापा, चोड गांव, याजली में ट्री गार्ड उपलब्ध कराने के साथ पौधे लगाना: 85140.00. ➤ कुलुब्या क्षेत्र, याजली में वृक्ष रक्षक उपलब्ध कराने के साथ पौधे लगाना: ₹. 83592.00 ➤ रेडर नल्लाह, न्यू पीतापुल, याजली में वृक्ष रक्षक उपलब्ध कराने के साथ पौधे लगाना: ₹. 99281.00 ➤ नीपको डीपीएच, याजली के पास नामसी नाला क्षेत्र में वृक्ष रक्षक प्रदान करने के साथ पौधे लगाना: ₹. 200466.00 ➤ 2022-23 के दौरान 95% की उत्तरजीविता दर के साथ 741 पेड़ पौधे लगाए गए थे।
दोयांग एचपीएस, नागालैंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सीएटी का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। ➤ नागालैंड सरकार के वन विभाग के माध्यम से 300 चेक डैम और गली प्लगिंग के निर्माण जैसे इंजीनियरिंग उपाय। ➤ वन विभाग के माध्यम से निष्पादित 20 गांवों में नर्सरी। ➤ वन विभाग की उक्त संस्कृति प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए सहयोग जिसमें 3 वर्षों तक इसकी रखरखाव और रनिंग लागत शामिल है। ➤ ग्रीन बेल्ट का रखरखाव विभागीय रूप से रखा जा रहा है। ➤ घरेलू, औद्योगिक और ई-कचरे का कचरा प्रबंधन लागू किया जाता है। ➤ 2022-23 में 90% की उत्तरजीविता दर के साथ 114 नए पेड़ पौधे लगाए गए।
कोपिली एचपीएस असम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयंत्र संसाधन केंद्र (वनस्पति उद्यान) और ग्रीन पार्क का रखरखाव किया जा रहा है। ➤ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को छह-मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। ➤ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम की एक अधिकृत फर्म द्वारा वायु और जल की छह मासिक निगरानी की जा रही है। ➤ घरेलू, औद्योगिक और ई-कचरे के अपशिष्ट प्रबंधन को लागू किया गया है। ➤ 2022-23 के दौरान 90% की उत्तरजीविता दर के साथ 210 (दो सौ दस) पौधे लगाए गए।

संयंत्र/परियोजना	पर्यावरणीय कार्य/पहल
एजीबीपीएस असम	<ul style="list-style-type: none"> असम गैस आधारित पावर स्टेशन ने हरित कवरेज के तहत अपने कुल क्षेत्र का 50.67% बनाए रखा है जिसमें 10 (दस) ग्रीन बेल्ट और 2 (दो) पार्क शामिल हैं। हाल ही में कॉलोनी क्षेत्र में दो फल उद्यान विकसित किए गए हैं जिनमें बागवानी उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1290 वर्ग मीटर तक बढ़ गया है। एजीबीपीएस ने विश्व पर्यावरण दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव सहित सभी अवसरों पर अधिक पेड़ लगाकर अपने वृक्षारोपण घनत्व में लगातार सुधार किया है। 31-03-2023 को जीवित पेड़ की कुल संख्या 6892 है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एजीबीपीएस ने अपने आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ 225 पेड़ लगाए हैं। जैव विविधता के संरक्षण के तहत, एजीबीपीएस ने ऑर्किड की सभी स्थानीय उपलब्ध किस्मों के साथ एक ऑर्किड गार्डन विकसित किया है। एजीबीपीएस ने अपनी कॉलोनी में उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए साइट पर खाद को प्रोत्साहित किया है। पीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार कचरे के निपटान के लिए एक खतरनाक कचरा पिट विकसित किया गया है जिसे अधिकृत रिसाइकलर के माध्यम से निपटाया नहीं जा सकता है। एजीबीपीएस कॉलोनी से उत्पन्न सीवेज के उपचार के लिए एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के 75 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। सीईएमएस के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली और ईटीपी के डिस्चार्ज प्रवाह संचालन में है और इसे सीपीसीबी और एसपीसीबी सर्वर से जोड़ा जा रहा है। स्विचयार्ड के सतह अपवाह को एकत्र किया जाता है और कच्चे पानी के जलाशय में पंप किया जाता है और इस प्रकार वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जाता है। 2022-23 में 94% की उत्तरजीविता दर के साथ 120 नए पेड़ पौधे लगाए गए।
एजीबीपीएस त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> सर्वेक्षण किया गया और डीपीआर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा तैयार किया गया ईटीपी वर्षा जल संचयन योजना एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बोरवेल जल पंपों में शामिल ऑनलाइन जल प्रवाह मापन प्रणाली। आवधिक मापन और परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी। जल गुणवत्ता की आवधिक निगरानी। एनओएक्स, एसओएक्स, सीओ₂ और सीओ की निरंतर निगरानी के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) 45743 (लगभग) संयंत्रों के रोपण के साथ कार्यालय और कॉलोनी कॉम्प्लेक्स सहित पावर स्टेशन के चारों ओर 100 मीटर की औसत चौड़ाई के साथ एक ग्रीन बेल्ट बनाए रखा जा रहा है। 2022-23 में 96% की उत्तरजीविता दर के साथ 37 नए पेड़ पौधे लगाए गए।
टीजीबीपीएस त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> गुमती नदी में 3.0 किमी पाइपलाइन के माध्यम से उपचार के बाद अपशिष्ट का निपटान किया जाता है। ग्रीन बेल्ट का विकास, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है। ड्राई लो एनओएक्स (डीएलएन) बर्नरों को एनओएक्स उत्सर्जन को सीमित करने के लिए गैस टर्बाइन में शामिल किया गया है। एनओएक्स, एसओएक्स कणिका पदार्थ और डिस्चार्ज अपशिष्ट को मापने के लिए स्टैक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली मौजूद है। संयंत्र के विभिन्न स्थानों के शोर स्तर को तिमाही आधार पर मापा जा रहा है। 122 नए पेड़ पौधे 2022-23 में 75% की जीवित दर के साथ लगाए गए।

पुनर्स्थापन और पुनर्वास के उपाय:

पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) योजना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और प्रबंधन योजना रिपोर्ट (ईआईए और ईएमपी) का एक हिस्सा है और परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित किया जाता है। चल रही परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए आर एंड आर योजना राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2003 और राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी-2007) के आधार पर तैयार की गई है। नई और आगामी परियोजनाओं के लिए, आर एंड आर योजना के प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार और समय-समय पर आने वाले इसके संशोधनों के अनुसार होंगे। आर एंड आर योजना संबंधित राज्य सरकार, परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र में अन्य हितधारकों के सहयोग से लागू की जाती है। समाज, तरीकों और साधनों के बड़े लाभ के लिए अपने संसाधनों का बलिदान करने वालों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, सामान्य रूप से उनके अधिकारों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थायी विकास की दिशा में एक प्रयास के रूप में खोज और कार्यान्वित किया जाना है। इस प्रक्रिया में, नीपको विभिन्न व्यवहार्य विकल्पों की खोज करता है और कम से कम विस्थापन या प्रतिकूल प्रभावों के कारण एक का चयन करता है। इसलिए, परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) के लिए आर एंड आर योजना तैयार करने से पहले एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है ताकि प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थापित का आकलन किया जा सके। भविष्य में, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के अलावा, क्षेत्र के नृवंशविज्ञान पर अध्ययन पर आधारित सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर एक अलग अध्याय शामिल किया जाएगा। किसी परियोजना की आर एंड आर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, नीपको संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एक परियोजना आर एंड आर समिति बनाता है जिसकी अध्यक्षता प्रशासक के लिए आर एंड आर (संबंधित राज्य सरकार के जिला कलेक्टर का रैंक) और परियोजना के प्रमुख समिति के सदस्य सचिव होते हैं।

संयंत्र/ परियोजना	आर एंड आर कार्य/ पहल
पारे एचपीएस अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सभी 277 प्रभावित परिवारों को पूर्ण मुआवजा। ➤ सभी 35 पीएफ का पुनर्स्थापित और पुनर्वास किया गया है। ➤ सी एंड डी श्रेणी की नौकरियों के लिए 32 स्थानीय जनजातीय लोगों की भर्ती की गई है। ➤ परियोजना प्रभावित लोगों को दो साल के लिए आईटीआई प्रशिक्षण दिया गया था और 50 में से 48 को नीपको में विभिन्न श्रेणियों में अवशोषित किया गया है। ➤ परियोजना प्रभावित परिवारों से पाल उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। ➤ बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। ➤ परियोजना के आसपास रहने वाले 50 परिवारों के लिए मशरूम की खेती पर क्लस्टर विकास आजीविका कार्यक्रम लागू किया गया है।
कामेंग एचपीएस अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सभी 98 प्रभावित परिवारों को पूर्ण मुआवजा। ➤ सभी 98 पीएफ को पुनर्स्थापित और पुनर्वास किया गया है। ➤ अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के 88 व्यक्तियों को नीपको में भर्ती किया गया है। ➤ अन्य पहलों और कार्यों में ग्राम बुनियादी ढांचे का निर्माण, कृषि, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री आदि के माध्यम से आर्थिक पुनर्वास और कृषि गतिविधियों पर किसानों को प्रशिक्षित करना शामिल है।
पंयोर लोअर एचपीएस अरुणाचल प्रदेश.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 108 भूमि प्रभावित लोगों को रोजगार। ➤ चुन और रुब गाँव में रहने वाले 27 परिवारों को पोर्टिन में वाटर सप्लाई, एप्रोच रोड, स्कूल बिल्डिंग, शिक्षक के क्वार्टर और झोपड़ियों के निर्माण के साथ नए पुनर्वास स्थल को विधिवत विकसित करने के लिए स्थानांतरित करना। ➤ सीएसआर-सीडी योजना के तहत रुब गाँव में जल भंडारण टैंक और आपूर्ति लाइन का निर्माण प्रगति पर है। ➤ पोर्टिन न जाने का विकल्प चुनने वाले 7 परिवारों को सीजीआई शीट दी गई और वे पास के इमची गांव, लेफ्ट बैंक ऑफ पंयोर नदी, याजली, अरुणाचल प्रदेश में बस गए।
डीएचपीएस नागालैंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 20 गांवों में 20 मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ➤ 20 गांवों में परिक्रामी निधि की प्रणाली के माध्यम से आर्थिक अवसरों के लिए सूक्ष्म उद्यमों के विकास में निहित ज्ञान।

वित्तीय चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको/कंपनी) के वित्तीय विवरणों पर एक विस्तृत चर्चा और विश्लेषण नीचे दिया गया है।

वित्तीय स्थिति

तुलन पत्र की मदों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), पूंजीगत कार्य-प्रगति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी के विकास के तहत पीपीई, पूंजीगत कार्य-प्रगति, अमूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च को		% परिवर्तन
	2023	2022	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल ब्लॉक (पीपीई) (नोट -2)	18,51,396.21	18,19,243.89	1.77%
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का शुद्ध ब्लॉक (पीपीई), (नोट -2)	12,42,505.49	12,91,027.95	-3.76%
कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) (नोट -3)	1,14,194.44	61,842.58	84.65%
अमूर्त आस्तियों का सकल ब्लॉक (नोट -4)	10,805.47	10,519.66	2.72%
अमूर्त आस्तियों का निवल ब्लॉक (नोट -4)	8,664.64	9,181.06	-5.62%
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (नोट -4ए)	96.00	257.77	-62.76%

वर्ष के दौरान, पीपीई के सकल ब्लॉक में वृद्धि ₹32,152.32 लाख (अर्थात, 1.77% की वृद्धि) है और पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध ब्लॉक में कमी ₹48,522.46 लाख (यानी, 3.76% की कमी) है और इस तरह, सकल ब्लॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है। पीपीई नेट ब्लॉक में कमी के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्जित कंपनी की संपत्ति का मूल्यह्रास हुआ है, जो उक्त वर्ष के दौरान नीपको की पुस्तकों में एसेट एडिशन से अधिक है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में ₹ 52,351.86 लाख (अर्थात 84.65 प्रतिशत की वृद्धि) मुख्य रूप से कोपिली (4 X 50) मेगावाट एचपीएस और खांगडोंग (2 X 25) मेगावाट एचपीएस के कारण वृद्धि हुई है, जो नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के अधीन हैं।

वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में अमूर्त आस्तियों के सकल ब्लॉक में 285.81 लाख रुपये (अर्थात 2.72% की वृद्धि) की वृद्धि मुख्य रूप से ईआरपी/एसएपी से संबंधित "सॉफ्टवेयर" के पूंजीकरण के कारण है। "इसके अलावा, ईआरपी/एसएपी से संबंधित "सॉफ्टवेयर" के पूंजीकरण के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में ₹ 161.77 लाख (यानी, 62.76% की कमी) की कमी आई।"

2. अनुषंगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश (नोट -5)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च को	
	2023	2022
संयुक्त उद्यमों में निवेश	2793.00	2793.00
कम: प्रावधान	2793.00	2793.00
कुल	शून्य	शून्य

31.03.2023 को संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

कंपनी का नाम	राशि
केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	2793.00
कम: प्रावधान	2793.00
निवल	शून्य

कंपनी ने करार के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनी में नीपको की 30% शेयरधारिता होने के कारण 2793.00 लाख रुपए की राशि का निवेश किया। नीपको मेसर्स केएसके दिब्बिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्र और अवसरों की खोज करने की प्रक्रिया में है, जिसमें कंपनी के (नीपको) किए गए निवेश के हितों की रक्षा के लिए कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति शामिल है। हालांकि, कंपनी की अंतर-अनुशासनात्मक समिति द्वारा देखे गए अपने वर्तमान रूप में परियोजना की वाणिज्यिक गैर-व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, नीपको की बुक्स में समकक्ष राशि का प्रावधान किया गया है।

3. गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट-6 और नोट-8)

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, अग्रिम कर वापसी, पूंजीगत अग्रिम आदि शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च को		% परिवर्तन
	2023	2022	
कर्मचारियों को ऋण	28.19	26.16	7.76%
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	18,179.20	18,303.10	-0.68%
कुल	18,207.39	18,329.26	-0.66%

कर्मचारियों को ऋण में ब्याज युक्त कंप्यूटर अग्रिम, ब्याज मुक्त फर्नीचर अग्रिम और बहुउद्देशीय अग्रिम शामिल हैं, जबकि अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं जो बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने की अवधि के बाद वसूल किए जाने की उम्मीद है। इसमें ठेकेदारों को पूंजीगत अग्रिम (गैर-सुरक्षित), आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां, अग्रिमों पर अर्जित ब्याज और वापसी योग्य अग्रिम कर शामिल हैं।

ठेकेदार को अग्रिम असुरक्षित, संदिग्ध ऋणों के समायोजन के बाद अच्छा माना जाता है, जो पिछले वर्ष की ₹14,920.68 लाख की राशि की तुलना में ₹14,783.20 लाख है अर्थात् 137.48 लाख रुपये की कमी है। अग्रिम कर वापसी योग्य राशि में 64.93 लाख रुपए की वृद्धि हुई है और यह 31 मार्च 2022 को 2278.53 लाख रुपए की तुलना में 31 मार्च 2023 को 2343.46 लाख रुपए थी। "चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रतिदेय अग्रिम कर में उक्त शुद्ध वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त प्रतिदेय कर की राशि ₹398.41 लाख हो गई है और वित्त वर्ष 2014-15 के लिए "गैर-वर्तमान परिसंपत्ति" से "वर्तमान परिसंपत्ति" तक ₹333.48 लाख की कर वापसी योग्य राशि का पुनर्वर्गीकरण हुआ है।

4 वर्तमान संपत्तियां (नोट-9 से नोट-15)

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 की वर्तमान संपत्ति और उसमें परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च को		वर्ष दर वर्ष परिवर्तन	
वर्तमान संपत्तियां	2023	2022	(₹ लाख में)	% में
इन्वेंटरी (प्रावधान का शुद्ध) (नोट-9)	12,516.05	15,099.24	-2,583.19	-17.11%
व्यापार प्राप्त्य (नोट-10)	94,429.78	48,776.49	45,653.29	93.60%
नकद और नकद समतुल्य (नोट-11)	1,461.34	4,344.49	-2,883.15	-66.36%
नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष (नोट-12)	291.50	1,009.06	-717.56	-71.11%
अन्य (नोट-13)	23,225.20	35,806.83	-12,581.63	-35.14%
वर्तमान कर संपत्तियां (नेट) (नोट-14)	-969.4	141.2	-1,110.60	-786.54%
अन्य वर्तमान संपत्तियां (नोट-15)	3,894.05	3,149.91	744.14	23.62%
कुल वर्तमान संपत्तियां	1,34,848.52	1,08,327.22	26,521.30	24.48%

क) इन्वेंट्री (नोट 9)

इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत शामिल हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य कोर्स में अनुमानित बिक्री मूल्य है जो बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को कम करता है।

इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार किया जाता है। इन्वेंट्री का मूल्य क्रमशः 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को ₹12,516.05 लाख और ₹15,099.24 लाख (प्रावधान का शुद्ध) था।

ख) व्यापार प्राप्य (नोट 10)

"व्यापार प्राप्ति" बिजली की बिक्री के लिए लाभार्थियों से प्राप्य देय राशि हैं। "31 मार्च, 2023 को व्यापार प्राप्य ₹94,429.78 लाख थे, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह ₹48,776.49 लाख था, अर्थात वर्ष के दौरान 93.60% की वृद्धि। "31.03.2023 और 31.03.2022 को व्यापार प्राप्ति में क्रमशः बकाया राशि ₹44,382.59 लाख और ₹24,930.37 लाख शामिल हैं।"

ग) नकद और नकद समतुल्य के अलावा नकद और बैंक शेष (नोट 11 और 12)

इसमें (i) बैंक के साथ बनाए गए चालू खाते, (ii) हाथ में टिकट और (iii) बैलेंस शीट की तारीख पर प्रतिबंधित धन शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक, निगम के नकद और नकद समतुल्य (नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष सहित) क्रमशः ₹1752.84 लाख और ₹5353.55 लाख हैं (जिसमें क्रमशः ₹291.50 लाख और ₹1009.06 लाख की प्रतिबंधित धन राशि शामिल है) और इस प्रकार वर्ष के दौरान 67.26% की कमी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य रूप से बैंक के साथ शेष राशि में कमी और भारत सरकार की डीडीयूजीवीवाई योजना के तहत निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदार के दावे के निपटान के कारण प्रतिबंधित धन शेष में कमी के कारण हुई है।

घ) अन्य (नोट 13)

अन्य में असुरक्षित प्राप्ति के खाते में शेष, अच्छा माना जाता है), प्राप्य दावा, अनुबंध संपत्ति, कर्मचारियों को अग्रिम और सुरक्षा जमा का निपटान चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीने के भीतर होने की उम्मीद है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को ₹35,806.83 लाख की तुलना में ₹23,222.20 लाख की राशि रही। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुबंध आस्तियों में ₹8521.62 लाख की कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ₹12,581.63 लाख (अर्थात 35.14%) की शुद्ध कमी है, प्राप्त होने वाले दावे में ₹3562.67 की कमी, कर्मचारियों को अग्रिम में ₹241.93 लाख की कमी, दूसरों में ₹255.41 लाख की शुद्ध कमी।

i. वर्तमान कर संपत्तियां (नेट) (नोट 14)

वर्तमान कर परिसंपत्तियां (नेट) में अग्रिम कर वापसी योग्य, टीडीएस/टीसीएस सहित भुगतान किए गए अग्रिम कर शामिल हैं, जिसमें चालू वर्ष की कर देनदारियों (नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित कर देयता सहित), पिछले वर्षों के लिए समायोजन और अन्य व्यापक आय पर कर शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 को नीपको की वर्तमान कर परिसंपत्तियां (नेट) 969.40 लाख रुपये थीं, जबकि 31.03.2022 को चालू कर देयताएं 141.20 लाख रुपये थीं।

ii. अन्य वर्तमान संपत्तियां (नोट 15)

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रीपेड व्यय और बीमा, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदार को अग्रिम (प्रावधान का शुद्ध), स्क्रेप / अप्रचलित संपत्ति (प्रावधान का शुद्ध), निपटान के लिए रखी गई स्क्रेप / अप्रचलित संपत्ति (एनआरवी पर) शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को नीपको की अन्य वर्तमान संपत्ति (प्रावधान का शुद्ध) क्रमशः ₹3894.05 लाख और ₹3149.91 लाख थी, यानी 23.62% की वृद्धि।

5. विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष - नोट - 16

नियामक आस्थगित खाते डेबिट बैलेंस (आरडीए डीआर. शेष) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक क्रमशः ₹99,295.21 लाख और ₹92,344.55 लाख की राशि है, यानी 7.53% की वृद्धि। नियामक आस्थगित खाते डेबिट बैलेंस में ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ व्यय शामिल है, जो कि ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹4793.47 लाख), मूल्यहास-तुरियल हाइड्रो पावर स्टेशन ₹22,193.30 लाख (पिछले वर्ष ₹18,079.69 लाख) की

राशि, आस्थगित कर देनदारियों के खिलाफ आस्थगित कर समायोजन ₹ 39,930.42 लाख (पिछले वर्ष ₹ 29,387.52 लाख) की राशि, आस्थगित कर वसूली योग्य ₹ 37,171.49 (पिछले वर्ष ₹ 38,623.96 लाख) और विदेशी ऋण पर विनिमय अंतर शून्य (पिछले वर्ष ₹ 1459.91 लाख) है। आरडीए डीआर. बैलेंस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
क. 1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	92,344.55	84,384.08
ख. वर्ष के दौरान वृद्धि	14,656.51	9,271.29
ग. वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन की गई राशि	-7,705.85	-1,310.82
घ. क्लोजिंग बैलेंस ए (ए+बी+सी)	99,295.21	92,344.55

वर्ष के दौरान 7705.85 लाख रुपए की राशि की प्राप्ति/समायोजन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से 4793.47 लाख रुपए की राशि के "कर्मचारी लाभ व्यय" की वसूली से संबंधित है, जो याचिका संख्या 718/एमपी/2020 में दी गई अनुमति के अनुसार 1452.47 लाख रुपए की राशि के भौतिक आस्थगित कर की वसूली और 1459.91 लाख रुपए की राशि के विनिमय अंतर को उलटने से संबंधित है।

6. कुल इक्विटी (नोट-17 और 18)

31 मार्च 2023 को और 31 मार्च 2022 को निगम की कुल इक्विटी क्रमशः ₹ 6,58,583.80 लाख और ₹ 6,55,923.90 लाख है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	6,55,923.90	645,000.69
वर्ष के लिए लाभ	39,690.08	21,229.37
अन्य व्यापक आय	(530.18)	(1,306.16)
वर्तमान वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	(35,000.00)	(7,500.00)
पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश	(1,500.00)	(1,500.00)
अंतिम शेष	6,58,583.80	655,923.90

1) इक्विटी शेयर पूंजी (नोट 17)

31 मार्च 2023 को निगम की इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 3,60,981.04 लाख थी, जो 31 मार्च 2022 को समान है। एनटीपीसी लिमिटेड के पास 25 मार्च 2020 के शेयर खरीद समझौते के अनुसार शेयर हस्तांतरण के माध्यम से नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के कारण 31 मार्च 2023 को नीपको लिमिटेड का 100% स्वामित्व है।

2) अन्य इक्विटी (नोट 18)

नीपको की अन्य इक्विटी में सामान्य आरक्षित, प्रतिधारित आय और बॉन्ड मोचन रिजर्व शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 को अन्य इक्विटी ₹ 2,97,602.76 लाख थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह ₹ 2,94,942.86 लाख थी। श्रेणी-वार ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सामान्य रिजर्व	1,97,691.68	1,97,691.68
प्रतिधारित आय	34,856.91	32,197.01
बॉन्ड मोचन रिजर्व	65,054.17	65,054.17
कुल	2,97,602.76	2,94,942.86

7. गैर-वर्तमान और वर्तमान देयताएं:

दीर्घावधि ऋण (नोट 19 और 21) :

31 मार्च 2023 को और 31 मार्च 2022 को दीर्घावधि ऋण (मूल राशि) क्रमशः ₹6,84,525.74 लाख और ₹7,18,899.93 लाख थी। दीर्घकालिक उधारों में से वर्तमान परिपक्वताओं को वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया है। कुल दीर्घावधि ऋण (मूल राशि) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
गैर-वर्तमान ऋण	5,94,121.62	6,21,476.03
गैर-वर्तमान ऋण की वर्तमान परिपक्वता (एक वर्ष या उससे कम में)	90,371.82	97,333.74
कुल दीर्घावधि ऋण #	6,84,493.44	7,18,809.77

इंड-एएस के अनुसार ऋण पर लेनदेन लागत के लिए समायोजन शामिल है।

बकाया दीर्घकालिक ऋण (मूल राशि) का सारांश नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	गैर- वर्तमान वित्तीय देयताएं (नोट-19)		वर्तमान वित्तीय देयताएं (नोट-21)		कुल ऋण		%
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
सुरक्षित ऋण							
बॉन्ड्स	2,96,889.28	3,88,845.26	62,000.00	65,850.00	3,58,889.28	4,54,695.26	-21.07%
मीयादी ऋण	2,14,800.00	1,40,000.00	21,800.00	17,500.00	2,36,600.00	1,57,500.00	50.22%
विदेशी मुद्रा ऋण (ईसीबी)	0.00	5,834.11	0.00	7,774.78	0.00	13,608.89	-100.00%
उप-योग	5,11,689.28	5,34,679.37	83,800.00	91,124.78	5,95,489.28	6,25,804.15	-4.84%
असुरक्षित							
बॉन्ड्स	19,995.66	19,995.14	-	-	19,995.66	19,995.14	0.00%
विदेशी मुद्रा ऋण (केएफडब्लू)	33,311.72	37,677.42	6,571.82	6,208.96	39,883.54	43,886.38	-9.12%
भारत सरकार का अधीनस्थ ऋण	29,124.96	29,124.10	-	-	29,124.96	29,124.10	0.00%
उप-योग	82,432.34	86,796.66	6,571.82	6,208.96	89,004.16	93,005.62	-4.30%
कुल	5,94,121.62	6,21,476.03	90,371.82	97,333.74	6,84,493.44	7,18,809.77	-4.77%

लीज देनदारियां (नोट 19ए एवं और 21बी)

“एमसीए अधिसूचना के अनुपालन में, कंपनी ने 01.04.2019 से इंड एस 116 “लीज” को अपनाया है और 1 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी लीज अनुबंधों पर लागू किया है।” नतीजतन, कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख में लागू वृद्धिशील ऋण दर पर छूट वाले शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर लीज देयता दर्ज की।

लीज देनदारियों का विवरण निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
लीज देनदारियां - गैर-वर्तमान	478.64	438.19
लीज देनदारियां - वर्तमान परिपक्वता (एक वर्ष या उससे कम में)	607.67	573.64
कुल लीज देयताएं - लीज के अंतर्गत परिसंपत्तियां	1086.31	1011.83

अन्य गैर-देनदारियाँ

1) दीर्घावधि प्रावधान (नोट 20):

31 मार्च, 2023 को ₹319.12 लाख के दीर्घकालिक प्रावधानों (पिछले वर्ष ₹1881.86 लाख) में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभों के प्रावधान शामिल हैं, जिनका निपटान बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने की अवधि से परे होने की उम्मीद है।

2) आस्थगित कर देयताएं/(परिसंपत्ति) (नोट 7)

31 मार्च, 2023 को आस्थगित कर देयताएं (नेट) ₹ 98,787.95 लाख हैं जबकि 31 मार्च, 2022 को यह ₹ 76,633.80 लाख थी। बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में ₹17,076.54 लाख के अंतर के कारण आस्थगित कर देयता में वृद्धि, आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली के कारण अनवशेषित मूल्यह्रास में ₹6990.50 लाख की कमी और अन्य में शुद्ध वृद्धि (प्रावधान, अवकाश नकदीकरण आदि) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष की तुलना में 31.03.2023 को आस्थगित कर देयता शेष में 22,154.15 रुपये की वृद्धि हुई है।

अन्य वर्तमान देनदारियाँ

(ए) व्यापार देय (नोट-22)

व्यापार देय में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में खरीदे गए माल या प्राप्त सेवाओं के कारण देय राशि शामिल है। 31 मार्च, 2023 तक देय व्यापार देय 19,140.46 लाख रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 22,156.98 लाख रुपये था। उपर्युक्त व्यापार देय राशि में 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार एमएसएमई को देय राशि 424.75 लाख रुपये (31.03.2022 तक 496.79 लाख रुपये) शामिल है और संबंधित वित्तीय वर्षों की तुलना पत्र तिथियों के अनुसार विक्रेताओं से दावों की प्राप्ति से 45 (पैंतालीस) दिनों से अधिक समय तक देय नहीं थी।

(बी) अन्य वित्तीय देनदारियाँ (नोट 23)

इनमें अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन उधार और अन्य देनदारियों पर देय नहीं है, जैसे पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार, कर्मचारी के लाभों और प्रावधानों के लिए देय राशि, जिन्हें तुलना पत्र की तारीख से 12 महीनों के भीतर भुगतान / निपटान किए जाने की उम्मीद है। 31 मार्च, 2023 तक अन्य वित्तीय देनदारियाँ 62,496.34 लाख रुपये हैं, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 17,100.26 लाख रुपये थी। अन्य वित्तीय देनदारियों में निवल वृद्धि ₹45,396.08 लाख है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹35,000.00 लाख की राशि का अंतरिम लाभांश शामिल है और इसका भुगतान 13.04.2023 को किया गया था।

(सी) अन्य वर्तमान देनदारियाँ (नोट 24)

इनमें ठेकेदारों और अन्य लोगों से अवधारण राशी, लाभार्थी से अग्रिम, डीडीयूजीजेवाई सौभाग्य योजनाओं के लिए आरईसी से अग्रिम, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देय और अन्य वैधानिक देय (जैसे, सीपीएफ, एलआईपी, एनईएसएस आदि) शामिल हैं, जिनका भुगतान तुलना पत्र की तारीख से 12 महीने के भीतर किया जाना है। 31 मार्च, 2023 तक अन्य वर्तमान देनदारियाँ 19,566.93 लाख रुपये थीं, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह राशि 17,136.87 लाख रुपये थी।

अन्य वर्तमान देनदारियों में 14.18% की वृद्धि मुख्य रूप से लाभार्थियों से अग्रिम में वृद्धि के कारण थी।

(डी) प्रावधान (नोट 25)

31 मार्च, 2023 तक प्रावधान पिछले वित्त वर्ष में 15,607.00 लाख रुपये की तुलना में 18,880.71 लाख रुपये था। प्रावधानों में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रदान की गई राशि शामिल है और इसमें आनुतोषिक शून्य (पिछले वर्ष ₹1045.58 लाख), सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ ₹2477.76 लाख (पिछले वर्ष ₹693.90 लाख), छुट्टी नगदीकरण ₹16,392.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 13,855.16 लाख), और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ ₹10.17 लाख (पिछले वर्ष ₹12.36 लाख) जिनका निपटान बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के भीतर होने की उम्मीद है।

8. अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ: आस्थगित राजस्व (नोट -26 तथा 26 ए)

आस्थगित राजस्व में दो मदें शामिल हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सरकारी अनुदानों से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व		
चालू	1592.91	1597.96
गैर- वर्तमान	21,209.27	22,797.99
स्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देनदारियाँ	9600.09	6339.74
कुल	32,402.27	30,735.69

सरकारी अनुदान से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व

❖ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुदान:

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2011 के पत्र सं.7/7/2009-एच-I द्वारा स्वीकृत निवेश अनुमोदन के अनुसार, तुइरियल जल विद्युत स्टेशन, मिजोरम के लिए अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) द्वारा 30,00,000 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। 30,000 करोड़ रुपये की कुल राशि सहायता अनुदान में शामिल है जो इसके चालू होने के बाद से परियोजना के मानक उपयोगी जीवन काल के दौरान ऋण परिशोधन के अधीन है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिशोधन राशि ₹1584.00 लाख (पिछले वर्ष ₹1584.00 लाख) है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में एक समकक्ष राशि को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

❖ सरकार अधीनस्थ ऋण:

भारत सरकार ने परियोजना के "वाणिज्यिक संचालन की तारीख" से देय ब्याज @ 1% प्रति वर्ष के साथ तुइरियल हाइड्रो पॉवर स्टेशन के कार्यान्वयन के लिए नीपको को ₹ 29,196.42 लाख की उप-ऋण राशि को मंजूरी दे दी है। उपर्युक्त ऋण राशि में से, नीपको को 31.03.2015 तक 29,096.42 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं और शेष 100.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त हुए हैं। दिनांक 31.03.2015 तक प्राप्त ऋण राशि (₹ 29,096.42 लाख) को इंड एस 101 (पूर्वव्यापी आवेदन का अपवाद) के अनुपालन में इसके वहन मूल्य पर 01.04.2015 (इंड एस परिवर्तित तिथि) की स्थिति के अनुसार नीपको के बही-खातों में मान्यता दी गई है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त ऋण राशि (₹100.00 लाख) के लिए, बाजार से ब्याज दर कम होने के कारण (जून 2015 तक एसबीआई आधार दर @9.70% प्रभावी माना जाता है) 82.64 लाख रुपये के ऋण का लाभ सरकारी अनुदान के रूप में माना गया और तदनुसार नीपको की पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है।

❖ अतिरिक्त सहायता अनुदान:

केंद्र सरकार से प्राप्त "सहायता अनुदान" से खरीदे गए पुर्जों का कुल मूल्य ₹ 3659.53 लाख है और तदनुसार, असम गैस आधारित पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान अवधि के दौरान, मरम्मत और रखरखाव को डेबिट कर दिया गया है और "सहायता अनुदान" के तहत पुर्जों के स्टॉक में 8.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹ 13.96 लाख) की राशि जमा की गई है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में एक समकक्ष राशि को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

❖ आस्थगित विदेशी मुद्रा अस्थिर देनदारियाँ:

कंपनी के बही-खातों में मान्यता प्राप्त "आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयता" और दिनांक 01.04.2016 से पहले लिए गए विदेशी ऋणों (एसबीआई सिंगापुर से ईसीबी और केएफडब्ल्यू, जर्मनी से विदेशी मुद्रा ऋण) से संबंधित एफईआरवी के खातों पर 31.03.2023 तक जारी शेष राशि 9600.09 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6339.74 लाख रुपये) है।

संचालन के परिणाम:

I. कुल राजस्व (नोट-27 और नोट-28)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	अंतर
1	ऊर्जा की बिक्री	3,49,174.31	2,41,233.75	44.75%
2	व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री	91,844.22	64,842.06	41.64%
3	डीएसएम से राजस्व	3,962.75	2,278.42	73.93%
4	आरआरएस से राजस्व	1254.35	256.87	388.32%
5	लाभार्थियों से एफईआरवी (निवल)	467.51	405.38	15.33%
6	लाभार्थियों से एनईआरएलडीसी शुल्क और अन्य शुल्क	596.86	474.78	25.71%
7	आस्थगित राजस्व – सरकारी अनुदान	1,592.90	1,597.96	-0.32%
8	लाभार्थियों से ब्याज	6,762.37	9,595.11	-29.52%
	परिचालन से राजस्व	4,55,655.27	3,20,684.33	42.09%
9	अन्य आय	1,408.23	9,512.34	-85.20%
	कुल राजस्व	4,57,063.50	3,30,196.67	38.42%

परिचालन से राजस्व (नोट-27) :

नीपको दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के तहत और प्रत्येक लाभार्थी राज्य के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) (सिक्किम को छोड़कर) में राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिताओं और बिजली विभागों के साथ-साथ एनईआर के बाहर के बिजली विभागों (कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन से) सहित थोक उपभोक्ताओं को बिजली बेचता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित मर्चेट विद्युत और गैर-अपेक्षित ऊर्जा (यूआरएस) के कारण कंपनी को उपलब्ध अधिशेष विद्युत के लिए मैसर्स एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के माध्यम से विद्युत व्यापार का सहारा लिया। 2022-23 के दौरान परिचालन से कुल राजस्व ₹ 4,55,655.27 लाख (पिछले वर्ष ₹ 320,684.33 लाख) था, जो वर्ष के लिए कंपनी की कुल आय का 99.69% (पिछले वर्ष 97.12%) है।

2057 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 8120.29 मिलियन यूनिट के कुल उत्पादन की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान 8491.93 मिलियन यूनिट का उत्पादन हासिल किया है।

अन्य आय (नोट-28)

‘अन्य आय’ में मुख्य रूप से बैंक जमा पर ब्याज, देरी भुगतान अधिभार, लिखित प्रावधान और विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में ₹9512.34 लाख की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अन्य आय ₹ 1408.23 लाख थी। अन्य आय में कमी मुख्य रूप से विलंब भुगतान अधिभार में कमी (3603.12 लाख रुपये), विविध प्राप्तियों में कमी (4769.40 लाख रुपये), बैंक जमा पर ब्याज में 370.84 लाख रुपये की वृद्धि और अन्य के लिए 102.43 लाख रुपये की कमी (शुद्ध) के कारण हुई है।

II. व्यय (नोट-29 से नोट-33)

वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 32.02% की वृद्धि हुई, जो ईंधन लागत, कर्मचारी लाभ व्यय, अन्य खर्चों और मूल्यहास में वृद्धि और वित्त लागत में कमी के कारण है।

(₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22	वृद्धि / (कमी)	अंतर (%)
ईंधन लागत (नोट 29)	1,47,687.42	63,488.96	84,198.46	132.62%
कर्मचारी लाभ व्यय (नोट 30)	51,406.14	46,518.08	4,888.06	10.51%
वित्त लागत (नोट 31)	53,667.13	58,198.79	-4,531.66	-7.79%
मूल्यहास और परिशोधन व्यय (नोट 32)	83,550.16	80,781.94	2,768.22	3.43%
अन्य खर्च (नोट 33)	52,902.05	45,824.08	7,077.97	15.45%
कुल खर्च	3,89,212.90	2,94,811.85	94,401.05	32.02%

ईंधन लागत

त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत स्टेशन (टीजीबीपीएस) को छोड़कर, जिसके लिए लागू मूल्य नीपको और ओएनजीसी के बीच ईंधन की आपूर्ति के लिए तैयार किए गए करार द्वारा अभिशासित होता है, नीपको के ताप विद्युत स्टेशनों में उपयोग किए जाने वाले ईंधन (प्राकृतिक गैस) का मूल्य पेट्रोलीयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित दर द्वारा शासित होता है। कुल ईंधन लागत में गैस की लागत और उस पर परिवहन व्यय शामिल हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान ईंधन लागत में 84,198.46 लाख रुपये की वृद्धि मुख्य रूप से एमओपीएनजी शासित घरेलू गैस मूल्य में प्रति एमएमबीटीयू में 212.85% की वृद्धि (औसत) के कारण हुई (अप्रैल 22 से सितम्बर 22 तक @61.0 और अक्टूबर, 22 से मार्च 23 तक @8.57 डॉलर और अप्रैल, 21 से सितम्बर, 21 तक @1.79 डॉलर और अक्टूबर 21 से मार्च 22 तक @2.90 डॉलर) की वृद्धि हुई।

ईंधन (गैस) पर चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय का 37.95% था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 21.54% था।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ

कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभों में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि में योगदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, अवकाश नकदीकरण और कर्मचारी कल्याण व्यय शामिल हैं। वर्ष के दौरान नीपको के कुल व्यय में इन खर्चों का हिस्सा 13.21 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 15.78 प्रतिशत था। पीवाई की तुलना में कैलेंडर वर्ष के दौरान कर्मचारी के खर्चों में 4888.06 लाख रुपये की वृद्धि मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष में प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए किए गए प्रावधान के कारण हुई है।

वित्त लागत

नीपको की वित्त लागतों में उधारों पर ब्याज व्यय के साथ-साथ अन्य वित्त प्रभार भी शामिल होते हैं, जैसे विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आदि। लेखांकन उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा उधार सहित सभी उधार भारतीय रुपये में अंकित हैं।

वर्ष के दौरान, वित्त लागत (राजस्व खाता) 7.79% घटकर ₹ 53,667.13 लाख हो गई, जो पिछले वर्ष में ₹ 58,198.79 लाख थी। कैलेंडर वर्ष के दौरान **पीवाई की तुलना** में वित्त लागत में **4531.66 लाख** रुपये की कमी मुख्य रूप से बॉन्ड (19 वां अंक, 14 वां अंक, 13 वां अंक, और 12 वां अंक) और ईसीबी ऋण के पूर्व-भुगतान के कारण है। वर्ष के दौरान नीपको के कुल व्यय में वित्त लागत का हिस्सा 13.79 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 19.74 प्रतिशत था।

अवमूल्यन

07 मार्च, 2019 को अधिसूचित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019 और कंपनी की अनुमोदित लेखा नीति में शामिल कुछ अपवादों को छोड़कर, उसमें संशोधनों के अनुसार दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए स्ट्रेट लाइन विधि पर मूल्यहास लगाया जाता है। वित्त वर्ष 23-2022 के दौरान, मूल्यहास वित्त वर्ष 22-2021 में 80,781.94 लाख रुपये की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 3.43% बढ़कर 83,550.16 लाख रुपये हो गया। पीवाई की तुलना में कैलेंडर वर्ष के दौरान मूल्यहास में 2768.22 लाख रुपये की वृद्धि मुख्य रूप से चालू वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण हुई है।

वर्ष के दौरान नीपको के कुल व्यय में मूल्यहास का हिस्सा 21.47% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 27.40% था।

अन्य खर्च

अन्य खर्चों (उत्पादन और प्रशासन व्यय सहित) में संयंत्र परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव, सामान्य स्थापना / प्रशासनिक व्यय, बीमा प्रभार, ट्रेडिंग व्यय, एनईआरएलडीसी शुल्क और शुल्क, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय, सुरक्षा व्यय, परिवहन व्यय, बिजली कर्तव्य, राइट ऑफ आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 15.54% की तुलना में वर्ष के दौरान ये व्यय नीपको के कुल व्यय का लगभग 13.59% था। निरपेक्ष रूप से, इन खर्चों में पिछले वर्ष की तुलना में 7077.97 लाख रुपये (यानी 15.45%) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण यूनिफॉर्म और लिबरी में वृद्धि ₹1012.02 लाख, सदस्यता और सदस्यता शुल्क ₹214.99 लाख, विविध व्यय ₹759.12 लाख, ईडीपी व्यय ₹512.07 लाख, आरआरएएस व्यय ₹389.44 लाख और भारत सरकार की योजनाओं (19.99 लाख रुपये) और अन्य योजनाओं (189.44 लाख रुपये) का होना है।

विनियामक आस्थगित लेखा शेष (विनियामक आय) में उतार-चढ़ाव

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "दूर विनियमित गतिविधियों के लेखाकरण" पर मार्गदर्शन नोट के अनुरूप आईएनडी एस 114 - विनियामक स्थगन लेखा के अनुपालन में "विनियामक परिसंपत्तियां" सृजित की गई हैं और नीपको के बही-खातों में तदनुसूची "विनियामक आय" को मान्यता दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने विनियामक आय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में ₹6950.66 लाख (पिछले वर्ष ₹7960.47 लाख) की राशि को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष राशि में बदलाव" (कर का शुद्ध क्रमशः ₹5482.47 लाख और ₹6340.59 लाख) के रूप में मान्यता दी थी। उक्त "विनियामक आय" को निम्नलिखित कारकों के कारण चालू वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है।

(i) मूल्यहास - तुड़रियल एचईपी

सीईआरसी द्वारा निर्धारित नीपको के तुड़रियल हाइड्रो पावर स्टेशन (टीएचपीएस) की वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) उत्पादन स्टेशन (टीएचपीएस) के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) के निर्धारण के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के निर्णय के अनुरूप मूल्यहास @2% पर विचार कर रही है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार दरें और कार्यप्रणाली, जिसके आधार पर टीएचपीएस के लिए मूल्यहास की गणना की गई है और विचाराधीन अवधि के लिए नीपको के लाभ और हानि के विवरण पर प्रभावित किया गया है, सीईआरसी के आदेश के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूली के लिए अनुमत दरों से भिन्न है। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार मूल्यहास की उच्च दर के कारण, उत्पादन स्टेशन (टीएचपीएस) के प्रचालन के प्रथम 12 (बारह) वर्षों के लिए लाभ और हानि विवरण खाते में प्रभावित मूल्यहास टैरिफ के माध्यम से वसूली जाने वाली मूल्यहास की तुलना में अधिक होगा, जिसे भविष्य में इसके सीओडी के 13वें वर्ष से संयंत्र के मानक उपयोगी जीवन की शेष अवधि के दौरान उलट दिया जाएगा। तदनुसार, उत्पादन स्टेशन के लिए इसके प्रचालन की पूर्व अवधि (12वें वर्ष तक) के दौरान "राजस्व" के रूप में प्राप्त कम मूल्यहास को इसकी बाद की उपयोगी अवधि के दौरान पुनर्प्राप्त/समायोजित किया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भावी अवधि में वसूली योग्य/समायोज्य सीमा तक मूल्यहास के अंतर को विनियामक आस्थगित खाता शेष राशि के संचलन को जमा करके "विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष राशि" के रूप में बिना छूट के आधार पर मान्यता दी गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान बिना छूट के आधार पर मान्यता प्राप्त भविष्य की अवधि में वसूली योग्य/समायोज्य सीमा तक मूल्यहास का अंतर विनियामक आय के रूप में 411361 लाख रुपए (पीवाई 411764 लाख रुपए) है।

(ii) आस्थगित कर देनदारियों के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन

बिजली की बिक्री से उत्पन्न आय पर वर्ष के दौरान अर्जित आस्थगित कर और भविष्य की अवधियों में आगे समायोज्य/प्रत्यावर्तन, जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक हिस्सा बन जाएगी और लाभार्थियों से 10542.90 लाख रुपये की वसूली योग्य होगी, को कैलेंडर वर्ष के दौरान "आस्थगित कर देयता के खिलाफ आस्थगित कर समायोजन" (पीवाई के दौरान 5153.65 लाख रुपये) के रूप में माना गया है। जिसे "नियामक आय" के रूप में मान्यता दी गई है और कंपनी की पुस्तकों में "नियामक स्थगित लेखा संतुलन" में एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

(iii) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर देनदारियाँ

सीईआरसी (टैरिफ विनियम के नियम और शर्तें) 2019 के विनियम 67 के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देनदारियाँ, जब भी उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों द्वारा तत्कालीन लाभार्थियों या दीर्घकालिक ग्राहकों से, जैसा भी मामला हो, सीधे वसूल किया जाएगा। दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर वसूली योग्य मदों पर 38623.96 लाख रुपये की शेष राशि की तुलना में कैलेंडर वर्ष के दौरान 1452.47 लाख रुपये (पीवाई के दौरान 1310.82 लाख रुपये) की राशि को मूर्त रूप दिया गया है और तदनुसार इसे वापस लिया गया/समायोजित किया।

(iv) कर्मचारियों के लाभ व्यय – ग्रेज्युटी

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा याचिका संख्या 718/एमपी/2020 में जारी दिनांक 23.01.2023 के आदेश के अनुसरण में, “कर्मचारी लाभ व्यय” की वसूली से संबंधित 4793.47 लाख रुपये उक्त राशि की वसूली के लिए लाभार्थियों पर उठाए गए बिलों के आधार पर समायोजित किए गए हैं।

(v) विनिमय अंतर

नीपको के पारे एचपीएस के लिए सीईआरसी द्वारा जारी एकल भाग टैरिफ को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान 1459.91 लाख रुपये के विनिमय अंतर को संशोधित किया गया है।

कर से पहले के लाभ

कर और असाधारण वस्तुओं से पहले कंपनी का लाभ नीचे सारणीबद्ध है;

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
कुल आय	4,57,063.5	3,30,196.67
कम		
संचालन से संबंधित व्यय	2,51,995.61	1,55,831.12
वित्त लागत	53,667.13	58,198.79
मूल्यह्रास, परिशोधन और नुकसान व्यय	83,550.16	80,781.94
कर से पहले के लाभ (असाधारण मदें और विनियामक स्थगन लेखा शेष राशि में परिवर्तन)	67,850.60	35,384.82

कर प्रावधान का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्तमान कर	स्थगित कर	कुल
वित्तीय वर्ष 23-2022 के लिए प्रावधान	12,957.03	22,154.15 (निवल आस्थगित कर समायोजन)	35,111.18
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	-	-	-
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार निवल प्रावधान	12,957.03	22,154.15 (निवल आस्थगित कर समायोजन)	35,111.18

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22		
	वर्तमान कर	स्थगित कर	कुल
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रावधान	7296.76	14,819.16 (निवल आस्थगित कर समायोजन)	22,115.92
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	-	-	-
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	7296.88	14,819.16 (निवल आस्थगित कर समायोजन)	22,115.92

कर के बाद लाभ

कर के बाद कंपनी का लाभ नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कर पूर्व लाभ (असाधारण मदों और विनियामक स्थगन खाता शेष राशि में परिवर्तन)	67,850.60	35,384.82
अपवाद मद – आय / (व्यय)		0.00
कर पूर्व लाभ (विनियामक स्थगन खाता शेष राशि में उतार-चढ़ाव)	67,850.6	35,384.82
जोड़ें: विनियामक स्थगन खाता शेष में उतार-चढ़ाव	6950.66	7960.47
कम: कर व्यय	35,111.18	22,115.92
कर के बाद लाभ	39,690.08	21,229.37

अन्य व्यापक आय

वित्तीय वर्ष 22-2021 में (-) 1306.16 लाख रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-2022 के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) (-) ₹ 530.18 लाख है।

नकदी प्रवाह

विभिन्न गतिविधियों पर नकदी और नकद समतुल्य और नकदी प्रवाह नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
नकद और नकद समकक्ष खोलना	4344.49	46.89
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)	1,58,660.02	1,70,869.82
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	(64,068.25)	(50,615.69)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	(97,474.93)	(1,15,956.53)
नकदी और नकद समतुल्य बंद करना	1,461.33	4,344.49

नकदी प्रवाह के विवरण में परिचालन गतिविधियों, निवेश गतिविधियों और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह शामिल है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालन गतिविधियों से नीपको का शुद्ध नकदी प्रवाह 1,58,660.02 लाख रुपये है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 1,70,869.82 लाख रुपये था। प्रचालन तामक कार्यकलापों से निवल नकदी का निर्धारण गैर-नकदी मदों अर्थात् गैर-नकदी मदों को समायोजित करने के बाद किया गया है। 83,550.16 लाख रुपये का मूल्यहास, 52,909.91 लाख रुपये की वित्त लागत, 6950.66 लाख रुपये की विनियामक स्थगित लेखा शेष राशि में उतार-चढ़ाव, 757.22 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा लाभ, 13.73 लाख रुपये की परिसंपत्तियों (शुद्ध) की मान्यता रद्द करने पर नुकसान, 4852.11 लाख रुपये का प्रावधान/बट्टे खाते में डालना, 166.58 लाख रुपये का विलंबित राजस्व परिचालन आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से इन्वेंट्री, व्यापार प्राप्तियों, अन्य प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों, अन्य वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) के प्रभाव के कारण नकद अंतर्वाह (निवल) में (-)41,560.07 लाख रुपये का प्रभाव पड़ा। वर्ष के दौरान ₹10300.00 लाख का आयकर भुगतान भी किया गया।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश गतिविधियों से नीपको का शुद्ध नकदी बहिर्वाह 64,068.25 लाख रुपये है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 50,615.69 लाख रुपये की निकासी हुई थी। इसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर व्यय ₹ 65,819.50 लाख, ₹ 526.77 लाख के निवेश पर ब्याज आय, ₹ 9.04 लाख की परिसंपत्तियों के निपटान पर प्राप्ति, “देरी भुगतान अधिभार” के कारण 497.88 लाख रुपये की वसूली और नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक बैलेंस में परिवर्तन ₹ 717.56 लाख शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 में, वित्तपोषण गतिविधियों से नीपको का शुद्ध नकदी बहिर्वाह पिछले वर्ष के 1,15,956.53 लाख रुपये की तुलना में 97,474.93 लाख रुपये है। निगम ने बैंकों से मीयादी ऋण के रूप में 95,000.00 लाख रुपये की धनराशि जुटाई है और क्रमशः 1,32,663.26 लाख रुपये और 55,282.98 लाख रुपये के ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान भी किए हैं। वर्ष के दौरान निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1500.00 लाख के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान वित्त पट्टा दायित्वों का भुगतान 72869 लाख रुपये है और चालू उधारों के कारण निवल बहिर्वाह 2300000 लाख रुपये है।

ऑफ-बैलेंस शीट आइटम

आकस्मिक देनदारियां :

वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए आकस्मिक देनदारियों के घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कंपनी के खिलाफ दावों को निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है:		
कैपिटल वर्क्स के खिलाफ लंबित मुकदमा	2,75,242.36	1,61,370.11
भूमि मुआवजे के मामले	2365.00	2806.00
इनकम टैक्स की विवादित मांग	27,614.24	46,889.39
अन्य	19,239.00	15.00
कुल	3,24,460.60	2,11,080.50

प्रतिबद्धता

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
पूंजीगत अनुबंधों पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई (अग्रिमो और जमा राशियों का शुद्ध)	37,718.70	16,030.42

संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

31 मार्च 2022 तक, नीपको की एक संयुक्त उद्यम कंपनी निम्नानुसार है:

- ❖ केएसके डिविन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, 82/293-2-8/ए/431/ए, रोड नंबर 22, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 033 500, भारत

उपर्युक्त संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी भारत में निगमित है। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके उक्त जेवी कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित खातों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

पर वित्तीय परिणाम की एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल राजस्व	4,57,063.50	3,30,196.67
कुल खर्च	3,89,212.90	2,94,811.85
असाधारण मदों - आय / (व्यय)	0.00	0.00
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का हिस्सा	(1.87)	(0.99)
दर विनियमित गतिविधियों और कर से पहले लाभ	67,848.73	35,383.83
कर व्यय	33,642.41	20,495.73
दर विनियमित गतिविधियों से पहले लाभ	34,206.32	14,888.10
दर विनियमित गतिविधियों में उतार-चढ़ाव (कर का शुद्ध)	5482.47	6340.59
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	39,688.79	21,228.69
अन्य व्यापक आय	(530.18)	(1306.16)
कुल व्यापक आय (कर का शुद्ध)	39,158.61	19,922.53
कुल इक्विटी	6,58,933.48	6,56,274.87

मानव संसाधन और मानव संसाधन विकास

31.03.2023 तक, निगम में 1 (एक) बोर्ड स्तर के कार्यकारी (सीवीओ को छोड़कर) सहित नियमित कर्मचारियों की संख्या 1515 थी। इनमें से 666 कार्यपालक, 204 पर्यवेक्षक और 644 कामगार हैं।

नियमित कर्मचारियों का आयु विवरण का विश्लेषण और इसके निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

आयु समूह	कुल	कर्मचारियों का प्रतिशत
30 साल तक	33	2%
31 - 40 साल	207	14%
41-50 साल	320	21%
51-60 साल	957	63%

अगले 5 (पाँच) वर्षों में सेवानिवृत्ति की रूपरेखा:						
वर्ग	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	कुल
बोर्ड स्तर	-	-	-	-	1	1
कार्यपालक	54	51	57	56	47	265
पर्यवेक्षक	14	29	18	25	13	99
कामगार	31	44	32	44	49	200
कुल	99	124	107	125	110	565

उपर्युक्त निष्कर्षों से पता चलता है कि निगम में 63% जनशक्ति 51 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में है और वर्ष मार्च, 2028 तक लगभग 565 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यह आंकड़ा बताता है कि निगम में नौकरी छोड़ने की दर अधिक है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 614 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया और हासिल किए गए कुल प्रशिक्षण श्रम दिन 2884 थे।

निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिईएन: 08534217

दिनांक: 14-08-2023

स्थान: नई दिल्ली

व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

एक व्यावसायिक इकाई में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समावेशिता के लिए सही दृष्टिकोण एक स्वस्थ, उत्पादक और टिकाऊ संस्थान की ओर जाता है। नीपको ने हमेशा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में स्थिरता को केंद्र बिंदु पर रखा है। हमारे हितधारकों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता हमारी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। हमने पर्यावरण और हमारे हितधारकों की आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम प्रथाओं और सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हमेशा अपने व्यवसाय को संतुलित किया है।

ईएसजी के संबंध में प्रकटीकरण के संबंध में वैश्विक घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, भारत में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बीआरएसआर, यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के रूप में ईएसजी प्रकटीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था। यद्यपि नीपको के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, तथापि, नीपको विद्युत क्षेत्र में एक जिम्मेदार इकाई होने के नाते और पर्यावरण, समाज और सुशासन प्रथा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के रूप में, इस वर्ष से हम स्वेच्छा से बीआरएसआर प्रारूप में ईएसजी प्रकटीकरण की रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. संस्था का सूचीबद्ध विवरण

1. सूचीबद्ध संस्था की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):	U40101ML1976GOI001658
2. सूचीबद्ध संस्था का नाम	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं)
3. निगमन का वर्ष	1976
4. पंजीकृत कार्यालय का पता:	ब्रुकलैंड कंपाउण्ड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग - 003 793
5. कॉरपोरेट का पता:	ब्रुकलैंड कंपाउण्ड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग - 003 793
6. ईमेल:	cmdneepco@neepco.co.in
7. दूरभाष:	0364-2224487, 0364-2226453
8. वेबसाइट:	https://neepco.co.in
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2022-23
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	लागू नहीं
11. चुकता पूंजी	₹.3,60,98,10,4000
12. बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता):	महाप्रबंधक (ई/एम) निदेशक (तकनीकी) नीपको लिमिटेड, ब्रुकलैंड कंपाउण्ड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग - 003 793 (ईमेल: dtoffice@neepco.co.in, दूरभाष-0364-2308357)
13. रिपोर्टिंग सीमा -	
क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई क्योंकि कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। और उन सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा बनाते हैं, एक साथ लिया जाता है):	बीआरएसआर में प्रकटीकरण स्वसंपूर्ण आधार पर किया जाता है।

II. उत्पाद/सेवाएँ

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	संस्था के कारोबार का %
1.	विद्युत उत्पादन	बिजली का उत्पादन	100%

15. संस्था द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद/सेवाएँ (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा)

क्रम सं.	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1	बिजली का उत्पादन	351	100%

III. संचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहाँ संयंत्र और / या इकाई के संचालन / कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	चालू पावर स्टेशनों की संख्या	कार्यालयों की संख्या (परियोजना कार्यालय सहित)	कुल
राष्ट्रीय	कुल 10 1) एजीबीपीएस 2) टीजीबीपीएस 3) एजीजीबीपीएस 4) का.ह.प.स्. 5) तु.ह.प.स्. 6) पारे ह.प.स्. 7) पी.एल,एच.पी.एस 8) कोपलि ह.प.स्. 9) दोईमुख ह.प.स्. 10) एम.एस.पी. एस	कुल 11 1) शिलांग 2) गुवाहाटी 3) कॉर्पोरेट मामले 4) ईडी (अरुणाचल) 5) वाह उमियम -III ज. वि. परि. 6) कुरुंग ज. वि. परि. 7) नाफरा ज. वि. परि. 8) टाटो - ज. वि. परि. 9) तवांग ज. वि. परि. 10) कुरुंग ज. वि. परि. 11) नेईंग ज. वि. परि	कुल 21
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

17. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

उत्पादित विद्युत ट्राइसिटी की आपूर्ति पूर्वोत्तर भारत (सिक्किम को छोड़कर) में डिस्कॉम को की जाती है और पैन इंडिया के लिए पावर एक्सचेंज के माध्यम से की जाती है।

ए) स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	10 राज्य
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

बी) इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

शून्य

सी) ग्राहकों के प्रकार पर एक संक्षिप्त जानकारी:

हमारे ग्राहक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियां हैं- बिजली की आपूर्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत और पावर एक्सचेंज को की जाती है।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

ए) कर्मचारियों और कामगारों (दिव्यांग सहित)

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	1516	1232	81.26%	284	18.73%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	263	223	84.79%	40	15.20%
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई)	1779	1455	81.78%	324	18.21%
श्रमिक						
4.	स्थायी (एफ)	644	479	74.37%	165	25.62%
5.	स्थायी के अलावा (जी)	263	223	84.79%	40	15.20%
6.	कुल कामगार (एफ + जी)	907	702	77.39%	205	22.60%

बी. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी /ए)	सं. (सी)	% (सी / ए)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थाई (डी)	43	34	79.06%	9	20.93%
2.	स्थाई के अलावा (ई)	0	0	0	0	0
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी + ई)	43	34	79.06%	0	20.93%
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थाई (एफ)	43	34	79.06%	9	20.93%
5.	स्थाई के अलावा (जी)	0	0	0	0	0
6.	कुल दिव्यांग श्रमिक (एफ + जी)	43	34	79.06%	0	20.93%

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	1	0	0 %
मुख्य प्रबंधन कार्मिक विभाग	1	0	0 %

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए कारोबार दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का खुलासा करें)

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्त वर्ष 2020-21 (पिछले वित्त वर्ष के पहले साल में कारोबार दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	80	67	13	68	9	77	45	8	53
स्थायी श्रमिक	38	9	47	53	3	56	69	2	71

V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (ए) नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम के नाम

क्र. सं.	नियंत्रक का नाम / सहायक / सहयोगी कंपनियाँ / संयुक्त उद्यम (ए)	यह इंगित करें कि क्या नियंत्रक / सहायक / सहयोगियों/संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित संस्था, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हाँ/ नहीं)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी	100%	हाँ
2.	केएसके डिविन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	30%	नहीं

VI. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का विवरण

22. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हाँ)

(ए) कारोबार (रुपये में) : 31 मार्च 2022 को 3206.84 करोड़ रुपये

(बी) निवल मूल्य (रुपये में) : 31 मार्च 2022 तक 6559.23 करोड़ रुपये

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें /

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं)	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछले वित्तीय वर्ष		
	(यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
समुदाय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) यानी बॉन्डधारक	https://www.scores.gov.in/admin/Welcome.html	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
शेयरधारक	https://www.scores.gov.in/admin/Chk_login.html	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ, कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र आधिकारिक वेबसाइट पर कर्मचारी लॉगिन के तहत उपलब्ध है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ग्राहक	वार्षिक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से और डिस्कॉम के एक-एक अधिकारियों के साथ मीटिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वैल्यू चेन पार्टनर्स	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	अभी तक किसी भी हितधारक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।						
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

24. इकाई की सामग्री जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित सामग्री जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार दिए गए हैं-

क्र. सं.	सामग्री समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (जोखिम या अवसर)	जोखिम/ अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक इंगित करें) निहितार्थ
1.	कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों को नुकसान	जोखिम	पर्यावरण के लिए खतरनाक	ई-कचरा नीति के माध्यम से निपटान	नकारात्मक
2.	उपभोग्य वस्तुएँ (टोनर और बैटरी)	जोखिम	पर्यावरण के लिए खतरनाक	बैटरी वापस खरीदें और कारतूस ओईएम के माध्यम से निपटान करें (एचपी प्लैनेट पार्टनर प्रोग्राम)	नकारात्मक
3.	संबंधित केंद्रीय या राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा लाए गए नियमों/अधिनियमों/दिशा-निर्देशों में परिवर्तन। उदाहरण के लिए: (वन भूमि परिवर्तन के लिए भुगतान किया जाने वाला एनपीवी माननीय उच्चतम न्यायालय के पास लंबित है। उपयोगकर्ता एजेंसियों को एफसी क्लीयरेंस के लिए आवेदन करते समय एक वचन देना होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय लिए जाने पर एनपीवी के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा)	जोखिम	वित्तीय/ सामरिक/ परिचालन/ अनुपालन जोखिम	जोखिम स्वीकृति	नकारात्मक प्रभाव

अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने की दिशा में रखी गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न										पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9		
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं																				
1. ए. क्या आपकी संस्थाकी नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और इसके मूल तत्वों को कवर करती हैं।										हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	
बी. क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)										हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो																				
2. क्या संस्थाने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हाँ/ नहीं (हाँ / नहीं)										हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हाँ/नहीं)																				
4. आपकी संस्थाद्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र / लेबल / मानकों (जैसे वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएसएस, आईएसओ, बीआईएस) मानकों का नाम और प्रत्येक सिद्धांत में मैप किया गया.										वैधानिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है तालिका-1 के अनुसार जिम्मेदारियां निर्धारित है										
5. निर्धारित समय-सीमा के साथ संस्थाद्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो।																				
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों के विरुद्ध संस्थाका निष्पादन और यदि वे पूरे नहीं होते हैं तो इसके कारण क्या हैं।																				
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण																				
7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा बयान (सूचीबद्ध संस्थाके पास इस प्रकटीकरण के स्थान के बारे में लचीलापन है)																				
8. व् यापार दायित्व व नीति (आईईएस) के कार्यान् वयन और निगरानी के लिए जिम् मेदार सर्वोच् च प्राधिकारी का विवरण।										लागू नहीं										
9. क्या संस्थाके पास बोर्ड / निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ / नहीं) । यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।										हाँ। निदेशक मंडल स्थिरता के मुद्दों के संबंध में समीक्षा और निर्णय लेता है.										
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:																				
समीक्षा के लिए विषय		यह बताना कि क्या बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी।								आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)										
		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई										संतोषजनक					आवश्यकता के अनुसार					
सिद्धांतों के लिए प्रासंगिक वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार										Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	YY	Y	आवश्यकता के अनुसार	
11. क्या संस्थाने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं) । यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।										पी1 नहीं	पी2 नहीं	पी3 नहीं	पी4 नहीं	पी5 नहीं	पी6 नहीं	पी7 नहीं	पी8 नहीं	पी9 नहीं		

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो बताए जाने वाले कारण:

सवाल	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांत सामग्री पर विचार नहीं करती है (हां / नहीं)									
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों (हां / नहीं) पर नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने की स्थिति में है।									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या / मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां / नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

सिद्धांत -9 के लिए कोई नीति नहीं। तथापि, सिद्धांत-9 के सभी मानकों और पैरामीटरों को पूरा करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

तालिका-ए

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति	निदेशकों की जिम्मेदारी
सिद्धांत 1 (पी 1)	व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और शासन करना चाहिए	<ul style="list-style-type: none"> नियम अपील और अनुशासन आचरण विज्ञान, मिशन और मूल्य आचार संहिता सत्यनिष्ठा समझौता धोखाधड़ी और व्हिसिल ब्लोअर नीति वार्षिक योग्यता विकास योजना 	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 2 (पी 2)	व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें।	<ul style="list-style-type: none"> सीएसआर नीति आईएसओ 45001:2018 	निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी 3)	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> स्थानांतरण नीति 	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी 4)	व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं	<ul style="list-style-type: none"> विज्ञान और मिशन आर एंड आर नीति 	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी 5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए	<ul style="list-style-type: none"> विज्ञान, मिशन और मानव संसाधन नीतियां 	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी 6)	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे बहाल करने के प्रयास करने चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> आईएसओ 14001:2015 	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी 7)	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए	<ul style="list-style-type: none"> आचरण संहिता 	निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 8 (पी 8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> सीएसआर नीति 	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 9 (पी 9)	व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए	सिद्धांत 9 के तहत सभी मूल्यों और मापदंडों का विधिवत पालन किया जाता है।	

खंड सी: सिद्धांत वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को एकीकृत करने में अपने प्रदर्शन का प्रदर्शन करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को हर संस्था द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है जिसे इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य किया गया है, नेतृत्व संकेतकों को स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ खुद को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह हो संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु (%)
निदेशक मंडल	1	अभिविन्यास कार्यक्रम	16%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक /वरिष्ठ प्रबंधन	3	सतर्कता अधिकारियों के लिए सम्मेलन	1.28%
बीओडी और केएमपी/एसएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	1	सतर्कता प्रशासन निवारक सतर्कता निवारक सतर्कता	0.15%
श्रमिक	-	-	-

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के पास कार्यवाही (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड पुरस्कार/शमनीय शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिया गया है (नोट: संस्था सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियमों के विनियम 30 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी, 2015 और जैसा कि संस्था की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है:

वित्तीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं के नाम	राशि (आईएनआर में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)

जुर्माना

समंजन

शमन शुल्क

शून्य

गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं के नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)	

कारावास

सजा

शून्य

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के नाम
	शून्य

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें। हाँ। नीपको में धोखाधड़ी और व्हिसल ब्लोअर नीति लागू है। <http://neepco.co.in/online-vigilance-complaint-form>
5. उन निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/वर्कमैन की संख्या जिनके विरुद्ध किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)
निर्देशकों	शून्य	शून्य
केएमपीएस	शून्य	शून्य
कर्मचारियों	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्रश्न ही नहीं उठता

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:
अब हम बीआरएसआर प्रारूप द्वारा आवश्यकतानुसार डेटा एकत्र करने के लिए तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया में हैं।
2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं?
हां, नीपको के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए एक प्रक्रिया है।

सिद्धांत 2

व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

- उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः संस्थाद्वारा किए गए कुल अनुसंधान और विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में है।

	चालू वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर और डी	* 93.86 %	* 15.2 %	<p>स्मार्ट रोशनी नियंत्रक:</p> <p>उत्पाद बिजली के संरक्षण के लिए उपयोगी है और यदि बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है तो बहुत कम लागत होगी। नियंत्रक स्वचालित रूप से शाम को रोशनी चालू करेगा और पहली सुबह की रोशनी (चयन योग्य) के साथ-साथ अपने अंतर्निहित ऑफ-टाइमर के साथ किसी भी पूर्व-चयनित समय पर बंद कर देगा। इसमें 2 किलोवाट लोड को विनियमित करने की क्षमता है, जो इसे सड़क और बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए आदर्श बनाता है, जिसमें बिजली के संरक्षण और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने की क्षमता है। इस नियंत्रक को सीएसआर पहल के तहत स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संगठनों को वितरित किया जा सकता है जो ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की मदद करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।</p> <p>अरुणाचल प्रदेश के 405 मेगावाट पनयोर लोअर एचपीएस में डाउनस्ट्रीम बाढ़ की चेतावनी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से स्वचालित संचार प्रणाली के लिए मॉडल: यह प्रणाली बांध के गेट के माध्यम से पानी छोड़ने की स्थिति में बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में यात्रा के समय और इससे जुड़े नदी के जल स्तर की अग्रिम जानकारी देने में मदद करेगी। यह अग्रिम सूचना डाउनस्ट्रीम आबादी को आवश्यक सावधानियां/उपाय करने में सहायक होगी। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली के लिए कम लागत वाले टिकाऊ और कुशल इलेक्ट्रो-उत्प्रेरक और प्रोटॉन विनिमय झिल्ली का विकास:</p> <p>परियोजना प्रक्रिया में है और यदि विकसित होती है तो ग्रीन हाइड्रोजन के कम लागत वाले उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होगी। आर एंड डी परियोजना का उद्देश्य कम खर्चीले लेकिन समान रूप से या अधिक कुशल सामग्री, अधिक कुशल झिल्ली, प्रक्रिया को अनुकूलित करके इलेक्ट्रोड की लागत को कम करना है। कम लागत वाला हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन को बदलने और ऊर्जा सुरक्षा लाने के लिए उपयोगी होगा जो पर्यावरण के अनुकूल भी होगा।</p>

*% (ग) संबंधित वर्षों के बजट अनुमान की तुलना में अनुसंधान एवं विकास के व्यय के आधार पर गणना की गई है।

- क्या संस्थाके पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं) :-हाँ बी। यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे? -खरीद ई-टेंडरिंग, जेम आदि जैसे टिकाऊ सोर्सिंग विधियों के माध्यम से की जाती है।
(ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-अपशिष्ट (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य कचरे के लिए जीवन के अंत में पुनः उपयोग, रीसाइक्लिंग और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

- कार्यालय में प्लास्टिक का उपयोग यथासंभव कम किया जाए। कार्यालय के साथ-साथ विभिन्न बैठकों/सभाओं में पेपर कप और प्लेटों के अलावा पेपर पैकेट के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के अपशिष्ट/कचरा सहित कचरे को व्यक्तियों द्वारा कूड़ेदान में डाला जाता है, जिसे हर दिन एक केंद्रीय कूड़ेदान में एकत्र किया जाता है, जहां से इन्हें उचित उपचार/निपटान के लिए नगर पालिका वाहन द्वारा ले जाया जाता है। ई-कचरे को संबंधित आईटी विंग में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां से इन्हें सुरक्षित निपटान के लिए चैनलाइज़ किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अपशिष्ट उत्पादन को सीमित करने के लिए सामग्रियों का निपटान करने से पहले उनके जीवनकाल तक उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कागज दोनों तरफ मुद्रित होते हैं। फेंके गए कागजों पर ड्राफ्ट प्रिंट लिए जाते हैं। संपत्तियों और फर्नीचर को निपटान के लिए घोषित करने से पहले उनकी मरम्मत और पुनः उपयोग की संभावना का पहले निरीक्षण किया जाता है। इस तरह के निपटान संबंधित एचआर विंग के माध्यम से किए जाते हैं जहां से इन्हें मूल्यहास/उचित मूल्य पर विक्रेताओं को सौंप दिया जाता है।

नीपको लिमिटेड ने सीपीसीबी और एसपीसीबी के अधिनियम/नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी अपशिष्ट

निपटान योजना तैयार की है और तदनुसार योजना के अनुसार सभी कचरे का निपटान किया है...

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)।

यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें

-लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्थाने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद / सेवा का नाम	कुल कारोबार का योगदान (%)	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था।	चाहे स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया हो (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए (हां / नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें.	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ संक्षेप में इसका वर्णन करें।

उत्पाद का नाम	जोखिम का विवरण	कार्रवाई सेवा	चिंता
कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों को नुकसान	पर्यावरण के लिए खतरनाक	ई-कचरा नीति के माध्यम से निपटान	पर्यावरण के लिए चिंता
उपभोग्य वस्तुएं (टोनर और बैटरी)	पर्यावरण के लिए खतरनाक	ई-कचरा नीति के माध्यम से निपटान	पर्यावरण के लिए चिंता

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत। - लागू नहीं

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री
	वित्तीय वर्ष चालू वित्त वर्ष
	वित्त वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष

लागू नहीं

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, माला (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाई जाती है: लागू नहीं

	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	पुनः उपयोग किया गया	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटाया गया	पुनः उपयोग किया गया	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटाया गया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ई-कचरा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक कचरा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य अपशिष्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में) बिजली उत्पादन व्यवसाय में पैकेजिंग सामग्री को पुनः प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

सिद्धांत 3

व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें उनके मूल्य श्रृंखलाएं भी शामिल हैं।

आवश्यक संकेतक

1. ए) कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

कवर किए गए कर्मचारियों का%											
वर्ग	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)

स्थायी कर्मचारी

पुरुष	1232	1232	100%	1232	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	1232	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	284	284	100%	284	100%	284	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	284	100%
कुल	1516	1516	100%	1516	100%	284	100%	1232	100%	284	100%

अन्य स्थायी कर्मचारी

पुरुष	223	223	100%	223	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	223	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	40	40	100%	40	100%	40	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	40	100%
कुल	263	263	100%	263	100%	-	-	-	-	-	-

बी) श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

कवर किए गए कर्मचारियों का%											
वर्ग	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)

स्थायी कर्मचारी

पुरुष	479	479	100%	479	100%			479	100%		
महिला	165	165	100%	165	100%	165	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	165	100%
कुल	644	644	100%	644	100%						

अन्य स्थायी कर्मचारी

पुरुष	223	223	100%	223	100%			223	100%		
महिला	40	40	100%	40	100%	40	100%			40	100%
कुल	263	263	100%	263	100%						

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	नहीं। कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	नहीं। कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हाँ/नहीं / लागू नहीं.)	नहीं। कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	नहीं। कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हाँ/नहीं / लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
उपदान	100%	100%	लागू नहीं	100%	100%	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था के परिसर / कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ

4. क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें। हाँ।

वेबलिंक : https://neepco.co.in/sites/default/files/Equal_Opportunity_Policy_Jun19.pdf

5. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
	काम की दर	अवधारण दर	काम की दर	अवधारण दर
पुरुष	0	0	0	0
महिला	100	100	100	100
कुल	100	100	100	100

6. क्या कर्मचारियों और वर्कमैन की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें।

	हाँ / नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हाँ
स्थायी कर्मचारियों के अलावा स्थायी कर्मचारी	हाँ
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हाँ

हाँ। नीपको की शिकायत निवारण मशीनरी में तीन स्तरीय तंत्र है और शीर्ष शिकायत निवारण समिति से संतुष्ट नहीं होने पर अंतिम चरण में सीएमडी से अपील की जाती है। यह प्रयास निगम के हित में शिकायतों को उसके मूल स्थान के निकट और शीघ्रता से निपटाने का है। दो प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है, एक संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली, कलकत्ता और गुवाहाटी में कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के लिए और दूसरी कॉर्पोरेट कार्यालय शिलांग में तैनात कर्मचारियों के लिए।

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (ओं) या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)		
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर	कौशल उन्नयन पर	कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर	कौशल उन्नयन पर
कुल स्थायी कर्मचारी	1516	1516	100%	1641	1641	100%
- पुरुष	1232	1232	100%	1335	1335	100%
- महिला	284	284	100%	306	306	100%
कुल स्थायी कर्मचारी	644	644	100%	683	683	100%
- पुरुष	479	479	100%	510	510	100%
- महिला	165	165	100%	173	173	100%

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ/ड)
कर्मचारियों										
पुरुष	1232	28	2.2%	112	.09%	1335	39	2.9%	86	.06%
महिला	284	1	0.3%	4	.01%	306	12	3.9%	0	0
कुल	1516	29	1.9%	116	.07%	1641	51	3.10%	86	.06%
श्रमिक										
पुरुष	479	12	2.5%	0	0	510	32	6.2%	4	0.7%
महिला	165	0	0	0	0	173	21	12.1%		
कल	644	12	1.8%	0	0	683	53	7.7%	4	0.7%

9. कर्मचारियों और कार्यकर्ता के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षाओं का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)		
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल सी	संख्या डी	% (डी / सी)
कर्मचारियों						
पुरुष	1232	1232	100%	1335	1335	100%
महिला	284	284	100%	306	306	100%
कुल	1516	1516	100%	1641	1641	100%
श्रमिक						
पुरुष	479	479	100%	510	510	100%
महिला	165	165	100%	173	173	100%
कुल	644	644	100%	683	683	100%

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क) क्या संस्थाद्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली क्या है?

हाँ, नीपको ओएचएसएमएस (आईएसओ: 45001, 2018) प्रमाणित संगठन है, इसकी अपनी ओएचएस नीति है और सभी ओएचएस संबंधित नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करता है। प्रबंधन लेखा परीक्षा/निरीक्षण के माध्यम से प्रणाली की निगरानी की जा रही है और आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है।

ख) कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और संस्थाद्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

खतरे की पहचान करने के लिए सुरक्षा निरीक्षण, कार्य सुरक्षा विश्लेषण, सुरक्षा लेखा परीक्षा की जा रही है। संरक्षा विभाग द्वारा संयंत्र स्तर पर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नीपको खतरों की पहचान और जोखिम विश्लेषण (एचआईआरए) अध्ययन के माध्यम से कार्य संबंधी खतरों की भी पहचान करता है।

ग) क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए प्रक्रियाएं हैं।

हाँ, श्रमिक सीधे सुरक्षा विभाग/अपने डिवीजन के प्रमुख या सुरक्षा समिति के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। नीपको इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करता है।

घ) क्या यूनिट के कर्मचारियों/वर्कमैन की पहुंच गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक है?

- हाँ।

10. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना / संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति इतने घंटे काम किये)	कर्मचारियों	शून्य	0.27
	श्रमिक	शून्य	शून्य
रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें	कर्मचारियों	शून्य	2
	श्रमिक	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारियों	शून्य	3
	श्रमिक	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम काम से संबंधित चोट या बीमार स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	शून्य

11. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

नीपको आईएसओ 45001: 2018 प्रमाणित है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकताओं को नीपको की प्रक्रिया और गतिविधियों में स्थापित और बनाए रखा जाता है। सभी विद्युत स्टेशनों के लिए सीएमपी और डीएमपी का कार्यान्वयन किया जा रहा है और नियमित आधार पर फायर और मॉक ड्रिल आयोजित किए जाते हैं। निगम स्तर पर बहु-विषयक तकनीकी सुरक्षा समिति और प्रत्येक परियोजना के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए

सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल में सुधार के लिए विविध कदम उठाए गए वे हैं-

- फायर हाइड्रेंट, सी02 जैसी आंतरिक अग्निशमन प्रणाली की स्थापना द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थल के सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।
- बाढ़ प्रणाली, स्प्रींकलर सिस्टम, फायर टैंडर, पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र आदि।
- पीपीई/सुरक्षा गियर आदि का उपयोग।
- सुरक्षा मानक के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उपयोग।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर चेतावनी नोटिस का प्रदर्शन।
- जोखिम पहचान और जोखिम विश्लेषण (एचआईआरए)
- कर्मचारियों/वर्कमैन के बीच सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित करना।
- विद्युत संयंत्र क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध।
- साइट पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- समय-समय पर सुरक्षा आवश्यकताओं और उनके शमन आदि की समीक्षा करना।

12. कर्मचारियों और वर्कमैन द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या

	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	साल के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	साल के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

13. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्थाया वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा))
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	मनुपमा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निगरानी लेखा परीक्षा के माध्यम से
काम करने की स्थिति	तीसरे पक्ष द्वारा 50% मूल्यांकन।

14. संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को संबोधित करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्रत्येक दुर्घटना के मूल कारण का विश्लेषण किया जा रहा है और साथ ही लेखा परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी गैर-अनुरूपता का विश्लेषण किया जा रहा है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

सुरक्षा संबंधी घटनाओं का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जा रहा है।

कर्मचारी और श्रमिकों की कार्य स्थितियों को स्वास्थ्य स्वच्छता की स्थिति के लिए ठीक से बनाए रखा जाता है और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मूल कारण विश्लेषण के परिणाम के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) की जाती है।

नेतृत्व संकेतक

- क्या संस्था(ए) कर्मचारी (वाई / एन) (बी) श्रमिकों (वाई / एन) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है? हाँ। नीपको समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
- संस्थाद्वारा किए गए उपायों को प्रदान करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि की कटौती और जमा की गई है। लागू नहीं
- उन कर्मचारियों/वर्कमैन की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च परिणाम वाले कार्य संबंधी चोट/अस्वस्थ/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की पहली तिमाही में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	कुल संख्या। प्रभावित कर्मचारियों/वर्कमैन की संख्या		नहीं। उन कर्मचारियों/वर्कमैन की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और जिन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है।	
	वित्त वर्ष 22-23 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 21-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 22-23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 21-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)
कर्मचारियों	शून्य	3	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. क्या संस्थानिरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? हाँ।

सेवानिवृत्ति योजना पर कार्यशालाएं/प्रशिक्षण।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	लागू नहीं
काम करने की स्थिति	लागू नहीं

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्यों का विवरण प्रदान करें।

कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता की पहचान नहीं की गई थी।

सिद्धांत 4:

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. संस्थाके प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

नीपको, एक बिजली उत्पादन कंपनी, विद्युत मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उपक्रम है। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय अपने शीर्ष विनियामक निकायों/प्राधिकरणों जैसे सीईए, सीईआरसी आदि के साथ प्रमुख हितधारक हैं। भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालय अर्थात एमओईएफ और सीसी, एमएचए, एमओजेएस, एमओएफ, एमएनआरई आदि और जीएसआई, सीडब्ल्यूसी, सीएसएमआरएस जैसे निकाय विभिन्न परियोजनाओं में मंजूरी / अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल हैं।

एनटीपीसी 100% शेयरधारक होने के नाते एक और प्रमुख हितधारक है। परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल आदान जल राज्य के विषय होने के कारण संबंधित राज्य सरकारें अपने विभिन्न विभागों के साथ प्रमुख हितधारक हैं। नीपको अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के अलावा डीपीआर तैयार करने, परियोजना निर्माण आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए विभिन्न परामर्शदाताओं/ठेकेदारों को नियुक्त करता है। इस प्रकार ये परामर्शदाता/ठेकेदार भी कुछ प्रमुख हितधारक हैं।

स्थानीय प्राधिकरण/निकाय और स्थानीय आबादी जहां परियोजनाएं स्थापित/जांच की जाती हैं, स्वाभाविक रूप से उन परियोजनाओं के लिए प्रमुख हितधारक बन जाते हैं क्योंकि उनके लाभ और उत्थान को सुनिश्चित करने के अलावा प्रासंगिक परंपराओं, प्रथाओं का सम्मान किया जाता है और प्राथमिकता दी जाती है। नीपको विभिन्न स्थानों पर कई सीएसआर गतिविधियां संचालित करता है। इस प्रकार सीएसआर लाभार्थियों को अन्य हितधारकों के रूप में भी गिना जाता है।

नीपको की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार विभिन्न बैंक (घरेलू/विदेशी) और वित्तीय संस्थान निगम के कुछ प्रमुख हितधारक हैं। विक्रेताओं और निर्माताओं की भूमिकाएँ गतिविधियों के समय पर और सफल निष्पादन में एक प्रमुख कारक हैं, उन्हें कुछ प्रमुख हितधारक के रूप में भी पहचाना जाता है। लाभार्थी जो विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय / राज्य नियामक निकायों के साथ-साथ स्थानीय प्रेषण केंद्रों आदि जैसी नीपको की परियोजनाओं से बिजली खरीदते हैं, वे इस प्रक्रिया में प्रमुख हितधारक हैं। केंद्रीय/राज्य पारेषण यूटिलिटीज जैसे पीजीसीआईएल आदि ई-फाई के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

2. अपनी यूनिट के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति को सूचीबद्ध करें।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए वाले समूह के रूप में पहचाना जाता है (हां/ना)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) अन्य	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक / अर्ध-वार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव कुंजी के दौरान उठाए गए विषयों सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
एनटीपीसी	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पत्राचार वार्षिक रिपोर्ट बैठकों प्रस्तुतियों वेबसाइट विज़िट 	<ul style="list-style-type: none"> हर साल राउंड ऑफ द ईयर हर साल जब भी आवश्यक हो जब भी आवश्यक हो जब भी आवश्यक हो 	पीएसयू होने के नाते, इक्विटी एनटीपीसी के पास है। सभी परियोजनाओं के अनुमोदन और मंजूरी। व्यवसाय चलाने के लिए प्रदर्शन समझौता ज्ञापन और अन्य वैधानिक आवश्यकताएं।
कर्मचारियों	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> प्रकाशन पत्रिकाएँ शिकायत निवारण तंत्र परिपत्र और कार्यालय आदेश सामुदायिक प्रोग्रामर प्रतिपुष्टि 	<ul style="list-style-type: none"> त्रैमासिक, वार्षिक, अर्ध-वार्षिक राउंड ऑफ द ईयर राउंड ऑफ द ईयर राउंड ऑफ द ईयर राउंड ऑफ द ईयर 	कर्मचारी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे हुए हैं और उनकी जरूरतों की अपेक्षाओं को समझने के लिए आवधिक संवाद आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहकों	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> पीपीए पर हस्ताक्षर फ्रीडबैक सर्वेक्षण बैठकों अनुकूलता 	<ul style="list-style-type: none"> किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले हर साल जब भी आवश्यक हो राउंड ऑफ द ईयर 	नीपको त्वरित उपाय करता है और अन्य संबंधित संगठनों/एजेंसियों के साथ अपनी गतिविधियों को सिंक्रनाइज़ करके अपने मूल्यवान ग्राहकों को सहायता प्रदान करता है।
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> कोमल खुली बोली चर्चाएँ नीति और प्रक्रियाएँ बैठकों संयुक्त चर्चा 	<ul style="list-style-type: none"> जब भी आवश्यक हो हर पुरस्कार के साथ राउंड ऑफ द ईयर नियमित आधार पर नियमित आधार पर 	नीपको का मानना है कि ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और उनके कर्मचारी परियोजना कार्यान्वयन में प्रमुख हितधारक हैं, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं की चिंताओं का नियमित रूप से समाधान किया जा रहा है।
परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/स्थानीय और स्वदेशी समुदाय	हाँ	<ul style="list-style-type: none"> सीएसआर कार्यक्रम बैठकों शिकायत निवारण पत्रिकाओं पैम्फलेट/वेबसाइट खुलासे जन सूचना केंद्र 	<ul style="list-style-type: none"> राउंड ऑफ द ईयर जब भी आवश्यक हो राउंड ऑफ द ईयर त्रैमासिक, वार्षिक, अर्ध-वार्षिक राउंड ऑफ द ईयर परियोजना स्थलों-परिचालन संयंत्रों में खोला गया। 	नीपको का मिशन "मानवीय चेहरे वाले परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना" है। नीपको पुनर्वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। नीपको अपने सीएसआर फंड का लगभग 90% परियोजना प्रभावित क्षेत्र में खर्च कर रहा है।
मीडिया	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> प्रेस ब्रीफिंग घटनाओं के लिए निमंत्रण 	<ul style="list-style-type: none"> राउंड ऑफ द ईयर राउंड ऑफ द ईयर 	नीपको ने संरचित संचार उपकरण तैयार किए हैं और इंटरैक्शन मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों) के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर एक अलग संचार विभाग की स्थापना की है।
बड़े पैमाने पर समाज	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> प्रेस समाचार सूचना प्रचार सीएसआर कार्यक्रम वेबसाइट पर प्रदर्शित करें फेसबुक 	<ul style="list-style-type: none"> राउंड ऑफ द ईयर राउंड ऑफ द ईयर राउंड ऑफ द ईयर राउंड ऑफ द ईयर राउंड ऑफ द ईयर 	एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को अपने हितधारक के रूप में संलग्न करें।

असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा छत्तीसगढ़	हाँ	मीटिंग, ईमेल	त्रैमासिक सुलह	सुलह और कोई भी मुद्दा।
विद्युत मंत्रालय	नहीं	ईमेल, मैसेजिंग, टेलीफोन, मीटिंग, ऑनलाइन पोर्टल आदि।	दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक	नई परियोजनाओं का अधिग्रहण, वास्तविक और वित्तीय प्रगति, समीक्षा और रिपोर्टिंग, मंजूरी और अनुमोदन, परियोजना विकास के दौरान उठाए गए मुद्दों को कम करना, विदेशी ऋण आदि।
अन्य केंद्रीय मंत्रालय जैसे एमओईएफ और सीसी, एमओजेएस, एमएनआरई, एमओएलए, एमएचए आदि।	नहीं	ईमेल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल आदि।	आवश्यकता के अनुसार	ईसी के लिए एमओईएफ और सीसी, गृह मामलों के लिए एमएचए, मंजूरी (अंतर्राष्ट्रीय कोण से मंजूरी), अंतरराष्ट्रीय मंजूरी के लिए एमओजेएस, कानूनी मामलों पर कानूनी कोण / सलाह / परामर्श से मंजूरी के लिए एमओएलए। वित्तीय निवेश, प्रगति, परियोजना अनुमोदन आदि के लिए एमओएफ।
राज्य सरकार	नहीं	ईमेल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल आदि।	मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक और आवश्यकता के अनुसार	नई परियोजनाओं का अधिग्रहण/आवंटन, राज्यों, भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियों, परियोजनाओं के लिए सुरक्षा, मुफ्त बिजली और एलएडीएफ, आर एंड आर, बिजली की बिक्री, प्रगति समीक्षा आदि सहित राज्यों और स्थानीय आबादी को प्रदान किए जाने वाले लाभों से संबंधित स्वीकृतियां/अनापत्ति प्रमाणपत्र।
एनटीपीसी	नहीं	ईमेल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल आदि।	मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक और आवश्यकता के अनुसार	100% सहायक कंपनी होने के नाते, सभी विनियमन संबंधी मामलों को एनटीपीसी के माध्यम से सूचित किया जाता है।
सलाहकार	नहीं	ईमेल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल आदि।	आवश्यकता के अनुसार	उन्हें सौंपे गए कार्यों से संबंधित गतिविधियाँ।
स्थानीय निकाय/स्थानीय आबादी	May be	पत्र, टेलीफोन, बैठकें, आदि।	आवश्यकता के अनुसार	जागरूकता विकास, जन सुनवाई, परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, स्थानीय ठेकेदार/नौकरियाँ, एलएडीएफ, आर एंड आर, स्थानीय क्षेत्र को अन्य लाभ, सीएसआर आदि।
एफआई, बैंक	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें, आदि।		-

किसी भी परियोजना में प्रमुख हितधारक जिनके साथ किसी परियोजना के निष्पादन के दौरान लगातार जुड़ाव की आवश्यकता होती है:

- 1) विभिन्न अन्य सरकारी प्राधिकरणों/एजेंसियों सहित सरकार (संबंधित केन्द्रीय और राज्य दोनों)।
- 2) इंजीनियरिंग और निर्माण में लगे विभिन्न ठेकेदार.
- 3) विभिन्न आपूर्तिकर्ता/ट्रांसपोर्टर आदि।
- 4) विभिन्न सलाहकारों/डिजाइनरों/विशेषज्ञों के पैनल (पीओई)
- 5) परियोजना वित्तदाता
- 6) परियोजना के लाभार्थी/व्यापारिक भागीदार
- 7) स्थानीय जनसंख्या (आर एंड आर/एलएडीएफ योजनाओं आदि के तहत लाभ के हकदार लोगों के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवार)
- 8) निगम का प्रबंधन

परियोजना निर्माण जीवनचक्र के दौरान, हितधारकों के साथ लगातार जुड़ाव होता है और संबंधित हितधारकों के साथ संयंत्र के उत्पादन जीवनचक्र के दौरान भी कुछ हद तक जुड़ाव जारी रहता है।

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श सौंपा जाता है, तो हितधारकों के संबंध में बोर्ड के मुद्दों / मामलों को प्रदान किए गए ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया नियमित रूप से निदेशक मंडल को कैसे संबोधित की जाती है।
- बोर्ड स्वयं प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों का समाधान करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करने से पहले ईआईए अधिसूचना, 2006 और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार जन सुनवाई भी आयोजित की जाती है।
2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्थाकी नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था।
- हाँ। हालांकि, हितधारक जुड़ाव और परामर्श सामाजिक, सांस्कृतिक या स्वास्थ्य प्रभाव आकलन के महत्वपूर्ण घटक हैं, जिन्हें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में शामिल किया गया है। हितधारक परामर्श के माध्यम से पर्यावरणीय विषयों की पहचान और प्रबंधन को विशिष्ट परियोजना की पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में शामिल किया गया है और ईसी के अनुसार शमन उपायों को लागू किया जाता है।
3. कमजोर/हाशिए पर रहने वाले हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों और सहभागिता के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।
- हितधारक समूह के बीच कोई कमजोर मुद्दा नहीं मिला। ईसी प्राप्त करने से पहले विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हितधारकों के साथ बातचीत की जाती है।

सिद्धांत 5:

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्थाकी नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (ए)	कर्मचारी श्रमिकों को कवर (बी)	% (बी/(ए))	कुल (ए)	कर्मचारी श्रमिकों को कवर (बी)	% (बी/ए)
कर्मचारियों						
स्थायी	1232	0	0	1644	21	.01%
स्थायी के अलावा	263	0	0	276	0	
कुल कर्मचारी	1779	0	0	1920	21	.01%
श्रमिक						
स्थायी	644	0	0	689	4	.005%
स्थायी के अलावा	263	0		276	0	0
कुल कर्मचारी	907	0	0	965	4	.005%

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (ए))	समान न्यूनतम मजदूरी		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	समान न्यूनतम मजदूरी		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		सांख्य बी	% बी/ए	सांख्य सी	% सी /ए		सांख्य (ई)	% (ई/डी)	सांख्य एफ	% (एफ/डी)
कर्मचारियों										
स्थायी	1516	0	0	1516	100%	1641	0	0	1641	100%
पुरुष	1232	0	0	1232	100%	1335	0	0	1335	100%
महिला	284	0	0	284	100%	306	0	0	306	100%
स्थायी के अलावा अन्य	263	0	0	263	100%	276	0	0	276	100%
पुरुष	223	0	0	223	100%	236	0	0	236	100%
महिला	40	0	0	40	100%	40	0	0	40	100%
श्रमिक										
स्थायी	644	0	0	644	100%	683	0	0	683	100%
पुरुष	479	0	0	479	100%	510	0	0	510	100%
महिला	165	0	0	165	100%	173	0	0	173	100%
स्थायी के अलावा अन्य	263	0	0	263	100%	276	0	0	276	100%
पुरुष	223	0	0	223	100%	236	0	0	236	100%
महिला	40	0	0	40	100%	40	0	0	40	100%

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिया गया है:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
31-03-2023 को निदेशक मंडल (बीओडी) पूर्णकालिक निदेशक	1	62,24,123.00	0	लागू नहीं
31-03-2023 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (डब्ल्यूटीडी/एमडी के अलावा)	1	25,80,069.00	0	शून्य
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	682	216800.00	114	211932.00
श्रमिक	700	104529.00	205	99666.00

4. क्या आपके पास एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति / समिति) है जो मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय द्वारा किए गए या योगदान किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है?

हाँ।

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

नीपको की आंतरिक शिकायत निवारण मशीनरी में तीन स्तरीय तंत्र है और शीर्ष शिकायत निवारण समिति से संतुष्ट नहीं होने पर अंतिम चरण में सीएमडी के पास अपील की जाती है। यह प्रयास निगम के हित में शिकायतों को उसके मूल स्थान के निकट और शीघ्रता से निपटने का है। दो प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है, एक संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली, कलकत्ता और गुवाहाटी में कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के लिए और दूसरी कॉर्पोरेट कार्यालय शिलांग में तैनात कर्मचारियों के लिए।

6. कर्मचारियों और वर्कमैन द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	साल के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	साल के अंत में लंबित समाधान	वर्ष के दौरान दायर
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

नीपको सीडीए नयिमो के नयिम 4 ए और 4 बी

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं?

हाँ

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्थाया वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बालश्रम	शून्य
जबरदस्ती/अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौनउत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

किसी भी अन्य मुद्दे को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

- मानव अधिकारों की शिकायतों/शिकायतों के समाधान के फलस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।
नीपको में, मूल्य-आधारित लोकाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी आचार संहिता में सन्निहित है और यह हमारी कार्य संस्कृति और दिन-प्रतिदिन के कार्य संबंधी गतिविधियों में निहित है। हम अनुपालन की संस्कृति का निर्माण करना जारी रखते हैं, जहां हर कोई महसूस करता है कि वे सही काम कर रहे हैं और कानूनी और नैतिक विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- आयोजित किए गए किसी भी मानवाधिकार परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण। नीपको एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दर्शन को ध्यान में रखते हुए, नीपको के पास एक प्रबंधन है जो किसी भी प्रतिक्रिया को प्राप्त करने के लिए हमेशा अपना दरवाजा खुला रखता है। नीपको मूल्यों और आचार संहिता के बारे में जागरूकता, जिसमें मानवाधिकारों पर हमारा रुख निहित है, दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है।
- क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है? हाँ
- मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
बाल श्रम	शून्य
जबरन मजदूरी/अनैच्छिक श्रम	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिद्धांत 6:

व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणक में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

प्राचल	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)
कुल बिजली की खपत (ए) (एजीबीपीएस + कॉर्पोरेट कार्यालय)	$14.86 \times 10^{12} \text{ जे} + 21776 \times 10^6$	$147.65 \times 10^{12} \text{ जे} + 401600 \times 10^6$
कुल ईंधन की खपत (बी) (एजीबीपीएस)	$1.5 \times 10^{12} \text{ केजे}$	$19 \times 10^{12} \text{ केजे}$
ऊर्जा की खपत अन्य स्रोत (सी) (कॉर्पोरेट कार्यालय)	3798×10^6	6808×10^6
कुल ऊर्जा खपत (ए + बी + सी) (कॉर्पोरेट कार्यालय)	25574×10^6	408406×10^6
टर्नओवर के प्रति रुपये में ऊर्जा की तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / रुपये में कारोबार) (कॉर्पोरेट कार्यालय)	3.93	8.94 (पी)
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन संस्थाद्वारा किया जा सकता है	-	-

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

2. क्या संस्थाके पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई स्थल/सुविधाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो खुलासा करें कि पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

हाँ। प्राप्त लक्ष्य (एजीबीपीएस)

3. निम्नलिखित प्रारूप में पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1925700 (प्रक्रिया के लिए)	2080500 केएल (प्रक्रिया के लिए)
(ii) भूजल (एजीबीपीएस + कॉर्पोरेट कार्यालय)	110000 (घरेलू के लिए) + 2331.00	131,400 केएल (घरेलू के लिए) + 16740.00
(iii) तृतीय पक्ष जल	शून्य	शून्य
(iv) समुद्री जल/विलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	शून्य	शून्य
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	2035700 + 2331	2211900 + 16740
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1867400 केएल (प्रक्रिया और घरेलू दोनों) + 2331	2079840 केएल (एजीबीपीएस) + 16740
पानी की तीव्रता प्रति रुपया टर्नओवर (पानी की खपत / कारोबार)	लागू नहीं	लागू नहीं
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई (कॉर्पोरेट कार्यालय) द्वारा किया जा सकता है	3.58×10^{-7}	3.65×10^{-7}

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। नहीं

4. क्या संस्थाने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंल लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।
उत्तर: नहीं, तथापि, ईटीपी से छोड़े गए बहिस्त्राव का कुछ प्रतिशत संयंत्र परिसर में बागवानी के लिए उपयोग किया जा रहा है। (एजीबीपीएस)

5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्थाद्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:
(एजीबीपीएस)

प्राचल	कृपया संस्थानिर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 23-2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2-2021 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एनओएक्स	पीपीएम	55 पीपीएम	52 52 पीपीएम
एसओएक्स	पीपीएम	पहचान स्तर से नीचे	पहचान स्तर से नीचे
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)		पहचान स्तर से नीचे	पहचान स्तर से नीचे
लगातार जैविक प्रदूषण (पीओपी)		पहचान स्तर से नीचे	पहचान स्तर से नीचे
वोलाटाइल ओर्गेनिक कंपाउंड (वीओपी)		पहचान स्तर से नीचे	पहचान स्तर से नीचे
खतरनाक हवा प्रदूषण (एचएपी)		पहचान स्तर से नीचे	पहचान स्तर से नीचे
अन्य - कृपया निर्दिष्ट		शून्य	शून्य

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। नहीं

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें: (एजीबीपीएस)

प्राचल	इकाई	वित्त वर्ष 23-2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2-2021 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी को सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी में तोड़ना, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन सीओ ₂ समकक्ष	सीओ ₂ उत्सर्जन- 847634 मीट्रिक टन एसएफ ₆ गैस = शून्य सीएफसी (आर -22 गैस) = 0.00028 मीट्रिक टन	859150 मीट्रिक टन एसएफ ₆ गैस = 0.00007 मीट्रिक टन सीएफसी (आर -22 गैस) = 0.00019 मीट्रिक टन
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी को सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी में विभाजित करना, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन सीओ ₂ समकक्ष	शून्य	शून्य (एजीबीपीएस)
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति रुपये कारोबार			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक हो सकता है एंटीटी द्वारा चयनित			

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।
नहीं

7. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।
हाँ

8. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें: (एजीबीपीएस)

प्राचल	वित्त वर्ष 23-2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2-2021 (पिछला वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	शून्य	शून्य
ई-कचरा (बी)	0.05 मीट्रिक टन	0.05 मीट्रिक टन
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	0.021 मीट्रिक टन	0.022 मीट्रिक टन
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	5 (कॉर्पोरेट कार्यालय)	-
बैटरी अपशिष्ट (इ)	0.695 मीट्रिक टन	शून्य
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (ऍफ़)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (छ) प्रयुक्त ल्यूब तेल	19.8 केएल	12.4 केएल
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। (2.4 मीट्रिक टन के रस का उपयोग किया)	2.4 मीट्रिक टन +0.09 (कॉर्पोरेट कार्यालय)	2.6 मीट्रिक टन
कुल (ए+बी+सी+डी+इ+ऍफ़+जी+एच)		
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रीसाइक्लिंग, पुनः उपयोग के माध्यम से कुल अपशिष्ट पुनर्प्राप्त किया जाता है या अन्य वसूली अभियान (मीट्रिक टन में)		
	कचरे की श्रेणी	
(i) पुनर्नवीनीकरण	19.80 किलोलीटर (प्रयुक्त तेल) + 0.695 मीट्रिक टन (बैटरी अपशिष्ट)	12.40 किलोलीटर (प्रयुक्त तेल)
(ii) पुनः उपयोग किया गया		
(iii) अन्य वसूली अभियान		
कुल		

उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाए गए कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)

कचरे की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0.005 (बीएमडब्ल्यू का हिस्सा)	0.01
(ii) लैंडफिल	शून्य	शून्य (एजीबीपीएस)
(iii) अन्य निपटान संचालन	5.09 (कॉर्पोरेट कार्यालय)	-
कुल		

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।
- एजीबीपीएस के पास एक अपशिष्ट प्रबंधन योजना है और सभी कचरे का निपटान अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अनुसार किया जा रहा है जो प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार किया गया है। बायो-डिग्रेडेबल एमएसडब्ल्यू को प्रोत्साहित करने के लिए ऑन-साइट कम्पोस्टिंग की जा रही है। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उपयोग फुटपाथ/पहुंच बनाने में किया जा रहा है।
- (एजीबीपीएस) नीपको की ई-अपशिष्ट नीति के अनुसार सभी हार्डवेयर/उपभोग्य सामग्रियों (बैटरियों) का निपटान किया जाता है और कार्यालय और अतिथि गृहों से निकलने वाले गैर-खतरनाक अपशिष्ट (मुख्य रूप से कार्यालय साज-सज्जा, जैसे पुराने और घिसे-पिटे फर्श कालीन, विंडो ब्लाइंड आदि) और घरेलू अपशिष्ट (कचरा आदि) का निपटान कूड़ेदान में किया जाता है ताकि स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर भस्मीकरण के माध्यम से अंतिम निपटान किया जा सके।

10. यदि संस्था के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आस-पास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

नहीं।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्थाद्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	आईबीडी अधिसूचना सं.	दिनांक	चाहे स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया हो (हाँ/ नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए (हाँ/ नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

हां, ऐसे सभी अधिनियमों, नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। नियत समय में सभी रिटर्न और स्टेटमेंट जमा किए।

क्रम संख्या	उस कानून/विनियम/ दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था।	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई जुर्माना / दंड / कार्रवाई बोर्ड या अदालतों द्वारा	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणक में) का ब्रेक-अप प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 23-2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2-2021 (पिछला वित्तीय वर्ष)
अक्षय स्रोतों से (ग्रिड 15 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर पैनल से उपयोग की जाने वाली ऊर्जा)		
कुल बिजली की खपत (ए)	9931 केडब्ल्यूएच + 21776 x 10 ⁶	5984 केडब्ल्यूएच + 401600 x 10 ⁶
कुल ईंधन की खपत (बी)	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊर्जा की खपत अन्य स्रोत (सी)	शून्य	NIL
कुल ऊर्जा की खपत नवीकरणीय स्रोत (ए + बी + सी)	9931 केडब्ल्यूएच + 6808 x 10 ⁶ (कॉर्पोरेट कार्यालय)	5984 KWH
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (डी)		लागू नहीं
कुल ईंधन की खपत (ई)		लागू नहीं
ऊर्जा की खपत अन्य स्रोत (एफ)	6808 x 10 ⁶	लागू नहीं
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (डी + ई + एफ)		

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं।

2. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 23-2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2-2021 (पिछला वित्तीय वर्ष)
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में) (एजीबीपीएस)		
(i) सतही जल		
- कोई इलाज नहीं	77,000 केएल + 16411.00 (कॉर्पोरेट कार्यालय)	59,000 केएल
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार	99,000 केएल	1,22,000 केएल
(ii) भूजल के लिए	शून्य	शून्य
- कोई इलाज नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार	शून्य	शून्य
(iii) समुद्री जल	शून्य	शून्य
- कोई इलाज नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार	शून्य	शून्य
(iv) तृतीय-पक्षों को भेजा गया	शून्य	शून्य
- कोई इलाज नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार	शून्य	शून्य
(v) अन्य	शून्य	शून्य
- कोई इलाज नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार	शून्य	शून्य
कुल डिस्चार्ज किया गया पानी (किलोलीटर में)	1,76,000 केएल (एजीबीपीएस) +16411.00 (कॉर्पोरेट कार्यालय)	1,81,000 केएल (एजीबीपीएस)

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।
नहीं।

3. जल तनाव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

जल तनाव के क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा / संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें

- क्षेत्र का नाम: डिब्रूगढ़, असम
- संचालन की प्रकृति: गैस आधारित पावर स्टेशन
- निम्नलिखित प्रारूप में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन:

प्राचल	वित्त वर्ष 23-2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2-2021 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	2331.00	16740.00
(iii) थर्ड पार्टी वॉटर		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत पानी		
(v) दूसरों		
पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	2331.00	16740.00
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	2331.00	16740.00
पानी की तीव्रता प्रति रुपया टर्नओवर (पानी की खपत / कारोबार)	3.58 x 10⁻⁷	3.66 x 10⁻⁷
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन किसके द्वारा किया जा सकता है? स्थिति		

गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)

(i) सतही जल में		
- कोई इलाज नहीं	2282.00	16411.00
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार		
(ii) भूजल में		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार		
(iii) समुद्री जल में		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार		
(iv) तृतीय-पक्षों को भेजा गया		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार		
(v) दूसरों		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया निम्न स्तर निर्दिष्ट करें उपचार		

कुल डिस्चार्ज किया गया पानी (किलोलीटर में)

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। - नहीं

4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें।

प्राचल	इकाई	वित्त वर्ष 23-2022 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2-2021 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी को सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी में विभाजित करना, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन सीओ ₂ बराबर	सीओ ₂ उत्सर्जन - 279 मीट्रिक टन आर -22 गैस - 0.06 मीट्रिक टन	सीओ ₂ उत्सर्जन- 263 मीट्रिक टन आर -22 गैस - 0.08 मीट्रिक टन
प्रति रुपये टर्नओवर पर कुल दायरा 3 उत्सर्जन			
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक हो सकता है एंटीटी द्वारा चयनित			

- उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में सूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्थाके महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।
लागू नहीं है।
- यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन तकनीक या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / बहिस्त्राव निर्वहन / अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी पहलों के परिणाम के साथ-साथ विवरण प्रदान करें:

क्रम संख्या	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
01	डिस्चार्ज किए गए बहिस्त्राव का उपयोग	एजीबीपीएस, नीपको लिमिटेड अपने परिसर में बागवानी कार्यों के लिए ईटीपी से छोड़े गए अपशिष्ट के कुछ प्रतिशत का उपयोग कर रहा है	ईटीपी से निकलने वाले बहिस्त्राव की मात्रा में कमी

02	वर्षा जल संचयन	एजीबीपीएस, नीपको लिमिटेड 220 केवी स्विचयार्ड क्षेत्र के सतह अपवाह का उपयोग करके इसे इकट्ठा करके और इसे अपने कच्चे पानी के जलाशय में पंप करता है और इस प्रकार बुरीदिहिंग नदी से निकाले गए पानी को कम करता है।	बरसात के मौसम में बुरीदिहिंग नदी से निकाले गए पानी में कमी।
03	सौर ऊर्जा का उपयोग	एजीबीपीएस ने प्रशासनिक भवन की छत पर 15 केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सौर पैनल स्थापित किए हैं और कार्यालय भवन की रोशनी के लिए बिजली का उपयोग किया है।	जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली की खपत में कमी
04	गेस्ट हाउस में सौर ऊर्जा का उपयोग	एजीबीपीएस ने गेस्ट हाउस-I और II में प्रत्येक सौर पैनल 6 केडब्ल्यूपी स्थापित किया है और इसका उपयोग पानी गर्म करने और अन्य के लिए किया है।	जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली की खपत में कमी। (एजीबीपीएस))

7. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।
नीपको के सभी संयंत्रों के पास आपदा प्रबंधन योजना/आपातकालीन कार्य योजना है। नीपको वर्तमान में व्यवसाय निरंतरता योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है।
8. संस्था की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।
कोई नहीं।
9. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जो पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था। : लागू नहीं है

सिद्धांत 7:

व्यवसायों को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए) व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या:
लागू नहीं है।
बी) शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो संस्था सदस्य/संबद्ध है।

क्रम संख्या	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	लागू नहीं	लागू नहीं

2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

आवश्यक संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

क्रम संख्या	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की वकालत के लिए विधि का सहारा लिया	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
					लागू नहीं

सिद्धांत 8:

व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए आवश्यक संकेतक

आवश्यक संकेतक

- चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	चाहे स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया हो (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आगामी एस एंड आई परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकार से एसआईए अधिसूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है					

- उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) को निम्नलिखित प्रारूप में शुरू किया जा रहा है:
लागू नहीं।

- समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें
एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) व्यवस्थाओं का एक समूह है जो स्थानीय समुदायों, कर्मचारियों, बाहरी उत्पादकों और अन्य प्रभावित हितधारकों को निवेशक के साथ शिकायतें उठाने और निवेशक की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव को महसूस करने पर निवारण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से हितधारकों और निवेशकों के बीच मुद्दों को कम करना, प्रबंधित करना और हल करना।

- आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2023-24 (15/05/2023 तक)	वित्त वर्ष 2022-23
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	23.52 % / लागू नहीं	13.83 % / लागू नहीं
जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से सीधे प्राप्त	1.28 % / लागू नहीं	6.18 %

नेतृत्व संकेतक

- सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न

नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण पहचाना गया	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
शून्य	लागू नहीं
आगामी एस एंड आई परियोजनाओं के लिए एसआईए अभी तक आयोजित नहीं किया गया है।	

- सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में अपनी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्रम संख्या	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (रुपये में)
1	मेघालय	रिभोई जिला	6.38 करोड़ रुपये

- (ए) क्या आपके पास अधिमन्य खरीद नीति है जिसमें आप हाशिए पर रहने वाले/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं?

हां, नीपको भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद द्वारा शासित है।

(बी) आप किन हाशिए पर/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

नीपको ने अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले एमएसई से सीमांत समुदायों के लिए और खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए महिला उद्यमियों द्वारा खरीद लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शीर्षक के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में विवरण दिया गया है।

- (सी) यह कुल खरीद का कितना प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) है?

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शीर्षक के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में विवरण दिया गया है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहण की गई बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण ।

क्रम संख्या	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहीत (हां/नहीं)	बांटा गया लाभ (हां / नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
				लागू नहीं

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है, में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण ।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
		लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए वाले समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
-------------	-----------------	---	--

वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध 10 में सीएसआर अनुभाग के तहत विवरण

सिद्धांत 9.

व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक सूचक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें ।

हम सीधे तौर पर राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इसका निराकरण विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार किया जाएगा। उपभोक्ता शिकायतों को प्राप्त करने और उनका जवाब देने की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है और समय के साथ इसे ठीक से संभाल लिया जाता है। ग्राहकों की शिकायतें विभिन्न माध्यमों जैसे गूगल समीक्षा, फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया या यहां तक कि हस्तलिखित पत्र के माध्यम से आ सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति निराशा के विभिन्न स्तरों का संचार करेगा और समस्या को हल करने के लिए अद्वितीय समाधान की आवश्यकता होगी। जैसा कि कहा गया है, इन शिकायतों का जवाब देने के लिए एक रोडमैप बनाना और उस पर भरोसा करना एक आवश्यक प्रारंभिक बिंदु है। वहां से, आपको प्रत्येक ग्राहक इंटरैक्शन के लिए इस दृष्टिकोण को अनुकूलित करना चाहिए। हम ग्राहकों की प्रतिक्रिया को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और उनके बहुमूल्य समय और ऊर्जा के लिए उनके आभारी हैं।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है:

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)		अभ्युक्तियां	वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		अभ्युक्तियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	
डाटा प्राइवेसी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन देना						
साइबर सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यापार आचरण	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

	क्रमांक	वापस बुलाने का कारण
स्वैच्छिक स्मरण	लागू नहीं	लागू नहीं
बाध्यता के साथ वापस बुलाना	लागू नहीं	लागू नहीं

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

नीपको ने आईएसओ: 27001 को अपनाया है जो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है और जिसके लिए प्रमाणन प्रक्रिया चल रही है। इसलिए इसकी एक आईएसएमएस नीति है।

उपलब्ध है लेकिन सार्वजनिक डोमेन में नहीं है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई।

ऐसी कोई घटना नहीं है।

नेतृत्व सूचक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

<https://neepco.co.in/power-generation>

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

हम स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित सुरक्षा निर्देशों के साथ कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहक सहायता प्रदान करते हैं।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंतु मौजूद हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनईआरएलडीसी), ग्रीड-इंडिया अपने संबंधित क्षेत्रों में समन्वय सुनिश्चित करता है।

4. क्या इकाई उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदान की जाती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

लागू नहीं।

5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

ए) प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या: ऐसी कोई घटना नहीं है।

बी) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत। लागू नहीं।

निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिईएन: 08534217

दिनांक: 14-08-2023

स्थान: नई दिल्ली

कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
ब्रुकलैंड कंपाउंड लोअर न्यू कॉलोनी
जिला - ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग
मेघालय, पिन - 793003

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थितियों के अनुपालन की, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा मई, 2010 में जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश के तहत जांच की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थितियों का अनुपालन प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षण है और न ही कम्पनी के वित्तीय बयानों पर कोई राय है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया।

कृते नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव



(सीएस नारायण शर्मा)
प्रोपराइटर

पीआर. सं.: 1563/2021
एफसीएस-5117, सीपी नंबर 3844
यूडीआईएन: F005117E000647990

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक: 20 जुलाई, 2023

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन

मैं, राजीव कुमार विश्वाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और वैद्यनाथ महाराणा, निदेशक (वित्त), नीपको लिमिटेड, प्रमाणित करते हैं कि:

- ए) हमने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण (स्टेण्डअलोन और कंसोलीडेटेड) की समीक्षा की है।
- इन बयानों में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य या भ्रामक बयान शामिल नहीं हैं और किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है।
 - ये कथन कंपनी के मामलों का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- बी) हमारी वर्तमान जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी के विभिन्न आचार संहिता का उल्लंघन है।
- सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अभिन्न नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में कमियों का खुलासा किया है। यदि कोई, जिसके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।
- डी) हमने कंपनी के लेखा परीक्षकों और नीपको के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को इंगित किया है:
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर अभिन्न नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो;
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो, और वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा किया गया है, और
 - महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में हमें जानकारी है और यदि कोई है तो इसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह/-
(वैद्यनाथ महाराणा)
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ
डीआइएन: 09263864

ह/-
(राजीव कुमार विश्वाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआइएन: 08534217

दिनांक : 11-05-2023

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्य
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ("कम्पनी") के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों के रूप में लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक बैलेंस शीट्स, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), विवरण समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में नकदी प्रवाह और परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाओं का सारांश शामिल है (इसके बाद वित्तीय विवरणों के रूप में स्टैंडअलोन इंड एएस के रूप में संदर्भित किया गया)

हमारी राय तथा जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नीचे उल्लेखित अन्य विषय के पैराग्राफ में संयुक्त उद्यम इकाई के गैर लेखाकृत पृथक इंड एएस वित्तीय विवरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम), विद्युत अधिनियम 2003 तथा सीईआरसी विनियमों के अनुसार और अनुरूप मांगी गई आवश्यक सूचनाएं उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में उपलब्ध है। भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप 31 मार्च 2023 में कंपनी की वित्तीय स्थिति, इसके वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह और वर्ष की समाप्ति के तारीख को समेकित इक्विटी में परिवर्तन के संबंध में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

टिप्पणी के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों (एसएएस) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण कार्य किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों की यथावर्णित हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां को और आगे वर्णित किया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ कंपनी के अधिनियम 2013 और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा से संबद्ध हमारी नैतिक आवश्यकताओं के पालन में हम, कंपनी की ओर से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे टिप्पणी के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

ध्यान देने योग्य बातें

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- नोट संख्या 2 (v) 2485.44 लाख रुपये के पूंजीकरण के संबंध में, जो पिछले वर्षों के लिए पीजीसीआईएल द्वारा बिल किए गए ब्याज सहित ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों पर क्षमता शुल्क है।
- नोट संख्या 27(बी) के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीति 17.1(ए)(ii) ऊर्जा की बिक्री के संबंध में अनंतिम दर के आधार पर मान्यता प्राप्त वर्ष के लिए राजस्व के रूप में 10045.51 लाख रुपये शामिल हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा-जोखा तथा हमारी राय बनाने में, आदि के संदर्भ में संबोधित किया गया और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को एक मुख्य लेखा परीक्षा मामला के रूप निर्धारित किया है जिसे हमारी रिपोर्ट में प्रकट किया जाना है

क्रं.सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	<p>ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और मूल्यांकन</p> <p>कंपनी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व रिकॉर्ड करती है और जहां सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ को मंजूरी दी जानी है, अंतिम बिक्री को पहले प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अंतिम दर के आधार पर मान्यता दी जाती है। सीईआरसी टैरिफ याचिका के माध्यम से जहां न तो स्वीकृत टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर किया जाता है।</p> <p>(महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 17.1(ए) के साथ पढ़ें नोट संख्या 27 देखें।)</p>	<p>हमारी ऑडिट प्रक्रिया:</p> <p>हमने सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है, जिसमें क्षमता और ऊर्जा शुल्क वाली ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और माप के संबंध में और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान और मूल्यांकन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के कंपनी के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। - कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार गणना किए गए अंतिम टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व के साथ-साथ ऊर्जा की बिक्री से अंतिम राजस्व के लेखांकन का सत्यापन।
2.	<p>संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के मूल्य वहन करने की हानि का आकलन</p> <p>कंपनी के पास बिजली के उत्पादन से संबंधित एक सामग्री परिचालन परिसंपत्ति आधार (पीपीई) है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करने के लिए घटकों में से एक है, जो हानि के लिए कमजोर हो सकता है। पीपीई के वहन मूल्य के लिए विद्युत संयंत्रों (नकद पैदा करने वाली इकाइयों) से जुड़े भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर हानि मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, (महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 5 के साथ पढ़ें नोट संख्या 50 देखें)</p>	<p>हमारी ऑडिट प्रक्रिया:</p> <p>हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> - इंडस्ट्रीज़ एएस 36 “संपत्ति की क्षति” के अनुसार हानि के संबंध में कंपनी की लेखा नीतियां पढ़ें। - साक्ष्य के निरीक्षण के माध्यम से लेखांकन, मूल्यांकन और संपत्ति की वसूली से संबंधित प्रमुख वित्तीय नियंत्रणों पर नियंत्रण का प्रदर्शन किया। - मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया, जिनमें शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> i) प्रबंधन की हानि का आकलन प्राप्त किया ii) अनुमानित उत्पादन, ईंधन की कीमतें, विनिमय दर, ऊर्जा की कीमतें, बिजली खरीद समझौते के बाद की अवधि और पूंजी की भारित औसत लागत सहित प्रमुख मान्यताओं का मूल्यांकन, पूर्व वर्षों और बाहरी डेटा, जहां उपलब्ध हो, के साथ तुलना करके किया। iii) संवेदनशीलता विश्लेषण प्राप्त और मूल्यांकन किया। - रिलायंस को पूरा होने की समय-सीमा, उत्पादन की मात्रा और परिणामी राजस्व के लिए अपेक्षित शुल्क के आधार पर प्रबंधन अनुमानों पर रखा गया है।

3. आकस्मिक देयता

कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे/दावे लंबित हैं। कंपनी के खिलाफ किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं और इसमें शामिल राशि का अनुमान लगाने और उनके उचित प्रकटीकरण के लिए प्रबंधन का निर्णय आवश्यक है।

इसके प्रकटीकरण में मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन के निर्णय का एक महत्वपूर्ण अंश शामिल है और देयता की घटना की संभावना का आकलन करना जो प्रबंधन पूर्वाग्रह के अधीन हो सकता है।

(समेकित वित्तीय विवरण का नोट संख्या 36 देखें।)

हमारी ऑडिट प्रक्रिया:

हमने दिनांक 31.03.2022 तक विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थता/अर्ध-न्यायिक मंचों आदि के समक्ष लंबित मामलों/विवादों/दावों का विवरण प्रबंधन से नवीनतम स्थिति और उसी के लिए प्रबंधन के मूल्यांकन के साथ प्राप्त किया है।

हमने इस संबंध में कंपनी की लेखा नीति और उसके प्रकटीकरण को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्राप्त किया है।

हमने लंबित मुकदमेबाजी/मामलों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और परीक्षण किया।

हमने प्रबंधन के साथ उनके मूल्यांकन के आधार और किसी भी सामग्री के विकास और दावों/विवादों के संभावित परिणामों के बारे में चर्चा की।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट सहित निदेशक की जिम्मेदारी विवरण और कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उपरोक्त दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम उपरोक्त बताए गए अनुसार अन्य जानकारी पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें शासन के आरोपित लोगों को मामले के बारे में बताना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है जो समेकित वित्तीय विवरण स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में समेकित परिवर्तन, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) सहित, पढ़ें इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ और बिजली अधिनियम, 2003 और प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) विनियमन और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान बनाने वाली उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन शामिल है। पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो जिसका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, उद्यमकर्ता कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई कंपनी की एक चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा लागू हो, गोड्रिंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करना और चल रही

चिंता का उपयोग करना लेखांकन के आधार पर जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

संबंधित निदेशक मंडल उद्यमकर्ता कंपनी और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानक (एसए) के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है;
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता;
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें;
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है; तथा
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।
 - अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मातात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और
 - समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उद्यमकर्ता कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल केवल ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय

विवरणों में शामिल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है, उनके निदेशक इसके निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उद्यमकर्ता कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल केवल ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय वक्तव्यों में शामिल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है, उनके निदेशक इसके निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों के लिए।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार और पुस्तकों और रिकॉर्ड की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक ए में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक बयान देते हैं।
- जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार आवश्यक है, कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुबंध बी में एक रिपोर्ट देते हैं
- अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - हमारी राय में, जहां तक उन बट्टे खातों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं।
 - बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इकटिरी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट से संबंधित नकदी प्रवाह का विवरण खाते की किताबों के अनुरूप है।
 - हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
 - अधिसूचना संख्या के अनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- 7) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक सी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- 8) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार
- कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 देखें;
 - कंपनी ने लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक, दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक अनुमानित हानि के लिए प्रावधान किया है; और
 - कंपनी के पास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने का कोई मामला नहीं है।
- vi) क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ ("मध्यस्थ") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या कंपनी की ओर से या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है।
- ख) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को उधार देगी या निवेश करेगी, या उनकी ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी अंतिम लाभार्थियों प्रदान करेगी और।
- ग) ऐसी ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर जिसे परिस्थितियों में उचित और उचित माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त उप खंड (iv) (ए) और (iv) (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- 9) क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया पिछले वर्ष का अंतिम लाभान्श अधिनियम की धारा 123, जैसा लागू हो, के अनुसार है।
- ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभान्श अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।
- 10) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते एल. के. केजरीवाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. : 001368सी

(राकेश सांगनेरिया)
पार्टनर

सदस्यता संख्या. 073232
यूडीआईएन:23073232बीजीपीडबल्यूजेएम 4252

स्थान : कैप - दिल्ली
दिनांक : 16-05-2023

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1(जी) में संदर्भित)

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांचे गए खातों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा की और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- 1) (क) (ए) कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मातात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। हालाँकि ईआरपी एसएपी में विस्तृत पीपीई रजिस्टर की तैयारी अभी भी कुछ इकाइयों में प्रगति पर है।
(बी) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;
- (ख) प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। हालाँकि इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं, हमारी राय में, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में रखे गए विवरण और रिकॉर्ड में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है।
- (ग) वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है) के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, सिवाय इसके कि निम्नलिखित मामले:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)	के नाम पर आयोजित	चाहे प्रमोटर हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि जहां उपयुक्त हो, सीमा दर्शाती है	कंपनी के नाम न होने का कारण
नीपको परियोजना - कोपली हाइड्रो पावर स्टेशन - चरण II के लिए पश्चिम जटिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि	452.68	श्रीमती इबिल दखर और अन्य (याचिकाकर्ताओं की संख्या 160)	नहीं	10.09.1984	भूमि मुआवजा बढ़ाने के लिए 160 भूमि मालिकों द्वारा दायर दावे के कारण यह भूमि मुकदमेबाजी में है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) वेस्ट, जैतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है
तेजु, अरुणाचल प्रदेश में भूमि	1.28	लागू नहीं	पता लगाने योग्य नहीं	लागू नहीं	भूमि दस्तावेज उपलब्ध नहीं
लैटकोर, शिलांग में सीएमडी क्वार्टर/डायरेक्टर्स गेस्ट हाउस की भूमि और भवन	भवन का मूल्य - 222.88	लागू नहीं	पता लगाने योग्य नहीं	लागू नहीं	भूमि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। किताबों में जमीन दिखाई नहीं दे रही है।

- घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, “बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- 2) (ए) वार्षिक आधार पर सूची के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के भौतिक सत्यापन पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की विसंगतियां नहीं देखी गईं। हालाँकि, हमारी राय में, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के संबंध में बनाए गए विवरण और रिकॉर्ड में सुधार की आवश्यकता है।

(बी) कंपनी को रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर की गई तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी के खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

- 3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, वर्ष के दौरान, निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, कंपनियों को सुरक्षित या असुरक्षित, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या कोई अन्य पक्ष। तदनुसार, खंड (III) (ए) (ए) और (बी), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- 4) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है। संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश के संबंध में, कंपनी ने धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- 5) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत जमा माना जाता है।

हमने कंपनियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (I) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खातों और रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014, संशोधित के रूप में, और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही और पूर्ण हैं या नहीं।

- 6) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया आम तौर पर उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किए जाते हैं, उन बकाया को छोड़कर, जहां अंतिम भुगतान की तारीख या तो बढ़ा दी गई है या ठेकेदारों को भुगतान के मामले में कटौतीकर्ता का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद बकाया बकाया नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है।

(बी) कुल 27,614.24 लाख रुपये का विवादित वैधानिक बकाया, जो 31 मार्च 2023 तक उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों के कारण जमा नहीं किया गया है, उसका विवरण नीचे दिया गया है:

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है (आकलन वर्ष)	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर अधिनियम	1992.06	2020-21	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर अधिनियम	9112.52	2016-17	उच्च न्यायालय, मेघालय के आदेश के बाद कंपनी द्वारा अपील वापस लेने की मांग की गई। आईटी अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार है।
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर अधिनियम	11381.61	2015-16	उच्च न्यायालय, मेघालय के आदेश के बाद कंपनी द्वारा अपील वापस लेने की मांग की गई। आईटी अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार है।
आयकर अधिनियम, 1961	डीपीएस से संबंधित संभावित कर देनदारी	5120.85	2012-13 से 2016-17	उच्च न्यायालय, मेघालय और आईटीएटी, गुवाहाटी
		27607.04		

कंपनी का सीईएसटीएटी, कोलकाता में 7.20 लाख रुपये के सेवा कर के तहत एक विवादित वैधानिक बकाया भी है।

- 7) जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में खाते की किताबों में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन को वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है।
- 8) (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
(बी) जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
(सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
(डी) जैसा कि सूचित किया गया है और कंपनी के बही-खातों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की गई है।
(ई) जैसा कि सूचित किया गया है और कंपनी की पुस्तकों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।
(एफ) जैसा कि सूचित किया गया है और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है।
- 9) (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।
(बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- 10) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, कंपनी द्वारा भौतिक धोखाधड़ी या कंपनी पर किसी भी भौतिक धोखाधड़ी का कोई मामला वर्ष के दौरान नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है।
(बी) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में लेखा परीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
(सी) जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- 11) (ए) निधि कंपनी के लिए आदेश के खंड 3 (बारहवीं) (ए), (बी) और (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 12) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, जहां भी लागू हो। संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

- 13) क) कंपनी ने अपनी इकाइयों और कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्मों को नियुक्त किया है। हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है।
- 14) जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत कवर किए गए निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- 15) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी राय है कि कोई भौतिक अनिश्चितता नहीं है ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।
- 19) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, छह महीने की अवधि के भीतर चल रही परियोजनाओं के अलावा किसी भी अव्ययित राशि को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान वर्ष।
(बी) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा 5 के तहत अव्ययित शेष राशियों को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 6 के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में, चल रही परियोजनाओं के अनुसार स्थानांतरित कर दिया है।
- 20) इस कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, इसलिए इसकी कैरो रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए हम इस क्लॉज पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कृते एल. के. केजरीवाल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ.आर.एन. : 001368सी

(राकेश सांगानेरिया)
पार्टनर

सदस्यता संख्या. 073232
यूडीआईएन:23073232बीजीपीडबल्यूजेएम 4252

स्थान : कैप - दिल्ली
दिनांक : 16-05-2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की रिपोर्ट के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, विवरण दें।	वर्ष के दौरान, कंपनी ने मुख्यालय सहित अपनी सभी इकाइयों में ईआरपी प्रणाली लागू की है। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी अभी भी पुरानी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अनुप्रयोग प्रणाली मैटफिन पर की जा रही है। हालांकि, लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण और वित्तीय विवरण तैयार करने पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं है। जैसा कि बताया गया है, ईआरपी एसएपी एस/4 हाना कार्यान्वयन प्रक्रिया, जिसमें वित्तीय विवरण तैयार करना भी शामिल है, चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।	कोई भौतिक प्रभाव नहीं
2.	क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण छूट/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का विवरण दें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है?	हमारे ऑडिट के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा कंपनी को चुकाने की क्षमता के कारण मौजूदा ऋण की कोई ऐसी पुनर्रचना या ऋण/ब्याज आदि को माफ/राइट ऑफ नहीं किया गया था।	शून्य
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/ उपयोग किया गया था और उनकी स्थितियाँ? है। विचलन के मामले की सूची बनाएं।	हमारे ऑडिट के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने नियमों और शर्तों के अनुसार केंद्र / राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का हिसाब और उपयोग किया है।	शून्य

कृते एल. के. केजरीवाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. : 001368सी

(राकेश सांगानेरिया)
पार्टनर

स्थान : कैप - दिल्ली
दिनांक : 16-05-2023

सदस्यता संख्या. 073232
यूडीआईएन: 23073232 बीजीपीडबल्यूजेएम 4252

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 (जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(3)(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 तक नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस वर्ष समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और लुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम की धारा 143(10), 2013 के तहत निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं के अनुसार अपना ऑडिट किया।

उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। मूल्यांकन किया गया जोखिम. चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या लुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित होती हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। कंपनी; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या इसकी डिग्री नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते एल. के. केजरीवाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. : 001368सी

(राकेश सांगनेरिया)
पार्टनर

सदस्यता संख्या. 073232
यूडीआईएन: 23073232 बीजीपीडबल्यूजेएम 4252

स्थान : कैप - दिल्ली
दिनांक : 16-05-2023



अंश - I: 31 मार्च 2023 के लिए स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	संपत्ति			
1	गैर-वर्तमान संपत्ति			
	ए) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2	12,42,505.49	12,91,027.95
	बी) जारी कार्य पूंजी	3	1,14,194.44	61,842.58
	सी) अमूर्त संपत्ति	4	8,664.64	9,181.06
	डी) विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4ए	96.00	257.77
	इ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) सहायक और संयुक्त उद्यम में निवेश कंपनियाँ	5	-	-
	(ii) ऋण	6	28.19	26.16
	एफ) आस्थगित कर परिसंपत्ति (सकल)	7		
	जी) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियाँ	8	18,179.20	18,303.10
	उप-कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ		13,83,667.96	13,80,638.62
2	वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
	ए) इन्वेंटरी	9	12,516.05	15,099.24
	बी) वित्तीय संपत्ति			
	(i) व्यापार प्राप्त्य	10	94,429.78	48,776.49
	(ii) नकद और नकदी के समतुल्य	11	1,461.34	4,344.49
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	12	291.50	1,009.06
	(iv) अन्य	13	23,225.20	35,806.83
	सी) वर्तमान कर संपत्ति (नेट)	14	-	141.20
	डी) अन्य वर्तमान संपत्ति	15	3,894.05	3,141.71
	ई) बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति	15	-	8.20
	उप कुल - वर्तमान संपत्ति		1,35,817.92	1,08,327.22
3	नियामक स्थगित खाता शेष राशि	16	99,295.21	92,344.55
	कुल परिसंपत्तियाँ (1 + 2 + 3)		16,18,781.09	15,81,310.39
	इक्विटी तथा देनदारियाँ			
4	इक्विटी			
	ए) इक्विटी शेयर पूंजी	17	3,60,981.04	3,60,981.04
	बी) अन्य इक्विटी	18	2,97,602.76	2,94,942.86
	उप कुल - इक्विटी		6,58,583.80	6,55,923.90
	देनदारियाँ			
5	गैर वर्तमान देनदारियाँ			
	ए) वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) ऋण	19	5,94,121.62	6,21,476.03
	(ii) लीज देयताएँ	19ए	478.64	438.19
	(iii) व्यापार देय			

(ए) सूक्ष्म और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
बी) दीर्घकालिक प्रावधान	20	319.12	1,881.86
सी) आस्थगित कर देनदारियाँ (नेट)	7	98,787.95	76,633.80
डी) अन्य गैर चालू देयताएँ	26	21,209.27	22,797.99
कुल गैर वर्तमान देनदारियाँ		7,14,916.60	7,23,227.87
6 वर्तमान देनदारियाँ			
ए) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) ऋण	21	1,12,426.18	1,21,646.17
(ii) लीज देयताएँ	21ए	607.67	573.64
(iii) व्यापार देय			
(ए) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		424.75	496.79
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	22	18,715.71	21,660.19
(iv) अन्य वित्ति देनदारियाँ	23	62,496.34	17,100.26
बी) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	24	19,566.93	17,136.87
सी) प्रावधान	25	18,880.71	15,607.00
डी) वर्तमान कर देनदारियाँ (निबल)	14	969.40	-
इ) आस्थगित आय	26ए	11,193.00	7,937.70
6. कुल वर्तमान देनदारियाँ		2,45,280.69	2,02,158.62
7 नियामक स्थगित खाता क्रेडिट शेष राशि	16		
कुल इक्विटी और देनदारियाँ (4 + 5 + 6 + 7)		16,18,781.09	15,81,310.39

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश - नोट संख्या 1

संलग्न नोट 1 से 51 इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ़आरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023 ए. पी. रोंग
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

बी. महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्वाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

अंश - II: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. स.	विवरण	नोट	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	आय			
	ए) प्रचालन से राजस्व	27	4,55,655.27	3,20,684.33
	बी) अन्य आय	28	1,408.23	9,512.34
	कुल आय (ए+ बी)		4,57,063.50	3,30,196.67
2	व्यय			
	ए) ईंधन लागत	29	1,47,687.42	63,488.96
	बी) कर्मचारी लाभ व्यय	30	51,406.14	46,518.08
	सी) वित्तीय लागत	31	53,667.13	58,198.79
	डी) मूल्यहास एवं ऋण शोधन व्यय	32	83,550.16	80,781.94
	ई) अन्य व्यय	33	52,902.05	45,824.08
	कुल व्यय (ए+बी+सी+डी+ई)		3,89,212.90	2,94,811.85
3	लाभ/(हानि) असाधारण मदों से पहले, कर और नियामक आस्थगित खातों के शेष (1 - 2)		67,850.60	35,384.82
4	असाधारण मदें - (आय)/व्यय			
5	कर और नियामक आस्थगन खाते की शेष राशि (3 - 4) से पहले लाभ / (हानि)		67,850.60	35,384.82
6	कर व्यय:			
	ए) वर्तमान कर			
	चालू वर्ष		11,488.84	5,676.88
	पछिले वर्ष		-	-
	कुल वर्तमान कर		11,488.84	5,676.88
	बी) आस्थगित कर (सकल डीटीए)		<u>22,154.15</u>	<u>14,819.16</u>
	कुल कर व्यय (ए + बी)		33,642.99	20,496.04
7	लाभ/(हानि) नियामक आस्थगित खाता शेष (5 - 6) से पहले		34,207.61	14,888.78
8	विनियामक आस्थगित खाता शेष में सकल विचलन (कर का निवल)	37	5,482.47	6,340.59
9	वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (7 + 8)		39,690.08	21,229.37

10	अन्य व्यापक आय/(व्यय)		
	ए) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापण	(642.51)	(1,582.77)
	(ii) अन्य - एफवी हानि समायोजन	0.08	0.08
		(642.43)	(1,582.69)
	(iii) घटाकर: उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(112.25)	(276.53)
	बी) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
	(i) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
	कुल अन्य व्यापक आय (निवल कर) = (ए + बी)	(530.18)	(1,306.16)
11	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (9 + 10)	39,159.90	19,923.21
12	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति मूल्य ₹ 10 प्रत्येक)	35	
	मूलभूत एवं डाइल्यूटेड (₹) (नियामक आस्थगित खाता शेष में शुद्ध विचलन सहित)	1.10	0.59
	मूलभूत एवं डाइल्यूटेड (₹) (नियामक आस्थगित खाता शेष में शुद्ध विचलन को छोड़कर)	0.95	0.41

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश - नोट संख्या 1

साथ में 1 से 51 तक के नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ़आरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023 ए. पी. रोंग
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

बी. महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्वाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	67,850.60	35,384.82
जोड़कर- नियामक स्थगित खाते में शेष राशि (कुल कर)	5,482.47	6,340.59
जोड़कर: नियामक स्थगित में शेष राशि में नेट मूवमेंट पर कर	1,468.19	1,619.88
	6,950.66	7,960.47
	74,801.26	43,345.29
कर से पहले लाभ जिसमें विनियामक आस्थगित खाता शेष के खर्चों को शामिल किया गया है		
समायोजन हेतु:		
मूल्यहास, परिशोधन और हानि खर्च	83,550.16	80,781.94
प्रावधान/बट्टे खाते में डालना	4,852.11	3,996.80
विनियामक अधिशेष खाता क्रेडिट शेष	-	-
विनियामक अधिशेष खाता डेबिट शेष	(6,950.66)	(7,960.47)
आस्थगित आय	1,666.58	(1,597.96)
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि	757.22	(233.40)
वित्तीय लागत	52,909.91	58,432.19
सावधि जमा / बांड / निवेश से ब्याज / आय	(526.77)	(155.93)
प्रावधान वापस लिखे गए	(7.77)	(67.92)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की पहचान पर लाभ	(2.93)	(0.07)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की पहचान पर हानि	16.66	71.89
विलंबित भुगतान अधिभार	(545.68)	(4,148.80)
	1,35,718.83	1,29,118.27
कर पूर्व संचालन गतिविधियों से लाभ	2,10,520.09	1,72,463.56
समायोजन हेतु:		
प्राप्य व्यापार	(45,605.49)	31,947.90
इनवेंटरी	2,583.19	(1,572.91)
व्यापार देय, प्रावधान, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य देनदारियों	(12,793.77)	(8,838.38)
ऋण, अन्य वित्तीय संपत्ति और अन्य संपत्ति	14,256.00	(15,925.87)
	(41,560.07)	5,610.74
संचालन से नकदी प्रवाह	1,68,960.02	1,78,074.30
आयकर (भुगतान) / वापस कर दिया गया	(10,300.00)	(7,204.48)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त) -ए	1,58,660.02	1,70,869.82

बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(65,819.50)	(51,866.12)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का निपटान	9.04	1,596.15
सावधि जमा/बॉन्ड/प्राप्त निवेश पर ब्याज/आय	526.77	155.93
प्राप्त लाभांश	-	-
नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक बैलेन्स में बदलाव	717.56	(837.82)
प्राप्त विलंबित भुगतान अधिभार	497.88	336.17
निवेश गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी-बी	(64,068.25)	(50,615.69)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कंपनी के इक्विटी उपकरण जारी करने से प्राप्त आय	-	-
गैर-वर्तमान उधारों से प्राप्त आय	95,000.00	60,000.00
गैर-वर्तमान उधारों का पुनर्भुगतान	(1,32,663.26)	(96,387.42)
चल उधारों से आय	(2,300.00)	(12,474.67)
वित्तीय पट्टा दायित्वों का भुगतान	(728.69)	(715.78)
प्रदत्त ब्याज	(55,282.98)	(57,378.66)
प्रदत्त लाभांश	(1,500.00)	(9,000.00)
लाभांश पर ब्याज		
वित्तीय गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी-सी	(97,474.93)	(1,15,956.53)
नकद और नकद समकक्षों में सकल वृद्धि/(घटौती) (ए+बी+सी)	(2,883.16)	4,297.60
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी 1 और 2 देखें)	4,344.49	46.89
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी 1 और 2 देखें) **	1,461.33	4,344.49

* कृपया टिप्पणी सं. 11 का संदर्भ लें ।

टिप्पणियाँ:

- नकद और नकद समकक्षों में चेक/ड्राफ्ट, उपलब्ध स्टाम्प, बैंक में शेष राशि और तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा सहित बैंक अधिशेष शामिल है ।
- नकद और नकद समतुल्य का मिलान:
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष
- वर्ष के लिए सीएसआर हेतु खर्च नहीं की गई राशि नकद और नकद समतुल्य शून्य है
- वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रारम्भिक और समापन शेष के बीच पुनर्मिलान ।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	अचल ऋण**	फाइनेंस लीज ओबलीगेशन	वर्तमान ऋण
1 अप्रैल 2022 की प्रारम्भिक राशि	7,18,899.93	1,011.83	24,300.00
वर्ष के दौरान नकद प्रवाह	95,000.00	(728.69)	(2,300.00)
अवधि के दौरान मूलधन का पुनर्भुगतान	(1,32,663.26)		
गैर-नकद परिवर्तन के कारण			
फाइनेंस लीज के तहत अधिग्रहण		803.17	
विनिमय दर में भिन्नता	3,289.07		
ऋण पर लेन-देन की लागत	-		
31 मार्च 2023 तक समापन राशि	6,84,525.74	1,086.31	22,000.00

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	अचल ऋण**	फाइनेंस लीज ओबलीगेशन	वर्तमान ऋण
1 अप्रैल 2021 की प्रारम्भिक राशि	7,55,433.34	790.45	36,774.67
वर्ष के दौरान नकद प्रवाह	60,000.00	(715.78)	(12,474.67)
अवधि के दौरान मूलधन का पुनर्भुगतान	(96,387.42)		
गैर-नकद परिवर्तन के कारण			
फाइनेंस लीज के तहत अधिग्रहण		937.16	
विनिमय दर में भिन्नता	(145.99)		
ऋण पर लेन-देन की लागत	-		
31 मार्च 2022 तक समापन राशि	7,18,899.93	1,011.83	24,300.00

** इसमें दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान भुगतान तिथि शामिल है

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ़आरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023
स्थान: नई दिल्ली

ए. पी. रोंग
कंपनी सचिव

बी.महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्वाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	3,60,981.04
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	3,60,981.04

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	3,60,981.04
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	3,60,981.04

(बी) अन्य इक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			कुल
	बॉन्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	32,197.01	2,94,942.86
लेखांकन नीतियों या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	39,690.08	39,690.08
अन्य व्यापक आय	-	-	(530.18)	(530.18)
कुल व्यापक आय	-	-	39,159.90	39,159.90
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	-	(1,500.00)	(1,500.00)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	-	(35,000.00)
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	34,856.91	2,97,602.76

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			कुल
	बॉन्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	21,273.80	2,84,019.65
लेखांकन नीतियों या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	21,229.37	21,229.37
अन्य व्यापक आय	-	-	(1,306.16)	(1,306.16)
कुल व्यापक आय	-	-	19,923.21	19,923.21
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	-	(1,500.00)	(1,500.00)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(7,500.00)	(7,500.00)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	32,197.01	2,94,942.86

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ़आरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023 ए. पी. रोंग
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

बी.महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्वाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

नोट संख्या 1: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2022-23

क. कॉर्पोरेट जानकारी

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (“नीपको लिमिटेड” / “कंपनी”) एक प्रमुख विद्युत उपयोगिता है, जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम कर रही है। नीपको लिमिटेड, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम (सीपीएसई) है, जो एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसे भारत सरकार द्वारा अनुसूची ए-मिनीरल श्रेणी- I सीपीएसई का दर्जा प्रदान किया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, लाईतुमखरा, शिलांग 793003, मेघालय है। कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹5000 करोड़ है। कंपनी के अपने 12 (बारह) उत्पादन केंद्र हैं, जो प्रचालन में हैं [कोपिली (4 x 50 मेगावाट को छोड़कर) पावर स्टेशन 07 अक्टूबर 2019 से पेनस्टॉक के टूटने के कारण बंद है और वर्तमान में पुनर्निर्माण नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के तहत है] जिसमें 8 (आठ) जल विद्युत, 3 (तीन) ताप विद्युत और 1 (एक) सौर विद्युत उत्पादन स्टेशन शामिल है। कंपनी की वर्तमान स्थापित क्षमता 2057 मेगावाट है।

नीपको लिमिटेड की देनदारी (बॉन्ड इलेवन इश्यू टू XXII इश्यू) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ सूचीबद्ध है।

बी. तैयारी का आधार

I. अनुपालन विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों, भारतीय लेखा मानकों (इसके बाद “इंड-एस” के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा धारा 133 के अनुसार अधिसूचित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के नियम 3, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2016 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को लागू सीमा तक प्रावधानों के अनुपालन में तैयार किया जाता है।

कंपनी ने सभी लागू इंड-एस को अपनाया है और इस तरह का अंगीकरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया गया था, जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित है।

II. पैमाने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय

- कुछ वित्तीय साधन जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं;
- बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां - बेचने की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापी जाती हैं;
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्तियां;

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

अन्यथा बताए और तदनुसार प्रकट किए जाने के सिवाय आय और व्यय का लेखा-जोखा व्यापारिक आधार पर किया जाता है।

III. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

यह वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को कंपनी के लिए निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि विशेष रूप से कहा गया हो।

IV. चल और अचल वर्गीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित कंपनी के परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चल और अचल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से कंपनी ने अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

आस्थगित कर संपरिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को अचल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

V. आकलन और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखांकन नीतियों के आवेदन में निर्णय, आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर संपत्ति, देनदारियों, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणाम अनुमानित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों के आधार पर आकलन और निर्णय पर निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल हैं जिन्हें उचित माना जाता है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को वित्तीय विवरणों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है और यदि भौतिक हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत, जो भविष्य के वर्षों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों के लिए एक सामग्री समायोजन का कारण बन सकते हैं, नोट-डी में प्रदान किए गए हैं।

VI. संयुक्त उद्यम में निवेश

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास संयुक्त व्यवस्था की विवरण परिसंपत्तियों के अधिकार प्राप्त होते हैं। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की अनुबंधात्मक सहमति प्राप्त साझेदारी होती है जो केवल तभी अस्थित्वपरक होती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के विषय में नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की आम सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त उद्यम में निवेश लागत पर किया जाता है, जिसमें निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधे जिम्मेदार लागत, कम हानि, यदि कोई हो, शामिल है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- 1.1 पीपीई की एक मद को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है।
- 1.2 बिजली के उत्पादन और ट्रांसमिशन में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, बैलेंस शीट में लागत, कम संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, पर बताया गया है।
- 1.3 जो सहायक परिसंपत्तियाँ अलग से पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, लेकिन एक से अधिक बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए सामान्य हैं, उनकी संबंधित स्थापित क्षमता के अनुपात में पूंजीकृत किया जाता है।
- 1.4 पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें डिमोशनिंग या बहाली लागत, यदि कोई हो, जहां भी आवश्यक हो, शामिल है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे संपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण के कारण होता है। ऐसे मामलों में जहां ठेकेदारों के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण और उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।
- 1.5 परीक्षण/परीक्षण चलाने और प्रायोगिक उत्पादन पर किए गए व्यय सहित परियोजना के स्टार्ट-अप और कमीशनिंग पर किए गए व्यय को निर्माण लागत के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। हालांकि, वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद, किए गए व्यय को राजस्व व्यय के लिए प्रभारित किया जाता है, भले ही अनुबंध की शर्त संयंत्र के सफल कमीशन के बाद संयंत्र के अंतिम अधिग्रहण के लिए प्रदान करती है।
- 1.6 प्रमुख रखरखाव या मरम्मत पर बाद के व्यय में परिसंपत्तियों के पुर्जों के प्रतिस्थापन की लागत और प्रमुख ओवरहाल लागत शामिल हैं। जहां एक परिसंपत्ति या संपत्ति के हिस्से को बदल दिया जाता है और यह संभावना है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को उपलब्ध होंगे, व्यय को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित वस्तु की अग्रणीत राशि को अमान्य कर दिया जाता है। यदि बदले गए हिस्से की वहन राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, तो कंपनी प्रतिस्थापन की लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में करती है कि बदले गए हिस्से की लागत उस समय क्या थी जब इसे अधिग्रहित या निर्माण किया गया था। इसी तरह, प्रमुख से जुड़ी ओवरहाल लागत रखरखाव पूंजीकृत हैं।
- 1.7 स्टैंडबाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है।
- 1.8 संपत्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है, हालांकि भूमि पर बनाई गई हैं जो कंपनी से संबंधित नहीं हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत शामिल हैं।
- 1.9 मुआवजे, पुनर्वास और कब्जे में भूमि से संबंधित अन्य खर्चों के लिए किए गए भुगतान / देनदारियों को अस्थायी रूप से बनाया गया है, इसे भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।
- 1.10 संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ खरीदे गए स्पेयर पार्ट्स के साथ-साथ बाद में खरीदे गए जो मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य मशीनरी पुर्जों को इन्वेंट्री का हिस्सा बनाने वाले “स्टोर और स्पेयर” के रूप में माना जाता है।
- 1.11 मोबाइल हैंडसेट की लागत को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

- 1.12 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटाने पर अमान्य कर दिया जाता है या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं होती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि या आईईडीसी, जैसा भी मामला हो, में पहचाना जाता है।

2. पूंजी का कार्य प्रगति पर है

- 2.1 निर्माणाधीन संपत्तियों पर किए गए व्यय को पूंजीगत कार्य के तहत लागत पर किया जाता है। इस तरह की लागतों में सभी करों/शुल्कों और अन्य लागतों सहित परिसंपत्ति का खरीद मूल्य शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। इस तरह की संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जब पूरा हो जाता है और इच्छित उपयोग के लिए तैयार होता है।
- 2.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए सीधे तौर पर आवश्यक लागत में कर्मचारी लाभ की लागत, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों के संबंध में व्यय, साइट की तैयारी की लागत, प्रारंभिक वितरण और हैंडलिंग शुल्क, स्थापना और असेंबली लागत, पेशेवर शुल्क, रखरखाव पर खर्च और ऊपर सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं का उन्नयन आदि, परियोजना के निर्माण में उपयोग की जाने वाली संपत्ति पर मूल्यहास, निर्माण के दौरान ब्याज और यदि परियोजनाओं के निर्माण के कारण हो तो प्रशासनिक और सामान्य ओवरहेड लागत सहित अन्य लागत शामिल हैं। इस तरह की लागत “पूंजीगत कार्य प्रगति पर” के तहत जमा की जाती है और बाद में प्रमुख अचल संपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित की जाती है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए, परियोजना विशिष्ट आईईडीसी को पूंजीकरण के समय परियोजना के लागत अनुमान/पूरा होने की लागत के आधार पर इसकी अर्हक संपत्तियों को आवंटित किया जाता है।
- 2.3 सुविधाएं बनाने के लिए किया गया पूंजीगत व्यय, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है और जिसका निर्माण परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक है, को “प्रगति में पूंजीगत कार्यों” के तहत किया जाता है और बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अलावा प्रमुख अचल संपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- 2.4 “जमा कार्यों” के प्रति व्यय की गणना संबंधित एजेंसी को प्राप्त खातों के विवरण और कंपनी द्वारा स्वीकृति के आधार पर की जाती है।
- 2.5 एक परियोजना का सामान्य व्यय, जो आंशिक रूप से प्रचालन में है और आंशिक रूप से निर्माणाधीन है, को स्थापित क्षमता के आधार पर विभाजित किया जा रहा है।
- 2.6 निर्माण गतिविधियों से संबंधित कॉर्पोरेट कार्यालय और गुवाहाटी कार्यालय व्यय का हिस्सा सीडब्ल्यूआईपी में वृद्धि के आधार पर निर्माणाधीन परियोजनाओं को आवंटित/विभाजित किया जाता है।
- 2.7 परियोजना के परित्याग/निलंबन/बंद करने के मामले में, उसके संबंध में व्यय ऐसे निर्णय के वर्ष में व्यय/प्रभारित किया जाता है।

3. अमूर्त संपत्ति

- 3.1 एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल अगर यह संभव है कि संभावित भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्तियों के कारण हैं, कंपनी को प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।
- 3.2 अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है।
- 3.3 आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं होने के कारण), अधिग्रहण की लागत को घटाकर संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, पर कहा गया है।
- 3.4 राज्य सरकार से उपयोग के लिए ली गई भूमि (बिना स्वामित्व के हस्तांतरण के) और राहत और पुनर्वास पर खर्च के साथ-साथ भूमि निकासी के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण पर या जलमग्न होने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले में और जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण एक विशिष्ट पूर्व है -परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए शर्त, “भूमि-उपयोग के अधिकार” के तहत लेखाबद्ध की जाती है।
- 3.5 तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार अमूर्त संपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें “विकासाधीन अमूर्त संपत्ति” के रूप में प्रकट किया जाता है।

4. मूल्यहास और परिशोधन:

निम्नलिखित को छोड़कर अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद सीधी रेखा पद्धति पर विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार मूल्यहास लगाया जाता है:

- i. तीन साल की अवधि में आईटी उपकरण (पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप सहित) का मूल्यहास किया जाता है।
- ii. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के कानूनी अधिकार या 03 (तीन) वर्ष, जो भी कम हो, की अवधि में सीधी-रेखा पद्धति पर परिशोधन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति के परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित की जाती है।
- iii. “भूमि-उपयोग का अधिकार” परियोजना के उपयोगी जीवन की अवधि में, इसके “वाणिज्यिक संचालन की तिथि” से पूरी तरह से परिशोधित है।
- iv. लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, उसके “वाणिज्यिक संचालन की तिथि” से किया जाता है। लीजहोल्ड भूमि, प्रशासनिक कार्यालयों के मामले में, लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।
- v. जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/न्यायालय के मामलों के निपटान, कर्तव्यों में परिवर्तन और इसी तरह के कारकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि / कमी के कारण मूल्यहास संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, ऐसी आस्तियों के असंशोधित शेष का सीईआरसी विनियमों द्वारा अधिसूचित दर और कार्यप्रणाली पर ऐसी परिसंपत्ति के शेष जीवन पर संभावित रूप से मूल्यहास किया जाता है।
- vi. प्रमुख मरम्मत और ओवरहाल की लागत को उनके उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है जहां यह संभावना है कि भविष्य के आर्थिक लाभ उपलब्ध होंगे।
- vii. संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए पुर्जे या बाद में जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है और ऐसी वस्तु की वहन राशि में जोड़ा जाता है, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली पर संबंधित संयंत्र और मशीनरी के अवशिष्ट उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है।
- viii. स्थापित संपत्ति/खरीदी गई संपत्ति, जिनकी व्यक्तिगत लागत 5000/- रुपये या उससे कम है, लेकिन 750/- रुपये से अधिक है (इसके बाद मामूली मूल्य की संपत्ति कहा जाता है) को 12 महीने की अवधि के दौरान मूल्यहास किया जाता है और केवल 1/- रुपये का नाममात्र शेष छोड़ दिया जाता है।
- ix. कम मूल्य की वस्तुएं, जो संपत्ति की प्रकृति में हैं (अचल संपत्ति को छोड़कर) और मूल्य रुपये तक। वर्ष के दौरान 750/- का पूंजीकरण नहीं किया गया है और राजस्व से प्रभारित नहीं किया गया है।
- X. एक परिसंपत्ति का मूल्यहास उस तारीख से पहले समाप्त हो जाता है जब परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (या बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल किया जाता है) इंड एएस 105 के अनुसार और परिसंपत्ति को अचिन्हित किया जाता है।
- xi. कॉर्पोरेट/प्रशासनिक कार्यालय की संपत्ति का मूल्यहास और निर्माणाधीन परियोजनाओं की सामान्य संपत्ति सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत अधिसूचित दरों के अनुसार वसूल की जाती है।

5. संपत्ति की हानि

- 5.1 प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त संपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा करती है कि क्या ऐसे संकेत हैं कि उन परिसंपत्तियों को हानि का नुकसान हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो वसूली योग्य राशि (अर्थात, इसके उचित मूल्य से अधिक बिक्री की लागत घटाकर और उपयोग में मूल्य) व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र हैं अन्य परिसंपत्तियां। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।
- 5.2 यदि किसी परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या सीजीयू) की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में घटा दिया जाता है और अग्रणीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 5.3 पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि हानियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है कि नुकसान कम हो गया है या अब बाहर नहीं निकलता है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि में कोई परिवर्तन हुआ है तो हानि को परिवर्तित कर दिया जाता है। हानि को केवल उस सीमा तक परिवर्तित कर दिया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई हो, मूल्यहास या परिशोधन के शुद्ध, यदि कोई हानि हानि की पहचान नहीं की गई है।

6. नियामक आस्थगित खाते

- 6.1 लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय, लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि को “नियामक आस्थगित खाता शेष” के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 6.2 विनियामक आस्थगन खाते की शेष राशि को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय हो जाती है।
- 6.3 नियामक आस्थगित खाता शेष राशि का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के शेष से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे। यदि यह अब संभव नहीं है कि इस तरह के शेषों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे, तो ऐसे शेषों की मान्यता रद्द कर दी जाती है।
- 6.4 हानि के लिए नियामक आस्थगित खाता शेष राशि का परीक्षण प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- 7.1 वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है।
- 7.2 वित्तीय विवरण तैयार करने में इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर अनुवाद किया जाता है।
- 7.3 भविष्य के उत्पादक उपयोग के लिए निर्माणाधीन परिसंपत्ति से संबंधित विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर उन परिसंपत्तियों की लागत में शामिल किया जाता है जब उन्हें भारतीय लेखा मानक 23 की आवश्यकताओं के अनुसार उन विदेशी मुद्रा उधारों पर ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।
- 7.4 मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि/आईईडीसी, जैसा भी मामला हो, के विवरण में पहचाना जाता है, जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।
- 7.5 विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों का रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा हाजिर दरों पर अनुवाद किया जाता है। मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह अपवाद के साथ उत्पन्न होता है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर 31- तक मान्यता प्राप्त है- 03-2016 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।
- 7.6 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, प्रत्येक उत्पादन कंपनी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विदेशी विनिमय दर भिन्नता को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में वसूल करेगी जिसमें वह उत्पन्न होती है, अर्थात्, कंपनी विदेशी विनिमय दर भिन्नता की वसूली कर सकती है वास्तविक आधार जब विदेशी मुद्रा ऋण वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) के बाद चुकाया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

- 8.1 प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभावित (“अधिक संभावना नहीं”) कि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है, और दायित्व की राशि के संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।
- 8.2 एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस शीट की तारीख पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सबसे अच्छा अनुमान है।
- 8.3 यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान का निर्धारण वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर किया जाता है जो देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 8.4 आकस्मिक देनदारियां संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक देनदारियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावनाएं दूर न हों। प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

- 8.5 आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आर्थिक लाभ की आमद संभावित होने पर वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया जाता है।
- 8.6 कठिन अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। एक कठिन अनुबंध वहां माना जाता है जहां कंपनी के पास एक अनुबंध होता है जिसके तहत अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ से अधिक होती है।

9. पट्टे

- 9.1 पट्टा प्रारंभ होने के समय पट्टे की व्यवस्था के आधार पर पट्टा व्यवस्था (या शामिल) निर्धारित करना है।
- 9.2 पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब पट्टे की शर्तें तात्त्विक रूप से समस्त जोखिम को अन्तर्गत करती है और किसी परिसम्पत्ति के स्वामी के लिए पट्टाधारी को आकस्मिक पुरस्कार होती है। अन्य समस्त पट्टे को प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 9.3 एमसीए अधिसूचना के अनुपालन में, कंपनी ने 01.04.2019 से इंड एस 116 “पट्टों” को अपनाया है और 1 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी पट्टा अनुबंधों पर लागू किया है। नतीजतन, कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख पर लागू वृद्धिशील उधार दर पर छूट वाले शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता दर्ज की और तारीख पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर छूट दी गई अपनी वहन राशि पर संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार दर्ज किया।

10. इनवेंटरी

- 10.1 इनवेंटरी के अंतर्गत प्रमुख रूप से स्टोर तथा संपत्ति, संयंत्र ईएएम उपकरण के रखरखाव हेतु प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जें शामिल हैं।
- 10.2 इनवेंटरी का भारत औसत आधार अथवा निवल वास्तविक मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। लागत का निर्धारण भारत औसत लागत सूत्र के प्रयोग द्वारा किया जाता है और एनआरवीसामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में विक्रय करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों का अनुमानित विक्रय मूल्य है।
- 10.3 स्ट्रैप के मूल्य को यथासमय विक्रय/निस्तारित होने पर खाते में समायोजित कर दिया जाता है तथा लाभ/हानि, यदि कोई हो को विक्रय/निस्तारण वर्ष में खाते में उल्लिखित किया जाता है।

11. व्यापार प्राप्य

- 11.1 व्यापार प्राप्तियां ग्राहकों से बेची गई वस्तुओं या व्यापार के सामान्य कार्यक्रम में की गई सेवाओं के लिए देय राशि हैं। यदि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने या उससे कम की अवधि के भीतर संग्रह किए जाने की उम्मीद है, तो उन्हें चालू संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-चालू संपत्ति के रूप में। व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।
- 11.2 चूंकि पूरी बिक्री राज्य सरकार को की जाती है। यूटिलिटीज के साथ-साथ पावर ट्रेडिंग कंपनियां, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता प्रदान नहीं कर रही है।
- 11.3 व्यापार प्राप्य प्रतिफल की राशि के लिए कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (अर्थात प्रतिफल का भुगतान देय होने से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

12. वित्तीय साधन

- 12.1 वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है या वित्तीय देनदारियों।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (अनुबंध परिसंपत्तियां)

प्राप्य खाते ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो खाता प्राप्य (अनुबंध संपत्ति की प्रकृति में) अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

वित्तीय संपत्तियों में संयुक्त उद्यम में निवेश, कर्मचारियों को अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां, नकद और नकद समकक्ष, वसूली योग्य दावे, सुरक्षा जमा आदि शामिल हैं।

i. नकद या नकद समकक्ष:

कंपनी सभी अल्पकालिक बैंक जमाराशियों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली हैं, नकद समकक्ष हैं। नकद और नकद समकक्ष में बैंकों के पास शेष राशि होती है जो बैलेंस शीट में निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों में उधार के भीतर दिखाए जाते हैं।

ii. परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें शुरू में लागत पर मापा जाता है, बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट पर वृद्धि देती हैं नकदी प्रवाह की तारीखें जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

iii. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक अवधि दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है, नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट दिनों में वृद्धि होती है। जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

iv. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे परिशोधन लागत पर या उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक मद के माध्यम से नहीं मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के कारण सीधे लेनदेन लागत को लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

v. वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी किसी वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त करती है जब आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय आस्ति को हस्तांतरित कर देती है और आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित कर देती है।

vi. वित्तीय संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

यदि, रिपोर्टिंग तिथि पर, प्रारंभिक मान्यता के बाद से किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापती है। यदि, प्रारंभिक मान्यता के बाद से उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो कंपनी एक वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता को आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक अपेक्षित क्रेडिट हानि (या उलट) की राशि को लाभ और हानि के विवरण में हानि लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

12.3 वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय आदि शामिल हैं।

i) वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेन-देन की लागत का शुद्ध, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ii) वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

कंपनी वित्तीय देनदारियों को तब और केवल तभी मान्यता देती है जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है।

13. ऋण लागत

- 13.1 उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो कंपनी को धन उधार लेने के संबंध में वहन करती है। अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/विकास या निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लेने की लागतों को उन परिसंपत्तियों की लागत के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि उनके इच्छित उपयोग के लिए अर्हक संपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।
- 13.2 संबंधित अर्हक आस्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।
- 13.3 अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं। उधार लेने की लागत में विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर शामिल हैं जिन्हें ब्याज लागत में समायोजित किया जाता है।
- 13.4 ऋण की पूर्ण चुकौती पर पूर्व भुगतान प्रभार आईईडीसी/लाभ और हानि खाते से, जैसा लागू हो, चुकौती के वर्ष में ही वसूल किया जाएगा।

14. सरकारी अनुदान

- 14.1 सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब इस बात का उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान वास्तव में प्राप्त हो गया है।
- 14.2 बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को भी सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रचलित बाजार ब्याज दरों के आधार पर ऋण की प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि और ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।
- 14.3 सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिसके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है। सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्तियों की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है।
- 14.4 अन्य सरकारी अनुदान (आय से संबंधित अनुदान) को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। आय से संबंधित अनुदानों को लाभ-हानि विवरण में अन्य आय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

15. कर्मचारी लाभ

- 15.1 कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी), छुट्टी लाभ और अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं।
- 15.2 पेंशन लाभ, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना के लिए वर्ष के दौरान भुगतान/देय कंपनी के अंशदान को अलग-अलग ट्रस्टों के माध्यम से प्रशासित संबंधित निधियों के लिए लेखा और भुगतान किया जाता है। कंपनी की देयता बीमांकिक रूप से बैलेंस शीट की तारीख पर ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और पीएमआरबी के लिए निर्धारित की जाती है और ग्रेच्युटी के लिए वर्ष के दौरान किसी भी आगे की वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है और छुट्टी नकदीकरण के लिए और पीएमआरबी को आईईडीसी या लाभ और हानि के लिए इस मामले पर चार्ज किया जाता है।
- 15.3 जब किसी योजना के लाभ में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ या हानि में औसत अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते। इस हद तक कि लाभ तुरंत निहित हो जाते हैं, लाभ और हानि के विवरण में खर्चों को तुरंत मान्यता दी जाती है।
- 15.4 लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर खर्च किया जाता है। प्रदर्शन संबंधी वेतन के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का अनुमान मज़बूती से लगाया जा सकता है।
- 15.5 अनुग्रह राशि के भुगतान के रूप में टर्मिनल लाभों पर किए गए व्यय आईईडीसी या लाभ और हानि, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यय के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

16. आयकर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर के योग को प्रतिनिधित्व करता है।

16.1 वर्तमान आय कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि आय या व्यय की वस्तुओं के कारण लाभ और हानि के विवरण में बताया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और ऐसी वस्तुएं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान आयकर शुल्क की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

16.2 आस्थगित कर

- आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति की वसूली की जाती है या देयता का निपटान किया जाता है, जो कर दरों और कर कानूनों के आधार पर लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। रिपोर्टिंग अवधि। अन्य व्यापक आय में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित कर व्यापक आय के विवरण का भाग होता है।
- आस्थगित कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अस्थायी अंतरों पर, बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति या उसके हिस्से की वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।
आस्थगित कर संपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के खिलाफ समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना है। मेट को बैलेंस शीट में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मज़बूती से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा।
- आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर संपत्तियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब वे एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होते हैं और कंपनी अपनी वर्तमान कर संपत्तियों और देनदारियों को निवल आधार पर निपटाने का इरादा रखती है।

17. राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिले और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सके, भले ही भुगतान कब किया जा रहा हो। राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। छूट और अन्य समान भत्तों के लिए राजस्व कम किया जाता है।

17.1 संचालन से राजस्व

क) बिजली की बिक्री से राजस्व

- किसी ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट विचार के आधार पर या उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद के आधार पर ग्राहकों को उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण के हस्तांतरण पर राजस्व की पहचान की जाती है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है।
- बिजली की बिक्री केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर होती है। उन बिजली स्टेशनों के मामले में जहां सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया जाना बाकी है, ऊर्जा की बिक्री केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019 में निहित सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर प्रदान की जाती है। जिन परियोजनाओं के लिए न तो सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर किया जाता है। बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को दी गई बिक्री शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, जिसे आमतौर पर "बिल न किया गया राजस्व" कहा जाता है।
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन / अप्रोत्साहन को मान्यता दी जाती है।

- iv. मार्च, 2009 तक आस्थगित कर देनदारियां, जब भी सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से भौतिक और वसूली योग्य होती हैं, साल-दर-साल आधार पर हिसाब की जाती हैं।
- v. 31 मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त विदेशी मुद्रा उधारों के अनुवाद के कारण विनियम अंतर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक संबंधित क्रेडिट के साथ “आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति” के रूप में हिसाब किया जाता है। “विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से आस्थगित आय” के लिए। विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव खाते से आस्थगित आय को उस अनुपात में परिशोधित किया जाता है जिसमें इस तरह के विनियम अंतर पर मूल्यह्रास लगाया जाता है और इसे मूल्यह्रास व्यय के खिलाफ समायोजित किया जाता है।
- vi. समय पर भुगतान के लिए लाभार्थियों को दी गई छूट को ऊर्जा की बिक्री के कारण संचालन से प्राप्त राजस्व के साथ घटाया जाता है।

ख) डीएसएम, आरआरएस और एनईआरएलडीसी शुल्क से राजस्व

- i. डीएसएम से राजस्व को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) द्वारा जारी साप्ताहिक खातों के आधार पर मान्यता दी जाती है जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र) विनियम 2014 और उसमें संशोधन द्वारा शासित है।
- ii. आरआरएस से प्राप्त राजस्व को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) द्वारा जारी साप्ताहिक खातों के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सहायक सेवा संचालन) विनियम 2015 और उसमें संशोधनों द्वारा शासित होता है।
- iii. एनईआरएलडीसी शुल्क और राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त शुल्क को प्रतिपूर्ति के लिए लाभार्थियों पर दावा किया गया है, सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019 और उसमें संशोधन द्वारा शासित है।

17.2 अन्य आय

- i. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।
- ii. एक वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को मज़बूती से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो कि प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध अग्रणीत राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को सटीक रूप से छूट देती है।
- iii. लाभ की हानि के लिए बीमा दावों का लेखा-जोखा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। अन्य बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।
- iv. देर से भुगतान पर ब्याज/अधिभार/ऊर्जा की बिक्री के लिए अतिदेय व्यापार प्राप्य को तब मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

18. सामग्री पूर्व अवधि लुटि

सामग्री पूर्व अवधि की लुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें लुटि हुई थी। यदि लुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनः वर्णित किया जाता है।

19. प्रति शेयर आय

- 19.1 प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान और प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या को संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के अलावा, यदि कोई हो, घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है, यदि कोई हो, जिसने बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को बिना किसी संगत परिवर्तन साधन के बदल दिया है।
- 19.2 प्रति शेयर मिलेजुले आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारत औसत संख्या सभी मिलेजुले संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित की जाती है।

20. विविध

- 20.1 समान मदों के प्रत्येक भौतिक वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। भिन्न प्रकृति या कार्य की वस्तुओं को अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि वे सारहीन न हों।
- 20.2 लंबित पूंजीगत कार्यों के लिए देयताएं निष्पादित लेकिन प्रमाणित नहीं हैं, कंपनी द्वारा लंबित स्वीकृति के लिए प्रदान नहीं की जाती हैं।
- 20.3 अचल संपत्तियों और सूची का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार प्रबंधन द्वारा किया जाता है। जिन विसंगतियों पर ध्यान दिया गया है, यदि कोई हैं, तो उस वर्ष के लिए हिसाब लगाया जाता है जिसमें ऐसे अंतर पाए जाते हैं।

महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने में, जिनका वर्णन नोट-बी में किया गया है, कंपनी के प्रबंधन को परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि के बारे में निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होते हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय:

प्रबंधन द्वारा कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में किए गए अनुमानों (नीचे बिंदु ii देखें) के अलावा, महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

i. परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति

प्रबंधन ने अपने व्यवसाय मॉडल के आलोक में परिशोधन लागत पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की समीक्षा की है और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को रखने की क्षमता की पुष्टि की है।

ii. अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत:

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं और अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क. निवेश की हानि

कंपनी सालाना परिशोधन लागत पर किए गए निवेशों के अपने वहन मूल्य की समीक्षा करती है, या अधिक बार जब हानि के संकेत होते हैं। यदि वसूली योग्य राशि इसकी वहन राशि से कम है, तो हानि हानि का हिसाब लगाया जाता है।

ख. प्रावधान

प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ, छुट्टी नकदीकरण और सोने के सिक्के को छोड़कर) को इसके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है।

ग. बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति

बिक्री के लिए धारित और बंद किए गए संचालन के इंड एएस 105 - तहत बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से जारी रखने के बजाय मुख्य रूप से वसूल की जाएगी।

घ. आकस्मिक देयताएं

पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देनदारियां, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने पर की जाएगी, पूरी तरह से कंपनी या आकस्मिक देनदारियों के नियंत्रण में नहीं, जहां वर्तमान दायित्व हैं, लेकिन यह नहीं है संभावित है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ की आवश्यकता होगी, वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

घ. उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रियाएं:

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापन को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य माप के इनपुट देखे जा सकते हैं और इसकी संपूर्णता में उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व, जो वर्णित हैं निम्नानुसार हैं :

- स्तर 1 के इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (असमयोजित) हैं, जिन्हें कंपनी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है;
- स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं, जो लेवल 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए देखे जा सकते हैं; तथा
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या दायित्व के लिए अप्राप्य इनपुट हैं।

नोट संख्या 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,600.25	2,600.25
उपयोग का अधिकारी (लीज होल्ड भूमि)	5,402.99	5,620.60
भवन-पूर्ण स्वामित्व वाले		
मुख्य संयंत्र	1,07,264.50	1,10,946.10
अन्य	18,283.24	16,925.81
उपयोग का अधिकार	184.20	172.93
संयंत्र एवं उपकरण	10,94,027.47	11,41,516.98
फर्निचर और फिक्सचर	696.24	607.91
वाहन		
स्वामित्व	280.43	289.80
उपयोग का अधिकार	820.40	766.45
कार्यालय उपकरण	2,398.39	2,383.14
अन्य:		
वैद्युतिक उपकरण	811.99	738.55
सड़क, पल, पुलिया, हेलीपैड	5,681.51	4,806.70
औज़ार और संयंत्र	3,999.64	3,606.71
विविध उपकरण	54.24	46.02
कुल	12,42,505.49	12,91,027.95

31 मार्च 2023 को

(₹ लाखों में)

विवरण	भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्निचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	विद्युत उपकरण	सड़क, पल, पुलिया, हेलीपैड	औज़ार एवं संयंत्र	विविध उपकरण	उपयोग का अधिकार (लीज पर भूमि)	कुल
01 अप्रैल 2022 तक सकल खंड संवर्धन	2,600.25	1,74,926.63	16,07,884.61	1,788.89	2,473.58	7,236.70	1,891.80	7,422.09	6,396.87	213.75	8,807.13	18,21,642.30
निपटान/समायोजन	-	3,007.87	26,916.16	158.75	598.00	532.89	129.47	1,118.43	722.31	25.88	-	33,209.76
बिक्री के लिए आयोजित के रूप में पुनर्वर्गीकृत	-	(22.88)	886.15	(70.25)	(689.11)	(360.90)	(0.83)	(0.05)	(131.73)	(23.19)	-	(412.79)
प्रावधान के लिए समायोजन		(182.02)	(2,861.04)									(3,043.06)
31 मार्च, 2023 तक का सकल खंड	2,600.25	1,77,729.60	16,32,825.88	1,877.39	2,382.47	7,408.69	2,020.44	8,540.47	6,987.45	216.44	8,807.13	18,51,396.21
1 अप्रैल 2022 तक का ह्रास												
अन्य पुनः वर्गीकरण												
31 मार्च 2023 तक का ह्रास												
1 अप्रैल, 2022 तक का संचित अवमूल्यन	-	46,739.91	4,64,111.10	1,180.98	1,417.33	4,853.56	1,153.25	2,615.39	2,790.16	167.73	3,186.53	5,28,215.94
अवधि हेतु प्रभार	-	5,478.09	75,471.15	60.17	549.73	453.74	55.97	243.54	281.63	16.88	217.61	82,828.51
निपटान	-	(220.34)	(783.84)	(60.00)	(685.42)	(297.00)	(0.77)	0.03	(83.98)	(22.41)	-	(2,153.73)
अन्य पुनः वर्गीकरण												
31 मार्च 2023 तक का संचित अवमूल्यन	-	51,997.66	5,38,798.41	1,181.15	1,281.64	5,010.30	1,208.45	2,858.96	2,987.81	162.20	3,404.14	6,08,890.72
31 मार्च 2023 तक का कुल संचित अवमूल्यन और ह्रास	-	51,997.66	5,38,798.41	1,181.15	1,281.64	5,010.30	1,208.45	2,858.96	2,987.81	162.20	3,404.14	6,08,890.72
31 मार्च 2023 तक का निवल खंड	2,600.25	1,25,731.94	10,94,027.47	696.24	1,100.83	2,398.39	811.99	5,681.51	3,999.64	54.24	5,402.99	12,42,505.49

31 मार्च 2022 तक

(₹ लाखों में)

विवरण	भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	विद्युत उपकरण	सड़क, पल, पुलिया, हैलिपेड	औज़ार एवं संयंत्र	विविध उपकरण	उपयोग का अधिकार (लीज़ पर भूमि)	कुल
01 अप्रैल 2021 तक सकल खंड	2,600.25	1,71,668.80	15,95,877.01	1,775.63	2,216.93	6,978.75	1,749.56	6,526.16	7,627.69	192.17	8,807.13	18,06,020.08
संवर्धन	-	3,659.73	19,151.20	68.82	698.44	554.92	164.90	969.20	212.13	20.35	-	25,499.69
निपटान/समायोजन	-	(401.90)	(7,143.60)	(55.56)	(441.79)	(296.97)	(22.66)	(73.27)	(1,442.95)	1.23	-	(9,877.47)
बिक्री के लिए आयोजित के रूप में पुनर्वर्गीकृत प्रावधान के लिए समायोजन		(141.88)	(2,256.53)									(2,398.41)
31 मार्च, 2022 तक का सकल खंड	2,600.25	1,74,784.75	16,05,628.08	1,788.89	2,473.58	7,236.70	1,891.80	7,422.09	6,396.87	213.75	8,807.13	18,19,243.89
1 अप्रैल 2021 तक का ह्रास अन्य पुनः वर्गीकरण												
31 मार्च 2022 तक का ह्रास												
1 अप्रैल, 2021 तक का संचित अवमूल्यन	-	41,767.05	3,96,787.28	1,171.82	1,292.31	4,689.48	1,118.78	2,474.39	3,764.11	159.29	2,988.32	4,56,212.83
अवधि हेतु प्रभार	-	5,319.80	73,193.52	58.93	558.64	406.13	51.74	191.50	256.84	6.68	198.21	80,241.99
निपटान	-	(346.94)	(5,869.70)	(49.77)	(433.62)	(242.05)	(17.27)	(50.50)	(1,230.79)	1.76	-	(8,238.88)
अन्य पुनः वर्गीकरण												
31 मार्च 2022 तक का संचित अवमूल्यन	-	46,739.91	4,64,111.10	1,180.98	1,417.33	4,853.56	1,153.25	2,615.39	2,790.16	167.73	3,186.53	5,28,215.94
31 मार्च 2022 तक का कुल संचित अवमूल्यन और ह्रास	-	46,739.91	4,64,111.10	1,180.98	1,417.33	4,853.56	1,153.25	2,615.39	2,790.16	167.73	3,186.53	5,28,215.94
31 मार्च 2022 तक का निवल खंड	2,600.25	1,28,044.84	11,41,516.98	607.91	1,056.25	2,383.14	738.55	4,806.70	3,606.71	46.02	5,620.60	12,91,027.95

- जहां ह्रास के संकेतक विद्यमान थे वहां संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (चालू कार्य में पूंजी शामिल) का ह्रास के लिए आकलन के आधार पर, पिछले वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान भी कंपनी ने कोई ह्रास अभिज्ञात नहीं किया है।
- निर्माण और ओ एंड एम परियोजनाओं की वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्तियों को सुरक्षित, प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड चौदहवें से बाईसवें अंक के लिए गिरवी रखा गया है, जिसका मूल्य ₹359000.00 लाख है, जिसमें आरओसी के साथ चार्ज आईडी है, ₹50000.00 लाख के लिए 100394348, ₹15000.00 लाख के लिए 100334035, ₹30000.00 लाख के लिए 100239598, ₹50000.00 लाख के लिए 100151868, ₹90000.00 लाख के लिए 10603635, ₹24000.00 लाख के लिए 10555356, ₹100000.00 लाख के लिए 10534076 है। ₹236600.00 लाख की राशि का सुरक्षित मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण। अरुणाचल प्रदेश में पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
- कोपिली चरण II के लिए अधिग्रहित की गई 183.19 हेक्टेयर भूमि, जिसका मूल्य ₹452.68 लाख है, भूमि मुआवजे में वृद्धि के संबंध में 160 भूमि मालिकों द्वारा दायर दावे के कारण मुकदमेबाजी में है और मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक), वेस्ट जैतिया हिल्स, मेघालय के समक्ष लंबित है।
- निर्माण परियोजनाओं से संबंधित ब्याज और वित्त शुल्क, ₹3093.82 लाख (पिछले वर्ष ₹287.27 लाख) की राशि आईईडीसी (संदर्भ नोट संख्या -34 बी) को हस्तांतरित कर दी गई है। विदेशी मुद्रा ऋणों की हेजिंग नहीं की जाती है।
- सीईआरसी के दिनांक 7 अक्टूबर 2022 और 31 अगस्त 2021 के आदेशों के अनुसार ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों (ब्याज सहित) का क्षमता शुल्क क्रमशः चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन एजेंसी द्वारा ₹2485.44 लाख और ₹12442.72 लाख का कुल बिल ₹14928.16 लाख है। 30 मार्च 2018 से वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन की तारीखों तक की अवधि के लिए, कंपनी की जलविद्युत परियोजनाओं में से एक को “संपत्ति, संयंत्र और उपकरण” में शामिल किया गया है, क्योंकि यह सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमन, 2019 के विनियमन 19 के साथ पढ़े गए इंडस्ट्रीज़ 16 के प्रावधान के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित परिसंपत्तियों को अपने वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।
- परिचालन के तहत उत्पादन स्टेशनों के संबंध में विनियम अंतर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ समायोजित किया जाता है और ऋण लेने की लागत को सीडब्ल्यूआईपी और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रमुख शीर्षों की लागत में ‘अतिरिक्त’ या ‘कटौती / समायोजन’ कॉलम के माध्यम से शामिल किया जाता है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को अंत वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को अंत वर्ष के लिए	
	पीपीई/ सीडबल्यूआईपी में शामिल विनिमय अंतर	पीपीई/ सीडबल्यूआईपी शामिल में ऋण की लागत	पीपीई/सीडबल्यूआईपी में शामिल विनिमय अंतर	पीपीई/सीडबल्यूआईपी शामिल में ऋण की लागत
मुख्य संयंत्र भवन	322.36	-	49.02	-
हाइड्रोलिक कार्य, जलाशय, बांध, सुरंग	973.86	-	(306.11)	-
संयंत्र एवं उपकरण	1,235.64	-	344.50	-
लंबित आवंटन सहित अन्य	-	3,093.82	-	287.27
कुल	2,531.86	3,093.82	87.41	287.27

vii. संयंत्र और मशीनरी की सकल वहन राशि में शामिल हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वित्त पट्टों के अंतर्गत धारित परिसंपत्तियां		
लागत	-	-
संचित अवमूल्यन एवं ह्रास हानियां	-	-
निवल वहन राशि	-	-
स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियां	12,41,500.89	12,90,088.57
निवल वहन राशि	12,41,500.89	12,90,088.57

उपरोक्त पीपीई (स्वामित्व वाली संपत्ति) की निवल वहन राशि में “उपयोग करने का अधिकार (भवन और वाहन)” के तहत संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें इंड एस 116 के अनुसार पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है, जो कि ₹ 1004.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 939.39 लाख) है।

viii. सकल खंड से कटौती/समायोजन और वर्ष के लिए मूल्यह्रास में शामिल हैं

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खंड वर्ष के अंत के लिए		मूल्य ह्रास वर्ष के अंत के लिए	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिसंपत्तियों का निपटान	(577.07)	(831.25)	(379.71)	(748.10)
परिसंपत्तियों की निवृत्ति	(685.82)	(8617.99)	(513.36)	(7051.95)
विनिमय अंतर सहित लागत समायोजन	2531.86	87.41	-	-
भूतलक्षी प्रभाव से पूंजीकृत आस्तियां/अतिरिक्त पूंजीकरण का बढ़ते खाते में डालना	(645.09)	(73.73)	(375.07)	(5.26)
अन्य	(1036.67)	(441.91)	(885.59)	(433.57)
कुल	(412.79)	(9877.47)	(2153.73)	(8238.88)

नोट संख्या 3: सीडबल्यूआईपी का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूँजीकृत	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भवन	555.39	889.73	(140.50)	879.93	424.69	555.39
सड़क, पुल, पुलिया, हेलीपैड	144.06	688.81	-	831.88	0.99	144.06
विद्युत अधिष्ठापन	33.76	148.37	-	104.60	77.53	33.76
जलापूर्ति, मल-जल निकास एवं जल-निकास	330.80	276.84	(20.04)	401.63	185.97	330.80
बांध, डाइक आदि सहित हाइड्रोलिक कार्य	28,780.71	14,262.79	(21.39)	6,677.14	36,344.97	28,780.71
अन्य सिविल कार्य	-	115.25	-	36.02	79.23	-
पावर हाउस	141.83	287.78	(5.12)	30.84	393.65	141.83
केबल कनेक्शन सहित स्विच यार्ड	745.48	2,054.01	-	34.95	2,764.54	745.48
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	-	-	-	-	-	0.00
पारेषण लाइनें	-	-	-	-	-	-
100 केवी एम्पियर और उससे अधिक रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर	1,183.64	2,622.21	(2.89)	-	3,802.96	1,183.64
सर्वेक्षण और जांच	1,755.50	227.84	(138.76)	15.80	1,828.78	1,755.50
संचार उपकरण	15.09	1.74	-	16.83	-	15.09
जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र और मशीनरी	11,120.50	24,239.53	-	1,353.44	34,006.59	11,120.50
गैस बूस्टर स्टेशन	3,871.63	4,493.37	-	3,633.03	4,731.97	3,871.63
ईडीपी और डबल्यूपी मशीन	-	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	15,141.59	12,284.27	6.25	-	27,432.11	15,141.59
	63,819.98	62,592.54	(322.45)	14,016.09	1,12,073.98	63,819.98
कमी : बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	1,990.91	-	(281.41)	-	1,709.50	1,990.91
निर्माण भंडार (प्रावधानों का निवल)	13.51	-	3,816.45	-	3,829.96	13.51
कुल	61,842.58	62,592.54	3,775.41	14,016.09	1,14,194.44	61,842.58

ए. सीडबल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ लाखों में)

सीडबल्यूआईपी	31 मार्च 202३ तक				कुल
	अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	63,078.32	40,056.01	7,964.75	3,095.37	1,14,194.45
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

बी. सीडबल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

सीडबल्यूआईपी	31 मार्च 2022 तक				कुल
	अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	46611.48	11973.42	164.48	3093.2	61,842.58
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

सी. सीडब्ल्यूआईपी समापन कार्यक्रम - जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है।

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2023 तक में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
प्रगति में परियोजनाएं/परिसंपत्तियां: *				
असम जीबीपीएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुइरियल एचपीएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

डी. सीडब्ल्यूआईपी समापन अनुसूची - - जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है।

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2022 तक में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
प्रगति में परियोजनाएं/परिसंपत्तियां: *				
असम जीबीपीएस	1412.39	2521.53		
तुइरियल एचपीएस	73.85	11.38		
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

** वाणिज्यिक संचालन में बिजली संयंत्रों के लिए पूंजीगत कार्यों के तहत संपत्तियां

बट्टे खाते में डालने का प्रावधान		(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	
भवन (मुख्यालय)	0.27	0.27	
भवन (तुइरियल एचआईपी)	-	137.90	
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज (तुइरियल एचआईपी)	-	20.04	
पर्यावरण और पारिस्थितिकी (तिपाईमुख एचआईपी)	-	-	
सर्वेक्षण और जांच			
तिपाईमुख हेप	-	-	
सियांग हेप	246.45	246.45	
सलिम हेप	-	4.48	
तुइरियल हेप	-	-	
गारो हिल्स थर्मल प्रोजेक्ट	90.47	90.47	
मार्गरेटा हेप	-	5.45	
रोखिया और बारामुरा जीटी पावर प्लांट	-	28.70	
गुमटी हेप	-	58.55	
डब्ल्यूके हिल्स हेप	-	4.95	
लेह और कारगिल हेप	44.94	44.94	
खेप	17.33	17.33	
किलिंग हेप	69.67	69.67	
बांडु हेप	-	-	
रंगित हेप	-	21.34	
सौर्य ऊर्जा			
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय			
तिपाईमुख हेप	-	-	
बिछोम बेसिन	253.52	253.52	
किलिंग हेप	524.93	524.93	
सियांग हेप	461.92	461.92	
कुल	1,709.50	1,990.91	

नोट संख्या 4: अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
की वहन राशि :		
सॉफ्टवेयर	951.87	1,259.95
उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	7,712.77	7,921.11
कुल	8,664.64	9,181.06

31 मार्च 2023 तक

(₹ लाखों में)

विवरण	रसॉफ्टवेयर	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	कुल
1 अप्रैल 2022 को सकल खंड संवर्धन	2,132.79	8,386.87	10,519.66
अवधि हेतु समायोजन	326.88	-	326.88
	(41.07)	-	(41.07)
31 मार्च 2023 तक सकल खंड	2,418.60	8,386.87	10,805.47
1 अप्रैल 2022 को संचित ह्रास			
अवधि हेतु प्रभार			
31 मार्च 2023 को संचित ह्रास			
1 अप्रैल 2022 को संचित परिशोधन	872.84	465.76	1,338.60
अवधि हेतु प्रभार	636.95	208.34	845.29
अवधि हेतु समायोजन	(43.06)	-	(43.06)
31 मार्च 2023 को संचित परिशोधन	1,466.73	674.10	2,140.83
31 मार्च 2023 को कुल संचित परिशोधन एवं ह्रास	1,466.73	674.10	2,140.83
31 मार्च 2023 को निवल खंड	951.87	7,712.77	8,664.64

31 मार्च 2022 को

(₹ लाखों में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	कुल
1 अप्रैल 2021 को सकल खंड संवर्धन	1,226.52	8,386.87	9,613.39
अवधि के लिए समायोजन	905.42	-	905.42
	0.85	-	0.85
31 मार्च 2022 को सकल खंड	2,132.79	8,386.87	10,519.66
1 अप्रैल 2021 को संचित ह्रास			
अवधि हेतु प्रभार			
31 मार्च 2022 को संचित ह्रास			
1 अप्रैल 2021 को संचित परिशोधन	514.04	256.96	771.00
अवधि हेतु प्रभार	357.95	208.80	566.75
अवधि के लिए समायोजन	0.85	-	0.85
31 मार्च 2022 को संचित परिशोधन	872.84	465.76	1,338.60
31 मार्च 2022 को कुल संचित परिशोधन एवं ह्रास	872.84	465.76	1,338.60
31 मार्च 2022 को निवल खंड	1,259.95	7,921.11	9,181.06

- परियोजनाओं (कामेंग जल विद्युत परियोजना, पारेजल विद्युत परियोजना और तुइरियल जल विद्युत परियोजना) की स्थापना के लिए कब्जे/उपयोग (5967.24 हेक्टेयर) में वन भूमि के लिए भुगतान किए गए मुआवजे को “उपयोग का अधिकार” माना जाता है।
- सॉफ्टवेयर सिस्टम के रखरखाव पर वार्षिक रूप से देय व्यय को राजस्व में शामिल किया जाता है।

नोट संख्या 4ए: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पंजीकृत	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रकमण शुल्क सहित अग्रिम प्रीमियम	10,096.00	-	-	-	10,096.00	10,096.00
सॉफ्टवेयर	161.77	148.59	(52.11)	258.25	-	161.77
	10,257.77	148.59	(52.11)	258.25	10,096.00	10,257.77
कमी: बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	10,000.00				10,000.00	10,000.00
कुल	257.77	148.59	(52.11)	258.25	96.00	257.77

ए. विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	31 मार्च 2023 तक					कुल
	अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि					
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक		
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	13.50			82.50	96.00	
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

बी विकास के तहत अमूर्त संपत्ति बढ़ने की अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	31 मार्च 2022 तक				कुल
	अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	175.27		-	82.50	257.77
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सी. विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति - जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	31 मार्च 2023 तक			
	में पूरा किया जाना			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* नीपको में ईआरपी लागू किया जा रहा है

डी विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति - जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	31 मार्च 2022 तक			
	में पूरा किया जाना			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	161.77	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट संख्या 5: सहायक एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
उद्धृत निवेश				
कुल संकलित उद्धृत निवेश (ए)				
अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णतः प्रदत्त)				
इक्विटी में निवेश				
- संयुक्त उपक्रम - संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयां				
- केएसके डिब्बिन जल विद्युत (पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर)	27930000	2,793.00	27930000	2793.00
कुल संकलित अनुद्धृत निवेश (बी)	27930000	2,793.00	27930000	2,793.00
अन्य निवेश				
कुल अन्य निवेश (सी)				
कुल निवेश (ए)+(बी)+(सी)	27930000	2,793.00	27930000	2,793.00
घटाकर : निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि		2,793.00		2,793.00
- संयुक्त उपक्रमों का - संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं				
कुल हानि मूल्य (डी)				
कुल निवेश मूल्य (ए) + (बी) + (सी) - (डी)	27930000	-	27930000.00	-

संयुक्त उद्यमों में निवेश

(i) गैर-उद्धृत निवेशों की वहन राशि और बाजार मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

कंपनियों के नाम	स्वामित्व ब्याज का अनुपात के रूप में	
	31-03-2023	31-03-2022
केएसके डिब्बिन जल विद्युत	30%	30%

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(ए) अनुद्धृत		
अनुद्धृत निवेशों की संकलित वहन राशि	-	-
कुल वहन राशि	-	-

(i) अनुद्धृत निवेशों की लागत लगभग उचित मूल्य है क्योंकि उचित मूल्य मापनों की विस्तृत रेंज संभव है और लागत, उस रेंज के अंदर उचित मूल्य के आकलन को निरूपित करती है।

(ii) **केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर में निवेश:-** केएसके एनर्जी वेंचर्स और नीपको लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु।

नीपको, मैसर्स केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और अवसरों की खोज की प्रक्रिया के तहत है, जिसमें किए गए निवेश के लिए निगम (नीपको) के हितों की रक्षा के लिए कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति शामिल है। हालांकि, कंपनी की अंतर-अनुशासनात्मक समिति द्वारा देखे गए वर्तमान स्वरूप में परियोजना की व्यावसायिक गैर-व्यवहार्यता को देखते हुए, उक्त निवेश के लिए समान राशि का प्रावधान किया गया है।

नोट संख्या 6: ऋण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
- प्रत्याभूत, लाभदायक माने गए	-	-
- अप्रत्याभूत, लाभदायक माने गए	28.19	26.16
- जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- खराब क्रेडिट	-	-
कमी: अशोध्य एवं संदिग्ध भत्तों के लिए अग्रिम	-	-
कुल	28.19	26.16

- (i) कर्मचारियों को प्रदत्त ऋण एवं अग्रिमों में ब्याजधारी कंप्यूटर अग्रिम और ब्याज मुक्त फर्नीचर अग्रिम एवं बहुप्रयोज्य अग्रिम शामिल हैं। कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम को कर्मचारियों से 60 समान किश्तों में वसूला जाता है, वहीं बहुप्रयोज्य अग्रिम को 12 किश्तों में वसूला जाता है।
- (ii) दिनांक 31.03.2022 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशकों और अन्य संबंधित पार्टियों से कोई बकाया ऋण नहीं है।
- (iii) उपरोक्त ऋण और अग्रिम वसूली योग्य आधार पर निगम के मानदंडों के अनुसार दिए गए हैं।

नोट संख्या 7: आस्थगित कर शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आस्थगित कर देयता		
पुस्तिका मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	1,51,326.48	1,34,249.94
कमी: आस्थगित कर परिसंपत्ति		
अवशोषित मूल्यहास	35,550.49	42,540.99
प्रावधान	10,278.85	8,963.85
सांविधिक बकाया	-	365.37
अवकाश नकदीकरण	5,728.29	4,841.55
अन्य*	980.90	904.38
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयता	98,787.95	76,633.80

31.03.2021 को अस्थगित कर

(₹ लाखों में)

आस्थगित कर समाधान	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	पीएल में प्रभाव
इंडस्ट्रीज़ एएस के अनुसार आस्थगित कर देयता	(1,51,326.48)	(1,34,249.94)	17,076.54
इंडस्ट्रीज़ एएस के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति	52,538.53	57,616.14	5,077.61
शुद्ध आस्थगित कर देयता	(98,787.95)	(76,633.80)	22,154.15
इंडस्ट्रीज़ एएस के अनुसार शुद्ध (देयता)/संपत्ति	(98,787.95)	(76,633.80)	22,154.15
पीएल में प्रभाव			22,154.15

31.03.2021 को अस्थिगत कर

(₹ लाखों में)

आस्थिगत कर समाधान	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	पीएल में प्रभाव
इंडस्ट्रीज़ एएस के अनुसार आस्थिगत कर देयता	(1,34,249.94)	(1,08,464.60)	25,785.34
इंडस्ट्रीज़ एएस के अनुसार आस्थिगत कर परिसंपत्ति	57,616.14	46,649.96	(10,966.18)
शुद्ध आस्थिगत कर देयता	(76,633.80)	(61,814.64)	14,819.16
इंडस्ट्रीज़ एएस के अनुसार शुद्ध (देयता)/संपत्ति	(76,633.80)	(61,814.64)	14,819.16
पीएल में प्रभाव			14,819.16

(i) नीपको बिजली के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में है। कंपनी के विभिन्न बिजली संयंत्रों से उत्पन्न बिजली को दीर्घावधि बिजली खरीद समझौतों के तहत विभिन्न लाभार्थियों को बेचा जाता है। उत्पादन स्टेशनों के लिए शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर “लागत प्लस आधार” पर जारी सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुपालन में निर्धारित किया जाता है। नीपको के हितधारकों पर बिलिंग के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ के साथ-साथ भारत में प्रचलित बिजली व्यापार और उत्पादन स्टेशनों के संयंत्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य के वर्षों में कंपनी को पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

इंड एएस 12 - करों के अनुपालन में, कंपनी ने “अनवशेषित मूल्यहास” के संबंध में 31.03.2022 को समाप्त वर्ष तक 42,540.99 लाख की आस्थिगत कर संपत्ति (डीटीए) को इस बात के पुख्ता सबूत के साथ मान्यता दी है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6990.50 लाख रुपये की और प्रोद्भूत राशि के साथ, 31.03.2023 को “अवशेषित मूल्यहास” के संबंध में डीटीए 35,550.49 लाख रुपये है।

(ii) 31.03.2023 को कंपनी के लिए उपलब्ध मैट क्रेडिट की राशि ₹ 24702.68 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11745.65 लाख) है, जो धारा 115 जेएए के तहत कर क्रेडिट की गणना के अनुसार राशि है।

(iii) * अन्य में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सोने का सिक्का देने के प्रावधान पर बनाई गई आस्थिगत कर संपत्ति शामिल है।

(iv) विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 48 देखें।

आस्थिगत कर शेष में विचलन

31 मार्च 2023 को

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 को	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य	31 मार्च 2023
आस्थिगत कर देयता					
पुस्तिका मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	1,34,249.94	17,076.54			1,51,326.48
कमी: आस्थिगत कर परिसंपत्ति	-				
अवशेषित मूल्यहास	42,540.99	(6,990.50)			35,550.49
प्रावधान	8,963.85	1,315.00			10,278.85
वैधानिक बकाया	365.37	(365.37)			-
अवकाश नकदीकरण	4,841.55	886.74			5,728.29
अन्य	904.38	76.52			980.90
निवल कर (परिसंपत्ति)/देयता	76,633.80	22,154.15	-	-	98,787.95

31 मार्च 2022 तक

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य	31 मार्च 2022
आस्थित कर देयता					
पुस्तिका मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	1,08,464.60	25,785.34	-	-	1,34,249.94
कमी: आस्थित कर परिसंपत्ति	-			-	
अशोषित मूल्यहास	30,546.32	11,994.67	-	-	42,540.99
प्रावधान	9,781.56	(817.71)	-	-	8,963.85
वैधानिक बकाया	1,163.83	(798.46)	-	-	365.37
अवकाश नकदीकरण	5,158.25	(316.70)	-	-	4,841.55
अन्य	-	904.38			904.38
निवल कर (परिसंपत्ति)/देयता	61,814.64	14,819.16	-	-	76,633.80

नोट संख्या 8: अन्य अचल परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूँजी अग्रिम		
प्रत्याभूत	-	-
अप्रत्याभूत		
बैंक गारंटी द्वारा रक्षित	12,527.67	12,284.78
अन्य	2,255.53	2,635.90
संदिग्ध माने गए	255.22	39.64
कमी: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	255.22	39.64
	14,783.20	14,920.68
आस्थित विदेशी मुद्रा में गतिशील परिसंपत्तियाँ	-	-
अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	1,052.54	1,103.89
अग्रिम कर वापसी योग्य	2,343.46	2,278.53
कुल	18,179.20	18,303.10

- (i) पूँजीगत अग्रिमों में मोबिलाइजेशन एडवांस और परियोजनाओं के संबंध में एस्करो खाते में जमा किए गए मध्यस्थता के लिए अग्रिम शामिल हैं।
- (ii) वार्षिक वर्ष 2015-16, वार्षिक वर्ष 2016-17, वार्षिक वर्ष 2018-19 और वार्षिक वर्ष 2020-21 से संबंधित वापसी कर क्रमशः ₹439.85 लाख, ₹872.26 लाख, ₹(1597.55) लाख और ₹2628.90 है जिसके लिए अपील आयकर अधिकारियों के पास लंबित हैं।
- (iii) आयकर पर विस्तृत खुलासे के लिए नोट संख्या-48 देखें।
- (iv) 31.03.2023 को निदेशकों और अन्य संबंधित पार्टियों की अग्रिम शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।

नोट संख्या 9: माल-सूचियां (लागत या निवल प्राप्य मूल्य में से कम पर)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रचालन स्टोर ::		
स्टोर एवं पुर्जे	11,602.58	13,381.41
उपभोग्य	411.85	292.47
अन्य	501.62	1,425.36
अप्रचलित / स्ट्रैप	822.77	836.38
	13,338.82	15,935.62
कमी :: कमी के लिए प्रावधान		
अप्रचलित / अनुपयोगी वस्तुओं के लिए प्रावधान	822.77	836.38
कुल सूची	12,516.05	15,099.24
उपर्युक्त में शामिल, पारगमनाधीन माल		
स्टोर एवं पुर्जे	-	-
कुल पारगमनाधीन माल	-	-

- (i) ₹14,500.00 लाख (पिछले वर्ष ₹7500.00 लाख) का सुरक्षित, कार्यशील पूंजी मांग ऋण, निकासी की सीमा तक कंपनी के स्टोर और स्पेयर और बुक डेट के शेयरों के गिरवी के लिए निकाला गया था।
- (ii) कंपनी विनियामक वातावरण में काम कर रही है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, ईंधन और अन्य इन्वेंट्री वस्तुओं की लागत मौजूदा टैरिफ नियमों के अनुसार वसूल की जाती है। तदनुसार, इन्वेंट्री का वसूली योग्य मूल्य लागत से कम नहीं है। स्टोर और स्पेयर्स में मरम्मत और रखरखाव के लिए परिशोधन हेतु ₹906.76 लाख (पिछले वर्ष ₹915.67 लाख) की अनुदान सहायता के अंतर्गत स्टोर शामिल हैं।

नोट संख्या 10: व्यापारिक प्राप्य राशियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है - सुरक्षित		
व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है - असुरक्षित	94,429.78	48,776.49
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब		
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
कुल	94,429.78	48,776.49

- (i) व्यापारिक प्राप्य राशियां, व्यापार के सामान्य क्रम में विक्रीत माल या प्रदत्त सेवाओं के संबंध में देय राशियां हैं।
- (ii) जहां किसी देय तिथि पर विशिष्ट रूप से सहमति नहीं दी गई है वहां, कंपनी द्वारा अनुमत सामान्य उधार अवधि सीईआरसी विनियमों/मार्गदर्शन के अनुपालन में है।
- (iii) जहां किसी व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान किया गया है, ऐसे प्रावधान को विवेक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन कोई भी बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीनों के भीतर राशि का एहसास करने की उम्मीद कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, उक्त व्यापार प्राप्य को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, जहां अगले बारह महीनों की अवधि के भीतर राशि का एहसास होने की कोई उम्मीद नहीं है, उसे इसके लिए किए गए प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।
- (iv) संबंधित पार्टियों से प्राप्य राशि ₹ 2401.46 लाख है

व्यापार प्राप्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक						
	बिल नहीं किया गया	देय नहीं (अर्थात्, 45 दिनों तक)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
			> 45 दिन से लेकर 6 महीने से कम तक	6 महीने से 01 वर्ष	01 वर्ष से 02 वर्ष	02 वर्ष से 03 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	44,382.59	32,176.31	6,836.72	664.97	-	0.75	84,061.34
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-ऋण प्रभावित							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है						10,368.44	10,368.44
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्ति - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							-
(vi) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण प्रभावित							-
कुल	44,382.59	32,176.31	6,836.72	664.97	-	0.75	10,368.44 94,429.78

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक						
	बिल नहीं किया गया	देय नहीं (अर्थात्, 45 दिनों तक)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
			> 45 दिन से लेकर 6 महीने से कम तक	6 महीने से 01 वर्ष	01 वर्ष से 02 वर्ष	02 वर्ष से 03 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	24,930.37	8,605.88	3,466.93	1,324.05	0.75	80.07	38,408.05
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-ऋण प्रभावित							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है						9,936.50	431.94 10,368.44
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्ति - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							-
(vi) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण प्रभावित							-
कुल	24,930.37	8,605.88	3,466.93	1,324.05	0.75	10,016.57	431.94 48,776.49

(I) विवादित व्यापार प्राप्य पर टिप्पणियाँ:

- (1) विवादित व्यापार प्राप्य में (i) प्रभावी कर दर के कारण प्रतिपूर्ति के दावे के लिए 431.94 लाख रुपये शामिल हैं; (ii) 2015-16 से 2018-19 के लिए विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) की प्रतिपूर्ति के दावे के प्रति 1399.45 लाख रुपये; (iii) 2017-18 और 2018-19 के लिए सीईआरसी द्वारा टीजीबीपी के टैरिफ के निर्धारण से उत्पन्न बकाया बिलों के प्रति 5799.78 लाख रुपये; (iv) एसटीजी इकाई के सीओडी से पहले 2015-16 और 2016-17 के दौरान जीटीजी इकाई के बिलों के प्रति 2737.27 लाख रुपये।
- (2) विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) ने लिपक्षीय समझौते (टीपीए) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए टीएसईसीएल के ₹10368.44 के बकाया के निपटान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रक्रिया जारी है। टीएसईसीएल ने एपीटीईएल के समक्ष ₹10368.44 लाख के उपरोक्त उल्लिखित बिलों के खिलाफ अपील की है। याचिका को एपीटीईएल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसे अपनी बारी में सुनवाई के लिए “अंतिम सूची” में शामिल किया गया है। जैसा कि कानूनी विशेषज्ञों ने संकेत दिया है, पर्याप्त कानूनी/नियामक आधार हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि टीएसईसीएल की याचिका खारिज कर दी जाएगी और एपीटीईएल द्वारा नीपको के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। हालाँकि, 01 अप्रैल 2022 के आदेश के माध्यम से, माननीय एपीटीईएल ने नीपको को अपील की लंबित अवधि के दौरान बकाया भुगतान के लिए टीएसईसीएल के लिए कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
- (3) टीएसईसीएल ने 10368.44 लाख रुपये के बिलों के संबंध में उपर्युक्त विवाद के अदालत के बाहर निपटान की पेशकश की है, जिसे नीपको ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इस प्रस्ताव में विवादित राशि को 50 - 50 के आधार पर बांटना शामिल है। इस बीच, नीपको के अनुरोध के आधार पर, भारत सरकार ने भारत सरकार, आरबीआई और त्रिपुरा सरकार के बीच लिपक्षीय समझौते के भुगतान सुरक्षा खंड के आह्वान के संबंध में त्रिपुरा सरकार पर ध्यान दिया है, जो भारत सरकार को राज्यों से फंड डायवर्ट करने में सक्षम बनाता है। टीएसईसीएल द्वारा नीपको को देय देय राशि को समाप्त करने के लिए आरबीआई के पास खाता रखा गया है, जिसमें बकाया पर विलंबित भुगतान अधिभार भी शामिल है। भुगतान को मामले पर निर्णय होने तक के लिए टाल दिया गया है, जो जल्द ही अपेक्षित है।
- (4) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 10368.44 लाख रुपये के विवादित व्यापार प्राप्य राशि को अच्छा माना गया है और बड़े खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं है। इसके अलावा, उपरोक्त राशि की वसूली तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर अपेक्षित है।
- (5) **बिल न किए गए राजस्व पर नोट्स**
31.03.2023 तक बिना बिल किए गए राजस्व की राशि ₹44382.59 लाख में ऊर्जा बिल ₹26476.88 लाख, मर्चेट पावर का व्यापार ₹2400.71 लाख, एफईआरवी ₹3727.85 लाख, वेतन प्रभाव (ग्रेच्युटी वृद्धि का दावा शामिल) रुपये शामिल हैं। ₹6969.89 लाख, एएफसी पुनरीक्षण पर बकाया ₹2925.36 लाख, लाभार्थियों से ब्याज ₹1704.12 लाख, एनईआरएलडीसी शुल्क और शुल्क ₹129.98 लाख और एलपीएस ₹47.80 लाख।

व्यापार प्राप्तियों में बदलाव

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रारंभिक शेष	48,776.49	76,911.76
जोड़कर- निवल राजस्व को मान्यता दी गई लेकिन वर्ष दौरान वसूली नहीं की गई	45,653.29	(28,135.27)
जमा शेष	94,429.78	48,776.49

(ii) व्यापार प्राप्तियों का और अधिक विश्लेषण किया जाना जैसे :

(₹ लाखों में)

31 मार्च 2023 को	सकल ऋण जोखिम राशि	ऋण हानि के लिए भत्ता	नेट क्रेडिट जोखिम राशि
राशि अभी बकाया नहीं है	76,558.90	-	76,558.90
45 दिनों से अधिक, छ महीनों तक	6,836.72	-	6,836.72
छ महीनों से अधिक	11,034.16	-	11,034.16
कुल	94,429.78	-	94,429.78

(₹ लाखों में)

31 मार्च 2022 को	सकल ऋण जोखिम राशि	ऋण हानि के लिए भत्ता	नेट क्रेडिट जोखिम राशि
राशि अभी बकाया नहीं है	33,536.25	-	33,536.25
45 दिनों से अधिक, छ महीनों तक	3,466.93	-	3,466.93
छ महीनों से अधिक	11,773.31	-	11,773.31
कुल	48,776.49	-	48,776.49

कंपनी 31 मार्च, 2023 को ग्राहकों के संबंध में ऋण जोखिम के लिए अपने अधिकतम जोखिम को ₹ 94,429.78 लाख (31 मार्च, 2022: ₹ 48,776.49 लाख) मानती है, जो कि क्रेडिट हानियों के लिए भत्ता के बाद व्यापार प्राप्तियों का उचित मूल्य है। ग्राहकों के लिए कंपनी का एक्सपोजर विविध है और टीएसईसीएल (लिपरा) और पी एंड ई मिजोरम को छोड़कर, कोई भी अन्य ग्राहक 31 मार्च, 2022 तक प्राप्य बकाया राशि (यानी 45 दिनों से अधिक) के 10% से अधिक का योगदान नहीं करता है।

व्यापारिक प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण हानियों के भत्ते में उतार-चढ़ाव:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अवधि के आरंभ में शेष	-	-
अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-

संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्तों का निर्धारण करने में कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करके एक व्यावहारिक प्रयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि के अनुभव को ध्यान में रखता है और इसे आगे की जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता प्राप्य राशियों की उम्र बढ़ने और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

नोट संख्या 11: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(ए) बैंकों में शेष		
बैंकों में अप्रतिबंधित शेष		
(i) चालू खाते में	1,460.60	4,344.26
(ii) जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3 महीने से कम)		
(बी) हाथ में चैक ड्राफ्ट		
(सी) हाथ में नकदी		
(डी) अन्य	0.74	0.23
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,461.34	4,344.49
नकदी और बैंक शेष के संबंध में प्रकटीकरण		
(ए) बैंकों में उद्दिष्ट शेष		
बैंकों में उद्दिष्ट शेष		
(i) चालू खाते में		
(ii) जमा खाते में		
कुल	1,461.34	4,344.49

नोट संख्या 12: नकदी एवं नकदी समतुल्य को छोड़कर बैंक अधिशेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रतिबंधित राशि	291.50	1,009.06
कुल	291.50	1,009.06

(i) प्रतिबंधित राशि का अलग-अलग विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भारत सरकार की डीडीयूजीवीवाई योजना	272.41	992.58
भारत सरकार की सौभाग्य योजना	14.78	13.79
पीएम- कुसुम (एमएनआरई- भारत सरकार)	1.20	2.69
रूफ-टॉप सोलर योजना	3.11	-
कुल	291.50	1,009.06

(ii) नकद और नकद समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना), पीएम-कुसुम और रूफ-टॉप सोलर योजना से संबंधित प्रतिबंधित धन शामिल है।

(iii) उपरोक्त नकदी और बैंक शेष मुख्य रूप से भारतीय रुपये में अंकित और धारित हैं।

नोट संख्या 13: अन्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अन्य प्राप्य		
सुरक्षित, लाभदायक माने गए		
असुरक्षित, लाभदायक माने गए	863.41	1,146.21
दावा प्राप्य (असुरक्षित)	-	3,562.67
अनुबंध संपत्ति	24,671.57	29,556.94
घटाकर :: एलपीएस के विरुद्ध प्रावधान	(3,636.25)	-
सकल अनुबंध परिसंपत्तियाँ	21,035.32	29,556.94
एसटीडीआर पर अर्जित ब्याज	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम	1,187.43	1,429.36
सुरक्षा जमा	139.04	111.65
कुल	23,225.20	35,806.83

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
जमा और ऋण से प्राप्त ब्याज		
अप्रत्याभूत को अच्छा माना गया है	-	-
अप्रत्याभूत को संदिग्ध माना गया है	-	-
कमी: ऋण हानियों के लिए भत्ता	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम	1,187.43	1,429.36
सुरक्षा जमा	139.04	111.65

- (i) सकल अनुबंध संपत्ति में अनंतिम राजस्व ₹18800.98 लाख, आस्थगित कर सामग्री ₹1452.47 लाख और प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2016-17) ₹781.87 लाख शामिल है।
- (ii) अन्य प्राप्य-असुरक्षित विचारित वस्तु में डीडीयूजीजेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी से प्राप्त होने वाली राशि ₹416.58 लाख, पीएम कुसुम राशि ₹25.30 लाख, पीआरएमबी ट्रस्ट से प्राप्त राशि ₹246.17 लाख, एनटीपीसी से प्राप्त राशि ₹11.03 लाख, टीडीएस के लिए प्राप्य एनवीवीएन राशि ₹2.05 लाख, बीएसई से प्राप्त राशि ₹3.03 लाख, एसबीआई ₹1.70 लाख, एलआईसी ₹0.65 लाख शामिल है। ग्रेच्युटी ट्रस्ट से प्राप्य राशि ₹153.17 लाख और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि ₹3.73 लाख है।
- (iii) कंपनी के निदेशकों पर कोई बकाया ऋण नहीं है।
- (iv) कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम में ब्याज सहित कंप्यूटर अग्रिम और ब्याज मुक्त फर्नीचर अग्रिम और बहुउद्देशीय अग्रिम शामिल हैं। कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम की वसूली कर्मचारियों से 60 समान किस्तों में की जाती है जबकि बहुउद्देशीय अग्रिम की वसूली 12 किस्तों में की जाती है।
- (v) 'प्रतिभूति जमा-राशियों का गठन मुख्य रूप से बीएसएनएल लाइनों, गैस कनेक्शन, केबल कनेक्शन आदि के मद में की गई जमाओं से हुआ है जो सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त सेवाओं के समर्पण पर वापस मिल जाएंगी।
- (vi) अन्य प्राप्य में परिवर्तन - अप्रत्याभूत को अच्छा माना गया है और बिल न किया गया राजस्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रारंभिक शेष	34,265.82	18,672.63
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़	13,922.80	39,179.78
कमी : वर्ष के दौरान वसूल/बिल किया गया	26,289.89	23,586.59
अंतिम शेष	21,898.73	34,265.82

नोट संख्या 14: वर्तमान कर संपत्ति/(देयताएं)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अग्रिम कर वापसी योग्य	514.84	180.67
टीडीएस / टीसीएस सहित अग्रिम कर का भुगतान	10,658.62	7,294.29
कमी- वर्तमान कर देनदारियाँ		
वर्तमान वर्ष	11,488.84	5,676.88
पूर्व वर्षों के लिए समायोजन	70.94	809.86
अन्य व्यापक आय	(885.11)	(772.86)
नियामक आस्थगित खाते की शेष राशि से संबंधित	1,468.19	1,619.88
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
वर्तमान कर परिसंपत्ति / (देयताएं) (निवल)	(969.40)	141.20

- (i) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान विवाद से विश्वास योजना के तहत मूल्यांकन के अनुसार निर्धारण वर्ष 2009-10 और निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2014-15 और 2021-22 से संबंधित कर वापसी योग्य राशि क्रमशः 4.87 लाख रुपये, 3.13 लाख रुपये, 153.60 लाख रुपये और 19.07 लाख रुपये और अन्य क्रमशः 333.48 लाख और 0.69 लाख रुपये है।
- (ii) 31.03.2023 को कंपनी के लिए उपलब्ध मैट क्रेडिट की राशि ₹24702.68 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11745.65 लाख) है, जो धारा 115 जेएए के तहत कर क्रेडिट की गणना के अनुसार राशि है।
- (iii) आयकर पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या-48 देखें।

नोट संख्या 15: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रीपेड बीमा सहित प्रीपेड खर्च	2,256.52	1,842.71
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम - अप्रत्याभूत, अच्छा माना जाता है	1,690.30	1,339.40
कमी : संदिग्धों के लिए भत्ते	52.77	40.40
स्क्रेप/अप्रचलित परिसंपत्तियाँ	12,938.69	12,704.57
कम : प्रावधान	12,938.69	12,704.57
सकल	-	-
कुल	3,894.05	3,141.71
निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	-	8.20
कुल	3,894.05	3,149.91

- (i) प्रीपेड व्यय में प्रीपेड बीमा, लाइसेंस शुल्क (प्रदूषण नियंत्रण) और इंटरनेट के लिए बीएसएनएल लीजलाइन के संबंध में अग्रिम भुगतान की गई राशि शामिल है, जिसका लाभ रिपोर्टिंग तिथि पर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ₹20000/- और उससे कम की मदों के प्रीपेड व्ययों को लेखा शीर्ष से प्रभावित किया जाता है।
- (ii) आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम, बिलों से 12 महीने के भीतर वसूल किए जाने वाले अल्पावधि अग्रिम हैं। कार्य/आपूर्ति आदेश के तहत निर्धारित अनुसार अग्रिम दिए जाते हैं।
- (iii) दिनांक 31.03.2023 तक निदेशकों और अन्य संबंधित पार्टियों की अग्रिम शून्य है। (पिछले वर्ष शून्य)
- (iv) निपटान के लिए धारित संपत्ति में निम्नलिखित मद शामिल हैं

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
संयंत्र और उपकरण	-	38.60
वाहन	-	9.71
कार्यालय के उपकरण	-	-
उपकरण और संयंत्र	-	-
विविध उपकरण:	-	-
निपटान के लिए धारित संपत्ति का मूल्य	-	48.31
कम: प्रावधान	-	40.11
निपटान के लिए धारित संपत्ति के लिए एनआरवी	-	8.20

- (v) स्क्रेप/अप्रचलित आस्तियाँ

(₹ लाखों में)

यूनिट	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
असम जीबीपीएस	510.88	473.11
अगरतला जीबीपीएस	194.42	72.67
कोपिली एचपीएस	11,846.38	11,837.67
रंगानदी एचपीएस	86.53	86.53
पारे एचपीएस	-	1.70
कामेंग एचपीएस	-	67.17
कोलकाता	0.06	-
त्रिपुरा जीबीपीएस	-	0.08
तुईरियल एचपीएस	70.95	70.95
रूपा (एस एंड आई)	0.07	0.40

शिलांग	93.18	93.18
गुवाहाटी	0.57	1.11
वाह उमियम	0.71	-
नई दिल्ली	0.79	-
दोयांग एचपीएस	134.15	-
कुल	12,938.69	12,704.57
कम: प्रावधान	12,938.69	12,704.57

नोट संख्या 16: रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स डेबिट बैलेंस

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष	-	-
(i) कर्मचारी लाभ व्यय - उपदान	-	-
प्रारंभिक शेष	4,793.47	4,793.47
अवधि के दौरान अतिरिक्त	(4,793.47)	-
जमा शेष	-	4,793.47
ii) मूल्यह्रास - तुइरियल एचपीएस	-	-
प्रारंभिक जमा	18,079.69	13,962.05
अवधि के दौरान अतिरिक्त	4,113.61	4,117.64
जमा शेष	22,193.30	18,079.69
(iii) आस्थगित कर देनदारियों के लिए आस्थगित कर समायोजन	-	-
प्रारंभिक शेष	29,387.52	24,233.87
अवधि के दौरान अतिरिक्त	10,542.90	5,153.65
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	-	-
जमा शेष	39,930.42	29,387.52
(iv) वसूली योग्य आस्थगित कर	-	-
प्रारंभिक शेष	38,623.96	39,934.78
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	(1,452.47)	(1,310.82)
जमा शेष	37,171.49	38,623.96
(v) विनिमय अंतर	-	-
प्रारंभिक शेष	1,459.91	1,459.91
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	(1,459.91)	-
जमा शेष	-	1,459.91
नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष	99,295.21	92,344.55

आस्थगित नियामक खाता शेष राशि को लेखा नीति संख्या -6 के अनुरूप समायोजित किया गया है। विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 37 देखें।

नोट संख्या 17: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
इक्विटी शेयर पूंजी	3,60,981.04	3,60,981.04
कुल	3,60,981.04	3,60,981.04

अधिकृत एवं जारी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
अधिकृत शेयर पूंजी		
₹10/- के इक्विटी शेयरों की संख्या 5,00,00,00,000 प्रत्येक (पिछले वर्ष	5,00,000.00	5,00,000.00
₹10/- के इक्विटी शेयरों की संख्या 5,00,00,00,000)		
जारी, अभिदत्त और पूर्ण चुकता पूंजी में शामिल हैं:		
3,60,98,10,400 संख्या (पिछली अवधि 3,60,98,10,400 संख्या)	3,60,981.04	3,60,981.04
₹10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयरों में से		
कुल	3,60,981.04	3,60,981.04

(i) अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी में उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2023 तक					
	01.04.2022 तक प्रारम्भिक शेष		2022-23 के दौरान उतार-चढ़ाव		31.03.2023 तक अंतिम शेष	
	शेयरों की संख्या	₹. लाख में	शेयरों की संख्या	₹. लाख में	शेयरों की संख्या	₹. लाख में
₹. 10 प्रत्येक के साधारण शेयर						
वर्ष के प्रारम्भ में	3609810400	360981.04	-	-	3609810400	360981.04
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-	-	-	-	-
	3609810400	360981.04	-	-	3609810400	360981.04

विवरण	31 मार्च, 2022 तक					
	01.04.2021 तक प्रारम्भिक शेष		2021-22 के दौरान उतार-चढ़ाव		31.03.2022 तक अंतिम शेष	
	शेयरों की संख्या	₹. लाख में	शेयरों की संख्या	₹. लाख में	शेयरों की संख्या	₹. लाख में
₹. 10 प्रत्येक के साधारण शेयर						
वर्ष के प्रारम्भ में	3,60,98,10,400	3,60,981.04	-	-	3,60,98,10,400	3,60,981.04
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-	-	-	-	-
	3,60,98,10,400	3,60,981.04	-	-	3,60,98,10,400	3,60,981.04

(ii) प्रमोटर/होलिंग कंपनी की शेयरहोलिंग का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2023 तक			31 मार्च, 2022 तक		
प्रमोटर/होलिंग कंपनी की शेयरहोलिंग का विवरण	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. 10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. 10 प्रत्येक)	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. 10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	कुल शेयरों का %
एनटीपीसी लिमिटेड	3,60,98,10,400	100.00	-	3,60,98,10,400	100	-

(iii) निगम के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिसका सममूल्य मूल्य ₹10/- है, जो पूर्ण स्वामित्व एनटीपीसी लिमिटेड के पास है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।

(iv) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नीपको में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी के साथ-साथ चिन्हित एक सीपीएसई रणनीतिक खरीदार, एनटीपीसी को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। तदनुसार, 25 मार्च 2020 को भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौते के अनुसार शेयर हस्तांतरण के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण 27 मार्च 2020 को पूरा हुआ। 31 मार्च 2023 तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हिस्सेदारी है।

(v) तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान, कंपनी ने न तो नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार कोई शेयर आवंटित नहीं किया है, न ही बोनस शेयर के रूप में और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

नोट संख्या 18: अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सामान्य रिजर्व	1,97,691.68	1,97,691.68
प्रतिधारित कमाई	34,856.91	32,197.01
बांड मोचन रिजर्व	65,054.17	65,054.17
कुल	2,97,602.76	2,94,942.86

18.1 सामान्य रिजर्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वर्ष/अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	1,97,691.68	1,97,691.68
वर्ष/अवधि के अंत में शेष	1,97,691.68	1,97,691.68

18.2 प्रतिधारित अर्जन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वर्ष/अवधि के प्रारंभ में शेष	32,197.01	21,273.80
कंपनी के स्वामियों से स्रोतजन्य लाभ	39,690.08	21,229.37
आयकर के निवल परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	(530.18)	(1,306.16)
पिछले वर्ष के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	(1,500.00)	(1,500.00)
चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	(35,000.00)	(7,500.00)
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	34,856.91	32,197.01

- (i) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 19.09.2022 को आयोजित 46वीं एजीएम में अनुमोदित पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश के लिए ₹1500.00 लाख का भुगतान किया है।
- (ii) चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹35000.00 लाख की राशि का अंतरिम लाभांश 16.03.2023 को आयोजित 277वीं बीओडी बैठक में अनुमोदित किया गया था। इसका भुगतान 13.04.2023 को किया गया है।
- प्रतिधारित आय कंपनी का अब तक का विनियोग का सकल लाभ है।

18.3 बांड मोचन आरक्षित राशि

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्ष/अवधि के प्रारम्भ में शेष	65,054.17	65,054.17
वर्ष/अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव		
वर्ष/अवधि के अंत में शेष	65,054.17	65,054.17

आरक्षित निधियों की प्रकृति निम्नवत है:

- (ए) सामान्य आरक्षित निधि :- पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, लागू विनियमों के अनुसरण में एक निर्दिष्ट प्रतिशतता पर निवल लाभ के वार्षिक अंतरण के माध्यम से एक सामान्य आरक्षित निधि निर्मित की गई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के आ जाने पर, निवल लाभ के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को सामान्य आरक्षित निधि में अनिवार्य रूप से अंतरित करने की आवश्यकता वापस ले ली गई है।
- (बी) बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व: - कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के साथ पठित, कंपनी को बॉन्ड / डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के संबंध में आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। बांड/डिबेंचर मोचन रिजर्व की पर्याप्तता बकाया डिबेंचर के मूल्य का दस प्रतिशत होना आवश्यक है। 31.03.2023 तक, कंपनी ने रुपये का एक बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाए रखा है। 65054.17 लाख, जो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। इसलिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई और बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाया है।

गैर-चालू देयताएँ

वित्तीय देयताएँ

टिप्पणी सं. 19: दीर्घावधि ऋण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(ए) निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
1. प्रत्याभूत ऋण		
i. 22 वां मुद्दा	50,000.00	50,000.00
घटाकर : बॉन्ड व्यय अमूर्तकरण	26.30	30.76
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	1,158.36	1,158.36
बॉन्ड -22 वां मुद्दा (निवल)	51,132.06	51,127.60
8 साल नीपको 7.55% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, 10,00,000 रुपये के कर योग्य बांड, 10-12-2026, 10-06-2027, 10-12-2027 और 10-06-2028 को अंकित मूल्य के 25% पर रिडीम करने योग्य; 10-06-2025, 10-12-2025, 10-06-2026, 10-12-2026, 10-06-2027, 10-12-2027 पर कॉल विकल्प के साथ।		
कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्ति के साथ-साथ नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी चार्ज आईडी नंबर 100394348 के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को गिरवी के माध्यम से प्रभार के निर्माण के लिए पहचाना गया है।		

ii. 21 वां मुद्दा	15,000.00	15,000.00
कम: बांड व्यय परिशोधन	16.99	20.67
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	17.86	21.43
बांड - इक्कीसवाँ अंक (नेट)	15,000.87	15,000.76
8 वर्ष नीपको 8.69% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड 10,00,000 रुपये के ऋणपत्रों की प्रकृति में, अंकित मूल्य के 50% पर 26-09-2026, 26-09-2027 26-09-2024, 26-03-2025, 26-09-2025, 26-03-2026, 26-09-2026 और 26-03-2027 पर कॉल ऑप्शन के साथ भुनाया जा सकता है। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में चार्ज किया गया है।		
iii. 20 वां मुद्दा	30,000.00	30,000.00
घटाकर : बाँड व्यय अमूर्तकरण	12.12	16.78
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	960.41	960.41
बाँड- 20 वां मुद्दा (सकल)	30,948.29	30,943.63
7 साल के नीपको 9.50% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, 10,00,000 रुपये के कर योग्य बांड, 29-05-2024, 29-11-2024, 29-05-2025 और 29-11-2025 को अंकित मूल्य के 25% पर 29-11-2023, 29-05-2024, 29-11-2024, 29-05-2025 को कॉल विकल्प के साथ भुनाए जा सकते हैं। (कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में चार्ज किया गया है)।		
iv. उन्नीसवाँ मुद्दा	-	30,000.00
घटाकर : बाँड व्यय अमूर्तकरण	-	21.09
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	359.59
बाँड- 19 वां मुद्दा (सकल)	-	30,338.50
10 साल नीपको 8.75% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड ₹10,00,000 प्रत्येक, 06-09-2026, 06-03-2027; 06-09-2027 & 06-03-2028 को अंकित मूल्य के 25% पर भुनाया जा सकता है; 06-03-2023, 10-08-2023, 10-02-2024, 10-08-2024, 10-02-2025, 10-08-2025, 10-02-2026, 10-08-2026, 10-02-2027, 10-08-2027, 10-02-2028 पर कॉल ऑप्शन के साथ। (पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के माध्यम से चार्ज किया गया है)।		
v. अट्ठारहवां मुद्दा	50,000.00	50,000.00
घटाकर : बाँड व्यय अमूर्तकरण	15.23	20.11
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	1,441.32	1,441.32
बाँड- 18 वां मुद्दा (सकल)	51,426.09	51,421.21
8 साल नीपको 7.68% सिक्कोर्ड, रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल, टैक्सेबल बाँड्स ₹ 10,00,000 प्रत्येक, 15-05-2025 और 15-11-2025 को फेस वैल्यू के 50% पर 15-11-2022, 15-05-2023, 15-11-2023, 15-05-2024, 15-11-2024, 15-05-2025 कॉल ऑप्शन के साथ रिडीम करने योग्य। (पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के माध्यम से चार्ज किया गया है)।		

vi. सोलहवां मुद्दा	90,000.00	90,000.00
घटाकर : बॉन्ड व्यय अमूर्तकरण	40.08	45.33
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	2,290.09	2,290.09
बॉन्ड- 16 वां मुद्दा (सकल)	92,250.01	92,244.76
15 साल के नीपको 8.68% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड, प्रत्येक ₹10,00,000/-, अंकित मूल्य के 20% पर 30-09-2026; 30-09-2027; 30-09-2028; 30-09-2029 और 30-09-2030 को भुनाए जाने योग्य। (जमीन से जुड़ी संपत्ति के साथ-साथ मिजोरम में तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, असम में कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन-जायदाद की अन्य चल संपत्ति को एक के माध्यम से नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड गिरवी के रूप में चार्ज किया गया है।)		
vii. पंद्रहवां मुद्दा	24,000.00	36,000.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	42.12	63.17
बॉन्ड- 15 वां (सकल)	24,042.12	36,063.17
10 साल के नीपको 9.15% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड प्रत्येक ₹10,00,000/-, अंकित मूल्य के 20% पर 25-03-2021; 25-03-2022; 25-03-2023; 25-03-2024 और 25-03-2025 पर भुनाए जा सकते हैं। (त्रिपुरा में अगरतला गैस टर्बाइन परियोजना (मूल ओपन-साइकिल प्लांट) की संपत्ति, असम गैस आधारित परियोजना, असम में गैस टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन को छोड़कर संपत्ति, रंगनाडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक में उत्पादन स्टेशन में संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर संपत्ति परियोजना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से गिरवी रखा गया है)।		
viii. चौदहवां मुद्दा	1,00,000.00	1,50,000.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	-
बॉन्ड -चौदहवां (सकल)	1,00,000.00	1,50,000.00
10 वर्षों के लिए 9.25% पर नीपको प्रत्याभूत, मोचनीय, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, रुपए 10,00,000/- के आकर बॉन्ड जो 01-10-2020; 01-10-2021; 01-10-2022; 01-10-2023 व 01-10-2024 को अंकित मूल्य का 20% पर मोचनीय। (कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के जनरेटिंग स्टेशन में सभी संयंत्र और उपकरण तथा निगम का गुजरात के मेहसाना का जमीनी संपत्ति को नियुक्त न्यासी के साथ न्यास विलेख के माध्यम से बंधक द्वारा ऋणभारग्रस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है।)		
ix. 13 वां मुद्दा	-	1,450.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	6.08
बॉन्ड -तेरहवां (सकल)	-	1,456.08
10 वर्षों के लिए 9.25% पर नीपको प्रत्याभूत, मोचनीय, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, रुपए 10,00,000/- के आकर बॉन्ड जो 15-03-2019; 15-03-2020; 15-03-2021, 15-03-2022 व 15-03-2023 को अंकित मूल्य पर मोचनीय। असम गैस आधारित विद्युत परियोजना, असम के गैस टर्बाइन तथा निगम का गुजरात के मेहसाना का जमीनी संपत्ति को नियुक्त न्यासी के साथ न्यास विलेख के माध्यम से बंधक द्वारा ऋणभारग्रस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है।		

x. 12वां मुद्दा	-	2,400.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	83.33
बॉन्ड -12 वां (सकल)	-	2,483.33
<p>10 वर्षों के लिए 9.25% पर नीपको प्रत्याभूत, मोचनीय, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, रुपए 10,00,000/- के आकर बॉन्ड जो 27-06-2018; 27-06-2019; 27-06-2020; 27-06-2021 & 27-06-2022 को अंकित मूल्य का 20% पर मोचनीय ।</p> <p>रंगानदी जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के जनरेटिंग स्टेशन में सभी संयंत्र और उपकरण तथा निगम का गुजरात के मेहसाना का जमीनी संपत्ति को नियुक्त न्यासी के साथ न्यास विलेख के माध्यम से बंधक द्वारा ऋणभारग्रस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है ।</p>		
xi. ग्यारहवां मुद्दा	-	-
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	-
बॉन्ड -ग्यारहवां (सकल)	-	-
<p>10 साल नीपको 10.20% प्रत्याभूत, रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल, टैक्सेबल बॉन्ड्स ₹ 10,00,000 प्रत्येक, 15-12-2018 को पुट एंड कॉल ऑप्शन के साथ 15-12-2021 को सममूल्य पर रिडीम किया जा सकता है। (असम गैस आधारित विद्युत परियोजना, असम के गैस टर्बाइन तथा निगम का गुजरात के मेहसाना का जमीनी संपत्ति को नियुक्त न्यासी के साथ न्यास विलेख के माध्यम से बंधक द्वारा ऋणभारग्रस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है।</p>		
उप-कुल: निजी तौर पर पीएसयू बॉन्ड (ए)	3,64,799.44	4,61,079.04
ख. सुरक्षित सावधि ऋण		
आई. रुपया ऋण राशि:		
ए. केनरा बैंक से मध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण	25,000.00	37,500.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	165.86	216.01
केनरा बैंक से मध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण (नेट)	25,165.86	37,716.01
<p>अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर पैरी चार्ज से सुरक्षित। ऋण 03.02.2020 के पहले आहरण से 1 वर्ष स्थगन के बाद 16 संरचित त्रैमासिक किस्त में चुकाया जा सकता है ।</p>		
बी. पंजाब नेशनल बैंक से कॉर्पोरेट अवधि ऋण	81,600.00	85,000.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	-
पीएनबी से मध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण (सकल)	81,600.00	85,000.00
<p>अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित। पहले आहरण से 2 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है: 30.12.2022 से प्रत्येक 17 करोड़ रुपये की 12 समान किस्तें, 30.12.2025 से प्रत्येक 34 करोड़ रुपये की 8 समान किस्तें और 30.12.2027 से प्रत्येक 93.50 करोड़ रुपये की 4 समान किस्तें शुरू होंगी ।</p>		
सी. भारतीय स्टेट बैंक से रुपया सावधि ऋण	1,00,000.00	35,000.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	-
एसबीआई से रुपया सावधि ऋण (सकल)	1,00,000.00	35,000.00
<p>अन्य उधारदाताओं के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की संपत्ति पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित ।</p> <p>ऋण निकासी की पहली तारीख से 2 साल की मोहलत के बाद निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है: 9वीं से 20 वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 25.00 करोड़ रुपये; 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत तक 50.00 करोड़ रुपए; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 75.00 करोड़ रुपये ।</p>		

डी. एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण	30,000.00	
[पारे हाइड्रो पावर स्टेशन -अरुणाचल प्रदेश और रंगनदी एचपीएस (405 मेगावाट) में संयंत्र और मशीनरी और असम गैस आधारित पावर स्टेशन (291 मेगावाट) के गैस टर्बाइनों में पहले पैरी पासू आधार पर संपत्ति की अचल संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित]।		
ऋण पहली निकासी (06.10.2022) से 2 साल की अधिस्थगन अवधि से शुरू होने वाली निम्नलिखित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है, 9 ^{वीं} से 20 ^{वीं} तिमाही के अंत में प्रत्येक 15.00 करोड़ रुपये - 21 से 28 ^{वीं} तिमाही के अंत में प्रत्येक 25.00 करोड़ रुपये; 29 ^{वीं} से 32 ^{वीं} तिमाही के अंत में प्रत्येक 30.00 करोड़ रुपये।		
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	206.64	
एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण (नेट)	30,206.64	-
विदेशी मुद्रा ऋण		
बाह्य वाणिज्यिक उधार-राशि	-	13,608.89
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	11.20
बाहरी वाणिज्यिक उधार (सकल)	-	13,620.09
त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत संयंत्र, अगरतला एवं अगरतला गैस टरबाइन परियोजनाएं-विस्तार, अगरतला के संबंध में सृजित होने वाली सभी संचल व अचलपरिसंपत्तियाँ संयंत्र व मशीने शामिलद्व के गिरवी, द्वारा प्रत्याभूत। एसबीआई, सिंगापुर ने लाभ के रूप में 3 माह एलआईबीओआर-सह 3.05% प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर 100 मिलियन यूएस डोलर का ईसीबी ऋण स्वीकृत किया है। ;20 मार्च, 2018 से लाभ घटकर 2.75% हो गया है। इस समझौता पर 09.12.2013 को हस्ताक्षर किया गया। गत निकासी 04 जून, 2014 को की गई। इस ईसीबी ऋण को 20.06.2014 से 39 सामान्य किस्तों में भुगतान किया जाएगा।		
उप-कुल प्रत्याभूत ऋण (बी)	2,36,972.50	1,71,336.10
कुल : प्रत्याभूत ऋण (ए+बी)	6,01,771.94	6,32,415.14
2. अप्रत्याभूत ऋण:		
1. निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
तेईसवाँ अंक	20,000.00	20,000.00
कम: बांड व्यय परिशोधन	4.34	4.86
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	31.30	31.30
बांड - तेईसवाँ अंक (नेट)	20,026.96	20,026.44
8 साल के नीपको 7.14% असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, 10,00,000 रुपये के कर योग्य बांड, अंकित मूल्य के 25% पर 22-09-2028; 23-03-2029; 24-09-2029; 22-03-2030 को 24-03-2026 को 24-09-2026; 24-03-2027; 24-09-2027; 24-03-2028; 22-09-2028; 23-03-2029; 24-09-2029 कॉल विकल्प के साथ भुनाए जा सकते हैं।		
(i) रुपया ऋण		
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	29,196.42	29,196.42
कम: ऋण व्यय परिशोधन	71.46	72.32
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	-
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (नेट)	29,124.96	29,124.10
(भारत सरकार ने 1% वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 29196.42 लाख का अधीनस्थ ऋण स्वीकृत किया है। ऋण विभिन्न तिथियों पर स्वीकृत किया गया था और अंतिम निकासी 6 जुलाई 2015 को थी। ऋण तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिजोरम के चालू होने के 16 ^{वें} वर्ष अर्थात 30 जनवरी 2018 से 15 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।		
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण		
केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण	39,729.32	43,744.62
कम :: उचित मूल्य (80 मिलियन और 20 मिलियन)	(154.22)	(141.76)

जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं

केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण (नेट)

(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)

अरुणाचल प्रदेश में पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (110 मेगावाट) के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत।

(भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया गया था। 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण समझौता क्रमशः 3.46% प्रति वर्ष और 0.85% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर 11 दिसंबर 2008 और 20 दिसंबर 2017 को निष्पादित किया गया था। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। 80 मिलियन यूरो की अंतिम ऋण किस्त 03.03.2016 को प्राप्त हुई और 20 मिलियन यूरो 16.08.2018 को प्राप्त हुई। ऋण क्रमशः 30-12-2013 से 30 समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में और 30-12-2020 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा।)

कुल अप्रत्याभूत ऋण (i + ii)

कुल (1+2)

कम: वर्तमान भुगतान (नोट 20 देखें)

बांड

रुपया टर्म लोन

विदेशी मुद्रा ऋण - प्रत्याभूत

विदेशी मुद्रा ऋण - अप्रत्याभूत

ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं

कुल : गैर-वर्तमान देनदारियां

255.96 284.48
40,139.50 44,170.86

89,291.42 93,321.40

6,91,063.36 7,25,736.54

62,000.00 65,850.00

21,800.00 17,500.00

- 7,774.78

6,571.82 6,208.96

6,569.92 6,926.77

5,94,121.62 6,21,476.03

उधार की भुगतान प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

संविदात्मक भुगतान	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
एक वर्ष या उससे कम में या मांग पर	96,909.44	1,04,170.77
एक से दो साल के बीच	1,14,371.82	96,543.07
दो और तीन वर्ष के बीच	97,771.82	1,08,208.96
तीन से चार वर्ष के बीच	76,671.82	96,208.96
चार से पाँच वर्ष के बीच	1,09,571.82	89,208.96
पाँच वर्ष से अधिक	1,95,766.63	2,31,395.82
कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह	6,91,063.36	7,25,736.54
कुल ऋण	6,91,063.36	7,25,736.54

नोट:

ए. कंपनी ने अपने उधार लिए गए फंड का उपयोग ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है।

बी. कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या वर्तमान संपत्ति के विवरण खातों की किताबों के अनुरूप हैं।

वित्तीय देनदारियाँ

नोट संख्या 19 ए: गैर चालू वित्तीय देनदारियां - लीज देनदारियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
लीज देनदारी - लीज के तहत संपत्ति	1086.31	1011.83
कम: लीज देनदारियों की वर्तमान परिपक्वता	607.67	573.64
कुल	478.64	438.19

नोट संख्या 20: दीर्घावधि प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु चिकित्सा लाभ	-	1,607.45
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	319.12	274.41
कुल	319.12	1,881.86

कर्मचारी लाभ के प्रावधान में उपदान, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति पर सोने का सिक्का शामिल है। चालू वर्ष के लिए प्रावधान की वहन राशि में वृद्धि/कमी मुख्य रूप से चालू वर्ष के लिए वृद्धिशील शुल्क के शुद्ध प्रभाव और चालू वर्ष में भुगतान किए गए लाभों के कारण है।

1. परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी प्रासंगिक कर्मियों की ओर से कई परिभाषित योगदान योजनाओं में भाग लेती है। इन योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त कोई भी व्यय उन योजनाओं के नियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर अवधि के दौरान देय योगदान के मूल्य को दर्शाता है। बैलेंस शीट में शामिल एकमात्र राशियाँ पिछले महीनों के योगदान से संबंधित हैं जिनका भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक नहीं किया जाना था। कंपनी द्वारा संचालित प्रमुख परिभाषित अंशदान योजनाएँ इस प्रकार हैं:

ए) भविष्य निधि

भारतीय कानून के अनुसार, कंपनी के पाल कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो एक परिभाषित योगदान योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करती है। इस अवधि के लिए कंपनी का फंड में योगदान 3367.77 लाख रुपये (पिछली अवधि 3414.12 लाख रुपये) था। निवेश पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त ब्याज अर्जित किया गया है।

बी) सेवानिवृत्ति निधि

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार (जीओआई) के दिनांक 26.11.2008 के ओएम संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/जीएल-xiv/08 और ओएम संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/जीएल-vii/09 दिनांक 02.04.2009, कंपनी ने नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार की है।

इस योजना का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट में वर्ष के लिए कंपनियों का योगदान 2507.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2404.67 लाख रुपये) था।

2. परिभाषित लाभ योजनाएँ

ए. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाओं के लिए एक अंशदायी योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी और सेवानिवृत्त/मृतक के पति या पत्नी को अंशदायी आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो इस प्रकार हैं: इनडोर उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निकटतम अधिकृत/अनुमोदित अस्पताल की दरों तक सीमित है।

पैनलबद्ध अस्पतालों में लिए गए बाह्य रोगी/घरेलू उपचार के लिए, क्लीनिकल परीक्षणों, जाँचों, दवाओं की लागतों, एवं अन्य ओपीडी व्ययों की वास्तविक आधार पर एवं अधिकतम पिछले वार्षिक मूल वेतन की उच्च सीमा के अधीन, जो भी कम हो उस तक की प्रतिपूर्ति की अनुमति है। उक्त की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

बी. सेवानिवृत्ति पर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

एक उत्तम सांगठनिक संस्कृति को पोषित करने और कर्मचारी द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाओं की सराहना करने के लिए निगम सेवानिवृत्ति वाले दिन सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को एक स्वर्ण सिक्का प्रदान करता है। उक्त की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

3. अन्य कर्मचारी लाभ

सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी योजना में बराबर का अंशदान करती है। योजना का उद्देश्य कंपनी के किसी कर्मचारी की कंपनी की सेवा में होने के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा, जिसमें स्थायी संपूर्ण अशक्तता के कारण नियुक्ति समाप्त होना शामिल है, में आश्रित लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करना है।

नोट संख्या 20 ए: आईएनडी एस 19 के अनुसार प्रकटन

(₹ लाखों में)

उपदान देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश:

परिसंपत्तियाँ/देयताएँ	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य	18,468.36	19,689.11
बी) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,621.53	18,643.54
सी) तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में चिन्हित निवल परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ)	153.17	-1,045.58

सदस्यता तथ्यों का सारांश

तिथि को	31-03-2023	31-03-2022
ए) कर्मचारियों की संख्या	1,766	1,915
बी) कुल मासिक वेतन (लाख)	2,173.62	2,189.11
सी) पिछली सेवा का औसत (वर्ष)	24.31	23.58
डी) औसत उम्र (वर्ष)	50.75	50.38
इ) औसत शेष (वर्ष) कार्यावधि	9.25	9.62
एफ) भारित औसत अवधि	8.95	9.43

आर्थिक अवधारणाएँ:

तिथि को	31-03-2023	31-03-2022
i) छूट दर	7.40	7.00
ii) भविष्य वेतन में बढ़ोतरी	6.50	6.50

जनसांख्यिकीय अवधारणाएँ:

तिथि को	31-03-2023	31-03-2022
i) सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60
ii) अक्षमता प्रावधान सहित मृत्यु दरें * *	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
iii) उम्र में संघर्षण	निकासी दर (%)	निकासी दर (%)
30 वर्ष तक	0.01%	0.01%
31 से 44 वर्ष तक	0.03%	0.03%
44 वर्ष से अधिक	0.06%	0.06%

लाभों का मानदंड:

ए) आनुषंगिक की गणना के लिए वेतन	पिछला आहरित योग्य वेतन
बी) निहित अवधि	सेवा के 5 वर्ष
सी) साधारण सेवानिवृत्ति पर लाभ	ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार।
डी) अवधि से पहले सेवानिवृत्ति /निकासी /त्यागपत्र पर लाभ	निकासी की तारीख तक सेवा के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान।
इ) सेवाकाल में मृत्यु पर लाभ	मृत्यु की तारीख तक सेवा के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान और कोई निहित शर्तें लागू नहीं होती हैं।
एफ) सीमा	20.00 लाख

योजना देयताएँ:

समाप्ति तिथि	31-03-2023	31-03-2022
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	18,468.36	19,689.11

सेवा लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) वर्तमान सेवा लागत	932.45	1,026.63
बी) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/ हानि शामिल है	--	--
सी) गैर-नियमित समायोजनों पर लाभ या हानि	--	--
डी) कुल सेवा लागत	932.45	1,026.63

निवल सेवा दर:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,378.24	1,329.82
बी) योजना परिसंपत्तियों में ब्याज लाभ	1,305.05	1,226.55
सी) निवल ब्याज लागत (आय)	73.19	103.26

लाभ दायित्व में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) वर्तमान तक दायित्व का मूल्य अवधि का प्रारम्भ	19,689.11	19,701.01
बी) अधिग्रहण समायोजन	--	--
सी) ब्याज लागत	1,378.24	1,329.82
डी) सेवा लागत	932.45	1,026.63
इ) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/ हानि शामिल है	--	--
एफ) प्रदत्त लाभ	-2,527.13	-2,393.79
जी) कुल बीमांकिक (लाभ)/ दायित्व पर हानि	-1,004.31	25.44
एच) वर्तमान तक दायित्व का मूल्य अवधि की समाप्ति	18,468.36	19,689.11

दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का विभाजन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	--	--
बी) वित्तीय धारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-412.06	-286.06
सी) अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-592.25	311.50

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अपेक्षित ब्याज आय	1,305.05	1,226.55
बी) योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	1,459.55	1,336.31
सी) संपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	154.50	109.76

तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	18,468.36	19,689.11
बी) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,621.53	18,643.53
सी) तुलन पत्र में निधिरहित देयता/प्रावधान	153.17	-1,045.58

आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) कुल सेवा लागत	932.45	1,026.63
बी) निवल ब्याज लागत	73.19	103.26
सी) आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,005.64	1,129.90

अन्य व्यापक आय (ओसीआई):

	31-03-2023	31-03-2022
ए) शुद्ध संचयी गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि) प्रारम्भ		
बी) पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)	1,004.31	-25.44
सी) संपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)	154.50	109.76
डी) वर्ष के लिए गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,158.81	84.32

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,643.53	18,171.16
बी) योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	1,459.55	1,336.31
सी) नियोक्ता योगदान	1,045.58	1,529.85
डी) भुगतान किया गया लाभ	-2,527.13	-2,393.79
इ) अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,621.53	18,643.53

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में):

	31-03-2023	31-03-2022
ए) भारत सरकार प्रतिभूतियां	--	--
बी) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	--	--
सी) उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	--	--
डी) सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	--	--
इ) संपत्ति	--	--
एफ) बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
जी) बैंक शेष	--	--
कुल	100%	100%

शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	1,045.58	1,529.85
बी) अधिग्रहण समायोजन	--	--
सी) कुल सेवा लागत	932.45	1,026.63
डी) शुद्ध ब्याज लागत (आय)	73.19	103.26
इ) पुनः माप	-1,158.81	-84.32
एफ) फंड में दिया गया योगदान	-1,045.58	-1,529.85
जी) उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	--	--
एच) अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	-153.17	1,045.58

चल और अचल में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) चल देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	1,896.87	2,354.51
बी) अचल देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	16,571.49	17,334.60
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	18,468.36	19,689.11

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) सेवा लागत	736.30	800.38
बी) निवल ब्याज लागत	-11.33	73.19
सी) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	724.97	873.57

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण:

ए) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		18,468.36
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव		-491.18
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव		517.87
बी) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		18,468.36
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव		130.35
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव		-136.75

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल:

वर्ष	राशि
ए) 0 से 1 वर्ष	1896.87
बी) 1 से 2 वर्ष	2322.92
सी) 2 से 3 वर्ष	1984.84
डी) 3 से 4 वर्ष	1995.05
ई) 4 से 5 वर्ष	1674.85
एफ) 5 से 6 वर्ष	1574.22
जी) 6 वर्ष से	7019.61

अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश:	(₹ लाखों में)	
परिसंपत्ति / दायित्व	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78	13,855.16
बी) योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	--	--
सी) शुद्ध परिसंपत्ति/ (देयता) तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है	-16,392.78	-13,855.16

सदस्यता तथ्य का सारांश:

तिथि को	31-03-2023	31-03-2022
ए) कर्मचारियों की संख्या	1766	1915
बी) कुल मासिक वेतन (लाख) अवकाश नकदीकरण	2,173.62	2,189.11
सी) कुल मासिक वेतन (लाख) अवकाश का उपयोग	3,912.52	4,378.22

डी) औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.31	23.58
इ) औसत उम्र (वर्ष)	50.75	50.38
एफ) औसत शेष (वर्ष) कार्यावधि	9.25	9.62
जी) मूल्यांकन तिथि पर विचार किया गया अवकाश शेष	3,88,263	3,43,062
एच) पीबीओ की भारत औसत अवधि	8.95	9.43

आर्थिक धारणाएं:

	31-03-2023	31-03-2022
i) छूट दर	7.40	7.00
ii) भविष्य में वेतन वृद्धि	6.50	6.50

जनसांख्यिकीय धारणा:

i) सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60
ii) विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
iii) उम्र	निकासी दर (%)	निकासी दर (%)
30 वर्ष तक	0.01%	0.01%
31 से 44 वर्ष	0.03%	0.03%
44 वर्ष से अधिक	0.06%	0.06%
iv) अवकाश		
अवकाश उपयोग दर	2.50%	शून्य
सेवा के दौरान अवकाश चूक दर	शून्य	शून्य
निकासी पर अवकाश चूक दर	शून्य	शून्य
सेवा के दौरान अवकाश नकदीकरण दर	15.00%	15.00%

लाभ का पैमाना:

ए) अर्जित अवकाश की गणना के लिए वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन
बी) निहित अवधि	शून्य
सी) लाभ	
1. वार्षिक प्रोन्नति	30 दिन
2. अधिकतम संचय	कंपनी नीति के अनुसार
3. कुल अवकाश दिन	3,70,611
4. सेवा में लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति)	हाँ
5. सेवा के दौरान अवकाश नकदीकरण	हाँ
6. निकासी पर अवकाश नकदीकरण	हाँ
7. महीना माना जाएगा	30 दिन
d) सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान	वास्तविक संचय
e) समय से पूर्व सेवानिवृत्ति/वापसी/त्यागपत्र/मृत्यु पर लाभ	सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान

योजना दायित्व:

समापन तिथि	31-03-2023	31-03-2022
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78	13,855.16

सेवा लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) वर्तमान सेवा लागत	2,092.26	1,627.28
बी) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	--	--
सी) गैर-नियमित समायोजनों पर लाभ या हानि	--	--
डी) कुल सेवा लागत	2,092.26	1,627.28

कुल व्याज लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) परिभाषित लाभ दायित्व पर व्याज लागत	969.86	996.40
बी) योजनागत परिसंपत्तियों पर व्याज आय	--	--
सी) शुद्ध व्याज लागत (आय)	969.86	996.40

लाभ में परिवर्तन दिखाने वाली तालिका:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है अवधि की शुरुआत	13,855.16	14,761.46
बी) अधिग्रहण समायोजन	--	--
सी) व्याज लागत	969.86	996.40
डी) सेवा लागत	2,092.26	1,627.28
ई) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/ हानि शामिल है	--	--
एफ) भुगतान किया गया लाभ	-3,233.10	-4,221.41
जी) दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	2,708.60	691.43
एच) दायित्व का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है अवधि का अंत	16,392.78	13,855.16

दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1.02	--
बी) वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-421.23	-237.92
सी) अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	3,129.83	929.35

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अपेक्षित व्याज आय	--	--
बी) योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	--	--
सी) संपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)	--	--

तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78	13,855.16
बी) योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	--	--
सी) तुलन पत्र में निधिरहित देयता/ प्रावधान	-16,392.78	-13,855.16

आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) कुल सेवा लागत	2,092.26	1,627.28
बी) शुद्ध ब्याज लागत	969.86	996.40
सी) अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	2,708.60	691.43
डी) आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5,770.72	3,315.11

शुद्ध परिभाषित लाभ में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	13,855.16	14,761.46
बी) अधिग्रहण समायोजन	--	--
सी) कुल सेवा लागत	2,092.26	1,627.28
डी) शुद्ध ब्याज लागत (आय)	969.86	996.40
इ) पुनः माप	2,708.60	691.43
एफ) फंड में दिया गया योगदान	--	--
जी) उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-3,233.10	-4,221.41
एच) अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	16,392.78	13,855.16

चल और अचल में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) चल देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	1,833.88	1,670.58
बी) अचल देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	14,558.90	12,184.58
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	16,392.78	13,855.16

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) सेवा लागत	723.75	653.79
बी) निवल ब्याज लागत	1,213.07	969.86
सी) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,936.82	1,623.65

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण:
ए) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	-500.48
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	528.04

बी) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	530.91
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	-504.27

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देयता का बीमाकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांशः

परिसंपत्ति / दायित्व	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02	10,684.66
बी) योजना संपत्ति का उचित मूल्य	10,523.26	8,383.31
सी) तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	-2,477.76	-2,301.35

सदस्यता डेटा का सारांशः

तिथि तक	31-03-2023	31-03-2022
सेवारत कर्मचारी		
ए) कर्मचारियों की संख्या	1766	1915
बी) औसत विगत सेवा (वर्ष)	24.31	23.58
सी) औसत आयु (वर्ष)	50.75	50.38
डी) औसत शेष (वर्ष) कार्यकाल	9.25	9.62
ई) भारत औसत शेष कार्यकाल	-	9.43
सेवानिवृत्त कर्मचारी		
ए) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	1771	1644
बी) औसत आयु (वर्ष)	66.94	66.57
सेवानिवृत्त के लिए भारत औसत अवधि	14.84	14.98
वार्षिक लागत प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारी		
(ए) रोगी वाह्य उपचार लागत	34,310/-	28,600/-
(बी) रोगी आंतरिक उपचार लागत		

आर्थिक धारणाएं:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) छूट दर	7.40	7.00
बी) भविष्य की चिकित्सा लागत में वृद्धि		
(ए) रोगी वाह्य उपचार	4.00	3.00
(बी) रोगी आंतरिक उपचार		

जनसांख्यिकीय धारणा:

i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii) विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
iii) उम्र	निकासी दर (%)	निकासी दर (%)
30 साल तक	0.01	0.01
31 से 44 साल तक	0.03	0.03
44 साल से अधिक	0.06	0.06

मृत्यु दर और रुग्णता दर:

ए) सेवा के दौरान - आईएएलएम (2012-14) की 100% दरों को माना गया है जिसमें विकलांगता लाभ के लिए भत्ता भी शामिल है

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
15	0.000614	40	0.001803
20	0.000888	45	0.0022874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534

ख) सेवानिवृत्ति के बाद - (1996-98) दरों का 100% माना गया है

आयु	दर	आयु	दर
50	0.004243	80	0.070802
60	0.010907	85	0.106891
65	0.01389	90	0.151539
70	0.024301	100	0.266511
75	0.043272		

योजना देयता:

समापन तिथि	31-03-2023	31-03-2022
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02	10,684.66

सेवा लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) वर्तमान सेवा लागत	515.35	532.17
बी) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/ हानि शामिल है	--	--
सी) गैर-नियमित समायोजनों पर लाभ या हानि	--	--
डी) कुल सेवा लागत	515.35	532.17

निवल ब्याज लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	747.92	576.22
बी) योजनागत परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	586.83	474.12
सी) निवल ब्याज लागत (आय)	161.09	102.10

वर्तमान लाभ दायित्व में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है अवधि का प्रारम्भ	10,684.66	8,536.57
बी) ब्याज लागत	747.93	576.22
सी) सेवा लागत	515.35	532.17
डी) भुगतान किया गया लाभ	-870.86	-613.19
ई) दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1,923.94	1,652.89
एफ) दायित्व का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है अवधि का अंत	13,001.02	10,684.66

दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	--	--
बी) वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	625.17	632.56
सी) अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1,298.77	1,020.33

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अपेक्षित ब्याज आय	586.83	474.12
बी) योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	709.45	459.92
सी) संपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)	122.62	-14.20

तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02	10,684.66
बी) योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,523.26	8,383.31
सी) तुलन पत्र में निधिरहित देयता/ प्रावधान	-2,477.76	-2,301.35
डी) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निधिरहित देयता	-2,477.76	-2,301.35

आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) सेवा लागत	515.35	532.17
बी) निवल ब्याज लागत	161.09	102.09
सी) आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	676.44	634.26

अन्य व्यापक आय (ओसीआई):

	31-03-2023	31-03-2022
ए) शुद्ध संचयी गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि) शुरुआत		
बी) पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1,923.94	-1,652.89
सी) परिसंपत्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	122.62	-14.20
डी) वर्ष के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1,801.32	-1,667.09

योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	8383.31	7024.04
बी) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	709.46	459.92
सी) नियोक्ता योगदान	2,301.35	1,512.53
डी) भुगतान किया गया लाभ	-870.86	-613.18
ई) अवधि के अंत में योजनापरिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,523.26	8,383.31

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में):

	31-03-2023	31-03-2022
ए) भारत सरकार की प्रतिभूति	--	--
बी) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	--	--
सी) उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	--	--
डी) सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	--	--
ई) संपत्ति	--	--
एफ) बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
जी) बैंक में जमा राशि	--	--
कुल	100%	100%

निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	2,301.35	1,512.53
बी) सेवा लागत	515.35	532.17
सी) निवल ब्याज लागत (आय)	1,923.94	102.09
डी) पुनः-माप	1,801.32	1,667.09
ई) फंड में दिया गया योगदान	-2,301.35	-1,512.53
एफ) उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	--	--
जी) अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	2,477.76	2,301.35

चल और अचल में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) चल देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	930.19	693.90
बी) अचल देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	12,070.83	9,990.76
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	13,001.02	10,684.66

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) सेवा लागत	711.25	682.41
बी) निवल ब्याज लागत	183.35	161.10
सी) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	894.60	843.51

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण:

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	--
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	--

बी) चिकित्सा लागत दर का प्रभाव

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	--
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	--

सेवानिवृत्ति पर सोने के सिक्का प्रदान

परिणाम का सारांश:

परिसंपत्तियाँ/ देनदारी	31-03-2023
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य	329.29
बी) योजना संपत्ति का उचित मूल्य	--
सी) प्रावधान के अनुसार तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	-329.29

सदस्यता डेटा का सारांश:

तिथि तक	31-03-2023
ए) कर्मचारियों की संख्या	1766
बी) कुल मासिक वेतन (लाख)	लागू नहीं
सी) औसत विगत सेवा (वर्ष)	24.31
डी) औसत आयु (वर्ष)	50.75
ई) औसत शेष कार्यकाल (वर्ष)	9.25

आर्थिक धारणाएं:

	31-03-2023
i) छूट दर	7.40%
ii) सोने का सिक्का वृद्धि दर	6.50%

जनसांख्यिकीय धारणा:

i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60
ii) मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)
iii) आयु	निकासी दर(%)
30 वर्ष तक	0.01%
31 से 44 वर्ष तक	0.03%
44 वर्ष से अधिक	0.06%

बीमांकिक मूल्य:

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य (31-03-2021)	329.29
---	--------

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

	31-03-2023
ए) चल देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	10.17
बी) अचल देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	319.12
सी) वर्ष के अंत में कुल बीपीओ	329.29

वित्तीय देयताएँ

नोट संख्या 21: वर्तमान देयताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्तमान देयताएँ		
मांग पर देय ऋण		
बैंक से - प्रत्याभूत	14,542.85	7,500.00
बैंक से - अप्रत्याभूत	7,511.51	16,812.43
कुल(ए)	22,054.36	24,312.43
गैर चालू देयताएँ पर वर्तमान परिपक्वता राशि		
बॉन्ड-प्रत्याभूत	62,000.00	65,850.00
विदेशी मुद्रा ऋण - प्रत्याभूत	-	7,774.78
विदेशी मुद्रा ऋण - अप्रत्याभूत	6,571.82	6,208.96
बैंक ऋण - प्रत्याभूत	21,800.00	17,500.00
कुल (बी)	90,371.82	97,333.74
कुल योग (ए + बी)	1,12,426.18	1,21,646.17
		(₹ लाखों में)
वर्तमान वित्तीय उधारों के लिए नोट - उधार		
I. वर्तमान देयताएँ:		
कार्यशील पूंजी की सुविधाएं	-	-
(i) भारतीय स्टेट बैंक, शिलांग	-	-
कार्यशील पूंजी मांग ऋण (सकल)	-	-
आहरण की सीमा तक वर्तमान और भविष्य दोनों में बही ऋणों और कंपनी के अन्य सभी मालसूची के दृष्टिबंधक से सुरक्षित। कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) 16.07.2022 को एसबीआई, शिलांग द्वारा स्वीकृत किया गया। ब्याज 91 दिन के टी-बिल प्लस स्प्रेड पर आधारित है। 31.03.2023 तक पिछले 91 दिनों का टी-बिल प्लस स्प्रेड 7.70% प्रति वर्ष की दर से है। सुविधा की अवधि 11.07.2023 तक वैध है।	14500.00	7,500.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	42.85	-
कार्यशील पूंजी मांग ऋण (सकल)	14542.85	7,500.00
(ii) एक्सिस बैंक, शिलांग	-	-
एक्सिस बैंक, शिलांग द्वारा 14.03.2022 को प्रचलित रेपो दर प्लस 175 बीपीएस की दर पर असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) स्वीकृत किया गया। दिनांक 31.03.2023 तक अंतिम प्रचलित रेपो दर प्लस 175 बीपीएस 8.25% प्रति वर्ष है। लोन की अवधि 26 मार्च 2024 तक है।	-	7,600.00
(iii) आईसीआईसीआई बैंक, शिलांग	-	-
आईसीआईसीआई बैंक, शिलांग द्वारा 23.08.2022 को रेपो दर प्लस 1.25% से जुड़ी ब्याज दर पर लघु अवधि ऋण (एसटीएल) के रूप में असुरक्षित कार्यशील पूंजी सुविधाएं स्वीकृत की गईं। दिनांक 31.03.2023 को रेपो दर प्लस 1.25% से जुड़ी अंतिम ब्याज दर 7.75% प्रति वर्ष है। लोन की अवधि 07 अगस्त 2023 तक है।	-	3,000.00

(iv) येस बैंक	7,500.00	6,200.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	11.51	12.43
अल्पावधि ऋण (नेट)	7,511.51	6,212.43
येस बैंक, शिलांग द्वारा 28.04.2022 को असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) स्वीकृत किया गया। यस बैंक द्वारा स्वीकृत डब्ल्यूसीडीएल 91 दिन के टी-बिल प्लस स्प्रेड की दर पर है। 31.03.2023 तक पिछले 91 दिनों का टी-बिल प्लस स्प्रेड 7.80% प्रति वर्ष है। सुविधाओं की अवधि 21 जनवरी, 2024 तक मान्य है।		
कुल	22,054.36	24,312.43

II. गैर-वर्तमान ऋणों की वर्तमान परपिक्कता

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
I. प्रत्याभूत ऋण		
ए. निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बॉन्ड्स		
ए. 15 वां मुद्दे	12,000.00	12,000.00
10 वर्षों के लिए 9.15% पर नीपको प्रत्याभूत, मोचनीय, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, रुपए 10,000,000/- बॉन्ड जो कॉल विकल्प के साथ 25-03-2021; 25-03-2022; 25-03-2023; 25-03-2024 & 25-03-2025 को 20% अंकित मूल्य पर मोचनीय। (त्रिपुरा में अगरतला गैस टरबाइन परियोजना (मूल ओपन-साइकिल प्लांट) की संपत्ति, असम गैस आधारित परियोजना, असम में गैस टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन को छोड़कर संपत्ति, रंगानदी जलविद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में उत्पादन स्टेशन में संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर संपत्ति) और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में चार्ज किया गया है।		
बी. चौदहवां मुद्दे	50,000.00	50,000.00
10 वर्ष नीपको 9.60% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय, 10,00,000 रुपये के कर योग्य बांड, 01-10-2020, 01-10-2021; 01-10-2022; 01-10-2023 और 01-10-2024 को अंकित मूल्य के 20% पर मोचनीय; (कामेंग जलविद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्ति के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को पैरी पासु बंधक के माध्यम से नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से चार्ज किया गया है।)		
सी. तेरहवां मुद्दे	-	1,450.00
10 वर्ष नीपको 9.00% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य 10,00,000/- के बांड, 15-03-2019, 15-03-2020; 15-03-2021, 15-03-2022 और 15-03-2023 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय; असम गैस आधारित पावर प्लांट, असम की स्टीम टर्बाइन और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड के माध्यम से गिरवी रखा गया है।)		
डी. बारहवां मुद्दे	-	2,400.00
10 वर्ष नीपको 9.25% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य 10,00,000/- के बांड, 27-06-2018, 27-06-2019; 27-06-2020; 27-06-2021 और 27-06-2022 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय; (रंगानदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश के जनरेटिंग स्टेशन में सभी संयंत्र और मशीनरी और मेहसाणा, गुजरात में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक रखा गया है।)		

ख. सुरक्षित सावधि ऋण	-	-
i. रुपया ऋण राशि:	-	-
ए. केनरा बैंक से माध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण	12,500.00	12,500.00
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित। दिनांक 03-02-2020 को पहली निकासी से 1 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण 16 संरचित तैमासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।		
बी. पंजाब नेशनल बैंक से कॉर्पोरेट अवधि ऋण		
पीएनबी से मध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण (सकल)		
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित। पहले आहरण से 2 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण निम्नलिखित तैमासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है: 30.12.2022 से प्रत्येक 17 करोड़ रुपये की 12 समान किश्तें, 30.12.2025 से प्रत्येक 34 करोड़ रुपये की 8 समान किश्तें और 30.12.2027 से प्रत्येक 93.50 करोड़ रुपये की 4 समान किश्तें शुरू होंगी।	6,800.00	5,000.00
सी. भारतीय स्टेट बैंक से रुपया सावधि ऋण		
अन्य ऋणदाताओं के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की संपत्तियों पर समान शुल्क द्वारा सुरक्षित। ऋण निकासी की पहली तारीख से 2 साल की मोहलत के बाद निम्नलिखित तैमासिक किश्तों में चुकाया जाना है: 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 25.00 करोड़ रुपये; 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 50.00 करोड़ रुपये; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 75.00 करोड़ रुपये।	2,500.00	-
बाह्य वाणिज्यिक उधार-राशि		
[लिपुग गैस आधारित विद्युत संयंत्र, अगरतला और अगरतला गैस टर्बाइन परियोजनाओं-विस्तार, अगरतला के संबंध में सृजित/बनाई जाने वाली सभी चल और अचल संपत्तियों (संयंत्र, मशीनरी सहित) के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित। [एसबीआई, सिंगापुर ने 3 महीने की ब्याज दर पर 100 मिलियन यूएस डॉलर का ईसीबी ऋण स्वीकृत किया है लिबोर प्लस 3.05% प्रति वर्ष मार्जिन के रूप में (मार्जिन 20 मार्च 2018 से 2.75% प्रति वर्ष तक घटा दिया गया है)। समझौते पर 9.12.2013 को हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम निकासी 4 जून 2014 को हुई थी। 20.06.2014 से ईसीबी ऋण 39 समान तिमाही किश्तों में चुकाने योग्य है]	-	7,774.78
उप-कुल	83,800.00	91,124.78
II. अप्रत्याभूत ऋण		
विदेशी मुद्रा ऋण		
केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण	6,571.82	6,208.96
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	-	-
(भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण समझौता 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो दिनांक 11 दिसंबर 2008 और 20 दिसंबर 2017 को क्रमशः 3.46% प्रतिवर्ष और 0.85% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर निष्पादित किया गया था। ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है। दिनांक 03.03.2016 को 80 मिलियन यूरो की अंतिम ऋण किस्त प्राप्त हुई थी और 16.08.2018 को 20 मिलियन यूरो प्राप्त हुई थी। ऋण 30 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में 1.4.2015 से चुकाने योग्य हैं। दिनांक 30-12-2013 और 20 समान अर्धवार्षिक किश्तें क्रमशः 30-12-2020 से प्रभावी।)		
उप-कुल	6,571.82	6,208.96
ऋण का उप-कुल	90,371.82	97,333.74

III. अर्जित व्याज लेकिन देय नहीं:

बांड	5,941.46	6,415.08
केएफडब्ल्यूई से ऋण	255.96	284.48
बाह्य वाणिज्यिक उधार	-	11.20
मध्यम अवधि का ऋण	372.50	216.01
अधीनस्थ ऋण	-	-
टीसीएस उपार्जित लेकिन माल की बिक्री पर देय नहीं	-	-
उप-कुल	6,569.92	6,926.77

नोट संख्या 21 ए: वर्तमान लीज देनदारियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
लीज देनदारियां	607.67	573.64
कुल	607.67	573.64

टिप्पण सं. 22: व्यापारिक देयताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय राशियाँ	424.75	496.79
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को छोड़कर अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशियाँ	18,715.71	21,660.19
कुल	19,140.46	22,156.98

देय व्यापार में मार्च 2023 माह के लिए ईंधन लागत का भुगतान और मार्च 2023 के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं पर किए गए प्रावधान शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आपूर्तिकर्ताओं और सेवाओं के लेनदार	19,140.46	22,156.98

“सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006” में परिभाषित के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों को देय राशि का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक ऐसे पक्षों को कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचाना गया है। सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से संबंधित प्रकटन निम्नवत हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
i. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि का भुगतान किया गया	424.75	496.79
ii. उस पर देय ब्याज वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
iii. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के बाद भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
iv. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है, लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से अधिक) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v. अर्जित ब्याज की राशि और बकाया राशि।	शून्य	शून्य
vi. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकरण के उद्देश्य के लिए, बाद के वर्षों में भी शेष और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य

31 मार्च 2022 तक एमएसएमई को देय राशि विक्रेताओं से दावों की प्राप्ति से 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया नहीं है और तदनुसार उक्त बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

व्यापार देय:

विवरण	31 मार्च 2023 तक						
	बिल न चुकाया देय	बकाया नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
			एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच= बी से जी
(i) एमएसएमई	335.27	89.48	-	-	-	-	424.75
(ii) अन्य	2,731.14	14,832.24	547.09	135.76	280.91	188.57	18,715.71
(iii) विवादित देय राशि - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	3,066.41	14,921.72	547.09	135.76	280.91	188.57	19,140.46

विवरण	31 मार्च 2022 तक						
	बिल न चुकाया देय	बकाया नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
			एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच= बी से जी
(i) एमएसएमई	493.41	3.38	-	-	-	-	496.79
(ii) अन्य	2,468.63	17,655.88	844.80	233.29	456.77	0.82	21,660.19
(iii) विवादित देय राशि - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2,962.04	17,659.26	844.80	233.29	456.77	0.82	22,156.98

चालू देयताएँ

टिप्पणी सं. 23: अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
I. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
बॉन्ड	5,941.46	6,415.08
केएफ़डबल्यू से ऋण	255.96	284.48
बाह्य वाणिज्यिक ऋण	-	11.20
मध्यम अवधि ऋण	372.50	216.01
अधीनस्थ ऋण	-	-
टीसीएस उपार्जित लेकिन वस्तुओं की बिक्री पर देय नहीं		
उप-कुल	6,569.92	6,926.77
II. अन्य देनदारियाँ		
(ए) पूंजीगत व्यय के लिए देय	-	-
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यम	287.39	558.13
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य	13089.40	7,410.24
(बी) कर्मचारियों के लिए देय लाभ	7481.11	2,204.21
(सी) अन्य प्रावधान	68.52	0.91
(डी) अंतरिम लाभांश चालू वर्ष	35000.00	-
उप-कुल	55,926.42	10,173.49
कुल	62,496.34	17,100.26

पूंजीगत व्यय के लिए ऋणदाता रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए और मापे गए कार्य के संबंध में ठेकेदार को देय राशि का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजीगत व्यय (एमएसएमई के अलावा) में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से संबंधित कार्यों के लिए देय 437.27 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1281.75 लाख रुपये) की राशि शामिल है।

चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 35000.00 लाख की राशि के अंतरिम लाभांश को 16.03.2023 को आयोजित 77वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसका भुगतान दिनांक 13.04.2023 को किया गया है।

“सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006” में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण राशि का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित खुलासे निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
i. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि का भुगतान किया गया	287.39	558.13
ii. उस पर देय ब्याज वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया है		
iii. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के बाद भुगतान की राशि।		
iv. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है, लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से अधिक) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना		
v. अर्जित ब्याज की राशि और बकाया राशि।		
vi. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकरण के उद्देश्य के लिए, बाद के वर्षों में भी शेष और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक उपरोक्त ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है।		

31 मार्च 2023 तक एमएसएमई को देय राशि विक्रेताओं से दावे प्राप्त होने के 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया नहीं है और तदनुसार उक्त बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

नोट संख्या 24: अन्य चालू देयताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(ए) ठेकेदारों और अन्य से प्रतिधारण राशि	13426.51	13304.05
(बी) अन्य सांविधिक बकाया ::		
(i) देय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर	819.57	977.70
(ii) अन्य सांविधिक बकाया (सीपीएफ, एलआईपी एनईएसएस आदि)	1400.89	1,297.84
(सी) लाभार्थियों से अग्रिम	3660.06	1,342.73
(डी) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के लिए आरईसी से अग्रिम	259.90	214.55
कुल	19566.93	17136.87

- (i) ठेकेदारों और अन्य से प्राप्त प्रतिधारण राशि सुरक्षा जमा, कार्य/आपूर्ति बिल से काटी गई बयाना राशि से संबंधित है, जिसे अनुबंध/आपूर्ति आदेश की शर्तों द्वारा निर्धारित दोष देयता अवधि के बाद कार्य पूरा होने पर निपटान किया जाएगा।
- (ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में 31 मार्च 2023 तक प्रावधान पर टीडीएस और मार्च 2023 के कार्य / आपूर्ति बिल से जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष कर काटे गए हैं और रिपोर्टिंग तिथि तक जमा नहीं किए गए हैं।
- (iii) देय अन्य सांविधिक देय राशियों में भविष्य निधि में निगम का अंशदान, एलआईसी प्रीमियम काटा गया, पेंशन अंशदान, भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान और मार्च के दौरान की गई अन्य कटौती जो बकाया नहीं है और रिपोर्टिंग तिथि तक जमा नहीं की गई है

नोट संख्या 25: लघु अवधि प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	1,045.58
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ	2,477.76	693.90
अवकाश नकदीकरण	16,392.78	13,855.16
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10.17	12.36
कुल	18,880.71	15,607.00

कर्मचारी लाभ के प्रावधान में ग्रेजुटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति पर सोने का सिक्का शामिल है। चालू वर्ष के लिए प्रावधान की वहन राशि में वृद्धि/कमी मुख्य रूप से चालू वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रभाव के सकल प्रभाव और चालू वर्ष में भुगतान किए गए लाभों के कारण है।

1. परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी प्रासंगिक कर्मियों की ओर से कई परिभाषित योगदान योजनाओं में भाग लेती है। इन योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त कोई भी व्यय उन योजनाओं के नियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर उनके द्वारा अवधि के दौरान देय योगदान के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। तुलन पत्र में शामिल केवल वही राशियाँ हैं जो पिछले महीनों के योगदान से संबंधित हैं जिनका भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद तक नहीं किया जाना था। कंपनी द्वारा संचालित प्रमुख परिभाषित अंशदान योजनाएं नीचे दी गई हैं:

ए) भविष्य निधि

भारतीय कानून के अनुसार, कंपनी के पाल कर्मचारी भविष्य निधि, एक परिभाषित योगदान योजना के संबंध में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। इस अवधि के लिए कंपनी का योगदान ₹3367.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹3414.12 लाख रुपये) था। निवेश ने भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्य को भुगतान करने के लिए पर्याप्त ब्याज अर्जित किया है।

बी) सेवानिवृत्ति निधि

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार (जीओआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/जीएल-xiv/08 दिनांक 26.11.2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/जीएल-vii/09 दिनांक 02.04.2009, कंपनी ने नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार की है।

इस योजना का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट में कंपनी का योगदान ₹2507.55 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2404.67 लाख लाख) था।

2. परिभाषित लाभ योजनाएं

ए. सेवानिवृत्त उपदान

“कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, निःशक्तता या मृत्यु पर अधिकतम रु. 20.00 लाख के अधीन। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है। निदेशक मंडल ने 01.04.2013 को आयोजित अपनी बैठक में अपने संकल्प संख्या 195/16 दिनांक 01.4.2013 के द्वारा ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है ताकि निगम सेवाओं से अलग कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए धन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तदनुसार 25 जून 2013 को नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट का गठन किया गया है और 5 अगस्त 2013 को भारत के जीवन बीमा निगम से एक मास्टर पॉलिसी, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी-सह-जीवन आश्वासन (नकद संचय) योजना के रूप में नामित किया गया है, को लिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एलआईसीआई के साथ लेन-देन 31.03.2023 तक निधि शेष का आकलन करने के लिए नीपको की बट्टे-खातों के अनुसार हैं।

एलआईसी के पास वित्तपोषित परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रारंभिक शेष	18,643.54	18,171.16
वर्ष के दौरान लेनदेन (सकल डेबिट)	1,481.56	863.94
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज (सकल ऋण)	1,459.55	1,336.32
अंतिम शेष	18,621.53	18,643.54

बी. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं के लिए एक अंशदायी योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी और सेवानिवृत्त/मृतक के पति या पत्नी को अंशदायी आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो इस प्रकार है: इनडोर उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निकटतम अधिकृत/अनुमोदित अस्पताल की दरों तक सीमित है। पैनल में शामिल अस्पतालों में लिए गए बाह्य रोगी/घरेलू उपचार के लिए, नैदानिक परीक्षण, जांच, दवाओं की लागत और अन्य ओपीडी खर्चों के लिए वास्तविक प्रतिपूर्ति की अनुमति है, जो कि अधिकतम अंतिम मूल प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक है, जो भी कम हो। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

सी. सेवानिवृत्ति पर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

एक अच्छी संगठनात्मक संस्कृति का पोषण करने और कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई ईमानदार सेवाओं की सराहना करने के लिए, निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख पर एक सोने का सिक्का प्रदान करती है। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

3. अन्य कर्मचारी लाभ

ए. अवकाश

कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) और अर्ध वेतन अवकाश प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों पर सालाना अर्जित होता है। अर्जित अवकाश खाता केवल एक सेक्शन में रखा जाता है जो नकदीकरण योग्य है। निगम से कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/अलग होने पर, 300 दिनों की उच्चतम सीमा के अधीन संपूर्ण अवकाश (अर्जित अवकाश और अधिकतम 240 दिन का आधा वेतन अवकाश) एन-कैशेबल होगा। अर्ध वेतन अवकाश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश के लिए देय नकद समतुल्य अवकाश वेतन के बराबर होगा जैसा कि अर्ध वेतन और महंगाई भत्ते के लिए स्वीकार्य है। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

बी. सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी के पास अनुकंपा नियुक्ति के बदले सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी योजना में समान योगदान करती है। इस योजना का उद्देश्य सेवा में रहते हुए कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में आश्रित लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करना है, जिसमें स्थायी रूप से पूर्ण अक्षमता के कारण रोजगार की समाप्ति भी शामिल है।

नोट संख्या 26: आस्थगित आय (अचल)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आस्थगित राजस्व		
सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित राजस्व	22,802.18	24,395.95
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजित	1,592.91	1,597.96
कुल	21,209.27	22,797.99

नोट संख्या 26ए: चालू आस्थगित राजस्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
क) सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित आय	1,592.91	1,597.96
जोड़कर : वर्ष के दौरान संवर्धन	1,592.91	1,597.96
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजित	1,592.91	1,597.96
उप-कुल	1,592.91	1,597.96
ख) स्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव की देनदारियां	9,600.09	6,339.74
कुल	11,193.00	7,937.70

सरकारी अनुदान पर टिप्पणी (इंड एस 20)

नीपको की स्वीकृत लेखा नीति में “सरकारी अनुदान” की मान्यता और लेखांकन की नीति शामिल है (नोट 1 का पैरा 14 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश)। भारत सरकार ने नीपको को परियोजना के “वाणिज्यिक संचालन की तारीख” से देय 1% प्रति वर्ष ब्याज के साथ तुइरियल एचईपी के कार्यान्वयन के लिए नीपको को ₹ 29196.42 लाख के एक अधीनस्थ ऋण को मंजूरी दी है। उक्त ऋण राशि में से 31.03.2015 तक नीपको को 29096.42 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान शेष 100.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। 31.03.2015 तक प्राप्त ऋण राशि (रुपये 29096.42 लाख) को नीपको की बट्टे-खातों में 01.04.2015 (इंड एस ट्रांजिशन तिथि) के अनुसार इंड एस 101 (पूर्वव्यापी आवेदन के अपवाद) के अनुपालन में इसके वहन मूल्य पर मान्यता दी गई है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त ऋण राशि (₹ 100.00 लाख) के लिए, ब्याज की बाजार दर से नीचे के कारण ऋण का लाभ (जून '15 को एसबीआई आधार दर @ 9.70% प्रभावी माना जाता है) की राशि ₹ 82.64 लाख को सरकारी अनुदान के रूप में माना गया है और तदनुसार नीपको की बट्टे-खातों में मान्यता प्राप्त है।

सहायता में अनुदान से बाहर

केंद्र सरकार से प्राप्त “सहायता अनुदान” में से खरीदे गए स्पेयर का कुल मूल्य ₹ 3659.53 लाख है और तदनुसार, असम गैस आधारित पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है। चालू वर्ष के दौरान, मरम्मत और रखरखाव पर डिबेट की गई और स्टॉक ऑफ स्पेयर्स को केंद्रीय बैंक से प्राप्त सहायता अनुदान से बाहर खरीदे गए पुर्जों के लिए ₹ 8.91 लाख (पिछले वर्ष के ₹ 13.96 लाख रुपये) की राशि द्वारा अनुदान दिया गया है। लाभ और हानि के विवरण में आय के बराबर राशि को मान्यता दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुदान

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी 2011 के पत्र संख्या 7/7/2009-एच-आई द्वारा स्वीकृत निवेश अनुमोदन के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीएनईआर) द्वारा तुइरियल अजल विद्युत परियोजना, मिजोरम के लिए स्वीकृत फंडिंग पैटर्न के एक भाग के रूप में ₹ 30000.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। अनुदान में कुल 300.00 करोड़ रुपये की राशि अनुदान में शामिल है, जो कि इसके चालू होने के बाद से परियोजना के मानक उपयोगी जीवन के दौरान परिशोधन के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिशोधित राशि ₹ 1584.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1584.00 लाख)। वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण में एक समान राशि को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

नोट संख्या 27: संचालन से राजस्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
ऊर्जा की बिक्री	3,49,174.31	2,41,233.75
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री	91,844.22	64,842.06
विद्युत शुल्क	-	-
डीएसएम से राजस्व	3,962.75	2,278.42
आरआरएएस . से राजस्व	1,254.35	256.87
अन्य ::		
लाभार्थियों से एफईआरवी (सकल)	467.51	405.38
लाभार्थियों से एनईआरएलडीसी शुल्क और अन्य शुल्क	596.86	474.78
बिजली की बिक्री (शुद्ध)	4,47,300.00	3,09,491.26
अन्य परिचालन राजस्व ::		
लाभार्थियों से ब्याज	6,762.37	9,595.11
आस्थगित राजस्व से मान्यता-सरकारी अनुदान	1,592.90	1,597.96
संचालन से सकल राजस्व	4,55,655.27	3,20,684.33

ए) बिजली की बिक्री केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर की जाती है। उन बिजली स्टेशनों के मामले में जहां सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया जाना बाकी है, ऊर्जा की बिक्री केंद्रीय बिजली में निहित सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर प्रदान की जाती है। नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019। उन परियोजनाओं के लिए जिनके लिए न तो सीईआरसी अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लगाया जाता है। बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को दी गई बिक्री शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, जिसे आमतौर पर “बिल न किया गया राजस्व” कहा जाता है।

बी) ऊर्जा की बिक्री में ₹10045.51 लाख (पिछले वर्ष ₹10279.34 लाख) शामिल हैं, जो सीईआरसी को लंबित आदेश जारी करने के लिए प्रस्तुत याचिका के अनुसार वार्षिक निश्चित लागत के आधार पर मान्यता प्राप्त वर्ष का राजस्व है।

सी) बिक्री में चालू वर्ष में टैरिफ को अंतिम रूप देने से उत्पन्न पिछले वर्षों की बिक्री के कारण ₹9940.46 लाख (पिछले वर्ष ₹11221.72) शामिल हैं। इसके अलावा, बिक्री में ग्रेच्युटी (संशोधन) अधिनियम 2018 के कारण खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए सीईआरसी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से अनुमत 6725.64 लाख रुपये शामिल हैं।

डी) सीईआरसी के विनियमन 67 (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के संदर्भ में, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देयताएं, जब भी वे भौतिक रूप से लाभकारी कंपनियों या लॉन्ग टर्म से ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा सीधे वसूली योग्य होंगी ट्रांसमिशन ग्राहक / डीआईसी, जैसा भी मामला हो। तदनुसार, 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री में ₹1452.02 लाख (वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹0.45 लाख के समायोजन के बाद) (पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की राशि ₹ 1310.82 लाख) शामिल है।

ई) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, नीपको ने नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए टैरिफ आदेशों को पूरा करने के कारण 9940.46 लाख रुपये की राजस्व राशि को “ऊर्जा की बिक्री” और 6762.37 लाख रुपये को “लाभार्थियों से ब्याज” के रूप में मान्यता दी और सीईआरसी द्वारा 2019-24 के लिए टैरिफ आदेश जारी किए गए। “ऊर्जा की बिक्री” के तहत उक्त राजस्व में डीएचपीएस (2134.08 लाख रुपये), खांडोंग चरण II (119.14 लाख रुपये), केएचपीएस (1266.63 लाख रुपये), पीएलएचपीएस (6171.87 लाख रुपये), टीजीबीपीएस (-1158.72 लाख रुपये) और पीएचपीएस (₹. 1407.46 लाख) शामिल हैं। इसके अलावा, “लाभार्थियों से ब्याज” में डीएचपीएस (755.64 लाख रुपये), खांडोंग एसटीजी II (205.31 लाख रुपये), केएचपीएस (1704.12 लाख रुपये), पीएलएचपीएस (3202.02 लाख रुपये), टीजीबीपीएस (578.06 लाख रुपये) और पीएचपीएस (₹. 317.22 लाख) शामिल हैं। इसके अलावा, बिजली स्टेशनों के मामले में कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान नीपको की बट्टे खातों में मान्यता प्राप्त अनंतिम राजस्व, जहां नियंत्रण अवधि 2019-24 के लिए अंतिम टैरिफ अभी तक सीईआरसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, राशि 10045.51 लाख रुपये है।

एफ) एनईआरपीसी द्वारा जारी साप्ताहिक विवरणों के अनुसार, डीएसएम और आरआरएस का लेखा वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि तक किया जाता है।

जी) चालू वित्त वर्ष के दौरान कामेंग एचईपी (600 मेगावाट) के कमीशनिंग होने पर, उपरोक्त संयंत्र द्वारा उत्पन्न विक्रेय शक्ति (347 मेगावाट) को एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के माध्यम से द्विपक्षीय समझौते के साथ साथ प्रतिदिन एवम वास्तविक समय बाजारों में बेचा/व्यापार किया गया। इसके अलावा, नीपको ने अपने बिजली संयंत्रों के लिए “अनिवार्य दिन” और “वास्तविक समय” बाजारों में “अन-रिक्विज्ड सरप्लस (यूआरएस)” के तहत उपलब्ध बिजली का कारोबार किया है।

नोट संख्या 28: अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य गैर-प्रचालन आय (उक्त आय से सीधे तौर पर स्रोतजनय मानी जा सकने वाली आय घटा कर)		
बैंकों के पास जमा राशि पर ब्याज	526.77	155.93
अन्य विविध प्राप्तियां	357.58	5,126.98
प्रतिलेखित देता/ प्रावधान		
अप्रचलित पुर्जे		
अन्य	7.77	67.92
शुल्क भरना	71.46	67.22
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	545.68	4,148.80
उप-कुल	1,509.26	9,566.85
अन्य लाभ और हानि		
पीपीई के निपटान पर लाभ/(हानि)	2.93	0.07
	1,512.19	9,566.92
घटाकर - निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित नोट 34 (इ)	103.96	54.58
कुल	1,408.23	9,512.34

- अन्य विविध. प्राप्तियों में ट्रांजिट हॉस्टल किराया, ठेकेदारों से वसूली, जब्त की गई ईएमडी, परियोजना परामर्श से आय, आवासीय/गैर-आवासीय भवन से किराए की वसूली, ऋण पर कर्मचारियों से ब्याज, ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से अन्य वसूली, निविदा पत्र की बिक्री आदि शामिल हैं।
- देयता/प्रावधान वापस लिखा गया - अन्य में लेखापरीक्षा शुल्क, देय खातों आदि के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

नोट संख्या 29: ईंधन दर

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
गैस की खरीद	1,44,849.84	57,354.86
गैस के लिए परिवहन शुल्क	2,837.58	6,134.10
कुल	1,47,687.42	63,488.96

नोट संख्या 30: कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	42,561.99	38,340.60
भविष्य निधि में योगदान	3,536.48	3,414.12
उपदान	1,013.86	1,166.02
एनईडीसीएसएस में योगदान	2,338.92	2,404.67
अवकाश नकदीकरण	5,770.72	3,315.11
कर्मचारी कल्याण व्यय	136.41	91.60
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	676.44	634.26
कुल	56,034.82	49,366.38
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34(ए)	4,628.68	2,848.30
लाभ एवं हानि विवरण के लिए अग्रेषित किया गया	51,406.14	46,518.08

- गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी पाल कर्मचारियों को देय है बशर्ते कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना आवेदन प्रस्तुत करें और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार करें। तदुसार ब्याज सब्सिडी को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमत वास्तविक भुगतान के आधार पर लेखा पुस्तकों में मान्यता दी जाती है।
- कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समेत निदेशकों के लिए निम्नांकित शामिल है।

विवरण	चालू वर्ष (2022-23) (₹ लाखों में)	गत वर्ष (2021-22) (₹ लाखों में)
वेतन और भत्ते	88.54	194.7
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	13.11	27.91
अन्य लाभ	35.91	67.12
कुल	137.56	289.73

- कर्मचारी कल्याण व्यय में कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, अन्य सेवा कल्याण लाभ (सोने का सिक्का, गृह निर्माण ऋण पर ब्याज सब्सिडी, पट्टा आवास आदि) शामिल हैं।

नोट सं. 31: वित्तीय लागतें

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. ब्याज व्यय		
i) नकद ऋण और कार्यशील पूंजी मांग ऋण पर ब्याज	427.69	1,586.51
ii) ईसीबी ऋण पर ब्याज	444.69	536.77
iii) बांड पर ब्याज	38,873.73	44,226.41
iv) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव-हानि/(लाभ)	757.22	(233.40)
v) केएफडब्ल्यू ऋण पर ब्याज	1,075.22	1,248.54
vi) अल्पावधि उधार पर ब्याज	-	-

vii) भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	291.96	291.96
viii) मध्यम और कॉर्पोरेट अवधि के ऋण पर ब्याज	13,854.76	9,997.54
ix) ब्याज व्यय - लीज के अंतर्गत परिसंपत्ति	125.94	130.13
x) ब्याज व्यय - अन्य	204.91	-
ख. वित्त प्रभार		
ईआईआर के निवल विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	540.81	632.58
सी.अन्य उधार लागत	164.02	69.02
कुल	56,760.95	58,486.06
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34(बी)	3,093.82	287.27
लाभ और हानि विवरण के लिए अग्रेषित राशि	53,667.13	58,198.79

नोट संख्या 32: मूल्यहास और परिशोधन खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
पीपीई अवमूल्यन (नोट संख्या- 2)	82,828.51	80,241.99
अमूर्ज संपत्ति (नोट संख्या-4)	845.29	566.75
उप-कुल	83,673.80	80,808.74
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34 (सी)	123.64	26.80
लाभ व हानि के दौरान में अग्रेषित राशि	83,550.16	80,781.94

नोट संख्या 33: अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादन व्यय		
मरम्मत एवं रखरखाव :		
सड़कें व भवन	3,150.11	3,434.54
विद्युत गृह	9,317.43	9,152.34
हाइड्रोलिक कार्य	1,312.46	1,362.42
लाइन एवं सब-स्टेशन	452.99	226.68
अन्य	993.18	802.50
स्टोर एवं स्पेयर (सहायता अनुदान के समक्ष)	8.91	13.96
उप-कुल	15,235.08	14,992.43
प्रशासनिक व्यय		
यात्रा खर्च	564.83	291.49
विज्ञापन खर्च	90.48	0.57
बीमा शुल्क	8,128.30	7,916.74
करिफ	173.99	182.84
दरें और कर	19.13	32.46
मनोरंजन व्यय	34.74	23.79

लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय	18.46	16.96
परिवहन व्यय	1,461.56	1,122.90
किराया व्यय	1.98	0.88
छपाई और स्टेशनरी	61.28	50.45
डाक	3.37	2.81
चिकित्सा व्यय	1,379.43	1,235.18
लाइसेंस और पंजीकरण	33.91	36.13
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	1.44	1.87
वर्दी और पोशाक	1018.08	6.06
मानदेय	2.26	0.13
बिजली शुल्क	478.55	539.63
बैंक शुल्क	237.10	18.12
सामाजिक कल्याण	1,245.30	1,035.23
परामर्श शुल्क	509.19	389.43
व्यावसायिक शुल्क	96.52	45.52
सुरक्षा व्यवस्था	4,219.78	3,929.79
प्रशिक्षण खर्च	211.63	123.82
कर्मचारी भर्ती खर्च	0.27	38.78
अस्पताल की सुविधा	85.10	65.06
सदस्यता और सदस्यता शुल्क	240.81	25.82
संचार खर्च	179.85	144.61
कार्यालय की साज-सज्जा	15.50	5.11
विविध व्यय	986.79	227.67
आई.बी. खर्च	376.22	318.76
प्रयोगशाला और मीटर परीक्षण शुल्क	3.50	1.61
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	176.44	120.59
फोटोग्राफिक रिकॉर्ड	0.56	0.42
स्टॉक का नुकसान/अग्रिम बट्टे खाते में डालना	18.56	135.59
ईडीपी व्यय	950.24	438.17
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	16.66	71.89
कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	422.42	258.88
आकस्मिक व्यय सौभाग्य	-	-
बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियां क्षतिग्रस्त/अन-ट्रेसेबल	179.80	75.81
मुआवज़ा	14.68	-
बोर्ड की बैठक का खर्च	52.83	9.17
प्रचार खर्च	203.12	617.77
कानूनी शुल्क	522.24	265.32
सीईआरसी को फाइलिंग फीस	95.28	102.79
एनईआरएलडीसी शुल्क और शुल्क	731.07	595.35
अनुसंधान एवं विकास व्यय	59.88	15.20
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और एसडी	508.78	556.66
स्वच्छ भारत	4.71	0.20
आरआरएएस- व्यय	4,303.86	405.42

लाभार्थी राज्यों को ब्याज	-	1,078.51
व्यापार व्यय	5,285.14	6,010.56
ऊर्जा संरक्षण खर्च	-	-
निविदा खर्च	-	-
कोविड 19 खर्च	13.46	119.02
विलंबित भुगतान पर ब्याज	295.56	-
उप कुल	35,734.64	28,707.52
अन्य व्यय		
लूब्रिकेंट, तेल इत्यादि	-	-
बिजली शुल्क	416.49	218.76
डीएसएम देय	636.87	311.66
ट्रांसमिशन चार्ज	-	33.77
पीएम कुसुम	311.48	-
रूफ-टॉप सौर कार्यक्रम	170.71	-
आज़ादी का अमृत महोत्सव	86.76	-
बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	4,852.11	3,996.80
उप कुल	6,474.42	4,560.99
	57,444.14	48,260.94
घटाकर- निर्माण के दौरान व्यय करने के लिए ट्रांसफर किया गया नोट संख्या -34 (डी)	4,542.09	2,436.86
कुल	52,902.05	45,824.08

लेखा परीक्षा व्यय के संबंध में विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
ऑडिटर के रूप में:		
मुफ्त ऑडिट	10.80	10.80
टैक्स ऑडिट शुल्क	-	-
सीमित समीक्षा	6.48	6.16
अन्य क्षमता में:		
अन्य सेवाएँ (प्रमाणन शुल्क)	1.18	-
व्यय की प्रतिपूर्ति		
कुल	18.46	16.96

बट्टे खाते हेतु प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्तियाँ	1,000.15	3,994.56
निवेश की हानि	-	-
सूची	0.13	2.24
अनुपयोगी पूँजी कार्य	-	-
संदिग्ध अग्रिम/प्राप्य	3,851.83	-
कुल	4,852.11	3,996.80

नोट संख्या 34: निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	नोट संख्या	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. कर्मचारी व्यय लाभ			
वेतन तथा मजदूरी		3,599.08	2276.67
भविष्य निधि में अंशदान		288.63	186.19
उपदान (ग्रेच्युटी)		62.02	69.1
कर्मचारी पेंशन		193.62	132.98
अवकाश नकदीकरण		476.22	178.34
कर्मचारी कल्याण व्यय		9.11	5.02
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ			
कुल (ए)	30	4,628.68	2,848.30
बी. ब्याज और वित्त व्यय पूंजीकृत			
बांड पर ब्याज		-	-
अल्पावधि उधार पर ब्याज		-	-
मध्यम और कॉर्पोरेट सावधि ऋण पर ब्याज		3,075.67	286.09
ब्याज व्यय - पट्टे के तहत संपत्ति		17.04	0.78
अन्य उधार लागत		1.11	0.40
कुल (बी)	31	3,093.82	287.27
सी. मूल्यहास	32	123.64	26.80
डी. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय			
यात्रा खर्च		46.50	23.60
किराए		38.05	44.54
दरें और कर		0.17	1.16
परिवहन खर्च		221.29	94.73
छपाई और स्टेशनरी		6.42	2.57
डाक और तार		0.27	0.07
चिकित्सा व्यय		98.17	45.44
लाइसेंस और पंजीकरण		1.67	1.11
पेपर और पत्रिकाएं		0.01	0.12
वर्दी और पोशाक		72.04	0.22
बिजली और पानी के शुल्क		165.23	11.95
बैंक शुल्क		4.87	0.03
सामाजिक कल्याण		1.00	0.72
परामर्श शुल्क		92.64	38.21
सुरक्षा व्यवस्था		665.84	37.23
अस्पताल की सुविधा		7.58	
संचार खर्च		13.00	0.95
कार्यालय की साज-सज्जा		2.04	
विविध व्यय		347.95	12.23
आई.बी. खर्च		11.50	0.35
आई टी खर्च		19.44	11.53
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि		-	-

मरम्मत और रख रखाव	-	-
सड़कें और भवन	285.65	809.11
संयंत्र उपकरण	1144.09	742.27
अन्य	478.49	13.34
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	-	4.85
सीईआरसी को फाइलिंग फीस	-	-
ऊर्जा संरक्षण खर्च	-	-
कानूनी विस्तार	-	-
बीमा शुल्क	800.57	539.46
मनोरंजन व्यय	0.51	0.31
निविदा खर्च	-	-
कोविड - 19 खर्च	0.10	0.23
प्रशिक्षण व्यय	17.00	0.53
उप कुल (डी)	33	4,542.09
कुल (ए + बी + सी + डी)		12,388.23
(इ) घटाकर: अचल-ऑपरेटिंग रसीदें		
अग्रिमों से ब्याज	0.13	0.42
किराया शुल्क	-	-
ट्रांजिट छात्रावास वसूली	-	-
किराए की वसूली	1.78	1.74
विविध आय	102.05	52.42
कुल (ई)		103.96
निवल व्यय		12,284.27
पूँजीगत कार्य-प्रगति में स्थानांतरित किया गया व्यय	3	12,284.27

विविध आय में ठेकेदार से वसूली, निविदा पत्र की बिक्री, कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम का परिशोधन आदि शामिल हैं।

नोट संख्या 35: प्रति शेयर उपार्जन

निम्नांकित तालिका आधारभूत और तनुकृत उपार्जन प्रति शेयर की गणनाओं में प्रयुक्त आय एवं शेयरों के आँकड़े दर्शाती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 22 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) कर पश्चात व लेखा अधिशेष नियामक पूर्व लाभ (₹ लाखों में)	34,207.61	14,888.78
(बी) कर पश्चात व लेखा अधिशेष नियामक पश्चात लाभ (₹ लाखों में)	39,690.08	21,229.37
घटाकर: तनुकृत अंश के लिए भुगतान की जाने वाली राशि (कर हटा कर)		
साधारण शेयर धारकों से श्रोतजन्य लाभ - आधारभूत ईपीएस के लिए	39,690.08	21,229.37
साधारण शेयर धारकों से श्रोतजन्य लाभ - तनुकृत ईपीएस के लिए	39,690.08	21,229.37
(सी) भारित औसत संख्या. बेसिक ईपीएस के लिए साधारण शेयरों की	3609810400	3609810400
भारित औसत संख्या. डाइल्यूटेड के लिए साधारण शेयरों की - ईपीएस	3609810400	3609810400
(डी) साधारण शेयरों का नाममात्र मूल (₹)	10.00	10.00
(ई) विनियामक स्थगन खातों से पहले प्रति इक्विटी शेयर आय:		
(i) मूल (₹ में) (वार्षिक नहीं)	0.95	0.41
(ii) तनुकृत (₹ में)	0.95	0.41
(एफ) नियामक डिफरल लेखा पश्चात प्रति इक्विटी शेयर की प्राप्ति :		
(i) मूल (₹ में) (वार्षिक नहीं)	1.10	0.59
(ii) तनुकृत (₹ में)	1.10	0.59

नोट संख्या 36: आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ (प्रावधान नहीं किए जाने की सीमा तक)

(₹ लाखों में)

विवरण	तक	
	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
आकस्मिक देयताएँ :		
कंपनी के विरुद्ध दावों को निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
- कैपिटल वर्क्स के विरुद्ध मुकदमा लंबित है	2,75,242.36	1,61,370.11
भूमि मुआवज़ा मामले	2,365.00	2,806.00
विवादित आयकर मांग	27,614.24	46,889.39
अन्य #	19,239.00	15.00
कुल	3,24,460.60	2,11,080.50
प्रतिबद्धताएँ :		
पूँजीगत अनुबंधों पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिम और जमा का सकल)	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	37,718.70	16,030.42

- (i) कंपनी के खिलाफ दावों को 31,2023 तक ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें वार्षिक वर्ष 2015-16 के लिए अपने कर निर्धारण के पूरा होने पर ₹27614.24 लाख की राशि के लिए आयकर अधिकारियों से ₹11381.61 लाख के कर के भुगतान की मांग शामिल है। 2016-17 की राशि ₹9112.52 लाख, वार्षिक वर्ष 2020-21 की राशि ₹1992.06 लाख, उच्च न्यायालय, मेघालय और आईटीएटी के समक्ष लंबित डीपीएस से संबंधित संभावित कर देयता ₹ 5120.85 लाख और सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण से मांग (सीईएसटीएटी) सेवा कर के संबंध में ₹7.20 लाख के भुगतान के लिए।
- # अन्य में 15.00 लाख रुपये की ग्रेच्युटी, 61.00 लाख रुपये की ईपीएफ राशि से संबंधित अदालती प्रक्रिया के कारण लंबित विभिन्न मामले शामिल हैं और न्यू मेलिंग एचईपी और सीव नाफरा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 19163.00 लाख रुपये की राशि के दिए गए ठेकों के लिए के अरुणाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त/सचिव (विद्युत) सरकार द्वारा पारित समाप्ति नोटिस को चुनौती देने वाली लिखित याचिका शामिल है।।
- (ii) मध्यस्थता न्यायाधिकरण/न्यायालयों के समक्ष कुछ मामले लंबित हैं, जिनके दावों की राशि का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है।
- (iii) कंपनी इस मांग का विरोध कर रही है और उसके कर सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iv) कंपनी कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी का प्रबंधन उचित रूप से यह उम्मीद नहीं करता है कि ये कानूनी कार्यवाहियां, जब अंततः निष्कर्ष और निर्धारित होंगी, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

नोट संख्या 37: विनियामक आस्थगित खातों की शेष राशि में मूवमेंट

दूर विनियमित गतिविधियों

कंपनी मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। जिस टैरिफ के आधार पर कंपनी अपने लाभार्थियों को बेची गई बिजली का बिल देती है, उसका निर्धारण केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तों) विनियमों के अनुपालन में किया जाता है, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है।

उक्त विनियम कंपनी को सामान या सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ उचित रिटर्न के लिए अपनी लागत वसूल करने की अनुमति देते हैं।

मान्यता और माप

- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2019-2024 के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) के तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (ग्रेप) की वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) के निर्धारण के दौरान दिनांक 16.4.2021 को आदेश जारी किया, माननीय आयोग ने परियोजना (ग्रेप) के आरसीई (ग्रेप) पर विचार के लिए दिनांक 04.06.2010 को हुई बैठक के दौरान भारत सरकार का सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के निर्णय के अनुरूप नीपको द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर 2% मूल्यह्रास की अनुमति दी है।
- सीईआरसी के टैरिफ नियमों के अनुसार दरें और कार्यप्रणाली, जिसके आधार पर ग्रेप के लिए मूल्यह्रास की गणना की गई है और इस शर्त के तहत नीपको के लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया गया है, जो कि सीएचसी के आदेश के अनुसार टैरिफ के माध्यम से पुनर्प्राप्त करने की अनुमति से भिन्न होता है। सीईआरसी के नियमों के अनुसार मूल्यह्रास की उच्च दर के कारण, ऑपरेशन ग्रेप के पहले 12 (बारह) वर्षों के लिए लाभ और हानि खाते के स्टेटमेंट के लिए मूल्यह्रास का आरोप लगाया गया क्योंकि इसके वाणिज्यिक संचालन की तिथि (सीओडी) मूल्यह्रास से अधिक होगी टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है, जो भविष्य के समय में स्टेशन के निर्माणात्मक जीवन के शेष अवधि के दौरान उलट जाएगा। तदनुसार, इसके संचालन के पहले की अवधि के दौरान जनरेटिंग स्टेशन के लिए “राजस्व” के रूप में महसूस किए गए निचले मूल्यह्रास को इस अवधि के दौरान वापस प्राप्त किया जाएगा।
- उपरोक्त को देखते हुए भविष्य की अवधि में पुनर्प्राप्ति योग्य / समायोज्य हद तक मूल्यह्रास के अंतर को “नियामक खाता डेबिट / क्रेडिट शेष” के रूप में “नियामक डेफरल खाता शेष राशि के खर्चे हेतु क्रेडिट / डेबिट” के रूप में पहचाना गया है
- 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान उपरोक्त के कारण मान्यता प्राप्त “नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष” निम्नानुसार है:

विवरण	राशि (₹ लाखों में)
सीईआरसी दरों के अनुसार मूल्यह्रास	6,896.90
सीईआरसी द्वारा दिनांक 09.10.2018 के टैरिफ आदेश द्वारा अनुमत @2% मूल्यह्रास	2,783.29
अंतर (“नियामक आस्थगित शेष” के रूप में मान्यता प्राप्त है)	4,113.61

ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष:

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 मार्च 2018 को अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 12) अधिसूचित किया है और इस प्रकार मौजूदा रुपये 10 लाख से 20 (बीस) लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी है।

सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तों) विनियम 2014 के विनियम 8 (3) में प्रावधान है कि “आयोग निम्नलिखित अनियंत्रित पैरामीटरों के प्रदर्शन के आधार पर उत्पादन स्टेशन के टैरिफ को सही करने का कार्य करेगा:

- अप्रत्याशित घटना;
- कानून में बदलाव; तथा
- प्राथमिक ईंधन लागत

ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार सीमा को बढ़ाकर ₹20.00 लाख करने के कारण ग्रेच्युटी व्यय में वृद्धि “कानून में परिवर्तन” की श्रेणी में आती है।

तदनुसार, 31.03.2018 को नीपको (कंपनी) की बट्टे खातों में “नियामक डिफरल खाता शेष” के रूप में मान्यता प्राप्त सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से अपेक्षित सीमा तक ₹ 4793.47 लाख की राशि वसूली योग्य होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने नीपको की याचिका संख्या 718एमपी/2020 में दिनांक 23.01.2023 के आदेश के तहत नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए “अतिरिक्त ओ एंड एम व्यय” के रूप में ग्रेच्युटी सीमा की उपरोक्त वृद्धि के प्रभाव की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है। तदनुसार, माननीय आयोग द्वारा अनुमत राशि को ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ खर्चों के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान “नियामक डिफरल खाता शेष” के तहत पड़े ₹ 4793.47 लाख के उलट के साथ “परिचालन से राजस्व” के तहत मान्यता दी गई है।

परिचालनाधीन परियोजनाओं के लिए आस्थगित कर देयताओं पर आस्थगित समायोजन के संबंध में नियामक आस्थगित खातों की शेष राशि:

संचालन में अपने उत्पादन स्टेशनों से उत्पन्न बिजली की बिक्री के लिए नीपको का पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ('लाभार्थियों' के रूप में संदर्भित) के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) है। नीपको के जनरेटिंग स्टेशनों के लिए टैरिफ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी उनके अधिसूचित टैरिफ नियमों के अनुपालन में निर्धारित किए जाते हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के अनुसार, आरओई को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू प्रभावी कर दर के साथ सकल किया जाता है। तदनुसार, बिजली की बिक्री से उत्पन्न आय पर वर्ष के दौरान उपार्जित आस्थगित कर और भविष्य की अवधियों में आगे समायोज्य/प्रत्यावर्तन जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक हिस्सा बनेगी और लाभार्थियों से वसूली योग्य को "आस्थगित कर समायोजन के रूप में हिसाब किया गया है। आस्थगित कर देयता", जिसे "नियामक आय" के रूप में मान्यता दी गई है और इंडस्ट्रीज एएस 114 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में एक अलग लाइन आइटम के रूप में "नियामक आस्थगित खाता शेष" में एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के पुनर्वर्गीकरण के कारण नियामक आस्थगित खाते की शेष राशि

सीईआरसी (टैरिफ विनियम के नियम और शर्तें) 2019 के विनियम 67 के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देनदारियां, जब भी वे अमल में आती हैं, उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों द्वारा तत्कालीन लाभार्थियों या दीर्घकालिक ग्राहकों से सीधे वसूली योग्य होंगी। 31 मार्च, 2019 तक भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इसे "नियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। इसकी समीक्षा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय लेखा मानक 114 के अनुरूप की गई है और इसे नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली या देय होने वाली पुस्तकों में मान्यता प्राप्त विनियमित संपत्ति (+)/देयता (-) निम्नानुसार हैं:

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	विवरण	विनियामक आस्थगित खाता शेष राशि
ए	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष राशि	38,623.96
बी	31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि (संपत्ति (+)/ देयता (-))	-
सी	अवधि के दौरान एकलित (-)/वापसी की गई राशि (+)	(1,452.47)
डी	लाभ और हानि के विवरण (बी-सी) में मान्यता प्राप्त नियामक आय/(व्यय)	(1,452.47)
ई	31.03.2023 (ए+डी) को अंतिम शेष	37,171.49

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर के संबंध में नियामक आस्थगित खाता शेष

विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं पर विनियम अंतर के संबंध में विनियामक स्थगन खाता शेष इंड एएस 21 का पैरा 28- "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव" प्रदान करता है कि मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर या दरों पर मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर उन लोगों से भिन्न, जिस पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी जिसमें वे उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा, इंड एएस 101 के पैरा 13 एए - "भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाला मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। पिछले जीएपी के अनुसार पहली इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में। तदनुसार, 01.04.2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी जाने वाली सीमा तक उधार पर विनियम अंतर के अलावा मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद/निपटान पर उत्पन्न होने वाले सभी विनियम अंतर को विवरण में लिया जाएगा। सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के विनियम 69 में प्रावधान है कि प्रत्येक उत्पादक कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी विदेशी विनियम दर में बदलाव को साल-दर-साल आधार पर उस अवधि में आय या व्यय के रूप में वसूल करेंगे, जिसमें यह उत्पन्न होता है।

विनियामक स्थगन खाते डेबिट शेष - नोट 16 मान्यता प्राप्त:

भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली बढ़े खातों में मान्यता प्राप्त विनियामक संपत्तियां इस प्रकार हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. प्रारंभिक शेष	92,344.55	84,384.08
बी. वर्ष के दौरान क्रियान्वयन कारण		
(i) तुरियल मूल्यहास ₹ 4113.61 लाख		
(ii) आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन ₹ 10542.90 लाख	6,950.66	7,960.47
(iii) आस्थगित कर वसूली योग्य ₹ (1452.47) लाख		
(iv) कर्मचारी लाभ- ग्रेच्युटी ₹ (4793.47) लाख		
(v) विनियम अंतर ₹ (1459.91) लाख		
सी. वर्ष के दौरान एकलित/वापसी की गई राशि	-	-
डी. लाभ और हानि विवरण (बी-सी) में मान्यता प्राप्त विनियामक स्थगन खाता शेष	6,950.66	7,960.47
ई. समापन शेष (ए+डी)	99,295.21	92,344.55
एफ) विनियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध उतार-चढ़ाव (I)	6,950.66	7,960.47
जी) नियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध उतार-चढ़ाव पर कर (II)	1,468.19	1,619.88
एच) वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि (I - II)	5,482.47	6,340.59

विनियामक डेफरल खाता शेष की मान्यता के लिए विचार किया गया रिटर्न / डिस्काउंटिंग दर” शून्य “है

नियामक डेफरल खाता शेष की भविष्य में रिकवरी से जुड़ी जोखिम / अनिश्चितता

- डिमांड रिस्क:** नियामक आस्थगित शेष राशि की वसूली इसके लाभार्थियों को बिलिंग के अधीन होती है और तदनुसार संबंधित सामान्य जोखिमों से जुड़ी होती है, जैसे, अपने बकाया के निपटान के प्रति ग्राहकों का रवैया, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की उपलब्धता आदि।
- विनियामक जोखिम:** विनियमों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और एक दर निर्धारण आवेदन के प्रस्तुतीकरण या अनुमोदन या अपेक्षित भविष्य की नियामक कार्रवाइयों पर इकाई के मूल्यांकन के कारण। जिस अवधि में ठीक होने की उम्मीद है।
- अन्य:** कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वह परियोजनाओं/उत्पादक स्टेशनों के मानक उपयोगी जीवन की अवधि के दौरान नियामक आस्थगित खाता शेष की अग्रणी राशि की वसूली/समायोजन करेगी।

नोट संख्या 38: संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

इंडस्ट्रीज़ एस -24 के अनुसार संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(ए) संबंधित पार्टियों की सूची

ए. होल्डिंग कंपनी: एनटीपीसी लिमिटेड

भारत सरकार दिनांक 26 मार्च 2020 तक नीपको लिमिटेड की 100% स्वामित्व की हिस्सेदारी रखी थी। हालांकि, नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण एनटीपीसी द्वारा 27 मार्च, 2020 को भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 25 मार्च 2020 को किए गए खरीद समझौते को साझा करने के लिए साझा हस्तांतरण के माध्यम से पूरा किया गया। इसके पश्चात दिनांक 31 मार्च 2020 तक एनटीपीसी लिमिटेड ने नीपको की 100% स्वामित्व की हिस्सेदारी को रखा है।

बी. संयुक्त उद्यम :

केएसके डिविन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, 8-2-293 / 82 / ए / 431 / ए, रोड नंबर 2, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 500 033, भारत। नीपको लिमिटेड के पास इस संयुक्त उद्यम में 30% हिस्सेदारी है।

सी. उन कंपनियों/निकायों के नाम जो होलिंग कंपनी की सहायक/संयुक्त उद्यम हैं

1. नवीनगर विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
2. एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड
3. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
4. एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5. भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
6. पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
7. मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
8. कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
9. एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड
10. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
11. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड
12. हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड
13. एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
14. रत्न गिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
15. टस्को लिमिटेड
16. यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड
17. एनटीपीसी-जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
18. एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड
19. एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
20. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
21. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22. ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स केरल लिमिटेड
23. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
24. सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
25. अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
26. त्रिकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड
27. बांग्लादेश-भारत मैत्री पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
28. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
29. ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
30. एनएचडीसी लिमिटेड

डी. वे कंपनियाँ जिनमें निदेशक निदेशक हैं

1. एनएचपीसी लिमिटेड
2. नॉर्थ ईस्ट इंडिया आयुष कंसोर्टियम लिमिटेड
3. लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ई. नीपको के निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

(i) पूर्णकालिक निदेशक:

1 श्री आर.के.विश्वेश्वर	02.06.2022 से सीएमडी एवं डी(टी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं
2 श्री वी के सिंह	31.05.2022 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। 01.03.2022 से 31.05.2022 तक निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार संभालना
3 श्री अनिल कुमार	निदेशक (कार्मिक) 31.10.2022 तक
4. श्री बी.महाराणा	निदेशक (वित्त) सह मुख्य वित्त अधिकारी। 01.11.2022 से 31.01.2023 तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार संभालना

(ii). स्वतंत्र निदेशक :

1. श्रीमती माला सिन्हा	10.07.2022 तक स्वतंत्र निदेशक
2. डॉ विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र निदेशक
3. बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक

(iii). नामित निदेशक, एनटीपीसी

1. श्री जितेश जॉन	भारत सरकार के नामित निदेशक
2. श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य	नामित निदेशक, एनटीपीसी
3. श्री जय कुमार श्रीनिवासन	17.08.2022 से नामांकित निदेशक, एनटीपीसी

(iv) कंपनी सचिव

श्री अबिनोम पनू रोंग	कंपनी सचिव
----------------------	------------

बी) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद		
सहयोगियों के लिए माल की बिक्री	-	-
कच्चे माल की खरीद	-	-
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री :: एनवीवीएन	91,844.22	64,842.06
ट्रेडिंग के जरिए ऊर्जा की बिक्री :: पीटीसी	-	-
	91,844.22	64,842.06
अन्य लेन-देन		
लाभांश के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान/देय		
(ए) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश	-	1,500.00
(बी) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश	-	7,500.00
(सी) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश	1,500.00	-
(डी) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश	35,000.00	-
व्यापारिक व्यय के लिए एनवीवीएन लिमिटेड - व्यावसायिक शुल्क	133.68	594.31
कंसल्टेंसी की दिशा में एनटीपीसी लिमिटेड	5.19	31.15
टीएचडीसी- पीएसपी मॉडल के अध्ययन पर हिस्सेदारी	-	31.27
ई-वाहन किराया शुल्क हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड	7.88	6.62
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	9,412.55	9,515.52
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	3,742.62	3,713.45
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	2,477.76	1,512.53
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेजुटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट	892.41	1,534.63
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	44.31	47.32
सहायक कंपनियों/जोड़ी कंपनियों/फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिसमें निदेशकों की रुचि है	-	-
कुल	53,216.40	25,986.80

सी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए मुआवजा (केएमपी)

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
वेतन एवं भत्ते	109.71	219.97
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	15.24	31.44
अन्य लाभ	38.41	89.64
बैठने का शुल्क	16.11	4.80
कुल	179.47	345.85

घ) संबंधित पार्टियों के पास बकाया शेष

(₹ लाखों में)

(i) वसूली योग्य राशि	31.03.2023	31.03.2022
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	-	-
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	-	-
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	246.17	236.34
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेज्युटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट	153.17	-
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एनटीपीसी लि	11.03	11.03
टीडीएस के लिए एनवीवीएन लिमिटेड	2.05	8.44
एनवीवीएन से प्राप्य	2,401.46	-

(₹ लाखों में)

(ii) देय राशि	31.03.2023	31.03.2022
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	780.88	788.82
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	305.79	306.39
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	2,477.76	-
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	3.55	3.84
एनटीपीसी लिमिटेड - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश	35,000.00	-
ई-वाहन किराये पर लेने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड	0.59	1.14

एक ही सरकार के अधीन कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव वाली अन्य संस्थाएँ:

कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) यानी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसके पास 31 मार्च 2023 तक नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हिस्सेदारी है, जिसे अधिकांश शेयरों के साथ केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

इंडस्ट्रीज़ एएस 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएँ जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा।

कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट लागू की है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेनदेन है, उनमें गेल (इंडिया) लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल लिमिटेड आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

सरकार के साथ संबंध का नाम एवं स्वरूप

कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति
भारत सरकार	होलिंग कंपनी में शेयरधारक, जिसका कंपनी पर नियंत्रण हो
एनटीपीसी लिमिटेड	होलिंग कंपनी (100%)

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन जो उसी सरकार के नियंत्रण में हैं जिसका होलिंग कंपनी (एनटीपीसी लिमिटेड) पर नियंत्रण है।

(₹ लाखों में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023	31.03.2022
ऑयल इंडिया लिमिटेड	गैस की खरीद	83051.09	27551.58
भेल	पुर्जों की आपूर्ति	4860.20	2806.38
आईओसी लि	गैस/एचएसडी/सैहक की खरीद	2168.19	720.75
ओएनजीसी	गैस की खरीद	16707.66	15559.41
गेल (इंडिया) लिमिटेड	गैस की खरीद	42187.31	18240.79
कुल		148974.45	64878.91

(₹ लाखों में)

सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन जिसका होल्डिंग कंपनी (एनटीपीसी लिमिटेड) पर नियंत्रण है	31.03.2023	31.03.2022
भारत सरकार को विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	528.35	608.02
भारत सरकार को विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	291.96	291.96

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के नियम और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर और उचित कीमत पर किया जाता है।

नोट संख्या 39: अतिरिक्त प्रकटीकरण

ए. कंपनी ने बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार लिया गया था।

बी. बंद कंपनियों के साथ संबंध:

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	बंद कंपनियों के नाम	बंद पड़ी कंपनियों के साथ ले दे का स्वरूप	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि	31 मार्च 2022 तक बकाया राशि	बंद कंपनी के साथ संबंध
देय					
(i)	एपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	0.97	लागू नहीं
(ii)	हाई-टेक रिप्रोग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	0.22	लागू नहीं
(iii)	एस.के.इंजीनियरिंग एंड वर्क प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	0.25	लागू नहीं
(iv)	ओसियन स्टार डाइविंग सर्विसेज लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	7.57	लागू नहीं
(v)	एलशदाई इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(vi)	ओरिएंटल इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(vii)	ग्लोबेक्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(viii)	डेस्टिनी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(ix)	गैलेक्सी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(x)	सिमरन इंटरप्राइजेज (आई) लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(xi)	इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(xii)	इलेक्ट्रोमेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(xiii)	एडवांस टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(xiv)	अमर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(xv)	डाटा सिंक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(xvi)	इमर्जिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(xvii)	बी.एम. एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं

सी. (i) 31 मार्च 2023 तक अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

तुलन पत्र में प्रासंगिक पंक्ति वस्तु	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹लाख में)	के नाम पर किए गए शीर्षक विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर* / निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार# है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम न होने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	नीपको परियोजना के लिए वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि - कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन-चरण II	452.68	श्रीमती इबिल दखर और अन्य (याचिकाकर्ता की संख्या 160)	नहीं	10.09.1984	भूमि मुआवजे में वृद्धि के लिए 160 भूमि मालिकों द्वारा दायर दावे के कारण यह भूमि मुकदमे के अधीन है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	तेजू (अरुणाचल प्रदेश) में 15633.50 वर्ग मीटर भूमि	1.28			कृपया नीचे नोट देखें*	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	लैटकोर (मेघालय) में 1.88 एकड़ भूमि				कृपया नीचे नोट देखें* *	

ii) अचल संपत्तियों के टाइटल डीड 31 मार्च 2022 तक कंपनी के नाम पर नहीं हैं

तुलन पत्र में प्रासंगिक पंक्ति वस्तु	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹लाख में)	के नाम पर किए गए शीर्षक विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर* / निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार# है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम न होने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	गुवाहाटी, असम में 33.19 एकड़ भूमि	441.06	असम चाय निगम लिमिटेड, असम	नहीं	17.06.2009	दाखिल खारिज प्रक्रिया प्रगति पर है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	नीपको परियोजना के लिए वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि - कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन-चरण II	452.68	श्रीमती इबिल दखर और अन्य (याचिकाकर्ता की संख्या 303)	नहीं	10.09.1984	भूमि मुआवजे में वृद्धि के लिए 303 भूमि मालिकों द्वारा दायर दावे के कारण यह भूमि मुकदमे के अधीन है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है

संपत्ति, संयंत्र और तेजू (अरुणाचल प्रदेश) में उपकरण-भूमि	15633.50 वर्ग मीटर भूमि	1.28	कृपया नीचे नोट देखें*			
संपत्ति, संयंत्र और लैटकोर (मेघालय) में उपकरण-भूमि	1.88 एकड़ भूमि		कृपया नीचे नोट देखें* *			
संपत्ति, संयंत्र और डिजाइन कार्यालय/गेस्ट हाउस, गुवाहाटी, असम		375.48	असम टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, असम	नहीं	17.06.2009	दाखिल खारिज प्रक्रिया प्रगति पर है

* नीपको को संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा तेजू (अरुणाचल प्रदेश) में दाग संख्या 173 और 200 के तहत भवन के साथ 15633.50 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी।

** लैटकोर (मेघालय) में स्थित 1.88 एकड़ की भूमि नीपको के स्वामित्व में है।

डी. (i) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर की गई लैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं।
(ii) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ई. कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या पुनर्भुगतान की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य हैं।

एफ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

जी. कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

एच. कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह कंपनी की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।

आई. कंपनी अपने बट्टे-खातों की पुस्तकों में कोई निवेश संपत्ति नहीं रखती है, इसलिए निवेश संपत्ति का उचित मूल्यांकन लागू नहीं होता है।

जे. वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

के. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

एल. कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को/से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

एम. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी योजना या व्यवस्था को मंजूरी नहीं दी गई है।

एन. अघोषित आय: कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय या किसी भी लेनदेन के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है। वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम '1961 के तहत कोई खोज या सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के पास पहले से कोई अलिखित आय और संबंधित संपत्ति (पिछले वर्ष शून्य) नहीं है।

ओ. क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी: कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड या निवेश नहीं किया है। (पिछले वर्ष शून्य)

आई. अनुपातों का प्रकटीकरण

अनुपात	न्यूमेरेटर	डिनोमिनेटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.55	0.54	3.34	वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है।
ऋण इक्विटी अनुपात	चुकता ऋण पूंजी (दीर्घकालिक ऋण + अल्पावधि ऋण)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	1.08	1.14	(5.31)	चालू वित्त वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण में कमी आई है, जबकि कुल इक्विटी पिछली अवधि की तुलना में बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अनुपात में कमी आई है।

ऋण सेवा कवरेज अनुपात	वर्ष के लिए लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + असाधारण आइटम	वित्त लागत + लीज भुगतान+दीर्घावधि उधारों के अनुसूचित मूलधन का पुनर्भुगतान	1.14	1.18	(3.53)	चालू वित्तीय वर्ष में अधिक ऋण भुगतान के कारण, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ऋण के लिए उपलब्ध आय में वृद्धि के बावजूद अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम हो गया।
इक्विटी अनुपात पर वापसी	वर्ष के लिए लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.06	0.03	85.03	पिछले वर्ष की तुलना में मुनाफा बढ़ने से अनुपात बेहतर है
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	संचालन से आय	औसत सूची	33.00	22.41	47.29	राजस्व में वृद्धि और पिछले वर्ष की तुलना में औसत इन्वेंट्री में कमी के कारण अनुपात बेहतर है
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	संचालन से आय	औसत व्यापार प्राप्य	6.36	5.10	24.71	चालू अवधि में औसत देनदारों में वृद्धि के कारण अनुपात ऊंचे स्तर पर है
व्यापार देय कारोबार अनुपात	कुल खरीद (ईंधन लागत + अन्य व्यय + समापन सूची-उद्घाटन सूची)	समापन व्यापार देय	9.59	7.21	32.92	नेट क्रेडिट खरीद में वृद्धि के कारण अनुपात उच्चतर स्तर पर है
सकल पूंजी कारोबार अनुपात	संचालन से आय	कार्यशील पूंजी+दीर्घकालिक उधारों की वर्तमान परिपक्वता	4.16	3.42	21.80	पिछले वर्ष की तुलना में व्यापार प्राप्य की तुलना में राजस्व में वृद्धि के कारण, अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उच्चतर स्तर पर दिखाई दिया।
सकल लाभ अनुपात	वर्ष के लिए लाभ	संचालन से आय	0.09	0.07	31.58	पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी में वृद्धि के कारण अनुपात बेहतर है
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी (i)	0.09	0.07	27.47	पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ईबीआईटी की वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुपात का बेहतर प्रदर्शन हुआ
निवेश पर वापसी (ii) - सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	{एमवी (टी 1) - एमवी (टी 0) - योग [सी (टी 1)]}	{एमवी (टी0) + योग [डब्ल्यू (टी) * सी (टी 2)]}	-	-	-	नीपको हेतु निवेश दोनों वित्तीय वर्ष के लिए शून्य है
निवेश पर प्रतिलाभ (ii) - अन्य में निवेश	{एमवी (टी 1) - एमवी (टी 0) - योग [सी (टी 1)]}	{एमवी (टी0) + योग [डब्ल्यू (टी) * सी (टी 2)]}	-	-	-	नीपको हेतु निवेश (या तो एसटीडीआर या अन्य निवेश में) वित्त वर्ष दोनों के लिए शून्य है।

** ** विभाजक ऋणात्मक है

(i) नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयताएं

(ii) निवेश पर प्रतिलाभ जहां

टी1 = समयावधि की समाप्ति

एस

टी= टी1 और टी0 के बीच आने वाली विशिष्ट तिथि

एमवी (टी 1) = टी 1 पर बाजार मूल्य

एमवी(टी0) = बाजार मूल्य टी0 पर

सी(टी1) = प्राप्त लाभांश सहित विशिष्ट तिथि पर नकद अंतर्वाह, नकद बहिर्वाह

सी(टी2) = प्राप्त लाभांश को छोड़कर विशिष्ट तिथि पर नकद अंतर्वाह, नकद बहिर्वाह

डब्ल्यू (टी) = दिन 'टी' पर शुद्ध नकदी प्रवाह (अर्थात शुद्ध प्रवाह या शुद्ध बहिर्वाह) का वजन, $[टी 1 - टी] / टी 1$ के रूप में गणना की जाती है

जे(I) कोपिली एचपीएस (50X4 मेगावाट) पर प्रकटीकरण:

- (i) पेनस्टॉक I - कंपनी के कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन, उमरोंगसो, असम की 02 (दो) इकाइयों (50 मेगावाट प्रत्येक) की फीडिंग यूनिट -1 (50 मेगावाट) के लोड थ्रू ऑफ और ट्रिपिंग के बाद दिनांक 07.10.2019 को टूट गई। दुर्घटना के दौरान 03 (तीन) अन्य इकाइयां पूरी तरह से लोड थीं। वाल्व हाउस के तत्काल डाउनस्ट्रीम सहित पेनस्टॉक के तीन स्थानों पर क्षति हुई। घटना में पेनस्टॉक प्रोटेक्शन वॉल्व क्लोजिंग मैकेनिज्म क्षतिग्रस्त हो गया था और इसलिए, पेनस्टॉक को अलग करने के लिए वॉल्व को बंद नहीं किया जा सका, इसके परिणामस्वरूप, पावर हाउस बहुत ही कम अवधि के भीतर ईओटी क्रेन बीम लेवल तक पानी से भर गया। घटना में पेनस्टॉक प्रोटेक्शन वॉल्व क्लोजिंग मैकेनिज्म क्षतिग्रस्त हो गया था और इसलिए, पेनस्टॉक को अलग करने के लिए वॉल्व को बंद नहीं किया जा सका, इसके परिणामस्वरूप, पावर हाउस बहुत ही कम अवधि के भीतर ईओटी क्रेन बीम लेवल तक भर गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 बट्टे खातों में मूल्यांकन और मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्य 10366.72 लाख रुपये (सकल मूल्य 20670.50 लाख रुपये और संचित मूल्य 10303.78 लाख रुपये) है, जिसके लिए पुस्तकों में एक समतुल्य राशि का प्रावधान किया गया है। उक्त उत्पादन संयंत्र की मरम्मत, नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरआरएम) गतिविधियां वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी इकाइयों के निर्धारित कमीशनिंग के साथ चल रही हैं।

जे II) खंडोंग एचपीएस (2 X 25 मेगावाट) और कोपिली स्टेज II (1 X 25 मेगावाट) एचपीएस पर प्रकटीकरण:

कोपिली नदी में खराब मौसम एवं बाढ़ के परिणामस्वरूप, दिनांक 26 मार्च 2022 को नियोजित मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने के लिए एप्रोच चैनल पर निर्मित बांध को कोपिली जलाशय से खांडिंग एचआरटी में पानी के अनियंत्रित प्रवेश के कारण बंद कर दिया गया। बहाव पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर था जिसके फलस्वरूप खांडोंग पावर हाउस (2 X 25 मेगावाट) और कोपिली स्टेज II पावर हाउस (1 X 25 मेगावाट) में पानी भर जाता है, जिससे पावर स्टेशनों और उसके प्लांट एवं मशीनरी को काफी नुकसान होता है। उक्त उत्पादन स्टेशनों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुस्तकों में मूल्यांकन और मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्त संपत्तियों का मूल्य 1457.63 लाख रुपये (सकल मूल्य 7871.89 लाख रुपये और संचित मूल्य 6414.26 लाख रुपये) है, जिसके लिए समतुल्य धनराशि का प्रावधान बट्टे खातों में किया गया है

के. सेगमेंट रिपोर्टिंग

नीपको केवल एक उत्पाद अर्थात विद्युत के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में है। नीपको की सभी परियोजनाएं उत्तर पूर्व क्षेत्र के साथ स्थित हैं, अर्थात एक ही भौगोलिक स्थिति के भीतर। नीपको के पास कोई रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है और तदनुसार, इंड एस 108 - सेगमेंट के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए परिचालन खंड लागू नहीं है।

एल. इंडस्ट्रीज़ एस 116 'पट्टों' के अनुसार प्रकटीकरण

(I) 116 के रूप में इंडस्ट्रीज़ में ट्रांज़िशन

कंपनी ने इंड एस 116 के प्रारंभिक आवेदन पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं:

- (i) समान समाप्ति तिथि के साथ समान आर्थिक वातावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू की गई।
- (ii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 महीने से कम की लीज अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार की संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं देने के लिए छूट लागू की।
- (iii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार संपत्ति के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया गया है।
- (iv) इंड एस 116 में ट्रांज़िशन पर, इंड एस 116 के तहत मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों पर लागू भारित औसत वृद्धिशील ऋण दर 8.69% है। वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित समझौतों के लिए भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.14% मानी गई है।

(III) कंपनी पट्टेदार के रूप में

(i) कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्था निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

- (ए) गेस्ट हाउस/ट्रांजिट कैप के लिए परिसर जो रद्द नहीं किए जा सकते हैं और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होते हैं।
- (बी) कंपनी ने पांच साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को परिचालन पट्टे पर लिया है, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। लीज किराये में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है।
- (सी) कंपनी ने 12 महीने से अधिक अवधि के लिए कुछ वाहन (इलेक्ट्रिकल के अलावा) पट्टे पर लिए हैं।

(III) मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की अग्रणीत राशि और अवधि के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	1,011.83	790.45
- पट्टा देनदारियों में वृद्धि	677.22	807.03
- वर्ष के दौरान ब्याज लागत	125.94	130.13
- पट्टा देनदारियों का भुगतान	728.69	715.78
जमा शेष	1,086.30	1,011.83
वर्तमान	607.67	573.64
गैर वर्तमान	478.63	438.19

(IV) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार “पट्टे पर दी गई आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार” की अग्रणीत राशि निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	939.39	726.30
- पट्टा दायित्व में वृद्धि	677.22	807.03
- अवधि के दौरान परिशोधन	612.04	593.94
जमा शेष	1,004.57	939.39

(V) लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि निम्नलिखित हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार के लिए मूल्यहास व्यय	612.04	593.94
लीज देयताओं पर ब्याज व्यय	125.94	130.13
लघु अवधि के पट्टों से संबंधित व्यय	-	-

(VI) लीज देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
एक वर्ष से कम	607.67	573.64
एक से दो वर्ष के बीच	341.20	295.29
दो से तीन वर्षों के बीच	127.37	122.46
तीन से चार वर्ष के बीच	10.06	16.56
चार से पांच वर्ष के बीच	-	3.88
पांच साल से अधिक	-	-
कुल	1,086.30	1,011.83

एम. कंपनी अधिनियम, 2013 और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित 31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि:		
मूल धन	712.14	1,054.92
उस पर ब्याज देय	-	-
बी) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अर्जित ब्याज की राशि और शेष अवैतनिक	-	-
ई) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त ब्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यमों को किया जाता है।	-	-

विक्रेताओं को भुगतान संबंधित अनुबंधों के नियमों और शर्तों के अनुसार, जब और जब देय होता है, किया जाता है।

एन. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान, क्रमशः “मूल्यहास और परिशोधन” और “प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति” के संबंध में क्रमांक 4 (viii) और 8 पर लेखांकन नीतियों में परिवर्तन/संशोधन किए गए हैं। इन परिवर्तनों/संशोधनों के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट संख्या 40: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य कंपनी के दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करके शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाना है।

कंपनी दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतिक निवेश योजना के साथ-साथ वार्षिक व्यापार योजना के आधार पर आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करती है। फंडिंग आवश्यकताओं को इक्विटी, परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों, और अन्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। कंपनी की नीति का उद्देश्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारों का संयोजन है।

कंपनी शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात और कंपनी के समग्र ऋण पोर्टफोलियो की परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर पूंजी संरचना की निगरानी करती है।

नोट संख्या 41: वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण

यह खंड कंपनी के लिए वित्तीय साधनों के महत्व का एक अवलोकन देता है और बैलेंस शीट मदों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जिसमें वित्तीय साधन शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय देयता और इक्विटी लिखत के प्रत्येक वर्ग के संबंध में मान्यता के लिए मानदंड, माप का आधार और जिस आधार पर आय और व्यय को मान्यता दी जाती है, सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण नोट संख्या 1 में वित्तीय विवरणों के लिए प्रकट किया गया है।

वित्तीय संपत्ति और देनदारियां

निम्न तालिका 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रत्येक श्रेणी की अग्रणीत राशि और उचित मूल्य प्रस्तुत करती है।

(₹ लाखों में)

31 मार्च 2023 तक	लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	हेजिंग संबंध में व्युत्पन्न उपकरण	व्युत्पन्न उपकरण हेजिंग संबंध में नहीं हैं	परिशोधन लागत	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति							
नकद और बैंक शेष					1,461.34	1,461.34	1,461.34
अन्य बैंक शेष					291.50	291.50	291.50
व्यापार प्राप्त्य					94,429.78	94,429.78	94,429.78
ऋण					28.19	28.19	28.19
अन्य वित्तीय संपत्ति					23,225.20	23,225.20	23,225.20
कुल					1,19,436.01	1,19,436.01	1,19,436.01
वित्तीय देनदारियों							
व्यापार देनदारियां					19,140.46	19,140.46	19,140.46
उधारी					6,91,063.36	6,91,063.36	6,82,905.58
नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल					22,054.36	22,054.36	22,054.36
पट्टा दायित्व					1,086.30	1,086.30	1,086.30
पूंजीगत व्यय के लिए देय					13,376.79	13,376.79	13,376.79
अन्य वित्तीय देनदारियां					49,119.55	49,119.55	49,119.55
कुल					7,95,840.82	7,95,840.82	7,87,683.04

(₹ लाखों में)

31 मार्च 2022 तक	लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	हेजिंग संबंध में व्युत्पन्न उपकरण	व्युत्पन्न उपकरण हेजिंग संबंध में नहीं हैं	परिशोधन लागत	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति							
नकद और बैंक शेष					4,344.49	4,344.49	4,344.49
अन्य बैंक शेष					1,009.06	1,009.06	1,009.06
व्यापार प्राप्त्य					48,776.49	48,776.49	48,776.49
ऋण					26.16	26.16	26.16
अन्य वित्तीय संपत्ति					35,806.83	35,806.83	35,806.83
कुल					89,963.03	89,963.03	89,963.03
वित्तीय देनदारियों							
व्यापार देनदारियां					22,156.98	22,156.98	22,156.98
उधारी					7,25,736.54	7,25,736.54	7,21,425.49
नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल					24,312.43	24,312.43	24,312.43
पट्टा दायित्व					1,011.83	1,011.83	1,011.83
पूंजीगत व्यय के लिए देय					7,968.37	7,968.37	7,968.37
अन्य वित्तीय देनदारियां					9,131.89	9,131.89	9,131.89
कुल					7,90,318.04	7,90,318.04	7,86,006.99

निम्न तालिका वित्तीय साधनों का विश्लेषण प्रदान करती है जिन्हें उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के बाद मापा जाता है, जिन्हें नीचे वर्णित अनुसार स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया जाता है:

एक सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों (असमायोजित) के संदर्भ द्वारा मापा जाता है। इस श्रेणी में उद्धृत इक्विटी शेयरों, उद्धृत कॉर्पोरेट ऋण उपकरणों और म्यूचुअल फंड निवेशों में निवेश शामिल है।

अवलोकन योग्य इनपुट के साथ मूल्यांकन तकनीक (स्तर 2): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय संपत्ति और देनदारियां शामिल हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट का उपयोग करके मापा जाता है जो संपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से देखे जा सकते हैं (यानी कीमतों से प्राप्त)। पदानुक्रम के इस स्तर में कंपनी के ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव अनुबंध शामिल हैं।

महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के साथ मूल्यांकन तकनीक (स्तर 3): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां शामिल हैं जो इनपुट का उपयोग करके मापी जाती हैं जो देखने योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं। उचित मूल्य पूरे या आंशिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, उन मान्यताओं के आधार पर एक मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करते हुए जो न तो एक ही साधन में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य पूरे या आंशिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, उन मान्यताओं के आधार पर एक मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करते हुए जो न तो एक ही साधन में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक			
	स्तर1	स्तर2	स्तर3	कुल
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां				
(i) व्यापार प्राप्त्य	94,429.78	-	-	94,429.78
(ii) नकद और बैंक शेष	1,752.84	-	-	1,752.84
(iii) ऋण	28.19	-	-	28.19
(iv) अन्य	23,225.20	-	-	23,225.20
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय आस्तियां	1,19,436.01	-	-	1,19,436.01
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है				
(i) ऋण	7,04,959.94	-	-	7,04,959.94
(ii) व्यापार और अन्य देय *	32,517.25	-	-	32,517.25
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	50,205.85	-	-	50,205.85
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय देनदारियां	7,87,683.04			7,87,683.04

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक			
	स्तर1	स्तर2	स्तर3	कुल
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां				
(i) व्यापार प्राप्त्य	48,776.49	-	-	48,776.49
(ii) नकद और बैंक शेष	5,353.55	-	-	5,353.55
(iii) ऋण	26.16	-	-	26.16
(iv) अन्य	35,806.83	-	-	35,806.83
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय आस्तियां	89,963.03	-	-	89,963.03
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है				
(i) ऋण	7,45,737.92	-	-	7,45,737.92
(ii) व्यापार और अन्य देय *	30,125.35	-	-	30,125.35
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	10,143.72	-	-	10,143.72
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय देनदारियां	7,86,006.99			7,86,006.99

* व्यापार और अन्य देनदारियों में पूंजीगत व्यय के लिए देय व्यापार और देय राशि शामिल हैं

अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधन लागत पर बताया गया है जो उनके उचित मूल्य के लगभग बराबर है। गैर-उद्धृत इक्विटी निवेशों के संबंध में उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता है।

प्रबंधन अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालांकि, किसी भी अनुमान तकनीक में अंतर्निहित सीमाएं हैं। इसलिए, पर्याप्त रूप से सभी वित्तीय साधनों के लिए, ऊपर प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन सभी राशियों का संकेत नहीं है जो कंपनी संबंधित तारीखों के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। जैसे, संबंधित रिपोर्टिंग तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक वर्ष के अंत में रिपोर्ट की गई राशि से भिन्न हो सकता है।

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्षों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

वित्तीय संपत्तियों का हस्तांतरण

2022-23 के दौरान वित्तीय संपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी को मुख्य रूप से ब्याज दरों, चलनिधि और क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों जैसे ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम से जुड़े जोखिमों को कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। जोखिम प्रबंधन ढाँचे का उद्देश्य है:

कंपनी की व्यवसाय योजना पर मुद्रा और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करके एक स्थिर व्यवसाय नियोजन वातावरण बनाएं।

अपेक्षित कमाई का वित्तीय मूल्य पहले से निर्धारित करके कमाई के बारे में अधिक पूर्वानुमान प्राप्त करें।

बाजार जोखिम: बाजार जोखिम भविष्य की कमाई, वसूली योग्य उचित मूल्यों या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बदल सकता है। भविष्य की विशिष्ट बाजार गतिविधियों का सामान्यतः उचित सटीकता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

क्रेडिट जोखिम: क्रेडिट जोखिम अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्षकार द्वारा ऋण चुकाने या सेवा ऋण की विफलता से उत्पन्न वित्तीय नुकसान का जोखिम है। ऋण जोखिम में चूक का प्रत्यक्ष जोखिम और साख के ह्रास का जोखिम तथा साथ ही संकेंद्रण जोखिम दोनों शामिल हैं।

चलनिधि जोखिम: चलनिधि जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जिसके कारण कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए धनराशि उपलब्ध है।

निम्नलिखित तालिका बिना छूट के आधार पर कंपनी की गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए देय ब्याज सहित प्रत्याशित नकदी प्रवाह का परिपक्वता विश्लेषण दिखाती है, जो इसलिए मूल्य और उचित मूल्य दोनों से भिन्न होती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक				
	वहन राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां					
ऋण	7,04,959.94	7,04,959.94	1,17,811.20	4,06,318.99	1,80,829.75
व्यापार देनदारियाँ	32,517.25	32,517.25	19,140.46	13,376.79	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	50,205.85	50,205.85	49,727.21	478.64	-
कुल गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां	7,87,683.04	7,87,683.04	1,86,678.87	4,20,174.42	1,80,829.75
व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां					

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक				
	वहन राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					
ऋण	7,45,737.92	7,45,737.92	1,65,546.00	4,56,761.11	1,23,430.81
व्यापार देनदारियाँ	30,125.35	30,125.35	21,466.10	690.88	-
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	10,143.72	10,246.31	10,246.31	-	-
कुल गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ	7,86,006.99	7,86,109.58	1,97,258.41	4,57,451.99	1,23,430.81
व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					

गैर-उद्धृत निवेश की लागत उचित मूल्य का अनुमान लगाती है क्योंकि एक विस्तृत श्रृंखला संभव उचित मूल्य माप है और लागत उस सीमा के भीतर उचित मूल्य के अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट संख्या 42: ऑपरेटिंग खंड

- ए. विद्युत उत्पादन निगम का प्रमुख कार्य है। अन्य संचालन जैसे ब्याज आय लेखा मानक 108 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं बनाती है।
बी. निगम के पास देश के भीतर स्थित विद्युत परियोजनाएं हैं और इसलिए भौगोलिक खंड अनुपयुक्त हैं।

नोट संख्या 43: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) क्रेडिट जोखिम के लिए एक्सपोजर

वित्तीय आस्तियों की अग्रणीत राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम के लिए अधिकतम एक्सपोजर था:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है।		
गैर-वर्तमान निवेश		
गैर-वर्तमान ऋण	28.19	26.16
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
नकद और नकदी के समतुल्य	1,461.34	4,344.49
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	291.50	1,009.06
वर्तमान ऋण	1,187.43	1,429.36
अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्ति*	1,002.45	4,820.53
कुल (ए)	3,970.91	11,629.60
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ता को सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	94,429.78	48,776.49
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	21,035.32	29,556.94
कुल (बी)	1,15,465.10	78,333.43
कुल (ए+बी)	1,19,436.01	89,963.03

* संविदा आस्तियों को छोड़कर (नोट 13 देखें)

(ii) अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान

(ए) वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता को सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आजीवन अपेक्षित ऋण हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक (राज्य सरकार की सुविधाएं) हैं और इसलिए चूक का जोखिम नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि डिफॉल्ट से अधिक के कारण बकाया राशि नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया राशि अभी भी ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहक ऋण जोखिम के व्यापक विश्लेषण के आधार पर पूरी तरह से संग्रहणीय है। इसलिए, व्यापार प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी हानि हानि को मान्यता नहीं दी गई है।

(iii) व्यापार प्राप्तियों का एजिंग विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का पुराना विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

एजिंग	देय नहीं	0 - 30 दिन पहले का बकाया	31-60 दिन पिछले का बकाया	61-90 दिन पिछले का बकाया	91-120 दिन पिछले का बकाया	120 दिन से अधिक समय बीत चुका है	कुल
31 मार्च 2023 तक सकल वहन राशि	76,558.90	6,822.65	14.08	-	-	11,034.15	94,429.78
31 मार्च 2022 को सकल वहन राशि	33,536.25	3,466.93	-	-	-	11,773.31	48,776.49

चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। लिक्विडिटी के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम के बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों के तहत, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त लिक्विडिटी होगी।

कंपनी के पास लघु, मध्यम और दीर्घकालिक वित्त पोषण और चलनिधि प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त चलनिधि जोखिम प्रबंधन रूप रेखा है। कंपनी लगातार पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त नकदी भंडार, बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी का ट्रेजरी विभाग कंपनी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलनिधि आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार है। अल्पकालीन चलनिधि की स्थिति की दैनिक रूप से ट्रेजरी विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल ने चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां स्थापित की हैं और कंपनी का ट्रेजरी विभाग ऐसी नीतियों के अनुरूप काम करता है। इन नीतियों के किसी भी उल्लंघन की सूचना निदेशक मंडल को दी जाती है। निदेशक मंडल द्वारा दीर्घावधि चलनिधि स्थिति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिए जाते हैं।

आमतौर पर, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित एक महीने के लिए अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है, इसमें उन चरम परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है, जिनका यथोचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं।

सीईआरसी विनियमों के भाग के रूप में, टैरिफ में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत लागत की वसूली शामिल है। टैरिफ विनियमों में ऊर्जा प्रभारों की वसूली, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय तथा मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर ब्याज की भी व्यवस्था है। चूंकि ग्राहकों को बिलिंग आम तौर पर मासिक आधार पर होती है, कंपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखती है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ लाखों में)

विवरण	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
निर्धारित दर ऋण		
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
फ्लोटिंग-रेट उधार		
नकद ऋण/डबल्यूसीडीएल	99,011.00	19,500.00
सावधि ऋण	20,000.00	65,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
कुल	1,19,011.00	84,500.00

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

31 मार्च 2023

(₹ लाखों में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	संविदात्मक नकदी प्रवाह					
	3 महीने या उससे कम	3-12 महीने	1-2 साल	2-5 साल	5 साल से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां						
सुरक्षित बांड	5,799.44	62,000.00	77,000.00	1,53,500.00	66,500.00	3,64,799.44
असुरक्षित बांड	26.96	-	-	-	20,000.00	20,026.96
बैंकों से रुपया सावधि ऋण	5,197.50	16,975.00	30,800.00	1,10,800.00	73,200.00	2,36,972.50
अन्यों से रुपया सावधि ऋण	(71.46)	-	-	-	29,196.42	29,124.96
वित्त पट्टा दायित्व	151.92	455.75	341.20	137.43	-	1,086.30
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-	-	-	-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	3,696.09	3,285.91	6,571.82	19,715.46	6,870.22	40,139.50
कैश क्रेडिट/डबल्यूसीडीएल	22,054.36	-	-	-	-	22,054.36

31 मार्च 2022

(₹ लाखों में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	संविदात्मक नकदी प्रवाह					
	3 महीने या उससे कम	3-12 महीने	1-2 साल	2-5 साल	5 साल से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां						
सुरक्षित बांड	8,629.04	63,450.00	62,000.00	1,95,000.00	1,32,000.00	4,61,079.04
असुरक्षित बांड	26.44	-	-	-	20,000.00	20,026.44
बैंकों से रुपया सावधि ऋण	3,341.01	14,375.00	22,500.00	80,000.00	37,500.00	1,57,716.01
अन्यों से रुपया सावधि ऋण	(72.32)	-	-	-	29,196.42	29,124.10
वित्त पट्टा दायित्व	135.14	438.50	295.29	142.90	-	1,011.83
विदेशी मुद्रा ऋण	1,954.89	5,831.08	5,834.11	-	-	13,620.08
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	3,530.73	3,104.48	6,208.96	18,626.87	12,699.83	44,170.87
कैश क्रेडिट/डबल्यूसीडीएल	24,312.43	-	-	-	-	24,312.43

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन, जैसे विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दरों से कंपनी की आय को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मानकों के भीतर बाजार जोखिम जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है, जबकि रिटर्न का अनुकूलन करना है।

निदेशक मंडल कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। ऐसे सभी लेन-देन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किए जाते हैं।

मुद्रा जोखिम

कंपनी कुछ लेनदेन पर विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं, इसलिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। जोखिम यह है कि विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह का कार्यात्मक मुद्रा मूल्य अलग-अलग होगा।

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मुद्रा प्रोफाइल निम्नवत दी गई है

31 मार्च 2023 (₹ लाखों में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	कुल
वित्तीय संपत्ति			
अन्य प्राप्त व्यापार	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-
अन्य वित्तीय संपत्ति	-	-	-
कुल			
वित्तीय देनदारियों			
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	40,139.50	40,139.50
व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	-
कुल	-	40,139.50	40,139.50

31 मार्च 2022 (₹ लाखों में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	कुल
वित्तीय संपत्ति			
अन्य प्राप्त व्यापार	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-
अन्य वित्तीय संपत्ति	-	-	-
कुल	-	-	-
वित्तीय देनदारियों			
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	13,620.08	-	13,620.08
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	44,170.87	44,170.87
व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	-
कुल	13,620.08	44,170.87	57,790.95

उपरोक्त में से कोई भी राशि डेरिवेटिव इन्स्ट्रुमेंट द्वारा बचाव नहीं की जाती है। शेष एक्सपोजर के संबंध में, सभी विदेशी मुद्रा ऋणों और विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों (सीओडी तक) पर विनिमय दर भिन्नता के कारण लाभ/(हानि) लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसलिए, ऐसे एक्सपोजर के संबंध में मुद्रा जोखिम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा।

संवेदनशीलता विश्लेषण

चूंकि लाभ और हानि के विवरण पर यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले आईएनआर के मजबूत होने या कमजोर होने का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा; इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है।

ब्याज दर जोखिम

समूह चल ब्याज दरों के साथ गैर-मौजूदा उधारी से मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाली ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। समूह ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग दर उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार-चढ़ाव होगा। समूह विभिन्न शर्तों के साथ विभिन्न प्रकार की ऋण व्यवस्थाओं में प्रवेश करके ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करता है (जैसे निश्चित दर ऋण, फ्लोटिंग दर ऋण, रुपया अवधि ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, आदि)।

रिपोर्टिंग तिथि पर समूह के ब्याज-असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्तीय पूंजी		
निश्चित दर लिखत		
बैंक जमा	291.50	1,009.06
कुल	291.50	1,009.06
वित्तीय देनदारियों		
निश्चित दर लिखत		
बांड	3,84,826.40	4,81,105.48
विदेशी मुद्रा ऋण	40,139.50	44,170.86
रुपया सावधि ऋण	29,124.96	29,124.10
पट्टा दायित्व	1,086.31	1,011.83
कुल	4,55,177.17	5,55,412.27
परिवर्तनीय दर उपकरण		
विदेशी मुद्रा ऋण	-	13,620.09
रुपया सावधि ऋण	2,36,972.50	1,57,716.01
नकद उधार	-	-
कुल	2,36,972.50	1,71,336.10
कुल	6,92,149.67	7,26,748.37

नियत दर वाले लिखतों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के फिक्स्ड रेट लिखतों को परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर लिखतों के लिए नकदी प्रवाह संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज दरों में 50 आधार अंकों के परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों से लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) होती। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा दरों में स्थिर रहते हैं। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया जाता है।

(₹ लाखों में)

विवरण	लाभ या हानि	
	50 बीपी वृद्धि	50 बीपी कमी
31-मार्च-23		
विदेशी मुद्रा ऋण	(204.48)	204.48
रुपया सावधि ऋण	(2,950.31)	2,950.31
नकद ऋण/डबल्यूसीडीएल	(2.14)	2.14
कुल	(3,156.93)	3,156.93
31-मार्च-22		
विदेशी मुद्रा ऋण	(274.27)	274.27
रुपया सावधि ऋण	(3359.85)	3359.85
नकद ऋण/डबल्यूसीडीएल	(7.90)	7.90
कुल	(3642.02)	3642.02

नोट संख्या 44: परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति					
ऋण	3	28.19	28.19	26.16	26.16
व्यापार प्राप्तियां	3	94,429.78	94,429.78	48,776.49	48,776.49
नकद और नकदी के समतुल्य	3	1,461.34	1,461.34	4,344.49	4,344.49
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	3	291.50	291.50	1,009.06	1,009.06
अन्य वित्तीय संपत्ति	3	23,225.20	23,225.20	35,806.83	35,806.83
वित्तीय देनदारियों					
बांड	3	3,84,826.40	3,95,797.48	4,81,105.48	4,94,100.83
विदेशी मुद्रा ऋण - केएफ़डबल्यू	3	40,139.50	39,091.55	44,170.86	46,824.99
विदेशी मुद्रा ऋण - ईसीबी	3	-	-	13,620.09	13,620.09
रुपया सावधि ऋण	3	2,36,972.50	2,36,972.50	1,57,716.01	1,57,716.01
सरकारी अधीनस्थ ऋण	3	29,124.96	11,044.06	29,124.10	9,163.57
पट्टा दायित्व	3	1,086.31	1,086.31	1,011.83	1,011.83
उधार - चल	3	22,054.36	22,054.36	24,312.43	24,312.43
व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय	3	32,517.25	32,517.25	30,125.35	30,125.35
अन्य वित्तीय देनदारियां	3	49,119.55	49,119.55	9,131.89	9,131.89

वर्तमान व्यापार प्राप्य राशि, चालू व्यापार देय, पूंजीगत व्यय के लिए देय, सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है, उनके कम होने के कारण - अल्पकालिक अवधि।

ऋण, उधार, गैर-वर्तमान व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय के उचित मूल्यों की गणना वर्तमान छूट दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। उन्हें उद्धृत कीमतों की उपलब्धता और अवलोकन योग्य / गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के समावेश के आधार पर संबंधित स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है।

नोट संख्या 45: इंड एस 115 के अनुसार प्रकटीकरण, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में ऊर्जा बिक्री से आय, व्यापार और अन्य सेवाओं के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री शामिल है। निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का विवरण है:

(ए) ऊर्जा बिक्री से राजस्व

कंपनी का प्रमुख राजस्व ऊर्जा बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों एवं मुख्य रूप से राज्यों में संचालित राज्य सरकारों के डिस्कॉम के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिताओं को बिजली बेचती है। बिजली की बिक्री आम तौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, कंपनी "मर्चेन्ट पावर" के तहत उनके पास उपलब्ध पावर एक्सचेंजों के माध्यम से बिजली बेचती है

ऊर्जा बिक्री के लिए अनुबंधों के तहत प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद / सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
ऊर्जा की बिक्री	कंपनी समय के साथ ऊर्जा बिक्री के लिए अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। ऊर्जा बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ समय-समय पर अधिसूचित सीईआरसी विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। बिजली की बिक्री केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर की जाती है। उन बिजली स्टेशनों के मामले में जहां सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ को मंजूरी दी जानी बाकी है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर ऊर्जा की बिक्री प्रदान की जाती है। उन परियोजनाओं के लिए जिनके लिए न तो सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर किया जाता है। राशियाँ मासिक आधार पर बिल की जाती हैं और अनुबंधित क्रेडिट अवधि के भीतर देय होती हैं।

(बी) ऊर्जा व्यापार, परामर्श और अन्य सेवाओं से राजस्व

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के लिए अनुबंधों के तहत प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद / सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री	कंपनी समय के साथ व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के अनुबंधों से राजस्व को पहचानती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ समझौतों की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों को अनुबंध में निर्दिष्ट आवधिकता के अनुसार बिल किया जाता है और संविदात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होते हैं।

II. आय का पृथक्करण

निम्नलिखित तालिका में, आय को उत्पाद और सेवाओं के प्रकार, भौगोलिक बाजार और आय मान्यता के समय से अलग किया जाता है:

विवरण	ऊर्जा का उत्पादन		अन्य		कुल	
	समाप्त हुए वर्ष के लिए		समाप्त हुए वर्ष के लिए		समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
भौगोलिक बाजार						
भारत	4,41,018.53	3,06,075.81	6,281.47	3,415.45	4,47,300.00	3,09,491.26
अन्य						-
	4,41,018.53	3,06,075.81	6,281.47	3,415.45	4,47,300.00	3,09,491.26
आय मान्यता का समय						
समय के साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	4,41,018.53	3,06,075.81	6,281.47	3,415.45	4,47,300.00	3,09,491.26
	4,41,018.53	3,06,075.81	6,281.47	3,415.45	4,47,300.00	3,09,491.26

III. अनुबंध मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुबंध मूल्य	4,49,958.85	3,11,286.91
के हेतु समायोजन:		
छूट	(2658.85)	(1795.65)
राजस्व मान्यता प्राप्त	4,47,300.00	3,09,491.26

IV. अनुबंध शेष

अनुबंध की परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब अनुबंधों पर बिलों पर अर्जित राजस्व से अधिक हो। नकद प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार होने पर अनुबंध की संपत्ति को बिना बिल किए राजस्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और संविदात्मक शर्तों के अनुसार केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है। अनुबंध देनदारियां मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित होती हैं जिन्हें 'ग्राहकों से अग्रिम/लाभार्थियों को देय' कहा जाता है।

निम्न तालिका व्यापार प्राप्तियों, बिल न किए गए राजस्व और ग्राहकों से अग्रिम / लाभार्थियों को देय के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक		32 मार्च 2022 तक	
	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान
व्यापार प्राप्तियां	94,429.78	-	48,776.49	-
अनुबंध परिसंपत्तियां	21,035.32	-	29,556.94	-
ग्राहकों से अग्रिम / लाभार्थियों को देय	3,660.06	-	1,342.73	-

नोट संख्या 46: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	508.57	545.98
(ii) खर्च की गई राशि #	508.78	556.66
(iii) वर्ष के अंत में कमी	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	शून्य	शून्य
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति		
(ए) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	271.88	337.00
(बी) उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	236.90	219.66
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, जैसे, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	शून्य	शून्य

(viii) सीएसआर देयता में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष सीएसआर देयता (ए)	540.67	544.72
वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित (बी)	444.55	460.07
वर्ष के दौरान वृद्धि ©	224.58	456.02
वर्ष के अंत में अंतिम शेष (डी = ए-बी + सी) ##	320.70	540.67

(ix) प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर खर्चों का व्योरा:

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1. भूख और गरीबी का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	281.06	196.35
2. शिक्षा और कौशल विकास	105.99	172.63
3. ग्रामीण विकास	121.73	187.68
कुल	508.78	556.66

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए : 508.78 लाख रुपये में मंजूरी से अधिक किया गया व्यय शामिल है (टीजीबीपीएस के लिए) 0.21 लाख रुपये । 31.03.2023 को सीएसआर चालू परियोजनाओं और सीएसआर अव्ययित शेष में प्रदर्शित राशि (वित्तीय वर्ष के अनुसार विवरण)

वित्तीय वर्ष	चालू परियोजनाओं पर सी.एस.आर	सीएसआर अव्ययित
2022-2023	₹. 199.42 लाख	₹. 11.86 लाख
2021-2022	₹. 81.84 लाख	₹. 13.21 लाख
2020-2021	₹. 14.28 लाख	₹. 0.09 लाख
कुल	₹. 295.54 लाख	₹. 25.16 लाख

“सीएसआर चालू परियोजना के तहत शेष राशि: ₹. 295.54 लाख और सीएसआर के तहत शेष राशि ₹. 25.16 लाख

नोट संख्या 47: सूची पर प्रकटीकरण

(ए) वर्ष के दौरान व्यय के रूप में उपभोग और मान्यता प्राप्त माल की राशि निम्नानुसार है '

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
ईंधन लागत	1,44,849.84	57,354.86
अन्य (नोट 33 में शामिल - अन्य खर्चें)	2,430.11	3,827.22
कुल	1,47,279.95	61,182.08

* 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत की गई आयातित सामग्री शामिल है, जो 21.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 212.25 लाख रुपये) है।

नोट संख्या 48: आयकर से संबंधित प्रकटीकरण

(i) इंड एएस 12 “आयकर” के अनुसार प्रकटीकरण

(ए) आयकर व्यय

i) लाभ और हानि के विवरण में आयकर को मान्यता दी गई है

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान साल	11,488.84	5,676.88
पहले के वर्षों के लिए कर	-	-
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित (ए)	1,468.19	1,619.88
कुल वर्तमान कर व्यय (बी)	12,957.03	7,296.76

आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण (सी)	22,154.15	14,819.16
घटाकर : मैट क्रेडिट पात्रता		
आयकर व्यय (डी = बी + सी-ए)	33,642.99	20,496.04
विनियामक स्थगन खाता शेष से संबंधित	1,468.19	1,619.88
विनियामक स्थगन खाते में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	35,111.18	22,115.92

(ii) अन्य व्यापक आय में आयकर को मान्यता दी गई (₹ लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए					
	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
	कर पूर्व	कर व्यय	निवल कर	कर पूर्व	कर व्यय	निवल कर
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक हानि	(642.43)	(112.25)	(530.18)	(1582.69)	(276.53)	(1306.16)

(iii) भारत के घरेलू कर की दर से कर व्यय और लेखा लाभ को गुणा करने का समाधान

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 हेतु	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 हेतु
नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कर पूर्व लाभ	74,801.26	43,345.29
कंपनी की घरेलू दर 17.472% (31 मार्च 2023 -34.944%) का उपयोग कर कर प्रभाव: :	13,069.28	7,573.29
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	(112.25)	(276.53)
कर मुक्त आय	-	-
आस्थगित कर व्यय	22,154.15	14,819.16
पिछले वर्ष कर देयता	-	-
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन		
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल कर व्यय	35,111.18	22,115.92

नोट संख्या 49: शेष राशि की पुष्टि

ठेकेदारों को पूंजीगत अग्रिम, देय व्यापार और पारगमन में/ठेकेदार के साथ/ऋण पर जारी की गई सामग्री, व्यापार प्राप्य, प्राप्य खातों के तहत दिखाए गए शेष राशि पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

नोट संख्या 50: हानि

संपत्ति संयंत्र और उपकरण को हानि के लिए परीक्षण किया गया है जहां हानि के संकेतक मौजूद हैं। मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी में पिछले वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

नोट संख्या 51: पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है, पुनः कास्ट किया गया है और जहां भी संभव हो एवं आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित किया गया है।

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023 ए. पी. रोंग
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

बी.महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्वाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (वेंचर कंपनी) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई (सामूहिक रूप से “कंपनी” के रूप में संदर्भित) के समेकित इंड एस वित्तीय वक्तव्यों के रूप में लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाओं का सारांश शामिल है। (इसके बाद वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित के रूप में संदर्भित किया गया)

हमारी राय तथा जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नीचे उल्लेखित अन्य विषय के पैराग्राफ में संयुक्त उद्यम इकाई के गैर लेखाकृत पृथक इंड एस वित्तीय विवरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम), विद्युत अधिनियम 2003 तथा सीईआरसी विनियमों के अनुसार और अनुरूप मांगी गई आवश्यक सूचनाएं उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण में उपलब्ध है। भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप 31 मार्च 2022 में कंपनी की वित्तीय स्थिति, इसके वित्तीय प्रदर्शन सहित समेकित अन्य व्यापक आय, इसके समेकित प्रवाह और वर्ष की समाप्ति के तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी में परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह।

टिप्पणी के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों (एसएएस) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण कार्य किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को यथावर्णित हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां को और आगे वर्णित किया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ कंपनी के अधिनियम, 2013 और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा से संबंधित हमारी नैतिक आवश्यकताओं के पालन में हम, कंपनी की ओर से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

ध्यान देने योग्य बातें

हम इंड एस समेकित वित्तीय विवरण के नोट में निम्न मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. नोट संख्या 2(v) 2485.44 लाख रुपये के पूंजीकरण के संबंध में, जो पिछले वर्षों के लिए पीजीसीआईएल द्वारा बिल किए गए ब्याज सहित ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों पर क्षमता शुल्क है।
2. नोट संख्या 27(बी) के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीति 17.1(ए)(ii) में ऊर्जा की बिक्री के संबंध में 10045.51 लाख रुपये शामिल हैं जो कि अनंतिम दर के आधार पर मान्यता प्राप्त वर्ष के लिए राजस्व है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा-जोखा तथा हमारी राय बनाने में, आदि के संदर्भ में संबोधित किया गया और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। उद्यमकर्ता कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से नीचे उल्लिखित मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और मूल्यांकन कंपनी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व रिकॉर्ड करती है और जहां सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ को मंजूरी दी जानी है, अनंतिम राजस्व को पहले प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर मान्यता दी जाती है। सीईआरसी टैरिफ याचिका के माध्यम से जहां न तो अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, वहां ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 17.1(ए) के साथ पढ़ें नोट संख्या 27 देखें।)	हमारी ऑडिट प्रक्रिया: हमने सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की है, जिसमें क्षमता और ऊर्जा शुल्क वाली ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की मान्यता और माप के संबंध में और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया है: <ul style="list-style-type: none"> - ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान और मूल्यांकन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के कंपनी के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। - कंपनी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार गणना किए गए अनंतिम टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से राजस्व के साथ-साथ ऊर्जा की बिक्री से अनंतिम राजस्व के लेखांकन का सत्यापन।
2.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के मूल्य वहन करने की हानि का आकलन कंपनी के पास बिजली के उत्पादन से संबंधित एक सामग्री परिचालन परिसंपत्ति आधार (पीपीई) है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करने के लिए घटकों में से एक है, जो हानि के लिए कमजोर हो सकता है। पीपीई के वहन मूल्य के लिए विद्युत संयंत्रों (नकद पैदा करने वाली इकाइयों) से जुड़े भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर हानि मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, (महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 5 के साथ पढ़ें नोट संख्या 50 देखें)	हमारी ऑडिट प्रक्रिया: हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: <ul style="list-style-type: none"> - इंडस्ट्रीज़ एएस 36 “संपत्ति की क्षति” के अनुसार हानि के संबंध में कंपनी की लेखा नीतियां पढ़ें। - साक्ष्य के निरीक्षण के माध्यम से लेखांकन, मूल्यांकन और संपत्ति की वसूली से संबंधित प्रमुख वित्तीय नियंत्रणों पर नियंत्रण का प्रदर्शन किया। - मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया, जिनमें शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> i) प्रबंधन की हानि का आकलन प्राप्त किया ii) अनुमानित उत्पादन, ईंधन की कीमतें, विनिमय दर, ऊर्जा की कीमतें, बिजली खरीद समझौते के बाद की अवधि और पूंजी की भारित औसत लागत सहित प्रमुख मान्यताओं का मूल्यांकन, पूर्व वर्षों और बाहरी डेटा, जहां उपलब्ध हो, के साथ तुलना करके किया। iii) संवेदनशीलता विश्लेषण प्राप्त और मूल्यांकन किया। - रिलायंस को पूरा होने की समय-सीमा, उत्पादन की मात्रा और परिणामी राजस्व के लिए अपेक्षित शुल्क के आधार पर प्रबंधन अनुमानों पर रखा गया है।

3. आकस्मिक देयता**हमारी ऑडिट प्रक्रिया:**

कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे/दावे लंबित हैं। कंपनी के खिलाफ किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं और इसमें शामिल राशि का अनुमान लगाने और उनके उचित प्रकटीकरण के लिए प्रबंधन का निर्णय आवश्यक है।

इसके प्रकटीकरण में मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन के निर्णय का एक महत्वपूर्ण अंश शामिल है और देयता की घटना की संभावना का आकलन करना जो प्रबंधन पूर्वाग्रह के अधीन हो सकता है।

(समेकित वित्तीय विवरण का नोट संख्या 36 देखें।)

हमने दिनांक 31.03.2023 तक विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थता/अर्ध-न्यायिक मंचों आदि के समक्ष लंबित मामलों/विवादों/दावों का विवरण प्रबंधन से नवीनतम स्थिति और उसी के लिए प्रबंधन के मूल्यांकन के साथ प्राप्त किया है।

हमने इस संबंध में कंपनी की लेखा नीति और उसके प्रकटीकरण को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्राप्त किया है।

हमने लंबित मुकदमेबाजी/मामलों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और परीक्षण किया।

हमने प्रबंधन के साथ उनके मूल्यांकन के आधार और किसी भी सामग्री के विकास और दावों/विवादों के संभावित परिणामों के बारे में चर्चा की।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट सहित निदेशक की जिम्मेदारी विवरण और कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उपरोक्त दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम उपरोक्त बताए गए अनुसार अन्य जानकारी पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें शासन के आरोपित लोगों को मामले के बारे में बताना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है जो समेकित वित्तीय विवरण स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में समेकित परिवर्तन, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) सहित, पढ़ें इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ और बिजली अधिनियम, 2003 और प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) विनियमन और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

संबंधित निदेशक मंडल की इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान बनाने वाली उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन शामिल है। पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड

की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो जिसका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, उद्यमकर्ता कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई कंपनी की एक चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा लागू हो, गोडंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करना और चल रही चिंता का उपयोग करना लेखांकन के आधार पर जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल या तो संबंधित संस्थाओं को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

संबंधित निदेशक मंडल उद्यमकर्ता कंपनी और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानक (एसए) के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है;
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता;
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें;
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है;

- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उद्यमकर्ता कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल केवल ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय वक्तव्यों में शामिल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है, उनके निदेशक इसके निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।
- भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

(i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मातात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, उद्यमकर्ता कंपनी के प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों के लिए।

अन्य विषय

हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय विवरणों के रूप में इंडस्ट्रीज़ के ऑडिट का ऑडिट नहीं किया। प्रबंधन द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के गैर-लेखा परीक्षित इंड एस वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2023 तक समेकित बैलेंस शीट में रुपये 443.13 लाख का निवेश दर्शाता है और 31 मार्च 2023 को संयुक्त उद्यम के ऐसे अनधिकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित लाभ और हानि पर संयुक्त उद्यम के लाभ का हिस्सा रुपये 1.87 लाख है जिसे इक्विटी पद्धति के तहत हिसाब लगाया गया। समेकित इंड एस वित्तीय विवरण में संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई से संबंधित यथा संबंधित शामिल किए गए राशि तथा प्रकटीकरण पर हमारे विचार तथा यथा संबंधित उपरोक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई पर इस अधिनियम की धारा 143 (3) एवं 143 (11) के संबंध में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से गैर-लेखाकृत इंड एस वित्तीय विवरण पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अलेखापरीक्षित और अहस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 ;3द्ध के आवश्यकता अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि

- 1) हमने सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरणों की मांग की है और जो हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम हैं, वित्तीय विवरणों के रूप में उपरोक्त समेकित इंड एएस के हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।
- 2) हमारी राय में, वित्तीय विवरणों के रूप में उपरोक्त समेकित इंड एएस की तैयारी से संबंधित कानून के अनुसार उचित लेखा पुस्तकों को अभी तक रखा गया है क्योंकि जो उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।
- 3) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण, नकदी प्रवाह के समेकित विवरण और इस रिपोर्ट के साथ पेश किए गए इक्विटी में बदलाव के समेकित ब्योरे समेकित इंड एएस की तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए खातों की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित हैं।
- 4) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
- 5) एक सरकारी कम्पनी होने की स्थिति में, अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा के प्रावधान (2), उद्यमकर्ता कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- 6) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट करना उद्यमकर्ता कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- 7) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक ए और हमारी अलग रिपोर्ट को देख और।
- 8) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अन्य मामलों को शामिल करने के संबंध में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, जैसा कि संशोधित है, हमारी राय में और हमारी जानकारी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर हमें दिए गए स्पष्टीकरण इस प्रकार है। उद्यम कंपनी ने अपने समेकित वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरण के नोट संख्या 36 का सन्दर्भ लें।
 - I. उद्यम कंपनी की और से प्रावधान किया गया है, लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक, मटेरियल के संभावित नुकसान के लिए, अगर कोई है तो, लम्बी अवधि के अनुबंध पर। तथा
 - II. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्यम कम्पनी के पास निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए किसी भी राशि के हस्तांतरण का कोई मामला नहीं है।
 - III.
 - क) वेंचरर कंपनी के प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) उद्यमकर्ता कंपनी विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। वेंचरर कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना।
 - ख) वेंचरर कंपनी के प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वेंचरर कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि वेंचरर कंपनी फंडिंग पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम

लाभार्थियों") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी, या कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उसके समान; और

ग) ऐसी ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर जिसे परिस्थितियों में उचित और उचित माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त उप खंड (iv) (ए) और (iv) (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलतता है -कथन।

i) क) पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, घोषित और भुगतान किया गया

वेंचरर कंपनी द्वारा वर्ष, जैसा लागू हो, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

ख) वर्ष के दौरान वेंचरर कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

- 9) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- 10) वेंचर कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, इसलिए इसकी सीएआरओ रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए, हम संयुक्त उद्यम कंपनी की सीएआरओ रिपोर्ट में किसी भी योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कृते एल. के. केजरीवाल एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफ.आर.एन. : 001368सी

(राकेश सांगनेरिया)

पार्टनर

सदस्यता संख्या. 073232

यूडीआईएन:23073232बीजीपीडबल्यूजेएम 4252

स्थान : कैप - दिल्ली

दिनांक : 16-05-2023

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 (जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143(3)(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के साथ, हमने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('वेंचरर कंपनी') और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है, जो उस तिथि तक भारत में निगमित कंपनी है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन के दायित्व

उद्यम कंपनी और भारत में निगमित इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंधित निदेशक मंडल प्रबंधन, कंपनी आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक पहलुओं इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नोट में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए संबंधित कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित और तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इनमें ऐसे प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन क्रियान्वयन तथा बनाये रखने का उत्तरदायित्व शामिल है जिससे कि अपने व्यापार को सही और प्रभावी रूप से चलाने की सुनिश्चितता के साथ-साथ संबंधित कम्पनी की नीतियों का अनुपालन इसकी परिसंपत्तियों को सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, लेखा रिकार्डों की सटीकता और शिकायत रहित तथा समय से विश्वसनीय वित्तीय सूचना को तैयार करने से सम्बंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी उत्तरदायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हम, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा में यथालागू वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानदंड और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत यथा विधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लेखा परीक्षा करते हैं। इन मानदंडों तथा दिशानिर्देश नोट में आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजना का पालन करें और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग का इस तरह से लेखा परीक्षण करें जिससे इसकी पर्याप्त रूप से स्थापित तथा लागू होने का निष्कर्ष निकाला जा सके एवं यह कहा जा सके कि यह नियंत्रण सम्पूर्ण रूप से प्रभावी है।

हमारे ऑडिट में समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं,

इसमें समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वेंचरर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रियाओं के तर्कसंगत विवरण तथा आम तौर पर स्वीकार्य लेखा के सिद्धांतों पर बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना होता है।

किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग ऐसी नीतियां तथा पद्धतियां शामिल होती हैं जिसमें (1) रिकार्डों का सही ढंग से रखना, तर्कसंगत विवरण तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन को सही और स्पष्ट रूप से दर्शाना, (2) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण को तैयार करना जिसमें यह व्यावहारिक रूप से दर्शाया गया हो कि उक्त सिद्धांत के अनुरूप ही लेनदेन किया गया है तथा कंपनी की प्राप्ति और व्यय का प्रबंधन तथा कम्पनी के निदेशकों की स्वीकृति के आधार पर किया गया है तथा (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत तौर हासिल, उपयोग या नष्ट करने से रोकने या समय से पता लगाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का तार्किक सन्दर्भ देना जिसके न होने से समेकित वित्तीय विवरण के विषय वस्तु पर प्रभाव पड़ना।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग की निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है,

विचार

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उद्यमकर्ता कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए वेंचरर कंपनी द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया था।

अन्य मामलों

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई से संबंधित है, जो एक कंपनी भारत में निगमित ऐसी कंपनी के संबंधित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, वेंचरर कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रभावित नहीं होती है क्योंकि संयुक्त उद्यम कंपनी के अनऑडिटेड वित्तीय विवरण वेंचरर कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कृते एल. के. केजरीवाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. : 001368सी

(राकेश सांगनेरिया)
पार्टनर

सदस्यता संख्या. 073232
यूडीआईएन:23073232बीजीपीडबल्यूजेएम 4252

स्थान : कैप - दिल्ली
दिनांक : 16-05-2023

अंश - I: 31 मार्च 2023 तक का समेकित तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
परिसंपत्तियाँ				
1.	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
	(ए) संपाती, संयंत्र तथा उपकरण	2	12,42,505.49	12,91,027.95
	(बी) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	1,14,194.44	61,842.58
	(सी) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	8,664.64	9,181.06
	(डी) विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4ए	96.00	257.77
	(इ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(क) सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	5	443.13	445.00
	(ख) ऋण	6	28.19	26.16
	(एफ) आस्थगित कर परिसंपत्ति (सकल)	7		
	(जी) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	8	18,179.20	18,303.10
	उप कुल - गैर-वर्तमान परिसंपत्ति		13,84,111.09	13,81,083.62
2.	वर्तमान संपत्ति			
	क) इन्वेंटरी	9	12,516.05	15,099.24
	ख) वित्तीय संपत्ति			
	(i) व्यापार प्राप्तियाँ	10	94,429.78	48,776.49
	(ii) नकद और नकदी के समतुल्य	11	1,461.34	4,344.49
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	12	291.50	1,009.06
	(iv) अन्य	13	23,225.20	35,806.83
	ग) वर्तमान कर संपत्ति (सकल)	14	-	141.20
	घ) अन्य वर्तमान संपत्ति	15	3,894.05	3,141.71
	ई) बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति	15	-	8.20
	उप कुल - वर्तमान संपत्ति		1,35,817.92	1,08,327.22
3.	विनियामक आस्थगित खाते डेबिट शेष	16	99,295.21	92,344.55
	कुल परिसंपत्तियाँ (1 + 2 + 3)		16,19,224.22	15,81,755.39
इक्विटी एवं देनदारियाँ				
4.	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	3,60,981.04	3,60,981.04
	(ख) अन्य इक्विटी	18	2,97,952.44	2,95,293.83
	उप कुल - इक्विटी		6,58,933.48	6,56,274.87
	देनदारियाँ			
5.	अचल देनदारियाँ			
	क) वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) ऋण	19	5,94,121.62	6,21,476.03
	(ii) लीज देयताएं	19ए	478.64	438.19
	(iii) व्यापार देयताएँ			
	(क) लघु और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	(ख) लघु और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया राशि		-	-

ख) प्रावधान	20	319.12	1,881.86
ग) आस्थगित कर देयताएं (सकल)	7	98,881.40	76,727.83
घ) अन्य अचल देनदारियाँ	26	21,209.27	22,797.99
उप-कुल अचल देनदारियाँ		7,15,010.05	7,23,321.90
6. चल देनदारियाँ			
क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) ऋण	21	1,12,426.18	1,21,646.17
(ii) लीज देयताएँ	21ए	607.67	573.64
(iii) व्यापार देयताएँ			
(क) लघु और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि		424.75	496.79
(ख) लघु और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया राशि	22	18,715.71	21,660.19
(iv) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	23	62,496.34	17,100.26
ख) अन्य चल देनदारियाँ	24	19,566.93	17,136.87
ग) प्रावधान	25	18,880.71	15,607.00
घ) वर्तमान कर देनदारियाँ (निबल)	14	969.40	-
ङ) आस्थगित राजस्व	26ए	11,193.00	7,937.70
6. कुल चल देनदारियाँ		2,45,280.69	2,02,158.62
7. नियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष राशि	16		
कुल इक्विटी और देनदारियाँ ((4 + 5 + 6 + 7))		16,19,224.22	15,81,755.39

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश- नोट संख्या 1

साथ में दिए गए नोट 1 से 51 तक इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ़आरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023 ए. पी. रोंग
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

बी. महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्रोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

अंश - II: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	आय			
	(ए) प्रचालन से राजस्व	27	4,55,655.27	3,20,684.33
	(बी) अन्य आय	28	1,408.23	9,512.34
	कुल आय (ए + बी)		4,57,063.50	3,30,196.67
2.	व्यय			
	(ए) ईंधन लागत	29	1,47,687.42	63,488.96
	(बी) कर्मचारी लाभ व्यय	30	51,406.14	46,518.08
	(सी) वित्तीय लागत	31	53,667.13	58,198.79
	(डी) मूल्यहास एवं रिन शोधन व्यय	32	83,550.16	80,781.94
	(इ) अन्य व्यय	33	52,902.05	45,824.08
	कुल व्यय (ए+बी+सी+डी+इ)		3,89,212.90	2,94,811.85
3.	लाभ / (हानि) असाधारण मदों से पहले, कर और नियामक आस्थगित खातों की शेष राशि (1 - 2)		67,850.60	35,384.82
4.	अपवादात्मक वस्तुएँ - (आय)/व्यय संयुक्त उद्यमों के लाभ का शेयर		(1.87)	(0.99)
5.	कर और नियामक आस्थगन खाते की शेष राशि (3 - 4) से पहले लाभ / (हानि)		67,848.73	35,383.83
6.	कर व्यय:			
	(i) वर्तमान कर		11,488.84	5,676.88
	वर्तमान वर्ष			
	पूर्व वर्ष		-	-
	कुल वर्तमान कर		11,488.84	5,676.88
	(बी) आस्थगित कर (डीटीए का सकल)		22,153.57	14,818.85
	कुल कर व्यय (ए + बी)		33,642.41	20,495.73
7.	लाभ/(हानि) नियामक आस्थगित खाता शेष (5 - 6) से पहले		34,206.32	14,888.10
8.	विनियामक आस्थगित खाता शेष में सकल संचलन (कर का निवल)	37	5,482.47	6,340.59
9.	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (7 + 8)		39,688.79	21,228.69
10.	अन्य व्यापक आय/(व्यय)			
	(ए) वस्तुएँ जिन्हें लाभ एवं हानी के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनर्मापन		(642.51)	(1,582.77)
	(ii) अन्य- एफबी हानी समायोजन		0.08	0.08
			(642.43)	(1,582.69)
	(iii) घटाएं: उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा ।		(112.25)	(276.53)
	(बी) वस्तुएँ जिन्हें लाभ एवं हानी के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	(i) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिनहें लाभ व हानी के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	कुल अन्य व्यापक आय (कर का सकल) = (ए + बी)		(530.18)	(1,306.16)
11.	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (9 + 10)		39,158.61	19,922.53
12.	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति मूल्य ₹ 10)	35		
	भौतिक एवं मिश्रित (₹) (नियामक आस्थगित लेखा शेष राशि में निबल प्रचलन सहित)		1.10	0.59
	प्रत्यक्ष एवं मिश्रित (₹) (नियामक आस्थगित लेखा शेष राशि में निबल प्रचलन के अलावा)		0.95	0.41

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश - नोट संख्या 1

साथ में 1 से 51 तक के नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023 ए. पी. रोंग
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

बी.महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्वाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	67,848.73	35,383.83
जोड़: नियामक आस्थिगत खाते में शेष राशि में निबल प्रचालन (कर का निबल)	5,482.47	6,340.59
जोड़: नियामक आस्थिगत खाता शेष राशि में निबल प्रचालन पर कर	1,468.19	1,619.88
	6,950.66	7,960.47
कर पूर्व लाभ जिसमें नियामक आस्थिगत खाता शेष राशि में प्रचालन शामिल है	74,799.39	43,344.30
समायोजन हेतु:		
मूल्यहास, परिशोधन और हानि खर्च	83,550.16	80,781.94
प्रावधान/वट्टा खाता	4,852.11	3,996.80
नियामक आस्थिगत खाता क्रेडिट शेष राशि		
नियामक आस्थिगत खाता डेबिट शेष राशि	(6,950.66)	(7,960.47)
आस्थिगत राजस्व	1,666.58	(1,597.96)
विदेशी मुद्रा विनिमय हानि/ (वृद्धि)	757.22	(233.40)
वित्तीय लागतें	52,909.91	58,432.19
सावधि जमा/बॉण्ड/ निवेश से व्याज/आय	(526.77)	(155.93)
प्रावधान वापस लिखे गए	(7.77)	(67.92)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पहचान से लाभ	(2.93)	(0.07)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पहचान से हानि	16.66	71.89
विलंबित भुगतान अधिभार	(545.68)	(4,148.80)
	1,35,718.83	1,29,118.27
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	2,10,518.22	1,72,462.57
समायोजन हेतु:		
प्राप्य व्यापार	(45,605.49)	31,947.90
इंवेंटरी	2,583.19	(1,572.91)
व्यापार देय, प्रावधान, आँय वित्तीय देनदारियाँ और अन्य देनदारियाँ	(12,793.77)	(8,838.38)
ऋण, अन्य वित्तीय संपत्तियाँ और अन्य संपत्तियाँ	14,257.87	(15,924.88)
	(41,558.20)	5,611.73
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	1,68,960.02	1,78,074.30
आयकर (भुगतान किया गया)/वापसी किया गया	(10,300.00)	(7,204.48)
प्रचालन गतिविधियों-क (में प्रयुक्त) से निबल रोकड़	1,58,660.02	1,70,869.82
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र, समकक्ष और अमूर्त सम्पत्तियों की खरीद	(65,819.50)	(51,866.12)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्ति का निपटान	9.04	1,596.15
सावधि जमा/बॉण्ड/प्राप्त निवेश पर व्याज/आय	526.77	155.93
प्राप्त लाभांश	-	-
नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक बैलेन्स में बदलाव	717.56	(837.82)
प्राप्त विलंबित भुगतान अधिभार	497.88	336.17
निवेश गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) निबल नकदी-ख	(64,068.25)	(50,615.69)

ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह

कंपनी के इक्विटी उपकरणों के जारी होने से आय

अचल उधारों से प्राप्ति

अचल उधारों से पुनः भुगतान

चल उधारों से आय

वित्तीय पट्टा दायित्वों का भुगतान

प्रदत्त व्याज

प्रदत्त लाभांश

लाभांश पर व्याज

वित्तीय गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) निबल नकदी-ग

नकद और नकद समकक्षों में सकल वृद्धि/(घटौती) (क+ख+ग)

वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी 1 और 2 देखें)

वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी 1 और 2 देखें)

-	-
95,000.00	60,000.00
(1,32,663.26)	(96,387.42)
(2,300.00)	(12,474.67)
(728.69)	(715.78)
(55,282.98)	(57,378.66)
(1,500.00)	(9,000.00)
(97,474.93)	(1,15,956.53)
(2,883.16)	4,297.60
4,344.49	46.89
1,461.33	4,344.49

* कृपया टिप्पणी सं. 11 का संदर्भ लें ।

टिप्पणीयां:

- नकद और नकद समकक्षों में चेक/ड्राफ्ट, उपलब्ध स्टाम्प, बैंक में शेष राशि और तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा सहित बैंक अधिशेष शामिल है ।
- नकद एवं नकद समकक्षों का पुनर्मिलन:
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष
- वर्ष के लिए सीएसआर हेतु खर्च नहीं की गई राशि नकद और नकद समतुल्य शून्य है
- वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली डेंदारियों के तुलन पत्र में शुरुआत और आय के बीच पुनर्मिलन ।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	अचल ऋण**	वित्त पट्टा का दायित्व	चल ऋण
1 अप्रैल 2022 की प्रारम्भिक राशि	7,18,899.93	1,011.83	24,300.00
वर्ष के दौरान नकद प्रवाह	95,000.00	(728.69)	(2,300.00)
अवधि के दौरान ऋणधन का पुनर्भुगतान	(1,32,663.26)	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण			
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	-	803.17	-
विनिमय दर में भिन्नता	3,289.07	-	-
ऋण पर लेन-देन की लागत	-	-	-
31 मार्च 2023 तक समापन राशि	6,84,525.74	1,086.31	22,000.00

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	अचल ऋण**	वित्त पट्टा का दायित्व	चल ऋण
1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक राशि	7,55,433.34	790.45	36,774.67
वर्ष के दौरान नकद प्रवाह	60,000.00	(715.78)	(12,474.67)
अवधि के दौरान ऋणधन का पुनर्भुगतान	(96,387.42)	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण			
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	-	937.16	-
विनिमय दर में भिन्नता	(145.99)	-	-
ऋण पर लेन-देन की लागत	-	-	-
31 मार्च 2022 तक समापन राशि	7,18,899.93	1,011.83	24,300.00

** इसमें दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता शामिल है

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ़आरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023 ए. पी. रोंग
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

बी.महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्वाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	3,60,981.04
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	3,60,981.04

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	3,60,981.04
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	3,60,981.04

(बी) अन्य इक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			कुल
	बॉन्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	32,547.98	2,95,293.83
लेखांकन नीतियों या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	-	-	39,688.79	39,688.79
अन्य व्यापक आय	-	-	(530.18)	(530.18)
कुल व्यापक आय	-	-	39,158.61	39,158.61
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	-	(1,500.00)	(1,500.00)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	-	(35,000.00)	(35,000.00)
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	35,206.59	2,97,952.44

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष			कुल
	बॉन्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	21,625.45	2,84,371.30
लेखांकन नीतियों या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन के कारण	-	-	-	-
अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	21,228.69	21,228.69
अन्य व्यापक आय	-	-	(1,306.16)	(1,306.16)
कुल व्यापक आय	-	-	19,922.53	19,922.53
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	-	(1,500.00)	(1,500.00)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	-	-	(7,500.00)	(7,500.00)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	65,054.17	1,97,691.68	32,547.98	2,95,293.83

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ़आरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023
स्थान: नई दिल्ली

ए. पी. रोंग
कंपनी सचिव

बी. महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्वाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

नोट संख्या 1: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2022-23

क. कॉर्पोरेट जानकारी

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (“नीपको लिमिटेड” / “कंपनी”) एक प्रमुख विद्युत उपयोगिता है, जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम कर रही है। नीपको लिमिटेड, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम (सीपीएसई) है, जो एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसे भारत सरकार द्वारा अनुसूची ए-मिनीरल श्रेणी- I सीपीएसई का दर्जा प्रदान किया गया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, लाईतुमखरा, शिलांग 793003, मेघालय है। कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹5000 करोड़ है। कंपनी के अपने 12 (बारह) उत्पादन केंद्र हैं, जो प्रचालन में हैं [कोपिली (4 X 50 मेगावाट को छोड़कर) पावर स्टेशन 07 अक्टूबर 2019 से पेनस्टॉक के टूटने के कारण बंद है और वर्तमान में पुनर्निर्माण नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के तहत है] जिसमें 8 (आठ) जल विद्युत, 3 (तीन) ताप विद्युत और 1 (एक) सौर विद्युत उत्पादन स्टेशन शामिल है। कंपनी की वर्तमान स्थापित क्षमता 2057 मेगावाट है।

नीपको लिमिटेड की देनदारी (बॉन्ड इलेवन इश्यू टू XXII इश्यू) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ सूचीबद्ध है।

बी. तैयारी का आधार

I. अनुपालन विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों, भारतीय लेखा मानकों (इसके बाद “इंड-एएस” के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा धारा 133 के अनुसार अधिसूचित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के नियम 3, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2016 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को लागू सीमा तक प्रावधानों के अनुपालन में तैयार किया जाता है।

कंपनी ने सभी लागू इंड-एएस को अपनाया है और इस तरह का अंगीकरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया गया था, जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित है।

II. पैमाने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय

- कुछ वित्तीय साधन जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं;
- बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां - बेचने की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापी जाती हैं;
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्तियां;

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

अन्यथा बताए और तदनुसार प्रकट किए जाने के सिवाय आय और व्यय का लेखा-जोखा व्यापारिक आधार पर किया जाता है।

III. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

यह वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को कंपनी के लिए निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि विशेष रूप से कहा गया हो।

IV. चल और अचल वर्गीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित कंपनी के परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चल और अचल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से कंपनी ने अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

आस्थगित कर संपरिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को अचल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

V. आकलन और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखांकन नीतियों के आवेदन में निर्णय, आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर संपत्ति, देनदारियों, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती है। अवधि। वास्तविक परिणाम अनुमानित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों के आधार पर आकलन और निर्णय पर निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल हैं जिन्हें उचित माना जाता है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को वित्तीय विवरणों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है और यदि भौतिक हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत, जो भविष्य के वर्षों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशियों के लिए एक सामग्री समायोजन का कारण बन सकते हैं, नोट-डी में प्रदान किए गए हैं।

VI. संयुक्त उद्यम में निवेश

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास संयुक्त व्यवस्था की विवरण परिसंपत्तियों के अधिकार प्राप्त होते हैं। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की अनुबंधात्मक सहमति प्राप्त साझेदारी होती है जो केवल तभी अस्थित्वपरक होती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के विषय में नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की आम सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त उद्यम में निवेश लागत पर किया जाता है, जिसमें निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधे जिम्मेदार लागत, कम हानि, यदि कोई हो, शामिल है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

समेकन का आधार

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास संयुक्त व्यवस्था की विवरण परिसंपत्तियों के अधिकार प्राप्त होते हैं। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की अनुबंधात्मक सहमति प्राप्त साझेदारी होती है जो केवल तभी अस्थित्वपरक होती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के विषय में नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की आम सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त उद्यमों के परिणाम और संपत्ति और देनदारियों को इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके शामिल किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके एक हिस्से को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिस स्थिति में इंड एस 105 के साथ इसका हिसाब लगाया जाता है।

इक्विटी पद्धति के तहत, एक संयुक्त उद्यम में निवेश को शुरू में समेकित बैलेंस शीट में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद संयुक्त उद्यम के लाभ और हानि के समूह के हिस्से को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। जब एक संयुक्त उद्यम के नुकसान का समूह का हिस्सा उस संयुक्त उद्यम में समूह के ब्याज से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई भी दीर्घकालिक ब्याज शामिल होता है, जो कि संयुक्त उद्यम में समूह के शुद्ध निवेश का हिस्सा होता है), तो समूह अपने आगे के नुकसान के हिस्से को मान्यता देना बंद कर देता है। अतिरिक्त हानियों की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जब समूह ने संयुक्त उद्यम की ओर से कानूनी या रचनात्मक दायित्वों का भुगतान किया हो।

एक संयुक्त उद्यम में एक निवेश को उस तारीख से इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जिस तारीख से निवेशी एक संयुक्त उद्यम बन जाता है। एक संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशकर्ता की पहचान योग्य संपत्ति और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के समूह के हिस्से पर निवेश की लागत के किसी भी अतिरिक्त को सद्भावना के रूप में मान्यता दी जाती है, जो कि कंपनी की निवेश राशि के भीतर शामिल है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, निवेश की लागत से अधिक पहचान योग्य परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के समूह के हिस्से के किसी भी अतिरिक्त को इक्विटी में सीधे उस अवधि में पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें निवेश हासिल किया जाता है।

यदि एक या एक से अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का वस्तुनिष्ठ प्रमाण है जो एक संयुक्त उद्यम (एक 'हानि घटना') में शुद्ध निवेश की प्रारंभिक मान्यता के बाद हुआ है और उस नुकसान की घटना (या घटनाओं) का अनुमानित पर प्रभाव पड़ता है शुद्ध निवेश से भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जा सकता है, फिर संयुक्त उद्यम में समूह के निवेश के संबंध में हानि हानि को पहचानना आवश्यक है।

जब आवश्यक हो, निवेश की संपूर्ण अग्रणी राशि (सद्भावना सहित) की वसूली योग्य राशि (उपयोग में उच्च मूल्य और निपटान की उचित मूल्य कम लागत) की तुलना करके एकल संपत्ति के रूप में इंड एस 36 परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। इसकी अग्रणी राशि के साथ, मान्यता प्राप्त कोई भी हानि निवेश की अग्रणी राशि का हिस्सा है।

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- 1.1 पीपीई की एक मद को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है।
- 1.2 बिजली के उत्पादन और ट्रांसमिशन में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, बैलेंस शीट में लागत, कम संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, पर बताया गया है।
- 1.3 जो सहायक परिसंपत्तियाँ अलग से पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, लेकिन एक से अधिक बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए सामान्य हैं, उनकी संबंधित स्थापित क्षमता के अनुपात में पूंजीकृत किया जाता है।
- 1.4 पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें डिमोशनिंग या बहाली लागत, यदि कोई हो, जहां भी आवश्यक हो, शामिल है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे संपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण के कारण होता है। ऐसे मामलों में जहां ठेकेदारों के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण और उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।
- 1.5 परीक्षण/परीक्षण चलाने और प्रायोगिक उत्पादन पर किए गए व्यय सहित परियोजना के स्टार्ट-अप और कमीशनिंग पर किए गए व्यय को निर्माण लागत के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। हालांकि, वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद, किए गए व्यय को राजस्व व्यय के लिए प्रभाषित किया जाता है, भले ही अनुबंध की शर्त संयंत्र के सफल कमीशन के बाद संयंत्र के अंतिम अधिग्रहण के लिए प्रदान करती है।
- 1.6 प्रमुख रखरखाव या मरम्मत पर बाद के व्यय में परिसंपत्तियों के पुर्जों के प्रतिस्थापन की लागत और प्रमुख ओवरहाल लागत शामिल हैं। जहां एक परिसंपत्ति या संपत्ति के हिस्से को बदल दिया जाता है और यह संभावना है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को उपलब्ध होंगे, व्यय को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित वस्तु की अग्रणी राशि को अमान्य कर दिया जाता है। यदि बदले गए हिस्से की वहन राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, तो कंपनी प्रतिस्थापन की लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में करती है कि बदले गए हिस्से की लागत उस समय क्या थी जब इसे अधिग्रहित या निर्माण किया गया था। इसी तरह, प्रमुख से जुड़ी ओवरहाल लागत रखरखाव पूंजीकृत हैं।
- 1.7 स्टैंडबाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है।
- 1.8 संपत्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है, हालांकि भूमि पर बनाई गई हैं जो कंपनी से संबंधित नहीं हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत शामिल हैं।
- 1.9 मुआवजे, पुनर्वास और कब्जे में भूमि से संबंधित अन्य खर्चों के लिए किए गए भुगतान / देनदारियों को अस्थायी रूप से बनाया गया है, इसे भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।
- 1.10 संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ खरीदे गए स्पेयर पार्ट्स के साथ-साथ बाद में खरीदे गए जो मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य मशीनरी पुर्जों को इन्वेंट्री का हिस्सा बनाने वाले “स्टोर और स्पेयर” के रूप में माना जाता है।
- 1.11 मोबाइल हैंडसेट की लागत को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।
- 1.12 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटाने पर अमान्य कर दिया जाता है या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं होती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि या आईईडीसी, जैसा भी मामला हो, में पहचाना जाता है।

2. पूंजी का कार्य प्रगति पर है

- 2.1 निर्माणाधीन संपत्तियों पर किए गए व्यय को पूंजीगत कार्य के तहत लागत पर किया जाता है। इस तरह की लागतों में सभी करों/शुल्कों और अन्य लागतों सहित परिसंपत्ति का खरीद मूल्य शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। इस तरह की संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जब पूरा हो जाता है और इच्छित उपयोग के लिए तैयार होता है।
- 2.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए सीधे तौर पर आवश्यक लागत में कर्मचारी लाभ की लागत, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों

के संबंध में व्यय, साइट की तैयारी की लागत, प्रारंभिक वितरण और हैंडलिंग शुल्क, स्थापना और असेंबली लागत, पेशेवर शुल्क, रखरखाव पर खर्च और ऊपर सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं का उन्नयन आदि, परियोजना के निर्माण में उपयोग की जाने वाली संपत्ति पर मूल्यहास, निर्माण के दौरान ब्याज और यदि परियोजनाओं के निर्माण के कारण हो तो प्रशासनिक और सामान्य ओवरहेड लागत सहित अन्य लागत शामिल हैं। इस तरह की लागत “पूँजीगत कार्य प्रगति पर” के तहत जमा की जाती है और बाद में प्रमुख अचल संपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित की जाती है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए, परियोजना विशिष्ट आईईडीसी को पूँजीकरण के समय परियोजना के लागत अनुमान/पूरा होने की लागत के आधार पर इसकी अर्हक संपत्तियों को आवंटित किया जाता है।

- 2.3 सुविधाएं बनाने के लिए किया गया पूँजीगत व्यय, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है और जिसका निर्माण परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक है, को “प्रगति में पूँजीगत कार्यों” के तहत किया जाता है और बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अलावा प्रमुख अचल संपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- 2.4 “जमा कार्यों” के प्रति व्यय की गणना संबंधित एजेंसी को प्राप्त खातों के विवरण और कंपनी द्वारा स्वीकृति के आधार पर की जाती है।
- 2.5 एक परियोजना का सामान्य व्यय, जो आंशिक रूप से प्रचालन में है और आंशिक रूप से निर्माणाधीन है, को स्थापित क्षमता के आधार पर विभाजित किया जा रहा है।
- 2.6 निर्माण गतिविधियों से संबंधित कॉर्पोरेट कार्यालय और गुवाहाटी कार्यालय व्यय का हिस्सा सीडब्ल्यूआईपी में वृद्धि के आधार पर निर्माणाधीन परियोजनाओं को आवंटित/विभाजित किया जाता है।
- 2.7 परियोजना के परित्याग/निलंबन/बंद करने के मामले में, उसके संबंध में व्यय ऐसे निर्णय के वर्ष में व्यय/प्रभारित किया जाता है।

3. अमूर्त संपत्ति

- 3.1 एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल अगर यह संभव है कि संभावित भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्तियों के कारण हैं, कंपनी को प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।
- 3.2 अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को पूँजीकृत किया जाता है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है।
- 3.3 आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं होने के कारण), अधिग्रहण की लागत को घटाकर संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, पर कहा गया है।
- 3.4 राज्य सरकार से उपयोग के लिए ली गई भूमि (बिना स्वामित्व के हस्तांतरण के) और राहत और पुनर्वास पर खर्च के साथ-साथ भूमि निकासी के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण पर या जलमग्न होने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले में और जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण एक विशिष्ट पूर्व है -परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए शर्त, “भूमि-उपयोग के अधिकार” के तहत लेखाबद्ध की जाती है।
- 3.5 तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार अमूर्त संपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें “विकासाधीन अमूर्त संपत्ति” के रूप में प्रकट किया जाता है।

4. मूल्यहास और परिशोधन:

निम्नलिखित को छोड़कर अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद सीधी रेखा पद्धति पर विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार मूल्यहास लगाया जाता है:

- i. तीन साल की अवधि में आईटी उपकरण (पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप सहित) का मूल्यहास किया जाता है।
- ii. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के कानूनी अधिकार या 03 (तीन) वर्ष, जो भी कम हो, की अवधि में सीधी-रेखा पद्धति पर परिशोधन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति के परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित की जाती है।
- iii. “भूमि-उपयोग का अधिकार” परियोजना के उपयोगी जीवन की अवधि में, इसके “वाणिज्यिक संचालन की तिथि” से पूरी तरह से परिशोधित है।

- iv. लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, उसके “वाणिज्यिक संचालन की तिथि” से किया जाता है। लीजहोल्ड भूमि, प्रशासनिक कार्यालयों के मामले में, लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।
- v. जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/न्यायालय के मामलों के निपटान, कर्तव्यों में परिवर्तन और इसी तरह के कारकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि / कमी के कारण मूल्यहास संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, ऐसी आस्तियों के असंशोधित शेष का सीईआरसी विनियमों द्वारा अधिसूचित दर और कार्यप्रणाली पर ऐसी परिसंपत्ति के शेष जीवन पर संभावित रूप से मूल्यहास किया जाता है।
- vi. प्रमुख मरम्मत और ओवरहाल की लागत को उनके उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है जहां यह संभावना है कि भविष्य के आर्थिक लाभ उपलब्ध होंगे।
- vii. संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए पुर्जों या बाद में जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है और ऐसी वस्तु की वहन राशि में जोड़ा जाता है, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली पर संबंधित संयंत्र और मशीनरी के अवशिष्ट उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है।
- viii. स्थापित संपत्ति/खरीदी गई संपत्ति, जिनकी व्यक्तिगत लागत 5000/- रुपये या उससे कम है, लेकिन 750/- रुपये से अधिक है (इसके बाद मामूली मूल्य की संपत्ति कहा जाता है) को 12 महीने की अवधि के दौरान मूल्यहास किया जाता है और केवल 1/- रुपये का नाममात्र शेष छोड़ दिया जाता है।
- ix. कम मूल्य की वस्तुएं, जो संपत्ति की प्रकृति में हैं (अचल संपत्ति को छोड़कर) और मूल्य रुपये तक। वर्ष के दौरान 750/- का पूंजीकरण नहीं किया गया है और राजस्व से प्रभारित नहीं किया गया है।
- x. एक परिसंपत्ति का मूल्यहास उस तारीख से पहले समाप्त हो जाता है जब परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (या बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल किया जाता है) इंड एस 105 के अनुसार और परिसंपत्ति को अचिन्हित किया जाता है।
- xi. कॉर्पोरेट/प्रशासनिक कार्यालय की संपत्ति का मूल्यहास और निर्माणाधीन परियोजनाओं की सामान्य संपत्ति सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत अधिसूचित दरों के अनुसार वसूल की जाती है।

5. संपत्ति की हानि

- 5.1 प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूल संपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा करती है कि क्या ऐसे संकेत हैं कि उन परिसंपत्तियों को हानि का नुकसान हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो वसूली योग्य राशि (अर्थात्, इसके उचित मूल्य से अधिक बिक्री की लागत घटाकर और उपयोग में मूल्य) व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र हैं अन्य परिसंपत्तियां। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।
- 5.2 यदि किसी परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या सीजीयू) की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में घटा दिया जाता है और अग्रणीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 5.3 पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि हानियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है कि नुकसान कम हो गया है या अब बाहर नहीं निकलता है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि में कोई परिवर्तन हुआ है तो हानि को परिवर्तित कर दिया जाता है। हानि को केवल उस सीमा तक परिवर्तित कर दिया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई हो, मूल्यहास या परिशोधन के शुद्ध, यदि कोई हानि हानि की पहचान नहीं की गई है।

6. नियामक आस्थगित खाते

- 6.1 लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय, लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि को “नियामक आस्थगित खाता शेष” के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 6.2 विनियामक आस्थगन खाते की शेष राशि को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय हो जाती है।

6.3 नियामक आस्थगित खाता शेष राशि का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के शेष से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे। यदि यह अब संभव नहीं है कि इस तरह के शेषों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे, तो ऐसे शेषों की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

6.4 हानि के लिए नियामक आस्थगित खाता शेष राशि का परीक्षण प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

7.1 वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है।

7.2 वित्तीय विवरण तैयार करने में इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर अनुवाद किया जाता है।

7.3 भविष्य के उत्पादक उपयोग के लिए निर्माणाधीन परिसंपत्ति से संबंधित विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर उन परिसंपत्तियों की लागत में शामिल किया जाता है जब उन्हें भारतीय लेखा मानक 23 की आवश्यकताओं के अनुसार उन विदेशी मुद्रा उधारों पर ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

7.4 मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि/आईईडीसी, जैसा भी मामला हो, के विवरण में पहचाना जाता है, जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

7.5 विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों का रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा हाजिर दरों पर अनुवाद किया जाता है। मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह अपवाद के साथ उत्पन्न होता है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर 31- तक मान्यता प्राप्त है- 03-2016 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

7.6 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, प्रत्येक उत्पादन कंपनी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विदेशी विनिमय दर भिन्नता को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में वसूल करेगी जिसमें वह उत्पन्न होती है, अर्थात्, कंपनी विदेशी विनिमय दर भिन्नता की वसूली कर सकती है वास्तविक आधार जब विदेशी मुद्रा ऋण वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) के बाद चुकाया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

8.1 प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभावित ("अधिक संभावना नहीं") कि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है, और दायित्व की राशि के संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

8.2 एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस शीट की तारीख पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सबसे अच्छा अनुमान है।

8.3 यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान का निर्धारण वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर किया जाता है जो देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

8.4 आकस्मिक देनदारियां संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक देनदारियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावनाएं दूर न हों। प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

8.5 आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया

जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आर्थिक लाभ की आमद संभावित होने पर वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया जाता है।

- 8.6 कठिन अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। एक कठिन अनुबंध वहां माना जाता है जहां कंपनी के पास एक अनुबंध होता है जिसके तहत अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ से अधिक होती है।

9. पट्टे

- 9.1 पट्टा प्रारंभ होने के समय पट्टे की व्यवस्था के आधार पर पट्टा व्यवस्था (या शामिल) निर्धारित करना है।
- 9.2 पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब पट्टे की शर्तें तात्त्विक रूप से समस्त जोखिम को अन्तर्गत करती हैं और किसी परिसंपत्ति के स्वामी के लिए पट्टाधारी को आकस्मिक पुरस्कार होती है। अन्य समस्त पट्टों को प्रचालनात्मक पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 9.3 एमसीए अधिसूचना के अनुपालन में, कंपनी ने 01.04.2019 से इंड एएस 116 “पट्टों” को अपनाया है और 1 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी पट्टा अनुबंधों पर लागू किया है। नतीजतन, कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख पर लागू वृद्धिशील उधार दर पर छूट वाले शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता दर्ज की और तारीख पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर छूट दी गई अपनी वहन राशि पर संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार दर्ज किया।

10. इनवेंटरी

- 10.1 इनवेंटरी के अंतर्गत प्रमुख रूप से स्टोर तथा संपत्ति, संयंत्र ईएएम उपकरण के रखरखाव हेतु प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जें शामिल हैं।
- 10.2 इनवेंटरी का भारित औसत आधार अथवा निवल वास्तविक मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत लागत सूत्र के प्रयोग द्वारा किया जाता है और एनआरवीसामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में विक्रय करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों का अनुमानित विक्रय मूल्य है।
- 10.3 स्ट्रैप के मूल्य को यथासमय विक्रय/निस्तारित होने पर खाते में समायोजित कर दिया जाता है तथा लाभ/हानि, यदि कोई हो को विक्रय/निस्तारण वर्ष में खाते में उल्लिखित किया जाता है।

11. व्यापार प्राप्य

- 11.1 व्यापार प्राप्तियां ग्राहकों से बेची गई वस्तुओं या व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में की गई सेवाओं के लिए देय राशि हैं। यदि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने या उससे कम की अवधि के भीतर संग्रह किए जाने की उम्मीद है, तो उन्हें चालू संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-चालू संपत्ति के रूप में। व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।
- 11.2 चूंकि पूरी बिक्री राज्य सरकार को की जाती है। यूटिलिटीज के साथ-साथ पावर ट्रेडिंग कंपनियां, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता प्रदान नहीं कर रही है।
- 11.3 व्यापार प्राप्य प्रतिफल की राशि के लिए कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (अर्थात प्रतिफल का भुगतान देय होने से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)

12. वित्तीय साधन

- 12.1 वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है या वित्तीय देनदारियों।
- 12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (अनुबंध परिसंपत्तियां)

प्राप्य खाते ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या

भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो खाता प्राप्य (अनुबंध संपत्ति की प्रकृति में) अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

वित्तीय संपत्तियों में संयुक्त उद्यम में निवेश, कर्मचारियों को अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां, नकद और नकद समकक्ष, वसूली योग्य ढावे, सुरक्षा जमा आदि शामिल हैं।

i. नकद या नकद समकक्ष:

कंपनी सभी अल्पकालिक बैंक जमाराशियों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली हैं, नकद समकक्ष हैं। नकद और नकद समकक्ष में बैंकों के पास शेष राशि होती है जो बैलेंस शीट में निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों में उधार के भीतर दिखाए जाते हैं।

ii. परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें शुरू में लागत पर मापा जाता है, बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट पर वृद्धि देती हैं नकदी प्रवाह की तारीखें जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

iii. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक अवधि दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है, नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट दिनों में वृद्धि होती है। जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।

iv. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे परिशोधन लागत पर या उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक मद के माध्यम से नहीं मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के कारण सीधे लेनदेन लागत को लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

v. वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी किसी वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त करती है जब आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय आस्ति को हस्तांतरित कर देती है और आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित कर देती है।

vi. वित्तीय संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

यदि, रिपोर्टिंग तिथि पर, प्रारंभिक मान्यता के बाद से किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापती है। यदि, प्रारंभिक मान्यता के बाद से उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो कंपनी एक वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता को आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक अपेक्षित क्रेडिट हानि (या उलट) की राशि को लाभ और हानि के विवरण में हानि लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

12.3 वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय आदि शामिल हैं।

(i) वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेन-देन की लागत का शुद्ध, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ii. वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

कंपनी वित्तीय देनदारियों को तब और केवल तभी मान्यता देती है जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है।

13. ऋण लागत

13.1 उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो कंपनी को धन उधार लेने के संबंध में वहन करती है। अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/विकास या निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लेने की लागतों को उन परिसंपत्तियों की लागत के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि उनके इच्छित उपयोग के लिए अर्हक संपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।

13.2 संबंधित अर्हक आस्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण के लिए पाल उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

13.3 अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं। उधार लेने की लागत में विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर शामिल हैं जिन्हें ब्याज लागत में समायोजित किया जाता है।

13.4 ऋण की पूर्ण चुकौती पर पूर्व भुगतान प्रभार आईईडीसी/लाभ और हानि खाते से, जैसा लागू हो, चुकौती के वर्ष में ही वसूल किया जाएगा।

14. सरकारी अनुदान

14.1 सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब इस बात का उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान वास्तव में प्राप्त हो गया है।

14.2 बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को भी सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रचलित बाजार ब्याज दरों के आधार पर ऋण की प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि और ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।

14.3 सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिसके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है। सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्तियों की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है।

14.4 अन्य सरकारी अनुदान (आय से संबंधित अनुदान) को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। आय से संबंधित अनुदानों को लाभ-हानि विवरण में अन्य आय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

15. कर्मचारी लाभ

15.1 कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी), छुट्टी लाभ और अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं।

15.2 पेंशन लाभ, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना के लिए वर्ष के दौरान भुगतान/देय कंपनी के अंशदान को अलग-अलग ट्रस्टों के माध्यम से प्रशासित संबंधित निधियों के लिए लेखा और भुगतान किया जाता है। कंपनी की देयता बीमांकिक रूप से बैलेंस शीट की तारीख पर ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और पीएमआरबी के लिए निर्धारित की जाती है और ग्रेच्युटी के लिए वर्ष

के दौरान किसी भी आगे की वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है और छुट्टी नकदीकरण के लिए और पीएमआरबी को आईईडीसी या लाभ और हानि के लिए इस मामले पर चार्ज किया जाता है।

- 15.3 जब किसी योजना के लाभ में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ या हानि में औसत अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते। इस हद तक कि लाभ तुरंत निहित हो जाते हैं, लाभ और हानि के विवरण में खर्चों को तुरंत मान्यता दी जाती है।
- 15.4 लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर खर्च किया जाता है। प्रदर्शन संबंधी वेतन के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का अनुमान मज़बूती से लगाया जा सकता है।
- 15.5 अनुग्रह राशि के भुगतान के रूप में टर्मिनल लाभों पर किए गए व्यय आईईडीसी या लाभ और हानि, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यय के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

16. आयकर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर के योग को प्रतिनिधित्व करता है।

16.1 वर्तमान आय कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि आय या व्यय की वस्तुओं के कारण लाभ और हानि के विवरण में बताया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और ऐसी वस्तुएं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान आयकर शुल्क की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

16.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति की वसूली की जाती है या देयता का निपटारा किया जाता है, जो कर दरों और कर कानूनों के आधार पर लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। रिपोर्टिंग अवधि। अन्य व्यापक आय में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित कर व्यापक आय के विवरण का भाग होता है।

- आस्थगित कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अस्थायी अंतरों पर, बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति या उसके हिस्से की वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।
- आस्थगित कर संपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के खिलाफ समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना है। मेट को बैलेंस शीट में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मज़बूती से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा।
- आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर संपत्तियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब वे एक ही करायन प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होते हैं और कंपनी अपनी वर्तमान कर संपत्तियों और देनदारियों को निवल आधार पर निपटाने का इरादा रखती है।

17. राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिले और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सके, भले ही भुगतान कब किया जा रहा हो। राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। छूट और अन्य समान भत्तों के लिए राजस्व कम किया जाता है।

17.1 संचालन से राजस्व

क) बिजली की बिक्री से राजस्व

- किसी ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट विचार के आधार पर या उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद के आधार पर ग्राहकों को उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण के हस्तांतरण पर राजस्व की पहचान की जाती है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है।
- बिजली की बिक्री केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर होती है। उन बिजली स्टेशनों के मामले में जहां सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया जाना बाकी है, ऊर्जा की बिक्री केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019 में निहित सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अंतिम दर के आधार पर प्रदान की जाती है। जिन परियोजनाओं के लिए न तो सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर किया जाता है। बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को दी गई बिक्री शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, जिसे आमतौर पर “बिल न किया गया राजस्व” कहा जाता है।
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन / अप्रोत्साहन को मान्यता दी जाती है।
- मार्च, 2009 तक आस्थगित कर देनदारियां, जब भी सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से भौतिक और वसूली योग्य होती हैं, साल-दर-साल आधार पर हिसाब की जाती हैं।
- 31 मार्च 2016 तक मान्यता प्राप्त विदेशी मुद्रा उधारों के अनुवाद के कारण विनिमय अंतर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक संबंधित क्रेडिट के साथ “आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति” के रूप में हिसाब किया जाता है। “विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से आस्थगित आय” के लिए। विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव खाते से आस्थगित आय को उस अनुपात में परिशोधित किया जाता है जिसमें इस तरह के विनिमय अंतर पर मूल्यहास लगाया जाता है और इसे मूल्यहास व्यय के खिलाफ समायोजित किया जाता है।
- समय पर भुगतान के लिए लाभार्थियों को दी गई छूट को ऊर्जा की बिक्री के कारण संचालन से प्राप्त राजस्व के साथ घटाया जाता है।

बी) डीएसएम, आरआरएएस और एनईआरएलडीसी शुल्क से राजस्व

- डीएसएम से राजस्व को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) द्वारा जारी साप्ताहिक खातों के आधार पर मान्यता दी जाती है जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र) विनियम 2014 और उसमें संशोधन द्वारा शासित है।
- आरआरएएस से प्राप्त राजस्व को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) द्वारा जारी साप्ताहिक खातों के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सहायक सेवा संचालन) विनियम 2015 और उसमें संशोधनों द्वारा शासित होता है।
- एनईआरएलडीसी शुल्क और राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त शुल्क को प्रतिपूर्ति के लिए लाभार्थियों पर दावा किया गया है, सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019 और उसमें संशोधन द्वारा शासित है।

17.2 अन्य आय

- लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।
- एक वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को मज़बूती से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो कि प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध अग्रणीत राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को सटीक रूप से छूट देती है।
- लाभ की हानि के लिए बीमा दावों का लेखा-जोखा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। अन्य बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

- iv. देर से भुगतान पर ब्याज/अधिभार/ऊर्जा की बिक्री के लिए अतिदेय व्यापार प्राप्य को तब मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

18. सामग्री पूर्व अवधि लुटि

सामग्री पूर्व अवधि की लुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें लुटि हुई थी। यदि लुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनः वर्णित किया जाता है।

19. प्रति शेयर आय

- 19.1 प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान और प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या को संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के अलावा, यदि कोई हो, घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है, यदि कोई हो, जिसने बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को बिना किसी संगत परिवर्तन साधन के बदल दिया है।
- 19.2 प्रति शेयर मिलेजुले आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारत औसत संख्या सभी मिलेजुले संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित की जाती है।

20. विविध

- 20.1 समान मर्दों के प्रत्येक भौतिक वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। भिन्न प्रकृति या कार्य की वस्तुओं को अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि वे सारहीन न हों।
- 20.2 लंबित पूंजीगत कार्यों के लिए देयताएं निष्पादित लेकिन प्रमाणित नहीं हैं, कंपनी द्वारा लंबित स्वीकृति के लिए प्रदान नहीं की जाती हैं।
- 20.3 अचल संपत्तियों और सूची का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार प्रबंधन द्वारा किया जाता है। जिन विसंगतियों पर ध्यान दिया गया है, यदि कोई हैं, तो उस वर्ष के लिए हिसाब लगाया जाता है जिसमें ऐसे अंतर पाए जाते हैं।

महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने में, जिनका वर्णन नोट-बी में किया गया है, कंपनी के प्रबंधन को परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि के बारे में निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होते हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय:

प्रबंधन द्वारा कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में किए गए अनुमानों (नीचे बिंदु ii देखें) के अलावा, महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

i. परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति

प्रबंधन ने अपने व्यवसाय मॉडल के आलोक में परिशोधन लागत पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की समीक्षा की है और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को रखने की क्षमता की पुष्टि की है।

ii. अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत:

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं और अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क. निवेश की हानि

कंपनी सालाना परिशोधन लागत पर किए गए निवेशों के अपने वहन मूल्य की समीक्षा करती है, या अधिक बार जब हानि के संकेत होते हैं। यदि वसूली योग्य राशि इसकी वहन राशि से कम है, तो हानि हानि का हिसाब लगाया जाता है।

ख. प्रावधान

प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ, छुट्टी नकदीकरण और सोने के सिक्के को छोड़कर) को इसके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है।

ग. बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति

बिक्री के लिए धारित और बंद किए गए संचालन' के इंड एस 105 - तहत बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से जारी रखने के बजाय मुख्य रूप से वसूल की जाएगी।

घ. आकस्मिक देयताएं

पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देनदारियां, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने पर की जाएगी, पूरी तरह से कंपनी या आकस्मिक देनदारियों के नियंत्रण में नहीं, जहां वर्तमान दायित्व हैं, लेकिन यह नहीं है संभावित है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ की आवश्यकता होगी, वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

ङ. उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रियाएं:

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापन को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य माप के इनपुट देखे जा सकते हैं और इसकी संपूर्णता में उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व, जो वर्णित हैं निम्नानुसार हैं:

- स्तर 1 के इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं, जिन्हें कंपनी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है;
- स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं, जो लेवल 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए देखे जा सकते हैं; तथा
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या दायित्व के लिए अप्राप्य इनपुट हैं।

नोट संख्या 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,600.25	2,600.25
उपयोग का अधिकारी (लीज होल्ड भूमि)	5,402.99	5,620.60
भवन-पूर्ण स्वामित्व वाले		
मुख्य संयंत्र	1,07,264.50	1,10,946.10
अन्य	18,283.24	16,925.81
उपयोग का अधिकार	184.20	172.93
संयंत्र एवं उपकरण	10,94,027.47	11,41,516.98
फर्निचर और फिक्सचर	696.24	607.91
वाहन		
स्वामित्व	280.43	289.80
उपयोग का अधिकार	820.40	766.45
कार्यालय उपकरण	2,398.39	2,383.14
अन्य:		
वैद्युतिक उपकरण	811.99	738.55
सड़क, पल, पुलिया, हेलीपैड	5,681.51	4,806.70
औजार और संयंत्र	3,999.64	3,606.71
विविध उपकरण	54.24	46.02
कुल	12,42,505.49	12,91,027.95

31 मार्च 2023 को

(₹ लाखों में)

विवरण	भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	विद्युत उपकरण	सड़क, पल, पुलिया, हेलीपैड	औजार एवं संयंत्र	विविध उपकरण	उपयोग का अधिकार (लीज पर भूमि)	कुल
01 अप्रैल 2022 तक सकल खंड संवर्धन	2,600.25	1,74,926.63	16,07,884.61	1,788.89	2,473.58	7,236.70	1,891.80	7,422.09	6,396.87	213.75	8,807.13	18,21,642.30
निपटान/समायोजन	-	3,007.87	26,916.16	158.75	598.00	532.89	129.47	1,118.43	722.31	25.88	-	- 33,209.76
बिक्री के लिए आयोजित के रूप में पुनर्वर्गीकृत	-	(22.88)	886.15	(70.25)	(689.11)	(360.90)	(0.83)	(0.05)	(131.73)	(23.19)	-	(412.79)
प्रावधान के लिए समायोजन		(182.02)	(2,861.04)									(3,043.06)
31 मार्च, 2023 तक का सकल खंड	2,600.25	1,77,729.60	16,32,825.88	1,877.39	2,382.47	7,408.69	2,020.44	8,540.47	6,987.45	216.44	8,807.13	18,51,396.21
1 अप्रैल 2022 तक का ह्रास												
अन्य पुनः वर्गीकरण												
31 मार्च 2023 तक का ह्रास												
1 अप्रैल, 2022 तक का संचित अवमूल्यन	-	46,739.91	4,64,111.10	1,180.98	1,417.33	4,853.56	1,153.25	2,615.39	2,790.16	167.73	3,186.53	5,28,215.94
अवधि हेतु प्रभार	-	5,478.09	75,471.15	60.17	549.73	453.74	55.97	243.54	281.63	16.88	217.61	82,828.51
निपटान	-	(220.34)	(783.84)	(60.00)	(685.42)	(297.00)	(0.77)	0.03	(83.98)	(22.41)	-	(2,153.73)
अन्य पुनः वर्गीकरण												
31 मार्च 2023 तक का संचित अवमूल्यन	-	51,997.66	5,38,798.41	1,181.15	1,281.64	5,010.30	1,208.45	2,858.96	2,987.81	162.20	3,404.14	6,08,890.72
31 मार्च 2023 तक का कुल संचित अवमूल्यन और ह्रास	-	51,997.66	5,38,798.41	1,181.15	1,281.64	5,010.30	1,208.45	2,858.96	2,987.81	162.20	3,404.14	6,08,890.72
31 मार्च 2023 तक का निवल खंड	2,600.25	1,25,731.94	10,94,027.47	696.24	1,100.83	2,398.39	811.99	5,681.51	3,999.64	54.24	5,402.99	12,42,505.49

31 मार्च 2022 तक

(₹ लाखों में)

विवरण	भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	विद्युत उपकरण	सड़क, पल, पुलिया, हैलिपेड	औज़ार एवं संयंत्र	विविध उपकरण	उपयोग का अधिकार (लीज़ पर भूमि)	कुल
01 अप्रैल 2021 तक सकल खंड	2,600.25	1,71,668.80	15,95,877.01	1,775.63	2,216.93	6,978.75	1,749.56	6,526.16	7,627.69	192.17	8,807.13	18,06,020.08
संवर्धन	-	3,659.73	19,151.20	68.82	698.44	554.92	164.90	969.20	212.13	20.35	-	25,499.69
निपटान/समायोजन	-	(401.90)	(7,143.60)	(55.56)	(441.79)	(296.97)	(22.66)	(73.27)	(1,442.95)	1.23	-	(9,877.47)
बिक्री के लिए आयोजित के रूप में पुनर्वर्गीकृत प्रावधान के लिए समायोजन		(141.88)	(2,256.53)									(2,398.41)
31 मार्च, 2022 तक का सकल खंड	2,600.25	1,74,784.75	16,05,628.08	1,788.89	2,473.58	7,236.70	1,891.80	7,422.09	6,396.87	213.75	8,807.13	18,19,243.89
1 अप्रैल 2021 तक का ह्रास अन्य पुनः वर्गीकरण												
31 मार्च 2022 तक का ह्रास												
1 अप्रैल, 2021 तक का संचित अवमूल्यन	-	41,767.05	3,96,787.28	1,171.82	1,292.31	4,689.48	1,118.78	2,474.39	3,764.11	159.29	2,988.32	4,56,212.83
अवधि हेतु प्रभार	-	5,319.80	73,193.52	58.93	558.64	406.13	51.74	191.50	256.84	6.68	198.21	80,241.99
निपटान	-	(346.94)	(5,869.70)	(49.77)	(433.62)	(242.05)	(17.27)	(50.50)	(1,230.79)	1.76	-	(8,238.88)
अन्य पुनः वर्गीकरण												
31 मार्च 2022 तक का संचित अवमूल्यन	-	46,739.91	4,64,111.10	1,180.98	1,417.33	4,853.56	1,153.25	2,615.39	2,790.16	167.73	3,186.53	5,28,215.94
31 मार्च 2022 तक का कुल संचित अवमूल्यन और ह्रास	-	46,739.91	4,64,111.10	1,180.98	1,417.33	4,853.56	1,153.25	2,615.39	2,790.16	167.73	3,186.53	5,28,215.94
31 मार्च 2022 तक का निवल खंड	2,600.25	1,28,044.84	11,41,516.98	607.91	1,056.25	2,383.14	738.55	4,806.70	3,606.71	46.02	5,620.60	12,91,027.95

- जहां ह्रास के संकेतक विद्यमान थे वहां संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (चालू कार्य में पूंजी शामिल) का ह्रास के लिए आकलन के आधार पर, पिछले वर्ष के दौरान और 31 मार्च 2022 तक को समाप्त वर्ष के दौरान भी कंपनी ने कोई ह्रास अभिज्ञात नहीं किया है।
- निर्माण और ओ एंड एम परियोजनाओं की वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्तियों को सुरक्षित, प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड चौदहवें से बाईसवें अंक के लिए गिरवी रखा गया है, जिसका मूल्य ₹359000.00 लाख है, जिसमें आरओसी के साथ चार्ज आईडी है, ₹50000.00 लाख के लिए 100394348, ₹15000.00 लाख के लिए 100334035, ₹30000.00 लाख के लिए 100239598, ₹50000.00 लाख के लिए 100151868, ₹90000.00 लाख के लिए 10603635, ₹24000.00 लाख के लिए 10555356, ₹100000.00 लाख के लिए 10534076 है। ₹236600.00 लाख की राशि का सुरक्षित मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण। अरुणाचल प्रदेश में पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
- कोपिली चरण II के लिए अधिग्रहित की गई 183.19 हेक्टेयर भूमि, जिसका मूल्य ₹452.68 लाख है, भूमि मुआवजे में वृद्धि के संबंध में 160 भूमि मालिकों द्वारा दायर दावे के कारण मुकदमेबाजी में है और मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक), वेस्ट जैतिया हिल्स, मेघालय के समक्ष लंबित है।
- निर्माण परियोजनाओं से संबंधित ब्याज और वित्त शुल्क, ₹3093.82 लाख (पिछले वर्ष ₹287.27 लाख) की राशि आईईडीसी (संदर्भ नोट संख्या -34 बी) को हस्तांतरित कर दी गई है। विदेशी मुद्रा ऋणों की हेजिंग नहीं की जाती है।
- सीईआरसी के दिनांक 7 अक्टूबर 2022 और 31 अगस्त 2021 के आदेशों के अनुसार ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों (ब्याज सहित) का क्षमता शुल्क क्रमशः चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन एजेंसी द्वारा ₹2485.44 लाख और ₹12442.72 लाख का कुल बिल ₹14928.16 लाख है। 30 मार्च 2018 से वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन की तारीखों तक की अवधि के लिए, कंपनी की जलविद्युत परियोजनाओं में से एक को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" में शामिल किया गया है, क्योंकि यह सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमन, 2019 के विनियमन 19 के साथ पढ़े गए इंडस्ट्रीज़ 16 के प्रावधान के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित परिसंपत्तियों को अपने वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।
- परिचालन के तहत उत्पादन स्टेशनों के संबंध में विनियम अंतर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ समायोजित किया जाता है और ऋण लेने की लागत को सीडब्ल्यूआईपी और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रमुख शीर्षों की लागत में 'अतिरिक्त' या 'कटौती / समायोजन' कॉलम के माध्यम से शामिल किया जाता है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को अंत वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को अंत वर्ष के लिए	
	पीपीई/ सीडबल्यूआईपी में शामिल विनिमय अंतर	पीपीई/ सीडबल्यूआईपी शामिल में ऋण की लागत	पीपीई/सीडबल्यूआईपी में शामिल विनिमय अंतर	पीपीई/सीडबल्यूआईपी शामिल में ऋण की लागत
मुख्य संयंत्र भवन	322.36	-	49.02	-
हाइड्रोलिक कार्य, जलाशय, बांध, सुरंग	973.86	-	(306.11)	-
संयंत्र एवं उपकरण	1,235.64	-	344.50	-
लंबित आवंटन सहित अन्य	-	3,093.82	-	287.27
कुल	2,531.86	3,093.82	87.41	287.27

vii. संयंत्र और मशीनरी की सकल वहन राशि में शामिल हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वित्त पट्टों के अंतर्गत धारित परिसंपत्तियां		
लागत	-	-
संचित अवमूल्यन एवं ह्रास हानियां	-	-
निवल वहन राशि	-	-
स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियां	12,41,500.89	12,90,088.57
निवल वहन राशि	12,41,500.89	12,90,088.57

उपरोक्त पीपीई (स्वामित्व वाली संपत्ति) की निवल वहन राशि में “उपयोग करने का अधिकार (भवन और वाहन)” के तहत संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें इंड एस 116 के अनुसार पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है, जो कि ₹ 1004.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 939.39 लाख) है।

viii. सकल खंड से कटौती/समायोजन और वर्ष के लिए मूल्यह्रास में शामिल हैं

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खंड वर्ष के अंत के लिए		मूल्य ह्रास वर्ष के अंत के लिए	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिसंपत्तियों का निपटान	(577.07)	(831.25)	(379.71)	(748.10)
परिसम्पत्तियों की निवृत्ति	(685.82)	(8617.99)	(513.36)	(7051.95)
विनिमय अंतर सहित लागत समायोजन	2531.86	87.41	-	-
भूतलक्षी प्रभाव से पूंजीकृत आस्तियां/अतिरिक्त पूंजीकरण का बढ़े खाते में डालना	(645.09)	(73.73)	(375.07)	(5.26)
अन्य	(1036.67)	(441.91)	(885.59)	(433.57)
कुल	(412.79)	(9877.47)	(2153.73)	(8238.88)

नोट संख्या 3: सीडबल्यूआईपी का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूँजीकृत	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भवन	555.39	889.73	(140.50)	879.93	424.69	555.39
सड़क, पुल, पुलिया, हेलीपैड	144.06	688.81	-	831.88	0.99	144.06
विद्युत अधिष्ठापन	33.76	148.37	-	104.60	77.53	33.76
जलापूर्ति, मल-जल निकास एवं जल-निकास	330.80	276.84	(20.04)	401.63	185.97	330.80
बांध, डाइक आदि सहित हाइड्रोलिक कार्य	28,780.71	14,262.79	(21.39)	6,677.14	36,344.97	28,780.71
अन्य सिविल कार्य	-	115.25	-	36.02	79.23	-
पावर हाउस	141.83	287.78	(5.12)	30.84	393.65	141.83
केबल कनेक्शन सहित स्विच यार्ड	745.48	2,054.01	-	34.95	2,764.54	745.48
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	-	-	-	-	-	0.00
पारेषण लाइनें	-	-	-	-	-	-
100 केवी एम्पियर और उससे अधिक रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर	1,183.64	2,622.21	(2.89)	-	3,802.96	1,183.64
सर्वेक्षण और जांच	1,755.50	227.84	(138.76)	15.80	1,828.78	1,755.50
संचार उपकरण	15.09	1.74	-	16.83	-	15.09
जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र और मशीनरी	11,120.50	24,239.53	-	1,353.44	34,006.59	11,120.50
गैस बूस्टर स्टेशन	3,871.63	4,493.37	-	3,633.03	4,731.97	3,871.63
ईडीपी और डबल्यूपी मशीन	-	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	15,141.59	12,284.27	6.25	-	27,432.11	15,141.59
	63,819.98	62,592.54	(322.45)	14,016.09	1,12,073.98	63,819.98
कमी : बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	1,990.91	-	(281.41)	-	1,709.50	1,990.91
निर्माण भंडार (प्रावधानों का निवल)	13.51	-	3,816.45	-	3,829.96	13.51
कुल	61,842.58	62,592.54	3,775.41	14,016.09	1,14,194.44	61,842.58

ए. सीडबल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ लाखों में)

सीडबल्यूआईपी	31 मार्च 202३ तक				कुल
	अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	63,078.32	40,056.01	7,964.75	3,095.37	1,14,194.45
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

बी. सीडबल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

सीडबल्यूआईपी	31 मार्च 2022 तक				कुल
	अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	46611.48	11973.42	164.48	3093.2	61,842.58
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

सी. सीडब्ल्यूआईपी समापन कार्यक्रम - जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है ।

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2023 तक में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
प्रगति में परियोजनाएं/परिसंपत्तियां: *				
असम जीबीपीएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुइरियल एचपीएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

डी. सीडब्ल्यूआईपी समापन अनुसूची - - जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है ।

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2022 तक में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
प्रगति में परियोजनाएं/परिसंपत्तियां: *				
असम जीबीपीएस	1412.39	2521.53		
तुइरियल एचपीएस	73.85	11.38		
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

** वाणिज्यिक संचालन में बिजली संयंत्रों के लिए पूंजीगत कार्यों के तहत संपत्तियां

बट्टे खाते में डालने का प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भवन (मुख्यालय)	0.27	0.27
भवन (तुइरियल एचआईपी)	-	137.90
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज (तुइरियल एचआईपी)	-	20.04
पर्यावरण और पारिस्थितिकी (तिपाईमुख एचआईपी)	-	-
सर्वेक्षण और जांच		
तिपाईमुख हेप	-	-
सियांग हेप	246.45	246.45
सलिम हेप	-	4.48
तुइरियल हेप	-	-
गारो हिल्स थर्मल प्रोजेक्ट	90.47	90.47
मार्गरेटा हेप	-	5.45
रोखिया और बारामुरा जीटी पावर प्लांट	-	28.70
गुमटी हेप	-	58.55
डब्ल्यूके हिल्स हेप	-	4.95
लेह और कारगिल हेप	44.94	44.94
खेप	17.33	17.33
किलिंग हेप	69.67	69.67
बांडु हेप	-	-
रंगित हेप	-	21.34
सौर्य ऊर्जा		
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय		
तिपाईमुख हेप	-	-
बिछोम बेसिन	253.52	253.52
किलिंग हेप	524.93	524.93
सियांग हेप	461.92	461.92
कुल	1,709.50	1,990.91

नोट संख्या 4: अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
की वहन राशि :		
सॉफ्टवेयर	951.87	1,259.95
उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	7,712.77	7,921.11
कुल	8,664.64	9,181.06

31 मार्च 2023 तक

(₹ लाखों में)

विवरण	रसॉफ्टवेयर	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	कुल
1 अप्रैल 2022 को सकल खंड संवर्धन	2,132.79	8,386.87	10,519.66
अवधि हेतु समायोजन	326.88	-	326.88
	(41.07)	-	(41.07)
31 मार्च 2023 तक सकल खंड	2,418.60	8,386.87	10,805.47
1 अप्रैल 2022 को संचित ह्रास			
अवधि हेतु प्रभार			
31 मार्च 2023 को संचित ह्रास			
1 अप्रैल 2022 को संचित परिशोधन	872.84	465.76	1,338.60
अवधि हेतु प्रभार	636.95	208.34	845.29
अवधि हेतु समायोजन	(43.06)	-	(43.06)
31 मार्च 2023 को संचित परिशोधन	1,466.73	674.10	2,140.83
31 मार्च 2023 को कुल संचित परिशोधन एवं ह्रास	1,466.73	674.10	2,140.83
31 मार्च 2023 को निवल खंड	951.87	7,712.77	8,664.64

31 मार्च 2022 को

(₹ लाखों में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	उपयोग का अधिकार (वन भूमि)	कुल
1 अप्रैल 2021 को सकल खंड संवर्धन	1,226.52	8,386.87	9,613.39
अवधि के लिए समायोजन	905.42	-	905.42
	0.85	-	0.85
31 मार्च 2022 को सकल खंड	2,132.79	8,386.87	10,519.66
1 अप्रैल 2021 को संचित ह्रास			
अवधि हेतु प्रभार			
31 मार्च 2022 को संचित ह्रास			
1 अप्रैल 2021 को संचित परिशोधन	514.04	256.96	771.00
अवधि हेतु प्रभार	357.95	208.80	566.75
अवधि के लिए समायोजन	0.85	-	0.85
31 मार्च 2022 को संचित परिशोधन	872.84	465.76	1,338.60
31 मार्च 2022 को कुल संचित परिशोधन एवं ह्रास	872.84	465.76	1,338.60
31 मार्च 2022 को निवल खंड	1,259.95	7,921.11	9,181.06

- परियोजनाओं (कामेंग जल विद्युत परियोजना, पारेजल विद्युत परियोजना और तुइरियल जल विद्युत परियोजना) की स्थापना के लिए कब्जे/उपयोग (5967.24 हेक्टेयर) में वन भूमि के लिए भुगतान किए गए मुआवजे को “उपयोग का अधिकार” माना जाता है।
- सॉफ्टवेयर सिस्टम के रखरखाव पर वार्षिक रूप से देय व्यय को राजस्व में शामिल किया जाता है।

नोट संख्या 4ए: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पंजीकृत	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रकमण शुल्क सहित अग्रिम प्रीमियम	10,096.00	-	-	-	10,096.00	10,096.00
सॉफ्टवेयर	161.77	148.59	(52.11)	258.25	-	161.77
	10,257.77	148.59	(52.11)	258.25	10,096.00	10,257.77
कमी: बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	10,000.00				10,000.00	10,000.00
कुल	257.77	148.59	(52.11)	258.25	96.00	257.77

ए. विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	31 मार्च 2023 तक				
	अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	13.50			82.50	96.00
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बी विकास के तहत अमूर्त संपत्ति बढ़ने की अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	31 मार्च 2022 तक				
	अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	175.27		-	82.50	257.77
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सी. विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति - जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	31 मार्च 2023 तक			
	में पूरा किया जाना			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* नीपको में ईआरपी लागू किया जा रहा है

डी विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति - जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	31 मार्च 2022 तक			
	में पूरा किया जाना			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	161.77	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट संख्या 5: सहायक एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
उद्धृत निवेश				
कुल संकलित उद्धृत निवेश (ए)				
अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णतः प्रदत्त)				
इक्विटी में निवेश				
- संयुक्त उपक्रम - संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयां				
- केएसके डिब्बिन जल विद्युत (पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर)	27930000	3,236.13	27930000	3238.00
कुल संकलित अनुद्धृत निवेश (बी)	27930000	3,236.13	27930000	3,238.00
अन्य निवेश				
कुल अन्य निवेश (सी)				
कुल निवेश (ए)+(बी)+(सी)	27930000	3,236.13	27930000	3,238.00
घटाकर : निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि		2,793.00		2,793.00
- संयुक्त उपक्रमों का - संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं				
कुल हानि मूल्य (डी)				
कुल निवेश मूल्य (ए) + (बी) + (सी) - (डी)	27930000	443.13	27930000.00	445.00

संयुक्त उद्यमों में निवेश

(i) गैर-उद्धृत निवेशों की वहन राशि और बाजार मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

कंपनियों के नाम	स्वामित्व ब्याज का अनुपात के रूप में	
	31-03-2023	31-03-2022
केएसके डिब्बिन जल विद्युत	30%	30%

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(ए) अनुद्धृत		
अनुद्धृत निवेशों की संकलित वहन राशि	443.13	445.00
कुल वहन राशि	443.13	445.00

(i) अनुद्धृत निवेशों की लागत लगभग उचित मूल्य है क्योंकि उचित मूल्य मापनों की विस्तृत रेंज संभव है और लागत, उस रेंज के अंदर उचित मूल्य के आकलन को निरूपित करती है।

(ii) केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर में निवेश:- केएसके एनर्जी वेंचर्स और नीपको लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु।

नीपको, मैसर्स केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और अवसरों की खोज की प्रक्रिया के तहत है, जिसमें किए गए निवेश के लिए निगम (नीपको) के हितों की रक्षा के लिए कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति शामिल है। हालांकि, कंपनी की अंतर-अनुशासनात्मक समिति द्वारा देखे गए वर्तमान स्वरूप में परियोजना की व्यावसायिक गैर-व्यवहार्यता को देखते हुए, उक्त निवेश के लिए समान राशि का प्रावधान किया गया है।

नोट संख्या 6: ऋण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
- प्रत्याभूत, लाभदायक माने गए	-	-
- अप्रत्याभूत, लाभदायक माने गए	28.19	26.16
- जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- खराब क्रेडिट	-	-
कमी: अशोध्य एवं संदिग्ध भत्तों के लिए अग्रिम	-	-
कुल	28.19	26.16

- (i) कर्मचारियों को प्रदत्त ऋण एवं अग्रिमों में ब्याजधारी कंप्यूटर अग्रिम और ब्याज मुक्त फर्नीचर अग्रिम एवं बहुप्रयोज्य अग्रिम शामिल हैं। कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम को कर्मचारियों से 60 समान किश्तों में वसूला जाता है, वहीं बहुप्रयोज्य अग्रिम को 12 किश्तों में वसूला जाता है।
- (ii) दिनांक 31.03.2022 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशकों और अन्य संबंधित पार्टियों से कोई बकाया ऋण नहीं है।
- (iii) उपरोक्त ऋण और अग्रिम वसूली योग्य आधार पर निगम के मानदंडों के अनुसार दिए गए हैं।

नोट संख्या 7: आस्थिति कर शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आस्थिति कर देयता		
पुस्तिका मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	1,51,326.48	1,34,249.94
कमी: आस्थिति कर परिसंपत्ति		
अवशोषित मूल्यहास	35,550.49	42,540.99
प्रावधान	10,278.85	8,963.85
सांविधिक बकाया	-	365.37
अवकाश नकदीकरण	5,728.29	4,841.55
अन्य*	980.90	904.38
संयुक्त उद्यम कंपनियों के आस्थिति कर	93.45	94.03
निवल आस्थिति कर (परिसंपत्ति)/देयता	98,881.40	76,727.83

31.03.2023 को अस्थिति कर

(₹ लाखों में)

अस्थिति कर समाधान	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	पीएल में प्रभाव
आईएनडी एएस के अनुसार आस्थिति कर देयता	(1,51,326.48)	(1,34,249.94)	17,076.54
आईएनडी एएस के अनुसार आस्थिति कर परिसंपत्तियाँ	52,445.08	57,522.11	5,077.03
निवल आस्थिति कर देयता	(98,881.40)	(76,727.83)	22,153.57
निवल (देयता)/ आईएनडी एएस के अनुसार अस्थिति परिसंपत्तियाँ	(98,881.40)	(76,727.83)	22,153.57
पीएल में प्रभाव			22,153.57

31.03.2022 को अस्थिगत कर

(₹ लाखों में)

अस्थिगत कर समाधान	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	पीएल में प्रभाव
आईएनडी एएस के अनुसार आस्थिगत कर देयता	(1,34,249.94)	(1,08,464.60)	25,785.34
आईएनडी एएस के अनुसार आस्थिगत कर परिसंपत्तियाँ	57,522.11	46,555.62	(10,966.49)
निवल आस्थिगत कर देयता	(76,727.83)	(61,908.98)	14,818.85
निवल (देयता)/ आईएनडी एएस के अनुसार अस्थिगत परिसंपत्तियाँ	(76,727.83)	(61,908.98)	14,818.85
पीएल में प्रभाव			14,818.85

(i) नीपको बिजली के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में है। कंपनी के विभिन्न बिजली संयंत्रों से उत्पन्न बिजली को दीर्घावधि बिजली खरीद समझौतों के तहत विभिन्न लाभार्थियों को बेचा जाता है। उत्पादन स्टेशनों के लिए शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर “लागत प्लस आधार” पर जारी सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुपालन में निर्धारित किया जाता है। नीपको के हितधारकों पर बिलिंग के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ के साथ-साथ भारत में प्रचलित बिजली व्यापार और उत्पादन स्टेशनों के संयंत्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य के वर्षों में कंपनी को पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

इंड एएस 12 - करों के अनुपालन में, कंपनी ने “अनवशोषित मूल्यहास” के संबंध में 31.03.2022 को समाप्त वर्ष तक 42,540.99 लाख की आस्थिगत कर संपत्ति (डीटीए) को इस बात के पुख्ता सबूत के साथ मान्यता दी है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6990.50 लाख रुपये की और प्रोद्भूत राशि के साथ, 31.03.2023 को “अवशोषित मूल्यहास” के संबंध में डीटीए 35,550.49 लाख रुपये है।

(ii) 31.03.2022 को कंपनी के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट ₹ 24702.68 लाख है, जो कि धारा 115 जेएए के तहत टैक्स क्रेडिट की गणना के अनुसार राशि है।

(iii) * अन्य में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सोने का सिक्का देने के प्रावधान पर बनाई गई आस्थिगत कर संपत्ति शामिल है।

(iv) विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 48 देखें।

आस्थिगत कर शेष में विचलन

31 मार्च 2023 को

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 को	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य	31 मार्च 2023
आस्थिगत कर देयता					
पुस्तिका मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	1,34,249.94	17,076.54			1,51,326.48
कमी: आस्थिगत कर परिसंपत्ति	-				
अवशोषित मूल्यहास	42,540.99	(6,990.50)			35,550.49
प्रावधान	8,963.85	1,315.00			10,278.85
वैधानिक बकाया	365.37	(365.37)			-
अवकाश नकदीकरण	4,841.55	886.74			5,728.29
अन्य	904.38	76.52			980.90
संयुक्त उद्यम कंपनियों के आस्थिगत कर	94.03	(0.58)			93.45
निवल कर (परिसंपत्ति)/देयता	76,727.83	22,153.57	-	-	98,881.40

31 मार्च 2022 को

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य	31 मार्च 2023
आस्थिगत कर देयता					
पुस्तिका मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	1,08,464.60	25,785.34	-	-	1,34,249.94
कमी: आस्थिगत कर परिसंपत्ति	-			-	
अवशोषित मूल्यहास	30,546.32	11,994.67	-	-	42,540.99
प्रावधान	9,781.56	(817.71)	-	-	8,963.85
वैधानिक बकाया	1,163.83	(798.46)	-	-	365.37
अवकाश नकदीकरण	5,158.25	(316.70)	-	-	4,841.55
अन्य	-	904.38			904.38
संयुक्त उद्यम कंपनियों के आस्थिगत कर	94.33	(0.30)			94.03
निवल कर (परिसंपत्ति)/देयता	61,908.97	14,818.86	-	-	76,727.83

नोट संख्या 8: अन्य अचल परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूँजी अग्रिम	-	-
प्रत्याभूत	-	-
अप्रत्याभूत	-	-
बैंक गारंटी द्वारा रक्षित	12,527.67	12,284.78
अन्य	2,255.53	2,635.90
संदिग्ध माने गए	255.22	39.64
कमी: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	255.22	39.64
	14,783.20	14,920.68
आस्थिगत विदेशी मुद्रा में गतिशील परिसंपत्तियाँ	-	-
अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	1,052.54	1,103.89
अग्रिम कर वापसी योग्य	2,343.46	2,278.53
कुल	18,179.20	18,303.10

- (i) पूँजीगत अग्रिमों में मोबिलाइजेशन एडवांस और परियोजनाओं के संबंध में एस्करो खाते में जमा किए गए मध्यस्थता के लिए अग्रिम शामिल हैं।
- (ii) वार्षिक वर्ष 2015-16, वार्षिक वर्ष 2016-17, वार्षिक वर्ष 2018-19 और वार्षिक वर्ष 2020-21 से संबंधित वापसी कर क्रमशः ₹439.85 लाख, ₹872.26 लाख, ₹(1597.55) लाख और ₹2628.90 है जिसके लिए अपील आयकर अधिकारियों के पास लंबित हैं।
- (iii) आयकर पर विस्तृत खुलासे के लिए नोट संख्या-48 देखें।
- (iv) 31.03.2023 को निदेशकों और अन्य संबंधित पार्टियों की अग्रिम शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।

नोट संख्या 9: माल-सूचियां (लागत या निवल प्राप्य मूल्य में से कम पर)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रचालन स्टोर ::		
स्टोर एवं पुर्जे	11,602.58	13,381.41
उपभोग्य	411.85	292.47
अन्य	501.62	1,425.36
अप्रचलित / स्क्रेप	822.77	836.38
	13,338.82	15,935.62
कमी :: कमी के लिए प्रावधान		
अप्रचलित / अनुपयोगी वस्तुओं के लिए प्रावधान	822.77	836.38
कुल सूची	12,516.05	15,099.24
उपर्युक्त में शामिल, पारगमनाधीन माल		
स्टोर एवं पुर्जे	-	-
कुल पारगमनाधीन माल	-	-

- (i) ₹14,500.00 लाख (पिछले वर्ष ₹7500.00 लाख) का सुरक्षित, कार्यशील पूंजी मांग ऋण, निकासी की सीमा तक कंपनी के स्टोर और स्पेयर और बुक डेट के शेयरों के गिरवी के लिए निकाला गया था।
- (ii) कंपनी विनियामक वातावरण में काम कर रही है और सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, ईंधन और अन्य इन्वेंट्री वस्तुओं की लागत मौजूदा टैरिफ नियमों के अनुसार वसूल की जाती है। तदनुसार, इन्वेंट्री का वसूली योग्य मूल्य लागत से कम नहीं है। स्टोर और स्पेयर्स में मरम्मत और रखरखाव के लिए परिशोधन हेतु ₹906.76 लाख (पिछले वर्ष ₹915.67 लाख) की अनुदान सहायता के अंतर्गत स्टोर शामिल हैं।

नोट संख्या 10: व्यापारिक प्राप्य राशियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार प्राप्य लाभदायक मानी गई - प्रत्याभूत		
व्यापार प्राप्य लाभदायक मानी गई - अप्रत्याभूत	94,429.78	48,776.49
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
व्यापार प्राप्य- क्रेडिट क्षीण		
संदिग्ध ऋणों हेतु भत्ता		
कुल	94,429.78	48,776.49

- (i) व्यापारिक प्राप्य राशियां, व्यापार के सामान्य क्रम में विक्रीत माल या प्रदत्त सेवाओं के संबंध में देय राशियां हैं।
- (ii) जहां किसी देय तिथि पर विशिष्ट रूप से सहमति नहीं दी गई है वहां, कंपनी द्वारा अनुमत सामान्य उधार अवधि सीईआरसी विनियमों/मार्गदर्शन के अनुपालन में है।
- (iii) जहां किसी व्यापारिक प्राप्य राशि का प्रावधान किया गया है वहां, उक्त प्रावधान को विवेक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, पर फिर भी राशि को तुलन पत्र के दिनांक से 12 माह के अंदर प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी परिस्थितियों में, उक्त व्यापारिक प्राप्य राशि को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, जहां अगले बारह माह की अवधि में राशि प्राप्त होना अपेक्षित न हो वहां उसे गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करना होगा और साथ में उसके लिए प्रावधान भी करना होगा।
- (iv) संबंधित पार्टियों से प्राप्य राशि ₹ 2401.46 लाख है

व्यापार प्राप्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को							
	बिल नहीं किया गया	देय नहीं (अर्थात्, 45 दिनों तक)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कुल
			> 45 दिन से कम	6 महीने से 01 वर्ष	01 वर्ष से 02 वर्ष	02 वर्ष से 03 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई= बी से एच
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	44,382.59	32,176.31	6,836.72	664.97	-	0.75		84,061.34
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है								-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-ऋण प्रभावित								-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है							10,368.44	10,368.44
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है								-
(vi) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण प्रभावित								-
कुल	44,382.59	32,176.31	6,836.72	664.97	-	0.75	10,368.44	94,429.78

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को							
	बिल नहीं किया गया	देय नहीं (अर्थात्, 45 दिनों तक)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कुल
			> 45 दिन से कम	6 महीने से 01 वर्ष	01 वर्ष से 02 वर्ष	02 वर्ष से 03 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई= बी से एच
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	24,930.37	8,605.88	3,466.93	1,324.05	0.75	80.07		38,408.05
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है								-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-ऋण प्रभावित								-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है						9,936.50	431.94	10,368.44
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है								-
(vi) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण प्रभावित								-
कुल	24,930.37	8,605.88	3,466.93	1,324.05	0.75	10,016.57	431.94	48,776.49

(I) विवादित व्यापार प्राप्य पर टिप्पणियाँ:

- (1) विवादित व्यापार प्राप्य में (i) प्रभावी कर दर के कारण प्रतिपूर्ति के दावे के लिए 431.94 लाख रुपये शामिल हैं; (ii) 2015-16 से 2018-19 के लिए विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) की प्रतिपूर्ति के दावे के प्रति 1399.45 लाख रुपये; (iii) 2017-18 और 2018-19 के लिए सीईआरसी द्वारा टीजीबीपी के टैरिफ के निर्धारण से उत्पन्न बकाया बिलों के प्रति 5799.78 लाख रुपये; (iv) एसटीजी इकाई के सीओडी से पहले 2015-16 और 2016-17 के दौरान जीटीजी इकाई के बिलों के प्रति 2737.27 लाख रुपये।
- (2) विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) ने लिपक्षीय समझौते (टीपीए) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए टीएसईसीएल के ₹10368.44 के बकाया के निपटान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रक्रिया जारी है। टीएसईसीएल ने एपीटीईएल के समक्ष ₹10368.44 लाख के उपरोक्त उल्लिखित बिलों के खिलाफ अपील की है। याचिका को एपीटीईएल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसे अपनी बारी में सुनवाई के लिए “अंतिम सूची” में शामिल किया गया है। जैसा कि कानूनी विशेषज्ञों ने संकेत दिया है, पर्याप्त कानूनी/नियामक आधार हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि टीएसईसीएल की याचिका खारिज कर दी जाएगी और एपीटीईएल द्वारा नीपको के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। हालाँकि, 01 अप्रैल 2022 के आदेश के माध्यम से, माननीय एपीटीईएल ने नीपको को अपील की लंबित अवधि के दौरान बकाया भुगतान के लिए टीएसईसीएल के लिए कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
- (3) टीएसईसीएल ने 10368.44 लाख रुपये के बिलों के संबंध में उपर्युक्त विवाद के अदालत के बाहर निपटान की पेशकश की है, जिसे नीपको ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इस प्रस्ताव में विवादित राशि को 50 - 50 के आधार पर बांटना शामिल है। इस बीच, नीपको के अनुरोध के आधार पर, भारत सरकार ने भारत सरकार, आरबीआई और त्रिपुरा सरकार के बीच लिपक्षीय समझौते के भुगतान सुरक्षा खंड के आह्वान के संबंध में त्रिपुरा सरकार पर ध्यान दिया है, जो भारत सरकार को राज्यों से फंड डायवर्ट करने में सक्षम बनाता है। टीएसईसीएल द्वारा नीपको को देय देय राशि को समाप्त करने के लिए आरबीआई के पास खाता रखा गया है, जिसमें बकाया पर विलंबित भुगतान अधिभार भी शामिल है। भुगतान को मामले पर निर्णय होने तक के लिए टाल दिया गया है, जो जल्द ही अपेक्षित है।
- (4) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 10368.44 लाख रुपये के विवादित व्यापार प्राप्य राशि को अच्छा माना गया है और बड़े खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं है। इसके अलावा, उपरोक्त राशि की वसूली तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर अपेक्षित है।
- (5) बिल न किए गए राजस्व पर नोट्स
31.03.2023 तक बिना बिल किए गए राजस्व की राशि ₹ 44382.59 लाख में ऊर्जा बिल ₹ 26476.88 लाख, मर्चेट पावर का व्यापार ₹ 2400.71 लाख, एफईआरवी ₹ 3727.85 लाख, वेतन प्रभाव (ग्रेच्युटी वृद्धि का दावा शामिल) रुपये शामिल हैं। ₹6969.89 लाख, एफसी पुनरीक्षण पर बकाया ₹. 2925.36 लाख, लाभार्थियों से ब्याज ₹ 1704.12 लाख, एनईआरएलडीसी शुल्क और शुल्क ₹129.98 लाख और एलपीएस ₹47.80 लाख।

व्यापार प्राप्तियों में बदलाव

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रारंभिक शेष	48,776.49	76,911.76
जोड़कर- निवल राजस्व को मान्यता दी गई लेकिन वर्ष दौरान वसूली नहीं की गई	45,653.29	(28,135.27)
जमा शेष	94,429.78	48,776.49

(ii) व्यापार प्राप्तियों का और अधिक विश्लेषण किया जाना जैसे :

(₹ लाखों में)

31 मार्च 2023 को	सकल ऋण जोखिम राशि	ऋण हानि के लिए भत्ता	नेट क्रेडिट जोखिम राशि
राशि अभी बकाया नहीं है	76,558.90	-	76,558.90
45 दिनों से अधिक, छ महीनों तक	6,836.72	-	6,836.72
छ महीनों से अधिक	11,034.16	-	11,034.16
कुल	94,429.78	-	94,429.78

(₹ लाखों में)

31 मार्च 2022 को	सकल ऋण जोखिम राशि	ऋण हानि के लिए भत्ता	नेट क्रेडिट जोखिम राशि
राशि अभी बकाया नहीं है	33,536.25	-	33,536.25
45 दिनों से अधिक, छ महीनों तक	3,466.93	-	3,466.93
छ महीनों से अधिक	11,773.31	-	11,773.31
कुल	48,776.49	-	48,776.49

कंपनी 31 मार्च, 2023 को ग्राहकों के संबंध में ऋण जोखिम के लिए अपने अधिकतम जोखिम को ₹ 94,429.78 लाख (31 मार्च, 2022: ₹ 48,776.49 लाख) मानती है, जो कि क्रेडिट हानियों के लिए भत्ता के बाद व्यापार प्राप्तियों का उचित मूल्य है। ग्राहकों के लिए कंपनी का एक्सपोजर विविध है और टीएसईसीएल (लिपुआ) और पी एंड ई मिजोरम को छोड़कर, कोई भी अन्य ग्राहक 31 मार्च, 2022 तक प्राप्य बकाया राशि (यानी 45 दिनों से अधिक) के 10% से अधिक का योगदान नहीं करता है।

व्यापारिक प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण हानियों के भत्ते में उतार-चढ़ाव:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अवधि के आरंभ में शेष	-	-
अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-

संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्तों का निर्धारण करने में कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करके एक व्यावहारिक प्रयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि के अनुभव को ध्यान में रखता है और इसे आगे की जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता प्राप्य राशियों की उम्र बढ़ने और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

नोट संख्या 11: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(ए) बैंकों में शेष		
बैंकों में अप्रतिबंधित शेष		
(i) चालू खाते में	1,460.60	4,344.26
(ii) जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3 महीने से कम)		
(बी) हाथ में चेक ड्राफ्ट		
(सी) हाथ में नकदी		
(डी) अन्य	0.74	0.23
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,461.34	4,344.49
<i>नकदी और बैंक शेष के संबंध में प्रकटीकरण</i>		
(ए) बैंकों में उद्दिष्ट शेष		
बैंकों में उद्दिष्ट शेष		
(i) चालू खाते में		
(ii) जमा खाते में		
कुल	1,461.34	4,344.49

नोट संख्या 12: नकदी एवं नकदी समतुल्य को छोड़कर बैंक अधिशेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रतिबंधित राशि	291.50	1,009.06
कुल	291.50	1,009.06

(i) प्रतिबंधित राशि का अलग-अलग विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भारत सरकार की डीडीयूजीवीवाई योजना	272.41	992.58
भारत सरकार की सौभाग्य योजना	14.78	13.79
पीएम- कुसुम (एमएनआरई- भारत सरकार)	1.20	2.69
रूफ-टॉप सोलर योजना	3.11	-
कुल	291.50	1,009.06

(ii) नकद और नकद समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजीवाई), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) और पीएम-कुसुम और रूफ-टॉप सोलर योजना से संबंधित प्रतिबंधित धन शामिल है।

(iii) उपरोक्त नकदी और बैंक शेष मुख्य रूप से भारतीय रुपये में अंकित और धारित हैं।

नोट संख्या 13: अन्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अन्य प्राप्य		
- प्रत्याभूत, लाभदायक माने गए		
- अप्रत्याभूत, लाभदायक माने गए	863.41	1,146.21
दावा प्राप्य (प्रत्याभूत)	-	3,562.67
अनुबंध संपत्ति	24,671.57	29,556.94
कम :: एलपीएस के विरुद्ध प्रावधान	(3,636.25)	-
अनुबंध परिसंपत्तियां	21,035.32	29,556.94
एसटीडीआर पर अर्जित ब्याज	-	-
कर्मचारियों के लिए अग्रिम	1,187.43	1,429.36
सुरक्षा जमा	139.04	111.65
कुल	23,225.20	35,806.83

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
जमा और ऋण से प्राप्त ब्याज		
अप्रत्याभूत को अच्छा माना गया है	-	-
अप्रत्याभूत को संदिग्ध माना गया है	-	-
कमी: ऋण हानियों के लिए भत्ता	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
कर्मचारियों के लिए अग्रिम	1,187.43	1,429.36
सुरक्षा जमा	139.04	111.65

- (i) सकल अनुबंध संपत्ति में अनंतिम राजस्व ₹ 18800.98 लाख, आस्थगित कर सामग्री ₹ 1452.47 लाख और प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2016-17) ₹781.87 लाख शामिल है।
- (ii) अन्य प्राप्य-असुरक्षित विचारित वस्तु में डीडीयूजीजेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी से प्राप्त होने वाली राशि ₹416.58 लाख, पीएम कुसुम राशि ₹25.30 लाख, पीआरएमबी ट्रस्ट से प्राप्त राशि ₹246.17 लाख, एनटीपीसी से प्राप्त राशि ₹11.03 लाख, टीडीएस के लिए प्राप्य एनवीवीएन राशि ₹2.05 लाख, बीएसई से प्राप्त राशि ₹3.03 लाख, एसबीआई ₹1.70 लाख, एलआईसी ₹0.65 लाख शामिल है। ग्रेच्युटी ट्रस्ट से प्राप्य राशि ₹153.17 लाख और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि ₹3.73 लाख है।
- (iii) कंपनी के निदेशकों पर कोई बकाया ऋण नहीं है।
- (iv) कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम में ब्याज सहित कंप्यूटर अग्रिम और ब्याज मुक्त फर्नीचर अग्रिम और बहुउद्देशीय अग्रिम शामिल हैं। कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम की वसूली कर्मचारियों से 60 समान किस्तों में की जाती है जबकि बहुउद्देशीय अग्रिम की वसूली 12 किस्तों में की जाती है।
- (v) 'प्रतिभूति जमा-राशियों का गठन मुख्य रूप से बीएसएनएल लाइनों, गैस कनेक्शन, केबल कनेक्शन आदि के मद में की गई जमाओं से हुआ है जो सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त सेवाओं के समर्पण पर वापस मिल जाएंगी।
- (vi) अन्य प्राप्य में परिवर्तन - अप्रत्याभूत को अच्छा माना गया है और बिल न किया गया राजस्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रारंभिक शेष	34,265.82	18,672.63
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़	13,922.80	39,179.78
कमी : वर्ष के दौरान वसूल/बिल किया गया	26,289.89	23,586.59
अंतिम शेष	21,898.73	34,265.82

नोट संख्या 14: वर्तमान कर संपत्ति/(देयताएं)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अग्रिम कर वापसी योग्य	514.84	180.67
टीडीएस / टीसीएस सहित अग्रिम कर का भुगतान	10,658.62	7,294.29
कमी- वर्तमान कर देनदारियाँ		
वर्तमान वर्ष	11,488.84	5,676.88
पूर्व वर्षों के लिए समायोजन	70.94	809.86
अन्य व्यापक आय	(885.11)	(772.86)
नियामक आस्थगित खाते की शेष राशि से संबंधित	1,468.19	1,619.88
एमएटी क्रेडिट पालता	-	-
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएं) (निवल)	(969.40)	141.20

- (i) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान विवाद से विश्वास योजना के तहत मूल्यांकन के अनुसार निर्धारण वर्ष 2009-10 और निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2014-15 और 2021-22 से संबंधित कर वापसी योग्य राशि क्रमशः 4.87 लाख रुपये, 3.13 लाख रुपये, 153.60 लाख रुपये और 19.07 लाख रुपये और अन्य क्रमशः 333.48 लाख और 0.69 लाख रुपये है।
- (ii) 31.03.2023 को कंपनी के लिए उपलब्ध मैट क्रेडिट की राशि ₹ 24702.68 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11745.65 लाख) है, जो धारा 115 जेएए के तहत कर क्रेडिट की गणना के अनुसार राशि है।
- (iii) आयकर पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या-48 देखें।

नोट संख्या 15: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रीपेड बीमा सहित प्रीपेड खर्च	2,256.52	1,842.71
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम - अप्रत्याभूत, अच्छा माना जाता है	1,690.30	1,339.40
कमी : संदिग्धों के लिए भत्ते	52.77	40.40
स्क्रेप/अप्रचलित परिसंपत्तियाँ	12,938.69	12,704.57
कम : प्रावधान	12,938.69	12,704.57
सकल	-	-
कुल	3,894.05	3,141.71
निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	-	8.20
कुल	3,894.05	3,149.91

- (i) प्रीपेड व्यय में प्रीपेड बीमा, लाइसेंस शुल्क (प्रदूषण नियंत्रण) और इंटरनेट के लिए बीएसएनएल लीजलाइन के संबंध में अग्रिम भुगतान की गई राशि शामिल है, जिसका लाभ रिपोर्टिंग तिथि पर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ₹ 20000/- और उससे कम की मदों के प्रीपेड व्ययों को लेखा शीर्ष से प्रभावित किया जाता है।
- (ii) आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम, बिलों से 12 महीने के भीतर वसूल किए जाने वाले अल्पावधि अग्रिम हैं। कार्य/आपूर्ति आदेश के तहत निर्धारित अनुसार अग्रिम दिए जाते हैं।
- (iii) दिनांक 31.03.2023 को निदेशकों और अन्य संबंधित पार्टियों को अग्रिम शून्य है। (पिछले वर्ष शून्य)
- (iv) निपटान के लिए धारित संपत्ति में निम्नलिखित मद शामिल हैं

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
संयंत्र और उपकरण	-	38.60
वाहन	-	9.71
कार्यालय के उपकरण	-	-
उपकरण और संयंत्र	-	-
विविध. उपकरण:	-	-
निपटान के लिए धारित संपत्ति का मूल्य	-	48.31
कम: प्रावधान	-	40.11
निपटान के लिए धारित संपत्ति के लिए एनआरवी	-	8.20

- (v) स्क्रेप/अप्रचलित आस्तियाँ

(₹ लाखों में)

यूनिट	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
असम जीबीपीएस	510.88	473.11
अगरतला जीबीपीएस	194.42	72.67
कोपिली एचपीएस	11,846.38	11,837.67
रंगानदी एचपीएस	86.53	86.53
पारे एचपीएस	-	1.70
कामेंग एचपीएस	-	67.17
कोलकाता	0.06	-
त्रिपुरा जीबीपीएस	-	0.08
तुईरियल एचपीएस	70.95	70.95

रूपा (एस एंड आई)	0.07	0.40
शिलांग	93.18	93.18
गुवाहाटी	0.57	1.11
वाह उमियम !	0.71	-
नई दिल्ली	0.79	-
दोयांग एचपीएस	134.15	-
कुल	12,938.69	12,704.57
कमी-प्रावधान	12,938.69	12,704.57

नोट संख्या 16: रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स डेबिट बैलेंस

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष		
(i) कर्मचारी लाभ व्यय - उपदान		
प्रारंभिक शेष	4,793.47	4,793.47
अवधि के दौरान अतिरिक्त	(4,793.47)	
जमा शेष	-	4,793.47
ii) मूल्यह्रास - तुइरियल एचपीएस		
प्रारंभिक जमा	18,079.69	13,962.05
अवधि के दौरान अतिरिक्त	4,113.61	4,117.64
जमा शेष	22,193.30	18,079.69
(iii) आस्थगित कर देनदारियों के लिए आस्थगित कर समायोजन		
प्रारंभिक शेष	29,387.52	24,233.87
अवधि के दौरान अतिरिक्त	10,542.90	5,153.65
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन		-
जमा शेष	39,930.42	29,387.52
(iv) वसूली योग्य आस्थगित कर		
प्रारंभिक शेष	38,623.96	39,934.78
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	(1,452.47)	(1,310.82)
जमा शेष	37,171.49	38,623.96
(v) विनिमय अंतर		
प्रारंभिक शेष	1,459.91	1,459.91
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	-
अवधि के दौरान प्राप्त/समायोजन	(1,459.91)	-
जमा शेष	-	1,459.91
नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष	99,295.21	92,344.55

आस्थगित नियामक खाता शेष राशि को लेखा नीति संख्या -6 के अनुरूप समायोजित किया गया है। विस्तृत प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 37 देखें।

नोट संख्या 17: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
इक्विटी शेयर पूंजी	3,60,981.04	3,60,981.04
कुल	3,60,981.04	3,60,981.04

अधिकृत एवं जारी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अधिकृत शेयर पूंजी		
₹ 10/- के इक्विटी शेयरों की संख्या 5,00,00,00,000 प्रत्येक (पिछले वर्ष ₹ 10/- के इक्विटी शेयरों की संख्या 5,00,00,00,000)	5,00,000.00	5,00,000.00
निर्गमित, अभिदानित और पूर्ण प्रदत्त पूंजी में शामिल हैं:		
3,60,98,10,400 संख्या (पिछली अवधि 3,60,98,10,400 संख्या)		
₹ 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयरों में से	3,60,981.04	3,60,981.04
कुल	3,60,981.04	3,60,981.04

(i) अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी में उतार-चढ़ाव नीचे वर्णित है:

विवरण	31 मार्च 2023 तक					
	01.04.2022 तक प्रारम्भिक शेष		2022-23 के दौरान उतार-चढ़ाव		31.03.2023 तक अंतिम शेष	
	शेयरों की संख्या	₹. लाख में	शेयरों की संख्या	₹. लाख में	शेयरों की संख्या	₹. लाख में
₹. 10 प्रत्येक के साधारण शेयर वर्ष के प्रारम्भ में	3609810400	360981.04	-	-	3609810400	360981.04
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-	-	-	-	-
	3609810400	360981.04	-	-	3609810400	360981.04

विवरण	31 मार्च 2022 तक					
	01.04.2021 तक प्रारम्भिक शेष		2021-22 के दौरान उतार-चढ़ाव		31.03.2022 तक अंतिम शेष	
	शेयरों की संख्या	₹. लाख में	शेयरों की संख्या	₹. लाख में	शेयरों की संख्या	₹. लाख में
₹. 10 प्रत्येक के साधारण शेयर वर्ष के प्रारम्भ में	3,60,98,10,400	3,60,981.04	-	-	3,60,98,10,400	3,60,981.04
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-	-	-	-	-
	3,60,98,10,400	3,60,981.04	-	-	3,60,98,10,400	3,60,981.04

(ii) प्रमोटर/होलिंग कंपनी की शेयरहोलिंग का विवरण

विवरण	31 मार्च 2023 तक					
प्रमोटर/होलिंग कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹.10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹.10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
एनटीपीसी लिमिटेड	3,60,98,10,400	100	-	3,60,98,10,400	100	-

- (iii) निगम के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिसका सममूल्य मूल्य ₹ 10/- है, जो पूर्ण स्वामित्व एनटीपीसी लिमिटेड के पास है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।
- (iv) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नीपको में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी के साथ-साथ चिन्हित एक सीपीएसई रणनीतिक खरीदार, एनटीपीसी को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। तदनुसार, 25 मार्च 2020 को भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौते के अनुसार शेयर हस्तांतरण के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण 27 मार्च 2020 को पूरा हुआ। 31 मार्च 2023 तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हिस्सेदारी है।
- (v) तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान, कंपनी ने न तो नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार कोई शेयर आवंटित नहीं किया है, न ही बोनस शेयर के रूप में और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

नोट संख्या 17ए: संयुक्त उद्यम में निवेश

(₹ लाखों में)

संयुक्त उद्यमों के नाम	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	केएसके डिब्बिन	कुल	केएसके डिब्बिन	कुल
धारित प्रतिशत	30%		30%	
इक्विटी	9311.00		9311.00	
रिजर्व और अधिशेष	1476.10		1482.32	
निवल परिसंपत्तियाँ	10787.10		10793.32	
इक्विटी का हिस्सा	3236.13	3236.13	3238.00	3238.00
कुल इक्विटी		3236.13		3238.00
स्टैंडएलोन वित्त में लागत	2793.00	2793.00	2793.00	2793.00
सीएफसी में पारगमन आरक्षित निधि से अन्तर	443.13	443.13	445.00	445.00
अवकलक प्रविष्टि	(1.87)	(1.87)	(0.99)	(0.99)
आस्थगित कर प्रविष्टि	(0.58)		(0.31)	

नोट संख्या 18: अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
सामान्य रिजर्व	1,97,691.68	1,97,691.68
प्रतिधारित कमाई	35,206.59	32,547.98
बांड मोचन रिजर्व	65,054.17	65,054.17
कुल	2,97,952.44	2,95,293.83

18.1 सामान्य रिजर्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्ष/अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	1,97,691.68	1,97,691.68
वर्ष/अवधि के अंत में शेष	1,97,691.68	1,97,691.68

18.2 प्रतिधारित अर्जन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्ष/अवधि के प्रारंभ में शेष	32,547.98	21,625.45
कंपनी के स्वामियों से स्रोतजन्य लाभ	39,688.79	21,228.69
आयकर के निवल परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	(530.18)	(1,306.16)
पिछले वर्ष के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	(1,500.00)	(1,500.00)
चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	(35,000.00)	(7,500.00)
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	35,206.59	32,547.98

(i) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 19.09.2022 को आयोजित 46वीं एजीएम में अनुमोदित पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश के लिए ₹1500.00 लाख का भुगतान किया है।

(ii) चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹35000.00 लाख की राशि का अंतरिम लाभांश 16.03.2023 को आयोजित 277वीं बीओडी बैठक में अनुमोदित किया गया था। इसका भुगतान 13.04.2023 को किया गया है।

प्रतिधारित आय कंपनी का अब तक का विनियोग का सकल लाभ है।

18.3 बांड मोचन आरक्षित राशि

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्ष/अवधि के प्रारंभ में शेष	65,054.17	65,054.17
वर्ष/अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव		
वर्ष/अवधि के अंत में शेष	65,054.17	65,054.17

आरक्षित निधियों की प्रकृति निम्नवत है:

(ए) सामान्य आरक्षित निधि: पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, लागू विनियमों के अनुसरण में एक निर्दिष्ट प्रतिशतता पर निवल लाभ के वार्षिक अंतरण के माध्यम से एक सामान्य आरक्षित निधि निर्मित की गई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के आ जाने पर, निवल लाभ के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को सामान्य आरक्षित निधि में अनिवार्य रूप से अंतरित करने की आवश्यकता वापस ले ली गई है।

(बी) बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व: कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के साथ पठित, कंपनी को बॉन्ड / डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के संबंध में आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। बांड/डिबेंचर मोचन रिजर्व की पर्याप्तता बकाया डिबेंचर के मूल्य का दस प्रतिशत होना आवश्यक है। 31.03.2023 तक, कंपनी ने रुपये का एक बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाए रखा है। 65054.17 लाख, जो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। इसलिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई और बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाया है।

गैर-चालू देयताएँ वित्तीय देयताएँ

नोट संख्या 19: दीर्घावधि ऋण

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(ए) निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
1. प्रत्याभूत ऋण		
i. 22 वां मुद्दा	50,000.00	50,000.00
घटाकर : बॉन्ड व्यय अमूर्तकरण	26.30	30.76
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	1,158.36	1,158.36
बॉन्ड -22 वां मुद्दा (निवल)	51,132.06	51,127.60
8 साल नीपको 7.55% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, 10,00,000 रुपये के कर योग्य बांड, 10-12-2026, 10-06-2027, 10-12-2027 और 10-06-2028 को अंकित मूल्य के 25% पर रिडीम करने योग्य; 10-06-2025, 10-12-2025, 10-06-2026, 10-12-2026, 10-06-2027, 10-12-2027 पर कॉल विकल्प के साथ। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्ति के साथ-साथ नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी चार्ज आईडी नंबर 100394348 के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को गिरवी के माध्यम से प्रभार के निर्माण के लिए पहचाना गया है।		
ii. 21 वां मुद्दा	15,000.00	15,000.00
कम: बांड व्यय परिशोधन	16.99	20.67
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	17.86	21.43
बांड - इक्कीसवाँ अंक (नेट)	15,000.87	15,000.76
8 वर्ष नीपको 8.69% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड 10,00,000 रुपये के ऋणपत्रों की प्रकृति में, अंकित मूल्य के 50% पर 26-09-2026, 26-09-2027 26-09-2024, 26-03-2025, 26-09-2025, 26-03-2026, 26-09-2026 और 26-03-2027। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में चार्ज किया गया है।		
iii. 20 वां मुद्दा	30,000.00	30,000.00
घटाकर : बॉन्ड व्यय अमूर्तकरण	12.12	16.78
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	960.41	960.41
बॉन्ड- 20 वां मुद्दा (सकल)	30,948.29	30,943.63
7 साल के नीपको 9.50% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, 10,00,000 रुपये के कर योग्य बांड, 29-05-2024, 29-11-2024, 29-05-2025 और 29-11-2025 को अंकित मूल्य के 25% पर 29-11-2023, 29-05-2024, 29-11-2024, 29-05-2025 को कॉल विकल्प के साथ भुनाए जा सकते हैं। (कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में चार्ज किया गया है)		

iv. उन्नीसवाँ मुद्दा	-	30,000.00
घटाकर : बॉन्ड व्यय अमूर्तकरण	-	21.09
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	359.59
बॉन्ड- 19 वां मुद्दा (सकल)	-	30,338.50
10 साल नीपको 8.75% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड ₹ 10,00,000 प्रत्येक, 06-09-2026, 06-03-2027; 06-09-2027 & 06-03-2028 को अंकित मूल्य के 25% पर भुनाया जा सकता है; 06-03-2023, 10-08-2023, 10-02-2024, 10-08-2024, 10-02-2025, 10-08-2025, 10-02-2026, 10-08-2026, 10-02-2027, 10-08-2027, 10-02-2028 पर कॉल ऑप्शन के साथ, (पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के माध्यम से चार्ज किया गया है।)		
v. अट्ठारहवाँ मुद्दा	50,000.00	50,000.00
घटाकर : बॉन्ड व्यय अमूर्तकरण	15.23	20.11
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	1,441.32	1,441.32
बॉन्ड- 18 वां मुद्दा (सकल)	51,426.09	51,421.21
8 साल नीपको 7.68% सिक्क्योर्ड, रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल, टैक्सबल बॉन्ड्स ₹ 10,00,000 प्रत्येक, 15-05-2025 और 15-11-2025 को फेस वैल्यू के 50% पर 15-11-2022, 15-05-2023, 15-11-2023, 15-05-2024, 15-11-2024, 15-05-2025 कॉल ऑप्शन के साथ रिडीम करने योग्य। (पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की जमीन के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के माध्यम से चार्ज किया गया है।)		
vi. सोलहवाँ मुद्दा	90,000.00	90,000.00
घटाकर : बॉन्ड व्यय अमूर्तकरण	40.08	45.33
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	2,290.09	2,290.09
बॉन्ड- 16 वां मुद्दा (सकल)	92,250.01	92,244.76
15 साल के नीपको 8.68% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड, प्रत्येक ₹10,00,000/-, अंकित मूल्य के 20% पर 30-09-2026; 30-09-2027; 30-09-2028; 30-09-2029 और 30-09-2030 को भुनाए जाने योग्य। (जमीन से जुड़ी संपत्ति के साथ-साथ मिजोरम में तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, असम में कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की जमीन-जायदाद की अन्य चल संपत्ति को एक के माध्यम से नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड गिरवी के रूप में चार्ज किया गया है।)		
vii. पंद्रहवाँ मुद्दा	24,000.00	36,000.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	42.12	63.17
बॉन्ड- 15 वां (सकल)	24,042.12	36,063.17
10 साल के नीपको 9.15% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड प्रत्येक ₹10,00,000/-, अंकित मूल्य के 20% पर 25-03-2021; 25-03-2022; 25-03-2023; 25-03-2024 और 25-03-2025 पर भुनाए जा सकते हैं। (बिपुरा में अगरतला गैस टर्बाइन परियोजना (मूल ओपन-साइकिल प्लांट) की संपत्ति, असम गैस आधारित परियोजना, असम में गैस टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन को छोड़कर संपत्ति, रंगानदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में उत्पादन स्टेशन में संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर संपत्ति परियोजना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से गिरवी रखा गया है।)		

viii. चौदहवाँ मुद्दा	1,00,000.00	1,50,000.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	-
बॉन्ड -चौदहवाँ (सकल)	1,00,000.00	1,50,000.00
10 वर्षों के लिए 9.60% पर नीपको प्रत्याभूत, मोचनीय, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, रुपए 10,00,000/- के आकर बॉन्ड जो 01-10-2020; 01-10-2021; 01-10-2022; 01-10-2023 व 01-10-2024 को अंकित मूल्य का 20% पर मोचनीय । (कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के जनरेटिंग स्टेशन में सभी संयंत्र और उपकरण तथा निगम का गुजरात के मेहसाना का जमीनी संपत्ति को नियुक्त न्यासी के साथ न्यास विलेख के माध्यम से बंधक द्वारा ऋणभारग्रस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है)		
ix. 13 वां मुद्दा	-	1,450.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	6.08
बॉन्ड -तेरहवाँ (सकल)	-	1,456.08
10 वर्षों के लिए 9.00 % पर नीपको प्रत्याभूत, मोचनीय, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, रुपए 10,00,000/- के आकर बॉन्ड जो 15-03-2019; 15-03-2020; 15-03-2021, 15-03-2022 व 15-03-2023 को अंकित मूल्य पर मोचनीय । असम गैस आधारित विद्युत परियोजना, असम के गैस टर्बाइन तथा निगम का गुजरात के मेहसाना का जमीनी संपत्ति को नियुक्त न्यासी के साथ न्यास विलेख के माध्यम से बंधक द्वारा ऋणभारग्रस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है		
x. 12वां मुद्दा	-	2,400.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	83.33
बॉन्ड -12 वां (सकल)	-	2,483.33
10 वर्षों के लिए 9.25% पर नीपको प्रत्याभूत, मोचनीय, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, रुपए 10,00,000/- के आकर बॉन्ड जो 27-06-2018; 27-06-2019; 27-06-2020; 27-06-2021 & 27-06-2022 को अंकित मूल्य का 20% पर मोचनीय । (रंगानदी जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के जनरेटिंग स्टेशन में सभी संयंत्र और उपकरण तथा निगम का गुजरात के मेहसाना का जमीनी संपत्ति को नियुक्त न्यासी के साथ न्यास विलेख के माध्यम से बंधक द्वारा ऋणभारग्रस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है)		
xi. ग्यारहवाँ मुद्दा	-	-
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	-
बॉन्ड -ग्यारहवाँ (सकल)	-	-
10 साल नीपको 10.20% प्रत्याभूत, रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल, टैक्सेबल बॉन्ड्स ₹ 10,00,000 प्रत्येक, 15-12-2018 को पुट एंड कॉल ऑप्शन के साथ 15-12-2021 को सममूल्य पर रिडीम किया जा सकता है । (असम गैस आधारित विद्युत परियोजना, असम के गैस टर्बाइन तथा निगम का गुजरात के मेहसाना का जमीनी संपत्ति को नियुक्त न्यासी के साथ न्यास विलेख के माध्यम से बंधक द्वारा ऋणभारग्रस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है)		
उप-कुल: निजी तौर पर पीएसयू बॉन्ड (ए)	3,64,799.44	4,61,079.04
ख.सुरक्षित सावधि ऋण		
आई. रुपया ऋण राशि:		
ए. केनरा बैंक से मध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण	25,000.00	37,500.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	165.86	216.01
केनरा बैंक से मध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण (नेट)	25,165.86	37,716.01
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर पैरी चार्ज से सुरक्षित । ऋण 03.02.2020 के पहले आहरण से 1 वर्ष स्थगन के बाद 16 संरचित त्रैमासिक किस्त में चुकाया जा सकता है ।		

बी. पंजाब नेशनल बैंक से कॉर्पोरेट अवधि ऋण	81,600.00	85,000.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	-
पीएनबी से मध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण (सकल)	81,600.00	85,000.00
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित। पहले आहरण से 2 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण निम्नलिखित लैमासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है: 30.12.2022 से प्रत्येक 17 करोड़ रुपये की 12 समान किश्तें, 30.12.2025 से प्रत्येक 34 करोड़ रुपये की 8 समान किश्तें और 30.12.2027 से प्रत्येक 93.50 करोड़ रुपये की 4 समान किश्तें शुरू होंगी।		
सी. भारतीय स्टेट बैंक से रुपया सावधि ऋण	1,00,000.00	35,000.00
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	-
एसबीआई से रुपया सावधि ऋण (सकल)	1,00,000.00	35,000.00
अन्य उधारदाताओं के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की संपत्ति पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित। ऋण निकासी की पहली तारीख से 2 साल की मोहलत के बाद निम्नलिखित लैमासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है: 9वीं से 20 वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 25.00 करोड़ रुपये; 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत तक 50.00 करोड़ रुपये; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक को 75.00 करोड़ रुपये।		
डी. एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण	30,000.00	
[पारे हाइड्रो पावर स्टेशन -अरुणाचल प्रदेश और रंगनदी एचपीएस (405 मेगावाट) में संयंत्र और मशीनरी और असम गैस आधारित पावर स्टेशन (291 मेगावाट) के गैस टर्बाइनों में पहले पैरी पासू आधार पर संपत्ति की अचल संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित]। ऋण पहली निकासी (06.10.2022) से 2 साल की अधिस्थगन अवधि से शुरू होने वाली निम्नलिखित लैमासिक किश्तों में चुकाया जाना है, 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 15.00 करोड़ रुपये - 21 से 28वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 25.00 करोड़ रुपये; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 30.00 करोड़ रुपये।		
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	206.64	
एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण (नेट)	30,206.64	-
विदेशी मुद्रा ऋण		
बाह्य वाणिज्यिक उधार-राशि	-	13,608.89
जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं	-	11.20
बाहरी वाणिज्यिक उधार (सकल)	-	13,620.09
त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत संयंत्र, अगरतला एवं अगरतला गैस टरबाइन परियोजनाएं-विस्तार, अगरतला के संबंध में सृजित होने वाली सभी संचल व अचलपरिसंपत्तियाँ संयंत्र व मशीने शामिलद्व के गिरवी, द्वारा प्रत्याभूत। एसबीआई, सिंगापुर ने लाभ के रूप में 3 माह एलआईबीओआर-सह 3.05% प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर 100 मिलियन यूएस डॉलर का ईसीबी ऋण स्वीकृत किया है। 20 मार्च, 2018 से लाभ घटकर 2.75% हो गया है। इस समझौता पर 09.12.2013 को हस्ताक्षर किया गया। गत निकासी 04 जून, 2014 को की गई। इस ईसीबी ऋण को 20.06.2014 से 39 सामान्य किश्तों में भुगतान किया जाएगा।		
उप-कुल प्रत्याभूत ऋण (बी)	2,36,972.50	1,71,336.10
कुल : प्रत्याभूत ऋण (ए+बी)	6,01,771.94	6,32,415.14
2. अप्रत्याभूत ऋण:		
1. निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बांड		
तेईसवां अंक	20,000.00	20,000.00
कम: बांड व्यय परिशोधन	4.34	4.86
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	31.30	31.30
बांड - तेईसवां अंक (नेट)	20,026.96	20,026.44
8 साल के नीपको 7.14% असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, 10,00,000 रुपये के कर योग्य बांड, अंकित मूल्य के 25% पर 22-09-2028; 23-03-2029; 24-09-2029; 22-03-2030 को 24-03-2026 को 24- 09-2026; 24-03-2027; 24-09-2027; 24-03-2028; 22-09-2028; 23-03-2029; 24-09-2029 कॉल विकल्प के साथ भुनाए जा सकते हैं		

(i) रुपया ऋण		
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	29,196.42	29,196.42
कम: ऋण व्यय परिशोधन	71.46	72.32
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	-
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (नेट)	29,124.96	29,124.10
(भारत सरकार ने 1% वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 29196.42 लाख का अधीनस्थ ऋण स्वीकृत किया है। ऋण विभिन्न तिथियों पर स्वीकृत किया गया था और अंतिम निकासी 6 जुलाई 2015 को थी। ऋण तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिजोरम के चालू होने के 16वें वर्ष अर्थात 30 जनवरी 2018 से 15 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है।)		
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण		
केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण	39,729.32	43,744.62
कम :: उचित मूल्य (80 मिलियन और 20 मिलियन)	(154.22)	(141.76)
जोड़ें: ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	255.96	284.48
केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण (नेट)	40,139.50	44,170.86
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
अरुणाचल प्रदेश में पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (110 मेगावाट) के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत।		
(भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया गया था। 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण समझौता क्रमशः 3.46% प्रति वर्ष और 0.85% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर 11 दिसंबर 2008 और 20 दिसंबर 2017 को निष्पादित किया गया था। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। 80 मिलियन यूरो की अंतिम ऋण किस्त 03.03.2016 को प्राप्त हुई और 20 मिलियन यूरो 16.08.2018 को प्राप्त हुई। ऋण क्रमशः 30-12-2013 से 30 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में और 30-12-2020 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा।)		
कुल अप्रत्याभूत ऋण (i + ii)	89,291.42	93,321.40
कुल (1+2)	6,91,063.36	7,25,736.54
कम: वर्तमान भुगतान (नोट 20 देखें)		
बांड	62,000.00	65,850.00
रुपया टर्म लोन	21,800.00	17,500.00
विदेशी मुद्रा ऋण - प्रत्याभूत	-	7,774.78
विदेशी मुद्रा ऋण - अप्रत्याभूत	6,571.82	6,208.96
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	6,569.92	6,926.77
कुल : गैर-वर्तमान देनदारियां	5,94,121.62	6,21,476.03

उधार की भुगतान प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

संविदात्मक भुगतान	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
एक वर्ष या उससे कम में या मांग पर	96,909.44	1,04,170.77
एक से दो साल के बीच	1,14,371.82	96,543.07
दो और तीन वर्ष के बीच	97,771.82	1,08,208.96
तीन से चार वर्ष के बीच	76,671.82	96,208.96
चार से पाँच वर्ष के बीच	1,09,571.82	89,208.96
पाँच वर्ष से अधिक	1,95,766.63	2,31,395.82
कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह	6,91,063.36	7,25,736.54
कुल ऋण	6,91,063.36	7,25,736.54

नोट:

- ए. कंपनी ने अपने उधार लिए गए फंड का उपयोग ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है।
बी. कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या वर्तमान संपत्ति के विवरण खातों की किताबों के अनुरूप हैं।”

वित्तीय देनदारियाँ
नोट संख्या 19ए: गैर चालू वित्तीय देनदारियाँ - लीज देनदारियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
लीज देनदारी - लीज के तहत संपत्ति	1086.31	1011.83
कम: लीज देनदारियों की वर्तमान परिपक्वता	607.67	573.64
कुल	478.64	438.19

नोट संख्या 20: दीर्घावधि प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु चिकित्सा लाभ	-	1,607.45
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	319.12	274.41
कुल	319.12	1,881.86

कर्मचारी लाभ के प्रावधान में उपदान, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति पर सोने का सिक्का शामिल है। चालू वर्ष के लिए प्रावधान की वहन राशि में वृद्धि/कमी मुख्य रूप से चालू वर्ष के लिए वृद्धिशील शुल्क के शुद्ध प्रभाव और चालू वर्ष में भुगतान किए गए लाभों के कारण है।

1. परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी प्रासंगिक कर्मियों की ओर से कई परिभाषित योगदान योजनाओं में भाग लेती है। इन योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त कोई भी व्यय उन योजनाओं के नियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर अवधि के दौरान देय योगदान के मूल्य को दर्शाता है। बैलेंस शीट में शामिल एकमात्र राशियाँ पिछले महीनों के योगदान से संबंधित हैं जिनका भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक नहीं किया जाना था। कंपनी द्वारा संचालित प्रमुख परिभाषित अंशदान योजनाएँ इस प्रकार हैं:

ए) भविष्य निधि

भारतीय कानून के अनुसार, कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो एक परिभाषित योगदान योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करती है। इस अवधि के लिए कंपनी का फंड में योगदान 3367.77 लाख रुपये (पिछली अवधि 3414.12 लाख रुपये) था। निवेश पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्यों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त ब्याज अर्जित किया गया है।

बी) सेवानिवृत्ति निधि

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार (जीओआई) के दिनांक 26.11.2008 के ओएम संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/जीएल-xiv/08 और ओएम संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/जीएल-vii/09 दिनांक 02.04.2009, कंपनी ने नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार की है।

इस योजना का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट में वर्ष के लिए कंपनियों का योगदान 2507.55 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2404.67 लाख रुपये) था।

2. परिभाषित लाभ योजनाएं

ए. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाओं के लिए एक अंशदायी योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी और सेवानिवृत्त/मृतक के पति या पत्नी को अंशदायी आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो इस प्रकार है: इनडोर उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निकटतम अधिकृत/अनुमोदित अस्पताल की दरों तक सीमित है। पैनलबद्ध अस्पतालों में लिए गए बाह्य रोगी/घरेलू उपचार के लिए, क्लिनिकल परीक्षणों, जाँचों, दवाओं की लागतों, एवं अन्य ओपीडी व्ययों की वास्तविक आधार पर एवं अधिकतम पिछले वार्षिक मूल वेतन की उच्च सीमा के अधीन, जो भी कम हो उस तक की प्रतिपूर्ति की अनुमति है। उक्त की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

बी. सेवानिवृत्ति पर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

एक उत्तम सांगठनिक संस्कृति को पोषित करने और कर्मचारी द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाओं की सराहना करने के लिए निगम सेवानिवृत्ति वाले दिन सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को एक स्वर्ण सिक्का प्रदान करता है। उक्त की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

3. अन्य कर्मचारी लाभ

सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी योजना में बराबर का अंशदान करती है। योजना का उद्देश्य कंपनी के किसी कर्मचारी की कंपनी की सेवा में होने के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा, जिसमें स्थायी संपूर्ण अशक्तता के कारण नियुक्ति समाप्त होना शामिल है, में आश्रित लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करना है।

नोट संख्या 20 ए: आईएनडी एस 19 के अनुसार प्रकटन

उपदान देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश:

(₹ लाखों में)

परिसंपत्तियाँ/देयताएँ	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य	18,468.36	19,689.11
बी) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,621.53	18,643.54
सी) तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में चिन्हित निवल परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ)	153.17	-1,045.58

सदस्यता तथ्यों का सारांश

तिथि को	31-03-2023	31-03-2022
ए) कर्मचारियों की संख्या	1766	1915
बी) कुल मासिक वेतन (लाख)	2173.62	2189.11
सी) पिछली सेवा का औसत (वर्ष)	24.31	23.58
डी) औसत उम्र (वर्ष)	50.75	50.38
इ) औसत शेष (वर्ष) कार्यवधि	9.25	9.62
एफ) भारित औसत अवधि	8.95	9.43

आर्थिक अवधारणाएँ:

तिथि को	31-03-2023	31-03-2022
i) छूट दर	7.40	7.00
ii) भविष्य वेतन में बढ़ोतरी	6.50	6.50

जनसांख्यिकीय धारणा:

(₹ लाखों में)

तिथि को	31-03-2023	31-03-2022
i) सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60
ii) अक्षमता प्रावधान सहित मृत्यु दरें **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
iii) उम्र में संघर्षण	निकासी दर (%)	निकासी दर (%)
30 वर्ष तक	0.01%	0.01%
31 से 44 वर्ष तक	0.03%	0.03%
44 वर्ष से अधिक	0.06%	0.06%

लाभों का मानदंड:

ए) आनुतोषिक की गणना के लिए वेतन	पिछला आहरित योग्य वेतन
बी) निहित अवधि	सेवा के 5 वर्ष
सी) साधारण सेवानिवृत्ति पर लाभ	ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार।
डी) अवधि से पहले सेवानिवृत्ति /निकासी /त्यागपत्र पर लाभ	निकासी की तारीख तक सेवा के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान।
इ) सेवाकाल में मृत्यु पर लाभ	मृत्यु की तारीख तक सेवा के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान और कोई निहित शर्तें लागू नहीं होती हैं।
एफ) सीमा	20.00 लाख

योजना देयताएँ:

समाप्ति तिथि	31-03-2023	31-03-2022
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	18,468.36	19,689.11

सेवा लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) वर्तमान सेवा लागत	932.45	1,026.63
बी) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	--	--
सी) गैर-नियमित समायोजनों पर लाभ या हानि	--	--
डी) कुल सेवा लागत	932.45	1,026.63

निवल सेवा दर:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,378.24	1,329.82
बी) योजना परिसंपत्तियों में ब्याज लाभ	1,305.05	1,226.55
सी) निवल ब्याज लागत (आय)	73.19	103.26

लाभ दायित्व में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) वर्तमान तक दायित्व का मूल्य अवधि का प्रारम्भ	19,689.11	19,701.01
बी) अधिग्रहण समायोजन	--	--
सी) ब्याज लागत	1,378.24	1,329.82
डी) सेवा लागत	932.45	1,026.63

इ) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	--	--
एफ) प्रदत्त लाभ	-2,527.13	-2,393.79
जी) कुल बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि	-1,004.31	25.44
एच) वर्तमान तक दायित्व का मूल्य अवधि की समाप्ति	18,468.36	19,689.11

दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का विभाजन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	--	--
बी) वित्तीय धारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	-412.06	-286.06
सी) अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	-592.25	311.50

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अपेक्षित ब्याज आय	1,305.05	1,226.55
बी) योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	1,459.55	1,336.31
सी) संपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	154.50	109.76

तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	18,468.36	19,689.11
बी) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,621.53	18,643.53
सी) तुलन पत्र में निधिरहित देयता/प्रावधान	153.17	-1,045.58

आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) कुल सेवा लागत	932.45	1,026.63
बी) निवल ब्याज लागत	73.19	103.26
सी) आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,005.64	1,129.90

अन्य व्यापक आय (ओसीआई):

	31-03-2023	31-03-2022
ए) शुद्ध संचयी गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि) प्रारम्भ		
बी) पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,004.31	-25.44
सी) संपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	154.50	109.76
डी) वर्ष के लिए गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,158.81	84.32

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,643.53	18,171.16
बी) योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	1,459.55	1,336.31
सी) नियोक्ता योगदान	1,045.58	1,529.85
डी) भुगतान किया गया लाभ	-2,527.13	-2,393.79
इ)) अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18,621.53	18,643.53

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में):

	31-03-2023	31-03-2022
ए) भारत सरकार प्रतिभूतियां	--	--
बी) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	--	--
सी) उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	--	--
डी) सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	--	--
इ) संपत्ति	--	--
एफ) बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
जी) बैंक शेष	--	--
कुल	100%	100%

शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	1,045.58	1,529.85
बी) अधिग्रहण समायोजन	--	--
सी) कुल सेवा लागत	932.45	1,026.63
डी) शुद्ध ब्याज लागत (आय)	73.19	103.26
इ) पुनः माप	-1,158.81	-84.32
एफ) फंड में दिया गया योगदान	-1,045.58	-1,529.85
जी) उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	--	--
एच) अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	-153.17	1,045.58

चल और अचल में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) चल देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	1,896.87	2,354.51
बी) अचल देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	16,571.49	17,334.60
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	18,468.36	19,689.11

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) सेवा लागत	736.30	800.38
बी) निवल ब्याज लागत	-11.33	73.19
सी) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	724.97	873.57

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण:

ए) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		18,468.36
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव		-491.18
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव		517.87
बी) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		18,468.36
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव		130.35
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव		-136.75

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल:

	वर्ष	माला
ए)	0 से 1 वर्ष	1896.87
बी)	1 से 2 वर्ष	2322.92
सी)	2 से 3 वर्ष	1984.84
डी)	3 से 4 वर्ष	1995.05
इ)	4 से 5 वर्ष	1674.85
एफ)	5 से 6 वर्ष	1574.22
जी)	6 वर्ष से	7019.61

अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन

परिणाम का सारांश:

(₹ लाखों में)

परिसंपत्ति / दायित्व	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78	13,855.16
बी) योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	--	--
सी) शुद्ध परिसंपत्ति/ (देयता) तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है	-16,392.78	-13,855.16

सदस्यता तथ्य का सारांश:

तिथि को	31-03-2023	31-03-2022
ए) कर्मचारियों की संख्या	1766	1915
बी) कुल मासिक वेतन (लाख) अवकाश नकदीकरण	2173.62	2189.11
सी) कुल मासिक वेतन (लाख) अवकाश का उपयोग	3912.52	4378.22
डी) औसत पिछली सेवा (वर्ष)	24.31	23.58
इ) औसत उम्र (वर्ष)	50.75	50.38
एफ) औसत शेष (वर्ष) कार्यावधि	9.25	9.62
जी) मूल्यांकन तिथि पर विचार किया गया अवकाश शेष	3,88,263	3,43,062
एच) पीबीओ की भारित औसत अवधि	8.95	9.43

आर्थिक धारणाएं:

	31-03-2023	31-03-2022
i) छूट दर	7.40	7.00
ii) भविष्य में वेतन वृद्धि	6.50	6.50

जनसांख्यिकीय धारणा:

i) सेवानिवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60
ii) विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100 % (2012 - 14)	आईएएलएम का 100 % (2012 - 14)
iii) उम्र	निकासी दर (%)	निकासी दर (%)
30 वर्ष तक	0.01%	0.01%
31 से 44 वर्ष	0.03%	0.03%
44 वर्ष से अधिक	0.06%	0.06%

iv) अवकाश		
अवकाश उपयोग दर	2.50%	शून्य
सेवा के दौरान अवकाश चूक दर	शून्य	शून्य
निकासी पर अवकाश चूक दर	शून्य	शून्य
सेवा के दौरान अवकाश नकदीकरण दर	15.00%	15.00%

लाभ का पैमाना:

ए) अर्जित अवकाश की गणना के लिए वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन
बी) निहित अवधि	शून्य
सी) लाभ	
1. वार्षिक प्रोद्गवन	30 दिन
2. अधिकतम संचय	कंपनी नीति के अनुसार
3. कुल अवकाश दिन	3,70,611
4. सेवा में लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति)	हाँ
5. सेवा के दौरान अवकाश नकदीकरण	हाँ
6. निकासी पर अवकाश नकदीकरण	हाँ
7. महीना माना जाएगा	30 दिन
डी) सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान	वास्तविक संचय
इ) समय से पूर्व सेवानिवृत्ति/वापसी/त्यागपत्र/मृत्यु पर लाभ	सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के समान

योजना दायित्व:

समापन तिथि	31-03-2023	31-03-2022
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78	13,855.16

सेवा लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) वर्तमान सेवा लागत	2,092.26	1,627.28
बी) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	--	--
सी) गैर-नियमित समायोजनों पर लाभ या हानि	--	--
डी) कुल सेवा लागत	2,092.26	1,627.28

कुल व्याज लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) परिभाषित लाभ दायित्व पर व्याज लागत	969.86	996.40
बी) योजनागत परिसंपत्तियों पर व्याज आय	--	--
सी) शुद्ध व्याज लागत (आय)	969.86	996.40

लाभ में परिवर्तन दिखाने वाली तालिका:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है अवधि की शुरुआत	13,855.16	14,761.46
बी) अधिग्रहण समायोजन	--	--
सी) व्याज लागत	969.86	996.40
डी) सेवा लागत	2,092.26	1,627.28
इ) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	--	--
एफ) भुगतान किया गया लाभ	-3,233.10	-4,221.41

जी) दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,708.60	691.43
एच) दायित्व का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है अवधि का अंत	16,392.78	13,855.16

दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.02	--
बी) वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-421.23	-237.92
सी) अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	3,129.83	929.35

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अपेक्षित ब्याज आय	--	--
बी) योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	--	--
सी) संपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	--	--

तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78	13,855.16
बी) योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	--	--
सी) तुलन पत्र में निधिरहित देयता/प्रावधान	-16,392.78	-13,855.16

आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) कुल सेवा लागत	2,092.26	1,627.28
बी) शुद्ध ब्याज लागत	969.86	996.40
सी) अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	2,708.60	691.43
डी) आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5,770.72	3,315.11

शुद्ध परिभाषित लाभ में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	13,855.16	14,761.46
बी) अधिग्रहण समायोजन	--	--
सी) कुल सेवा लागत	2,092.26	1,627.28
डी) शुद्ध ब्याज लागत (आय)	969.86	996.40
इ) पुनः माप	2,708.60	691.43
एफ) फंड में दिया गया योगदान	--	--
जी) उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-3,233.10	-4,221.41
एच) अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	16,392.78	13,855.16

चल और अचल में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) चल देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	1,833.88	1,670.58
बी) अचल देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	14,558.90	12,184.58
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	16,392.78	13,855.16

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) सेवा लागत	723.75	653.79
बी) निवल ब्याज लागत	1,213.07	969.86
सी) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,936.82	1,623.65

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण:
ए) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	-500.48
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	528.04

बी) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,392.78
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	530.91
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	-504.27

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देयता का बीमांकिक मूल्यांकन
परिणाम का सारांश:

परिसंपत्ति / दायित्व	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02	10,684.66
बी) योजना संपत्ति का उचित मूल्य	10,523.26	8,383.31
सी) तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	-2,477.76	-2,301.35

सदस्यता डेटा का सारांश:

तिथि तक	31-03-2023	31-03-2022
सेवारत कर्मचारी		
ए) कर्मचारियों की संख्या	1766	1915
बी) औसत विगत सेवा (वर्ष)	24.31	23.58
सी) औसत आयु (वर्ष)	50.75	50.38
डी) औसत शेष (वर्ष) कार्यकाल	9.25	9.62
इ) भारित औसत शेष कार्यकाल	-	9.43
सेवानिवृत्त कर्मचारी		
ए) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	1771	1644
बी) औसत आयु (वर्ष)	66.94	66.57
सेवानिवृत्त के लिए भारित औसत अवधि	14.84	14.98
वार्षिक लागत प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारी		
(ए) रोगी बाह्य उपचार लागत	34,310/-	28,600/-
(बी) रोगी आंतरिक उपचार लागत		

आर्थिक धारणाएं:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) छूट दर	7.40	7.00
भविष्य की चिकित्सा लागत में वृद्धि		
बी) (ए) रोगी वाह्य उपचार	4.00	3.00
(बी) रोगी आंतरिक उपचार		

जनसांख्यिकीय धारणा:

i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60
ii) विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100 % (2012 - 14)	आईएएलएम का 100 % (2012 - 14)
iii) उम्र	निकासी दर (%)	निकासी दर (%)
30 साल तक	0.01	0.01
31 से 44 साल तक	0.03	0.03
44 साल से अधिक	0.06	0.06

मृत्यु दर और रुग्णता दर:

ए) सेवा के दौरान - आईएएलएम (2012-14) की 100% दरों को माना गया है जिसमें विकलांगता लाभ के लिए भत्ता भी शामिल है

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
15	0.000614	40	0.001803
20	0.000888	45	0.0022874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534

ख) सेवानिवृत्ति के बाद - (1996-98) दरों का 100% माना गया है

आयु	दर	आयु	दर
50	0.004243	80	0.070802
60	0.010907	85	0.106891
65	0.01389	90	0.151539
70	0.024301	100	0.266511
75	0.043272		

योजना देयता:

समापन तिथि	31-03-2023	31-03-2022
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02	10,684.66

सेवा लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) वर्तमान सेवा लागत	515.35	532.17
बी) पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	--	--
सी) गैर-नियमित समायोजनों पर लाभ या हानि	--	--
डी) कुल सेवा लागत	515.35	532.17

निवल ब्याज लागत:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	747.92	576.22
बी) योजनागत परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	586.83	474.12
सी) निवल ब्याज लागत (आय)	161.09	102.10

वर्तमान लाभ दायित्व में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है अवधि का प्रारम्भ	10,684.66	8,536.57
बी) ब्याज लागत	747.93	576.22
सी) सेवा लागत	515.35	532.17
डी) भुगतान किया गया लाभ	-870.86	-613.19
इ) दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,923.94	1,652.89
एफ) दायित्व का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है अवधि का अंत	13,001.02	10,684.66

दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	--	--
बी) वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	625.17	632.56
सी) अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,298.77	1,020.33

योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अपेक्षित ब्याज आय	586.83	474.12
बी) योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	709.45	459.92
सी) संपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	122.62	-14.20

तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02	10,684.66
बी) योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,523.26	8,383.31
सी) तुलन पत्र में निधिरहित देयता/प्रावधान	-2,477.76	-2,301.35
डी) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निधिरहित देयता	-2,477.76	-2,301.35

आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) सेवा लागत	515.35	532.17
बी) निवल ब्याज लागत	161.09	102.09
सी) आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	676.44	634.26

अन्य व्यापक आय (ओसीआई):

	31-03-2023	31-03-2022
ए) शुद्ध संचयी गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि) शुरुआत		
बी) पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1,923.94	-1,652.89
सी) परिसंपत्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	122.62	-14.20
डी) वर्ष के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1,801.32	-1,667.09

योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	8383.31	7024.04
बी) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	709.46	459.92
सी) नियोक्ता योगदान	2,301.35	1,512.53
डी) भुगतान किया गया लाभ	-870.86	-613.18
इ) अवधि के अंत में योजनापरिसंपत्ति का उचित मूल्य	10,523.26	8,383.31

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में):

	31-03-2023	31-03-2022
ए) भारत सरकार की प्रतिभूति	--	--
बी) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	--	--
सी) उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	--	--
डी) सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	--	--
इ) संपत्ति	--	--
एफ) बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
जी) बैंक में जमा राशि	--	--
कुल	100%	100%

निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	2,301.35	1,512.53
बी) सेवा लागत	515.35	532.17
सी) निवल ब्याज लागत (आय)	1,923.94	102.09
डी) पुनः-माप	1,801.32	1,667.09
इ) फंड में दिया गया योगदान	-2,301.35	-1,512.53
एफ) उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	--	--
जी) अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	2,477.76	2,301.35

चल और अचल में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) चल देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	930.19	693.90
बी) अचल देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	12,070.83	9,990.76
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	13,001.02	10,684.66

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान:

	31-03-2023	31-03-2022
ए) सेवा लागत	711.25	682.41
बी) निवल ब्याज लागत	183.35	161.10
सी) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	894.60	843.51

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण:

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	--
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	--

बी) चिकित्सा लागत दर का प्रभाव

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	13,001.02
ए) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	--
बी) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	--

सेवानिवृत्ति पर सोने के सिक्का प्रदान

परिणाम का सारांश:

परिसंपत्तियाँ/देनदारी	31-03-2023
ए) दायित्व का वर्तमान मूल्य	329.29
बी) योजना संपत्ति का उचित मूल्य	--
सी) प्रावधान के अनुसार तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्ति / (देयता)	-329.29

सदस्यता डेटा का सारांश:

तिथि तक	31-03-2023
ए) कर्मचारियों की संख्या	1766
बी) कुल मासिक वेतन (लाख)	N/A
सी) औसत विगत सेवा (वर्ष)	24.31
डी) औसत आयु (वर्ष)	50.75
इ) औसत शेष कार्यकाल (वर्ष)	9.25

आर्थिक धारणाएं:

	31-03-2023
i) छूट दर	7.40%
ii) सोने का सिक्का वृद्धि दर	6.50%

जनसांख्यिकीय धारणा:

i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60
ii) मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)
iii) आयु	निकासी दर (%)
30 वर्ष तक	0.01%
31 से 44 वर्ष तक	0.03%
44 वर्ष से अधिक	0.06%

बीमांकिक मूल्य:

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल (31-03-2023)	329.29
---	--------

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन:

	31-03-2023
ए) चल देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	10.17
बी) अचल देयता (एक वर्ष से अधिक देय राशि)	319.12
सी) वर्ष के अंत में कुल बीपीओ	329.29

वित्तीय देयताएं

नोट संख्या 21: वर्तमान देयताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्तमान देयताएँ		
मांग पर देय ऋण		
बैंक से - प्रत्याभूत	14,542.85	7,500.00
बैंक से - अप्रत्याभूत	7,511.51	16,812.43
कुल(ए)	22,054.36	24,312.43
गैर चालू देयताएँ पर वर्तमान परिपक्वता राशि		
बॉन्ड-प्रत्याभूत	62,000.00	65,850.00
विदेशी मुद्रा ऋण - प्रत्याभूत	-	7,774.78
विदेशी मुद्रा ऋण - अप्रत्याभूत	6,571.82	6,208.96
बैंक ऋण - प्रत्याभूत	21,800.00	17,500.00
कुल (बी)	90,371.82	97,333.74
कुल योग (ए + बी)	1,12,426.18	1,21,646.17

(₹ लाखों में)

वर्तमान वित्तीय उधारों के लिए नोट - उधार

I. वर्तमान देयताएँ:

कार्यशील पूंजी की सुविधाएं

(i) भारतीय स्टेट बैंक, शिलांग

कार्यशील पूंजी मांग ऋण (सकल)

आहरण की सीमा तक वर्तमान और भविष्य दोनों में बही ऋणों और कंपनी के अन्य सभी मालसूची के दृष्टिबंधक से सुरक्षित। कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) 16.07.2022 को एसबीआई, शिलांग द्वारा स्वीकृत किया गया। ब्याज 91 दिन के टी-बिल प्लस स्प्रेड पर आधारित है। 31.03.2023 तक पिछले 91 दिनों का टी-बिल प्लस स्प्रेड 7.70% प्रति वर्ष की दर से है। सुविधा की अवधि 11.07.2023 तक वैध है।

जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं

कार्यशील पूंजी मांग ऋण (सकल)

(ii) एक्सिस बैंक, शिलांग

एक्सिस बैंक, शिलांग द्वारा 14.03.2022 को प्रचलित रेपो दर प्लस 175 बीपीएस की दर पर असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) स्वीकृत किया गया। दिनांक 31.03.2023 तक अंतिम प्रचलित रेपो दर प्लस 175 बीपीएस 8.25% प्रति वर्ष है। लोन की अवधि 26 मार्च 2024 तक है।

(iii) आईसीआईसीआई बैंक, शिलांग

आईसीआईसीआई बैंक, शिलांग द्वारा 23.08.2022 को रेपो दर प्लस 1.25% से जुड़ी ब्याज दर पर लघु अवधि ऋण (एसटीएल) के रूप में असुरक्षित कार्यशील पूंजी सुविधाएं स्वीकृत की गईं। दिनांक 31.03.2023 को रेपो दर प्लस 1.25% से जुड़ी अंतिम ब्याज दर 7.75% प्रति वर्ष है। लोन की अवधि 07 अगस्त 2023 तक है।

(iv) येस बैंक

जोड़कर: ब्याज अर्जित लेकिन बकाया नहीं

अल्पावधि ऋण (नेट)

येस बैंक, शिलांग द्वारा 28.04.2022 को असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) स्वीकृत किया गया। येस बैंक द्वारा स्वीकृत डब्ल्यूसीडीएल 91 दिन के टी-बिल प्लस स्प्रेड की दर पर है। 31.03.2023 तक पिछले 91 दिनों का टी-बिल प्लस स्प्रेड 7.80% प्रति वर्ष है। सुविधाओं की अवधि 21 जनवरी, 2024 तक मान्य है।

कुल

22,054.36 24,312.43

II. गैर-वर्तमान ऋणों की वर्तमान परिपक्वता

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
I. प्रत्याभूत ऋण		
ए. निजी तौर पर रखे गए पीएसयू बॉण्ड्स		
ए. 15 वां मुद्दे 10 वर्षों के लिए 9.15% पर नीपको प्रत्याभूत, मोचनीय, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, रुपए 10,000,000/- बॉण्ड जो कॉल विकल्प के साथ 25-03-2021; 25-03-2022; 25-03-2023; 25-03-2024 & 25-03-2025 को 20% अंकित मूल्य पर मोचनीय। (त्रिपुरा में अगरतला गैस टरबाइन परियोजना (मूल ओपन-साइकिल प्लांट) की संपत्ति, असम गैस आधारित परियोजना, असम में गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन को छोड़कर संपत्ति, रंगानदी जलविद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में उत्पादन स्टेशन में संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर संपत्ति) और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक के रूप में चार्ज किया गया है।	12,000.00	12,000.00
बी. चौदहवां मुद्दे 10 वर्ष नीपको 9.60% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय, 10,00,000 रुपये के कर योग्य बांड, 01-10-2020, 01-10-2021; 01-10-2022; 01-10-2023 और 01-10-2024 को अंकित मूल्य के 20% पर मोचनीय; (कामेंग जलविद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की जमीन से जुड़ी संपत्ति के साथ-साथ अन्य चल संपत्ति और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को पैरी पासु बंधक के माध्यम से नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से चार्ज किया गया है।)	50,000.00	50,000.00
सी. तेरहवां मुद्दे 10 वर्ष नीपको 9.00% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य 10,00,000/- के बांड, 15-03-2019, 15-03-2020; 15-03-2021, 15-03-2022 और 15-03-2023 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय; असम गैस आधारित पावर प्लांट, असम की स्टीम टरबाइन और गुजरात के मेहसाणा जिले में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड के माध्यम से गिरवी रखा गया है।)	-	1,450.00
डी. बारहवां मुद्दे 10 वर्ष नीपको 9.25% सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य 10,00,000/- के बांड, 27-06-2018, 27-06-2019; 27-06-2020; 27-06-2021 और 27-06-2022 को अंकित मूल्य के 20% पर प्रतिदेय; (रंगानदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश के जनरेटिंग स्टेशन में सभी संयंत्र और मशीनरी और मेहसाणा, गुजरात में निगम की भूमि संपत्ति को नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से बंधक रखा गया है)।	-	2,400.00
ख. सुरक्षित सावधि ऋण		
आई. रुपया ऋण राशि:		
ए. केनरा बैंक से माध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित। दिनांक 03-02-2020 को पहली निकासी से 1 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण 16 संरचित त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।”	12,500.00	12,500.00
बी. पंजाब नेशनल बैंक से कॉर्पोरेट अवधि ऋण पीएनबी से मध्यम अवधि का कॉर्पोरेट ऋण (सकल) अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) की परिसंपत्तियों पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित। पहले आहरण से 2 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण निम्नलिखित त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है: 30.12.2022 से प्रत्येक 17 करोड़ रुपये की 12 समान किश्तें, 30.12.2025 से प्रत्येक 34 करोड़ रुपये की 8 समान किश्तें और 30.12.2027 से प्रत्येक 93.50 करोड़ रुपये की 4 समान किश्तें शुरू होंगी।	6,800.00	5,000.00

सी. भारतीय स्टेट बैंक से रुपया सावधि ऋण		
अन्य ऋणदाताओं के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) की संपत्तियों पर समान शुल्क द्वारा सुरक्षित।	2,500.00	-
ऋण निकासी की पहली तारीख से 2 साल की मोहलत के बाद निम्नलिखित लैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है: 9वीं से 20वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 25.00 करोड़ रुपये; 21वीं से 28वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 50.00 करोड़ रुपये; 29वीं से 32वीं तिमाही के अंत में प्रत्येक 75.00 करोड़ रुपये।		
बाह्य वाणिज्यिक उधार-राशि		
[लिपुला गैस आधारित विद्युत संयंत्र, अगरतला और अगरतला गैस टर्बाइन परियोजनाओं-विस्तार, अगरतला के संबंध में सृजित/बनाई जाने वाली सभी चल और अचल संपत्तियों (संयंत्र, मशीनरी सहित) के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित। [एसबीआई, सिंगापुर ने 3 महीने की ब्याज दर पर 100 मिलियन यूएस डॉलर का ईसीबी ऋण स्वीकृत किया है लिबोर प्लस 3.05% प्रति वर्ष मार्जिन के रूप में (मार्जिन 20 मार्च 2018 से 2.75% प्रति वर्ष तक घटा दिया गया है)। समझौते पर 9.12.2013 को हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम निकासी 4 जून 2014 को हुई थी। 20.06.2014 से ईसीबी ऋण 39 समान तिमाही किस्तों में चुकाने योग्य है]	-	7,774.78
उप-कुल	83,800.00	91,124.78
II अप्रत्याभूत ऋण		
विदेशी मुद्रा ऋण		
केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण		
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण समझौता 80 मिलियन और 20 मिलियन यूरो दिनांक 11 दिसंबर 2008 और 20 दिसंबर 2017 को क्रमशः 3.46% प्रतिवर्ष और 0.85% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर निष्पादित किया गया था। ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है। दिनांक 03.03.2016 को 80 मिलियन यूरो की अंतिम ऋण किस्त प्राप्त हुई थी और 16.08.2018 को 20 मिलियन यूरो प्राप्त हुई थी। ऋण 30 समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में 1.4.2015 से चुकाने योग्य हैं। दिनांक 30-12-2013 और 20 समान अर्धवार्षिक किस्तें क्रमशः 30-12-2020 से प्रभावी।)	6,571.82	6,208.96
उप-कुल	6,571.82	6,208.96
ऋण का उप-कुल	90,371.82	97,333.74
III अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
बांड	5,941.46	6,415.08
केएफडब्ल्यूई से ऋण	255.96	284.48
बाह्य वाणिज्यिक उधार	-	11.20
मध्यम अवधि का ऋण	372.50	216.01
अधीनस्थ ऋण	-	-
टीसीएस उपार्जित लेकिन माल की बिक्री पर देय नहीं	-	-
उप-कुल	6,569.92	6,926.77

नोट संख्या 21ए: वर्तमान लीज देनदारियां

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
लीज देनदारियां	607.67	573.64
कुल	607.67	573.64

नोट संख्या 22: व्यापारिक देयताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय राशियाँ	424.75	496.79
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को छोड़कर अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशियाँ	18,715.71	21,660.19
कुल	19,140.46	22,156.98

देय व्यापार में मार्च 2023 माह के लिए ईंधन लागत का भुगतान और मार्च 2023 के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं पर किए गए प्रावधान शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आपूर्तिकर्ताओं और सेवाओं के लेनदार	19,140.46	22,156.98

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006” में परिभाषित के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों को देय राशि का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक ऐसे पक्षों को कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचाना गया है। सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से संबंधित प्रकटन निम्नवत हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
i. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि का भुगतान किया गया	424.75	496.79
ii. उस पर देय ब्याज वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
iii. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के बाद भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
iv. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है, लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से अधिक) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v. अर्जित ब्याज की राशि और बकाया राशि।	शून्य	शून्य
vi. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकरण के उद्देश्य के लिए, बाद के वर्षों में भी शेष और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य

31 मार्च 2022 तक एमएसएमई को देय राशि विक्रेताओं से दावों की प्राप्ति से 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया नहीं है और तदनुसार उक्त बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

व्यापार देय:

विवरण	31 मार्च 2023 तक						
	बिल न चुकाया देय	बकाया नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
			एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच= बी से जी
(i) एमएसएमई	335.27	89.48	-	-	-	-	424.75
(ii) अन्य	2,731.14	14,832.24	547.09	135.76	280.91	188.57	18,715.71
(iii) विवादित देय राशि - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	3,066.41	14,921.72	547.09	135.76	280.91	188.57	19,140.46

विवरण	31 मार्च 2022 तक						कुल
	बिल न चुकाया देय	बकाया नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
			एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच= बी से जी
(i) एमएसएमई	493.41	3.38	-	-	-	-	496.79
(ii) अन्य	2,468.63	17,655.88	844.80	233.29	456.77	0.82	21,660.19
(iii) विवादित देय राशि - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2,962.04	17,659.26	844.80	233.29	456.77	0.82	22,156.98

चालू देयताएँ

नोट संख्या 23: अन्य वित्तीय देयताएँ

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
I. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
बॉन्ड	5,941.46	6,415.08
केएफ़डबल्यू से ऋण	255.96	284.48
बाह्य वाणिज्यिक ऋण	-	11.20
मध्यम अवधि ऋण	372.50	216.01
अधीनस्थ ऋण	-	-
टीसीएस उपार्जित लेकिन वस्तुओं की बिक्री पर देय नहीं		
उप-कुल	6,569.92	6,926.77
II. अन्य देनदारियाँ		
(ए) पूंजीगत व्यय के लिए देय		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यम	287.39	558.13
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य	13089.4	7,410.24
(बी) कर्मचारियों के लिए देय लाभ	7481.11	2,204.21
(सी) अन्य प्रावधान	68.52	0.91
(डी) अंतरिम लाभांश चालू वर्ष	35000.00	-
उप-कुल	55,926.42	10,173.49
कुल	62,496.34	17,100.26

पूंजीगत व्यय के लिए ऋणदाता रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए और मापे गए कार्य के संबंध में ठेकेदार को देय राशि का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजीगत व्यय (एमएसएमई के अलावा) में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से संबंधित कार्यों के लिए देय 437.27 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1281.75 लाख रुपये) की राशि शामिल है।

चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 35000.00 लाख की राशि के अंतरिम लाभांश को 16.03.2023 को आयोजित 77वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसका भुगतान दिनांक 13.04.2023 को किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण राशि का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित खुलासे निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
i. वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि का भुगतान किया गया	287.39	558.13
ii. उस पर देय ब्याज वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया है		
iii. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के बाद भुगतान की राशि।		
iv. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है, लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से अधिक) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना		
v. अर्जित ब्याज की राशि और बकाया राशि।		
vi. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकरण के उद्देश्य के लिए, बाद के वर्षों में भी शेष और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक उपरोक्त ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है।		

31 मार्च 2023 तक एमएसएमई को देय राशि विक्रेताओं से दावे प्राप्त होने के 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया नहीं है और तदनुसार उक्त बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

नोट संख्या 24: अन्य चालू देयताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(ए) ठेकेदारों और अन्य से प्रतिधारण राशि	13426.51	13304.05
(बी) अन्य सांविधिक बकाया ::		
(i) देय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर	819.57	977.70
(ii) अन्य सांविधिक बकाया (सीपीएफ, एलआईपी एनईएसएस आदि)	1400.89	1,297.84
(सी) लाभार्थियों से अग्रिम	3660.06	1,342.73
(डी) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के लिए आरईसी से अग्रिम	259.90	214.55
कुल	19566.93	17136.87

- (i) ठेकेदारों और अन्य से प्राप्त प्रतिधारण राशि सुरक्षा जमा, कार्य/आपूर्ति बिल से काटी गई बयाना राशि से संबंधित है, जिसे अनुबंध/आपूर्ति आदेश की शर्तों द्वारा निर्धारित दोष देयता अवधि के बाद कार्य पूरा होने पर निपटान किया जाएगा।
- (ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में 31 मार्च 2023 तक प्रावधान पर टीडीएस और मार्च 2023 के कार्य / आपूर्ति बिल से जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष कर काटे गए हैं और रिपोर्टिंग तिथि तक जमा नहीं किए गए हैं।
- (iii) देय अन्य सांविधिक देय राशियों में भविष्य निधि में निगम का अंशदान, एलआईसी प्रीमियम काटा गया, पेंशन अंशदान, भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान और मार्च के दौरान की गई अन्य कटौती जो बकाया नहीं है और रिपोर्टिंग तिथि तक जमा नहीं की गई है

नोट संख्या 25: लघु अवधि प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	1,045.58
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ	2,477.76	693.90
अवकाश नकदीकरण	16,392.78	13,855.16
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10.17	12.36
कुल	18,880.71	15,607.00

कर्मचारी लाभ के प्रावधान में ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति पर सोने का सिक्का शामिल है। चालू वर्ष के लिए प्रावधान की वहन राशि में वृद्धि/कमी मुख्य रूप से चालू वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रभार के सकल प्रभाव और चालू वर्ष में भुगतान किए गए लाभों के कारण है।

1. परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी प्रासंगिक कर्मियों की ओर से कई परिभाषित योगदान योजनाओं में भाग लेती है। इन योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त कोई भी व्यय उन योजनाओं के नियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों पर उनके द्वारा अवधि के दौरान देय योगदान के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। तुलन पत्र में शामिल केवल वही राशियाँ हैं जो पिछले महीनों के योगदान से संबंधित हैं जिनका भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद तक नहीं किया जाना था। कंपनी द्वारा संचालित प्रमुख परिभाषित अंशदान योजनाएं नीचे दी गई हैं:

ए) भविष्य निधि

भारतीय कानून के अनुसार, कंपनी के पाल कर्मचारी भविष्य निधि, एक परिभाषित योगदान योजना के संबंध में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। इस अवधि के लिए कंपनी का योगदान ₹3367.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹ 3414.12 लाख रुपये) था। निवेश ने भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार सदस्य को भुगतान करने के लिए पर्याप्त ब्याज अर्जित किया है।

बी) सेवानिवृत्ति निधि

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार (जीओआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/जीएल-xiv/08 दिनांक 26.11.2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/जीएल-vii/09 दिनांक 02.04.2009, कंपनी ने नीपको कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार की है।

इस योजना का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट में कंपनी का योगदान ₹ 2507.55 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2404.67 लाख लाख) था।

2. परिभाषित लाभ योजनाएं

ए. सेवानिवृत्त उपदान

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, निःशक्तता या मृत्यु पर अधिकतम रु. 20.00 लाख के अधीन। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है। निदेशक मंडल ने 01.04.2013 को आयोजित अपनी बैठक में अपने संकल्प संख्या 195/16 दिनांक 01.4.2013 के द्वारा ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है ताकि निगम सेवाओं से अलग कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए धन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तदनुसार 25 जून 2013 को नीपको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेस फंड ट्रस्ट का गठन किया गया है और 5 अगस्त 2013 को भारत के जीवन बीमा निगम से एक मास्टर पॉलिसी, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी-सह-जीवन आश्वासन (नकद संचय) योजना के रूप में नामित किया गया है, को लिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एलआईसीआई के साथ लेन-देन 31.03.2023 तक निधि शेष का आकलन करने के लिए नीपको की बट्टे-खातों के अनुसार हैं।

एलआईसी के पास वित्तपोषित परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष	18,643.54	18,171.16
वर्ष के दौरान लेनदेन (सकल डेबिट)	1,481.56	863.94
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज (सकल ऋण)	1,459.55	1,336.32
अंतिम शेष	18,621.53	18,643.54

बी. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं के लिए एक अंशदायी योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी और सेवानिवृत्त/मृतक के पति या पत्नी को अंशदायी आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो इस प्रकार हैं: इनडोर उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निकटतम अधिकृत/अनुमोदित अस्पताल की दरों तक सीमित है। पैनल में शामिल अस्पतालों में लिए गए बाह्य रोगी/घरेलू उपचार के लिए, नैदानिक परीक्षण, जांच, दवाओं की लागत और अन्य ओपीडी खर्चों के लिए वास्तविक प्रतिपूर्ति की अनुमति है, जो कि अधिकतम अंतिम मूल प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक है, जो भी कम हो। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

सी. सेवानिवृत्ति पर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

एक अच्छी संगठनात्मक संस्कृति का पोषण करने और कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई ईमानदार सेवाओं की सराहना करने के लिए, निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख पर एक सोने का सिक्का प्रदान करती है। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

3.अन्य कर्मचारी लाभ

ए. अवकाश

कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) और अर्ध वेतन अवकाश प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों पर सालाना अर्जित होता है। अर्जित अवकाश खाता केवल एक सेक्शन में रखा जाता है जो नकदीकरण योग्य है। निगम से कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/अलग होने पर, 300 दिनों की उच्चतम सीमा के अधीन संपूर्ण अवकाश (अर्जित अवकाश और अधिकतम 240 दिन का आधा वेतन अवकाश) एन-कैशेबल होगा। अर्ध वेतन अवकाश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश के लिए देय नकद समतुल्य अवकाश वेतन के बराबर होगा जैसा कि अर्ध वेतन और महंगाई भत्ते के लिए स्वीकार्य है। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

बी. सामाजिक सुरक्षा योजना

कंपनी के पास अनुकंपा नियुक्ति के बदले सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी योजना में समान योगदान करती है। इस योजना का उद्देश्य सेवा में रहते हुए कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में आश्रित लाभार्थियों को नकद लाभ प्रदान करना है, जिसमें स्थायी रूप से पूर्ण अक्षमता के कारण रोजगार की समाप्ति भी शामिल है।

नोट संख्या 26: आस्थगित आय (अचल)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आस्थगित राजस्व		
सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित राजस्व	22,802.18	24,395.95
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजित	1,592.91	1,597.96
कुल	21,209.27	22,797.99

नोट संख्या 26ए: चालू आस्थगित राजस्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
क) सरकारी अनुदान से उत्पन्न आस्थगित आय	1,592.91	1,597.96
जोड़कर : वर्ष के दौरान संवर्धन	1,592.91	1,597.96
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजित	1,592.91	1,597.96
उप-कुल	1,592.91	1,597.96
ख) स्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव की देनदारियां	9,600.09	6,339.74
कुल	11,193.00	7,937.70

सरकारी अनुदान पर टिप्पणी (इंड एस 20)

नीपको की स्वीकृत लेखा नीति में “सरकारी अनुदान” की मान्यता और लेखांकन की नीति शामिल है (नोट 1 का पैरा 14 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश)। भारत सरकार ने नीपको को परियोजना के “वाणिज्यिक संचालन की तारीख” से देय 1% प्रति वर्ष ब्याज के साथ तुइरियल एचईपी के कार्यान्वयन के लिए नीपको को ₹ 29196.42 लाख के एक अधीनस्थ ऋण को मंजूरी दी है। उक्त ऋण राशि में से 31.03.2015 तक नीपको को 29096.42 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान शेष 100.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। 31.03.2015 तक प्राप्त ऋण राशि (रुपये 29096.42 लाख) को नीपको की बट्टे-खातों में 01.04.2015 (इंड एस ट्रांजिशन तिथि) के अनुसार इंड एस 101 (पूर्वव्यापी आवेदन के अपवाद) के अनुपालन में इसके वहन मूल्य पर मान्यता दी गई है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त ऋण राशि (₹ 100.00 लाख) के लिए, ब्याज की बाजार दर से नीचे के कारण ऋण का लाभ (जून’15 को एसबीआई आधार दर @ 9.70% प्रभावी माना जाता है) की राशि ₹ 82.64 लाख को सरकारी अनुदान के रूप में माना गया है और तदनुसार नीपको की बट्टे-खातों में मान्यता प्राप्त है।

सहायता में अनुदान से बाहर

केंद्र सरकार से प्राप्त “सहायता अनुदान” में से खरीदे गए स्पेयर का कुल मूल्य ₹3659.53 लाख है और तदनुसार, असम गैस आधारित पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है। चालू वर्ष के दौरान, मरम्मत और रखरखाव पर डिबेट की गई और स्टॉक ऑफ स्पेयर्स को केंद्रीय बैंक से प्राप्त सहायता अनुदान से बाहर खरीदे गए पुर्जों के लिए ₹ 8.91 लाख (पिछले वर्ष के ₹ 13.96 लाख रुपये) की राशि द्वारा अनुदान दिया गया है। लाभ और हानि के विवरण में आय के बराबर राशि को मान्यता दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से अनुदान

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी 2011 के पत्र संख्या 7/7/2009-एच-आई द्वारा स्वीकृत निवेश अनुमोदन के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीएनईआर) द्वारा तुइरियल अजल विद्युत परियोजना, मिजोरम के लिए स्वीकृत फंडिंग पैटर्न के एक भाग के रूप में ₹ 30000.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। अनुदान में कुल 300.00 करोड़ रुपये की राशि अनुदान में शामिल है, जो कि इसके चालू होने के बाद से परियोजना के मानक उपयोगी जीवन के दौरान परिशोधन के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिशोधित राशि ₹1584.00 लाख (पिछले वर्ष ₹1584.00 लाख)। वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण में एक समान राशि को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

नोट संख्या 27: संचालन से राजस्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
ऊर्जा की बिक्री	3,49,174.31	2,41,233.75
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री	91,844.22	64,842.06
विद्युत शुल्क	-	-
डीएसएम से राजस्व	3,962.75	2,278.42
आरआरएस . से राजस्व	1,254.35	256.87
अन्य ::		
लाभार्थियों से एफ़ईआरवी (सकल)	467.51	405.38
लाभार्थियों से एनईआरएलडीसी शुल्क और अन्य शुल्क	596.86	474.78
बिजली की बिक्री (शुद्ध)	4,47,300.00	3,09,491.26
अन्य परिचालन राजस्व ::		
लाभार्थियों से ब्याज	6,762.37	9,595.11
आस्थगित राजस्व से मान्यता-सरकारी अनुदान	1,592.90	1,597.96
संचालन से सकल राजस्व	4,55,655.27	3,20,684.33

- ए. बिजली की बिक्री केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर की जाती है। उन बिजली स्टेशनों के मामले में जहां सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया जाना बाकी है, ऊर्जा की बिक्री केंद्रीय बिजली में निहित सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर प्रदान की जाती है। नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019। उन परियोजनाओं के लिए जिनके लिए न तो सीईआरसी अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लगाया जाता है। बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को दी गई बिक्री शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, जिसे आमतौर पर “बिल न किया गया राजस्व” कहा जाता है।
- बी. ऊर्जा की बिक्री में ₹ 10045.51 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10279.34 लाख) शामिल हैं, जो सीईआरसी को लंबित आदेश जारी करने के लिए प्रस्तुत याचिका के अनुसार वार्षिक निश्चित लागत के आधार पर मान्यता प्राप्त वर्ष का राजस्व है।
- सी. बिक्री में चालू वर्ष में टैरिफ को अंतिम रूप देने से उत्पन्न पिछले वर्षों की बिक्री के कारण ₹ 9940.46 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11221.72) शामिल हैं। इसके अलावा, बिक्री में ग्रेच्युटी (संशोधन) अधिनियम 2018 के कारण खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए सीईआरसी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से अनुमत 6725.64 लाख रुपये शामिल हैं।
- डी. सीईआरसी के विनियमन 67 (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के संदर्भ में, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देयताएं, जब भी वे भौतिक रूप से लाभकारी कंपनियों या लॉन्ग टर्म से ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा सीधे वसूली योग्य होंगी ट्रांसमिशन ग्राहक / डीआईसी, जैसा भी मामला हो। तदनुसार, 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री में ₹ 1452.02 लाख (वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 0.45 लाख के समायोजन के बाद) (पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की राशि ₹ 1310.82 लाख) शामिल है।
- ई. 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, नीपको ने नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए टैरिफ आदेशों को पूरा करने के कारण 9940.46 लाख रुपये की राजस्व राशि को “ऊर्जा की बिक्री” और 6762.37 लाख रुपये को “लाभार्थियों से ब्याज” के रूप में मान्यता दी और सीईआरसी द्वारा 2019-24 के लिए टैरिफ आदेश जारी किए गए। “ऊर्जा की बिक्री” के तहत उक्त राजस्व में डीएचपीएस (2134.08 लाख रुपये), खांडोंग चरण II (119.14 लाख रुपये), केएचपीएस (1266.63 लाख रुपये), पीएलएचपीएस (6171.87 लाख रुपये), टीजीबीपीएस (-1158.72 लाख रुपये) और पीएचपीएस (₹. 1407.46 लाख) शामिल हैं। इसके अलावा, “लाभार्थियों से ब्याज” में डीएचपीएस (755.64 लाख रुपये), खांडोंग एसटीजी II (205.31 लाख रुपये), केएचपीएस (1704.12 लाख रुपये), पीएलएचपीएस (3202.02 लाख रुपये), टीजीबीपीएस (578.06 लाख रुपये) और पीएचपीएस (₹. 317.22 लाख) शामिल हैं। इसके अलावा, बिजली स्टेशनों के मामले में कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान नीपको की बट्टे खातों में मान्यता प्राप्त अनंतिम राजस्व, जहां नियंत्रण अवधि 2019-24 के लिए अंतिम टैरिफ अभी तक सीईआरसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, राशि 10045.51 लाख रुपये है।
- एफ. एनईआरपीसी द्वारा जारी साप्ताहिक विवरणों के अनुसार, डीएसएम और आरआरएएस का लेखा वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि तक किया जाता है।
- जी. चालू वित्त वर्ष के दौरान कामेंग एचईपी (600 मेगावाट) के कमीशनिंग होने पर, उपरोक्त संयंत्र द्वारा उत्पन्न विक्रेय शक्ति (347 मेगावाट) को एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के माध्यम से द्विपक्षीय समझौते के साथ साथ प्रतिदिन एवम वास्तविक समय बाजारों में बेचा/व्यापार किया गया। इसके अलावा, नीपको ने अपने बिजली संयंत्रों के लिए “अनिवार्य दिन” और “वास्तविक समय” बाजारों में “अन-रिक्विज्ड सरप्लस (यूआरएस)” के तहत उपलब्ध बिजली का कारोबार किया है।

नोट संख्या 28: अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य गैर-प्रचालन आय (उक्त आय से सीधे तौर पर स्रोतजनयता मानी जा सकने वाली आय घटा कर)		
बैंकों के पास जमा राशि पर ब्याज	526.77	155.93
अन्य विविध प्राप्तियां	357.58	5,126.98
प्रतिलेखित देता/ प्रावधान		
अप्रचलित पुर्जे	-	-

अन्य	7.77	67.92
शुल्क भरना	71.46	67.22
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	545.68	4,148.80
उप-कुल	1,509.26	9,566.85
अन्य लाभ और हानि		
पीपीई के निपटान पर लाभ/(हानि)	2.93	0.07
	1,512.19	9,566.92
घटाकर - निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित नोट 34 (इ)	103.96	54.58
कुल	1,408.23	9,512.34

- (i) अन्य विविध. प्राप्तियों में ट्रांजिट हॉस्टल किराया, ठेकेदारों से वसूली, जब्त की गई ईएमडी, परियोजना परामर्श से आय, आवासीय/गैर-आवासीय भवन से किराए की वसूली, ऋण पर कर्मचारियों से ब्याज, ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से अन्य वसूली, निविदा पत्र की बिक्री आदि शामिल हैं।
- (ii) देयता/प्रावधान वापस लिखा गया - अन्य में लेखापरीक्षा शुल्क, देय खातों आदि के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

नोट संख्या 29: ईंधन दर

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
गैस की खरीद	1,44,849.84	57,354.86
गैस के लिए परिवहन शुल्क	2,837.58	6,134.10
कुल	1,47,687.42	63,488.96

नोट संख्या 30: कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	42,561.99	38,340.60
भविष्य निधि में योगदान	3,536.48	3,414.12
उपदान	1,013.86	1,166.02
एनईडीसीएसएस में योगदान	2,338.92	2,404.67
अवकाश नकदीकरण	5,770.72	3,315.11
कर्मचारी कल्याण व्यय	136.41	91.60
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	676.44	634.26
कुल	56,034.82	49,366.38
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34(ए)	4,628.68	2,848.30
लाभ एवं हानि विवरण के लिए अग्रेषित किया गया	51,406.14	46,518.08

- गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर्मचारियों को देय है बशर्ते कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना आवेदन प्रस्तुत करें और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार करें। तदुसार ब्याज सब्सिडी को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमत वास्तविक भुगतान के आधार पर लेखा पुस्तकों में मान्यता दी जाती है।
- कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समेत निदेशकों के लिए निम्नांकित शामिल है।

(₹ लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष (2022-23) (₹ लाखों में)	गत वर्ष (2021-22) (₹ लाखों में)
वेतन और भत्ते	88.54	194.7
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	13.11	27.91
अन्य लाभ	35.91	67.12
कुल	137.56	289.73

3. कर्मचारी कल्याण व्यय में कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, अन्य सेवा कल्याण लाभ (सोने का सिक्का, गृह निर्माण ऋण पर ब्याज सब्सिडी, पट्टा आवास आदि) शामिल हैं।

नोट संख्या 31: वित्तीय लागतें

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. ब्याज व्यय		
i) नकद ऋण और कार्यशील पूंजी मांग ऋण पर ब्याज	427.69	1,586.51
ii) ईसीबी ऋण पर ब्याज	444.69	536.77
iii) बांड पर ब्याज	38,873.73	44,226.41
iv) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव-हानि/(लाभ)	757.22	(233.40)
v) केएफडब्ल्यू ऋण पर ब्याज	1,075.22	1,248.54
vi) अल्पावधि उधार पर ब्याज	-	-
vii) भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	291.96	291.96
viii) मध्यम और कॉर्पोरेट अवधि के ऋण पर ब्याज	13,854.76	9,997.54
ix) ब्याज व्यय - लीज के अंतर्गत परिसंपत्ति	125.94	130.13
x) ब्याज व्यय - अन्य	204.91	-
ख. वित्त प्रभार		
ईआईआर के निवल विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	540.81	632.58
सी.अन्य उधार लागत	164.02	69.02
कुल	56,760.95	58,486.06
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34(बी)	3,093.82	287.27
लाभ और हानि विवरण के लिए अग्रेषित राशि	53,667.13	58,198.79

नोट संख्या 32: मूल्यहास और परिशोधन खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
पीपीई अवमूल्यन (नोट संख्या- 2)	82,828.51	80,241.99
अमूर्ज संपत्ति (नोट संख्या-4)	845.29	566.75
उप-कुल	83,673.80	80,808.74
आईईडीसी को हस्तांतरित राशि - नोट 34 (सी)	123.64	26.80
लाभ व हानि के दौरान में अग्रेषित राशि	83,550.16	80,781.94

नोट संख्या 33: अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादन व्यय		
मरम्मत एवं रखरखाव :		
सड़कें व भवन	3,150.11	3,434.54
विद्युत गृह	9,317.43	9,152.34
हाइड्रोलिक कार्य	1,312.46	1,362.42
लाइन एवं सब-स्टेशन	452.99	226.68
अन्य	993.18	802.50
स्टोर एवं स्पेयर (सहायता अनुदान के समक्ष)	8.91	13.96
उप-कुल	15,235.08	14,992.43
प्रशासनिक व्यय		
यात्रा खर्च	564.83	291.49
विज्ञापन खर्च	90.48	0.57
बीमा शुल्क	8,128.30	7,916.74
करिए	173.99	182.84
दूरें और कर	19.13	32.46
मनोरंजन व्यय	34.74	23.79
लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय	18.46	16.96
परिवहन व्यय	1,461.56	1,122.90
किराया व्यय	1.98	0.88
छपाई और स्टेशनरी	61.28	50.45
डाक	3.37	2.81
चिकित्सा व्यय	1,379.43	1,235.18
लाइसेंस और पंजीकरण	33.91	36.13
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	1.44	1.87
वर्दी और पोशाक	1018.08	6.06
मानदेय	2.26	0.13
बिजली शुल्क	478.55	539.63
बैंक शुल्क	237.10	18.12
सामाजिक कल्याण	1,245.30	1,035.23
परामर्श शुल्क	509.19	389.43
व्यावसायिक शुल्क	96.52	45.52
सुरक्षा व्यवस्था	4,219.78	3,929.79
प्रशिक्षण खर्च	211.63	123.82
कर्मचारी भर्ती खर्च	0.27	38.78
अस्पताल की सुविधा	85.10	65.06
सदस्यता और सदस्यता शुल्क	240.81	25.82
संचार खर्च	179.85	144.61
कार्यालय की साज-सज्जा	15.50	5.11

विविध व्यय	986.79	227.67
आई.बी. खर्च	376.22	318.76
प्रयोगशाला और मीटर परीक्षण शुल्क	3.50	1.61
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	176.44	120.59
फोटोग्राफिक रिकॉर्ड	0.56	0.42
स्टॉक का नुकसान/अग्रिम बट्टे खाते में डालना	18.56	135.59
ईडीपी व्यय	950.24	438.17
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	16.66	71.89
कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	422.42	258.88
आकस्मिक व्यय सौभाग्य	-	-
बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियां क्षतिग्रस्त/अन-ट्रेसेबल	179.80	75.81
मुआवज़ा	14.68	-
बोर्ड की बैठक का खर्च	52.83	9.17
प्रचार खर्च	203.12	617.77
कानूनी शुल्क	522.24	265.32
सीईआरसी को फाइलिंग फीस	95.28	102.79
एनईआरएलडीसी शुल्क और शुल्क	731.07	595.35
अनुसंधान एवं विकास व्यय	59.88	15.20
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और एसडी	508.78	556.66
स्वच्छ भारत	4.71	0.20
आरआरएएस- व्यय	4,303.86	405.42
लाभार्थी राज्यों को ब्याज	-	1,078.51
व्यापार व्यय	5,285.14	6,010.56
ऊर्जा संरक्षण खर्च	-	-
निविदा खर्च	-	-
कोविड 19 खर्च	13.46	119.02
विलंबित भुगतान पर ब्याज	295.56	
उप कुल	35,734.64	28,707.52
अन्य व्यय		
लूब्रिकेंट, तेल इत्यादि	-	-
बिजली शुल्क	416.49	218.76
डीएसएम देय	636.87	311.66
ट्रांसमिशन चार्ज	-	33.77
पीएम कुसुम	311.48	-
रूफ-टॉप सौर कार्यक्रम	170.71	-
आज़ादी का अमृत महोत्सव	86.76	-
बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	4,852.11	3,996.80
उप कुल	6,474.42	4,560.99
	57,444.14	48,260.94
घटाकर- निर्माण के दौरान व्यय करने के लिए ट्रांसफर किया गया नोट संख्या -34 (डी)	4,542.09	2,436.86
कुल	52,902.05	45,824.08

लेखा परीक्षा व्यय के संबंध में विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
ऑडिटर के रूप में:		
मुफ्त ऑडिट	10.80	10.80
टैक्स ऑडिट शुल्क	-	-
सीमित समीक्षा	6.48	6.16
अन्य क्षमता में:		
अन्य सेवाएँ (प्रमाणन शुल्क)	1.18	-
व्यय की प्रतिपूर्ति		
कुल	18.46	16.96

बट्टे खाते हेतु प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्तियाँ	1,000.15	3,994.56
निवेश की हानि	-	-
सूची	0.13	2.24
अनुपयोगी पूँजी कार्य	-	-
संदिग्ध अग्रिम/प्राप्य	3,851.83	-
कुल	4,852.11	3,996.80

नोट संख्या 34: निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	नोट संख्या	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. कर्मचारी व्यय लाभ			
वेतन तथा मजदूरी		3,599.08	2276.67
भविष्य निधि में अंशदान		288.63	186.19
उपदान (ग्रेच्युटी)		62.02	69.1
कर्मचारी पेंशन		193.62	132.98
अवकाश नकदीकरण		476.22	178.34
कर्मचारी कल्याण व्यय		9.11	5.02
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ			
कुल (ए)	30	4,628.68	2,848.30
बी. ब्याज और वित्त व्यय पूँजीकृत			
बांड पर ब्याज		-	-
अल्पावधि उधार पर ब्याज		-	-
मध्यम और कॉर्पोरेट सावधि ऋण पर ब्याज		3,075.67	286.09
ब्याज व्यय - पट्टे के तहत संपत्ति		17.04	0.78
अन्य उधार लागत		1.11	0.40
कुल (बी)	31	3,093.82	287.27

सी. मूल्यहास	32	123.64	26.80
डी. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय			
यात्रा खर्च		46.50	23.60
किराए		38.05	44.54
दरें और कर		0.17	1.16
परिवहन खर्च		221.29	94.73
छपाई और स्टेशनरी		6.42	2.57
डाक और तार		0.27	0.07
चिकित्सा व्यय		98.17	45.44
लाइसेंस और पंजीकरण		1.67	1.11
पेपर और पत्रिकाएं		0.01	0.12
वर्दी और पोशाक		72.04	0.22
बिजली और पानी के शुल्क		165.23	11.95
बैंक शुल्क		4.87	0.03
सामाजिक कल्याण		1.00	0.72
परामर्श शुल्क		92.64	38.21
सुरक्षा व्यवस्था		665.84	37.23
अस्पताल की सुविधा		7.58	-
संचार खर्च		13.00	0.95
कार्यालय की साज-सज्जा		2.04	-
विविध व्यय		347.95	12.23
आई.बी. खर्च		11.50	0.35
आई टी खर्च		19.44	11.53
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि		-	-
मरम्मत और रख रखाव		-	-
सड़कें और भवन		285.65	809.11
संयंत्र उपकरण		1144.09	742.27
अन्य		478.49	13.34
पर्यावरण और पारिस्थितिकी		-	4.85
सीईआरसी को फाइलिंग फीस		-	-
ऊर्जा संरक्षण खर्च		-	-
कानूनी विस्तार		-	-
बीमा शुल्क		800.57	539.46
मनोरंजन व्यय		0.51	0.31
निविदा खर्च		-	-
कोविड -19 खर्च		0.10	0.23
प्रशिक्षण व्यय		17.00	0.53
उप कुल (डी)	33	4,542.09	2,436.86
कुल (ए + बी + सी + डी)		12,388.23	5,599.23
(इ) घटाकर: अचल-ऑपरेटिंग रसीदें			
अग्रिमों से ब्याज		0.13	0.42
किराया शुल्क		-	-
ट्रांजिट छात्रावास वसूली		-	-
किराए की वसूली		1.78	1.74
विविध आय		102.05	52.42
कुल (ई)		103.96	54.58
निवल व्यय		12,284.27	5,544.65
पूँजीगत कार्य-प्रगति में स्थानांतरित किया गया व्यय	3	12,284.27	5,544.65

विविध आय में ठेकेदार से वसूली, निविदा पत्र की बिक्री, कंप्यूटर अग्रिम और फर्नीचर अग्रिम का परिशोधन आदि शामिल हैं।

नोट संख्या 35: प्रति शेयर उपार्जन

निम्नांकित तालिका आधारभूत और तनुकृत उपार्जन प्रति शेयर की गणनाओं में प्रयुक्त आय एवं शेयरों के आँकड़े दर्शाती है।

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) कर पश्चात व लेखा अधिशेष नियामक पूर्व लाभ (₹ लाखों में)	34,206.32	14,888.10
(बी) कर पश्चात व लेखा अधिशेष नियामक पश्चात लाभ (₹ लाखों में)	39,688.79	21,228.69
घटाकर: तनुकृत अंश के लिए भुगतान की जाने वाली राशि (कर हटा कर)		
साधारण शेयर धारकों से श्रोतजन्य लाभ - आधारभूत ईपीएस के लिए	39,688.79	21,228.69
साधारण शेयर धारकों से श्रोतजन्य लाभ - तनुकृत ईपीएस के लिए	39,688.79	21,228.69
(सी) भारित औसत संख्या. बेसिक ईपीएस के लिए साधारण शेयरों की	3609810400	3609810400
भारित औसत संख्या. डाइल्यूटेड के लिए साधारण शेयरों की - ईपीएस	3609810400	3609810400
(डी) साधारण शेयरों का नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00
(ई) विनियामक स्थगन खातों से पहले प्रति इक्विटी शेयर आय:		
(i) मूल (₹ में) (वार्षिक नहीं)	0.95	0.41
(ii) तनुकृत (₹ में)	0.95	0.41
(एफ) नियामक डिफरल लेखा पश्चात प्रति इक्विटी शेयर की प्राप्ति :		
(i) मूल (₹ में) (वार्षिक नहीं)	1.10	0.59
(ii) तनुकृत (₹ में)	1.10	0.59

नोट संख्या 36: आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ (प्रावधान नहीं किए जाने की सीमा तक)

विवरण	तक	
	31-मार्च -2023	31-मार्च-2022
आकस्मिक देयताएँ :		
कंपनी के विरुद्ध दावों को निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
- कैपिटल वर्क्स के विरुद्ध मुकदमा लंबित है	2,75,242.36	1,61,370.11
- भूमि मुआवज़ा मामले	2,365.00	2,806.00
- विवादित आयकर मांग	27,614.24	46,889.39
- अन्य#	19,239.00	15.00
कुल	3,24,460.60	2,11,080.50
प्रतिबद्धताएँ :		
पूँजीगत अनुबंधों पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिम और जमा का सकल)	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	37,718.70	16,030.42

- (i) कंपनी के खिलाफ दावों को 31,2023 तक ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें वार्षिक वर्ष 2015-16 के लिए अपने कर निर्धारण के पूरा होने पर ₹ 27614.24 लाख की राशि के लिए आयकर अधिकारियों से ₹ 11381.61 लाख के कर के भुगतान की मांग शामिल है। 2016-17 की राशि ₹ 9112.52 लाख, वार्षिक वर्ष 2020-21 की राशि ₹ 1992.06 लाख, उच्च न्यायालय, मेघालय और आईटीएटी के समक्ष लंबित डीपीएस से संबंधित संभावित कर देयता ₹ 5120.85 लाख और सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण से मांग (सीईएसटीएटी) सेवा कर के संबंध में ₹ 7.20 लाख के भुगतान के लिए।

अन्य में 15.00 लाख रुपये की ग्रेच्युटी, 61.00 लाख रुपये की ईपीएफ राशि से संबंधित अदालती प्रक्रिया के कारण लंबित विभिन्न मामले शामिल हैं और न्यू मेलिंग एचईपी और सीव नाफरा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 19163.00 लाख रुपये की राशि के दिए गए ठेकों के लिए के अरुणाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त/सचिव (विद्युत) सरकार द्वारा पारित समाप्ति नोटिस को चुनौती देने वाली लिखित याचिका शामिल है।

- (ii) मध्यस्थता न्यायाधिकरण/न्यायालयों के समक्ष कुछ मामले लंबित हैं, जिनके दावों की राशि का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है।
- (iii) कंपनी इस मांग का विरोध कर रही है और उसके कर सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iv) कंपनी कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी का प्रबंधन उचित रूप से यह उम्मीद नहीं करता है कि ये कानूनी कार्रवाइयां, जब अंततः निष्कर्ष और निर्धारित होंगी, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

नोट संख्या 37: विनियामक आस्थगित खातों की शेष राशि में मूवमेंट

दर वनियमिति गतविधियों

कंपनी मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। जिस टैरिफ के आधार पर कंपनी अपने लाभार्थियों को बेची गई बिजली का बिल देती है, उसका निर्धारण केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के अनुपालन में किया जाता है, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है।

उक्त विनियम कंपनी को सामान या सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ उचित रिटर्न के लिए अपनी लागत वसूल करने की अनुमति देते हैं।

मान्यता और माप

- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2019-2024 के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको) के तुड़रियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (ग्रेप) की वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) के निर्धारण के दौरान दिनांक 16.4.2021 को आदेश जारी किया, माननीय आयोग ने परियोजना (ग्रेप) के आरसीई (ग्रेप) पर विचार के लिए दिनांक 04.06.2010 को हुई बैठक के दौरान भारत सरकार का सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के निर्णय के अनुरूप नीपको द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर 2% मूल्यह्रास की अनुमति दी है।
- सीईआरसी के टैरिफ नियमों के अनुसार दरें और कार्यप्रणाली, जिसके आधार पर ग्रेप के लिए मूल्यह्रास की गणना की गई है और इस शर्त के तहत नीपको के लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया गया है, जो कि सीएचसी के आदेश के अनुसार टैरिफ के माध्यम से पुनर्प्राप्त करने की अनुमति से भिन्न होता है। सीईआरसी के नियमों के अनुसार मूल्यह्रास की उच्च दर के कारण, ऑपरेशन ग्रेप के पहले 12 (बारह) वर्षों के लिए लाभ और हानि खाते के स्टेटमेंट के लिए मूल्यह्रास का आरोप लगाया गया क्योंकि इसके वाणिज्यिक संचालन की तिथि (सीओडी) मूल्यह्रास से अधिक होगी टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है, जो भविष्य के समय में स्टेशन के निर्माणात्मक जीवन के शेष अवधि के दौरान उलट जाएगा। तदनुसार, इसके संचालन के पहले की अवधि के दौरान जनरेटिंग स्टेशन के लिए “राजस्व” के रूप में महसूस किए गए निचले मूल्यह्रास को इस अवधि के दौरान वापस प्राप्त किया जाएगा।
- उपरोक्त को देखते हुए भविष्य की अवधि में पुनर्प्राप्ति योग्य / समायोज्य हद तक मूल्यह्रास के अंतर को “नियामक खाता डेबिट / क्रेडिट शेष” के रूप में “नियामक डेफरल खाता शेष राशि के खर्चे हेतु क्रेडिट / डेबिट” के रूप में पहचाना गया है
- 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान उपरोक्त के कारण मान्यता प्राप्त “नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष” निम्नानुसार है:

विवरण	राशि (₹ लाखों में)
सीईआरसी दरों के अनुसार मूल्यह्रास	6,896.90
सीईआरसी द्वारा दिनांक 09.10.2018 के टैरिफ आदेश द्वारा अनुमत @2% मूल्यह्रास	2,783.29
अंतर (“नियामक आस्थगित शेष” के रूप में मान्यता प्राप्त है)	4,113.61

ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष:

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 मार्च 2018 को अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 12) अधिसूचित किया है और इस प्रकार मौजूदा रुपये 10 लाख से 20 (बीस) लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी है।

सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तों) विनियम 2014 के विनियम 8 (3) में प्रावधान है कि “आयोग निम्नलिखित अनियंत्रित पैरामीटरों के प्रदर्शन के आधार पर उत्पादन स्टेशन के टैरिफ को सही करने का कार्य करेगा:

i) अप्रत्याशित घटना; ii) कानून में बदलाव; तथा iii) प्राथमिक ईंधन लागत

ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार सीमा को बढ़ाकर ₹20.00 लाख करने के कारण ग्रेच्युटी व्यय में वृद्धि “कानून में परिवर्तन” की श्रेणी में आती है।

तदनुसार, 31.03.2018 को नीपको (कंपनी) की बट्टे खातों में “नियामक डिफरल खाता शेष” के रूप में मान्यता प्राप्त सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से अपेक्षित सीमा तक ₹ 4793.47 लाख की राशि वसूली योग्य होगी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने नीपको की याचिका संख्या 718एमपी/2020 में दिनांक 23.01.2023 के आदेश के तहत नियंत्रण अवधि 2014-19 के लिए “अतिरिक्त ओ एंड एम व्यय” के रूप में ग्रेच्युटी सीमा की उपरोक्त वृद्धि के प्रभाव की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है। तदनुसार, माननीय आयोग द्वारा अनुमत राशि को ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लाभ खर्चों के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान “नियामक डिफरल खाता शेष” के तहत पड़े ₹ 4793.47 लाख के उलट के साथ “परिचालन से राजस्व” के तहत मान्यता दी गई है।

परिचालनाधीन परियोजनाओं के लिए आस्थगित कर देयताओं पर आस्थगित समायोजन के संबंध में नियामक आस्थगित खातों की शेष राशि:

संचालन में अपने उत्पादन स्टेशनों से उत्पन्न बिजली की बिक्री के लिए नीपको का पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों (‘लाभार्थियों’ के रूप में संदर्भित) के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) है। नीपको के जनरेटिंग स्टेशनों के लिए टैरिफ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी उनके अधिसूचित टैरिफ नियमों के अनुपालन में निर्धारित किए जाते हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के अनुसार, आरओई को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू प्रभावी कर दर के साथ सकल किया जाता है। तदनुसार, बिजली की बिक्री से उत्पन्न आय पर वर्ष के दौरान उपार्जित आस्थगित कर और भविष्य की अवधियों में आगे समायोज्य/प्रत्यावर्तन जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक हिस्सा बनेगी और लाभार्थियों से वसूली योग्य को “आस्थगित कर समायोजन के रूप में हिसाब किया गया है। आस्थगित कर देयता”, जिसे “नियामक आय” के रूप में मान्यता दी गई है और इंडस्ट्रीज़ एएस 114 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में एक अलग लाइन आइटम के रूप में “नियामक आस्थगित खाता शेष” में एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के पुनर्वर्गीकरण के कारण नियामक आस्थगित खाते की शेष राशि

सीईआरसी (टैरिफ विनियम के नियम और शर्तों) 2019 के विनियम 67 के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर देनदारियां, जब भी वे अमल में आती हैं, उत्पादन कंपनियों या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों द्वारा तत्कालीन लाभार्थियों या दीर्घकालिक ग्राहकों से सीधे वसूली योग्य होंगी। 31 मार्च, 2019 तक भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इसे “नियामक आस्थगित लेखा शेष” के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। इसकी समीक्षा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय लेखा मानक 114 के अनुरूप की गई है और इसे नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली या देय होने वाली पुस्तकों में मान्यता प्राप्त विनियमित संपत्ति (+)/देयता (-) निम्नानुसार हैं:

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	विवरण	विनियामक आस्थगित खाता शेष राशि
ए	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष राशि	38,623.96
बी	31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि (संपत्ति (+) / देयता (-)	-
सी	अवधि के दौरान एकलित (-)/वापसी की गई राशि (+)	(1,452.47)
डी	लाभ और हानि के विवरण (बी-सी) में मान्यता प्राप्त नियामक आय/(व्यय)	(1,452.47)
इ	31.03.2023 (ए+डी) को अंतिम शेष	37,171.49

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतर के संबंध में नियामक आस्थगित खाता शेष

विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं पर विनियम अंतर के संबंध में विनियामक स्थगन खाता शेष इंड एएस 21 का पैरा 28- “विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव” प्रदान करता है कि मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर या दरों पर मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर उन लोगों से भिन्न, जिस पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी जिसमें वे उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा, इंड एएस 101 के पैरा डी 13 ए - “भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना” में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाला मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। पिछले जीएपी के अनुसार पहली इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में। तदनुसार, 01.04.2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी जाने वाली सीमा तक उधार पर विनियम अंतर के अलावा मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद/निपटान पर उत्पन्न होने वाले सभी विनियम अंतर को विवरण में लिया जाएगा। सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के विनियम 69 में प्रावधान है कि प्रत्येक उत्पादक कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी विदेशी विनियम दर में बदलाव को साल-दर-साल आधार पर उस अवधि में आय या व्यय के रूप में वसूल करेंगे, जिसमें यह उत्पन्न होता है।

विनियामक स्थगन खाते डेबिट शेष - नोट 16 मान्यता प्राप्त:

भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली बट्टे खातों में मान्यता प्राप्त विनियामक संपत्तियां इस प्रकार हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 क समाप्त वर्ष के लिए
ए. प्रारंभिक शेष	92,344.55	84,384.08
बी. वर्ष के दौरान क्रियान्वयन कारण		
(i) तुरियल मूल्यहास ₹4113.61 लाख		
(ii) आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित कर समायोजन ₹10542.90 लाख।	6,950.66	7,960.47
(iii) आस्थगित कर वसूली योग्य ₹(1452.47) लाख		
(iv) कर्मचारी लाभ- ग्रेच्युटी ₹(4793.47) लाख		
(v) विनियम अंतर ₹(1459.91) लाख		
सी. वर्ष के दौरान एकत्रित/वापसी की गई राशि	-	-
डी. लाभ और हानि विवरण (बी-सी) में मान्यता प्राप्त विनियामक स्थगन खाता शेष	6,950.66	7,960.47
ई. समापन शेष (ए+डी)	99,295.21	92,344.55
एफ) विनियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध उतार-चढ़ाव (I)	6,950.66	7,960.47
जी) नियामक स्थगन खाता शेष में शुद्ध उतार-चढ़ाव पर कर (II)	1,468.19	1,619.88
एच) वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि (I - II)	5,482.47	6,340.59

विनियामक डेफरल खाता शेष की मान्यता के लिए विचार किया गया रिटर्न / डिस्काउंटिंग दर “शून्य” है नियामक डेफरल खाता शेष की भविष्य में रिकवरी से जुड़ी जोखिम / अनिश्चितता

- डिमांड रिस्क:** नियामक आस्थगित शेष राशि की वसूली इसके लाभार्थियों को बिलिंग के अधीन होती है और तदनुसार संबंधित सामान्य जोखिमों से जुड़ी होती है, जैसे, अपने बकाया के निपटान के प्रति ग्राहकों का रवैया, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की उपलब्धता आदि।
- विनियामक जोखिम:** विनियमों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और एक दर निर्धारण आवेदन के प्रस्तुतीकरण या अनुमोदन या अपेक्षित भविष्य की नियामक कार्रवाइयों पर इकाई के मूल्यांकन के कारण। जिस अवधि में ठीक होने की उम्मीद है।
- अन्य:** कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वह परियोजनाओं/उत्पादक स्टेशनों के मानक उपयोगी जीवन की अवधि के दौरान नियामक आस्थगित खाता शेष की अग्रणी राशि की वसूली/समायोजन करेगी।

नोट संख्या 38: संबन्धित पक्ष के प्रकटीकरण

इंडस्ट्रीज़ एएस -24 के अनुसार संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है

(ए) संबंधित पार्टियों की सूची

ए होल्डिंग कंपनी: एनटीपीसी लिमिटेड

भारत सरकार दिनांक 26 मार्च 2020 तक नीपको लिमिटेड की 100% स्वामित्व की हिस्सेदारी रखी थी। हालांकि, नीपको लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण एनटीपीसी द्वारा 27 मार्च, 2020 को भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 25 मार्च 2020 को किए गए खरीद समझौते को साझा करने के लिए साझा हस्तांतरण के माध्यम से पूरा किया गया। इसके पश्चात दिनांक 31 मार्च 2020 तक एनटीपीसी लिमिटेड ने नीपको की 100% स्वामित्व की हिस्सेदारी को रखा है।

बी. संयुक्त उद्यम :

केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, 8-2-293 / 82 / ए / 431 / ए, रोड नंबर 2, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 500 033, भारत। नीपको लिमिटेड के पास इस संयुक्त उद्यम में 30% हिस्सेदारी है।

सी. उन कंपनियों/निकायों के नाम जो होल्डिंग कंपनी की सहायक/संयुक्त उद्यम हैं

1. नबीनगर विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
2. एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड
3. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
4. एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5. भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
6. पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
7. मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
8. कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
9. एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड
10. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
11. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड
12. हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड
13. एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
14. रत्न गिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
15. टस्को लिमिटेड
16. यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड
17. एनटीपीसी-जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
18. एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड
19. एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
20. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
21. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22. ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स केरल लिमिटेड
23. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड

24. सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
25. अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
26. लिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड
27. बांग्लादेश-भारत मैत्री पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
28. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
29. ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
30. एनएचडीसी लिमिटेड

डी. वे कंपनियाँ जिनमें निदेशक निदेशक हैं

1. एनएचपीसी लिमिटेड
2. नॉर्थ ईस्ट इंडिया आयुष कंसोर्टियम लिमिटेड
3. लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ई. नीपको के निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

(i) पूर्णकालिक निदेशक:

1 श्री आर के विश्रोई	02.06.2022 से सीएमडी एवं डी(टी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं
2 श्री वी के सिंह	31.05.2022 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। 01.03.2022 से 31.05.2022 तक निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार संभालना
3 श्री अनिल कुमार	निदेशक (कार्मिक) 31.10.2022 तक
4. श्री बी महाराणा	निदेशक (वित्त) सह मुख्य वित्त अधिकारी। 01.11.2022 से 31.01.2023 तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार संभालना

(ii) स्वतंत्र निदेशक :

1. श्रीमती माला सिन्हा	10.07.2022 तक स्वतंत्र निदेशक
2. डॉ विवेका नंद पासवान	स्वतंत्र निदेशक
3. बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक

(iii) नामित निदेशक

1. श्री जितेश जॉन	भारत सरकार के नामित निदेशक
2. श्री अनिल कुमार गौतम	31.05.2022 तक नामांकित निदेशक, एनटीपीसी
3. श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य	नामित निदेशक, एनटीपीसी
4. श्री जय कुमार श्रीनिवासन	17.08.2022 से नामांकित निदेशक, एनटीपीसी

(iv) कंपनी सचिव

श्री अबिनोम पनू रॉंग	कंपनी सचिव
----------------------	------------

बी) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद	-	-
सहयोगियों के लिए माल की बिक्री	-	-
कच्चे माल की खरीद	-	-
व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री :: एनवीवीएन	91,844.22	64,842.06
ट्रेडिंग के जरिए ऊर्जा की बिक्री :: पीटीसी	-	-
	91,844.22	64,842.06
अन्य लेन-देन		
लाभांश के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान/देय		
(ए) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश	-	1,500.00
(बी) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश	-	7,500.00
(सी) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश	1,500.00	-
(डी) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश	35,000.00	-
व्यापारिक व्यय के लिए एनवीवीएन लिमिटेड - व्यावसायिक शुल्क	133.68	594.31
कंसल्टेंसी की दिशा में एनटीपीसी लिमिटेड	5.19	31.15
टीएचडीसी- पीएसपी मॉडल के अध्ययन पर हिस्सेदारी	-	31.27
ई-वाहन किराया शुल्क हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड	7.88	6.62
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	9,412.55	9,515.52
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	3,742.62	3,713.45
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	2,477.76	1,512.53
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेजुटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट	892.41	1,534.63
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	44.31	47.32
सहायक कंपनियों/जेवी कंपनियों/फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिसमें निदेशकों की रुचि है	-	-
कुल	53,216.40	25,986.80

सी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए मुआवजा (केएमपी)

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
वेतन एवं भत्ते	109.71	219.97
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	15.24	31.44
अन्य लाभ	38.41	89.64
बैठने का शुल्क	16.11	4.80
कुल	179.47	345.85

घ) संबंधित पार्टियों के पास बकाया शेष

(₹ लाखों में)

(i) वसूली योग्य राशि	31.03.2023	31.03.2022
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	-	-
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	-	-
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	246.17	236.34
नीपको कर्मचारी समूह ग्रेजुटी एश्योरेंस फंड ट्रस्ट	153.17	-
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एनटीपीसी लि	11.03	11.03
टीडीएस के लिए एनवीवीएन लिमिटेड	2.05	8.44
एनवीवीएन से प्राप्त	2,401.46	-

(₹ लाखों में)

(ii) देय राशि	31.03.2023	31.03.2022
नीपको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	780.88	788.82
नीपको लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	305.79	306.39
नीपको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	2,477.76	-
नीपको कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	3.55	3.84
एनटीपीसी लिमिटेड - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश	35,000.00	
ई-वाहन किराये पर लेने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड	0.59	1.14

एक ही सरकार के अधीन कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव वाली अन्य संस्थाएँ:

कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) यानी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसके पास 31 मार्च 2023 तक नीपको लिमिटेड में 100% स्वामित्व हिस्सेदारी है, जिसे अधिकांश शेयरों के साथ केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ एएस 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएँ जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट लागू की है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेनदेन है, उनमें गेल (इंडिया) लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल लिमिटेड आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

सरकार के साथ संबंध का नाम एवं स्वरूप

कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति
भारत सरकार	होल्टिंग कंपनी में शेयरधारक, जिसका कंपनी पर नियंत्रण हो
एनटीपीसी लिमिटेड	होल्टिंग कंपनी (100%)

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन जो उसी सरकार के नियंत्रण में हैं जिसका होल्टिंग कंपनी (एनटीपीसी लिमिटेड) पर नियंत्रण है।

(₹ लाखों में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023	31.03.2022
ऑयल इंडिया लिमिटेड	गैस की खरीद	83051.09	27551.58
भेल	पुर्जों की आपूर्ति	4860.20	2806.38
आईओसी लि	गैस/एचएसडी/स्नेहक की खरीद	2168.19	720.75
ओएनजीसी	गैस की खरीद	16707.66	15559.41
गेल (इंडिया) लिमिटेड	गैस की खरीद	42187.31	18240.79
कुल		148974.45	64878.91

(₹ लाखों में)

सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन जिसका होल्टिंग कंपनी (एनटीपीसी लिमिटेड) पर नियंत्रण है	31.03.2023	31.03.2022
भारत सरकार को विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	528.35	608.02
कंपनी द्वारा भारत सरकार को भुगतान किए गए अधीनस्थ ऋण पर ब्याज	291.96	291.96

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के नियम और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर और उचित कीमत पर किया जाता है

नोट संख्या 39: अतिरिक्त प्रकटीकरण

ए. कंपनी ने बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार लिया गया था।

बी. बंद कंपनियों के साथ संबंध:

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	बंद कंपनियों के नाम	बंद पड़ी कंपनियों के साथ ले ढें का स्वरूप	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि	31 मार्च 2022 तक बकाया राशि	बंद कंपनी के साथ संबंध
देय					
(i)	एपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	0.97	लागू नहीं
(ii)	हार्ड-टेक रिप्रोग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	0.22	लागू नहीं
(iii)	एस.के.इंजीनियरिंग एंड वर्क प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	0.25	लागू नहीं
(iv)	ओसियन स्टार डाइविंग सर्विसेज लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	7.57	लागू नहीं
(v)	एलशदाई इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(vi)	ओरिएंटल इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(vii)	ग्लोबेक्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(viii)	डेस्टिनी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(ix)	गैलेक्सी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(x)	सिमरन इंटरप्राइजेज (आई) लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(xi)	इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(xii)	इलेक्ट्रोमेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(xiii)	एडवांस टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(xiv)	अमर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय - ठेकेदार	-	-	लागू नहीं
(xv)	डाटा सिंक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(xvi)	इमर्जिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं
(xvii)	बी.एम. एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय - आपूर्तिकर्ता	-	-	लागू नहीं

सी. (i) 31 मार्च 2023 तक अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

तुलन पत्र में प्रासंगिक पंक्ति वस्तु	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)	के नाम पर किए गए शीर्षक विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर* / निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार# है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम न होने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	नीपको परियोजना के लिए वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि - कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन- चरण II	452.68	श्रीमती इबिल दखर और अन्य (याचिकाकर्ता की संख्या 160)	नहीं	10.09.1984	भूमि मुआवजे में वृद्धि के लिए 160 भूमि मालिकों द्वारा दायर दावे के कारण यह भूमि मुकदमे के अधीन है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	तेजू (अरुणाचल प्रदेश) में 15633.50 वर्ग मीटर भूमि	1.28			कृपया नीचे नोट देखें*	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	लैटकोर (मेघालय) में एकड़ भूमि	1.88			कृपया नीचे नोट देखें* *	

ii) अचल संपत्तियों के टाइटल डीड 31 मार्च 2022 तक कंपनी के नाम पर नहीं हैं

तुलन पत्र में प्रासंगिक पंक्ति वस्तु	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)	के नाम पर किए गए शीर्षक विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर* / निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार# है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम न होने का कारण**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	गुवाहाटी, असम में 33.19 एकड़ भूमि	441.06	असम चाय निगम लिमिटेड, असम	नहीं	17.06.2009	दाखिल खारिज प्रक्रिया प्रगति पर है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	नीपको परियोजना के लिए वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय में 183.19 हेक्टेयर भूमि - कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन- चरण II	452.68	श्रीमती इबिल दखर और अन्य (याचिकाकर्ता की संख्या 303)	नहीं	10.09.1984	भूमि मुआवजे में वृद्धि के लिए 303 भूमि मालिकों द्वारा दायर दावे के कारण यह भूमि मुकदमे के अधीन है। मामला विशेष न्यायाधीश (न्यायिक) वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय के पास लंबित है

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	तेजू (अरुणाचल प्रदेश) में 15633.50 वर्ग मीटर भूमि	1.28	कृपया नीचे नोट देखें*
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भूमि	लैटकोर (मेघालय) में 1.88 एकड़ भूमि		कृपया नीचे नोट देखें* *
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-भवन	डिजाइन कार्यालय/गेस्ट हाउस, गुवाहाटी, असम	375.48	असम टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, असम नहीं 17.06.2009 दाखिल खारिज प्रक्रिया प्रगति पर है

* नीपको को संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा तेजू (अरुणाचल प्रदेश) में दाग संख्या 173 और 200 के तहत भवन के साथ 15633.50 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी।

** लैटकोर (मेघालय) में स्थित 1.88 एकड़ की भूमि नीपको के स्वामित्व में है।

- डी. (i) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर की गई लैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं।
(ii) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- ई. कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या पुनर्भुगतान की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य हैं।
- एफ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- जी. कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।
- एच. कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह कंपनी की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।
- आई. कंपनी अपने बट्टे-खातों की पुस्तकों में कोई निवेश संपत्ति नहीं रखती है, इसलिए निवेश संपत्ति का उचित मूल्यांकन लागू नहीं होता है।
- जे. वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- के. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- एल. कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को/से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।
- एम. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी योजना या व्यवस्था को मंजूरी नहीं दी गई है।
- एन. अघोषित आय: कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय या किसी भी लेनदेन के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है। वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम '1961 के तहत कोई खोज या सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के पास पहले से कोई अलिखित आय और संबंधित संपत्ति (पिछले वर्ष शून्य) नहीं है।
- ओ. क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी: कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड या निवेश नहीं किया है। (पिछले वर्ष शून्य)

आई. अनुपातों का प्रकटीकरण

अनुपात	न्यूमेरेटर	डिनोमिनेटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.55	0.54	3.34	वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है।
ऋण इक्विटी अनुपात	चुक्ता ऋण पूंजी (दीर्घकालिक ऋण + अल्पावधि ऋण)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	1.08	1.14	(5.31)	चालू वित्त वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण में कमी आई है, जबकि कुल इक्विटी पिछली अवधि की तुलना में बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अनुपात में कमी आई है।
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	वर्ष के लिए लाभ + वित्त लागत + मूल्यहास और परिशोधन व्यय + असाधारण आइटम	वित्त लागत + लीज भुगतान + दीर्घावधि उधारों के अनुसूचित मूलधन का पुनर्भुगतान	1.14	1.18	(3.53)	चालू वित्तीय वर्ष में अधिक ऋण भुगतान के कारण, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ऋण के लिए उपलब्ध आय में वृद्धि के बावजूद अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम हो गया।
इक्विटी अनुपात पर वापसी	वर्ष के लिए लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.06	0.03	85.03	पिछले वर्ष की तुलना में मुनाफ़ा बढ़ने से अनुपात बेहतर है
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	संचालन से आय	औसत सूची	33.00	22.41	47.29	राजस्व में वृद्धि और पिछले वर्ष की तुलना में औसत इन्वेंट्री में कमी के कारण अनुपात बेहतर है
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	संचालन से आय	औसत व्यापार प्राप्य	6.36	5.10	24.71	चालू अवधि में औसत देनदारों में वृद्धि के कारण अनुपात ऊँचे स्तर पर है
व्यापार देय कारोबार अनुपात	कुल खरीद (ईंधन लागत + अन्य व्यय + समापन सूची-उद्घाटन सूची)	समापन व्यापार देय	9.59	7.21	32.92	नेट क्रेडिट खरीद में वृद्धि के कारण अनुपात उच्चतर स्तर पर है
सकल पूंजी कारोबार अनुपात	संचालन से आय	कार्यशील पूंजी + दीर्घकालिक उधारों की वर्तमान परिपक्वता	4.16	3.42	21.80	पिछले वर्ष की तुलना में व्यापार प्राप्य की तुलना में राजस्व में वृद्धि के कारण, अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उच्चतर स्तर पर दिखाई दिया।

सकल लाभ अनुपात	वर्ष के लिए लाभ	संचालन से आय	0.09	0.07	31.58	पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी में वृद्धि के कारण अनुपात बेहतर है
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी (i)	0.09	0.07	27.47	पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ईबीआईटी की वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुपात का बेहतर प्रदर्शन हुआ
निवेश पर वापसी (ii) - सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	{एमवी (टी 1) - एमवी (टी 0) - योग [सी (टी 1)]}	{एमवी (टी0) + योग [डब्ल्यू (टी) * सी (टी 2)]}	-	-	-	नीपको हेतु निवेश दोनों वित्तीय वर्ष के लिए शून्य है
निवेश पर प्रतिलाभ (ii) - अन्य में निवेश	{एमवी (टी 1) - एमवी (टी 0) - योग [सी (टी 1)]}	{एमवी (टी0) + योग [डब्ल्यू (टी) * सी (टी 2)]}	-	-	-	नीपको हेतु निवेश (या तो एसटीडीआर या अन्य निवेश में) वित्त वर्ष दोनों के लिए शून्य है।

** विभाजक ऋणात्मक है

(i) नियोजित पूंजी = मूल निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयताएं

(ii) निवेश पर प्रतिलाभ जहां

टी1 = समयावधि की समाप्ति

एस

टी= टी1 और टी0 के बीच आने वाली विशिष्ट तिथि

एमवी (टी 1) = टी 1 पर बाजार मूल्य

एमवी(टी0) = बाजार मूल्य टी0 पर

सी(टी1) = प्राप्त लाभांश सहित विशिष्ट तिथि पर नकद अंतर्वाह, नकद बहिर्वाह

सी(टी2) = प्राप्त लाभांश को छोड़कर विशिष्ट तिथि पर नकद अंतर्वाह, नकद बहिर्वाह

डब्ल्यू (टी) = दिन 'टी' पर शुद्ध नकदी प्रवाह (अर्थात शुद्ध प्रवाह या शुद्ध बहिर्वाह) का वजन, [टी 1 - टी] / टी 1 के रूप में गणना की जाती है

जे(1) कोपिली एचपीएस (50X4 मेगावाट) पर प्रकटीकरण:

(i) पेनस्टॉक I - कंपनी के कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन, उमरोंगसो, असम की 02 (दो) इकाइयों (50 मेगावाट प्रत्येक) की फीडिंग यूनिट -1 (50 मेगावाट) के लोड थ्रू ऑफ और ट्रिपिंग के बाद दिनांक 07.10.2019 को टूट गई। दुर्घटना के दौरान 03 (तीन) अन्य इकाइयां पूरी तरह से लोड थीं। वाल्व हाउस के तत्काल डाउनस्ट्रीम सहित पेनस्टॉक के तीन स्थानों पर क्षति हुई। घटना में पेनस्टॉक प्रोटेक्शन वाल्व क्लोजिंग मैकेनिज्म क्षतिग्रस्त हो गया था और इसलिए, पेनस्टॉक को अलग करने के लिए वाल्व को बंद नहीं किया जा सका, इसके परिणामस्वरूप, पावर हाउस बहुत ही कम अवधि के भीतर ईओटी क्रेन बीम लेवल तक पानी से भर गया। घटना में पेनस्टॉक प्रोटेक्शन वाल्व क्लोजिंग मैकेनिज्म क्षतिग्रस्त हो गया था और इसलिए, पेनस्टॉक को अलग करने के लिए वाल्व को बंद नहीं किया जा सका, इसके परिणामस्वरूप, पावर हाउस बहुत ही कम अवधि के भीतर ईओटी क्रेन बीम लेवल तक भर गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 बट्टे खातों में मूल्यांकन और मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्य 10366.72 लाख रुपये (सकल मूल्य 20670.50 लाख रुपये और संचित मूल्य 10303.78 लाख रुपये) है, जिसके लिए पुस्तकों में एक समतुल्य राशि का प्रावधान किया गया है। उक्त उत्पादन संयंत्र की मरम्मत, नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरआरएम) गतिविधियां वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी इकाइयों के निर्धारित कमीशनिंग के साथ चल रही हैं।

II) खंडों एचपीएस (2 X 25 मेगावाट) और कोपिली स्टेज II (1 X 25 मेगावाट) एचपीएस पर प्रकटीकरण:

कोपिली नदी में खराब मौसम एवं बाढ़ के परिणामस्वरूप, दिनांक 26 मार्च 2022 को नियोजित मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने के लिए एप्रोच चैनल पर निर्मित बांध को कोपिली जलाशय से खांडिंग एचआरटी में पानी के अनियंत्रित प्रवेश के कारण बंद कर दिया गया। बाढ़वाह पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर था जिसके फलस्वरूप खांडोंग पावर हाउस (2 X 25 मेगावाट) और कोपिली स्टेज II पावर हाउस (1 X 25 मेगावाट) में पानी भर जाता है, जिससे पावर स्टेशनों और उसके प्लांट एवं मशीनरी को काफी नुकसान होता है। उक्त उत्पादन स्टेशनों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुस्तकों में मूल्यांकन और मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्त संपत्तियों का मूल्य 1457.63 लाख रुपये (सकल मूल्य 7871.89 लाख रुपये और संचित मूल्य 6414.26 लाख रुपये) है, जिसके लिए समतुल्य धनराशि का प्रावधान बट्टे खातों में किया गया है।

के. सेगमेंट रपॉटिंग

नीपको केवल एक उत्पाद अर्थात विद्युत के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में है। नीपको की सभी परियोजनाएं उत्तर पूर्व क्षेत्र के साथ स्थित हैं, अर्थात एक ही भौगोलिक स्थिति के भीतर। नीपको के पास कोई रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है और तदनुसार, इंड एस 108 - सेगमेंट के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए परिचालन खंड लागू नहीं है।

एल. इंडस्ट्रीज़ एएस 116 'पट्टों' के अनुसार प्रकटीकरण

(I) 116 के रूप में इंडस्ट्रीज़ में ट्रांज़िशन

कंपनी ने इंड एस 116 के प्रारंभिक आवेदन पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं:

- समान समाप्ति तिथि के साथ समान आर्थिक वातावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू की गई।
- प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 महीने से कम की लीज अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार की संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं देने के लिए छूट लागू की।
- प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार संपत्ति के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया गया है।
- इंड एस 116 में ट्रांज़िशन पर, इंड एस 116 के तहत मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों पर लागू भारित औसत वृद्धिशील ऋण दर 8.69% है। वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित समझौतों के लिए भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.14% मानी गई है।

(ii) कंपनी पट्टेदार के रूप में

(i) कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्था निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

- ग्रेस्ट हाउस/ट्रांज़िट कैप के लिए परिसर जो रद्द नहीं किए जा सकते हैं और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होते हैं।
- कंपनी ने पांच साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को परिचालन पट्टे पर लिया है, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। लीज किराये में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है।
- कंपनी ने 12 महीने से अधिक अवधि के लिए कुछ वाहन (इलेक्ट्रिकल के अलावा) पट्टे पर लिए हैं।

(III) मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की अग्रणीत राशि और अवधि के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	1,011.83	790.45
- पट्टा देनदारियों में वृद्धि	677.22	807.03
- वर्ष के दौरान ब्याज लागत	125.94	130.13
- पट्टा देनदारियों का भुगतान	728.69	715.78
जमा शेष	1,086.30	1,011.83
वर्तमान	607.67	573.64
गैर वर्तमान	478.63	438.19

(IV) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार “पट्टे पर दी गई आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार” की अग्रणीत राशि निम्नलिखित है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	939.39	726.30
- पट्टा दायित्व में वृद्धि	677.22	807.03
- अवधि के दौरान परिशोधन	612.04	593.94
जमा शेष	1,004.57	939.39

(वी) लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि निम्नलिखित हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार के लिए मूल्यहास व्यय	612.04	593.94
लीज देयताओं पर ब्याज व्यय	125.94	130.13
लघु अवधि के पट्टों से संबंधित व्यय	-	-

(VI) लीज देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
एक वर्ष से कम	607.67	573.64
एक से दो वर्ष के बीच	341.20	295.29
दो से तीन वर्षों के बीच	127.37	122.46
तीन से चार वर्ष के बीच	10.06	16.56
चार से पांच वर्ष के बीच	-	3.88
पांच साल से अधिक	-	-
कुल	1,086.30	1,011.83

एम. कंपनी अधिनियम, 2013 और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित 31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि:		
मूल धन	712.14	1,054.92
उस पर ब्याज देय	-	-
बी) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अर्जित ब्याज की राशि और शेष अवैतनिक	-	-
ई) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त ब्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यमों को किया जाता है।	-	-

विक्रेताओं को भुगतान संबंधित अनुबंधों के नियमों और शर्तों के अनुसार, जब और जब देय होता है, किया जाता है।

एन. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान, क्रमशः “मूल्यहास और परिशोधन” और “प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति” के संबंध में क्रमांक 4 (viii) और 8 पर लेखांकन नीतियों में परिवर्तन/संशोधन किए गए हैं। इन परिवर्तनों/संशोधनों के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट संख्या 40: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य कंपनी के दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करके शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाना है।

कंपनी दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतिक निवेश योजना के साथ-साथ वार्षिक व्यापार योजना के आधार पर आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करती है। फंडिंग आवश्यकताओं को इक्विटी, परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों, और अन्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। कंपनी की नीति का उद्देश्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारों का संयोजन है।

कंपनी शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात और कंपनी के समग्र ऋण पोर्टफोलियो की परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर पूंजी संरचना की निगरानी करती है।

नोट संख्या 41: वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण

यह खंड कंपनी के लिए वित्तीय साधनों के महत्व का एक अवलोकन देता है और बैलेंस शीट मदों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जिसमें वित्तीय साधन शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय देयता और इक्विटी लिखत के प्रत्येक वर्ग के संबंध में मान्यता के लिए मानदंड, माप का आधार और जिस आधार पर आय और व्यय को मान्यता दी जाती है, सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण नोट संख्या 1 में वित्तीय विवरणों के लिए प्रकट किया गया है।

वित्तीय संपत्ति और देनदारियां

निम्न तालिका 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रत्येक श्रेणी की अग्रणीत राशि और उचित मूल्य प्रस्तुत करती है।

(₹ लाखों में)

31 मार्च 2023 तक	लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	हेजिंग संबंध में व्युत्पन्न उपकरण	व्युत्पन्न उपकरण हेजिंग संबंध में नहीं हैं	परिशोधन लागत	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति							
नकद और बैंक शेष					1,461.34	1,461.34	1,461.34
अन्य बैंक शेष					291.50	291.50	291.50
व्यापार प्राप्त्य					94,429.78	94,429.78	94,429.78
ऋण					28.19	28.19	28.19
अन्य वित्तीय संपत्ति					23,225.20	23,225.20	23,225.20
कुल					1,19,436.01	1,19,436.01	1,19,436.01
वित्तीय देनदारियां							
व्यापार देनदारियां					19,140.46	19,140.46	19,140.46
उधारी					6,91,063.36	6,91,063.36	6,82,905.58
नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल					22,054.36	22,054.36	22,054.36
पट्टा दायित्व					1,086.30	1,086.30	1,086.30
पूंजीगत व्यय के लिए देय					13,376.79	13,376.79	13,376.79
अन्य वित्तीय देनदारियां					49,119.55	49,119.55	49,119.55
कुल					7,95,840.82	7,95,840.82	7,87,683.04

(₹ लाखों में)

31 मार्च 2022 तक	लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य	हेजिंग संबंध में व्युत्पन्न उपकरण	व्युत्पन्न उपकरण हेजिंग संबंध में नहीं हैं	परिशोधन लागत	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति							
नकद और बैंक शेष					4,344.49	4,344.49	4,344.49
अन्य बैंक शेष					1,009.06	1,009.06	1,009.06
व्यापार प्राप्य					48,776.49	48,776.49	48,776.49
ऋण					26.16	26.16	26.16
अन्य वित्तीय संपत्ति					35,806.83	35,806.83	35,806.83
कुल					89,963.03	89,963.03	89,963.03
वित्तीय देनदारियों							
व्यापार देनदारियां					22,156.98	22,156.98	22,156.98
ऋण					7,25,736.54	7,25,736.54	7,21,425.49
नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल					24,312.43	24,312.43	24,312.43
पट्टा दायित्व					1,011.83	1,011.83	1,011.83
पूंजीगत व्यय के लिए देय					7,968.37	7,968.37	7,968.37
अन्य वित्तीय देनदारियां					9,131.89	9,131.89	9,131.89
कुल					7,90,318.04	7,90,318.04	7,86,006.99

निम्न तालिका वित्तीय साधनों का विश्लेषण प्रदान करती है जिन्हें उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के बाद मापा जाता है, जिन्हें नीचे वर्णित अनुसार स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया जाता है:

एक सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों (असमायोजित) के संदर्भ द्वारा मापा जाता है। इस श्रेणी में उद्धृत इक्विटी शेयरों, उद्धृत कॉर्पोरेट ऋण उपकरणों और म्यूचुअल फंड निवेशों में निवेश शामिल है।

अवलोकन योग्य इनपुट के साथ मूल्यांकन तकनीक (स्तर 2): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय संपत्ति और देनदारियां शामिल हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट का उपयोग करके मापा जाता है जो संपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से देखे जा सकते हैं (यानी कीमतों से प्राप्त)। पदानुक्रम के इस स्तर में कंपनी के ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव अनुबंध शामिल हैं।

महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के साथ मूल्यांकन तकनीक (स्तर 3): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां शामिल हैं जो इनपुट का उपयोग करके मापी जाती हैं जो देखने योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं। उचित मूल्य पूरे या आंशिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, उन मान्यताओं के आधार पर एक मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करते हुए जो न तो एक ही साधन में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य पूरे या आंशिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, उन मान्यताओं के आधार पर एक मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करते हुए जो न तो एक ही साधन में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक			
	स्तर1	स्तर2	स्तर3	कुल
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां				
(i) व्यापार प्राप्य	94,429.78	-	-	94,429.78
(ii) नकद और बैंक शेष	1,752.84	-	-	1,752.84
(iii) ऋण	28.19	-	-	28.19
(iv) अन्य	23,225.20	-	-	23,225.20
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय आस्तियां	1,19,436.01	-	-	1,19,436.01

वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है				
(i) ऋण	7,04,959.94	-	-	7,04,959.94
(ii) व्यापार और अन्य देय *	32,517.25	-	-	32,517.25
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	50,205.85	-	-	50,205.85
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय देनदारियां	7,87,683.04			7,87,683.04
				(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक			
	स्तर1	स्तर2	स्तर3	कुल
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां				
(i) व्यापार प्राप्त	48,776.49	-	-	48,776.49
(ii) नकद और बैंक शेष	5,353.55	-	-	5,353.55
(iii) ऋण	26.16	-	-	26.16
(iv) अन्य	35,806.83	-	-	35,806.83
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय आस्तियां	89,963.03	-	-	89,963.03
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है				
(i) ऋण	7,45,737.92	-	-	7,45,737.92
(ii) व्यापार और अन्य देय *	30,125.35	-	-	30,125.35
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	10,143.72	-	-	10,143.72
उचित मूल्य पर मापी गई कुल वित्तीय देनदारियां	7,86,006.99			7,86,006.99

* व्यापार और अन्य देनदारियों में पूंजीगत व्यय के लिए देय व्यापार और देय राशि शामिल हैं
अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधन लागत पर बताया गया है जो उनके उचित मूल्य के लगभग बराबर है।

गैर-उद्धृत इक्विटी निवेशों के संबंध में उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता है।

प्रबंधन अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालांकि, किसी भी अनुमान तकनीक में अंतर्निहित सीमाएं हैं। इसलिए, पर्याप्त रूप से सभी वित्तीय साधनों के लिए, ऊपर प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन सभी राशियों का संकेत नहीं है जो कंपनी संबंधित तारीखों के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। जैसे, संबंधित रिपोर्टिंग तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक वर्ष के अंत में रिपोर्ट की गई राशि से भिन्न हो सकता है।

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्षों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

वित्तीय संपत्तियों का हस्तांतरण

2022-23 के दौरान वित्तीय संपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी को मुख्य रूप से ब्याज दरों, चलनिधि और क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों जैसे ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम से जुड़े जोखिमों को कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। जोखिम प्रबंधन ढाँचे का उद्देश्य है:

कंपनी की व्यवसाय योजना पर मुद्रा और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करके एक स्थिर व्यवसाय नियोजन वातावरण बनाएं।

अपेक्षित कमाई का वित्तीय मूल्य पहले से निर्धारित करके कमाई के बारे में अधिक पूर्वानुमान प्राप्त करें।

बाजार जोखिम: - बाजार जोखिम भविष्य की कमाई, वसूली योग्य उचित मूल्यों या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बदल सकता है। भविष्य की विशिष्ट बाजार गतिविधियों का सामान्यतः उचित सटीकता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

क्रेडिट जोखिम :- क्रेडिट जोखिम अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्षकार द्वारा ऋण चुकाने या सेवा ऋण की विफलता से उत्पन्न वित्तीय नुकसान का जोखिम है। ऋण जोखिम में चूक का प्रत्यक्ष जोखिम और साख के ह्रास का जोखिम तथा साथ ही संकेंद्रण जोखिम दोनों शामिल हैं।

चलनिधि जोखिम: चलनिधि जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जिसके कारण कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए धनराशि उपलब्ध है।

निम्नलिखित तालिका बिना छूट के आधार पर कंपनी की गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए देय ब्याज सहित प्रत्याशित नकदी प्रवाह का परिपक्वता विश्लेषण दिखाती है, जो इसलिए मूल्य और उचित मूल्य दोनों से भिन्न होती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक				
	वहन राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां					
ऋण	7,04,959.94	7,04,959.94	1,17,811.20	4,06,318.99	1,80,829.75
व्यापार देनदारियां	32,517.25	32,517.25	19,140.46	13,376.79	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	50,205.85	50,205.85	49,727.21	478.64	-
कुल गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां	7,87,683.04	7,87,683.04	1,86,678.87	4,20,174.42	1,80,829.75
व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां					

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक				
	वहन राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां					
ऋण	7,45,737.92	7,45,737.92	1,65,546.00	4,56,761.11	1,23,430.81
व्यापार देनदारियां	30,125.35	30,125.35	21,466.10	690.88	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	10,143.72	10,246.31	10,246.31	-	-
कुल गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां	7,86,006.99	7,86,109.58	1,97,258.41	4,57,451.99	1,23,430.81
व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां					

गैर-उद्धृत निवेश की लागत उचित मूल्य का अनुमान लगाती है क्योंकि एक विस्तृत श्रृंखला संभव उचित मूल्य माप है और लागत उस सीमा के भीतर उचित मूल्य के अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट संख्या 42: ऑपरेटिंग खंड

ए. विद्युत उत्पादन निगम का प्रमुख कार्य है। अन्य संचालन जैसे ब्याज आय लेखा मानक 108 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं बनाती है।

बी. निगम के पास देश के भीतर स्थित विद्युत परियोजनाएं हैं और इसलिए भौगोलिक खंड अनुपयुक्त हैं।

नोट संख्या 43: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) क्रेडिट जोखिम के लिए एक्सपोजर

वित्तीय आस्तियों की अग्रणीत राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम के लिए अधिकतम एक्सपोजर था:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है।		
गैर-वर्तमान निवेश		
गैर-वर्तमान ऋण	28.19	26.16
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
नकद और नकदी के समतुल्य	1,461.34	4,344.49
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	291.50	1,009.06
वर्तमान ऋण	1,187.43	1,429.36
अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्ति*	1,002.45	4,820.53
कुल (ए)	3,970.91	11,629.60
वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि भत्ता को सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	94,429.78	48,776.49
अनुबंध परिसंपत्तियां	21,035.32	29,556.94
कुल (बी)	1,15,465.10	78,333.43
कुल (ए+बी)	1,19,436.01	89,963.03

संविदा आस्तियों को छोड़कर (नोट 13 देखें)

(ii) अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान

(ए) वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता को सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आजीवन अपेक्षित ऋण हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वाले ग्राहक (राज्य सरकार की सुविधाएं) हैं और इसलिए चूक का जोखिम नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि डिफॉल्ट से अधिक के कारण बकाया राशि नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया राशि अभी भी ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहक ऋण जोखिम के व्यापक विश्लेषण के आधार पर पूरी तरह से संग्रहणीय है। इसलिए, व्यापार प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी हानि हानि को मान्यता नहीं दी गई है।

(iii) व्यापार प्राप्तियों का एजिंग विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का पुराना विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

एजिंग	देय नहीं	0 - 30 दिन पहले का बकाया	31-60 दिन पिछले का बकाया	61-90 दिन पिछले का बकाया	91-120 दिन पिछले का बकाया	120 दिन से अधिक समय बीत चुका है	कुल
31 मार्च 2023 तक सकल वहन राशि	76,558.90	6,822.65	14.08	-	-	11,034.15	94,429.78
31 मार्च 2022 को सकल वहन राशि	33,536.25	3,466.93	-	-	-	11,773.31	48,776.49

चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। लिक्विडिटी के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम के बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों के तहत, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त लिक्विडिटी होगी।

कंपनी के पास लघु, मध्यम और दीर्घकालिक वित्त पोषण और चलनिधि प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त चलनिधि जोखिम प्रबंधन रूप रेखा है। कंपनी लगातार पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त नकदी भंडार, बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी का ट्रेजरी विभाग कंपनी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलनिधि आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार है। अल्पकालीन चलनिधि की स्थिति की दैनिक रूप से ट्रेजरी विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल ने चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां स्थापित की हैं और कंपनी का ट्रेजरी विभाग ऐसी नीतियों के अनुरूप काम करता है। इन नीतियों के किसी भी उल्लंघन की सूचना निदेशक मंडल को दी जाती है। निदेशक मंडल द्वारा दीर्घावधि चलनिधि स्थिति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिए जाते हैं।

आमतौर पर, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित एक महीने के लिए अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है, इसमें उन चरम परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है, जिनका यथोचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं।

सीईआरसी विनियमों के भाग के रूप में, टैरिफ में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत लागत की वसूली शामिल है। टैरिफ विनियमों में ऊर्जा प्रभारों की वसूली, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय तथा मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर ब्याज की भी व्यवस्था है। चूंकि ग्राहकों को बिलिंग आम तौर पर मासिक आधार पर होती है, कंपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखती है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ लाखों में)

विवरण	31-03-2023 तक	31-03-2022 तक
निर्धारित दर ऋण		
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
फ्लोटिंग-रेट उधार		
नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	99,011.00	19,500.00
सावधि ऋण	20,000.00	65,000.00
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
कुल	1,19,011.00	84,500.00

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

31 मार्च 2023

(₹ लाखों में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	संविदात्मक नकदी प्रवाह					
	3 महीने या उससे कम	3-12 महीने	1-2 साल	2-5 साल	5 साल से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां						
सुरक्षित बांड	5,799.44	62,000.00	77,000.00	1,53,500.00	66,500.00	3,64,799.44
असुरक्षित बांड	26.96	-	-	-	20,000.00	20,026.96
बैंकों से रुपया सावधि ऋण	5,197.50	16,975.00	30,800.00	1,10,800.00	73,200.00	2,36,972.50
अन्यों से रुपया सावधि ऋण	(71.46)	-	-	-	29,196.42	29,124.96
वित्त पट्टा दायित्व	151.92	455.75	341.20	137.43	-	1,086.30
विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-	-	-	-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	3,696.09	3,285.91	6,571.82	19,715.46	6,870.22	40,139.50
कैश क्रेडिट/डबल्यूसीडीएल	22,054.36	-	-	-	-	22,054.36

31 मार्च 2022

(₹ लाखों में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	संविदात्मक नकदी प्रवाह					
	3 महीने या उससे कम	3-12 महीने	1-2 साल	2-5 साल	5 साल से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां						
सुरक्षित बांड	8,629.04	63,450.00	62,000.00	1,95,000.00	1,32,000.00	4,61,079.04
असुरक्षित बांड	26.44	-	-	-	20,000.00	20,026.44
बैंकों से रुपया सावधि ऋण	3,341.01	14,375.00	22,500.00	80,000.00	37,500.00	1,57,716.01
अन्यों से रुपया सावधि ऋण	(72.32)	-	-	-	29,196.42	29,124.10
वित्त पट्टा दायित्व	135.14	438.50	295.29	142.90	-	1,011.83
विदेशी मुद्रा ऋण	1,954.89	5,831.08	5,834.11	-	-	13,620.08
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	3,530.73	3,104.48	6,208.96	18,626.87	12,699.83	44,170.87
कैश क्रेडिट/डबल्यूसीडीएल	24,312.43	-	-	-	-	24,312.43

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन, जैसे विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दरों से कंपनी की आय को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मानकों के भीतर बाजार जोखिम जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है, जबकि रिटर्न का अनुकूलन करना है। निदेशक मंडल कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। ऐसे सभी लेन-देन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किए जाते हैं।

मुद्रा जोखिम

कंपनी कुछ लेनदेन पर विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है जो इकाई की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं, इसलिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। जोखिम यह है कि विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह का कार्यात्मक मुद्रा मूल्य अलग-अलग होगा।

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मुद्रा प्रोफाइल निम्नवत दी गई है

31 मार्च 2023

(₹ लाखों में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	कुल
वित्तीय संपत्ति			
अन्य प्राप्य व्यापार	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-
अन्य वित्तीय संपत्ति	-	-	-
कुल			
वित्तीय देनदारियों			
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण		40,139.50	40,139.50
व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां		-	-
कुल	-	40,139.50	40,139.50

31 मार्च 2022

(₹ लाखों में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	कुल
वित्तीय संपत्ति			
अन्य प्राप्य व्यापार	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-
अन्य वित्तीय संपत्ति	-	-	-
कुल	-	-	-
वित्तीय देनदारियों			
सुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण	13,620.08	-	13,620.08
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण		44,170.87	44,170.87
व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	-
कुल	13,620.08	44,170.87	57,790.95

उपरोक्त में से कोई भी राशि डेरिवेटिव इन्स्ट्रुमेंट द्वारा बचाव नहीं की जाती है। शेष एक्सपोजर के संबंध में, सभी विदेशी मुद्रा ऋणों और विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों (सीओडी तक) पर विनिमय दर भिन्नता के कारण लाभ/(हानि) लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसलिए, ऐसे एक्सपोजर के संबंध में मुद्रा जोखिम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा।

संवेदनशीलता विश्लेषण

चूंकि लाभ और हानि के विवरण पर यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले आईएनआर के मजबूत होने या कमजोर होने का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा; इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है।

ब्याज दर जोखिम

समूह चल ब्याज दरों के साथ गैर-मौजूदा उधारी से मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाली ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। समूह ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग दर उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार-चढ़ाव होगा। समूह विभिन्न शर्तों के साथ विभिन्न प्रकार की ऋण व्यवस्थाओं में प्रवेश करके ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करता है (जैसे निश्चित दर ऋण, फ्लोटिंग दर ऋण, रुपया अवधि ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, आदि)।

रिपोर्टिंग तिथि पर समूह के ब्याज-असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्तीय पूंजी		
निश्चित दर लिखत		
बैंक जमा	291.50	1,009.06
कुल	291.50	1,009.06
वित्तीय देनदारियों		
निश्चित दर लिखत		
बांड	3,84,826.40	4,81,105.48
विदेशी मुद्रा ऋण	40,139.50	44,170.86
रुपया सावधि ऋण	29,124.96	29,124.10
पट्टा दायित्व	1,086.31	1,011.83
	4,55,177.17	5,55,412.27
परिवर्तनीय दर उपकरण		
विदेशी मुद्रा ऋण	-	13,620.09
रुपया सावधि ऋण	2,36,972.50	1,57,716.01
नकद उधार	-	-
	2,36,972.50	1,71,336.10
कुल	6,92,149.67	7,26,748.37

नियत दर वाले लिखतों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के फिक्स्ड रेट लिखतों को परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर लिखतों के लिए नकदी प्रवाह संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर ब्याज दरों में 50 आधार अंकों के परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों से लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) होती। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा दरों में स्थिर रहते हैं। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया जाता है।

(₹ लाखों में)

विवरण	लाभ एवं हानि	
	बीपी वृद्धि हुई	बीपी कम हुई
31-मार्च-23		
विदेशी मुद्रा ऋण	(204.48)	204.48
रुपया सावधि ऋण	(2,950.31)	2,950.31
नकद ऋण/डबल्यूसीडीएल	(2.14)	2.14
कुल	(3,156.93)	3,156.93
31-मार्च-22		
विदेशी मुद्रा ऋण	(274.27)	274.27
रुपया सावधि ऋण	(3359.85)	3359.85
नकद ऋण/डबल्यूसीडीएल	(7.90)	7.90
कुल	(3642.02)	3642.02

नोट संख्या 44: परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति					
ऋण	3	28.19	28.19	26.16	26.16
व्यापार प्राप्तियां	3	94,429.78	94,429.78	48,776.49	48,776.49
नकद और नकदी के समतुल्य	3	1,461.34	1,461.34	4,344.49	4,344.49
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	3	291.50	291.50	1,009.06	1,009.06
अन्य वित्तीय संपत्ति	3	23,225.20	23,225.20	35,806.83	35,806.83
वित्तीय देनदारियों					
बांड	3	3,84,826.40	3,95,797.48	4,81,105.48	4,84,100.83
विदेशी मुद्रा ऋण - केएफडबल्यू	3	40,139.50	39,091.55	44,170.86	46,824.99
विदेशी मुद्रा ऋण - ईसीबी	3	-	-	13,620.09	13,620.09
रुपया सावधि ऋण	3	2,36,972.50	2,36,972.50	1,57,716.01	1,57,716.01
सरकारी अधीनस्थ ऋण	3	29,124.96	11,044.06	29,124.10	9,163.57
पट्टा दायित्व	3	1,086.31	1,086.31	1,011.83	1,011.83
उधार - चल	3	22,054.36	22,054.36	24,312.43	24,312.43
व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय	3	32,517.25	32,517.25	30,125.35	30,125.35
अन्य वित्तीय देनदारियां	3	49,119.55	49,119.55	9,131.89	9,131.89

वर्तमान व्यापार प्राप्य राशि, चालू व्यापार देय, पूंजीगत व्यय के लिए देय, सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है, उनके कम होने के कारण - अल्पकालिक अवधि।

ऋण, उधार, गैर-वर्तमान व्यापार देय और पूंजीगत व्यय के लिए देय के उचित मूल्यों की गणना वर्तमान छूट दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। उन्हें उद्धृत कीमतों की उपलब्धता और अवलोकन योग्य / गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के समावेश के आधार पर संबंधित स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है।

नोट संख्या 45: इंड एस 115 के अनुसार प्रकटीकरण, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में ऊर्जा बिक्री से आय, व्यापार और अन्य सेवाओं के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री शामिल है। निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का विवरण है:

(ए) ऊर्जा बिक्री से राजस्व

कंपनी का प्रमुख राजस्व ऊर्जा बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों एवं मुख्य रूप से राज्यों में संचालित राज्य सरकारों के डिस्कॉम के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिताओं को बिजली बेचती है। बिजली की बिक्री आम तौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, कंपनी "मर्चेन्ट पावर" के तहत उनके पास उपलब्ध पावर एक्सचेंजों के माध्यम से बिजली बेचती है

ऊर्जा बिक्री के लिए अनुबंधों के तहत प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद / सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
ऊर्जा की बिक्री	कंपनी समय के साथ ऊर्जा बिक्री के लिए अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। ऊर्जा बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ समय-समय पर अधिसूचित सीईआरसी विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। बिजली की बिक्री केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर की जाती है। उन बिजली स्टेशनों के मामले में जहां सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ को मंजूरी दी जानी बाकी है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर ऊर्जा की बिक्री प्रदान की जाती है। उन परियोजनाओं के लिए जिनके लिए न तो सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ उपलब्ध है और न ही सीईआरसी के पास याचिका लंबित है, ऊर्जा की बिक्री का हिसाब लाभार्थियों द्वारा सहमत टैरिफ के आधार पर किया जाता है। राशियाँ मासिक आधार पर बिल की जाती हैं और अनुबंधित क्रेडिट अवधि के भीतर देय होती हैं।

(बी) ऊर्जा व्यापार, परामर्श और अन्य सेवाओं से राजस्व व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री

व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के लिए अनुबंधों के तहत प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद / सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
ऊर्जा की बिक्री	कंपनी समय के साथ व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के अनुबंधों से राजस्व को पहचानती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा व्यापार के माध्यम प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। व्यापार के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की गणना के लिए से ऊर्जा की बिक्री टैरिफ समझौतों की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों को अनुबंध में निर्दिष्ट आवधिकता के अनुसार बिल किया जाता है और संविदात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होते हैं।

II. आय का पृथक्करण

निम्नलिखित तालिका में, आय को उत्पाद और सेवाओं के प्रकार, भौगोलिक बाजार और आय मान्यता के समय से अलग किया जाता है:

विवरण	ऊर्जा का उत्पादन		अन्य		कुल	
	समाप्त हुए वर्ष के लिए		समाप्त हुए वर्ष के लिए		समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
भौगोलिक बाजार						
भारत	4,41,018.53	3,06,075.81	6,281.47	3,415.45	4,47,300.00	3,09,491.26
अन्य	-	-	-	-	-	-
	4,41,018.53	3,06,075.81	6,281.47	3,415.45	4,47,300.00	3,09,491.26
आय मान्यता का समय						
समय के साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	4,41,018.53	3,06,075.81	6,281.47	3,415.45	4,47,300.00	3,09,491.26
	4,41,018.53	3,06,075.81	6,281.47	3,415.45	4,47,300.00	3,09,491.26

III. अनुबंध मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुबंध मूल्य	4,49,958.85	3,11,286.91
के हेतु समायोजन:		
छूट	(2658.85)	(1795.65)
राजस्व मान्यता प्राप्त	4,47,300.00	3,09,491.26

IV. अनुबंध शेष

अनुबंध की परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब अनुबंधों पर बिलों पर अर्जित राजस्व से अधिक हो। नकद प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार होने पर अनुबंध की संपत्ति को बिना बिल किए राजस्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और संविदात्मक शर्तों के अनुसार केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है। अनुबंध देनदारियां मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित होती हैं जिन्हें 'ग्राहकों से अग्रिम/लाभार्थियों को देय' कहा जाता है। निम्न तालिका व्यापार प्राप्तियों, बिल न किए गए राजस्व और ग्राहकों से अग्रिम / लाभार्थियों को देय के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक		32 मार्च 2022 तक	
	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान
व्यापार प्राप्तियां	94,429.78	-	48,776.49	-
अनुबंध परिसंपत्तियां	21,035.32	-	29,556.94	-
ग्राहकों से अग्रिम / लाभार्थियों को देय	3,660.06	-	1,342.73	-

नोट संख्या 46: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	508.57	545.98
(ii) खर्च की गई राशि #	508.78	556.66
(iii) वर्ष के अंत में कमी	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	शून्य	शून्य
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति		
(ए) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	271.88	337.00
(बी) उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	236.90	219.66
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, जैसे, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	शून्य	शून्य

(viii) सीएसआर देयता में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष सीएसआर देयता (ए)	540.67	544.72
वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित (बी)	444.55	460.07
वर्ष के दौरान वृद्धि (सी)	224.58	456.02
वर्ष के अंत में अंतिम शेष (डी = ए-बी + सी) ##	320.70	540.67

(vii) प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर खर्चों का ब्योरा:

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1. भूख और गरीबी का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	281.06	196.35
2. शिक्षा और कौशल विकास	105.99	172.63
4. ग्रामीण विकास	121.73	187.68
कुल	508.78	556.66

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए: 508.78 लाख रुपये में मंजूरी से अधिक किया गया व्यय शामिल है (टीजीबीपीएस के लिए) 0.21 लाख रुपये।

31.03.2023 को सीएसआर चालू परियोजनाओं और सीएसआर अव्ययित शेष में प्रदर्शित राशि (वित्तीय वर्ष के अनुसार विवरण)

वित्तीय वर्ष	चालू परियोजनाओं पर सी.एस.आर	सीएसआर अव्ययित
2022-2023	₹. 199.42 लाख	₹. 11.86 लाख
2021-2022	₹. 81.84 लाख	₹. 13.21 लाख
2020-2021	₹. 14.28 लाख	₹. 0.09 लाख
कुल	₹. 295.54 लाख	₹. 25.16 लाख

“सीएसआर चालू परियोजना के तहत शेष राशि: ₹. 295.54 लाख और सीएसआर के तहत शेष राशि ₹. 25.16 लाख

नोट संख्या 47: सूची पर प्रकटीकरण

(ए) वर्ष के दौरान व्यय के रूप में उपभोग और मान्यता प्राप्त माल की राशि निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
ईंधन लागत	1,44,849.84	57,354.86
अन्य (नोट 33 में शामिल - अन्य खर्च) *	2,430.11	3,827.22
कुल	1,47,279.95	61,182.08

* 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत की गई आयातित सामग्री शामिल है, जो 21.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 212.25 लाख रुपये) है।

नोट संख्या 48: आयकर से संबंधित प्रकटीकरण

(i) इंड एस 12 “आयकर” के अनुसार प्रकटीकरण

(ए) आयकर व्यय

i) लाभ और हानि के विवरण में आयकर को मान्यता दी गई है

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए	31-मार्च-22 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान साल	11,488.84	5,676.88
पहले के वर्षों के लिए कर	-	-
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित (ए)	1,468.19	1,619.88
कुल वर्तमान कर व्यय (बी)	12,957.03	7,296.76
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण (सी)	22,153.57	14,819.16
घटाकर : मैट क्रेडिट पात्रता		
आयकर व्यय (डी = बी + सी - ए)	33,642.41	20,496.04
विनियामक स्थगन खाता शेष से संबंधित	1,468.19	1,619.88
विनियामक स्थगन खाते में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	35,110.60	22,115.92

(ii) अन्य व्यापक आय में आयकर को मान्यता दी गई

(₹ लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए					
	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
	कर पूर्व	कर व्यय	निवल कर	कर पूर्व	कर व्यय	निवल कर
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक हानि	(642.43)	(112.25)	(530.18)	(1582.69)	(276.53)	(1306.16)

(iii) भारत के घरेलू कर की दर से कर व्यय और लेखा लाभ को गुणा करने का समाधान

(₹ लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 हेतु	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 हेतु
नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कर पूर्व लाभ	74,799.39	43,345.29
कंपनी की घरेलू दर 17.472% (31 मार्च 2023 -34.944%) का उपयोग कर	13,068.95	7,573.29
कर प्रभाव: :		
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	(112.25)	(276.53)
कर मुक्त आय	-	-
आस्थगित कर व्यय	22,153.57	14,819.16
पिछले वर्ष कर देयता	-	-
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन		
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल कर व्यय	35,110.27	22,115.92

नोट संख्या 49: शेष राशि की पुष्टि

ठेकेदारों को पूंजीगत अग्रिम, देय व्यापार और पारगमन में/ठेकेदार के साथ/ऋण पर जारी की गई सामग्री, व्यापार प्राप्य, प्राप्य खातों के तहत दिखाए गए शेष राशि पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

नोट संख्या 50: हानि

संपत्ति संयंत्र और उपकरण को हानि के लिए परीक्षण किया गया है जहां हानि के संकेतक मौजूद हैं। मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी में पिछले वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

नोट संख्या 51: पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है, पुनः कास्ट किया गया है और जहां भी संभव हो एवं आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित किया गया है।

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में
कृते एल के केजरीवाल एंड को.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ़आरएन 001368 सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 16-05-2023 ए. पी. रोंग
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

बी.महाराणा
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफ़ओ
डीआईएन: 09263864

राजीव कुमार विश्रोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

राकेश सांगानेरिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 073232

अनुलग्नक - 6सी

स्वतंत्र लेखा परीक्षक मामलों के महत्व (ईओएम) पर रिपोर्ट करते हैं और प्रबंधन इस पर उत्तर देता है:

क्र.सं.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की राय	प्रबंधन का उत्तर
1.	पीजीसीआईएल द्वारा पिछले वर्षों के लिए ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों (ब्याज सहित) क्षमता शुल्क के रूप में बिल रूपया 2485.44 लाख पूंजीकरण के संबंध में नोट संख्या 2 (v)	<p>दिनांक 7 अक्टूबर 2022 के सीईआरसी के आदेशों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन एजेंसी द्वारा बिल किए गए ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों (ब्याज सहित) की क्षमता शुल्क ₹ 2485.44 लाख नीपको के खाते में पूंजीकृत किया गया है। सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम 19 के साथ पढ़े गए इंडस्ट्रीज़ एएस 16 के प्रावधान के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित परिसंपत्तियों (उत्पादन स्टेशन) को उसके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार लागत है।</p> <p>नीपको, एक विनियमित इकाई होने के नाते, इसका टैरिफ सीईआरसी द्वारा "कॉस्ट प्लस" संरचना के तहत निर्धारित किया जाता है और तदनुसार, टैरिफ के माध्यम से इसकी वसूली के लिए नियंत्रण अवधि 2019-24 के लिए उक्त लागत से प्रभावित उत्पादन संयंत्र, कामेंग जल-विद्युत स्टेशन के लिए "टूइंग अप" याचिका प्रस्तुत करते समय इसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में शामिल किया जाएगा।</p>
2.	ऊर्जा की बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 17.1(ए)(ii) के साथ पढ़े गए नोट संख्या 27(बी) में अनंतिम दर के आधार पर मान्यता प्राप्त वर्ष के लिए रूपया 10045.51 लाख का राजस्व शामिल है।	<p>वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, नीपको ने "परिचालन से राजस्व - ऊर्जा की बिक्री से राजस्व" पर अपनी लेखांकन नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति इस प्रकार है:</p> <p>विद्युत स्टेशनों के मामले में जहां अंतिम टैरिफ को सीईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तों) विनियम 2019 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ याचिका के माध्यम से सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक निश्चित लागत पर विचार करते हुए अनंतिम दर के आधार पर ऊर्जा की बिक्री की जाती है।</p> <p>राजस्व मान्यता के लिए उपरोक्त लेखांकन नीति के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नीपको के खाते में इसके दो उत्पादन स्टेशनों, कामेंग जल-विद्युत स्टेशन और अगरतला गैस आधारित विद्युत स्टेशन के लिए रूपया 10045.51 लाख की राशि को मान्यता दी गई है। तदनुसार, वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त उपरोक्त राजस्व नीपको की प्रासंगिक लेखांकन नीति के अनुपालन में है।</p>

निदेशक मंडल की ओर से

हा/-
(वैद्यनाथ महाराणा)
निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ
डीआइएन: 09263864

हा/-
(राजीव कुमार विश्रोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआइएन: 08534217

दिनांक : 16-05-2023

स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी है। दिनांक 16 मई 2023 की लेखा परीक्षा के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेज़ के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित की गई और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक बातें की जा सकें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 14.07.2023



(अतुल प्रकाश)

लेखा परीक्षा के महानिदेशक (माइंस)
कोलकाता

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी है। दिनांक 16 मई 2023 की लेखा परीक्षा के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ए) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा संचालित की। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की एक पूरक लेखा परीक्षा संचालित की। पुनः संयुक्त उपक्रम की कंपनियों मेसर्स केएसके डिविजि हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड के निजी संस्थान होने के नाते न तो उनके वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है और न ही इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा की आवश्यकता है। अतः अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6) (ए) प्रयोज्य नहीं है। तदनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने इन कंपनियों हेतु न तो वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की और न पूरक लेखापरीक्षा संचालित की। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित की गयी और यह प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक बा तें की जा सकें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 14.07.2023



(अतुल प्रकाश)

लेखा परीक्षा के महानिदेशक (माइंस)
कोलकाता

फॉर्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनियों के नियम संख्या 9 के अनुरूप]

(नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014]

सेवा में,
सदस्यगण
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
ब्रुकलैंड कंपाउंड लोअर न्यू कॉलोनी,
जिला. ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग
मेघालय, पिन-793003

हमने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' या 'नीपको' कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों और उत्तम कॉर्पोरेट सक्रियाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा संचालित किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से संचालित की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट के व्यवहारों और वैधानिक अनुरूपताओं का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी विचार व्यक्त करने के लिए तार्किक आधार प्राप्त हुआ।

सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों तथा साथ ही कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर की गयी जाँच द्वारा हम प्रतिवेदित करते हैं कि हमारे विचार से 31 मार्च, 2023 ('लेखा परीक्षा') को समाप्त वित्त वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी ने नीचे उल्लिखित सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी ने उचित ढंग से तथा इसके पश्चात किए गये प्रतिवेदन में उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं तथा यथासीमा अनुपालन-प्रक्रियाओं का अनुरक्षण किया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणी और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) एवं इसके अधीन नियमय;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम; (लागू नहीं क्योंकि कोई रिपोर्ट करने योग्य घटनाएँ नहीं थीं)
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों पर लागू होते हैं:
 - (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अर्जन) विनियम, 2011; (लागू नहीं क्योंकि कोई रिपोर्ट करने योग्य घटनाएँ नहीं थीं)
 - (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
 - (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009; (लागू नहीं)
 - (4) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)
 - (5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; (लागू नहीं है क्योंकि कोई रिपोर्ट करने योग्य घटनाएँ नहीं थीं)
 - (6) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993; (लागू नहीं)

- (7) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009; (लागू नहीं क्योंकि कोई रिपोर्ट करने योग्य घटनाएँ नहीं थीं)
- (8) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998; और (लागू नहीं क्योंकि कोई रिपोर्ट करने योग्य घटनाएँ नहीं थीं)
- (vi) उद्योग विशिष्ट कानून और नियम, विनियम, निर्देश, दिशानिर्देश, परिपत्र और उसके तहत तैयार किए गए निर्देश
- (1) विद्युत अधिनियम, 2003;
- (2) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य उपबंधों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;
- (ii) कंपनी द्वारा बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के साथ ऋण सूचीकरण समझौता किया गया।

हमने बोर्ड और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- (1) कंपनी ने परियोजना (केएचईपी) चरण II की 183.19 हेक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि, जिसकी कीमत ₹4.52 करोड़ है, को अपने नाम पर पंजीकृत नहीं किया है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 187 के अनुसार, किसी भी संपत्ति, शेयर या प्रतिभूतियों में किए गए सभी निवेश कंपनी द्वारा अपने नाम पर किए और रखे जाएंगे।
- (2) दिनांक 10 जुलाई, 2022 से श्रीमती माला सिन्हा की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति के बाद कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

हम पुनः प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कंपनी के निदेशक मण्डल का गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यक्रम के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, और कम से कम सात दिन पूर्व एजेंडा के विस्तृत विवरण भेज दिए गए थे, और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों की अधिक सूचना एवं स्पष्टीकरण चाहने तथा प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए उचित व्यवस्था की गई थी।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं जैसा कि निदेशक मण्डल या बोर्ड की समिति की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है जैसा भी मामला हो।

हम पुनः प्रतिवेदित करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा प्रभाव डालने वाली कोई विशेष घटना नहीं हुई।

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक: 17 जुलाई, 2023

कृते नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव



सीएस नारायण शर्मा
प्रोपराइटर

पीआर. सं.: 1563/2021
एफसीएस-5117, सीपी नंबर 3844
यूडीआईएन: F005117E000647990

इस रिपोर्ट को हमारे कार्यक्रम की तारीख के पल के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक - ए

सेवा में,
सदस्यगण
मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
ब्रुकलैंड कंपाउंड लोअर न्यू कॉलोनी
जिला : ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग
मेघालय, पिन-793003

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए।

- 1) सचिवालय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन सचिवालय रिकॉर्डों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।
- 2) मैंने सचिवीय रिकॉर्ड के विषय वस्तु की शुद्धता पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया का पालन किया है। सचिवालय रिकॉर्ड में सही तथ्य दर्शाए जाने के लिए जांच के आधार पर सत्यापन किया गया है। हमारा मानना है कि हमने जिस प्रक्रिया और पद्धति का पालन किया है वह हमारे विचार व्यक्त करने का उचित आधार प्रदान करता है।
- 3) मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता के साथ-साथ निर्दिष्ट कानूनों के तहत कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न खुलासों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया है, हालांकि मैंने कुछ हद तक ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर भरोसा किया है।
- 4) हमारी ऑडिट जांच केवल कंपनी द्वारा लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है; हमने इससे जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
- 5) आवश्यकतानुसार, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के प्रसंग आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व से जानकारी प्राप्त की है।
- 6) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी दायित्व जांच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
- 7) सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
- 8) आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित ऑडिट की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही ऑडिट उचित रूप से योजनाबद्ध हो और ऑडिट प्रथाओं के अनुसार निष्पादित किया गया हो।
- 9) इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य ऑडिटर/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। टिप्पणियाँ और योग्यताएँ, यदि ऊपर उल्लिखित हैं, तो कंपनी के लेखा परीक्षकों/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा उनकी संबंधित रिपोर्टों में दी गई टिप्पणियों और योग्यताओं के अतिरिक्त हैं।

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक: 17 जुलाई, 2023

कृते नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव



सीएस नारायण शर्मा
प्रोपराइटर

पीआर. सं.: 1563/2021
एफसीएस-5117, सीपी नंबर 3844
यूडीआईएन: F005117E000647990

वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र.सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों का टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर/स्पष्टीकरण
ए)	कंपनी ने परियोजना (केएचईपी) चरण II की 183.19 हेक्टेयर की फ्रीहोल्ड भूमि, जिसका मूल्य ₹ 4.52 करोड़ है, को अपने नाम पर पंजीकृत नहीं किया है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 187 के अनुसार, किसी भी संपत्ति, शेयर या प्रतिभूतियों में किए गए सभी निवेश कंपनी द्वारा अपने नाम पर किए और रखे जाएंगे।	अधिग्रहीत भूमि अनुसूची-6 क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिसके लिए जनजातीय लोगों के अलावा किसी अन्य को भूमि की बिक्री की अनुमति नहीं है। हालाँकि, राष्ट्रीय परियोजना के हित में, कोपिली जल-विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उपयोग के अधिकार के लिए नीपको की ओर से मेघालय सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था और मुआवजा केवल भूमि प्रभावित लोगों को दिया गया था। चूंकि अनुसूची-6 क्षेत्र में होने के कारण जमीन की बिक्री नहीं होती, इसलिए जमीन का म्यूटेशन निगम के नाम पर नहीं हो सकता। इसके अलावा बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर जमीन जोवाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी है।
बी)	10 जुलाई, 2022 को श्रीमती माला सिन्हा की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति के बाद कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।	कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। महिला निदेशक की नियुक्ति में नीपको की कोई भूमिका नहीं है। महिला निदेशक की नियुक्ति से संबंधित मामला कई बार विद्युत मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है और मामला प्रक्रियाधीन है। ऐसे में, यह उम्मीद की जाती है कि नीपको के बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति सरकार द्वारा जल्द से जल्द की जाएगी, जिससे नीपको उक्त आवश्यकता का अनुपालन करने में सक्षम हो सके। यह आश्वासन दिया गया है कि नीपको एक महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

निदेशक मंडल की ओर से

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआइएन: 00307037

दिनांक : 14-08-2023

स्थान : नई दिल्ली

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (एम) के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित, वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और व्यय पर जानकारी निम्न प्रकार है:

ए. ऊर्जा संरक्षण

I. ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम:

ए. ऊर्जा लेखापरीक्षा:

विद्युत स्टेशन	विवरण
एजीजीबीपीएस	ऊर्जा ऑडिट अगस्त 22 में किया गया था। तीसरे पक्ष के पैनलबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों के माध्यम से हर तीन साल में कार्यान्वित करने का निर्धारित समय
एजीबीपीएस	मैसर्स गंगा कंसल्टेंसी, कानपुर को 2022-23 के लिए एजीबीपीएस का अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया है।

बी. सहायक बिजली खपत (एपीसी): बिजली स्टेशनों में सहायक बिजली खपत (एपीसी) को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

विद्युत स्टेशन	विवरण
एजीजीबीपीएस	20 केडब्ल्यूपी और 50 केडब्ल्यूपी का रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया गया है।
एजीबीपीएस	कार्यालय भवन और अन्य गैर-आवासीय भवनों में ट्यूब लाइट फिटिंग को ऊर्जा कुशल एलईडी से बदला गया, स्ट्रीट लाइट में एलईडी लैंप लगाए गए, 3-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर लगाए गए।

सी. प्रकाश व्यवस्था

विद्युत स्टेशन/ कारपोरेट मुख्यालय	विवरण
एजीजीबीपीएस	पारंपरिक इलेक्ट्रिक लैंप को चरणबद्ध तरीके से एलईडी लैंप से बदल दिया गया।
एजीबीपीएस	एलईडी लैंप/वॉटर हीटर में बदलें

डी. उष्ण ऊर्जा:

विद्युत स्टेशन	विवरण
एजीबीपीएस	सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नियमित आधार पर कंडेनसर, कूलिंग टॉवर आदि जैसी शीतलन जल प्रणाली का रासायनिक उपचार किया जा रहा है।

ई. अन्य: शून्य

II. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

सौर ऊर्जा के उपयोग पर उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

- एजीजीबीपीएस, लिपुरा में 20 केडब्ल्यूपी और 50 केडब्ल्यूपी छत के शीर्ष पर सौर संयंत्र स्थापित किए गए।
- 12.5 केवीए 3-पीएच हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ टीजीबीपीएस, मोनार्चक के एडमिन बिल्डिंग की छत पर 10 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए गए।
एजीबीपीएस में, निम्नलिखित कार्य हालांकि 2017-18 में पूरे हो गए लेकिन नियमित रूप से उचित रखरखाव के माध्यम से लाभ अभी भी प्राप्त किया जा रहा है:
- ग्रीड रूफ टॉप पर 15 केडब्ल्यूपी एसपीवी पावर प्लांट।

- गेस्ट हाउस I और II में सोलर वॉटर हीटर (प्रत्येक 1000 एलपीडी)
- गेस्ट हाउस I और II प्रत्येक में 6 केडब्ल्यूपी रूफ-टॉप सोलर पीवी सिस्टम

III. ऊर्जा की खपत में कमी के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव:

- एजीबीपीएस में टरबाइन दक्षता में सुधार के लिए कंडेनसर ट्यूब सफाई गतिविधि करना।
- मौजूदा कार्यालय भवन टीजीबीपीएस में रूफ टॉप सौर प्रणाली की स्थापना के लिए अन्वेषण।

IV. ऊर्जा संरक्षण हेतु किये गये उपायों का प्रभाव:

वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पर विशिष्ट प्रयासों के कारण प्राप्त बचत:

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधियाँ	ऊर्जा इकाई	इकाइयों की बचत माला	₹
1	विद्युत (मानक से एपीसी कम होने के कारण)	केडब्ल्यूएच	6478160 (एजीबीपीएस) 32270 (एजीबीपीएस)	529.00 लाख 1.94 लाख
2	ऊष्मा ऊर्जा (गैस के समतुल्य एमसीएम)	एमसीएम	1897.4531 (एजीबीपीएस)	491.00 लाख

V. वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

- एजीबीपीएस, लिपुरा में ₹ 5.06 लाख (लगभग)।

VI. पीएटी चक्र - II:

- ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विशिष्ट ऊर्जा खपत की उपलब्धि के लिए असम गैस आधारित विद्युत स्टेशन (एजीबीपीएस) को 13939 ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससीटीएस) जारी किए थे। मार्च, 2023 तक 13939 ईएससीटीएस में से 1411 पहले ही बिक चुके हैं। शेष की बिक्री प्रक्रियाधीन होगी।

बी. प्रौद्योगिकी समावेश:

I) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास:

- एजीबीपीएस के जीटी नियंत्रण प्रणाली एचएमआई अद्यतन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 518.00 लाख का ऑर्डर दिया गया।
- असम गैस आधारित पावर स्टेशन, नीपको लिमिटेड, डिब्रूगढ़ में एमओडी # 1 के एसडब्ल्यूए सिस्टम का उन्नयन।
- एजीसी (स्वचालित उत्पादन नियंत्रण) कार्यान्वयन के लिए एजीबीपीएस के एमएचआई आपूर्ति जीटी # 1,2,3 और 4 की मौजूदा नियंत्रण प्रणाली का विन्यास/संशोधन।
- एजीसी (स्वचालित उत्पादन नियंत्रण) कार्यान्वयन के लिए बीएचईएल द्वारा प्रदत्त एजीबीपीएस के जीटी # 5 और 6 की मौजूदा नियंत्रण प्रणाली का विन्यास/संशोधन।
- सीईए विनियमन 2006 का अनुपालन करने के लिए 36 वर्तमान ट्रांसफार्मर का उन्नयन का कार्य पूरा हो चुका है और 6 के उन्नयन का कार्य 2023-24 के भीतर पूरा हो जाएगा।

II) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए।

नई उन्नयन प्रणाली उत्पादन के नुकसान को कम करेगी, अधिक दक्षता और सुरक्षा प्रदान करेगी।

III) आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित):

2020-21:

- मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज (एमएचआई), जापान से एजीबीपीपी की जीटीजी यूनिट # 3 का नवीनीकृत गैस टर्बाइन रोटार 03.05.2020 को साइट पर प्राप्त हुआ।
- जीटी और मॉड्यूल आधारित सीडीएम के लिए उन्नत हॉट गैस पथ घटक मेसर्स बीजीजीटीएस से प्राप्त किए गए थे और टीजीबीपीपी में एचजीपीआई (हॉट गैस पथ निरीक्षण) के दौरान उपयोग किए गए थे।

2021-22:

- डी एंड ई अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने सहित एएनएसवाईएस सॉफ्टवेयर की खरीद।
- एजीजीबीपीएस के लिए जेनरेटर नियंत्रण और सुरक्षा पैनल की रेट्रोफिटिंग।

2022-23: शून्य

IV) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय ₹ 59.88 लाख है।

सी. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय	
विवरण	राशि ₹ लाख में
विदेशी मुद्रा अर्जन	-
विदेशी मुद्रा व्यय	22,472.90

नोट : उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा में वास्तविक प्रवाह और वास्तविक बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(गुरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआइएन: 00307037

दिनांक : 14-08-2023

स्थान : नई दिल्ली

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण (कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

स्थापना के बाद से, नीपको ने हमेशा अपने परिचालन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, नीपको ने विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियाँ शुरू की हैं, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे के विकास और अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में।

मिशन

समाज और पर्यावरण की चिंता के साथ मानवीय मूल्यों के पोषण के लिए एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बनना।

विजन

पृथ्वी और जिन समुदायों में हम रहते हैं, उन पर सतत प्रभाव बनाना।

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है:

- नीपको ने कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 18.06.2014 और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एक 'सीएसआर नीति' तैयार की। नीपको की 'सीएसआर नीति' को निदेशक मंडल द्वारा 10.02.2023 को आयोजित अपनी 276वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया है।
- नीपको सीएसआर नीति, अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सतत तरीके से पारदर्शी और नैतिक तरीके से संचालित करने के लिए अपने हितधारकों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। तदनुसार, सीएसआर गतिविधियों का निर्धारण करते समय इसके परिचालन क्षेत्र यानी परियोजनाओं/संयंत्रों/कार्यालयों के हितधारकों को प्राथमिकता दी गई है।
- नीपको ने अपनी सीएसआर नीति के अनुरूप (ए) शिक्षा को बढ़ावा, (बी) स्वास्थ्य देखभाल, (सी) उद्यमिता और कौशल विकास, (डी) स्वच्छ भारत अभियान, (ई) ग्रामीण क्षेत्र विकास पर विशेष जोर दिया है।
- सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर पहलों को दो स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से प्रशासित किया जाता है:

ए. सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति (टियर-I)

बी. सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति से नीचे (टियर-II)

सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति के नीचे (टियर-II) एक समिति है जिसमें मानव संसाधन, तकनीकी और वित्त विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो प्रस्तावों की जांच करते हैं और बोर्ड स्तरीय समिति की आगे की सिफारिशों के लिए और सैद्धांतिक रूप से नोडल अधिकारी निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद का नाम/ निदेशक पद की प्रकृति	समिति में निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
1.	श्री बिमल चंद ओसवाल	स्वतंत्र निदेशक	2	2
2.	श्री आर.के. विश्वोई	कार्यपालक	2	1
3.	श्री बैद्यनाथ महाराणा	कार्यपालक	2	2
4.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर-कार्यपालक	2	2
5.	डॉ विवेकानंद पासवान	स्वतंत्र निदेशक	2	2

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है।

<https://neepco.co.in/sites/default/files/reports/NEEPCO%20Annual%20Report%202021-22%20ENG.pdf> (पेज 330).

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ क्रियात्मक सारांश प्रदान करें।

लागू नहीं

5. (ए) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ = ₹ 2,59,62,59,000.00
 (बी) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत = ₹ 5,19,25,180.00
 (सी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष = शून्य।
 (डी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो = ₹ 10,84,233.00
 (ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी)+(सी)-(डी)] = ₹ 5,08,40,947.00
6. (ए) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों)
 = (₹ 4,29,32,239.00 + ₹ 3,09,15,291.00) = ₹ 7,38,47,530.00
 (बी) प्रशासनिक शीर्ष पर खर्च की गई राशि: शून्य
 (सी) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य
 (डी) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)] = ₹ 7,38,47,530.00
 (ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	खर्च न की गई राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि
3,09,15,290.00	1,99,41,876.00	28.04.2023	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(एफ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।	5,19,25,180.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	3,09,15,291.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	01.04.2022 तक धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो	* आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	2019-20	शून्य			लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
2.	2020-21	5,44,72,174.00	72,58,162.00	58,51,774.00	लागू नहीं	लागू नहीं	14,06,388.00
3.	2021-22	4,52,64,416.00	4,52,64,416.00	3,70,80,465.00	लागू नहीं	लागू नहीं	81,83,951.00
			5,25,22,578.00	4,29,32,239.00	लागू नहीं	लागू नहीं	95,90,339.00

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है:

☐ हाँ

☐ नहीं : नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो
					नाम
					पंजीकृत पता

लागू नहीं

(सभी फ्रील्ड को राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें : लागू नहीं

(गुरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00307037

(श्री बिमल चंद ओसवाल)
अध्यक्ष
सीएसआर समिति
डीआईएन: 03286483

(अरूप सैकिया)
महाप्रबंधक (सीएसआर)
नोडल अधिकारी – सीएसआर

दिनांक : 14-08-2023

स्थान : नई दिल्ली

2022-23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों की झलक



दोबरार श्रौंग मावसिनराम, ईस्ट खासी हिल्स जिला, मेघालय को
1 (एक) कचरा ट्रक वाहन उपलब्ध कराया गया



तारानगर हाई स्कूल, मोहनपुर, त्रिपुरा (पश्चिम), त्रिपुरा में
साइकिल स्टैंड का निर्माण



मेलाघर, सिपाहीजला जिला, त्रिपुरा में एचएस स्कूल के निकट पार्क के लिए
चारदीवारी का निर्माण



शिलांग विद्युत शवदाहगृह, शिलांग, मेघालय की
दूसरी फर्नेस का प्रतिस्थापन



रवीन्द्रनगर एच.एस.स्कूल, सोनामुरा सिपाहिजला जिला, त्रिपुरा में
डाइनिंग सह बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण



बोरबारी गाँव नामघर, चोपातोली, भदोईपंचाली, डिब्रूगढ़, असम में
शौचालय, मूलालय और स्नानघर का निर्माण



लियो, वोखा, नागालैंड में फिश हैचरी यूनिट का निर्माण

ईपसी परिसर और जनरल ग्राउंड यांगसी, पूर्वी कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश में एलईडी
आधारित सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की स्थापना



नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

शेड्यूल-ए, मिनी रत्न श्रेणी-I, भारत सरकार का उद्यम

पंजीकृत कार्यालय: ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कालोनी, शिलांग - 793 003, मेघालय

वेबसाइट: www.neepco.co.in

सीआईएन: यू40101एमएल1976जीओआई001658